(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2) आठवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र का 17 वां दिवस (संख्या 13

1) (2

गुरुवार

दिनांक 18 जुलाई, 1985

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हीरालाल देवपुरा, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष . प्रश्न। श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी।

विद्यालयों में निर्धन छात्र कल्याण कोष की स्थापना

363. **श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी** (बस्सी) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सच है कि जयपुर जिले के कई उच्च प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों में जन सहयोग से निर्धन छात्र कल्याण सहायता कोष की स्थापना की गयी थी ? यदि हां, तो विद्यालयवार सहायता कोष में सहयोग करने वाले दानदाताओं की की सूची एवं निर्धन छात्र कल्याण सहायता कोष से छात्रों को दी गयी सहायता विवरण कृपया सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार अनुसूचित जाति एवं जन जाति के अलावा अन्य जाति, जिनको छात्रवृत्ति सुविधा उपलब्ध नहीं है, ऐसे निर्धन छात्रों की तात्कालिक सहायता कोष की प्रत्येक विद्यालय में स्थापना करना जरूरी समझती है ? यदि हां, तो किस प्रकार ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) कुछ विद्यालयों में जन सहयोग से ऐसा कोष स्थापित किया गया है किन्तु विभाग के पास इसका विवरण नहीं है।

(2) अभी यह मामला विचाराधीन नहीं है।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस सन्दर्भ में मैंने प्रश्न पूछा उस सन्दर्भ में मुझे उत्तर नहीं दिया गया। मेरे प्रश्न पूछने का मतलब यह था कि राज्य सरकार शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राईब के लोगों को तो छात्रवृत्ति देती है लेकिन जो छात्र छात्रायें निर्धन परिवारों की होती या होते हैं उनको निर्धन कल्याण छात्र कोष से पाठ्य पुस्तक सामग्री वगैरहा दी जाय क्योंकि अभी इसकी समुचित व्यवस्था नहीं है।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने निर्धन छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था कर रखी है इसमें जिन छात्र छात्राओं के माता पिताओं की 2500 रुपये सालाना से कम इन्कम है उनको कक्षा 6 से 10 तक दस रुपये और हायर सैकेण्डरी स्कूल के छात्रों के लिये 15) रुपया दिया जाता है। इसी तरह से दिवंगत मृत परिवारों के जो छात्र और छात्रायें हैं उनको कक्षा एक से पांच तक 6 रुपया और कक्षा 6 से 8 तक 12) रुपया और कक्षा 9 से 12 तक 23) रुपया दिया जाता है। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के परिवार के छात्र छात्राओं को कक्षा 6 से 8 तक 20) रुपया और कक्षा 9 से 10 तक 30) रुपया और आगे 40) रुपया दिया जाता है। इसी तरह से राजनैतिक पीड़ितों के छात्र और छात्राओं को एक से आठ तक 10) रुपया और सैकेण्डरी और हायर सैकेण्डरी के छात्रों को 15) रुपये दिये जाते हैं। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, कुछ परिवार ऐसे हैं जो कि बिल्कुल निर्धन हैं उनको तो छात्रवृत्ति दी जाती ही है, इसके अलावा शिडूल्ड कास्ट और शिडूल्ड ट्राईब के लोगों के अलावा ऐसे लोगों के लिए राज्य सरकार ने काफी कुछ काम किया है। वैसे भी यहां पर शिक्षा शुल्क कम है और हमारे यहां पर दानदाताओं द्वारा भी छात्रवृत्ति दी जाती है। शिक्षा विभाग और समाज कल्याण विभाग से भी छात्रवृत्ति दी जाती है। आपने प्रश्न पूछा किताबें और दूसरी सामग्री वगैरह का उसके लिये हमारे यहां पर बुक बैंक्स की स्थापना भी की हुई है जिससे छात्र अपने अध्ययन के लिये वहां से पुस्तकें ले सकते हैं।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सीधा साधा है कि जो परिवार निर्धन हैं और उनके छात्रों और छात्राओं को निशुल्क किताबें फीस वगैरहा के बारे में आपने कहा कि बुक बैंक से किताबें मिलती हैं पर उससे काम नहीं चलता है। इसके लिये जन सहयोग से कई स्थानों पर निर्धन छात्र कल्याण सहायता कोष की स्थापना की हुई है उसी तरह सभी जगह की जाय क्योंकि अभी ऐसा भी मामला हुआ कि तीन बच्चे अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण फीस नहीं भर सके हैं। तो ऐसे लोगों को सहायता देने के लिये राज्य सरकार हर क्षेत्र में निर्धन छात्र सहायता कल्याण कोष खोलने का विचार क्यों नहीं करती ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा कि इस तरह के जन सहयोग से कल्याण कोष स्थापित नहीं किये जायं, पर अगर लोग करना चाहते हैं तो करें इसमें राज्य सरकार का कुछ भी एतराज नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय मन्त्री महोदया, क्या आपको यह जानकारी है कि विद्यार्थियों से विकास शुल्क के नाम पर शुल्क लिया जाता है ? इसकी जो राशि ली जाती है उसकी न तो कोई रसीद दी जाती है और न ही इस रकम का कोई हिसाब किताब ही रखा जाता है। इसलिये ऐसे पैसे का जनता को कोई पता नहीं लगता है।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्टुडेण्ट फण्डस के नाम पर क्या-

(श्रीमती कमला)

थियों से फीस ली जाती है इसमें उनके विकास के लिये यह फण्ड काम में लिया जाता है। इसके अलावा सरकार की तरफ से कोई प्रावधान नहीं किया हुआ है। विकास फण्ड के लिये कक्षा 6 से 8 तक 1.50 रुपये लिये जाते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : विकास के नाम पर दूसरे शुल्क होते हैं।

श्रीमती कमला : अगर कोई विकास के नाम पर या जनकल्याण के नाम पर अपने लेवल पर कोई फीस ली जाती है तो गलत है। अगर कहीं पर यह पैसा लिया जाता है तो राज्य सरकार इसको देखेगी कि कौन इसकी उगाई करता है। बाकी राज्य सरकार की तरफ से बायज फण्ड के नाम पर कक्षा 6 से 8 तक 31 रुपये 50 पैसे लिया जाता है और शिडूल्ड कास्ट और शिडूल्ड ट्राईब के छात्र-छात्राओं से 50 प्रतिशत ही लिया जाता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मन्त्री महोदय ने जवाब दिया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं जानकारी देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, कई जगह पर छात्रों से इस प्रकार पैसा लिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्पष्ट कहिये, जनरल कहना सही नहीं है। विकास शुल्क के अलावा अगर कोई फीस ली जाती है तो आप बतावें। मन्त्री महोदय ने कहा है कि वह कार्यवाही करेंगी।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, विकास शुल्क के नाम पर कई स्थानीय पंचायतें पैसा वसूल करती हैं जिससे भवन आदि निर्माण कराने के लिये····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप कैसे जवाब दे रहे हैं मन्त्री महोदया जवाब दे रही हैं। नेक्स्ट श्री गोविन्दसिंह।

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा ट्रेप प्रकरणों में कार्यवाही

364. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण), **सुश्री पुष्पा जैन** (पाली), **श्री गोविन्दसिंह** (नसीराबाद), **श्री सम्पतसिंह** (नगर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विगत पांच वर्षों में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने जिलेवार प्रान्त में कुल कितने ट्रेप, किन-किन व्यक्तियों के किये व कितने मामलों में न्यायालय में चालान पेश किया गया और किन-किन का ? कृपया जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) राजपत्रित अधिकारी एवं अराजपत्रित कर्मचारियों के ट्रेप का क्या अनुपात है ?

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

(3) कौन-कौन से मामलों का कब-कब चालान किया गया ?

(4) कितने मामलों में फाइनल रिपोर्ट दी गयी और कौन-कौन से मामले अभी तक अनुसन्धान में हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें ।

(5) इन एफ. आर. पर न्यायालय द्वारा कितने केसों में कोग्नीजेन्स लिया गया ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें ।

(6) किन-किन को न्यायालय से सजा हुई और कौन-कौन बरी हुए ?

(7) किन-किन मामलों में रंगे हाथ पकड़ने की कार्यवाही को सही नहीं माना गया ?

(8) क्या ऐसे मामलों में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो किस-किस के विरुद्ध और क्या ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें ।

गृह मंत्री (श्री गुलाबसिंह शक्तावत): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर इतना लम्बा है, इसकी सूची बहुत लम्बी है और इसमें कई सप्लीमेन्ट्रीज पूछे जायेंगे अभी तक इसकी सूचना विस्तृत होने के कारण पूरी आई नहीं है इसलिये इस प्रश्न को स्थगित किया जायें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न कई बार स्थगित किया गया है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरे सामने तो पहली बार स्थगित हुआ है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह कई बार स्थगित हुआ है ।

(व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इसी सत्र में इसका जवाब दिया जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । यह प्रश्न तो मेरे सामने पहली बार स्थगित हुआ है । आर्ड ....

(व्यवधान)

माननीय सदस्या आर्डर, श्री [illegible] :

माननीय सदस्य, मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया है ।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जवाब आ गया है, मेरे पास [illegible] है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, मन्त्री महोदय ने कहा कि यह इन्फोरमेशन अधूरी है, दुबारा इन्फोर्मेशन आने पर जवाब देंगे।

सुश्री पुष्पा जैन : इसी सत्र में।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : हां; इसी सत्र में जवाब दूंगा।

प्रश्न संख्या 365

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 365।

श्री रतनलाल ताम्बी !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 366

रेगिस्तान के विस्तार पर नियंत्रण

366 श्री हरलाल सिंह खर्रा, (श्रीमाधोपुर) **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) **श्री अशक अली** (फतेहपुर): क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि राज्य में रेगिस्तान का निरन्तर विस्तार हो रहा है? इस समय राज्य में कितने क्षेत्र में रेगिस्तान है?

(2) रेगिस्तान के प्रसार को रोकने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है? सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए कितना प्रावधान है?

(3) क्या सरकार इसे राष्ट्रीय समस्या मानती है? यदि हां, तो इसके नियंत्रण एवं विकास में अन्तर्ग्रसित विपुल धनराशि आदि की दृष्टि में इसे केन्द्रीय सरकार के अधीन देने का क्या सरकार का मानस है?

(4) मरुस्थल विकास बोर्ड द्वारा अब तक इस सन्दर्भ में क्या प्रयास किये गये? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन (श्री हीरालाल ओला) : (1) जी नहीं। केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान के अनुसार राजस्थान में रेगिस्तान का विस्तार नहीं हो रहा है। राज्य के लगभग 2 लाख वर्ग किलो मीटर क्षेत्र में रेगिस्तान है।

(2) राज्य के मरुस्थलीय क्षेत्रों में रेगिस्तान के प्रसार को रोकने एवं रेगिस्तानी क्षेत्र के विकास के लिए राज्य में 77-78 से मरु विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रावधान के संबंध में भारत सरकार से अन्तिम निर्णय अपेक्षित है।

(3) राज्य सरकार इसे राष्ट्रीय स्तर की समस्या मानती है एवं रेगिस्तान के विस्तार के नियंत्रण एवं इस क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक विपुल धनराशि की दृष्टि से इस योजना के लिए शत प्रतिशत सहायता केन्द्र सरकार द्वारा दिये जाने के प्रस्ताव पूर्व में ही राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को भेज दिए हैं।

(4) राज्य में 112 सदस्यीय मरुस्थल विकास मण्डल का गठन किया गया था।

(राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन)

लेकिन सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण यह मण्डल सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सका इसलिए मण्डल के पुनर्गठन हेतु प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरे दो प्रश्न हैं माननीय मन्त्री महोदय से। एक तो मरुस्थल विकास मण्डल का गठन होने के बाद जिस प्रकार की लापरवाही हुई है और सदस्यों की पूर्ति नहीं हुई और काम कहीं हुआ उसके बारे में आपको क्या कहना है। नम्बर 2–जिस प्रकार से हिली एरियाज के डवलपमेन्ट के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार को केन्द्र सरकार पूरा का पूरा जितना पैसा लगेगा उतना पैसा दे रही है तो राजस्थान के रेगिस्तान को राष्ट्रीय समस्या मानकर उसका पैसा केन्द्र सरकार क्यों नहीं दे रही है ? राज्य सरकार इसके लिए क्या कर रही है ? सातवीं पंचवर्षीय योजना में हिली एरियाज के डवलपमेन्ट के लिए कितना पैसा दे रही है और रेगिस्तान को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने कितनी धनराशि की केन्द्र सरकार से मांग की है ?

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष जी, बोर्ड के 112 सदस्य हैं। 1 जनवरी, 1976 में इस बोर्ड का गठन हुआ परन्तु इतनी लम्बी सूची सदस्यों की थी कि कोई मीटिंग ढंग से नहीं हो सकी, मीटिंग बुलाई नहीं जा सकी और इस बीच में सरकार बदली। उन्होंने भी कोई मीटिंग नहीं बुलाई। तो एक प्रकार से सभी इसके दोषी हैं, चाहे भूतपूर्व सरकार हो या वर्तमान सरकार हो। लेकिन अब सरकार जल्दी ही एक नये बोर्ड का गठन कर रही है। उसमें कितने सदस्य हों यह सरकार विचार कर रही है और जल्दी ही बोर्ड का गठन कर दिया जायेगा।

जहां तक सातवीं पंचवर्षीय योजना का सवाल है सारा पैसा भारत सरकार इस मरु के विकास के लिए वहन करे इसके लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार को लिखा है। अभी उसका निर्णय नहीं हुआ इसलिए कहना उचित नहीं होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने कितने रुपयों की योजना बनाकर केन्द्र सरकार को कहा कि इतना रुपया हमको चाहिए ताकि मरु विकास के कार्यक्रम को ढंग से क्रियान्वित कर सकें ?

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष महोदय, सारा ही इसमें स्वीकार कर लिया जावे यह जरूरी नहीं है....

श्री अध्यक्ष : आपने कितना मांगा वह बता दीजिए। स्वीकार अस्वीकार की बात ही अलग है।

श्री शीशराम ओला : सरकार ने 560 करोड़ रुपया मांगा है। राज्य सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में 560 करोड़ की मांग की।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अब अगर केन्द्र सरकार ने 560 करोड़ रुपया स्वीकार नहीं किया तो राज्य सरकार अपने साधनों से कितना करोड़ रुपया रेगिस्तान के विस्तार को रोकने के लिए खर्च करेगी ?

श्री शीशराम ओला : अभी यह कहना सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से दो प्रश्न करना चाहता हूं। एक तो आपने यह 560 करोड़ रुपये की मांग की है केन्द्र सरकार से, यह कब की ? दूसरा प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या मई तक राज्य सरकार को इस प्रकार की विधिवत जानकारी नहीं थी कि यह डेजर्ट इस परिणाम में आगे बढ़ता है और मई के पश्चात् ही यह इन्स्टीट्यूट बना है। बिड़ला इन्स्टीट्यूट के मिस्टर ढाबरिया ने लेख लिखा है कि रेगिस्तान किस परिमाण में बढ़ रहा है।

श्री शीशराम ओला : कोई बिड़ला इन्स्टीट्यूट के माध्यम से ही जानकारी नहीं है। मेरे ख्याल से बिड़ला इन्स्टीट्यूट तो अभी कार्य नहीं करने लगा है। उसके भवन का ही अभी निर्माण नहीं हुआ। लेख तो कोई भी व्यक्ति लिख दे। इसलिए भारत सरकार ने डेजर्ट डवलपमेन्ट का और विकास का बोर्ड बनाया। उसके लिए एक आफिस है, उसके माध्यम से और राज्य सरकार के दूसरे सम्बन्धित अधिकारी हैं उनसे जानकारी मिली है। यह कोई ढाबरिया जी ने लेख नहीं दिया होगा। उनके लेख से हमें जानकारी मिले यह अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है लेकिन यह कहना सही नहीं है कि केवल ढाबरिया जी के कहने पर ही मालूम हुआ कि डेजर्ट बढ़ रहा है। राजस्थान के 11 जिलों के अन्दर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मालूम है कि डेजर्ट की क्या स्थिति है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मै कहूंगा कि कई इन्स्टीट्यूट हैं उन्होंने इस बात को प्रमाणिक तथ्यों के साथ कहा है कि डेजर्ट निरन्तर बढ़ रहा है।....

श्री अध्यक्ष : यह मन्त्री महोदय मान रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ...और इसलिए इसको रोकने के लिए भारत सरकार पर दबाव डालकर पूरे साधन प्राप्त करने चाहिए। केन्द्र सरकार इस मामले में राज्य के साथ भेदभाव कर रही है और राज्य सरकार पूर्णतया विफल रही है। केन्द्र सरकार को राज्य सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए और जिस प्रकार से हिली एरियाज के लिए पूरा पैसा दिया है रेगिस्तान को भी रोकने का पूरा पैसा केन्द्र सरकार दे।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार को ज्ञान है कि जिस प्रकार जयपुर जिले की चौमू, आमेर और बस्सी तहसील में रेगिस्तान का भूडा उड़ उड़कर नया रेगिस्तान बनाता जा रहा है और एक

(श्री नन्दलाल भारद्वाज)

नये रेगिस्तान की शुरुआत हो रही है। यदि जानकारी है तो उसको रोकने के लिए क्या प्रयत्न कर रहे हैं और यदि जानकारी नहीं है तो कब तक जानकारी प्राप्त करके जयपुर जिले के नये रेगिस्तानी इलाके को बचाने की कोशिश करेंगे ?

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर जिले में सन् 1981 में जो बाढ़ आई थी तो ढूंढ़ नदी के 15, किलो मीटर की परिधि में एक नया रेगिस्तान बना है। मैं मन्त्री महोदय से आपकी मार्फत पूछना चाहता हूं कि क्या राजस्थान सरकार की जानकारी में हैं और यदि जानकारी में है तो आपने उस रेगिस्तान को रोकने के लिए और जो कृषि-भूमि आज रेगिस्तान के रूप में परिवर्तित हो जाने से वहां के काश्तकार भूमिहीन की श्रेणी में आ चुके हैं, उनके लिए क्या योजना बनाई है ?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, यह कह रहे हैं कि राजस्थान का रेगिस्तान आगे बढ़ रहा है। क्या मन्त्री महोदय को जानकारी है कि इजराइल के अन्दर डेजर्ट की रोकथाम का काम किया है, प्रयत्न किये हैं और उससे इजराइल सक्सेसफूल हुआ है। इसलिए राजस्थान से भी कोई टीम भेजकर वहां जो प्रयत्न किये हैं उसको देखा जाये और यहां पर उसकी प्रेक्टिस कर सकते हैं क्या ?

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन ने अपनी कुछ रिकमन्डेन्स दी हैं, उनके मुताबिक कोई योजना, छठी पंचवर्षीय योजना बनाई है उसमें कितना पैसा राज्य सरकार ने खर्च किया और कितना केन्द्र ने किया, यही आपसे निवेदन है ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजना में जब हिमालय के लिए, हिमाचल प्रदेश को विंध्याचल के लिए, महाराष्ट्र को इस्टर्न और वेस्टर्न घाट के लिए उन दोनों प्रदेशों को, जब छठी पंचवर्षीय योजना में, इस नाते से केन्द्र सरकार से सहयोग मिला है तो राज्य सरकार आज तक क्यों साइलेन्ट रही और इतने साल बाद यह रिप्रेन्टेशन भेजने का क्या कारण था ?

श्री अध्यक्ष : श्री हरीश शर्मा।

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : क्या रेगिस्तान बढ़ने के कारण मालूम किये हैं ? यदि हां, तो इन कारणों को दूर करने के लिये क्या-क्या तकनिकी विधियाँ अपनाई गई और अब तक क्यों नहीं अपनाई।

श्री अध्यक्ष : श्री गंगाराम चौधरी।

श्री गंगाराम चौधरी : मन्त्री महोदय ने बताया कि सेन्टल जोन में रेगिस्तान नहीं बढ़ रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्षेत्र में नहीं बढ़ रहा घनत्व में बढ़ रहा है, हारिजन्टल में नहीं, वर्टीकल में बढ़ रहा है। क्या राजस्थान सरकार इकोलाजिकल डाटा

(श्री गंगाराम चौधरी)

अपनी ओर से तैयार करने के लिये कोई कदम उठा रही है। राजस्थान सरकार को यह मालूम है कि रेगिस्तानी इलाके के अन्दर पानी सूखता जा रहा है जो पुराने कुएं हैं वे बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं और कोई झाड़ियां भी थी उनका बिल्कुल नामो-निशान खत्म हो गया है। इसके बारे में राजस्थान सरकार किसी तरह का इकोलाजिकल डाटा तैयार कर रही है?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समस्या के समाधान के लिये आपने कभी भारत सरकार से बातचीत की है? आपने अपने उत्तर में दिया है कि वहां से मिलने की आशा नहीं है तो क्या राज्य सरकार इस समस्या को रोकने के लिये कोई धन का प्रावधान करेगी या किया है क्या?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष जी, श्री भारद्वाज जी का और श्री तिवाड़ी जी के जो प्रश्न है, वे अलग प्रश्न हैं....

श्री अध्यक्ष : आप जवाव देने की स्थिति में हों तो बता दीजिये।

श्री शीशराम ओला : जयपुर से इनका कोई सम्बन्ध नहीं है। अलग से प्रश्न पूछें तो मैं उत्तर दे दूंगा।

(व्यवधान)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : आप अपने तौर पर ही जानकारी कर लेना....

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय, यह निर्णय तो आप आसन पर छोड़ दें....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य बैठ जायं।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : यह जवाब नहीं दें....और यदि गड़बड़ हुई है....

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें। जरा सुनने की कोशिश करें। मैं आपकी बात कर रहा हूं। मन्त्री महोदय, प्रश्न अलग है या नहीं है यह आप आसन पर ही छोड़ दें अपनी तरफ से फैसला नहीं करें। सारे राजस्थान के लिये प्रश्न पूछा है। जवाब देने की स्थिति में हों तो जवाब दे दें।

श्री शीशराम ओला : मैं अर्ज कर रहा हूं। केवल 11 जिलों में यह है, जयपुर जिला उसमें शामिल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : जयपुर के बारे में आपके पास जानकारी हो तो बता दीजिये।

श्री शीशराम ओला : यह अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है जिस पर सरकार को सबसे अधिक ध्यान देना चाहिये । सरकार की जानकारी में नहीं है । सिरोही जिला, अजमेरा जिला....

श्री शीशराम ओला : यह मैंने कह दिया ।

श्री यदुनाथसिंह : क्या जवाब आया ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, नेक्स्ट ।

श्री शीशराम ओला : माननीय चतुर्वेदी जी ने जो पूछा था कि 560 करोड़ की राशि की मंजूरी के लिये भारत सरकार से प्रार्थना कब की थी तो यह मई में की थी ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

जैसलमेर जिले के माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों का पद स्थापन

367. **श्री मुलताना राम** (जैसलमेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले के 13 माध्यमिक विद्यालयों में से 11 विद्यालयों में गत शैक्षणिक वर्ष में प्रधानाध्यापकों का पद स्थापन नहीं हुआ है ? क्या राज्य सरकार इस वर्ष इन विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नियुक्त करने का विचार रखती है ?

(2) क्या जैसलमेर जिले में स्नातकोत्तर कक्षाएं नहीं हैं ? क्या राज्य सरकार इस सत्र में जैसलमेर जिले के एक मात्र महाविद्यालय को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) जी नहीं । जैसलमेर जिले में 17 माध्यमिक विद्यालयों में से गत शैक्षिणिक वर्ष में 8 प्रधानाध्यापकों के पद पर पदस्थापन नहीं हुआ था । इस वर्ष शीघ्र ही विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नियुक्त किये जा रहे हैं ।

(2) जी नहीं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी किये जा रहे हैं । आधी जुलाई तो निकल गई ।

श्रीमती कमला : किये जा रहे हैं इसलिये कहा कि अभी डी पी सी हुई है कुछ ही दिनों में पदस्थापित हो जायेंगे ।

श्री भंवरलाल शर्मा : ट्रांसफरों की सूची में हैं क्या । वह डिजायर के लिये रखे हैं ।

श्रीमती कमला : हैडमास्टर्स का रिक्रूटमेंट 50 पर्सेंट बाई प्रमोशन और 50 पर्सेंट बाई रिक्रूटमेंट होता है । डी पी सी हो गई है ।

(व्यवधान)

श्री मुलताना राम : जैसलमेर पिछड़ा हुआ जिला है, पी जी कक्षायें खोलने के बारे में सरकार का क्या विचार है ।

श्रीमती कमला : विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए पी जी कक्षायें खोलने का सरकार कोई विचार नहीं रखती है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । नारायण राम बेड़ा ।

पुलिस विभाग में निलम्बनाधीन स्टाफ

368. **श्री नारायण राम बेड़ा** :(भोपालगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) राजस्थान पुलिस विभाग में ऐसे कितने अधिकारी व कर्मचारी हैं, जो एक वर्ष से ज्यादा समय से निलम्बित हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें ।

(2) निलम्बित अधिकारियों व कर्मचारियों में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनको एक एक वर्ष से ज्यादा समय तक निलम्बित रहने पर भी आरोप-पत्र जारी नहीं किये गये हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें ।

गृह मंत्री (श्री गुलाब सिह शक्तावत): (1) राजस्थान पुलिस के एक वर्ष से अधिक समय से 127 अधिकारी व कर्मचारी निलम्बित हैं । सूची सदन के पटल पर रखा दी गई है ।

(2) एक वर्ष से अधिक समय तक निलम्बित उन 115 अधिकारियों व कर्मचारियों की सूची, जिसमें आरोप पत्र जारी नहीं किये गये, सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-1 देखें

श्री भंवरलाल शर्मा : 115 हैं, लज्जाजनक है । एक साल तक चार्ज शीट नहीं दे रहे हैं ।

श्री गुलाबसिह शक्तावत : उसके कारण हैं ।

श्री अध्यक्ष : आपस में बात चीत नहीं ।

श्री नवरंगसिह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जिन 115 को आरोप पत्र नहीं दिये है उसके क्या कारण हैं ? क्या राजनैतिक कारणों से उनको आरोप पत्र नहीं दे रहे हैं ?

श्री गुलाबसिह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, 115 पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों को आरोप पत्र नहीं दिये गये उनके विरुद्ध न्यायालय में लूट डकैती आदि के मुकदमें विचाराधीन हैं डकैती-2, लूट-7····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य····

श्री गुलाबसिह शक्तावत : यह 78-79 के हैं····78 के बारे में कह रहा हूं डकैती-2 लूट-7, हत्या-15, बलात्कार-3, गबन-4, भ्रष्टाचार-27····

(व्यवधान)

यह मुकदमें न्यायालयों में चल रहे हैं जब तक न्यायालय में फैसला नहीं हो जाता उनको आरोप पत्र दिया जाना सम्भव नहीं है ।

श्री नारायण राम बेड़ा : जब तक आरोप न्यायालय में लम्बित हैं उनको आरोप पत्र सर्व करने में कोई कानूनी रोक हैं क्या ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कानूनी रोक तो नहीं है लेकिन अदालती निर्णय में...

एक माननीय सदस्य : कानूनी रोक भी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं जानकारी करना चाहता हूं कि यह कानूनी रोक कब से है ? कोई कानूनी रोक नहीं है।

(व्यवधान)

आपने यह बताया कि कानूनी रोक है, मेरी जानकारी के अनुसार कोई कानूनी रोक नहीं है कोर्ट में भी केस चलता रहता है और इधर इन्क्वायरी भी चल सकती हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

लखनऊ में राजस्थान हैण्डीक्राफ्ट का काउन्टर

369. **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उत्तर प्रदेश गवर्नमेन्ट क्राफ्ट एम्पोरियम लखनऊ में राजस्थान हैण्डीक्राफ्ट का काउन्टर कब से अवस्थित है ?

(2) वित्तीय वर्ष 1984-85 में इस काउन्टर का मुख्यालय जयपुर से कौनसा हेण्डीक्राफ्ट का माल किस कीमत का एवं कब भेजा गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें। उपरोक्त माल लखनऊ स्थित काउन्टर के स्टाक रजिस्टर के किस पृष्ठ पर अंकित है ?

(3) वित्तीय वर्ष 1984-85 में उपरोक्त माल में से कौनसा सामान कब विक्रय किया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें। क्या विक्रय से आई धनराशि समय पर ही बैंक में जमा करा दी गई ? यदि हां, तो कब एवं कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या वर्ष समाप्ति पर अप्रेल 1985 में मुख्यालय जयपुर के अधिकारियों द्वारा शेष माल का भौतिक सत्यापन किया गया है ? कृपया क्रय माल व मूल्य का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) माल की शार्टेज के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? क्या जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कार्यवाही कब तक कर ली जायेगी ?

उद्योग मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह भाटी) : अध्यक्ष महोदय, इसके पोस्टपोनमेन्ट के लिये रिक्वेस्ट है। इन्फारमेशन लखनऊ से आने की है, वह नहीं आई है, इसलिये स्थगित किया जाय ?

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

नेक्स्ट। श्री हेमाराम चौधरी।

(श्री ग्रध्यक्ष)

(प्रश्न सं. 370)

(ग्रनुपस्थित : कृपया ग्रागे देखिये)

श्री लालचन्द ।

(प्रश्न सं. 371)

(ग्रनुपस्थित : कृपया ग्रागे देखिये ।)

प्रश्न संख्या 372

श्री दीपचन्द ।

(ग्रनुपस्थित, कृपया ग्रागे देखिये)

प्रश्न संख्या 373

श्री देवी सिंह भाटी ।

(ग्रनुपस्थित, कृपया ग्रागे देखिये)

श्री चुन्नी लाल इन्दलिया ।

बीकानेर जिले में ट्राइसम योजना

374. श्री चुन्नी लाल इन्दलिया : (नोखा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले में ट्राइसम योजना के ग्रन्तर्गत चलने वाले केन्द्रों का भुगतान 1980-81 से 1984-85 तक का बकाया है ? यदि हां, तो किस किस पंचायत समिति में किस किस सन् का, कुल कितने कुशल कारीगरों व कुल कितने प्रशिक्षणार्थियों का, कुल कितना भुगतान बकाया है ग्रौर क्यों ?

(2) सरकार उस बकाया का ग्रब कब तक भुगतान करने का विचार रखती है ?

विशिष्ट योजना संगठन मंत्री (श्री शीशराम ग्रोला) : (1) जी हां । पंचायत समितिवार वर्षवार सूचना संलग्न है । पूर्व में पंचायत समितियों को इस उद्देश्य हेतु दी गई राशि का हिसाब समय पर प्राप्त न होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका ।

(2) भुगतान हेतु राशि पंचायत समितियों को दे दी गई हैं व उनको निर्देश दिये गये हैं कि 10 दिन के ग्रन्दर भुगतान कर दें ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री चुन्नी लाल इन्दलिया : माननीय ग्रध्यक्ष जी. बड़े खेद की बात है, जिन कारीगरों ग्रौर प्रशिक्षणार्थियों को यह धन राशि दी है उनका कितने दिन में भुगतान सम्भव है । ग्राज 10 दिन हो गये । वायदा मंत्री महोदय जरूर करते हैं लेकिन विश्वास नहीं है । जो भुगतान कराने का प्रश्न है, जवाब सन्तोषजनक है लेकिन ये करते नहीं है इसलिये मैं चाहूंगा कि भुगतान करने के लिये राज्य सरकार शीघ्र निर्देश दे ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जो मनी बकाया रही है, उसके क्यूमुलेटिव ब्याज का क्या होगा ?

(14)

(व्यवधान)

श्री शीश राम ओला : यह अलग अलग समय के हैं इसलिये ब्याज तो कैसे दिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री राम लाल सोलंकी ।

सिरोही जिले में पोलीटेक्निक शिक्षण संस्था

375. श्री राम लाल सोलंकी (सिरोही) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(1) क्या यह सत्य है कि सिरोही जिले में पोलीटेक्निक शिक्षण संस्था की स्थापना करने हेतु राज्य सरकार ने गत वर्ष घोषणा की थी ?

(2) यदि हां, तो क्या यह शिक्षण संस्थान आगामी शिक्षा सत्र से कार्य प्रारम्भ कर देगी ?

राजस्व मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) सातवीं योजना में नये पोलिटेक्निक खोलते समय प्राथमिकता के आधार पर, किन स्थानों पर खोले जायेंगे, का निर्णय किया जायेगा ।

(2) वर्ष 85-86 में कोई नई पोलिटेक्निक खोलने का प्रावधान नहीं है ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): पहले का जवाब ठीक नहीं है । कोई घोषणा की थी क्या ?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है वर्ष 85-86 के बाद में अगर वर्ष 86-87 में खोले जायेंगे तो सातवीं पंचवर्षीय योजना 86-87 में खोलेंगे और उसके मुताबिक जब खोले जायेंगे तब निर्णय किया जायगा ।

श्री भंवरलाल शर्मा : जब ये (श्री शिव चरण माथुर) मुख्य मंत्री थे तब घोषणा की गई थी । आप अब मुकर रहे हैं तो बात दूसरी है । उस वक्त तो घोषणा की थी ।

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य, जिले में पोलीटेक्निक खोलने के लिये चर्चा की गई थी लेकिन उसकी स्वीकृति या प्रावधान नहीं था ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वह घोषणा चुनावी थी ।

श्री हरि शंकर भामड़ा : अध्यक्ष महोदय, इन घोषणाओं के लिये....

श्री अध्यक्ष : स्पष्ट हो गया, माननीय सदस्य चर्चा थी ।

श्री हरि शंकर भामड़ा : सरकार बिना मतलब घोषणा कर देती है, यह क्या है । बहुत रेस्पान्सिबल है सरकार....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : क्या यह सही है कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री शिव चरण जी माथुर ने इस प्रकार स्कूल खोलने की घोषणा की थी ?

श्रीमती कमला : कौनसे स्कूल ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पोलीटेक्निक।

श्रीमती कमला : मैंने निवेदन किया कि इस प्रकार की चर्चा हुई थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा प्रश्न एक है, आप मना कर दीजिये।

श्रीमती कमला : इस तरह की घोषणा नहीं है कि इतना प्रावधान खोलने के लिये किया गया है। खोलने की घोषणा, जब से यह योजना चालू होगी....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : स्पष्ट बात बताइये।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, घोषणा दो तरह से होती है। आगामी वर्षों में हम यह कार्यक्रम रखते हैं, एक तो यह घोषणा और इन इन कार्यों के लिये इतना इतना प्रावधान रखा जाय तो पहले में तो हम योजना रखते हैं, उसके अन्दर वह शामिल है और दूसरी में वित्तीय प्रावधान रखे जाते हैं कि किस किस क्रम से खोले जायेंगे, तो इसकी घोषणा नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रावधान तो नहीं रखा, लेकिन घोषणा कर दी।

श्रीमती कमला : आगामी वर्षों में सरकार क्या इरादा रखती है और आगामी कामों में किन किन योजनायों के लिये प्रावधान रखा जाना है····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। प्रश्नकर्त्ता माननीय सदस्य बैठें। नेक्स्ट।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न रह गया। अध्यक्ष महोदय, आप पुकार रहे थे तब मैं अन्दर घुस गया था हाउस में।

श्री अध्यक्ष : मैंने देखा नहीं कि आप कब घुस रहे थे····

(व्यवधान)

कृपया बैठें माननीय सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पुकारा जा चुका है।

रायपुर क्षेत्र की सड़कें।

376. श्री हीरा सिंह चौहान (रायपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र रायपुर जिला पाली में कितनी सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत ली हुई हैं ?

(2) गत दो वर्षों में मुख्य मार्ग ब्यावर-पाली व ब्यावर जैतारण के अतिरिक्त प्रत्येक सड़कों के रख रखाव व उनकी मरम्मत में कितनी धनराशि खर्च की गई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हीरासिंह चौहान)

(3) उक्त क्षेत्र के उक्त मुख्य मार्गों के अलावा किस सड़क को मेटल रोड में परिवर्तित करने का काम योजना के अन्तर्गत रखा है।

(4) क्या अकाल राहत कार्य व काम के बदले अनाज योजना के तहत बनी मुड़ीया सड़कों की भी सार्वजनिक निर्माण विभाग देखभाल करता है? यदि नहीं, तो उनकी देखभाल करने के लिये कौन जिम्मेदार है? उनकी कहां कहां मरम्मत की गई, व कितनी कितनी धनराशि खर्च की गई?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री गुलाब सिंह शक्तावत) : 1) विधान सभा क्षेत्र रायपुर जिला पाली में दो राज्य मार्ग, सात जिला सड़के एवं 22 ग्रामीण सड़कें हैं। सूची (अ) संलग्न है।

(2) गत दो वर्षों में सड़कों के रख रखाव व मरम्मत पर खर्च की गई धनराशि का विवरण संलग्न सूची (ब) में दर्शाई गई है।

(3) चाही गई सूचना संलग्न परिशिष्ट (ख) में दर्शाई गई है।

(4) जी नहीं।

(सूची लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री हीरा सिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहता हूं कि जो सूची (अ) दी गई है ये सड़कें नहीं दर्शायी गई हैं कालब से पचानपुरा, रायपुर से लवाचा, झूंठा से बिचदूड़ी, कानुजा से वालूपुरा, कोटकिराल से सीरमा, संदडा से जैतपुरा, रायपुर से सबलपुरा, कानुजा से भैरूंनाला ये महत्वपूर्ण सड़के हैं और ग्रेवल रोड बनी हुई हैं। इन सड़कों को इस लिस्ट में नहीं जोड़ा गया है। क्या कारण है कि इन सड़कों को पी. डब्ल्यू. डी. अपने अधीन नहीं मानता है।

दूसरे जो लिस्ट दी गई है, इनके रख रखाव के लिये कितना पैसा खर्च किया गया है और यह किसके मार्फत किया गया है। और एक प्रश्न कि काम के बदले अनाज योजना थी, उसको कौन देख रहा है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, जो सड़कें इस योजना में स्वीकार की गई हैं, उन सड़कों का जिक्र मैंने किया है और जो सड़कें स्वीकार नहीं की गई हैं वे सम्मिलित नहीं की गई हैं।

दूसरा, काम के बदले अनाज योजना में बनाई गई या और किसी योजना के अन्तर्गत, अकाल राहत के अन्तर्गत बनाई गई उन सड़कों के रख रखाव का काम सार्वजनिक निर्माण विभाग के जिम्मे नहीं है।

श्री हीरा सिंह चौहान : तो मैं माननीय मंत्री महोदय से जानकारी चाहता हूं कि फिर उन सड़कों का जिम्मेदार कौन है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : ये सड़कें मेन्टीनेन्स लिस्ट में नहीं हैं। जो सड़कें

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

मेन्टीनेन्स लिस्ट में आती हैं, उनका काम किया जाता है।

श्री हीरा सिंह चौहान : किस एजेन्सी के मार्फत यह धनराशि जो बताई गई है, 83-84 में आपने बताई है दो लाख 23 हजार और 1984–85 में एक लाख इकहत्तर हजार, यह किस एजेंसी के मार्फत खर्च की गई है ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जो सड़कें विभाग के अन्तर्गत हैं और उस पर जो खर्च किया गया है वह विभाग द्वारा किया गया है।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं यह भी मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि पिपलिया से ढूंढनी तक जो डामर रोड स्वीकृत की गई है, क्या कारण है कि उस रोड को वित्तीय स्वीकृति होते हुए भी बन्द कर दिया गया ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह रोड एन. आर. ई. पी. के तहत की गई है उसकी जो धनराशि विभाग को प्राप्त हुई थी उसके तहत यह कार्य किया गया। एन. आर. ई. पी. के तहत और पैसा आने पर दुबारा शुरू कर दिया जायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एन. आर. ई. पी. के तहत जो ग्रेवल रोड बनती हैं उसके रख रखाव की कोई व्यवस्था है ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अभी तक कोई नीति निश्चित नहीं की गई है।

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : लाखों रुपया खर्च होता है और इनका रख-रखाव नहीं करते हैं आप। रास्ते बन्द हो गये हैं, उन पर जो लाखों रुपया खर्च हुआ है वह बेकार जायेगा। मैं पूछना चाहूंगा कि एन. आर. ई. पी. के तहत बनने वाली सड़क को जल्दी बनाने के लिये राज्य सरकार क्या सोच रही है ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा कहा कि कोई निश्चित नीति नहीं है, लेकिन जो सड़कें कृषि उपज मण्डी के माध्यम से या एन. आर. ई. पी. के माध्यम से बनाई जाती हैं हम विभाग को कह रहे हैं कि जितनी राशि विभाग की स्वीकृत है उतनी राशि उसके रख-रखाव के लिए भी स्वीकृत की जानी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री नाथूसिंह : एक पूरक प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया है, कृपया बैठें।

श्री नाथूसिंह : वह लैप्स हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठें।

श्री मुक्ति लाल मोदी : माननीय अध्यक्ष जी, करोड़ों रुपये का प्रश्न है, कोई दो रुपये का प्रश्न नहीं है, आप एक प्रश्न पूछने की इजाजत दें।

(18)

श्री अध्यक्ष कृपया बैठें। श्री घनश्याम तिवाड़ी। 377।

सीकर नगर और निकटस्थ क्षेत्रों में इन्दिरा गांधी नहर से पेयजल की व्यवस्था।

377. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

1. क्या सरकार सीकर नगर और उसके आस-पास के क्षेत्रों में पेयजल की समस्याओं का समाधान इन्दिरा गांधी नहर से कराने का विचार कर रही है? यदि हां, तो इस पर कितनी लागत आयेगी? कब तक पानी उपलब्ध करा दिया जायेगा तथा किधर से पानी लाया जायेगा।

2. क्या सरकार फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, सीकर और दांतारामगढ़ तहसीलों में पशु पालन हेतु चराशाह के लिए नहरी पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं तो क्यों?

इन्दिरा गांधी नहर मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भाटी) : जी हां। सीकर नगर की पेयजल की समस्या का समाधान इन्दिरा गांधी नहर से किया जाना विचाराधीन है, लागत आदि का अनुमान विस्तृत सर्वेक्षण के पश्चात् ही मालूम होगा।

2. इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव सरकार के इस समय विचाराधीन नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानकारी चाहूंगा कि आपने कहा उपलब्ध करायेंगे, किस स्तर पर और कहां तक और किस प्रक्रिया में यह बातचीत पूरी हो चुकी है, पेयजल का पूछा है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने उत्तर में कहा कि यह प्रपोजल विचाराधीन है। एक मीटिंग हुई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि सीकर और झुंझुनु तक पानी पहुंचाने के लिए अगर इन्दिरा गांधी नहर से पानी लाना है तो योजना उसके मुताबिक बनाई जाए। उस पर कार्यवाही हुई है। वह तैयार हो जायेगी तो फिर पता पड़ेगा कि कितना खर्चा लगेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : किस स्तर पर है, मंत्री मण्डल में आई, कैनाल विभाग के पास है····

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मन्त्री मण्डल के पास है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कैसे पानी पहुचायेंगे, पाइपों के द्वारा या नहर के द्वारा?

श्री अध्यक्ष : अभी योजना नहीं बनी है, विचाराधीन है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पूरी कार्यवाही होने पर मन्त्री मण्डल के सामने प्रस्तुत होगी। पास होकर आ जायेगी उसी के अनुसार कार्यवाही होगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पुर्नविचार कब तक हो जायेगा ?

श्री नवरंग सिंह : झुंझुनु में कौन-कौन सी योजनायें बनाई गई हैं····

श्री अध्यक्ष : सीकर का पूछा है। माननीय सदस्य कृपया बैठें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अभी तक तो जो विचाराधीन हैं वह सीकर झुंझुनु शहर के लिए है।

श्री अश्क अली टाक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि सीकर और झुंझुनु शहर को इस योजना का लाभ मिलेगा। जब इस योजना को यहां लाया जा रहा है तो शेखावाटी में बहुत सारे नगर और तहसीलें हैं, क्या उनको भी पानी दिया जायेगा। मेरा क्षेत्र भी उसके अन्दर आता है और वह सीकर जिले का सबसे बड़ा क्षेत्र है····

श्री भंवरलाल शर्मा : एक-एक बाल्टी भेज देंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अगर पी. एच. ई. डी. कोई प्रपोजल भेजेगी और इन्दिरा गांधी नहर में पानी होगा तो विचार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। 378।

टोंक जिले में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कार्य

378. **श्री दिग्विजय सिंह** (उनियारा) : क्या विशिष्ट योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला टोंक में डी. आर. डी. ए. और आई. आर. डी. पी. व अन्य योजनाओं के अन्तर्गत कौन-कौन से काम पूरे हो चुके हैं, और कितने कार्यों पर काम चल रहा है ? कृपया सूची मय काम पर लागत, नाम योजना और कब से चल रही है, विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना के अन्तर्गत "एनीकट" का निर्माण भी करवाया जाता है ? यदि हां, तो जिले में कुल कितने कार्यों के प्रस्ताव हैं, और किन-किन पर काम चालू है ?

(3) क्या ग्राम ठीकोलिया, पंचायत खेलनीया पंचायत समिति उनियारा व ग्राम पड़ली ग्राम पंचायत हेदरीपुरा, पंचायत समिति उनियारा में भी "एनिकट" बनाने के प्रस्ताव हैं ? यदि नहीं, तो ग्रामों में भी एनकट बनाने का इरादा सरकार रखती है ?

(4) उक्त ग्रामों की यदि यह योजनायें मंजूर कर दी जायें तो क्या वहां के क्षेत्रों को राहत मिल सकेगी ?

राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना (शीशराम ओला) : (1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(श्री शीशराम ग्रोला)

(2) जी हां, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम व माडा के अन्तर्गत एनीकट का निर्माण कराया जाना है। फिलहाल तीन एनीकटों के काम चालू हैं। इनके अतिरिक्त ग्राठ काम शुरू किये जाने हैं, जिनमें से सात की स्वीकृति जून, 1985 में ही जारी की गई है।

(3) जी नहीं, ग्रामीण विकास अभिकरण में अभी तक ग्राम बकोलिया और पाडली में एनीकट बनाने के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् ही विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(4) प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात ही इस सम्बन्ध में जानकारी दिया जाना सम्भव हो सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इन एनीकट का निर्माण करने का क्या ग्राधार है और उसका उपयोग क्या है ?

श्री शीशराम ग्रोला : अध्यक्ष जी, अच्छे एनीकट हैं, उनका उपयोग तो, उससे खेतों में सिंचाई होती है यह उसकी क्षमता पर है। बड़ी रकम है तो विभाग के माध्यम खर्च होती है और छोटी रकम है तो पंचायत समिति के माध्यम से कार्य होता है। अलग-अलग प्रकार के कार्य होते हैं, यह अलग से प्रश्न है, इसको माननीय सदस्य पूछेंगे तो मैं अलग से जानकारी दे दूंगा।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, अलग से कह रहे हैं ग्राप, इससे सम्बन्धित है। ग्राप निर्माण करने जा रहे हैं उसके पीछे कुछ तो प्रक्रिया होगी कि एनीकट का निर्माण करना है, कुओं में वाटर लेवल ऊंचा ग्रायेगा ऐसा करने से या सिंचाई लिफ्ट से होगी। यह जो निर्माण कार्य हैं उसमें ग्रापने धनराशि कभी 10 हजार, कभी 20 हजार दी, वह उपयुक्त नहीं है।

श्री अध्यक्ष : वह तो मंत्री महोदय ने बता दिया है।

श्री दिग्विजय सिंह : एनीकट का निर्माण हुआ वह ग्राज भी इस स्थिति में है कि बरसात हो गई फिर भी उसमें पानी इतना नहीं ग्राया है कि उसका वाटर लेवल बढ़कर कुओं को प्रभावित कर सके। इसलिये जो इनका निर्माण किया गया है, राजकोट का है और सारदड़ा का है यह जो निर्माण किया गया है इनको ऊंचा करने के सम्बन्ध में क्या विचार करेंगे ?

श्री शीशराम ग्रोला : इस प्रकार का प्रश्न ग्रायेगा तो विचार करेंगे।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो सूची दी है उसमें कूप गहरा करने के लिए भी है। उसमें 23 के अन्दर सातोली और पागड़ी में ग्रापने कोई पैसा नहीं बताया है, जबकि मेरी जानकारी में है कि वहां के सरपंच को चार हजार रुपये दे दिये और

(श्री दिग्विजय सिंह)

वह पैसा ले गया और उस क्षेत्र में उस कूप का निर्माण का कार्य नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष : जांच करा लेंगे।

श्री शीशराम ओला : मैं जांच करवा लूंगा, यह प्रश्न अलग से है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न। श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी।

स्थगित प्रश्न

दिनांक 4 जुलाई, 1985

चारणवाली हैड से पानी छोड़ने से मुख्य नहर को क्षति

61. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा): क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) इन्दिरा गांधी नहर में चारण वाली हैड से पानी कब छोड़ा गया एवं इस पानी छोड़ने का क्या उद्देश्य था ?

(2) इस स्थान पर नहर की डिजाइन कैपेसिटी क्या है, एवं इसमें कितना पानी छोड़ा गया ? यह पानी कितने दिन बाद बन्द कर दिया एवं पानी बन्द करने के क्या कारण थे ?

(3) पानी छोड़ने से पानी का रिसाव कहां-कहां हुआ एवं मुख्य नहर कहां-कहां टूटी एवं कब टूटी ? इस रिसाव एवं टूटने के क्या कारण थे ? नहर टूटने से कितनी हानि हुई ?

(4) क्या इस टूटने की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) इस मुख्य नहर को ठीक करने में कितनी धनराशि व्यय हुई है ?

इन्दिरा गांधी नहर मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भाटी) : (1) इन्दिरा गांधी नहर से चारणवाली हैड में दिनांक 17-10-83 को पानी छोड़ा गया। पानी छोड़ने का मुख्य उद्देश्य नहर की बुर्जी 961 (चारण वाली हैड) से बुर्जी 1202.50 तक चालू करना था। इसके अतिरिक्त बुर्जी 1202.5 से निकलने वाली कच्ची वाटर सप्लाई चैनल को चालू करके बुर्जी 1200 से नीचे के स्थित क्षेत्रों में निर्माण एवं पेयजल हेतु पर्याप्त जल उपलब्ध कराना था।

(2) चारणवाली हैड के नीचे मुख्य नहर की डिजाइन केपेसिटी 6192 क्यूसेक्स है व इस स्थान पर आवश्यकतानुसार 500 क्यूसेक्स तक पानी छोड़ा गया। पानी की मात्रा दिनांक 20-12-83 को घटाकर 50 क्यूसेक्स कर दी गई। क्योंकि बुर्जी 1202.50 से निकलने वाली कच्ची जल आपूर्ति नहर जिसमें 1.11.83 को जल छोड़ा गया था, कुछ भाग में क्षतिग्रस्त हो गई थी।

(3) मुख्य नहर में पानी छोड़ने के उपरान्त जिन स्थानों पर रिसाव हुआ वह संलग्न सूची में दर्शाये गये हैं।

Page No. 22

(22)

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

मुख्य नहर किसी भी स्थान से नहीं टूटी अपितु बुर्जी 1037.74 से 1037.95 के मध्य माह जनवरी, 1984 में दायीं ओर का बैंक फिसल गया था। मुख्य नहर से रिसाव एवं बैंक के फिसलन का विस्तृत अध्ययन केन्द्रीय जल आयोग के परामर्श से किया गया है और वह इस क्षेत्र की मिट्टी की विशेष गुणवत्ता के कारण हुआ है।

इसके अतिरिक्त मुख्य नहर की बुर्जी 1121 पर दायीं किनारे अस्थाई डाइवर्शन नहर के जल प्रवाह के टेढ़ा टकराने से थोड़ी क्षति हुई थी। बुर्जी 1037 और 1121 पर हुई क्षति का अनुमान क्रमशः लगभग 35000 एवं 15000 रुपये था।

(4) उपरोक्तानुसार हुई क्षतियों का विस्तृत अध्ययन किया गया है और कोई अधिकारी या कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया।

(5) बुर्जी 1121 की लाइनिंग के नुकसान को इस स्थान पर बन रहे रेगुलेटर की पूर्ण करने व डाइवर्शन बन्द करने के बाद ठीक किया जायेगा। केन्द्रीय जल आयोग की सलाह से नहर के रिसाव व बैंक के फिसलन वाले हिस्से को सुधारने के प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं और व्यय का अनुमान उसके पश्चात् ही मालूम हो सकेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि मूल योजना में बुर्जी 916 से 1202 तक कम्पलीट होने की कौन सी तारीख थी। यदि वह तारीख मार्च में थी 84 में, तो अक्टूबर, 1983 में इस कार्य को चालू करने के क्या कारण हो गये ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि उत्तर में कहा गया है कि वाटर सप्लाई चैनल में पानी की आवश्यकता थी आगे के कंस्ट्रक्शन के लिए और वर्कर्स के पीने के लिए इसलिए यह पानी टैस्ट के रूप में कि नहर ठीक है या नहीं है, वाटर सप्लाई चैनल को टैस्ट करने के लिए छोड़ा गया।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब योजना बनी है और योजना के आधार पर यह तय हो गया कि मार्च, 84 में 1202 बुर्जी तक ठीक रूप से निर्माण होगा और क्योंकि श्रीमान राजीव गांधी साहब पधारने वाले थे, उद्घाटन करने वाले थे आप चारणवाली हैड का, इस कारण से करके यह नुकसान आप बता रहे हैं। माननीय मन्त्री महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि तालाब बन गये हैं रिसाव होकर और यह जो सूचना आपने दी है यह अपूर्ण सूची है। आपने जैसा कहा कि अभी तो हम उस एजेन्सी से इसकी जांच करवा रहे हैं, करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राइमरीली प्राथमिक रूप से इसमें कितना नुकसान हुआ है जिसकी आप उस एजेन्सी से जांच कराने वाले हैं, क्या प्राथमिक रूप

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

से आप कुछ बता सकते हैं कि यह 14000, 15000 तो दो क्षेत्रों में बतायी है आपने, दो रीचेज में बतायी है, माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले बड़ी जो टूटी है....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : एक तो यह कहकर कि 84 में पूर्ण करने की योजना थी, मेरे ख्याल से आपकी यह इन्फार्मेशन इन्करेक्ट है । यह 83 तक कम्पलीट हो चुकी थी और इसीलिए 1200 तक इसमें पानी छोड़ा गया । माननीय राजीव जी गांधी वहां पधारते या नहीं पधारते तो भी पानी वहां छोड़ा जाता क्योंकि 1202 से आगे जो कन्सट्रक्शन चल रहा था और जो कार्य चल रहा था उसके लिए पेयजल के लिए, प्लस कन्सट्रक्शन के लिए पानी की बहुत आवश्यकता थी, आप भी शायद इससे सहमत होंगे ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक साइट कैनाल्स बन जाती है, मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : वाटर सप्लाई चैनल और है क्या ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वाटर सप्लाई चैनल उस मेन कैनाल में पानी डालकर इतने रीचेज में रिसाव कराकर इतनी जगह उसको नहर को तुड़वाकर, केवलमात्र मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आर. डी. 1125 से 1195 तक क्या यह राज्य सरकार को जानकारी है कि जो टाइल्स लगायी गयी हैं उसमें एक करोड़ टाइल्स निम्न श्रेणी की हैं जिस कारण से इतना भयंकर रिसाव है और वहां कई जगह टूटी ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप जो फरमा रहे हैं एक करोड़ की संख्या की टाइल्स खराब हैं, निम्न स्तर की हैं, मैं तो सोचता हूं कि आपकी इन्फार्मेशन बिल्कुल इन्करेक्ट है—नम्बर एक ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जांच अधिकारी बैठे हैं आप उनसे जानकारी कर लें ।

श्री अध्यक्ष : आपका मतलब क्वालिटी से है, संख्या से नहीं ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं भी जानता हूं, जांच अधिकारी बैठे हैं । आपने जो पहले प्रश्न पूछा है उस पर जांच हो रही है और हमने 15 दिन के लिए कह दिया है कि 15 दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे दीजिए । आपके माननीय विपक्ष के नेता ने एक चिट्ठी की कापी पढ़कर सुनायी थी । लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मेरा बार बार यही अर्ज करने का है कि इसको आप अननैसेसरीली पोलिटिकलाइज कर रहे हैं । मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि अगर वह आते या नहीं आते तो भी हमें पानी छोड़ना पड़ता ।

आप जो फरमा रहे हैं कि इससे साइट चैनल करके पानी ले जाते तो अब यह कम्पलीट हो गयी 1202 तक और वहां

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

कन्स्ट्रक्शन के लिए पानी हम ले जा सकते थे तभी तो पानी छोड़ा है और योजना जो आप फरमा रहे हैं कि 84 तक कम्पलीट होने की थी वह इन्करैक्ट इन्फार्मेशन है आपकी। मैं कुछ तथ्य पर ही अर्ज कर रहा हूं या तो आप उसको चेलेन्ज कर दीजिए और मैं आपको प्रूव कर दूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप विराजें। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल और करना चाहता हूं। 945 से 947 आर० डी० तक जो रिसाव हुआ उसके कारण बड़े बड़े तालाब वहां बन गये। आर. डी. 975 से 977 तक पानी का भारी रिसाव हो गया जो इसमें नहीं दिया हुआ है। आर 1111 से 1114 तक एक किलोमीटर लम्बा तालाब बन गया है रीचेज के कारण। आपने जो सूची दी है, क्या यह जो रीचेज मैं बता रहा हूं, क्या माननीय मन्त्री महोदय मेरी बात को कहने के बाद उसकी जांच करायेंगे और यह देखने की कृपा करेंगे किसी एजेन्सी से सारी की जांच कराकर कि कम से कम ढाई करोड़ रुपये का नुकसान उस केवल पानी चलाने के कारण हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल और पूछना चाहता हूं 6000 की कैपेसिटी आपने बतायी है 400 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : 500.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 440 है वैसे 500 कह दिया आपने, बहुत अच्छा है। जो 500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है उसके कारण यह भयंकर क्षति वहां हो गयी है। मेरे अनुमान के आधार पर मैं ढाई करोड़ का नुकसान लगा रहा हूं। मैं आपसे चाहूंगा मन्त्री महोदय कि आप इसकी विस्तृत जांच करायें। कैप्शन ठीक रूप से मिट्टी का नहीं हुआ इसकी जांच करायें और जो एक करोड़ टाइल्स की मैंने चर्चा की है इसकी जांच करायें। जो जो अधिकारी जिस जिस स्थान पर नियुक्त थे, तत्कालीन मंत्री महोदय तो यहां नहीं हैं, उस समय जो यहां थे उन्होंने जो जल्दबाजी करके इस प्रकार सारी कोशिश की है इसका यह परिणाम हुआ है कि राज्य सरकार के एक्सचैकर को ढाई करोड़ का नुकसान हो गया।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आपको पाइन्ट-वाइज ही अर्ज कर दूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जी हां।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पहले तो आपने रिसाव कर दिया। अब आपको भी पता है आप इरीगेशन मन्त्री रह चुके हैं कि जिन रिचेज में से यह नहर निकल रही है और उसी कारण अभी भी रीथिंकिंग हो रही है, आप हार्ड पैन के कारण, आप कम्पैक्शन का फरमा रहे हैं, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं एक तो हार्ड पैन के कारण जो कि रेगुलरली पानी नहरों में से इम्बैंकमैन्ट होता है उसमें जो भी थोड़ा बहुत सीपेज होता है, माननीय अध्यक्ष जी, वह पानी धीरे धीरे सबटाइल में चला जाता है लेकिन इस एरिया में खासकर इन रीचेज में वह नीचे हार्ड पैन के कारण नहीं गया है और चूंकि वहां की जो मिट्टी है ज्यादा सैन्डी है उसके लिए अब एक वापस आपने फरमाया कि जांच करवा लें। सैन्ट्रल

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

वाटर कमीशन के आफिसर भी वहां चले गये हैं, उनकी रिपोर्ट भी आयी है कि खास करके इन रीचेज में इम्बैंकमैन्ट के अलावा एक ड्रेन भी छोड़नी पड़ेगी और उसकी कार्यवाही हो रही है-नम्बर एक।

(12.00 मध्यान्ह)

दूसरा जो आप फरमा रहे हैं कि छः हजार क्यूमेक की कैपेसिटी थी और आपने पांच सौ क्यूसेक ही छोड़ा और उसके आगे की सप्लाई चैनल तक जाकर डैमेज हुआ, अध्यक्षजी, अगर वाटर सप्लाई चैनल की कैपेसिटी पांच सौ क्यूसेक है और हमें पांच सौ क्यूसेक की इनीशियली आवश्यकता थी और बाद में जो कमी हुई, उतना ही पानी छोड़ा जाएगा, आगे की जितनी कैपेसिटी है और वह झेल सके उतना ही छोड़ा जाएगा।

आपने यह दूसरा मुद्दा उठाया है ललितजी साहब ने, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर कोई ऐसी प्रशासनिक गडबड़ी हुई है, जो आप कह रहे हैं कि दो-ढाई-तीन करोड़ का नुकसान हुआ है, मैं तो यह नहीं मानता, फिर भी मैं इसको दिखवा लूंगा और उसमें इन्क्वायरी हो रही है।....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मेरा सवाल यह नहीं था कि पांच सौ क्यूसेक ही क्यों छोड़ा। मेरा सवाल तो यह था कि पांच सौ क्यूसेक छोड़ने से ही इतना हो गया, अगर ज्यादा छोड़ देते तो क्या होता।

श्री अध्यक्ष : वह समझ गए हैं उसको। जांच कराने के लिए कह दिया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इतना सा पानी छोड़ देने से यह हालत हो गई तो पूरा छोड़ दिया जाता तो क्या हालत होती।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : जैसा कि मन्त्री महोदय ने बताया कि राजस्थान मैन केनाल के बैल्ट में हार्ड पैन आने के कारण सीपेज और वाटर लोगिंग हो रहा है। यह तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया इस मैन केनाल पर, अध्यक्ष महोदय। जब इसका पूर्णतया सर्वेक्षण हो चुका और केनाल बनाते वक्त ध्यान क्यों नहीं दिया, यह तो बहुत बड़ा जांच का विषय हो गया। उस क्षेत्र के हजारों काश्तकारों के भविष्य को अन्धकार में डाल दिया है। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा कि आप इसकी यह जांच करवायें कि जब पूर्णतया इसका सर्वेक्षण हो चुका था फिर आपने बैल्ट के अन्दर केनाल का निर्माण गलत तरीके से बनाया, क्या आप इसकी जांच करवायेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज....आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। ....

श्री डूंगरराम पंवार : इसके अन्दर क्वालिटी कण्ट्रोल कहा गया। क्वालिटी है ही नहीं तो कण्ट्रोल किस का करेंगे। क्वालिटी के लिए आपने विभाग बना रखा है उसने क्या किया····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर माननीय सदस्य।

श्री डूंगरराम पंवार : ····यानि बदमाशों को काम देकर सीगा बनाया है जो वह पैसा डकार जायेंगे····

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय डूंगररामजी।

श्री डूंगरराम पंवार : क्वालिटी है ही कहां फिर कण्ट्रोल कहां है। यह सी ए डी····

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य। कृपया बैठ जावें, बैठें कृपया।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्षजी, माननीय देवीसिंहजी ने जो प्रश्न पूछा है मुझे इतना पता नहीं था कि आप इतने एक्सपीरियंस्ड होते हुए भी यह मुद्दा उठा सकते हैं। आपको भी पता है····

श्री अध्यक्ष : आप एक दूसरे को खूब पहचानते हैं।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, ये जानते हैं····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप हमारे बीच में क्यों आ रहे हो। आपको भी पता है कि लाइन कैनाल किसी भी एरिया में से ले जाई जा सकती है, नम्बर वन। और किसी भी जगह कैनाल बने, चाहे अमेरिका में बने, भारत में बने और चाहे कहीं पर भी बने, थोड़ा बहुत सीपेज तो पानी आ जाने से होगा। अगर वाटर लोगिंग है, आप शायद थे नहीं जब मैं ललित जी के प्रश्न का उत्तर दे रहा था····

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : या तो मैं इनको बाद में समझा दूं····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : वाटर लोगिंग तो, अध्यक्ष महोदय, सब सायल हार्ड पैन में आ जाता है। फर्स्ट स्टेज में आया है, दूसरी में हार्ड वेन्स हुए हैं। उसके लिए आपको एक ड्रेन साथ के साथ बतानी चाहिए। यह थोड़ी बहुत इनको शायद जानकारी होते हुए यह उम्मीद नहीं करते थे कि यह सेल्फ आर्टिकल्स इतना सैंडी होने के कारण इस इम्बेकमैंट में इतना रिसाव होगा और यह ढह जाएगा। अबड़ सकी

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

कार्यवाही हो गई है। आप फरमा रहे हैं कि करोड़ों का नुकसान हो गया, करोड़ों का नहीं है, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, फिर भी मैं इसको दिखवा लूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप कितने का समझते हैं ?

श्री देवीसिंह भाटी : मूल प्रश्न यह था कि नहर दुबारा टूटी है, इसमें अन्य कारण····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री डूंगरराम पंवार : मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वहां जो वाटर लोगिंग हुआ है····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर आर्डर, माननीय डूंगरराम जी।····

माननीय सदस्य। आर्डर आर्डर।

श्री महेन्द्र शास्त्री। 69.

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 4 जुलाई, 1985)

विदेश में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी

69. श्री महेन्द्र शास्त्री : (मुण्डावर) क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पिछले दस वर्षों में राजस्थान के कितने अधिकारी विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने अथवा अध्ययन हेतु विदेश भेजे गए ?

(2) उपरोक्त अधिकारियों में से कितने अधिकारी कितने कितने समय तक उस विभाग में कार्यरत रहे, जिससे सम्बन्धित उन्होंने उपरोक्त प्रशिक्षण प्राप्त किया अथवा अध्ययन किया ?

(3) उपरोक्त अधिकारियों में से कितने अधिकारी ऐसे हैं, जो प्रशिक्षण अथवा अध्ययन के पश्चात सम्बन्धित विभाग में किसी भी अवधि तक कार्यरत नहीं रहे ? यदि हां, तो क्यों ?

(विराम)

श्री अध्यक्ष : आयोजना मन्त्रीजी।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ये तो अपनी ड्यूटी 12 बजे तक की समझते हैं, 12 बज गए हैं इसलिए इनको पता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री शीशराम ओला : काहे को मजाक बना रहे हो।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज....आर्डर प्लीज....माननीय सदस्य।

सीरियल नं: 69.

श्री शोपत सिंह : माननीय अध्यक्षजी, यह तो हमारे मन्त्रियों का नमूना है कि कितने तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : इनको पता ही नहीं है कि किस को जवाब देना है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : भाई, सीरियल नम्बर से कोई भी मिस्टेक कर सकता है, ऐसी क्या बात है।

श्री शोपत सिंह : ऐसी तो कोई बात नहीं है लेकिन इससे बुरी बात नहीं हो सकती है। यह मिनिस्टर को पता ही नहीं है कि कौन सा क्वश्चन आएगा। ये तो डबल बैड से उठकर आ जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें।

(विराम)

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, समय ले रहे हैं आप व्यर्थ में।

(व्यवधान)

आयोजना मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भाटी) : (1) 252।

(2) सभी अधिकारी प्रशिक्षण/अध्ययन के पश्चात् अपने विभागों/सेवा के पदों पर कार्यरत रहे।

(3) कोई नहीं।

श्री महेन्द्र शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, यह मेरा प्रश्न बहुत साफ था, भाषा भी, हिन्दी में लिखा हुआ है। उसमें यह पूछा है, चतुराई से काम नहीं नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त अधिकारियों में कितने अधिकारी कितने-कितने समय तक उस विभाग में कार्यरत रहे। कितने-कितने अधिकारी कितने समय तक उस विभाग में कार्यरत रहे, मुझे इसका उत्तर नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह जो 252 अधिकारी हैं वह अपने-अपने विभागों में स्टडी करके और वापस आने के बाद में सालभर के पहले तो उनका कहीं दूसरे डिपार्टमेन्ट में चेन्ज हुआ नहीं है, नम्बर वन। आप डिटेल्ड डेट वाइज चाहें तो मैं वह इन्फार्मेशन भी मंगवा सकता हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री शोपत सिंह : स्थगित कर दो।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं माननीय सदस्य को दे दूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह तो प्रोपर्टी ऑफ दी हाऊस है, हाऊस में उत्तर आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया, नेक्स्ट। श्री रमजान खां।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह स्थगित क्यों किया गया ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय के पास सूचना पूरी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मंत्रियों को यह पता नहीं है कि उत्तर किस को देना है।

श्री अध्यक्ष : कन्फ्यूजन हो गया, माननीय सदस्य। क्वश्चन नम्बर 417 है और सीरियल नम्बर हमारे यहां जो क्वचन पुकारते हैं वह 69 है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : शीशराम जी को उत्तर नहीं देना था।

श्री अध्यक्ष : कन्फ्यूजन हो गया।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : पुन: स्थगित तो है, पुन: स्थगित।

श्री अध्यक्ष : स्थगित भी फिर स्थगित ही होता है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 4 जुलाई, 1985)

पुष्कर के निकटस्थ पापमोसनी नाले से सड़क मार्ग अवरुद्ध होना

72. श्री रमजान खां (पुष्कर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या पुष्कर से मेड़ता, डेगाना वाया भैरूंदा, थांवला पक्की सड़क पर पुष्कर के पास बहने वाला पापमोसनी नाला वर्षा में हजारों टन मिट्टी लाकर डाल देता है, जिससे यह सड़क आवागमन के लिये भी बन्द हो जाती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस मिट्टी को हटाने के लिये सरकार को प्रति वर्ष हजारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं ? क्या सरकार इस समस्या को हल करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक और कैसे ?

सिंचाई मंत्री (श्री गुलाबसिंह शक्तावत): (1) नाले से लाई गई मिट्टी सड़क पर एकत्रित हो जाती है जिसे सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा हटवाया जाता है तथा बाई पास बनवाकर वाहनों को रास्ता दिया जाता है।

(2) सड़क पर से मिट्टी हटाने का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। इस समस्या के बारे में सम्बन्धित विभागों को उचित कार्यवाही के लिये कहा जा रहा है

श्री रमजान खां : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन है कि इस सड़क से मिट्टी हटाने के लिये हर वर्ष पी. डब्ल्यू. डी का लाखों रुपया खर्च होता है तो इसके लिए क्या कोई स्थायी हल नहीं ढूंढ़ा जा सकता ? एक बात । जो यह मिट्टी सड़क पर आती है उसके बाद जब इसको हटाते हैं तो बाद में वह बहकर खेतों में चली जाती है जहां गुलाब की खेती होती है । गुलाब हमारे देश से निर्यात किया जाता है उस जमीन को भी यह खराब कर रही है—दूसरी बात । तीसरी बात, जो तीर्थराज पुष्कर यात्री आते हैं उनको तिलोरा के पास उतर जाना पड़ता है इस सड़क के अवरुद्ध हो जाने के कारण, वहां से कोई बस वहां तक न जाने की वजह से लूले-लंगड़े, बच्चे, औरतें 8 किलोमीटर का चक्कर लगा कर आते हैं । इन तीनों चीजों की वजह से क्या इस सड़क का मिट्टी बहने का कोई स्थायी हल नहीं हो सकता है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, बरसाती नाला जो पुष्कर की उत्तरी पश्चिमी पहाड़ियों से आता है उससे भूमि कटाव होकर मिट्टी और सड़क पर आ जाता है । उसको रोकने के लिए लगभग 206 मीटर लम्बी पहाड़ी के सहारे-सहारे दीवार बनाकर पानी का डाइवर्शन करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है । भूमि कटाव को रोकने के लिए वहां सोइल कंजर्वेशन का वर्क लेने के लिये, वृक्षारोपण करने के लिये प्रस्ताव विचाराधीन है । जैसा मैंने कहा कि इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कार्यवाही करने के आदेश दिये जा रहे हैं, यह कार्य शीघ्र ही हाथ में लिये जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

श्री रमजान खां : माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया इसके लिये निवेदन कर रहा हूं, जो वाल के लिये आपने फरमाया है, यह तो आलरेडी बनी हुई है । अध्यक्ष महोदय, यह पुष्कर शहर और पुष्कर सरोवर में जो मिट्टी जाती थी उसके लिये यह वाल बनायी है । जो मिट्टी सड़क पर आती है और उन खेतों में जाती है उसके लिये यह दीवार नहीं है । इसके लिये जो अभी कहा पेड़ वाला या ऐसा कोई प्रस्ताव भी नहीं है । यह वाल की बात बिल्कुल गलत बतायी है । वह तो इस साल आलरेडी पूरी हो गई है । इसका जवाब दिलायें ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह दीवार पूरी नहीं हुई है । दीवार जो पूरी हुई है वह तो जो आप बता रहे हैं उसको रोकती है । लेकिन सड़क पर जो मिट्टी आती है उसके लिये दीवार बना कर पानी को डाइवर्ट करना है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

श्री रमजान खां : कब तक कर दिया जायगा ? यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मसला है ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । ऑर्डर माननीय सदस्य, कृपया बैठें ।

श्री फूलचन्द : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न संख्या 382....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें। मैंने पुकारा था आप एब्सेन्ट थे। मेरे हाथ की बात नहीं है।

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम पंचायत, पंडेर में अनियमित खरीद एवं धनराशि के दुरुपयोग की शिकायतें

305. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत, पंडेर, पंचायत समिति जहाजपुर के विरुद्ध अनियमित खरीद एवं राशि के दुरुपयोग की शिकायतें पेश हुई हैं ? यदि हां, तो वे क्या-क्या हैं, और उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या यह सही है कि यह शिकायतें गंभीर हैं ? यदि हां, तो इसकी जांच कब-कब की गई है ? कृपया आरोप एवं जांच की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरपंच के विरुद्ध पंचायत कोष की राशि के दुरुपयोग, पद का दुरुपयोग तथा अनियमित कार्यवाही किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई हैं। जिलाधीश भीलवाड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर सरपंच से दिनांक 18-1-84 को आरोपों का स्पष्टीकरण मांगा गया। सरपंच द्वारा आरोपों का खण्डन किये जाने पर दिनांक 4-7-84 को उप जिलाधीश, जहाजपुर को विस्तृत जांच हेतु नियुक्त किया गया है। जांच से रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरपंच के विरुद्ध नियमानुसार आगे कार्यवाही की जावेगी।

(2) जी हां। प्रारम्भिक जांच दिनांक 10-10-83 को पंचायत प्रसार अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा की गई है। सरपंच द्वारा आरोपों का खण्डन करने पर अब विस्तृत जांच उप-जीलाधीश जहाजपुर द्वारा की जा रही है। जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई हैं। प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट मूल में उप जिलाधीश, जहाजपुर को भेजी हुई है। आरोप की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(आरोप की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

जैसलमेर जिले में केन्द्रीय सहकारी बैंक की स्थापना

370. **श्री हेमाराम चौधरी** (गुढ़ा मालानी): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में मात्र जैसलमेर जिले में केन्द्रीय सहकारी बैंक नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री हेमाराम चौधरी)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जिले के केन्द्रीय सहकारी बैंक की स्थापना के लिए दी राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि., जयपुर (शीर्ष बैंक) ने अपनी 30वीं वार्षिक आम सभा में दिनांक 21-9-1984 के प्रस्ताव संख्या 8 द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन कर 4 माह के अन्दर-अन्दर केन्द्रीय सहकारी बैंक, जैसलमेर के लिए निवेदन किया था ? यदि हां, तो अब तक इस पर क्या कार्यवाही की गई ? बैंक की स्थापना अब तक क्यों नहीं की गई ?

(3) अब कब तक उक्त जिले में केन्द्रीय सहकारी बैंक की स्थापना कर दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। जैसलमेर में बैंक की स्थापना हो रही है।

(2) जी हां। इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक से पत्र व्यवहार हो रहा है।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक से स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी।

भादरा तहसील में राशन की चीनी का वितरण

371. श्री लालचंद (भादरा) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील भादरा में राशन की चीनी का कितने साल से वितरण नहीं हो रहा है ?

(2) वितरण न होने का क्या कारण है ?

(3) अब सरकार राशन की चीनी का वितरण कब से शुरू करवा देगी ?

उत्तर

(1) तहसील भादरा में मार्च, 1983 से नवम्बर 1983 एवं फरवरी, 1984 से अब तक राशन की चीनी का वितरण नहीं हुआ है।

(2) फरवरी, 1983 तक राशन की चीनी के वितरण का कार्य भादरा क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा किया जाता था मार्च, 1983 से भादरा क्रय-विक्रय सहकारी समिति की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होने के कारण समिति कार्य करने हेतु सक्षम नहीं थी। जिला प्रशासन के अधिकारी, उप खण्ड अधिकारी, उप खण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा कई बार प्रयास करने के बावजूद वैकल्पिक व्यवस्था करने में सफल नहीं हो पाये क्योंकि कोई अन्य संस्था यह कार्य करने को तैयार नहीं थी।

(3) अब गुड़ खाण्डसारी व्यापार संघ, भादरा को भादरा क्षेत्र के लिये लेवी चीनी का अधिकृत डीलर नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव जिलाधीश, श्री गंगानगर द्वारा प्रेषित किया गया है एवं राज्य सरकार की स्वीकृति

(खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री)

की अपेक्षा में मादरा कस्बे में चीनी वितरण दिनांक 17-7-85 से प्रारम्भ कर दिया गया है। मादरा तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों को रकम जमा करवाकर चीनी उठाने के निर्देश दे दिये गये हैं। ये समितियां चीनी उठाकर शीघ्र वितरण प्रारम्भ कर देंगी।

डग क्षेत्र में सम्पर्क सड़कें

372. श्री दीपचन्द (डग) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र डग में अब तक कितनी सम्पर्क सड़कें बनाई गई हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या भवानी मण्डी से गरोठ मध्यप्रदेश को जोड़ने वाली सड़क के बारे में राज्य सरकार के पास कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक यह सड़क बन जावेगी।

उत्तर

(1) डग विधान सभा क्षेत्र में अब तक निम्नांकित सम्पर्क सड़कें बनाई गई हैं :—

(1) एप्रोच सड़क पचपहाड़ से गुरडियामाना

(2) लिंक सड़क सिलेगढ़ से बोलिया

(3) लिंक सड़क करनपुरा से सुवासरा

(4) लिंक सड़क गंगावर उन्हेल

(5) क्यासरा लिंक सड़क

निम्न सड़कों के कार्य प्रगति पर हैं :—

(1) एप्रोच सड़क सुनारी

(2) एप्रोच सड़क देवगढ़

(2) भवानी मण्डी से गरोठ मध्यप्रदेश को जोड़ने वाली सड़क के बारे में ऐसी कोई योजना नहीं है। योजना में धनराशि उपलब्ध होने पर कार्य हाथ में लिया जाना सम्भव होगा।

विभिन्न आर. डी. पर ध्वस्त नहर, पुल व हैड

373. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 3 अगस्त, 1983 को इन्दिरा गांधी मुख्य नहर आर. डी. 428 का पुल टूट कर धराशायी हो गया था ? यदि हां, तो इस पुल का निर्माण कार्य किस तिथि को पूर्ण हुआ, व पुल पर कितना व्यय हुआ ? पुल के टूटने के क्या कारण रहे ? इसमें किस को दोषी पाया गया ?

(2) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी मुख्य नहर आर. डी. 416 का पुल भी

(श्री देवीसिंह भाटी)

टूटने की स्थिति में है ? यदि हां, तो इसके बचाव के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

(3) इन्दिरा गांधी मुख्य नहर शाखा, वितरिका व उपवितरिका में सन् 1963 से ग्राज तक किस-किस ग्रार. डी. पर नहर, पुल व हैड का कब-कब निर्माण हुग्रा, व किन-किन तिथियों को क्षति पहुंची है ? विभाग ने उक्त क्षति के स्थानों के लिए किस-किस ग्रधिकारी को दोषी मानकर उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? कृपया विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां । दिनांक 4-8-83 को मुख्य नहर की बुर्जी 428.150 पर निर्मित पुल का एक खम्भा एवं दो स्लेब क्षतिग्रस्त होने के कारण पुल को ग्रांशिक क्षति पहुंची । इस पुल का सन् 1975 में निर्माण 2.20 लाख रुपये की लागत से हुग्रा था ।

जांच समिति के प्रतिवेदन के ग्रनुसार पुल के क्षतिग्रस्त होने का कारण एक खम्भे की नींव तक मिट्टी निकल जाना था किसी व्यक्ति विशेष को दोषी ठहराना सम्भव नहीं है ।

(2) जी, नहीं । केवल उसके नीचे थोड़ी लाइनिंग क्षतिग्रस्त हुई थी, जिसके सुरक्षात्मक उपाय ले लिये गये हैं ।

(3) इन्दिरा गांधी नहर, शाखा, वितरिका व उप वितरिकों पर वर्ष 1963 से ग्राज तक जो पुल, हैड रेगुलेटर निर्मित हुए उनकी सूची संलग्न है । मुख्य नहर की बुर्जी 428.15 पर स्थित पुल को क्षति के ग्रतिरिक्त कोई ग्रौर पुल व हैड क्षतिग्रस्त नहीं हुग्रा । विभिन्न वितरिकाऐं व उप वितरिकाऐं विभिन्न कारणों से क्षतिग्रस्त हुई हैं । जिसकी सूची भी संलग्न है । सूची में बताये ग्रपरिहार्य कारणों से किसी को दोषी ठहराना सम्भव नहीं था ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–8 देखें)

ग्रतारांकित प्रश्नोत्तर

बिक्री कर की दर

459. **श्री हरीश चन्द्र** (नावां) एवं **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में विभिन्न वस्तुग्रों पर बिक्री कर की दरें ग्रन्य राज्यों के मुकाबले ग्रधिक हैं ?

(2) क्या यह भी सही है जिन वस्तुग्रों पर राजस्थान में सीमावर्ती राज्यों के मुकाबले बिक्री कर की दरें ग्रधिक हैं, उन वस्तुग्रों पर टैक्स नहीं के बराबर वसूल होता है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या-क्या कदम उठाये हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार सीमावर्ती राज्यों के समान ही बिक्री कर लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान में विभिन्न वस्तुग्रों पर विक्रय कर की दरें ग्रन्य राज्यों के मुकाबले

(वित्त मंत्री)

में कुछ वस्तुओं पर ज्यादा है तो कुछ वस्तुओं पर कम भी है।

(2) जी नहीं।

(3) राज्य सरकार की विक्रय कर की दरें निश्चित करने में यह नीति रही है कि वस्तुओं पर अधिक से अधिक विक्रय कर वसूल हो, करापवचन न हो और दरें निश्चित करने में सीमावर्ती राज्यों की विक्रय कर की दरों का भी ध्यान रखा जाता है।

सिंचाई दरों में सम्भावित बढ़ोतरी

460. श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान राज्य सिंचाई विभाग इस वर्ष सिंचाई दर बढ़ाने जा रहा है ? यदि हां, तो कब और कितनी ?

(2) सिंचाई दर बढ़ाने के क्या कारण हैं ?

(3) राजस्थान के मुकाबले अन्य राज्यों में सिंचाई की दरें क्या रखी गयी हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सम्भावित सिंचाई वृद्धि की दर के सम्बन्ध में किसानों व जन प्रतिनिधियों के विचार आमन्त्रित किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) व (2) अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। प्रश्न नहीं उठता।

(3) तुलनात्मक तालिका संलग्न है।

(4) जी नहीं। नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(तालिका के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

पिछड़ी जातियों का विकास

461. श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सातवीं पंचवर्षीय योजना में राज्य की पिछड़ी हुई जातियों के विकास के लिये कितनी राशि का प्रावधान रखा गया है ? कृपया इन पर खर्च की जाने वाली राशि का मदवार ब्योरा सदन की मेज पर रखें।

(2) छठी पंचवर्षीय योजना में उक्त जातियों के विकास हेतु कितना रुपया खर्च किया जाना था ? उसमें से कितना खर्च किया गया व उसकी क्या उपलब्धि रही ?

उत्तर

(1) सातवीं पंचवर्षीय योजना का कुल आकार 3000 करोड़ रुपये का योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है।

(आयोजना मंत्री)

पिछड़ी हुई जातियों के लिए राशि एवं इस राशि का मदवार आवंटन अभी नहीं किया गया है।

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ी जातियों पर छठी पंचवर्षीय योजना काल का प्रावधान अनुमानित व्यय एवं लाभान्वित परिवारों की सूचना निम्नानुसार है :—

कार्यक्रम	छठी योजना का प्रावधान	छठी योजना का अनुमानित व्यय	लाभान्वित परिवारों की संख्या
1. अनुसूचित जनजाति उप योजना	202.66 करोड़ रु.	233.56 करोड़ रु.	1.58 लाख
2. अनुसूचित जाति संगठक योजना	227.36 करोड़ रु.	196.35 करोड़ रु.	5.30 लाख
3. अन्य पिछड़ी जातियां	15.85 लाख रु.	14.20 लाख रु.	5016

अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मामले

462. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) व **श्री हरलाल सिंह खर्रा** (श्रीमाधोपुर) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1983-84 तथा जून, 1985 तक राज्य में अनिवार्य वस्तु अधिनियम के तहत अब तक कितने मामले दर्ज हुए हैं ? कितने मामलों का कोर्ट में चालान पेश किया गया ? कितने मामलों में जांच जारी है ?

(2) इस दौरान कितनी मात्रा में माल जब्त किया गया और उनका मूल्य कितना रहा ? कृपया विवरण सदन पटल पर रखें।

(3) इस अवधि में अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कितने स्थानों पर छापे मारे गए एवं उन पर क्या-क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

(1) अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 में 4747 मामले दर्ज हुए। तत्पश्चात् अप्रेल, 1984 से जून, 1985 तक 6645 मामले दर्ज हुए। इनमें से 292 मामलों का कोर्ट में चालान पेश किया गया एवं 829 मामलों की जांच जारी है।

(2) इस दौरान जो सामान जब्त किया गया उसकी मात्रा एवं मूल्य का विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है। (परिशिष्ट "क")

(3) इस अवधि के दौरान अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत मारे गये छापे एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है (परिशिष्ट "ख")।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

Page No. 37

खानपुर के गांवों का विद्युतीकरण

463. श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले की खानपुर पंचायत समिति के कौन-कौन से गांव कब-कब विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत किये गये? स्वीकृत गांवों में से किस-किस गांव का विद्युतीकरण कर दिया गया है तथा किस का नहीं, और क्यों ?

(2) शेष गांवों का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा ? कृपया चरण एवं वर्ष सहित पूरा ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(3) किस-किस गांव से कुए के विद्युत कनेक्शन के लिए कब-कब आवेदन किया गया ? किस-किस आवेदनकर्त्ता को कौन सी तारीख को डिमाण्ड नोटिस दिया गया एवं कब एल फार्म जमा हुआ ? कितने आवेदन-कर्त्ताओं को विद्युत कनेक्शन दे दिया गया है और कितनों को नहीं, तथा क्यों?

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले की पंचायत समिति खानपुर में कुल 203 ग्राम हैं जिनमें से 9 ग्राम मण्डल के सामान्य कार्यक्रम के तहत विद्युतीकृत हैं तथा वर्ष 1977-78 में 99 पोटेंशियल व 27 नोन-पोटेंशियल ग्रामों की ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना ओ. बी. श्रेणी में स्वीकृत की गई, जिनमें से माह मार्च, 1985 तक 93 पोटेंशियल और 12 नोन-पोटेंशियल ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। वर्ष 1980-81 में एक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना एस.पी.ए. श्रेणी में स्वीकृत है, जिसमें 25 ग्रामों का विद्युतीकरण तथा एक विद्युतीकृत ग्राम सम्मिलित है, जिसमें से माह मार्च, 1985 तक 21 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1982-83 में 19 ग्रामों का विद्युतीकरण करने हेतु एक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना अन्य ओ. बी. श्रेणी में स्वीकृत की गई है, जिसमें से माह मार्च 1985 तक 7 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। उक्त स्वीकृत योजनाओं के शेष ग्रामों का विद्युतीकरण सीमित वित्तीय साधनों के कारण नहीं किया जा सका। विद्युतीकृत/स्वीकृत ग्रामों की सूची "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) शेष स्वीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण आगामी वर्षों में विद्युत व धन की उपलब्धि पर निर्भर हो सकेगा। इसलिये वर्ष चरण के सन्दर्भ में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

(3) पंचायत समिति खान क्षेत्र के 91 ग्रामों में कृषि कनेक्शन हेतु 744 आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं, जिसमें से 280 को डिमान्ड नोटिस जारी किये गये व 195 एल फार्म प्राप्त हुये तथा 194 कनेक्शन दे दिये गये हैं। ग्रामवार विवरण सूची "ब" में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

Page No. 38

(38)

क्वीन्स रोड़, जयपुर, पर डामर कारपेटिंग

464. श्रीमती नीलिमा (भिनाय) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि क्वीन्स रोड, जयपुर पर वर्ष 1984-85 में पुनः डामर का कारपेटिंग करवाया गया जबकि सड़क की हालत अच्छी थी व सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रवृत्त मानदण्डों के अनुसार करवाना आवश्यक नहीं था ? यदि हां, तो सरकार, सरकारी राशि के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कारगर कदम उठा रही है ?

(2) क्वीन्स रोड, जयपुर पर किस अधिशाषी अभियन्ता का कार्यक्षेत्र था व किस अधिशाषी अभियन्ता के आदेश से पुनः डामर का कारपेटिंग करवाया गया ?

(3) क्या यह है कि क्वीन्स रोड, जयपुर पर पुनः कारपेटिंग के विरोध में डिस्ट्रिक्ट डिविजन के अधीक्षक अभियन्ता ने मुख्य अभियन्ता को लिखित शिकायत की थी, कि इस सड़क पर कारपेटिंग की जरूरत नहीं है, व सिटी डिविजन खण्ड 3 का कार्य-क्षेत्र भी नहीं है ? अगर हां, तो इस प्रकरण में मुख्य अभियन्ता ने क्या निश्चय किया व किस अधिकारी के आदेशों से किस अधिकारी ने इस गलत कार्य का पेमेन्ट किया ?

(4) अधिशाषी अभियन्ता के कार्यक्षेत्र व ज्युरिस्डिक्शन में परिवर्तन करने के लिए कौनसी प्रक्रिया अपनाई जाती है व कौनसा अधिकारी इस तरह के परिवर्तन को स्वीकृति देने को सक्षम है ? क्या इसके लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री की स्वीकृति लेना आवश्यक है ?

(5) क्या किसी अधिशासी अभियन्ता द्वारा अपने कार्यक्षेत्र व ज्युरिस्डिक्शन के बाहर करवाने का आदेश देना उसको "सुओ मोटो" दोषी साबित करता है ? अगर हां, तो इस प्रकरण में लिप्त अधिशाषी अभियन्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । इस सड़क पर मिलिट्री के वाहनों का यातायात बढ़ जाने के कारण सड़क के कुछ हिस्सों पर नवीनीकरण (रिन्युअल) करवाया गया था ।

(2) जयपुर की म्यूनिसिपल सीमा की सड़के नगर खण्ड-3 के अन्तर्गत हैं किन्तु सन् 1981 की बाढ़ में कुछ सड़कें नव निर्मित बाढ़ खण्ड व जिला खण्ड को स्थानान्तरित की गई तथा क्वीन्स रोड का कार्य जिला खण्ड से कराया गया था । डामर के नवीनीकरण का कार्य नगर खण्ड 3 द्वारा कराया गया था ।

(3) जी नहीं । अधीक्षण अभियंता ने सूचित किया था कि क्वीन्स रोड का काम डिस्ट्रिक्ट डिवीजन के कार्यक्षेत्र में है । उस समय तक जितने कार्य का कलैक्शन हो गया

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

था उतना काम पूर्ण करके बाकी काम बन्द करने का मुख्य अभियन्ता ने आदेश दिया था ।

(4) अधिशाषी अभियन्ता का कार्यक्षेत्र राज्य सरकार की सहमति से मुख्य अभियंता निर्धारित करते हैं ।

(5) तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता, नगर खण्ड-3 से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया हैं ।

मैसासिंह बांध

465. **सुश्री पुष्पा जैन** (पाली) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सिरोही जिले में मैसासिंह बांध पर आज तक कितना खर्चा हो चुका है, और उससे किस-किस वर्ष में, कितने-कितने क्षेत्र की सिंचाई हुई है ?

(2) इस बांध का निर्माण कार्य किस वर्ष में पूरा हो गया था ?

(3) क्या यह सही है कि इस बांध के निर्माण सम्बन्धी कई शिकायतें राज्य सरकार व मुख्य अभियन्ता को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) सिरोही जिले के निर्माणाधीन मैसासिंह बांध पर अब तक कुल राशि रु. 47.83 लाख का व्यय किया जा चुका है । चूंकि बांध का निर्माण कार्य अभी तक अपूर्ण है इसलिए इस बांध से सिंचाई नहीं हो सकी है ।

(2) इस बांध का कार्य अभी तक अपूर्ण है ।

(3) जी हां, प्राप्त शिकायतों की जांच की जा रही है ।

किसानों की वारियां काटा जाना

466. **श्री शोपत सिंह** (हनुमानगढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जनवरी, 1984 से 30 अप्रेल, 1985 तक भाखरा तथा इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में बहुत से ऐसे किसानों की वारियां काटी गई जो सिंचाई कर नहीं दे सके थे ?

(2) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों की ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि जिन किसानों ने दो या दो से अधिक फ़सलों का सिंचाई कर जमा नहीं कराया उनकी वारियां काटी गई हैं ।

(2) भाखड़ा क्षेत्र के कुल 930 किसानों की वारियां काटी गई । सूची संख्या 1 व 2 संलग्न है ।

(सिंचाई मंत्री)

इन्दिरा गांधी मुख्य नहर कि. मी. 74 तक के नहर क्षेत्र में कुल 3432 कृषकों की पानी की बारी काटी गई थी। क्रमवार सूचियां 3 से 6 संलग्न हैं।

(सूचियां विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गईं)

अजमेर जिले के तलाबों की मरम्मत

467. **श्री गोविन्द सिंह** (नसीराबाद) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार द्वारा करीब 94 तालाबों की मरम्मत हेतु अजमेर जिले के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के तहत माह फरवरी, 1985 में स्वीकृति जारी की गई थी ? यदि हां, तो इन तालाबों पर कार्य कब प्रारम्भ किया गया ?

(2) कार्य विलम्ब से आरम्भ करने के उत्तरदायी अभियन्ता के खिलाफ राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, अजमेर जिले के सिंचाई विभाग से सम्बन्धित 72 कार्यों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रशासनिक स्वीकृति जिला कलेक्टर अजमेर (विकास) द्वारा मार्च, 1985 में प्रसारित की गई। जिन तालाबों पर माहवार कार्य प्रारम्भ किया गया निम्न प्रकार से है :—

मार्च, 1985	10
अप्रेल, 1985	32
मई, 1985	15
जून, 1985	10
कुल	67

बाकी 5 तालाबों पर तकनिकी स्वीकृति न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका।

(2) कार्यों को प्रारम्भ करने में कोई अनावश्यक विलम्ब नहीं हुआ, अतः कार्यों को शुरू करने से विलम्ब के लिये किसी अभियन्ता का उत्तरदायित्व नहीं बनता इसलिये कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

नागौर में वृक्षारोपण

469. **श्री दामोदर दास आचार्य** (नागौर) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विगत 5 वर्ष में नागौर जिले में विधान सभा क्षेत्र नागौर में कितने किलो मीटर सड़क के किनारे कितने वृक्ष लगाये गये ?

(2) उक्त क्षेत्र में वन विभाग ने कितने क्षेत्र विकसित किये हैं ?

उत्तर

(1) वन विभाग द्वारा विगत 5 वर्षों में नागौर जिले में नागौर विधान सभा क्षेत्र में 62 पंक्ति किलोमीटर सड़क के किनारे वृक्षारोपण में 12012 वृक्ष लगाये गये हैं।

(2) नागौर विधान सभा क्षेत्र में वन विभाग द्वारा अभी तक 1 क्षेत्र विकसित किये गये हैं।

ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों का केडर

470. **श्री भंवर लाल शर्मा** (हवामहल) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों एवं जिला स्तर पर कार्यरत सहकारी बैंकों के ऋण पर्यवेक्षकों का कामन केडर किया जा चुका है? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या राजस्थान कोआपरेटिव क्रेडिट इन्स्टीट्यूशन्स केडर ऑथोरिटी लि. के नियमों में ऐसी व्यवस्था है कि राजस्थान स्टेट कोआपरेटीव बैंक लि., एवं जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के कर्मचारियों का कामन केडर बनाया जावेगा ? यदि हां, तो इनका कामन-केडर क्यों नहीं बनाया गया ?

(3) क्या राजस्थान कोआपरेटिव क्रेडिट इन्स्टीट्यूशन्स केडर आथोरिटी लि. को सरकार अवसायन में लाने का विचार कर रही है? यदि हां, तो इस संस्था में कार्यरत व्यवस्थापकों, ऋण पर्यवेक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की सेवाओं का क्या होगा ?

(4) वर्तमान में इस संस्था में कार्यरत व्यवस्थापकों, ऋण पर्यवेक्षकों एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों पर कौन से सेवा नियम लागू हैं? कृपया सेवा नियमों की प्रति सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, जिला स्तर पर कार्यरत सहकारी बैंकों के ऋण पर्यवेक्षकों का दिनांक 15-9-76 से एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों को दिनांक 19-2-77 से कामन केडर लागू किया गया है।

(2) जी हां, राजस्थान कोआपरेटिव क्रेडिट इन्स्टीट्यूशन केडर आथोरिटी लि. के उप नियमों में व्यवस्था है लेकिन अभी इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(3) अभी मामला विचाराधीन है। सभी पहलुओं पर विचार कर गुण दोष के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

(4) ऋण पर्यवेक्षकों एवं व्यवस्थापकों के चयन नियुक्ति एवं सेवा नियमों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। मंत्रालयिक कर्मचारियों के कोई अलग से सेवा नियम वर्तमान में लागू नहीं हैं।

(प्रतिलिपि विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

ग्रामीण सहकारी समितियों व दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के चुनाव

471. **श्री माधव सिंह दीवान** (सोजत) **श्री राम सिंह विश्नोई** (लूनी) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक संघ के तहत पिछले 5 वर्षों में ग्रामीण सहकारी समितियों के चुनाव व दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के चुनाव कब-कब हुए ?

(2) इनमें कौन-कौन निदेशक सदस्य चुने गये तथा बोर्ड के अध्यक्ष का चुनाव कब हुआ तथा उसकी मीटिंगें कब-कब हुई ? कृपया, वर्षवार मीटिंग की तिथियां, सदन पटल पर रखें।

उत्तर

(1) पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के चुनाव उपनियमों में प्रावधान के अनुसार समय-समय पर कराये गये हैं। चुनाव संबंधी विवरण तालिका 'क' पर संलग्न है। ग्रामीण सहकार समितियों के चुनाव दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ द्वारा नहीं कराये जाते हैं।

(2) पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के 6.4.83 को हुए चुनाव में निम्नलिखित निदेशक चुने गये :—

1. श्री मालाराम विश्नोई
2. श्री बन्शीलाल
3. श्री केसरा राम
4. श्री कल्लूराम
5. श्री नाथूलाल मिर्धा
6. श्री रामलाल

बोर्ड के अध्यक्ष का चुनाव आदेशों के अभाव में नहीं कराया गया। सम्पूर्ण बोर्ड का गठन न होने के कारण बैठक बुलाया जाना सम्भव नहीं हो सका।

(तालिका विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गई)

पाली में दुग्ध अवशीतन केन्द्र

472. **श्री रघुनाथ परिहार** (बाली) : क्या पशुपालन (दुग्ध विकास) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या फालना, जिला पाली में दुग्ध अवशीतन केन्द्र भवन पूर्ण हो चुका है और उसमें तमाम मशीनरी लग चुकी है ? यदि हां, तो यह केन्द्र कब तक चालु होने की सम्भावना है ?

(2) क्या यह सही कि डेयरी योजना के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़कों का निर्माण कराया जाता है ? यदि हां, तो अब तक पंचायत समिति वाले क्षेत्र में किन-किन सड़कों के प्रस्ताव बनाये गये हैं व कब तक ऐसी सड़कें बनाया जाना प्रारम्भ होंगी ?

उत्तर

(1) जी हां, फालना जिला पाली में दुग्ध अवशीतन केन्द्र के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अवशीतन केन्द्र में लगने वाली मशीने वहां पहुंच चुकी हैं एवं अधिकांश मशीनें स्थापित की जा चुकी हैं। स्टोरेज टैंक, चिलर व अमोनिया लाइन का कार्य प्रगति पर है जिसके पूरे होने में कुछ समय और लगेगा। इस कार्य के पूरा होते ही अवशीतन केन्द्र चालू हो जावेगा।

(2) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

खाद व बीज ऋणों में घपले

473. श्री जगतसिंह दायमा (बानसूर); क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति, बूढ़वाल, तहसील बहरोड़ में सन् 1980 खाद व बीज व ऋण के मामले में घपले का प्रकरण प्रकाश में आया है? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। श्री बस्ती राम भूतपूर्व व्यवस्थापक द्वारा 37596.35 की राशि का गबन का मामला प्रकाश में आया था। श्री बस्ती राम को 26-9-84 को निलंबित किया जा चुका है तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है। राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 74 के अन्तर्गत भी मामले पंजीकृत कर अग्रिम जांच की जा रही है।

पहाड़ियों की वन भूमि पर अतिक्रमण

474. डा. उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) व **श्री प्रभु लाल** (नैनवा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नाहरगढ़ ब्लाक जयपुर की पहाड़ियों की वन भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है, तथा पेड़ों की लगातार कटाई हो रही है? अगर हां, तो क्यों?

(2) क्या राज्य सरकार की उपरोक्त क्षेत्र में वन भूमि पर अतिक्रमण तथा पेड़ों की कटाई रोकने एवं नये पेड़ लगाने की कोई योजना है? यदि हां, तो कृपया रूप-रेखा सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार की उपरोक्त क्षेत्र में अतिक्रमण एवं पेड़ों की कटाई रोकने के लिए कुछ और सुरक्षा चौकी व स्टाफ बढ़ाने का भी विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। किन्तु जयपुर शहर के पास होने के कारण इस प्रकार की वारदातें

(वन मंत्री)

यदा कदा होती रहती हैं । जिनके बारे में सख्ती से कार्यवाही की जाती है ।

(2) वन भूमि पर अतिक्रमण करना व अवैज्ञानिक तथा अवैधानिक रूप से कटाई करना अनियमित एवं अवैध है और इनके रोकने की प्रभावशील कार्यवाही की जाती है । गत वर्ष में इस क्षेत्र में 30000 पौधे लगाये गये थे और इस वर्ष भी इतने ही पौधे लगाये जाते हैं ।

(3) जी नहीं । नये पद स्वीकृत होने पर ही ऐसी व्यवस्था की जा सकेगी ।

दुग्ध उत्पादक संघ का संचालक मण्डल

475. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या पशुपालन (दुग्ध विकास) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उत्तरी राजस्थान दुग्ध उत्पादक संघ में वर्तमान संचालक मण्डल में कितने सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान है ?

(2) क्या यह सही है कि आनन्द डेयरी में चालीस दुग्ध उत्पादक समितियों के लिए एक संचालक का प्रावधान है ? यदि हां, तो उक्त संघ में कितने निर्वाचित संचालक मण्डल में सदस्य होने चाहिये, तथा इसके लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) उत्तरी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. के उपनियम संख्या 19 के अनुसार सदस्यों के निर्वाचन व संचालक मण्डल का गठन निम्न प्रकार से है :—

1. संचालक मण्डल के 6 संचालक संघ के "अ" श्रेणी के सदस्यों (सदस्य समितियों) से निर्वाचित होते हैं ।
2. तीन प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं ।
3. वित्तीय संस्था का एक प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होता है ।
4. एक प्रतिनिधि राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन द्वारा मनोनीत होता है ।

(2) आनन्द डेयरी में संचालक मण्डल के निर्वाचन का क्या प्रावधान है इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है ।

पलाना परियोजना से विद्युत् उत्पादन

476. श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) एवं **श्री केदारनाथ** (श्री गंगानगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पलाना परियोजना से विद्युत् का उत्पादन कब तक होने की सम्भावना है ? इस योजना पर कुल कितनी धनराशि व्यय होने का अनुमान है, व कुल विद्युत् उत्पादन कितना होने की सम्भावना है ? लिग्नाइट के कितने भण्डार की सम्भावना है ?

(श्री बिरदमल सिंघवी)

(2) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कितनी राशि व्यय करने का अनुमान है ?

(3) इस परियोजना से उत्पादित विद्युत् का प्रयोग राजस्थान में ही होगा या राजस्थान के बाहर भी ?

(4) इस परियोजना के संसाधनों को प्राप्त करने के लिए केन्द्र से कितना सहयोग प्राप्त होगा ? बाकी संसाधन की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) पलाना परियोजना से विद्युत उत्पादन आठवीं परियोजना के प्रारम्भ में सम्भावित है। इस योजना पर 297 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है तथा 120 मेगावाट विद्युत का उत्पादन प्रयोजित है। अनुमानित खनन योग्य लिग्नाइट के भण्डार 13.75 मिलीयन टन आंके गये हैं।

(2) सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना पर करीब 100 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

(3) उत्पादित विद्युत का प्रयोग राजस्थान प्रदेश में ही होगा।

(4) केन्द्र से वित्तीय सहयोग का आश्वासन नहीं है। यह परियोजना राजस्थान सरकार को अपने वित्तीय साधनों से ही पूरी करनी है।

लिग्नाइट भण्डारों पर ताप बिजली घर

477. श्री फूलचन्द (नीमकाथाना) एवं **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार राज्य के नागौर एवं मेड़ता कस्बों के बीच मिले लिग्नाइट के विशाल भण्डारों पर ताप बिजली घर लगाने पर विचार कर रही है ?

(2) यदि हां, तो यह ताप घर कब तक लगाने का विचार है ? क्या इस सम्बन्ध में योजना आयोग से स्वीकृति मिल गई है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, अभी ऐसी कोई योजना नहीं है।

(2) प्रश्न ही पैदा नहीं होता। योजना आयोग से स्वीकृति नहीं मिली है।

विद्युत् मण्डल द्वारा काश्तकारों से वसूली

478. श्री सम्पत सिंह (नगर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले पांच वर्षों में आर. एस. ई. बी. जिला भरतपुर ने काश्तकारों से मोटरों पर केपीसीयेटर या स्टेब्लाइजर लगाने के लिये कितनी धनराशि वसूल की है ?

(2) कितने काश्तकारों के ट्यूब वैल्स पर केपीसियेटर लगा दिये गये हैं ?

उत्तर

(1) पिछले पांच वर्षों में भरतपुर जिले में मण्डल ने 3818 काश्तकारों से कैपेसीटर लगाने के लिए 11,07,931 रुपये प्राप्त किये।

(2) उक्त 3818 आवेदकों में से 1376 काश्तकारों के कुओं पर केपीसीटर लगा दिये गये हैं।

मोहनगढ़ विश्राम गृह

479. श्री कृष्ण चन्द्र बिश्नोई (संगरिया) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

मोहनगढ़ विश्रामगृह के फर्निशिंग पर अब तक किस-किस वर्ष में कितनी-कितनी राशि व्यय हुई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

मोहनगढ़ में डबल शीट क्लास विश्राम गृह, फील्ड विश्राम गृह व अधिनस्थ विश्राम गृह पर विभिन्न वर्षों में फर्निशिंग पर किया गया व्यय निम्न प्रकार है :—

वर्ष	खर्च
1983-84	रु. 14,823/-
1984-85	रु. 37,680/-
1985-86	रु. 4,300/-

गंगरार में नई पंचायत समिति का गठन

480. श्री अमर चन्द (गंगरार) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सत्य है कि जिला चित्तौड़गढ़ में गंगरार कस्बे में नई पंचायत समिति खोलने के लिये लम्बे समय से कार्यवाही चल रही है ? यदि हां, तो गंगरार में कब तक नई पंचायत समिति घोषित कर दी जावेगी ?

उत्तर

नई पंचायत समिति, गंगरार के गठन के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था परन्तु हाल ही में विभाग द्वारा इस प्रस्ताव को वापिस ले लिया गया है।

नागौर के प्रशिक्षित अध्यापक

481. श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला नागौर में पंचायत समितियों में कार्यरत कितने ट्रेण्ड अध्यापक हैं ? जिनको वेतन वृद्धि नहीं मिल रही है, और क्यों ?

(2) कितने अध्यापकों का चयन समिति द्वारा नहीं हुआ है ? सरकार कब तक इनको चयन करने का विचार रखती है ?

(श्री मोहनलाल चौहान)

(3) ग्रीष्मकालीन छुट्टियों का वेतन प्रति वर्ष जनवरी मास में क्यों दिया जाता है ? इसमें क्या नियम हैं ?

(4) राजस्थान राज्य कर्मचारियों को भवन अग्रिम ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जबकि विकास अभिकरण में कार्यरत लिपिक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्ग को यह ऋण नहीं दिया जाता है ? इसका क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जिला नागौर में 764 ऐसे प्रशिक्षित अध्यापक हैं जिन्हें अचयनित होने के कारण वेतन वृद्धि नहीं मिल रही है। वेतन वृद्धि केवल चयनित अध्यापकों को देय हैं।

(2) जिल नागौर की 11 पंचायत समिति में 919 अध्यापक अचयनित हैं। आयोग विज्ञापन संख्या 53/78, 55/80 तथा 59/83 के अन्तर्गत क्रमश: 27,158 तथा 374 प्रत्याशियों का चयन किया जा चुका है। अचयनित अध्यापकों का चयन आयोग द्वारा विज्ञापन प्रसारित होने पर नियमानुसार किया जा सकेगा।

(3) ग्रीष्मकालीन अवकाश का वेतन राजस्थान सेवा नियम, 97 के अन्तर्गत राजकीय निर्णय 1 के अनुसार अगले सत्र के दिसम्बर माह तक कार्यरत रहने पर जनवरी में दिया जाता है।

(4) विकास अभिकरण में कार्यरत लिपिक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधीन नहीं आते हैं। अत: उन्हें ऋण दिये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

जिप्सम उद्योग हेतु खाद्य संयंत्र

482. श्री हंसराज (सूरतगढ़): क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार श्री गंगानगर जिले में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जिप्सम के उपयोग के लिये खाद्य संयंत्र जिले के अनूपगढ़ तहसील या अन्यत्र कहीं लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जिप्सम से अमोनियम सल्फेट फर्टीलाइजर या सल्फ्यूरिक एसिड का विनिर्माण किया जा सकता है। यह प्रक्रिया काफी खर्चीली पड़ती है एवं तकनीकी दृष्टि से भी उपयुक्त नहीं पाई गई है। इसके अतिरिक्त इस खाद की इतनी खपत नहीं है कि एक स्वतन्त्र कारखाना लगाया जाये। अत: ऐसे किसी कोम्पलेक्स स्थापित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

खतौली (पीपल्दा) का विद्युतीकरण

485. श्री हीरा लाल आर्य (पीपल्दा): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हीरालाल आर्य)

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र के कस्बे खतौली की जनता विद्युत की मांग हमेशा करती रहती है, तथा राज्य सरकार ने भी शीघ्र व्यवस्था करने का आश्वासन दिया था ?

(2) यदि हां, तो अभी तक उक्त कस्बे में विद्युत नहीं लगाने का क्या कारण है ?

(3) क्या सरकार वहां की आबादी तथा विकास को देखते हुए शीघ्र विद्युत लगाने की स्वीकृति प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) पीपल्दा क्षेत्र के ग्राम खातौली की जनता द्वारा विद्युत की मांग के अनुसार ग्राम खातौली को पंचायत समिति इटावा क्षेत्र की स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु सम्मिलित किया जा चुका है ।

(2) उक्त योजना में इटावा से दीपरी तक 12 कि.मी. 33 के.वी. लाइन खेंचकर ग्राम दीपरी पर 0.63 एम.वी.ए. 33/11 का सब स्टेशन बनाने के पश्चात दीपरी से लगभग 10.5 कि.मी. 11 के.वी. लाइन खेंच कर ग्राम खातौली का विद्युतीकरण प्रस्तावित है । सीमित वित्तीय साधनों के कारण ग्राम खातौली का विद्युतीकरण किया जाना सम्भव नहीं हो सका है ।

(3) दीपरी पर 33/11 के.वी. सब स्टेशन बनाये जाने के पश्चात् सीमित वित्तीय साधनों को ध्यान में रखते हुए खातौली का आगामी वर्षों में यथाशीघ्र विद्युतीकरण किया जा सकेगा ।

एशियाड के दौरान व्यय राशि

486. श्री मोहन छंगाणी (फलौदी) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर में हुए एशियाड के सन्दर्भ में राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा किस-किस योजना/कार्य पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ?

(2) निगम ने यह राशि किन-किन शर्तों/अनुबन्धों के अधीन व्यय की थी, और क्या निगम ने उसे सुपुर्द किये गये सभी कार्य शर्तों के अनुसार पूरे कर लिये थे ?

(3) इस सन्दर्भ में निगम ने जो व्यय किया उससे कितनी आय का अनुमान लगाया था, और वास्तविक आय कितनी हुई तथा प्रत्याय (रिटर्न) का प्रतिशत कितना रहा है ?

(4) निगम को आय किस-किस रूप में कितनी-कितनी हुई ? इस आयोजन में भाग लेने का मुख्य उद्देश्य निगम का क्या था और इस उद्देश्य की पूर्ति किस सीमा तक हुई ?

(5) क्या इस समारोह में जितनी राशि जिन-जिन पार्टीज से प्राप्त करनी थी

(श्री मोहन छंगाणी)

वह प्राप्त करली गई थी, और क्या कोई बकाया राशि शेष नहीं है ? यदि है, तो कितनी और किस में ?

(6) क्या निगम ने इस समारोह के लेखों की जांच करवाली है ? यदि हां, तो क्या-क्या अनियमिततायें पायी गई ?

उत्तर

(1) एशियाड के सन्दर्भ में राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा निम्न कार्यों पर कुल 17.38 लाख रुपये व्यय किए गए :—

1.	पर्यटक ग्राम का निर्माण	15.26
2.	कियोस्क्स लगाने का कार्य	1.32
3.	व्यू पाईन्ट पर व्यय	0.51
4.	एशियाड के सन्दर्भ में होर्डिंग्स एवं बोर्डस	0.51

(2) निगम को आतिथ्य सत्कार का दायित्व सौंपा गया था, जिसमें आवास, भोजन की व्यवस्था सम्मिलित थी। इसके लिए कोई अनुबन्ध/शर्त नहीं रखी गई थी। निगम ने अपना दायित्व सन्तोषजनक तरीके से पूर्ण किए।

(3) निगम द्वारा इस सन्दर्भ में आय का कोई पूर्व अनुमान नहीं लगाया गया। निगम को कुल 3,04,068.44 रुपयों की वास्तविक आय हुई।

(4) निगम को हुई आय निम्न प्रकार है :—

1. बैंच टिकिटों की बिक्री	77505.50
2. फूड एवं बेवरीज	62190.75
3. शराब/बीयर विक्रय	5125.50
4. विज्ञापन से आय	14000.00
5. राजकीय अनुदान	135753.35
6. बिजली एवं पानी की वसूली	6483.34
7. काउन्टर किराया	3000.00
कुल :	3,04,068.00

निगम का उद्देश्य भारतीय प्रतिस्पर्धियों को भोजन एवं आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही साथ पर्यटन का व्यापक प्रचार-प्रसार करना था, जिसमें निगम सफल रहा है।

(5) रोईंग फेडरेशन ऑफ इण्डिया से निगम को 55,600/- की राशि प्राप्त करनी थी, जिसमें से 51,752/- की राशि प्राप्त हो गई है एवं शेष 3,548/- बकाया है।

(6) जी हां। इन लेखों में किसी प्रकार की अनियमितताएं नहीं पाई गई।

जयपुर के औद्योगिक क्षेत्र

487. श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

(1) संपूर्ण जयपुर शहर में कुल कितने औद्योगिक एरिया स्थापित हैं ? प्रत्येक की क्षेत्रफल सहित सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या प्रत्येक औद्योगिक एरिया में जन उपयोगी व अन्य नागरिक सुविधाएं उपलब्ध हैं ?

(3) नगर के प्रत्येक औद्योगिक एरिया में कितने प्लाट उपलब्ध हैं और क्या सभी का उपयोग किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो, क्यों नहीं ?

(4) क्या नगर के प्रत्येक औद्योगिक एरिया में पानी, विद्युत की पर्याप्त सप्लाई की व्यवस्था विभाग द्वारा उपलब्ध है ?

(5) क्या प्रत्येक औद्योगिक एरिया में फायर स्टेशन बनाये जाने के लिए-भू-खण्ड रिक्त छोड़ा गया है, और वहां आग बुझाने के लिए पानी लेने के लिए अलग से हाईड्रेन्ट्स बनाये गये हैं ?

उत्तर

(1) सम्पूर्ण जयपुर शहर में 5 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये गये हैं। इन औद्योगिक क्षेत्रों का क्षेत्र फलवार निम्न विवरण है :—

क्र. सं.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1.	विश्वकर्मा	1251.25
2.	मालवीया	164.75
3.	बाईसगोदाम	17.60
4.	सुदर्शनपुरा	30.00
5.	झोटवाड़ा	460.00

(2) हां, सभी आधारभूत जन उपयोगी एवं नागरिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। औद्योगिक क्षेत्रवार विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' में संलग्न है।

(3) औद्योगिक क्षेत्रों में उपलब्ध संपूर्ण प्लाटों का विवरण परिशिष्ट "ब" से दर्शाया गया है। विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र के अतिरिक्त सभी औद्योगिक क्षेत्र में कोई भी भूखण्ड रिक्त नहीं है। विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र 102 भूखण्ड अभी तक रिक्त पड़े हुए हैं।

आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र निगम के पास न होने के कारण इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है।

(4) हां उपलब्ध है।

(5) विश्वकर्मा एवं झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावित अग्नि शमन सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु भूखण्ड का आवंटन नगरपालिका को कर दिया गया है तथा बाईसगोदाम एवं सुदर्शनपुरा औद्योगिक क्षेत्र में अग्नि शमन स्टेशन हेतु भूखण्ड का आवंटन नगरपालिका को बाईस गोदाम मे कर दिया गया है। मालवीया औद्योगिक क्षेत्र में रिक्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण अग्नि शमन यंत्र हेतु भूमि उपलब्ध कराना संभव नहीं है। इस सम्बन्ध में वैकल्पिक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। सिर्फ विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में ही हाईड्रेन्ट्स उपलब्ध है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

नये डूंगरपुर क्षेत्र का औद्योगीकरण

488. श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या चौरासी नया डूंगरपुर क्षेत्र टी.ए.डी. में आता है ? इसमें औद्योगिकरण की क्या योजना है ?

(2) कुटीर उद्योग की योजना के अन्तर्गत अब तक कितने लोगों को रोजगार मिला है ?

(3) औद्योगिक सम्बन्धी विकास के लिये इस क्षेत्र में क्या-क्या योजना सरकार के विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) जी हां। क्षेत्र की कार्यकारी योजना के अनुसार लुहारी, सुथारी, कुम्हारी, चर्म रंगाई, जूता, बांस, बेंत एवं रेशा आदि उद्योगों को लगाया जाना प्रस्तावित है।

(2) कुटीर/ग्रामीण उद्योगों के माध्यम से इस क्षेत्र में 1140 लोगों को रोजगार मिला है।

(3) प्रश्न भाग–1 के उत्तर में कार्यकारी योजना के आधार पर प्रस्तावित उद्योग दर्शाये गये हैं।

लूणी नदी पर लघु सिंचाई बांध

489. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि लूणी नदी पर गांव गुड़ाहेमा, तहसील सांचौर, जिला जालोर में वीहा के गोलिया का लघु सिंचाई बांध लूणी इनंनडेशन योजना के तहत बांधा गया था ? यदि हां, तो कब एवं उसमें कितनी लागत आई ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि वह बांध अधूरा रह गया था और लूणी नदी की बाढ़ के कारण टूट गया था ? यदि हां, तो उसको पूर्ण क्यों नहीं कराया गया एवं टूटे हुए बांध की अभी तक मरम्मत क्यों नहीं करवाई गई ?

(3) क्या राज्य सरकार अब डी.पी.ए.पी. योजना के अन्तर्गत लेकर उक्त बांध की मरम्मत कर उसको पूरा करवाना उचित समझेंगी ? यदि हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) "वीहा का गोलिया" बांध तो सिंचाई विभाग द्वारा नहीं बनाया गया परन्तु हेमागुढा II क्रास बंध 1970-71 में रुपये 0.24 लाख की लागत से बनाया गया था।

(2) हेमागुढा बांध II अधूरा नहीं रहा। वर्ष 1973 के बाद में टूट जाने पर 1974 में मरम्मत कर दी गई थी। यह बांध 1979 में बाढ़ से फिर टूट गया। मरम्मत जल्दी कराये जाने की संभावना है।

(3) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बाढ़ से क्षतिग्रस्त नालों से खतरा

490. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जुलाई, 1981 में आई बाढ़ के कारण जयपुर जिले में चाकसू तहसील के गांव डाहर सालगरामपुरा और सांगानेर तहसील के गांव खातीपुरा के पास बहने वाले नालों ने भीषण रूप ले लिया है ?

(2) क्या इन नालों के रास्तों के कटाव इतने अधिक हैं कि जमीन की सतह पर बने कुऐ अब जमीन से 15 फीट ऊपर हो गये हैं और हर वर्षा में यह कटाव अधिक बढ़ता रहने के कारण उक्त दोनों गांवों को भी खतरा बना होने की शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त होती रही है ?

(3) क्या जरा अधिक वर्षा हो जाने पर समूचे गांव इन नालों के कारण बह जाने की सम्भावना की सरकार को जानकारी है ? यदि हां, तो सरकार ने उक्त विषय में अब तक क्या कार्यवाही की है और इस समस्या का निवारण कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले के चाकसू तहसील के गांव डाहर सालगरामपुरा व सांगानेर तहसील के खातीपुरा के पास बहने वाले नाले के जुलाई, 81 की बाढ़ में भीषण रूप का इस विभाग को जानकारी नहीं है ।

(2) इन नालों के रास्तों के कटाव अधिक होने और कुओं का अब जमीन से 15 फीट ऊपर होने और हर वर्ष में यह कटाव अधिक बढ़ता रहने की शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त होने की जानकारी इस विभाग को नहीं है ।

(3) अधिक वर्षा से नालों में पानी बहना स्वाभाविक परन्तु इन दोनों गांवों के बहे जाने की जानकारी इस विभाग को नहीं है । अब तक इस विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की है ।

गेटोर से मालवीया नगर सड़क का निर्माण

491. श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम गेटोर जयपुर विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्तर्गत आता है ?

(2) क्या इस ग्राम में सड़क नहीं है ? जिसके कारण वहां के निवासियों को शहर में आने-जाने में असुविधा रहती है ?

(3) क्या सरकार ग्राम गेटोर से मालवीया नगर जयपुर तक की 2 कि. मी. लम्बी सड़क बनवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) जी हां ।

(3) इस 2 कि. मी. लम्बी सड़क का जयपुर के मास्टर प्लान में प्रावधान हैं । योजना में धनराशि उपलब्ध होने पर ही इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी ।

पंचायत मुख्यालयों पर सम्पर्क सड़कें

492. श्री करोड़ी लाल (महुवा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने की नीति के अनुसरण में महुवा जिला सवाई माधोपुर में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

(2) पंचायत समिति, महुवा की कितने पंचायत मुख्यालयों को पक्की सड़कों से जोड़ दिया गया, और कौन से वर्ष में ? अभी किस-किस पंचायतों को जोड़ने का कार्य चल रहा है, और कब तक पक्की सड़कों से जोड़ दिया जावेगा ?

(3) पंचायत समिति महुवा में कुल कितने पंचायत मुख्यालय हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें । उनमें से कितने पक्की सड़कों से जोड़ दिये गए हैं ? कितने शेष हैं ? जो शेष हैं, उनको कब तक पक्की सड़कों से जोड़ दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) पंचायत मुख्यालय को सड़कों से जोड़ने की नीति के अनुसरण में जिला सवाई माधोपुर की महुवा तहसील में निम्न 6 सड़कों के निर्माण कार्य चल रहें हैं :—

1. ग्रेवल सड़क महुवा से गुडला ।
2. महुवा मंडावर सड़क पर बाणगंगा नदी से रसीदपुर तक ग्रेवल सड़क का निर्माण कार्य ।
3. ग्रेवल सड़क पाखर से रसीदपुर ।
4. ग्रेवल सड़क काला पहाड़ से पाली मोपर ।
5. पक्की सड़क महुवा से ओंड मीना वाया सांथा ।
6. पक्की सड़क सांथा से रणधीरगढ़ ।

(2) कोई भी पंचायत मुख्यालय सड़क से अब तक नहीं जुड़ पाया है पंचायत, सांथा जोड, महुवा, आलनपुर, गणीपुर और पालनखेड़ा को पक्की सड़कों से जोड़ने के कार्य चल रहें हैं ।

(3) पंचायत समिति महुवा में 33 पंचायत मुख्यालय हैं जिनमें से उपरोक्त 6 पंचायत मुख्यालयों को पक्की सड़कों से जोड़ने का कार्य प्रगति पर हैं शेष सड़कों का निर्माण योजना में धनराशि उपलब्ध होने पर निर्भर करता हैं ।

केशवराय पाटन क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन

493. श्री मांगी लाल मेघवाल (पाटन) **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केशवराय पाटन क्षेत्र के ग्राम बलकासा, रंगराजपुरिया, जलोदा, कमोलर, बूढ़िया एवं कानेड़ा में विद्युत कनेक्शन चाहने वालों के कुल कितने आवेदन-पत्र ग्रामवार प्राप्त हुये ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(2) वर्ष 1985-86 में केशवराय-पाटन में कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किया जायेगा ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) केशवराय पाटन क्षेत्र के प्रश्न में वर्णित ग्रामों में निम्न प्रकार से विद्युत कनेक्शन चाहने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए :—

क्र. सं.	ग्राम का नाम	मकान	दुकान	कृषि	पावर/ चक्की	योग
1.	रंगराज-पुरिया	—	—	—	—	—
2.	बलकासा	—	—	—	2	2
3.	जलोदा	57	1	—	1	59
4.	कमोलर	31	—	1	2	34
5.	बूढ़िया	53	1	—	6	60
6.	कानेड़ा	6	—	1	—	7

(2) योजना मद में उपलब्ध वित्तीय साधनों के अनुरूप ही ग्रामों के विद्युतिकरण का कार्यक्रम बनाया जाता है । वर्ष 1985-86 का कार्यक्रम अभी नहीं बनाया गया है । अतः केशोरायपाटन के कितने ग्रामों का विद्युतीकरण वर्ष 1985-86 में किया जा सकेगा इसके बारे में फिलहाल कुछ भी कहना सम्भव नहीं है ।

बीकानेर क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन्स

494. श्रीमती रतन कंवर (शेरगढ़) **श्री देवी सिंह भाटी** (कोलायत) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1980-81 से 1984-85 में बीकानेर शहर, गंगाशहर, भीनाशहर, देशनोक तथा तहसील कोलायत जिला बीकानेर में विद्युत् के कितने खम्बे लगे हैं ?

(2) उपरोक्त अवधि में लगाये गये खम्बों से कितने उपभोक्ताओं को विद्युत् सम्बन्ध दिया गया ?

(3) कुल लगाए गये खम्बों में से कितने खम्बे बगैर तारों के गढ़े हुए बेकार स्थित हैं ?

(4) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले को इस अवधि में इन्सूलेटर व कंडक्टर आदि बहुत कम आवंटित होने से खम्बे बेकार पड़े है ?

(5) बीकानेर जिले को भविष्य में कब तक सामान की आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी जावेगी ?

(श्रीमती रतन कंवर)

(6) उक्त अवधि में जिला बीकानेर को दिए गए पोल में से कितने पोल टूटे हुए बेकार पड़े हैं ? इनका निपटारा कैसे होगा ?

उत्तर

(1) बीकानेर वृत के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 से 1984-85 तक जिला बीकानेर के प्रश्न में चाहे गये गांवों में लगे खम्बों की सख्या निम्न प्रकार है:—

1.	बीकानेर शहर	3081
2.	गंगाशहर	53
3.	भीनाशहर	24
4.	देशनोक	1
5.	तहसील कोलायत	1800
	कुल	4959

(2) उक्त अवधि में लगाए गए खम्बों से उपभोक्ताओं को 6179 विद्युत् संबंध दिए गए ।

(3) उक्त अवधि में लगाए गए खम्बों में से एक भी खम्बा बगैर तार के गढ़ा हुआ नहीं है ।

(4) जी नहीं ।

(5) उपलब्ध वित्तीय साधनों के आधार पर आवश्यकतानुसार सामान की व्यवस्था की जाती है एवं सभी वृतों को उनकी आवश्यकता के अनुपात में उपलब्ध करवाया जाता है ।

(6) उक्त अवधि में आवंटित पोलों में से 212 पोल टूटे हुए बेकार पड़े हैं । इनके निपटारे हेतु संबंधित अधिकारियों से पत्राचार चल रहा है एवं विचाराधीन है ।

ग्राम हटूण्डी में राहत कार्य

495. श्री रमजान खां (पुष्कर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम हटूण्डी को इस वर्ष अकाल ग्रस्त घोषित किया गया था ? यदि हां, तो क्या वहां पर कोई राहत कार्य खोला गया ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या ग्राम चौकिया वाला हटूण्डी का तालाब लाखों रूपयों की लागत से बना हुआ है, और यह तालाब कई वर्षों से टूटा पड़ा है ? क्या इस तालाब के टूट जाने के कारण आस-पास के गांवों के कुए सूख गये हैं ? यदि हां, तो इस महत्वपूर्ण तालाब को अकाल राहत में मंजूर करके कब तक पूर्ण करवा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी, हां । सम्वत् 2041 में अजमेर जिले के हटूण्डी ग्राम को अकाल ग्रस्त घोषित किया गया है । हटूण्डी ग्राम में चौकिया वाली हटूण्डी का तालाब का कार्य खोला गया है जिसे राहत मद में करांया जा रहा है ।

(अकाल राहत मंत्री)

(2) चौकिया वाली हट्टूण्डी पंचायत का तालाब हैं, इस तालाब का रख रखाव भी पंचायत द्वारा ही किया जाता हैं तालाब के टूटे हुए होने एवं उसमें पानी न भरने से कुओं के जल स्तर में गिरावट आती है। सहायता विभाग द्वारा सहायता मद में इस कार्य हेतु 0.20 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है। उक्त कार्य दिनांक 28.6.85 से प्रगति पर हैं।

नवलगढ़ में अग्निकाण्ड

496. श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़): क्या राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

नवलगढ़ तहसील में इस वर्ष 15 जून, 1985 तक कहां-कहां पर अग्निकाण्ड हुआ तथा अब तक किन-किन को कितनी-कितनी सहायता प्रदान की गई है? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

नवलगढ़ तहसील में इस वर्ष 1 अप्रेल 1985 से 15 जून, 1985 तक हुए अग्निकाण्ड एवं अग्नि पीड़ितों परिवारों को दी गई सहायता का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

अनुसूचित जाति के मोहल्लों का विद्युतीकरण

498. श्री मोहन लाल बारुपाल (जायल): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जायल तहसील जिला नागौर के विद्युतीकरण किये हुये ग्रामों में से किन-किन गांवों में अनुसूचित जाति के मोहल्लों में अभी तक बिजली नहीं दी गई है? कृपया सूचि सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन गांवों में ग्राम पंचायतों के सरपंच अनुसूचित जाति के मोहल्लों में बिजली लगवाना नहीं चाहते एवं इसी उद्देश्य से फार्म व एग्रीमेन्ट नहीं करते उसके लिये सरकार क्या उपाय करने का विचार रखती है?

(3) क्या ग्राम डेढ़, सोनेली, जातासुख, सांडिला, खियाला, घापड़ी व तंपरा, दुगोली, रातंगा, सोमग, हुगस्ताऊ, मंगलोद गांवों में अनुसूचित जाति के मोहल्लों में बिजली नहीं पहुंचाई गई है? इसका क्या कारण है? अब कब तक इन गांवों में, इन मोहल्लों में बिजली पहुंचा दी जावेगी?

उत्तर

(1) जायल तहसील जिला नागौर के विद्युतीकृत ग्रामों में जिनमें अनुसूचित जाति के मोहल्लों में बिजली नहीं दी गई है उनकी सूचि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) विद्युत मण्डल के नियमों के अनुसार कनेक्शन लेने के लिए आवेदन पत्र देना आवश्यक है।

(विद्युत मंत्री)

(3) ग्राम दुगोली में अनुसूचित जाति के मोहल्लों में बिजली पहुंचा दी गई है। 1981 की जनगणना पुस्तिका के आधार पर जायल तहसील में धापड़ी व लपरा नाम के कोई ग्राम नहीं हैं। प्रश्न में वर्णित अन्य ग्रामों में खियाला ग्राम के अलावा, अनुसूचित जाति के मोहल्ले में वहां के सरपंच द्वारा बिजली पहुंचाने हेतु कोई प्रर्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। ग्राम खियाला में प्राप्त प्रार्थना पत्र पर आगामी कार्यवाही प्रक्रिया में है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ड-14 देखें)

पीपलखूंट (बांसवाड़ा) का विद्युतीकरण

499. श्री बहादुर सिंह (दानपुर): क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बांसवाड़ा व पंचायत समिति, पीपलखूट के गांवों में बिजली पहुंचाने की योजना कब स्वीकृत हुई थी ?

(2) उनमें से अब तक कितने गांवों का विद्युतकरण तो हो चुका है, और कितनों का प्रस्तावित है ?

(3) क्या उस क्षेत्र में आदिवासी किसानों द्वारा कनेक्शनस् हेतु मांग की जा रही है ?

(4) क्या यह सही है कि दानपुर तक बिजली आ जाने के बाद भी अभी पीपलखूंट के गांवों में बिजली नहीं पहुंची है ? यदि हां, तो कब तक इन गांवों में पहुंचा दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा की पंचायत समिति पीपलखूंट क्षेत्र की ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजना की स्वीकृति माह फरवरी, 1980 (1979-80) में दी गई थी।

(2) उक्त स्वीकृत योजना के अन्तर्गत कुल 84 पोटेंशियल ग्रामों का विद्युतीकरण करना प्रस्तावित था और इनके अतिरिक्त 51 नोन-पोटेंशियल ग्राम भी सम्मिलित थे जिसके सापेक्ष अब तक 52 पोटेंशियल तथा 2 नोन-पोटेंशियल गामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। शेष 32 पोटेंशियल तथा 49 नोन-पोटेंशियल ग्रामों का विद्युतीकरण करना प्रस्तावित है। इन ग्रामों का विद्युतीकरण आगामी वर्षों में धन एवं विद्युत की उपलब्धि पर निर्भर करेगा।

(3) जी हां।

(4) पीपलखूंट योजना में प्रस्तावित पीपलखूंट एवं दुगालवानी 33/11 के. वी. सब स्टेशन से कुल 49 पोटेंशियल ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित था। इन सभी ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। तेजपुर के आस-पास स्थित 35 पोटेंशियल ग्रामों का विद्युतीकरण प्रस्तावित

(ऊर्जा मंत्री)

था। जिनमें से कुटम्बी पर 33/11 के. वी. सब स्टेशन से दानपुर सहित तीन पोटेंशियल तथा ग्राम कुटम्बी का विद्युतीकरण वर्ष 1985-86 में किया गया है। शेष स्वीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण आगामी वर्षों में धन एवं विद्युत की उपलब्धि पर सम्भव हो सकेगा।

टोरड़ी से तिलांजू की सम्पर्क सड़क

500. श्री ग्यारसी लाल (निवाई): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मालपुरा उपखण्ड में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा टोरड़ी से तिलांजू तक की सड़क बनाई जा रही है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़क निर्माण पर लगे मजदूरों को 5 माह के पारिश्रमिक भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? अब कब तक इन्हें भुगतान कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं, मई, 85 तक का भुगतान हो चुका हैं शेष भुगतान इस माह में कर दिया जायेगा?

भरनावा (लाडनू) के सरपंच के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मामला

501. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या भ्रष्टाचार निरोधक विभाग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह बात सही है कि सरपंच ग्राम पंचायत भरनावां पंचायत समिति लाडनूं जिला नागौर के वर्तमान सरपंच के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में जांच चल रही है? यदि हां, तो कब से और इतने लम्बे समय तक जांच पूर्ण नहीं होने क्या कारण हैं?

(2) अब इस मामले की जांच पूर्ण कर कब तक अदालत में चालान पेश कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। श्री हरजीराम बुरड़क, प्रधान, पंचायत समिति लाडनूं जिला नागौर की शिकायत पर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में प्राथमिक जांच सं. 154/82 पंजीबद्ध की गई थी, यह जांच सन् 1982 से चल रही है। जांच तकनीकी रिपोर्ट के अभाव में रुकी हुई है।

(2) मुख्य अभियन्ता सा. नि. वि. जयपुर से तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव है।

छबड़ा में मवेशियों की चोरी के प्रकरण

502. श्री प्रतापसिह (छबड़ा) **श्री प्रभूलाल (नैनवा)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) छबड़ा सब डिवीजन में मवेशी चोरी के 1984-85 में कितने केस दर्ज हुये ।

(2) दर्ज प्रकरणों में कितनों में बरामदगी की गई ?

उत्तर

(1) मवेशी चोरी के 31 मुकदमे दर्ज हुए ।

(2) 15 प्रकरणों में बरामदगी की गई ।

पाली में हत्याओं के मामले

503 श्री हीरा सिंह चौहान (रायपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली जिले में अप्रेल, 1984 से लेकर अप्रेल, 1985 तक कितनी हत्याएँ हुई हैं ?

(2) क्या उक्त हत्याओं से सम्बन्धित सारे अपराधी पकड़े गये हैं ? यदि नहीं पकड़े गये, तो कौन-कौन से हत्या के अपराध में नामजद अपराधी नहीं पकड़े गये ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) पाली जिले में अप्रेल, 1984 से लेकर अप्रेल, 1985 तक कुल 40 हत्यायें हुई हैं ।

(2) 135 नामजद अपराधीयों में से 122 नामजद अपराधी पकड़े जा चुके हैं । केवल 13 नामजद अपराधी 5 अभियोगों में में नहीं पकड़े जा सके है जिनकी सूची संलग्न है । इन्हे पकड़ने के प्रयत्न जारी हैं ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-15 देखे)

कोटा जिले में पाम आयल का वितरण

504. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा जिले के लिये गत 1 वर्ष में राज्य से कुल कितना पाम आयल दिया जाना था तथा कुल कितना दिया गया ?

(2) उक्त पाम आयल को कब-कब, कहां-कहां, किन-किन माध्यमों से कितने व्यक्तियों को वितरित किया गया ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

(1) गत वर्ष के लिए कोटा जिले की कोई निश्चित मांग प्राप्त नहीं हुई । माह अप्रेल, 1984 से मार्च, 1985 तक 750 मै. टन खाद्य तेल (रेपसीड़ व पाम आयल)

(नागरिक आपूर्ति मंत्री)

का एवं 40 मै. टन पामोलिन आयल स्माल पैक्स का आवंटन किया गया है। आवंटित खाद्य तेल में से कोटा जिले में वितरण हेतु 512.5 मै. टन खाद्य तेल उठाया गया है।

(2) अप्रेल, 1984 से मार्च, 1985 तक की अवधि में कोटा मार्केटिंग सोसायटी एवं इटावा क्रय विक्रय सहकारी समिति के माध्यम से उक्त खाद्य तेल को कोटा शहर, तहसील लाड़पुरा, मांगरोल, पीपल्दा, रामगंजमण्डी एवं सब तहसील अन्ता के लगभग एक लाख राशन कार्ड धारी व्यक्तियों को वितरण किया गया।

श्री शान्ति जैन माध्यमिक विद्यालय, ब्यावर को अनुदान

505. **श्री माणक चंद डाणी** (ब्यावर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री शान्ति जैन माध्यमिक विद्यालय, ब्यावर राज्य के प्रथम 10 विद्यालयों में से सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है ?

(2) यदि हां, तो अभी इसको कितना अनुदान प्रदान किया जा रहा है ? क्या निर्धारित मापदण्डों के अनुसार यह शिक्षण संस्था 90% अनुदान पाने का हकदार है ? यदि हां, तो तदनुसार कब तक अनुदान स्वीकार किया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) शान्ति जैन माध्यमिक विद्यालय, ब्यावर के उच्च प्राथमिक स्तर तक 90 प्रतिशत अनुदान प्राप्त होता है तथा माध्यमिक स्तर पर 60 प्रतिशत अनुदान देय है। किसी भी अराजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था के अनुदान प्रतिशत में वृद्धि अनुदान नियम, 1963 के नियम 5 (सी) के नीचे अंकित टिप्पण के अनुसार संस्था का पैनल निरीक्षण कराकर प्रकरण अनुदान समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है। समिति की अभिशंषानुसार राज्य सरकार को प्रस्ताव प्राप्त होने पर संस्था के अनुदान प्रतिशत में वृद्धि के प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

सिरोही उच्च माध्यमिक विद्यालय का भवन

506. **श्री रामलाल सोलंकी** (सिरोही) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार इस तथ्य से परिचित है कि जन प्रतिनिधियों एवं जिला शिक्षा अधिकारी, सिरोही द्वारा सिरोही नगर के उच्च माध्यमिक विद्यालय के अर्द्ध-निर्मित भवन को पूरा करने हेतु वांछित धनराशि स्वीकृत करने के लिए सन् 1963-64 से निरन्तर मांग की जा रही है ?

(श्री रामलाल सोलंकी)

(2) क्या शिक्षा विभाग इस मांग के औचित्य को स्वीकार करते हुए भी धनाभाव का आधार लेकर मांग की आगामी वर्ष में पूर्ति करने का आश्वासन प्रति वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को देता आ रहा है ?

(3) क्या राज्य सरकार इस मांग की पूर्ति इस वित्तीय वर्ष 1985-86 में कर देगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) इस वित्तीय वर्ष से जनसहयोग के अनुपात में राज्य सरकार भी अनुदान प्रदान करेगी। जिसके लिये वर्ष 1985-86 में एक करोड़ का प्रावधान है।

महाविद्यालयों में विषय अध्यक्षों के पद

507. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने सन् 1983-84 में राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों के अध्यक्ष के पदों की स्वीकृति दी थी ? यदि हां, तो कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या इन पदों के गत दो सत्रों 1983-84 एवं 1984-85 से रिक्त रहने के कारण होने वाले शैक्षणिक एवं प्रशासनिक दुष्परिणामों से सरकार परिचित है ? यदि हां, तो सरकार इन पदों पर कब तक नियुक्तियां करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। जनवरी, 1984 में कॉलेज शिक्षकों (व्याख्याताओं) की पदोन्नति के अवसर प्रदान करने हेतु प्रत्येक स्नातकोत्तर स्तरीय महाविद्यालय में एक स्नातकोत्तरीय विभागाध्यक्ष एवं जिन स्नातक महाविद्यालय में एक विषय में चार व्याख्याता अथवा उससे अधिक पद हों तो उस विषय में एक पद स्नातक स्तरीय विभागाध्यक्ष का होगा। जिनका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) सेवा नियमों में संशोधन के पश्चात् ही नियुक्तियां हो पायेंगी।

(3) ये पद कालेज शिक्षकों (व्याख्याताओं) को पदोन्नति के अवसर प्रदान करने हेतु स्वीकृत किये गये अतः शैक्षणिक एवं प्रशासनिक दुष्परिणामों का प्रश्न ही नहीं उठता।

इन पदों को सेवा नियमों के प्रकाशित होने पर ही भरा जा सकता है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

श्री सरस्वती विद्यापीठ का सरकार द्वारा अधिग्रहण

508. श्री हरि कुमार औदिच्य (रामगंज-मण्डी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कोटा में स्थित श्री सरस्वती विद्यापीठ के संचालक मण्डल द्वारा संस्था को सरकार द्वारा अधिग्रहण करने का आवेदन किया गया है ?

(2) अगर हां, तो यह प्रार्थना-पत्र कब दिया गया तथा सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई, तथा अधिग्रहण की कार्यवाही कब तक पूर्ण होने की सम्भावना है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) 1982 से राज्याधीन करने का मामला विचाराधीन है ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 4 जुलाई, 1985)

कृषि भूमि सीलिंग सम्बन्धी अपीलें

489. श्री अब्दुल हादी (चौहटन): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि कृषि भूमि के सीलिंग के सम्बन्ध की कुछ अपील विधि विभाग ने राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीट के विरुद्ध खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु राजकीय अधिवक्ता, जोधपुर को जनवरी, 1985 में आदेश दिये थे ? यदि हां, तो कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें ।

(2) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त अपीलों में से कुछ अपीलें तो दिनांक 21 जनवरी, 1985 के आसपास प्रस्तुत कर दी गई एवं शेष अपीलें देरी से दिनांक 28 जनवरी, 1985 को प्रस्तुत की गई ?

(3) क्या यह सत्य है कि दिनांक 28 जनवरी, 1985 को जागीर सिंह व जसवन्त राम के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील राजकीय अधिवक्ता द्वारा देरी से प्रस्तुत करने के फलस्वरूप खण्डपीठ ने दिनांक 5 अप्रेल, 1985 को खारिज कर दी ? यदि हां, तो अपील खारिज होने के परिणामस्वरूप राज्य कोष को हुई हानि के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कब तक क्या कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । राजस्थान उच्च न्यायालय के एकलपीठ के निर्णय के विरुद्ध खण्डपीठ में अपील प्रस्तुत करने हेतु राजकीय अधिवक्ता जोधपुर को जागीर सिंह एवं जसवन्त सिंह के मामले में निर्देश दिनांक 19-1-85 को दिये गये थे । दिनांक

(विधि मंत्री)

21-1-85 को रवीवार था। राजकीय अधिवक्ता ने 7 दिन उपरान्त इन दोनों मामलों में अपीलें, दिनांक 28-1-85 को प्रस्तुत कर दी।

(2) जी हां। यह सत्य है कि 3 मामलों में अपीलें राजकीय अधिवक्ता ने 22-1-85 को तथा 2 मामलों में दिनांक 28-1-85 को दायर की।

(3) जागीर सिंह व जसवन्त सिंह में राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलें देरी से प्रस्तुत करने हेतु देरी की माफ करने के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जिन्हें न्यायालय ने संतोषजनक नहीं मानते हुये अपीलें दिनांक 5-4-85 को खारिज कर दी। देरी से अपीलें प्रस्तुत करने हेतु राजकीय अधिवक्ता द्वारा युक्ति युक्त कारण बताये गये थे। जिन्हें न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया।

इन मामलों में फैसले की प्रमाणित प्रतियां अभी प्राप्त नहीं हुई हैं। फैसले की की प्रतियां प्राप्त होने पर ही आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 4 जुलाई, 1985)

ग्राम पंचायत इटावा (कोटा) के निर्माण कार्य

102. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): क्या ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला कोटा की ग्राम पंचायत, इटावा द्वारा पिछले 4 वर्षों में क्या क्या निर्माण कार्य कराये गये ? कृपया स्थान का नाम, काम का नाम, खर्च की गई रकम, किस योजना के तहत क्या मूल्यांकन हुआ, आदि का विवरण वर्षवार सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या उक्त कार्यों में कोई अनियमितता बरती गई ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जिला कोटा की ग्राम पंचायत इटावा द्वारा पिछले चार वर्षों में तीन निर्माण कार्य कराये गये हैं। कार्यों से सम्बन्धित विवरण सदन के पटल पर रखा दिया गया है।

(2) जी नहीं।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 4 जुलाई, 1985)

सीकर में आवश्यक वस्तुओं के वितरण केन्द्र

498. श्री फूलचन्द (नीम का थाना) **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करें :—

(1) जिला सीकर में आवश्यक वस्तुओं के वितरण की कितनी दुकानें किन-किन स्थानों पर खुली हुई है ?

(श्री फूलचन्द)

(2) इनमें कितनी दुकानें सहकारी समितियों के पास तथा कितनी निजी व्यक्तियों के पास हैं ?

(3) उपरोक्त वितरण की दुकान किन-किन तिथियों से चालू हैं तथा किन-किन स्थानों पर कितनी अवधि से ऐसी दुकानें बन्द पड़ी हैं ? किन-किन स्थानों पर कितनी अवधि से चीनी, मिट्टी का तेल, सीमेन्ट, डीजल आदि उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ? यदि नहीं, तो रसद विभाग ने क्या आवश्यक कदम उठाये और उनके क्या परिणाम निकले ?

उत्तर

(1) जिला सीकर में जिन-जिन स्थानों पर उचित मूल्य की दुकानें खुली हुई हैं, उसकी सूचि सदन के पटल पर प्रस्तुत है। (परिशिष्ठ "क")

(2) इनमें 200 उचित मूल्य की दुकानें सहकारी समितियों के पास तथा 356 उचित मूल्य की दुकानें निजी व्यक्तियों के पास हैं।

(3) जिन-जिन तिथियों से ये उचित मूल्य की दुकानें चालू हैं उसकी सूचना संलग्न परिशिष्ठ "क" में अंकित की हुई हैं। कितनी दुकानें किन-किन स्थानों पर कब से बन्द पड़ी हैं, की सूचि परिशिष्ठ "ख" पर संलग्न हैं। इन उचित मूल्य की दुकानों से मिट्टी का तेल, सीमेन्ट, डीजल का वितरण नहीं किया जाता। ये वस्तुयें अन्य लाईसेन्स धारियों से नियन्त्रित मूल्य पर वितरण कराई जाती हैं। एवं विगत एक वर्ष से उक्त वस्तुएं नियमित रुप से सम्पूर्ण जिले में उपलब्ध है एवं उनकी उपलब्धी में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। परिष्ठि 'ख" में जिन 46 उचित मूल्य की दुकानों के बन्द होने का उल्लेख है, उनमें से 26 पंचायतों की अस्थाई व्यवस्था करदी गई हैं एवं शेष पंचायतों ने लेवी चीनी उठानी शुरू करदी है।

(सूचियां विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 4 जुलाई, 1985)

आर. ई. घाटे की पूर्ति

93. सुश्री गिरिजा व्यास (उदयपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के विद्युत विभाग को आर. ई. घाटे के बारे में इस प्रकार का कोई आश्वासन दिया है कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को विश्व बैंक के प्रचलित सूत्र के अनुसार पुनर्भरण किया जायेगा ?

(2) यदि हां, तो क्या यह आश्वासन पूरा किया गया है ?

(3) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(ऊर्जा मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, वर्ष 1982-83 तक का भुगतान किया जा चुका है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री जगत सिंह दायमा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बानसूर विधान सभा क्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समिति बूढ़वाल में व्यवस्थापक द्वारा गबन के सम्बन्ध में।

(2) श्री मोहन प्रकाश, सदस्य, विधान सभा की ओर से धौलपुर जिले के राजाखेड़ा विधान सभा क्षेत्र में भू-जल विभाग द्वारा सिंचाई कार्य हेतु लगाये गये 38 नलकूप बन्द होने के सम्बन्ध में।

(3) श्री हरिकुमार औदिच्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य सरकार द्वारा संस्कृत कालेजों में 50 प्रतिशत पद रिक्त होने के सम्बन्ध में।

(4) श्री हरि सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की ओर से गांव गिरी (पाली) चिकित्सालय में से 10 हजार की दवाइयों की कम्पाउण्डर द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री खंगारसिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से पाली जिले के खारची व सोजत और जोधपुर जिले के बिलाड़ा क्षेत्रों में उपभोक्ताओं से बिजली के फर्जी बिल बनाकर अधिक राशि वसूल किये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम पंचायत भरनावद पंचायत समिति लाडनूं के सरपंच द्वारा तालाब निर्माण कार्य की मजदूरी मजदूरों को न देने के सम्बन्ध में।

(7) श्री कालीचरण सराफ, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगर परिषद् जयपुर द्वारा जवाहर नगर कालोनी के निवासियों से पूर्व तिथि से गृह कर वसूल करने के सम्बन्ध में।

(8) श्री लक्ष्मी नारायण किसान, सदस्य, विधान सभा की ओर से फुलेरा क्षेत्र में किशनगढ़, रेनवाल कृषि उपज मण्डी के निर्माण के लिये अवाप्त की जा रही जमीन पानी के बहाव में होने के सम्बन्ध में।

(9) श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से चम्बल सिंचित क्षेत्र परियोजना बन्द करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(10) श्री गिरधारी लाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से मुरलीपुरा की योजना आवंटित मकानों की मासिक किश्त में बढ़ोतरी के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायगा।

(1) श्री जगमाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से तिजारा में कृषि उपज मण्डी यार्ड बनाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री ग्यारसीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से निवाई विधान सभा क्षेत्र में हैण्ड पम्पों के खराब होने के सम्बन्ध में।

(3) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा से गुढ़ला बस चलाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री शोपत सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम राम चन्दलाई तहसील चाकसू में आम रास्ते पर एक व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण के सम्बन्ध में।

(5) श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) सदस्य, विधान सभा की ओर से सरदारशहर में बरसात का गन्दा पानी निकास नहीं होने पर भयंकर बीमारी उत्पन्न होने की आशंका के सम्बन्ध में।

(6) श्री दाऊदयाल जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में तेजाबी अपराधों की कठोर सजा की व्यवस्था न होने से अपराध प्रवृति में वृद्धि के सम्बन्ध में। यह स्थगन प्रस्ताव विशेष घटना से सम्बन्धित नहीं है।

(7) श्री लालचन्द, सदस्य, विधान सभा की ओर से गंगानगर जिले के छानी-बड़ी गांव में रेफरल हास्पिटल की इमारत टेक ओवर न करने के सम्बन्ध में।

(8) श्री हंसराज मिढ़ा और श्री देवी सिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से इन्दिरा गांधी नहर की सूरतगढ़ शाखा के टूट जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री हरीश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़ जिले के खानपुर चिकित्सालय में अव्यवस्था के सम्बन्ध में।

(10) श्रीमती वसुन्धराराजे, सदस्या, विधान सभा की ओर से धौलपुर व करौली क्षेत्र में अवैध रूप से खनन कार्य होने व अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(11) डा. उजला अरोड़ा, सदस्या, विधान सभा की ओर से जयपुर ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र में 1981 की बाढ़ से टूटे 110 बांधों को न बनाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं। अतः मैं इन पर स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(श्री अध्यक्ष)

(1) श्री मांगीलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा से लाखेरी व केशोरायपाटन से खटकड़ की सड़कों की मरम्मत न किये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री अब्दुल अजीज, सदस्य, विधान सभा की ओर से 15 जुलाई को सांगोद कस्बे में झगड़े से मृत्यु व उत्पन्न भय के सम्बन्ध में।

(3) श्री डूंगरराम पंवार, सदस्य, विधान सभा की ओर से टीबी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मेरूतरी के प्राइमरी स्कूल को क्रमोन्नत करने के बावजूद बन्द होने के सम्बन्ध में। यह प्रस्ताव पूर्व में आ चुका है।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं। अतः मैं इन पर स्वीकृति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

(1) श्री चुन्नीलाल इन्दोलिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर जिले की नोखा तहसील में फेमिन पर लगे मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है। अतः इस पर अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को मांग पर चर्चा के समय, आज उसकी मांग है, बोलने की अनुमति होगी।

(1) श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल), सदस्य, विधान सभा की ओर से कक्षा ग्यारहवीं तक की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में।

(2 श्री नाथूसिंह, श्री भैरोंसिंह, श्री नाथूराम मिर्धा, श्री केदारनाथ, सुश्री पुष्पा, श्री रघुवर दयाल, श्री चुन्नीलाल मेघवाल, श्री नारायण राम बेड़ा, श्री रमजान खां, श्री हरिशंकर भाभड़ा, श्री माणकचन्द सुराणा, श्री नत्थीसिंह, श्री हंसराज मिढ़ा, श्री विरदमल सिंघवी, श्री जगन्नाथ, श्री दाऊदयालजोशी, श्री जगजीत सिंह, श्री हरलाल सिंह खर्रा और श्री फूलचन्द, सदस्य, विधान सभा की ओर से बिजली की दरों में वृद्धि से आम उपभोक्ता में उत्पन्न रोष के सम्बन्ध में। इन स्थगन प्रस्तावों पर....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज आर्डर माननीय सदस्य। कई माननीय सदस्यों के नाम हैं, लेकिन उन माननीय सदस्यों ने अपने स्थगन प्रस्ताव अलग दिये हैं तो नियमानुसार उनके नाम मैंने इसमें से अलग कर दिये हैं।

इन स्थगन प्रस्तावों पर पूर्व में सदन में काफी चर्चा हो चुकी है। अतः इन पर स्वीकृति देने में मैं असमर्थ हूं।

(1) श्री नाथूसिंह और सुश्री पुष्पा, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटपूतली गोली कांड की जांच हेतु नियुक्त आयोग को आवश्यक सुविधाएं न देने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

सरकार ने जानकारी दी है कि टंकण यन्त्र उपलब्ध करा दिये गये हैं तथा कुछ धनराशि भी उपलब्ध करा दी गई है। बजट पारित होने पर और राशि दे दी जायगी। आयोग की अवधि बढ़ा दी गई है। अत: इस स्थगन प्रस्ताव पर मैं अनुमति देने में असमर्थ हूं।

जिन मा. सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव मैंने अस्वीकार किये हैं मैं उनको बोलने का अवसर दूंगा, वह कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री नाथूसिंह : पाइन्ट आफ आर्डर, मैं सदन और आपका ध्यान ऐसे मामले पर आकर्षित कराना चाहता हूं····

श्री अध्यक्ष : मा. सदस्य किस पर बोल रहे हैं, कृपया बैठें। मैं अलाऊ नहीं करूंगा, कोई सबजेक्ट नहीं है। मा. सदस्य कृपया व्यवधान न डालें।

(व्यवधान)

मा. सदस्य मैंने व्यवस्था दी है। आर्डर प्लीज, श्री नाथूसिंह, मैंने व्यवस्था दी है आर्डर प्लीज, कृपया बैठें, व्यवस्था को चैलेंज नहीं करें। मा. सदस्य मुझे मजबूर न करें। आपने रूल्स पढ़े हैं, स्थगन प्रस्ताव कैसे आता है, कृपया बैठें, आर्डर प्लीज मा. सदस्य।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य आप नियमों को खूब जानते हैं। आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज मा. सदस्य, पहले ही पाइन्ट आफ आर्डर आया हुआ है, आप ध्यान दें। नियमों का आपने अध्ययन किया हुआ है, पाइन्ट आफ आर्डर, स्थगन प्रस्ताव, एडजोर्नमेंट मोशन किन किन बातों पर आते हैं। इस सदन में एक बार चर्चा हो चुकी है, पूरी डिबेट हो चुकी है, इस पर स्थगन प्रस्ताव आ नहीं सकता नियमों के अन्तर्गत। मा. सदस्य मुझे विवश न करें।

(व्यवधान)

श्री शोपतसिंह : अध्यक्ष महोदय, नई स्थितियां पैदा हो गई हैं।

श्री यदुनाथसिंह : पहले परिस्थितियां दूसरी थीं, अध्यक्ष महोदय····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मा. सदस्य। अंकित न हो।

श्री यदुनाथ सिंह : × × ×

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दी है, आर्डर प्लीज । आप यह व्यवस्था सुनने नहीं दे रहे हैं मैंने व्यवस्था दी है, आपको बोलने का अधिकार होगा तब बोल दीजिए, बैठें कृपया ।

श्री नाथूसिह : जनता इतनी उद्वेलित हो रही हो····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो ।

श्री यदुनाथसिह : × × ×

श्री डूंगरराम : × × ×

श्री लक्ष्मीनारायण किसान : × × ×

श्री नत्थीसिह : अध्यक्ष महोदय, बिजली की जो बात है इस संबंध में आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है । हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं, आपने कहा, आपको बोलने का अधिकार होगा । हम तो यह जानना चाहते हैं कि जो आक्रोश उत्पन्न हुआ है, जनता का आक्रोश बढ़ा है उसको शांत करने के लिए क्या सरकार अपनी तरफ से जवाब देगी या नहीं देगी, यह जानना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : मा. सदस्य कृपया बैठें ।

श्री मोहन प्रकाश : प्रदेश के कोन-कोन से नौजवान आए हैं रोष प्रकट करने के लिए ···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मा. सदस्य, कृपया बैठें श्री यदुनाथसिह, आर्डर प्लीज ।

श्री शोपतसिह : ऐसी विकट स्थितियां पैदा हो गई हैं····

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो ।

श्री शोपतसिह : × × ×

श्री नाथूसिह : × × ×

श्री हरिकुमार औदिच्य : × × ×

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री हरीश शर्मा : × × ×

श्री डूंगरराम : × × ×

श्री यदुनाथसिह : × × ×

श्री रमजान खां : × × ×

सुश्री पुष्पा जैन : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, कृपया व्यवस्था बनाए रखें, कृपया बैठें, मा. सदस्य, आर्डर प्लीज ।

आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य बैठें, आसन पैरों पर है । आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री अध्यक्ष)

मैंने माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्तावों पर अपनी व्यवस्था दी है, नियमों के अनुकूल मैंने व्यवस्था दी है। मैं चाहता हूं उसमें सहयोग करें। मैंने उसमें कहीं पर यह नहीं कहा कि बोलने की अनुमति नहीं है। मैंने स्थगन प्रस्ताव खारिज किए हैं, अस्वीकार किए हैं, उनको मैंने बोलने की अनुमति दी है। इस स्थगन प्रस्ताव में जब आपका नाम पुकारूंगा आप अपने विचार रखें। मैंने यह साफ कहा है कि स्थगन प्रस्ताव जिस विषय पर दिया गया है इस सदन में उस विषय पर चर्चा हो चुकी है····

श्री यदुनाथसिंह : नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। मैंने व्यवस्था दे दी है, इस पर कृपया बैठें। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आप बैठें, बजट भाषण के सामान्य वाद विवाद पर हुई थी। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य आर्डर प्लीज। आप व्यवस्था में सहयोग नहीं कर रहे हैं, आप स्वयं अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं। माननीय सदस्यों को सोचना चाहिए कि सदन की कार्यवाही चले। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य बैठें, आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : क्योंकि हम भी जनता के जनप्रतिनिधि हैं, जनता में व्यवस्था होगी तो सदन में व्यवस्था होगी····

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री यदुनाथ सिंह : × × ×

श्री नरपतसिंह : × × ×

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह प्रश्न नहीं है कि इस पर बहस की जाय या नहीं। प्रश्न यह आता है कि टैक्स लगाने के बाद जो जो सदस्य अपने अपने क्षेत्रों में गये हैं, सब को धमकियां मिल रही हैं और यदि आप चाहते हैं तो····

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय आप अपने विचार व्यक्त करेंगे तब कह सकेंगे, आप कह सकेंगे इस बात को।

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता कुछ नहीं कहेंगे····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बैठें। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य बैठें।

(व्यवधान)

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, कांग्रेस में भी एक हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, 86 के करीब माननीय सदस्यों ने हस्ताक्षर करके दिये हैं कि यह टैक्स कम हो।

एक माननीय सदस्य : यह गलत है, ऐसा कोई अभियान नहीं हो रहा है।

श्री हरिदेव जोशी : दरअसल में इसका कारण यह है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बेगू से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि हमने हस्ताक्षर नहीं किये। हम सब को मालूम है जो किसान विरोधी के बैठे हैं इस पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं, यह ताज्जुब की बात नहीं है। आपने नहीं किए, और भी कुछ लोगों ने नहीं किये लेकिन कांग्रेस में लोग इस बात की चिंता कर रहे हैं कि किसानों पर बहुत भारी टैक्स लगा है। किसान भी दुःखी है और किसानों से जिन्होंने वोट लिये हैं वे भी बहुत दुःखी हैं। अध्यक्ष महोदय, हालत इस प्रकार की है कि एक तरफ टैक्स बढ़ गया और दूसरी तरफ कल माननीय विद्युत मंत्रीजी ने जो वक्तव्य दिया उससे भी स्पष्ट हो गया कि किसान को बिजली समय पर नहीं मिल पाती और पूरी नहीं मिल पाती। अब मैं आपसे, अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहूंगा कि व्यवस्था तो आपने दे दी। आज इस स्थिति में गांव गांव में इसका विरोध कर रहे हैं और किसानों के बल पर इस सदन के अधिकांश सदस्य बैठे हैं उन सदस्यों का क्या कर्तव्य है, क्या किसानों की समस्या की कोई बात इस सदन में नहीं रखें? और उस बात को रखने के लिए स्थगन प्रस्ताव रखें। आपने कह दिया कि उस पर बाद में चर्चा हो सकती है, पहले भी चर्चा हो सकती है लेकिन चर्चा से कोई काम चलने वाला नहीं है। आप भी दुःखी होंगे। मैं समझता हूं जो टैक्स लगा है आप उस पर हस्ताक्षर कर नहीं सकते लेकिन आपकी भावना को हम भी समझते हैं, कितने आप दुःखी हैं, कितने नहीं इसमें....

श्री अध्यक्ष : मेरे को बीच में डाल कर के प्रभावित नहीं करें....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हैं?

श्री अध्यक्ष : मुझे बीच में डाल कर प्रभावित नहीं करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपके भी वोटर हैं। आपको हमने अध्यक्ष बनाया तो उन मतदाताओं की जिम्मेदारी हमने ली कि उन पर कोई संकट आयेगा तो अध्यक्ष की अध्यक्षता में कोई संघर्ष होगा तो हम संघर्ष करेंगे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रश्न यह है कि सरकार की रेस्पोन्सिबिलिटी क्या है? क्या सरकार इस प्रश्न के ऊपर विचार करने को तैयार है? यदि सरकार तैयार नहीं है तो आपसे ही निवेदन करना चाहूंगा, आप हमारा मार्ग-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दर्शन करें कि विधायक के नाते हमारा कर्तव्य क्या है और किस सीमा तक हम उस कर्तव्य का निर्वहन कर इस विधान सभा में अपने दायित्व को पूरा कर सकें।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने यहां पर कुछ बातें कहीं। आपने स्थगन प्रस्ताव के ऊपर अपनी रूलिंग दे दी है। इसलिए मैं सोचता था मुझे कुछ कहना चाहिए। मगर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बजट का एक प्रोसिजर है। वित्त मंत्री सदन के समक्ष बजट प्रस्ताव रखते हैं। उनके ऊपर जनरल डिबेट होती है, उसके बाद डिमाण्ड के ऊपर डिबेट होती है और आखिर में एप्रोप्रिएशन बिल के ऊपर चर्चा होती है। जो चर्चा इसमें होती है वह आखिर में जाकर कन्क्लुड होती है और उस समय फाइनेंस मिनिस्टर अपनी स्पीच देता है। दिक्कत क्या हो गयी? इस सारे के अन्दर एक रहस्य है उस एडजोर्नमेंट मोशन का, वह यह है कि कुछ कांग्रेस के कुछ माननीय सदस्यों ने दस्तखत करके मेरे पास एक पत्र भेजा है। तो अपोजिशन ने यह महसूस किया कि हम पीछे रह गये....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री हरिदेव जोशी : अब उनको ऐसा लगने लगा कि कांग्रेस पार्टी ने लिख कर दिया है। अगर चीफ मिनिस्टर और वित्त मंत्री इसको मान लेंगे तो हम तो बोलेंगे ही नहीं और हमारी यह रह जायेगी कि हमने कुछ किया ही नहीं। इसलिए यह सारा का सारा यहां पर आज आया है।

अध्यक्ष महोदय, अभी विरोधी पक्ष के माननीय नेता ने कहा कि बड़े होशियार आदमी हैं, परखे हुए पालियामेन्ट्रिमेन हैं, अब यह कहना चाहते हैं कि सरकार क्या करना चाहती है ताकि हम वो करें, अर्थात सरकार आज कुछ बोले यहां पर कि वे क्या करना चाहते हैं। ऐसा हुआ क्या कभी?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी होगा।

श्री हरिदेव जोशी : होगा जब एप्रोप्रिएशन बिल आयेगा। उस समय सरकार बोलेगी, उसके पहले कुछ नहीं बोलेगी....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, कम से कम एक बात तो स्पष्ट हो गयी कि टैक्स के विरोध में सदन का बहुमत है। एक बात तो स्पष्ट हो गयी इसमें कोई शंका नहीं है। और इस सदन की कोई भी कार्यवाही बिना बहुमत के नहीं चल सकती।

एक माननीय सदस्य : आप मान कर चलते हैं?

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं मान करके नहीं चलता। मैं इसलिए चल रहा हूं कि 86 कांग्रेस के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। 86 तो वे ग्रौर 86 इधर बैठे हैं। मुख्य मंत्रीजी ग्राप किस बूते पर यहां कह रहे हैं कि मैं घोषणा नहीं करूंगा।....

श्री हरिदेव जोशी : ग्राप उस दिन देख लीजियेगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : ग्रापका बहुमत है, ग्रापका बहुमत यह कह रहा है कि टैक्स नहीं लगने चाहिए।

श्री हरिदेव जोशी : ग्राप मुझसे यह कहलाना चाहते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : क्या ग्रापका कुशल क्षेम पूछा है ?

श्री हरिदेव जोशी : ग्रापने यह कब कहा। ग्राप तो यह जानना चाहते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी से....

श्री हरिदेव जोशी : मैं ग्रौर मेरी पार्टी क्या सोचती है उसका जायजा ग्रापको रोज मिल रहा है यहां पर ग्रौर उस दिन भी मिलेगा जिस दिन बजट पास होगा।

श्री शोपतसिंह : जनता का जायजा नहीं मिलेगा।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिह शेखावत : ग्रध्यक्ष महोदय, यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गयी कि कांग्रेस पार्टी ने मुख्य मंत्रीजी की इच्छा के विपरीत हस्ताक्षर करके उनको एक ज्ञापन दिया है ग्रौर उस ज्ञापन में टैक्स कम करने की माननीय सदस्यों ने मांग की है। इसको मुख्य मंत्रीजी इन्कार नहीं कर सकते।

श्री हरिदेव जोशी : यह ग्रापका कन्जेक्चर है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं कन्जेक्चर नहीं। इसको ग्राप इन्कार नहीं कर सकते। ग्राप यह कह दीजिये। यह तो कह दीजिये कि उस हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन में बिजली के टैक्स कम करने की बात नहीं लिखी। इसको तो ग्राप भी मानेंगे।

श्री हरिदेव जोशी : यह ग्रापकी सूचना के ग्रनुसार ग्राप इसको कन्जेक्चर मानते हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : कन्जेक्चर नहीं हो तो सच्चाई कह दीजिये हाउस में कि उसमें यह लिखा हुग्रा नहीं है। ग्रब, ग्रध्यक्ष महोदय, यह कहा कि चूंकि हस्ताक्षर ग्रभियान हमारी पार्टी ने चालू कर दिया था ग्रौर विरोधी पक्ष यह देख रहा है कि हम पीछे न रहें। ग्रब उसकी ग्रसलियत यदि ग्राप जानना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने हस्ताक्षर ग्रभियान जब शुरू किया था ग्रौर जब मेम्बर्स के पास हस्ताक्षर करने के लिए

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

गये उस समय मुख्य मंत्री जी ने पूरा विरोध किया कि इस पर हस्ताक्षर नहीं होने चाहिए....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

एक माननीय सदस्य : प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री हरिदेव जोशी : यह भारतीय जनता पार्टी थोड़े ही है । यह भारतीय जनता पार्टी है क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब, अध्यक्ष महोदय, प्रश्न ही नहीं उठा तो सरकार और सरकार के नेता भी इस पक्ष में हैं कि टैक्स कम हो जाय । अगर प्रश्न नहीं उठता कि आपकी इच्छा के विपरीत हस्ताक्षर नहीं किये तो इसका अर्थ यह निकलता है कि आप भी यह चाहते हैं कि टैक्स कम हो तो इसमें आपत्ति कौनसी हो गयी । आप चाहते हैं कि टैक्स कम हो तो आपकी इच्छा के विपरीत हस्ताक्षर नहीं किये । कांग्रेस पार्टी के 86 मेम्बरों ने हस्ताक्षर किये हैं । इसका मतलब कांग्रेस पार्टी का बहुमत टैक्स कम करने के पक्ष में है । उधर विरोधी दल ने, सभी ने मिलकर दस्तखत कर दिये तो अब बचता क्या है ? यह जो टैक्स आपको विथड्रा करने हैं, अब विथड्रा करने हैं तो इसके बारे में हम विचार कर सकते हैं कि विथड्रावल की घोषणा आज करें या एप्रोप्रिएशन बिल के दिन करें । इसमें कोई आपत्ति कहीं नहीं है कोई हमने मूहुर्त नहीं निकलवाया है और आपने भी ऐसा कोई पंडित से मूहुर्त नहीं निकलवाया होगा कि एप्रोप्रिएशन बिल के दिन ही टैक्स कम करने हैं । इस हाउस की भावनाओं के अनुकूल आपको टैक्स कम करने पड़ेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हम कोई सदन में चर्चा करना चाहते हैं, विपक्ष के कई माननीय सदस्य जो जो भी अपने अपने क्षेत्र में जाकर के आये हैं सब के सामने एक ही समस्या आयी है और इस समस्या पर अब तक चर्चा नहीं हुयी उसके पीछे भी एक कारण यह था कि इस समय एक दूसरा बड़ा संकट राजस्थान के ऊपर आ रहा है बरसात नहीं हुयी खेती नहीं हो पा रही थी । पीने के पानी की समस्या थी इन समस्याओं को लेकर किसान भी चिंतित था और विधायक भी चिंतित थे और यह कह सकते हैं कि स्वाभाविक ही सरकार भी इस प्रश्न पर चिंतित होगी । तो आज तक हम सब लोग विचार कर रहे थे कि उसको किस प्रकार से विधानसभा में उठाया जाय । कल अच्छी तरह से वर्षा हो गयी अब पता लग गया कि एक संकट से तो बचे हैं, दूसरा जो बिजली का है उससे बचने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था करें । इसके संबंध में स्थगन प्रस्ताव रखा है । मैं समझता हूं कि उसको मुख्यमंत्री जी प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनायें बहुमत के आधार पर । स्वयं उन्होंने कहा कि मेरी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इच्छा के विपरीत नहीं है। माननीय सदस्यों ने मेरी इच्छा से हस्ताक्षर किये हैं तो फिर तो आपको मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इसकी घोषणा कर दें कि हम इन टैक्सेज को कम करेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को मानता हूं कि एप्रोप्रिएशन बिल पर मुख्यमंत्री जी की घोषणा एक तरफा होगी। एक तरफा घोषणा करके चले जायेंगे। थोड़ा सा टैक्स कम कर दिया उससे काम चलने वाला नहीं है। इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी होगी और जानकारी नहीं है तो आप विपक्षी सदस्यों को बुलाकर देखें कि इस इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड में किस प्रकार की कमियां हैं जिसके कारण यह सारा भार बढ़ रहा है। आप टैक्स से सारा काम पूरा करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इतना बड़ा संकट बिजली का किसानों के सामने कभी नहीं आया है। इस संकट के मौके पर यदि किसानों के ऊपर टैक्स लगाया गया है, यह बहुत बड़ा अन्याय है। मेरा निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी इसको प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनायें इस सदन का बहुमत यदि टैक्स वापस लेने का है तो आपको टैक्स लगाने का कोई अधिकार नहीं है। जो टैक्स आपने लगाया है उसको आप वापस लें यह हमारी मांग है और यही स्थगन प्रस्ताव के द्वारा आपसे निवेदन किया है। मैं इसलिए निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि स्थगन प्रस्ताव के ऊपर चर्चा की आपने अनुमति दे दी यह तो बहुत खुशी की बात है, इसके ऊपर चर्चा होगी उसके बाद मुख्यमंत्री जी बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, मुख्य मंत्री जी बोलेंगे यह मैंने नहीं कहा। स्थगन प्रस्ताव पर आप अपने विचार रखेंगे और सरकार उन विचारों का कोग्नीजेन्स लेती है, आपके विचारों का वह कोग्नीजेंस लेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री जगमाल सिंह।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह ; अध्यक्ष महोदय, विपक्षी नेता का एडजोर्नमेंट मोशन आया। बहुत कम विपक्षी नेता के हस्ताक्षरों से एडजोर्नमेंट मोशन आता है सवाल बोलने का नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमारी बोलती बन्द हो रही है। उसका क्या होगा....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, बैठें। कृपया सहयोग करें। आर्डर प्लीज। श्री जगमाल सिंह।

श्री यदुनाथ सिंह : विपक्ष के नेता ने बोल दिया। उससे क्या नतीजा निकलेगा। नतीजा क्या निकलेगा ?....

श्री अध्यक्ष : कृपया सहयोग करें। माननीय सदस्य आप सब नियमों को जानते हैं। मुख्य मंत्री ने कहा उसको भी आप समझ रहे हैं।

श्री यदुनाथसिंह : क्या समझ रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें । मुझसे ज्यादा समझते हैं आप । इस भावना को आप ज्यादा समझते हैं ।

श्री नाथूसिंह : हमारे हितों की रक्षा तो आप करते हैं ? आप दबाव डालें सरकार पर ।

श्री मोहन प्रकाश : आधे से अधिक किसानों के कनेक्शन कट जायेंगे और सरकार कहेगी कि बिजली की स्थिति सुधर गयी है ।....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । कृपया बैठें ।

• **श्री मोहन प्रकाश** : आधे से अधिक किसान बिजली का कनेक्शन कटवाने के लिए तैयार हैं, बिजली का बिल जमा नहीं करा रहे हैं ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम 157 के तहत प्रिविलेज मोशन दिया था....

श्री अध्यक्ष : मैं देख रहा हूं । मैं स्टडी कर रहा हूं ।

श्री देवीसिंह भाटी : एक मिनट मेरा निवेदन सुनें । रविवार को माननीय सदस्य पर हमला हुआ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने दिया है । मेरे पास है ।

श्री देवीसिंह भाटी : जो डीडवाना से आने वाले हैं । अध्यक्ष महोदय, अब इस सचिवालय के जो अनुभाग अधिकारी हैं उनके ऊपर हमला हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : मैंने इन्कार नहीं किया है । वह मेरे पास हैं । मैं उसको एग्जामिन कर रहा हूं ।

श्री देवीसिंह भाटी : कब तक व्यवस्था होगी ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं जल्दी ही निर्णय दूंगा । माननीय सदस्य, बैठें ।

श्री देवीसिंह भाटी : बार-बार ऐसी वारदातें होती हैं । माननीय सदस्य के साथ हुआ, इस सचिवालय के अधिकारियों के साथ वारदात हुई ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है वह मेरे पास में है । मैं देख रहा हूं । उस पर जल्दी ही व्यवस्था दूंगा ।

श्री देवीसिंह भाटी : एक आपको निवेदन और है । मेरे स्थान प्रस्ताव पर आपने जो व्यवस्था दी उस पर पुनर्विचार करें ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । बैठें । श्री जगमाल सिंह ।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, आज मेरे स्थगन प्रस्ताव

(श्री जगमाल सिंह यादव)

की लोक महत्व का नहीं मानने के कारण उस पर आपने बोलने का अवसर दिया। यह इस बाबत है कि वैसे तो अलवर जिला और सम्पूर्ण भरतपुर जिला दोनों ही पैदावार की दृष्टि से राजस्थान में अपना स्थान रखते हैं लेकिन विशेष तौर पर तिजारा विधान क्षेत्र के तिजाहा कस्बे में कृषि उपज मंडी की मांग को लेकर यह स्थगन प्रस्ताव दिया है। तिजारा विधान सभा क्षेत्र की स्थिति बड़ी विचित्र है। महोदय, तिजारा विधान सभा क्षेत्र जो चारों तरफ हरियाणा से घिरा हुआ है। एक तरफ तो रेवाड़ी की भारत प्रसिद्ध मंडी और दूसरी तरफ तावडू की भारत प्रसिद्ध मंडी इस तिजारा क्षेत्र से लगी हुयी है। तिजारा विधान सभा क्षेत्र में कृषि उपज मंडी नहीं होने से, अध्यक्ष महोदय, यह जो तिजारा की सरसों है, गेहूं है, चना है इनकी जो फसल पैदा होती है उसका प्रथम तो यह नुकसान होता है कि राजस्थान में पैदा होने वाली फसल पड़ोस की हरियाणा मंडी में चली जाती है जबकि राजस्थान उत्पादन के हिसाब से, सरसों की पैदावार के हिसाब से राजस्थान में वैसे ही बहुत कमी है। बहुत कम पैदा होती है लेकिन मात्र सरकार का एक इन्तजाम नहीं होने से यह सरकार फाइव स्टार होटल तथा दूसरी बड़ी बिल्डिंग तो खड़ी कर सकती है....

(म. प. 12-47)

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की फसल को बचाने के लिए कृषि उपज मण्डी यार्ड बनाने को पैसा नहीं है। एक बार मैंने सरकार को पत्र लिखा सरकार का यह जवाब आया कि तिजारा की रेवेन्यु इतनी नहीं हो पाती है कि वहां पर कृषि उपज मंडी खोली जाय। उसमें तो मैं अपने स्थान प्रस्ताव के माध्यम से ही कुछ जिक्र करना चाहता हूं, सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि जितनी पैदावार होती है, जितनी फसल होती है वह, महोदय, तावडू और रेवाड़ी की मंडियों में जाकर के बेचते हैं तो कृषि उपज मण्डी का केश तिजारा विधान सभा क्षेत्र से नहीं बढ़ता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर तिजारा की कृषि उपज मण्डी खोलें तो तिजारा की रेवेन्यु 1 लाख-30 हजार जहां है वह 4 लाख की रेवेन्यु सरकार को मिल सकती है। यह राजस्थान में पैदा होने वाली सरसों, गेहूं सब हरियाणा में बिकती है। महोदय, यह सरकार किसानों की हिमायती होने की बात करती है परन्तु मैं एक बात पूछना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह किसान कुछ भी नहीं मांगता है, यह किसान खुद पैदा करता है। यह सरकार बिजली नहीं देती है यह सरकार उसको भाव नहीं देती है। सरकार सही समय पर उनके उत्पादन का मूल्य नहीं देती है। यह किसान इतनी भीख मांगता है कि जो पैदा करता है, जिन परिस्थितियों में पैदा करता है, जिन कठिनाइयों में पैदा करता है उनको बेचने का साधन बता दें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भिवाडी जो खैरथल से 70 किलोमीटर दूर है, महोदय, भिवाडी का किसान कृषि उपज मण्डी में अपनी फसल ले जायेगा तो उसको 70 किलोमीटर ट्रक में ले जाना होगा। उसका पांच सात रुपया बोली का

(श्री जगमाल सिंह यादव)

भाव तो किराये भाड़े का ही कम हो जायेगा। मैं यह चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, तिजारा विधान सभा क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी नहीं है वह कायम की जाय। किसान और कुछ नहीं चाहता है। बिजली के लिए हम लोग चिल्ला रहे हैं। जैसे कल बिजली मन्त्री ने घोषणा कर दी कि 12 घण्टे नहीं मिलेगी बिजली के बाबत किसान परेशानी उठा रहा है। वह किसान आपसे भीख मांग रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, जो देश को सिपाही देता है, जो देश को खिलाने के लिए पैदा करता है। वह देश को खिलायेगा, उसको बेचने की व्यवस्था कर दो। महोदय, केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि तिजारा विधान सभा क्षेत्र में कृषि उपज मंडी और यार्ड नही बनाया गया, अलग से कृषि उपज मण्डी नहीं खोली गयी तो राजस्थान की पैदावार हालांकि जो ग्रौसत के हिसाब से गेहूं की वसूली हुयी सारे राजस्थान में सर्व प्रथम रहा। सरसों की पैदावार में देखें तो तिजारा सर्व प्रथम रहा। सरसों और गेहूं के हिसाब से यह इलाका अच्छी पैदावार का इलाका है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर यह राजस्थान की पैदावार को हरियाणा जाने से रोकना चाहते हैं और कृषि उपज मण्डी के टैक्स का नुकसान जो राजस्थान सरकार को हो रहा है, यदि इसको बना दिया जाय तो तीन साल में कृषि उपज मण्डी की सारी लागत जो आपकी बनाने में आयेगी तिजारा विधान सभा क्षेत्र में मण्डी बनाने में वह आपको टैक्स के रूप में मिल जायेगी। उससे विकास कार्य भी होंगे। दोनों को ही नुकसान हो रहा है। गेहूं और दूसरी पैदावार, जो राजस्थान खुद भूखा है वह हरियाणा जा रही है चोरी से, टैक्स की चोरी हो रही है। सरकार को टैक्स नहीं मिल रहा है। इस सीमित समय में मैं समझ रहा हूं, महोदय, मैं यह बात कहते हुए कि तिजारा विधान सभा क्षेत्र पंचायत समिति तिजारा, तिजारा विधान सभा क्षेत्र जिसके लिये जमीन भी एक्वायर कर ली है, पंचायत समिति तिजारा ने यह प्रपोजल बनाकर भेज दिये हैं कि पंचायत समिति तिजारा के खसरा नम्बर, मुझे पूरा ध्यान नहीं है, उसका नाम है रानी की बावड़ी, यह जमीन दे दी है, जमीन एक्वायर होने की कार्यवाही जो एक साल से पेंडिंग है, जिलाधीश अलवर के यहां पत्रावली पड़ी हुई है, मुआवजे की बात भी तय हो चुकी है, 17 हजार रुपये प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा भी दिया है लेकिन पता नहीं सरकार क्यों एक्वायर नही कर रही है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि कृषि उपज मण्डी के लिये जो कार्यवाही सरकार ने चालू की है उसको शीघ्र जितनी जल्दी हो पूरा कर दिया जाय तो यह सरकार भी फायदे में रहेगी, किसान भी फायदे में रहेगा।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ग्यारसीलाल।

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल (निवाई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर

(श्री ग्यारसीलाल परिडवाल)

आकर्षित करना चाहता हूं कि भगवान को लाख-लाख शुक्र है कि बारिश हो गयी और बारिश होने से कुछ पीने का पानी मनुष्य के लिये और कुछ जानवरों के लिये भी पानी इकट्ठा हो गया। मैं मेरे क्षेत्र की निवाई वनस्थली की बात आपको बताने जा रहा हूं। मेरे क्षेत्र में काफी संख्या में हैंड पम्प्स जो लगाये गये हैं वे बिगड़े पड़े हुए हैं। उनको कोई जाकर के टच करने वाला भी नहीं है। यह भी आज तक किसी को पता नहीं है कि कौन सी ढाणी में, किस गांव में हैंड पम्प लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं या उनमें पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है या वे खराब हैं। बिल्कुल मालुम नहीं है और गांव के बच्चे यह कहते हैं कि उनकी ढेबरी होती है उसको खोल लेते हैं और कहीं उसका हैंड पम्प है उसको बच्चे अलग ले जाते हैं। कहीं किसी चीज को खोलकर बच्चे घर ले जाते हैं और उसमें इस तरीके से करते हैं कि हैंड पम्प जो होता है उसमें पत्थर डाल देते हैं और पत्थर कूट-कूटकर उसको बिल्कुल ऐसा कर देते हैं कि पैबंद लगा देते है तो कोई सार-संभाल करने वाला नहीं है।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि पीने के पानी की आज भी इस कदर परेशानी है कि मेरे क्षेत्र में कम से कम तीन किलोमीटर से, उपाध्यक्ष महोदय, पीने का पानी लाना पड़ता है लोगों को अब भी। मेरे यहां अनुसूचित जाति के व्यक्ति ज्यादा हैं, वे लोग जब कुएं पर पानी लेने जाते हैं, किसी जागीरदार या जमींदार के यहां, तो पहली बात यह कि वे उन लोगों को कुओं पर चढ़ने ही नहीं देते और मान लो वे आंख बचाकर कुएं पर चढ़ भी गये पानी लेने के लिये तो उनके मटके फोड़ दिये जाते हैं या उनको मारा जाता है। यह कंडिशन मेरे क्षेत्र के अन्दर इस वक्त मौजूद है। कारण यह है कि जो कुएं हैं अनुसुचित जाति के वे कुएं बिल्कुल सूख गये और उनमें बिल्कुल भी पीने का पानी नहीं है। मैं अर्ज करूं कि यह तो है गांवों की कंडीशन कि काफी दूर से पानी लाया जा रहा है, पीने के लिये और उसके यहां कोई हैंड पम्प नहीं है। शहर की यह कंडीशन है। मेरे निवाई वनस्थली में तीन दिन या चार दिन के अन्दर जब नल आते हैं बड़ी मुश्किल से और वह भी एक टाइम के लिये, ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से दस मिनट के लिये वह नल आते हैं जैसे बच्चा पेशाब करता है एक मिनट के लिये और छुट्टी। इस तरह से नल आते हैं और गायब। पैसे की यह कंडीशन है कि पानी के उपर इतना भार बढ़ा दिया कि नल चाहे दस दिन नहीं, पांच दिन नहीं आवे, या दो दिन नहीं आवे, तो नहीं आवे सरकार का बिल तो उतना ही आयेगा जितना रोज के हिसाब से, महीने के हिसाब से आना चाहिये। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब पानी पांच-पांच दिन तक नलों के अन्दर नहीं आता तो मैं यह चाहता हूं कि पानी का बिल जो आता है उसका इतना पैसा क्यों आता है। जब पानी नहीं आता तो सरकार उनसे इतना पैसा वसूलने का क्या हक रखती है? मैं यह जानना

(श्री ग्यारसीलाल परिवाल)

चाहता हूं कि जितने दिन पानी आवे उतना ही पैसा ले, जिनके यहां नल लगे हुए हैं उनसे उतना ही पैसा चार्ज, किया जावे जितना पानी आवे।

दूसरी बात आपके ध्यान में और लाना चाहता हूं, आप के माध्यम से सरकार के कि जब हम यह मालूम करते हैं कि आज नल नहीं आये शहर के अन्दर नल नहीं आये, लोग हमारे पास आते हैं कि साहब आज तो नल आये ही नहीं, न सुबह आये न शाम को आये, हम जलदाय विभाग वालों से मालूम करते हैं कि आज नल क्यों नहीं आये तो वे यह कहते हैं कि साहब बिजली नहीं आयी और जब बिजली नहीं आयेगी तो हम नल कहा से देंगे। जब हम बिजली वालों से बात करते हैं कि ऐसी क्या खराबी हो गयी, बिजली क्यों नहीं आयी तो कहते हैं कि साहब, बिजली तो हमारी बराबर मिलती है। या तो यह लोग टाइम पर जा करके नलों में जो पानी दिया जाता है उसके टाइम पर ये उपस्थित नहीं होते हैं और वह टाइम निकल जाता है। इसका सारा दोष वह हमारे ऊपर थोपते हैं। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसमें अगर मान लें पानी नहीं आया है शहर के अन्दर तो इसमें जनता का क्या दोष है। इसमें बिजली वाले दोषी हैं या पानी वाले दोषी हैं क्या जनता वाले दोषी हैं ? तो इस तरीके से मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जितना पानी नलों के द्वारा शहरों में दिया जाता है उसी हिसाब से उनसे पैसा चार्ज किया जाय। 10 दिन पानी दिया और पूरे महीने भर का वसूल किया जाय यह उचित नहीं है, मेरा यही निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, पीपल्दा क्षेत्र का 18 वां क्षेत्र जिसमें 5-7 पंचायतें आती हैं नियाना, बालूदा, जटवारी और इस तरह से इसके करीब 50 गांव मेरे क्षेत्र में पड़ते हैं जो पीपल्दा क्षेत्र का दूर दराज का इलाका माना जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके में कोटा से गुडला के लिये राजस्थान परिवहन निगम की बसें चलती थीं जिससे इस इलाके के लोगों को आने जाने में बड़ी सुविधा होती थी और जनजीवन व्यवस्थित था। एक बस शाम को चलती थी कोटा से जो रात को जा करके गुडला रहती थी और सवेरे ही वहां से चलती थी जिससे आसपास के इलाकों के लिये दफ्तरों में, अदालतों में आने के लिये बस में बैठ करके आते थे और अपना काम करके वापस आते थे कोटा से उसी वक्त इसमें वापस बैठ कर अपने चले जाया करते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से इस बस को और इससे पहले चलने वाली बसों को, तीन बसें चलती थीं, उनको बन्द कर दिया है। अभी मात्र एक बस चलती है वह भी दिन में जो दोपहर में जाकर पहुंचती है और हाथों हाथ वापस आ जाती है। उस दोपहर में जाने वाली बस का दफ्तरों में, अदालतों में पहुंचने हेतु कोई उपयोग नहीं है। राजस्थान परिवहन निगम के अधिकारियों से हमने इस बात का निवेदन किया, वहां की ग्राम पंचायत

(श्री हीरालाल आर्य)

यतों ने, पंचायत समिति ने भी लिखकर दिया कि हमारा यह इलाका दूर दराज इलाका है, पिछड़ा हुआ इलाका है, इसमें उक्त बसें चलती थीं उनको आपने बन्द कर दिया है जिससे हमारे इलाके के लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है और जनजीवन बड़ा अस्त व्यस्त हो गया है। तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वे कहते हैं कि यहां पर क्योंकि प्राइवेट बस चलती हैं, प्राइवेट बस चलने की वजह से हमने इन बसों को बन्द किया है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह जानकारी देना चाहता हूं कि वहां पर कोई प्राइवेट बस नहीं चल रही है। परिवहन निगम के अधिकारियों की यह सूचना गलत है जिससे उस इलाके में भारी असंतोष है। यही नहीं, इस इलाके के पास ही हमारे उधर से सवाई-माधोपुर का इलाका पड़ता है तो जयपुर जाने के लिये भी उधर सवेरे लोगों को सुविधा होती है और वहां निकल जाते हैं इसलिये इस बस का चलना अत्यन्त आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि कोटा से गुडला चलने वाली बस जो रात को जाकर गुड़ला में रहती थी और सवेरे वहां से चलती थी, यह बस निश्चित रूप से चलायी जाय। साथ ही जो बारां से गुड़ला बस चलती थी उसको भी बन्द कर दिया है। जनहित में इस इलाके के जन जीवन को व्यवस्थित करने के लिये आवश्यक है कि कोटा से गुड़ला और बारां से गुड़ला जो बसें चलती थीं उनको अविलम्ब चलाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शोपत सिंह।

श्री शोपतसिंह (हनुमानगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बिजली का जो स्थगन प्रस्ताव दिया है उस पर बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है। श्री भंवरलाल शर्मा (सरदार शहर)

(अनुपस्थित)

श्री दाऊदयाल जोशी।

(1.00 म. प.)

श्री उपाध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): उपाध्यक्ष महोदय, गत पांच सालों से राज्य में अपराधों की स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती चली जा रही है। ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था ठप्प हो जाने के कारण अपराधी नित्य प्रतिदिन नये नये तौर-तरीके अपनाते चले जा रहे है। सरकार ने सख्त अधिनियम बनाकर जहां अपराधियों, अपराधों को रोकने की कोशिश की वहीं अपराधियों ने छः इंच के चाकू की बजाय उस्तरा और उस उस्तरे के द्वारा लोगों को मारने की प्रतिज्ञा की है। परसों भी इस प्रकार की एक घटना जयपुर में घटी थी। उस से बढ़कर, जब अपराधियों को अपना काम पूरा होता नहीं दिखा तो नयी संस्कृति प्रारम्भ हुई-तेजाब संस्कृति। तेजाब संस्कृति से मेरे कोटा नगर में पिछले पांच सालों में 18 के करीब केस तेजाब से लोगों को मार

(श्री दाऊदयाल जोशी)

डालने या जीवन समाप्त कर देने के हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, घोसी का लड़का, 22 साल का, उस पर तेजाब फेंका गया, अपना सारा जीवन बिगाड़ चुका है। अन्धा हो गया, शरीर से बिलकुल जर्जरित हो गया, अभी धूलेट नामक गांव में एक भगवान नाम के व्यक्ति पर जो वास्तव में भगवान की सेवा में तल्लीन था, कुछ गुण्डों ने योजनाबद्ध, जब वह मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा कर रहा था।....

श्री शोपतसिंह : भगवान नहीं आये।

श्री भंवरलाल शर्मा : रूस जो गये हुए थे।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन है कि वह भगवान की पूजा में लीन था तो अचानक उसके ऊपर तेजाब डाला गया। चार महीने से वह कोटा के अस्पताल में पड़ा हुआ है। सारा शरीर जल गया। जगह-जगह फफोले हो गये, जगह-जगह से उसके अंग निष्क्रिय होते चले जा रहे हैं। चार महीने हो गये। वह ठीक नहीं हो पा रहा। अपराधी पकड़े नहीं गये। नये से नये तौर तरीके अपनाये जा रहे हैं। अभी परसों के दिन राज्य के मुख्य मन्त्रीजी से एक प्रतिनिधि मण्डल मिला था। जयपुर के अन्दर प्रिन्सिपल श्री गोपाल सिंह चूड़ावत पर तेजाब फेंका गया। तेजाब के कारण वह अन्धे हो गये, जन्म भर के लिए अन्धे हो गये। मेरा निवेदन है, इस प्रकार की प्रक्रिया राजस्थान में चल रही है, यह प्रक्रिया और अधिक बढ़ेगी। चूंकि तलवार से मारने वाले पर, हत्या करने वाले पर 302 का मुकदमा बनता है किन्तु तेजाब से किसी व्यक्ति को जलाने वाले व्यक्ति पर साधारण सजा छः महीने की होती है। यह सबसे बढ़िया तरीका अपराधियों को मिल गया है जिस से उसको जन्म भर के लिए अन्धा बना दिया जाय, अपंग बना दिया जाय, पंगु बना दिया जाय, कानून में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि तेजाब फेंक कर जीवन लीला समाप्त करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास या प्राण दण्ड या कठोर सजा का प्रावधान इस एक्ट के तहत हो। मेरा आप से इस प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि राज्य सरकार जब अपने बिल ला रही है, तरह तरह के बिल लेकर 22 तारीख के बाद यहां इस सदन में आयेगी तो इस सत्र के अन्दर तेजाब द्वारा लोगों की जीवन समाप्त कर देने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी कोई कठोर कानून लाये जिस से इस पर रोक लग सके। राजस्थान आज सारा अशान्त प्रदेश है, सारे राजस्थान में गुण्डों के साम्राज्य जैसी स्थिति हो रही है, मेरा आप से निवेदन है कि यह और बढ़ेगी। तेजाब संस्कृति बढ़ती जा रही है। तेजाब के माध्यम से लोगों के जीवन को समाप्त किया जा रहा है। साथ ही अन्त में मैं यह चाहूंगा, मुख्य मन्त्रीजी ने चूड़ावत को विश्वास दिलाया है कि अपराधी निश्चित रूप से पकड़े जायेंगे, अपराधी पकड़े नहीं गये। पांच दिन होने को आये लेकिन आज तक अपराधी किसी भी मूल्य पर पकड़े नहीं गये धूलेट के अन्दर 16 अपराधी थे। 16

(श्री दाऊदयाल जोशी)

अपराधियों में से एक भी अपराधी नहीं पकड़ा गया। जैसा कांग्रेस के माननीय सदस्य कह रहे थे राजनीतिक संरक्षण की बात, मेरा उन पर चार्ज है कि राजनीतिक संरक्षण के कारण 16 अपराधियों में से निकालकर 4 अपराधी झूठ मूठ के रख दिये गये। चार अपराधियों में से एक अपराधी भी आज तक पकड़ा नहीं गया। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इसके लिए सख्त कानून....**अब** यहां तो कोई है नहीं, राज्य सरकार तो गायब है। × × × कैसे मन्त्री हैं। भगवान जाने। सुन नहीं रहे, देख नहीं रहे.......

श्री नत्थी सिंह : सिफारिश करो पूरे हो जाय।

श्री दाऊदयाल जोशी : हमारा बोलना × × × हो रहा है।

उपाध्यक्ष जी, × × × मुझे तो दुख है, आश्चर्य है। अच्छा, मैंने क्या कहा ?

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय सदस्य जी, आप सरकार के सामने बोल रहे हो। जब आपको विश्वास नहीं है तो....

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, यह गम्भीरता देखी जा सकती है। सारी ट्रेजरी बैन्चेज खाली पड़ी हैं। मन्त्री नहीं हैं।

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय सदस्य महोदय, आपकी मजाक शोपत सिंह जी कर रहे हैं न कि सरकार। आप शोपत सिंह जी को कह सकते हैं जो आपके साथ बैठे हुए आपकी मजाक कर रहे हैं। आप सरकार को अपनी ग्रीवान्सेज बता रहे हैं उसको नोट कर रहे हैं। सहानुभूतिपूर्वक देखेंगे।

श्री दाऊदयाल जोशी : शोपत सिंह जी और मैं, हम दोनों विरोधी पक्ष के आपकी खाट खड़ी करने के लिए....

श्री उपाध्यक्ष : × × × शब्द एक्सपंज किया जाय।

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री नत्थी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जब × × × को काट रहे हो तो मन्त्री जी ने कहा है, × × × को भी कटवाइये आप।

श्री उपाध्यक्ष : आप कह रहे हैं।

श्री नत्थी सिंह : इन्होंने कहा, × × × मन्त्री जी ने कहा, × × ×

श्री उपाध्यक्ष : × × शब्द भी एक्सपंज किया जाय।

× × × अभिव्यक्ति/शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैंने × × नहीं कहा मैंने × × कहा। × × शब्द का अर्थ जानते हैं, × × × किसको कहते हैं, बता दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : दोनों शब्द एक्सपंज किये जायं।

श्री दाऊदयाल जोशी : आपने सुना है तो बताइये, मैंने किसका नाम लिया ?

श्री उपाध्यक्ष : दोनों शब्द एक्सपंज किये जायं। श्री लालचन्द।

श्री भंवरलाल शर्मा : अरण्यरोदन तो मुहावरा है, प्रोवर्ब है। इसको कैसे मिटायेंगे आप ?

श्री उपाध्यक्ष : अंग्रेजी में बोल रहे हो आप।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह मुहावरा है, प्रोवर्ब है। जैसे कहते हैं, भैंस के आगे रोना।

श्री छोगाराम बाकोलिया : × × × भी तो मुहावरा है, आपको पता होना चाहिए। आप थोड़ा सा गहराई से मालूम करें। × × × तो मुहावरा है....यह अनपार्लियामैण्ट्री लैंग्वेज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : × × व्यंग्यात्मक शब्द है। कृपया।

श्री नत्थी सिंह : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : श्री लालचन्द।

अरण्यरोदन हो, कोई भी हो रोदन तो रोदन ही है। इसलिए....

श्री लालचन्द (मादरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था। मेरे गांव के अन्दर आज से चार साल पहले एक हॉस्पिटल की मंजूरी हुई थी। उसकी मंजूरी तो काफी पहले हुई थी। आज से चार साल पहले बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी। उसमें करीब 10 लाख रुपये की लागत आयी है। चार साल से, उपाध्यक्ष महोदय, वह बिल्डिंग बीमारों के लिए न होकर आवारा गधे, आवारा कुत्ते, आवारा पशु उसके अन्दर शरण लेते हैं। आज तक उस बिल्डिंग को न तो टेक ओवर किया गया है न ही वहां पर मेडिकल डिपार्टमैण्ट की तरफ से कोई स्टाफ भेजा गया है। न वहां कोई डॉक्टर है, न स्टाफ है, न दवाई है।

एक माननीय सदस्य : छोगाराम जी को ले जाओ, बैठा दो।

श्री लालचन्द : उपाध्यक्ष महोदय, आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं किसी बिल्डिंग के अन्दर काफी समय तक नहीं रहा जाय, काम में नहीं ली जाय तो बिल्डिंग अपने आप खत्म हो जायेगी। यही स्थिति उस बिल्डिंग की हो रही है। बनने के बाद चार

× × × शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री लालचन्द)

साल से उस बिल्डिंग का भी कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। बिल्डिंग बिलकुल खतम होती जा रही है। अब से पहले उसकी फर्श टूट गई, अब से पहले इसकी दीवारें टूट गई हैं और इस बरसात में वह चूने भी लग गई है। तो मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उस बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी हाथ में लेकर, अगर उसमें कोई गलत काम हुआ है, ठेकेदार ने या पी. डब्ल्यू. डी. के आदमियों ने उसका ठीक तरह से निर्माण कार्य नहीं करवाया है, तो उसका बात-चीत करके फैसला करवाया जाय और इस बिल्डिंग को समाप्त किया जाय। लोग वहां से गुजरते हैं, सड़क पर बिल्डिंग है, लोग सरकार की मजाक उड़ाते हैं कि 10 लाख रुपये की बिल्डिंग सरकार ने खड़ी कर दी और इसके अन्दर गधे और आवारा पशु घुस रहे हैं, इससे सरकार की भारी बदनामी है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस बिल्डिंग को टेक ओवर करके इसको सुचारू रूप से चलाने कि व्यवस्था की जाय। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हंसराज मिढा।

श्री हंसराज मिढा (सूरतगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सूरतगढ़ नहर के टूट जाने से जमींदार जो पहले ही उजड़े हुये थे, बाकी जो रह गये थे वह भी उजड़ गये हैं। इस नहर से पानी पता नहीं कितने दिन में आयेगा, कब नहर बनेगी, यह नहर तोड़ी गई है या टूट गई है और कैसे टूटी? सरकार इसकी जांच करे और जिन अधिकारियों की लापरवाही से नहर टूटी है या किसी ने तोड़ी है, जो इसके लिये दोषी हैं, उनको दण्ड दिया जाय और जो काश्तकारों का नुकसान हुआ है उसकी व्यवस्था की जाय। पानी तो पहले ही पीने का नहीं था, काश्तकारों की जो वसूली करनी थी वह बन्द कर दी जाय। वसूली फौरन बन्द करने के आदेश फरमायें। काश्तकारों के लिये अन्न की व्यस्था करें। क्योंकि गरीब और भूमिहीन काश्तकारों के पास खाने को अन्न नहीं है, पशुओं के लिये चारा नहीं है, 60-70 रुपये क्विन्टल चारे का भाव है। जमींदारों के पास कुछ नहीं है, फसल हुई नहीं, वह × × कहां से देंगे। पशु छोड़े जा रहे हैं और सरकार सो रही है। ऐसा होना नहीं चाहिये। इसके बारे में काफी दफा हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं मगर सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया है न तो वसूली बन्द करने का आश्वासन दिया गया है न ही चारे की व्यवस्था के लिये कहा गया है। इसके लिये आप लापरवाही नहीं करें वरना जमींदारों को मजबूर होकर इसके लिये एजिटेशन करना होगा उसके बाद सरकार की नींद खुलेगी। इसलिये मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि इसकी व्यवस्था जल्दी ही संभाल ले. वरना भूखा मरता क्या नहीं करता, मजबूर होकर ऐसी पोजीशन आ जायेगी कि

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हंसराज मिढा)

उसको सड़क पर आना पड़ेगा घर छोड़कर। घर झोंपड़े हैं, बारिश हुई नहीं है, बारिश में उसकी लीपा-पोती चाहियेगी लेकिन वह तो मजदूरी करता फिर रहा है कहीं 4 रुपये दहाड़ी में, कहीं 5 रुपये दहाड़ी में। सरकार उसके लिये कोई तवज्जोह नहीं दे रही है जहां पर ऐसी पोजीशन है सरकार का फर्ज बनता है कि वह लोगों की देख-भाल करे। आज से नहीं पहले से, स्टेट टाइम से करती रही है जिसके लिये कहते हैं कि उस समय तानाशाही सरकार हुआ करती थी लेकिन मैं समझता हूं कि उस समय तानाशाही नहीं थी, ××× उस वक्त तकावियां दिया करते थे-हरेक आदमी को हरेक जमींदार को, हरेक आदमी की मजबूरी को समझते थे, इस बात के लिये ध्यान रखा जाता था। मगर इस सरकार की तरफ से कभी आश्वासन नहीं मिला, हमने मुख्य मंत्रीजी से रिक्वेस्ट की कि जमींदारों की स्थिति ऐसी नहीं है कि अक्टूबर में वसूली का पैसा दे, फसल हुई नहीं है इसलिये वसूली अक्टूबर की बजाय दिसम्बर में कर दी जाय, मगर मुख्य मंत्रीजी ने फरमाया कि नहीं, वसूली तो अक्टूबर में ही होगी। अक्टूबर में कहां से होगी? पानी आज तक नहीं है, नहर बन्द पड़ी है, 40-40 दिन से नहर बन्द पड़ी है, वसूली कहां से होगी? मेरी तो यह समझ में नहीं आता बिना सोचे समझे कोई भी आदेश कर दिये जाते हैं उसको जनता कब तक बर्दाश्त करेगी। अक्टूबर में कौन सी फसल होगी जो सरकार उनसे वसूली करेगी। पिलाई हुई नहीं है, पिलाई अब होगी पानी अगर आयेगा तो। बारिश कहीं हुई है और कहीं नहीं हुई। सरकार इस पर फोरन ध्यान दे वरना मजबूर होकर जमींदारों को एजिटेशन करना पड़ेगा। हम बार-बार सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं मगर सरकार की तरफ से लापरवाही हो रही है। पशुओं के लिये चारे की व्यवस्था की जाय, अगर चारे की व्यवस्था नहीं की गई तो आपके आफिस में फाइलें पड़ी हुई हैं वह पशुओं को डाल दी जायेंगी। इसलिये लोगों के लिये अन्न की, पशुओं के लिये चारे की और वसूली बन्द करने की व्यवस्था करें। अगर इसकी व्यवस्था नहीं की गई तो जमींदार कभी नहीं बच पायेंगे।

मेरे ख्याल से हमारी अनूपगढ़ तहसील, सूरतगढ़ तहसील, पीली बगा, रायसिंह नगर, लूणकरणसर और बीकानेर जहां बारिश तो अब हुई है, घास कब होगी, पिलाई कब होगी? वसूली सरकार को अक्टूबर में चाहिये। सरकार अपने बच्चों की परवरिश करती है तो क्या जनता की परवरिश नहीं कर सकती है, मगर सरकार का इस तरफ कभी ध्यान नहीं गया। सरकार तो अपने बच्चे पालना चाहती है, जमींदारों और गरीबों के बच्चों को नहीं पालना चाहती। यह हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बारे में एजिटेशन होगा और हर हालत में

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री हंसराज मिढा)

हमारी मांगें माननी पड़ेंगी वरना आपको पछताना पड़ेगा, सरकार जो जमी हुई है उसको जनता उखाड़ फेंकेगी ।

धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरीश शर्मा ।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहां जाऊंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरीश शर्मा ।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम भी है ।

श्री उपाध्यक्ष : आपका श्री हरीश शर्मा के साथ नहीं है ।

श्री देवीसिंह भाटी : श्री हंसराज जी मिढा के साथ है ।

श्री उपाध्यक्ष : एक सैकिण्ड, हां, श्री देवीसिंह जी भाटी ।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राजस्थान मुख्य नहर की सूरतगढ़ ब्रांच के टूटने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव दिया था । हालांकि यह बहुत ही गम्भीर मुद्दा है जिसके लिये राज्य सरकार से जानकारी मंगाकर इसके ऊपर हाउस में चर्चा होनी चाहिये थी लेकिन जो व्यवस्था आपने दी वह शिरोधार्य है । मैं फिर भी आपसे यह आशा करूंगा कि आप इसके ऊपर पुनर्विचार करके इस विषय की गम्भीरता को सोचेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह पहला मौका नहीं है कि यह सूरतगढ़ ब्रांच एक दफा टूट गई हो । यह सूरतगढ़ ब्रांच जिसकी लाईनिंग हो चुकी है और लाईनिंग होने के उपरान्त भी बार-बार यह टूटती है । हालांकि यह मुद्दा पूर्व में सदन में काफी बार उठ चुका है लेकिन राज्य सरकार जांच कराना छोड़ कभी अगर कोई शिकायत आ भी जाती है तो किसानों की समस्या का समाधान करने की कोशिश नहीं करती ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सूरतगढ़ ब्रांच में अभी गत 6 माह में बार-बार बन्दी की गई, एक-एक माह की डेढ़-डेढ़ माह की बन्दी रही है, काश्तकारों को पूरा पानी मिला नहीं है और पिछले माह भी यह बन्दी रही और जैसे ही बन्दी आई एक दफा, एक महीने की बन्दी के बाद में पानी आते ही यह लाइन चैनल टूट गई । उपाध्यक्ष महोदय, अब इस नहर की मरम्मत करने के लिये और पुनः इसमें पानी चलाने के लिए कम से कम एक माह लग जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि पूर्व में हमारे माननीय सदस्य, सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने फरमाया कि सूरतगढ़ क्षेत्र के अन्दर किसान बार-बार यह मुद्दा उठाते रहे हैं कि हमें पानी समय पर दिया जाय, हम अपनी रबी की फसल पका नहीं सके, हम खरीफ की फसल बीज नहीं सके

(श्री देवीसिंह माटी)

लेकिन इस राज्य सरकार ने यह प्रयास नहीं किया कि हम पंजाब से अपने हिस्से का पूरा पानी ले लें और इस नहर को पूरी चलायें। बड़ी मुश्किल से पानी आया और आज नहर टूट गई और एक माह लगेगा, उपाध्यक्ष महोदय, इसकी मरम्मत करने के लिये फिर कभी यह चल पायेगी, उस वक्त तक, उपाध्यक्ष महोदय, सारी फसल बर्बाद हो जायेगी। इसलिये अब इसके ऊपर क्या बोलूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर विषय है। इसके ऊपर तो निश्चित तौर पर पूरे हाउस के अन्दर चर्चा होनी चाहिये इस चैनल की कैपेसिटी 17 सौ क्यूसिक की है। उपाध्यक्ष महोदय, 17 सौ क्यूसिक की चैनल अगर टूट जाय और उसके ऊपर हजारों काश्तकार निर्भर हों तो उन काश्तकारों की क्या स्थिति होगी? आज के दिन जिसने अपनी फसल बो दी थोड़ी बहुत, उसको अगर दो माह तक पानी नहीं मिले तो क्या उसकी फसल बच पायेगी लेकिन उसके लिये विभाग तो निश्चित तौर पर हमारी कुर्कियां करके भी वसूली करेगा लेकिन अपनी गलती कतई नहीं मानेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ऑफ इन्दिरा गांधी नहर मंत्री गायब हैं वह इसके ऊपर निश्चित तौर पर इस विभाग के अलावा अन्य किसी विभाग के अधिकारी भेजकर इसकी जांच करवायें कि यह नहर क्यों टूटी और बार-बार इसके टूटने का क्या कारण है। इसके लिये जो दोषी हैं उनको निश्चित तौर पर दण्डित किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि नहर एकदम नहीं टूट जाती, यह कच्ची नाली नहीं है, इसके किनारे के ऊपर बेलदार हैं, चौकीदार हैं और पास में ही जे. ई. एन. रहते हैं ए. ई. एन. का क्वार्टर पास में है। उपाध्यक्ष महोदय, जिस पर चौकीदार रहता है अगर कोई कहीं से तोड़ता है, रात को चौकीदार रहता है तो उस बेलदार, चौकीदार ने अधिकारी को सूचना दी होगी लेकिन इसके अन्दर न तो कोई जानकारी दी गयी है उच्च अधिकारियों को और न इसका पता लगाया गया कि नहर कमजोर क्यों हुई। यह नहर किस प्रकार से टूटी। उपाध्यक्ष महोदय, आज इस क्षेत्र के किसान इस स्थिति में हैं कि पानी तो वहां आ नहीं रहा है और वहां पर, उपाध्यक्ष महोदय, लोगों को पीने के लिये पानी नहीं है। आखिर इस इलाके को उन लोगों को छोड़ना पड़ेगा। जिस क्षेत्र में अन्य कोई स्रोत नहीं है पानी का और न ही वहां पर कोई ट्रैडीशनल सोर्स है पानी का, कुए नहीं हैं, कुण्ड नहीं हैं, सिर्फ कैनाल का एक सोर्स है और अगर दो महीने तक पानी नहीं मिलेगा तो वहां की जनता का क्या हाल होगा। इसलिये मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह चाहूंगा। और आज के मेरे प्रश्न पर भी यह जबाव आया कि यह नहर अलग-अलग जगह पर टूट गयी है। उसमें अलग-अलग आर.डी. बार बताया गया है और अलग-अलग ईयरवाइज बताया गया है कि नहर टूट रही है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों को वहां पर बड़ी चिन्ता हो रही है कि नहर जिसकी लाइनिंग हो चुकी है और उसकी चैनल लाइन अगर बार-बार टूट रही है तो आगे भविष्य में जब यह

(श्री देवीसिंह भाटी)

फुल कैपेसिटी में चलेगी तब क्या होगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार इसके ऊपर उच्च स्तरीय जांच करवाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरीश शर्मा।

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, खानपुर चिकित्सालय की बहुत ही खराब दुर्दशा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं वहां पर गया था। वहां मैंने देखा कि खानपुर चिकित्सालय में रोगी शैयायें गन्दी थीं। वहां पर शैयाओं पर कुत्ते सो रहे थे। वहां दरवाजे और खिड़कियां टूटी हुई थी। वहां पर मैंने देखा कि स्थिति यह थी कि वहां पर रोगी शैयाओं पर नहीं बल्कि नीचे पड़े हुए थे। कोई अपने बिस्तर पर सोया हुआ था वहां पर। जब मैंने कम्पाउन्डर से इसके बारे में पूछा तो कहा कि यह हालत इसलिये है कि हमारे पास में बजट नहीं है फिर मैंने वहां पर जनता के प्रतिष्ठित लोगों से पूछा तो उन्होंने यह बताया कि यहां पर तीन कम्पाउन्डर्स हैं और तीनों ही यहां पर 15-15 साल से चल रहे हैं और यहां पर इन्होंने अपनी दुकानदारी जमा रखी है। अस्पताल में जाते नहीं हैं घर पर ही जाते हैं। वहां पर जो डाक्टर हैं उसमें एक पति-पत्नि दोनों ही वहां पर डाक्टर हैं और एक डाक्टर का पद वहां पर रिक्त है। अस्पताल की दवाइयां हैं। वह मरीजों को नहीं दी जाकर बाजार में बेच दी जाती हैं और उन दवाइयों के रोगियों से पैसे लिये जाते हैं। वहां पर डाक्टर और कम्पाउन्डर पैसा लेकर दवाई देते हैं। यह दुकानदारी यह लोग अस्पताल के बाहर करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, खानपुर तहसील का खानपुर अस्पताल सबसे बड़ा अस्पताल है। खानपुर से झालावाड़ की सड़क टूटी हुई है और सड़क टूटी हुई होने के कारण से मरीज झालावाड़ जा नहीं सकते हैं और वहां पर मरीजों को मजबूरी में डाक्टरों को पैसा देकर इलाज कराना पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय वहां एक केस आया था। वह झगड़े का केस था। उसके सिर पर चोट लगी थी। वहां पर पुलिस भी थी। जब डाक्टर से कहा गया कि आप इसको देख लो तो डाक्टर ने कहा कि इस रोगी का सहायक कौन है उसको मेरे पास भेज दो। उसने यह भी कहा कि हजार रुपये दे देना तो जो चाहे वह रिपोर्ट बना कर दे देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस तरह से डाक्टर वहां पर किसी छोटी चोट को गम्भीर चोट बता कर गम्भीर मामला बना दें और गम्भीर चोट वाले को साधारण केस की रिपोर्ट दे दे तो निर्दोष आदमी तो इसमें फंस जाता है और जो जुर्म करने वाला होता है वह बच जाता है। अगर वहां से डाक्टर या कम्पान्डर का ट्रांसफर किया जाता है तो वह दस हजार रुपये तक वापिस ट्रांसफर करा कर आ जाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां के चिकित्सालय की हालत को सुधारा जाय और वहां पर जो चिकित्सालय के लिये बजट थोड़ा है वह बजट बढ़ाना जरूरी है। और वहां पर जो डाक्टर्स और कम्पाउन्डर्स है उनकी जांच करके उनके खिलाफ कार्य-

(श्री हरीश शर्मा)

वाही करना बहुत जरूरी है। वहां पर जो एक वरिष्ठ डाक्टर का पद रिक्त है उसको भरा जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती वसुन्धरा राजे।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल जो चर्चा हाउस में हुई थी उसी के सन्दर्भ में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। इस किरोड़ीलाल धीरेन्द्रपाल फर्म ने जो कारनामे वहां धौलपुर क्षेत्र में किये है। उसके लिये बताया जाता है कि वह लीज जो थी, सन् 1969 में ली गयी थी और बताया जाता है कि दो तीन साल बाद किरोड़ीलाल धीरेन्द्रपाल नहीं रहे। आज वह लीज पावर ऑफ अटोर्नी बनकर बताया जाता है कि हमारे यहां जो भूतपूर्व विधायक बनवारीलाल जी, मुरारीलाल और उनके परिवार के हाथ में है और बेनामी ट्रान्जैक्शंस हुए हैं। प्रद्युम्नसिंह जी ने जब वे मंत्री थे सन् 1983 में उन्होंने इस लीज को कैंसिल कर दिया क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि उसमें तीन लाख रुपया बकाया था। उन्होंने डेढ़ लाख रुपया बकाया का जमा करा दिया और वापिस लीज ले ली अपने नाम पर लेकिन फिर भी डेढ़ लाख रुपया बकाया आज भी चल रहा है। आडिट एकाउन्ट्स से ऐसा मालूम पड़ता है कि एक लाख 25 हजार रुपया और इयूज उनके नाम से निकाले गये हैं फिर भी उनकी लीज के पट्टे कैन्सल नहीं किये गये हैं और इसमें माइनिंग हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, यह लीज माइनर मिनरल लीज रूल्स के अन्तर्गत पांच बार लीज रिन्यू हो चुकी थी और अब छठा रिन्यूअल लीज का चल रहा है। इसमें इतने घपले हुए हैं फिर भी वे बिना रोक-टोक के अपने काम में लगे हुए हैं, भ्रष्ट कारनामे हो रहे हैं वहां पर, वे आराम से चल रहे हैं। धौलपुर में उपाध्यक्ष महोदय, एक चारागाह की जमीन है सूरजपुरा गांव में वहां पर, उपाध्यक्ष महोदय, अवैध उत्खनन हो रहा है और इसकी कितनी सीमा बढ़ती जा रही है। सूरजपुरा गांव का सर्वे हुआ था तब खसरा नम्बर 573, 575, 578 जो कि 138 बीघा 11 बिस्वा है, यह चारागाह की जमीन है उसको भी छोड़ा नहीं जा रहा है। यह चारागाह की जमीन है फिर भी माइनिंग हो रही है शायद सरकार को इसका मालूम नहीं है। वहां के जो माइनिंग इन्सपैक्टर और माइनिंग इन्जीनियर है वह बतायें, उनका फायदा तो कुछ होने वाला नहीं है सभी एक दूसरे की जेब में हाथ डाले हुए हैं, सभी एक दूसरे से मिले हुए हैं और रॉयल्टी प्रति टन गवर्नमेन्ट को जो मिलनी चाहिये उसमें सरकार को नुकसान हो रहा है। आज रूल्स का वायोलेशन यह फर्म कर रही है। यहां फर्म कर रही है बोनस एक्ट का, प्रोविडेन्ट फण्ड एक्ट का मिनीमम वेजेज एक्ट को माइनिंग सेफ्टी एक्ट का इन्कमटैक्स एक्ट का और सैल्स टैक्स का तो वायोलेशन हो ही रहा है क्योंकि जो पर्चियां बनती हैं वह आप सभी जानते ही हैं कि कम दामों की बनती हैं। उसमें जो पैसा एक्चुअली लिया जाता है उससे कई

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

गुना ज्यादा होता है इसलिये मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि आज जो माइनर फण्ड मिनरल कंसेशन एक्ट जो है जो कि सन् 1977 में बनाया गया था, उसमें कोई प्रोवीजन नहीं है कि माइनिंग हो पब्लिक यूटिलिटी प्लेस पर यह जो चारागाह की जमीन है यह पब्लिक यूटिलिटी की लैंड है। चाहे आपको शायद मालूम नहीं हो इस वजह से माइनिंग हो रही है। मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप इस ओर ध्यान दें वहां के आफिसर्स को आप स्ट्रक्चर दें और उनको बता दो कि यहां पर माइनिंग बिलकुल नहीं होना चाहिये। यहां पर माइनिंग बिलकुल रोक दी जाय इसके अलावा जो लेबर वहां पर, एम्बलाम है उसका भी बहुत भारी नुकसान हो रहा है। सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगी कि छोटे पत्थर की और बड़े पत्थर की अलग-अलग प्रोसेसिंग होती है। वहां पर बताया जाता है कि छोटे पत्थर फोड़े जा रहे हैं जब कि वाकई में वहां पर बहुत बड़े पत्थर फोड़े जा रहे हैं। वहां पर करीब 20 हजार से अधिक लेबर काम कर रही है। उन लोगों को अपनी लेबर के पूरे दाम जो मिलने चाहिये वह नहीं मिल रहे हैं। उन्हें छोटे पत्थर के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं। आपको लेबर की तरफ ध्यान देना चाहिये। आपको भी यह देखना चाहिये कि कहां-कहां पर माइनिंग हो रही है और कहां पर जो जमीन पब्लिक यूटिलिटी की है, उसमें यह माइनिंग तो नहीं हो रही है। हमारे यहां के माइनिंग के जो अधिकारी हैं वह भी मिले हुए हैं क्योंकि उनको इसमें फायदा है और जो रॉयल्टी राज्य सरकार को मिलनी चाहिये वह नहीं मिल रही है। इसलिये मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर कहना चाहूंगी कि वह इस पर बहुत गौर करे और जो क्लीन सरकार था नारा देकर कांग्रेस सरकार वापिस आई है। यह उसके नाम पर बहुत बड़ा धब्बा लगता है। 25 वर्ष से हम इस प्रकार का काम धौलपुर में देखते आ रहे हैं। उम्मीद थी कि शायद अब बदलाव आयेगा, परन्तु जैसा काम वहां चल रहा है उससे निराशा होती जा रही है और मुझे लगता है कि वहां कुछ नहीं होने वाला है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि आप राज्य सरकार को, मंत्री महोदय को जल्दी से आदेश दें कि इसमें बहुत जल्दी कुछ किया जाये, रोक-टोक हो और हाउस को भी इसके बारे में बताया जाये, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह क्लीन सरकार नहीं है, यह तो क्लीन सेव्ड सरकार है। वह निकाल दिये हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यहां तो सरकार के नाम पर एक ही छोगाराम जी जमे

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बैठे हैं । चाहे कितनी भी सरकार जायें यह जमे रहते हैं ।

श्री छोगाराम बकोलिया : इस काम्पलीमेंट के लिए आपको धन्यवाद ।

श्री नाथूसिंह : लेकिन सरकार की समझ में नहीं आता कि क्या बोला जा रहा है ।

श्री छोगाराम बकोलिया : यह तो आपकी समझ की बात है, हमें तो सारा समझ में आता है ।

श्री नाथूसिंह : बोलते ही नहीं, सरकार चुप बैठी रहती है ।

श्री छोगाराम बकोलिया : यह समय नहीं है कि बोला जाये, आपकी सुन रहे हैं इस समय ।

श्री शिवचरण सिंह : आप इतनी बात बता दो कि जो इर्रेगुलेरिटीज बताई हैं उस पर कुछ न कुछ कार्यवाही होगी ?

श्री शोपत सिंह : आप कोई महसूस कर रहे हैं कि इधर सरकार बैठी है ।

श्री छोगाराम बकोलिया : मुझे तो विरोध पक्ष वालों का भी पता नहीं, मुझे तो यह भी महसूस नहीं हो रहा कि वह भी बैठे हैं, मौसम के साथ वह भी ठण्डे हैं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे तो कहीं सरकार दिखाई नहीं देती ।

एक माननीय सदस्य : आपके लिये तो हमारा एक ही खिलाड़ी काफी है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1981 की बाढ़ में मेरे जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में, जयपुर शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में 110 बंधे टूटे । कुल 13 पंचायतें मेरे ग्रामीण क्षेत्र में आती हैं । मैंने सरकार को बार-बार कहा कि मेरे यहां पर बधों का निर्माण किया जाये । मैंने उनको विशेष परिस्थितियां भी बताई । डंगरवाला बंधा, खटीकों का बंधा और साहिबा का बंधा यह तीन बंधे नकाटा पंचायत में हैं मैं केवल बंधों की बात कह रही हूं, तीनों बंधे तलाई में शामिल नहीं है, तलाई भी टूटी है । उसमें तीन बंधों का पानी, डंगरवाला बंधे का पानी खटीकों में आ गया और खटीकों के बंधे का पानी साहिबा में आकर पानी इकट्ठा हो जाता था । इसके लिये एक रोक बनी हुई थी । लेकिन हुआ क्या कि वह तीन बंधे टूट गये और उस को सरकार ने नहीं बनाया । बंधे जो नहीं बनाये, जिसमें तीन बंधों का पानी आता था, खारीवाल का बंधा उसमें भी रपट बना दी तो बंधे का सारा पानी निकल गया । अगर हम आसमान की तरफ आज देखें कि आने वाली बरसात में कुओं में पानी की सीर हो जायेगी या हमारे आने-जाने का रास्ता ठीक होगा ? नकाटा के बंधों की यह हालत है । भानपुर कलां के बंधों में से होकर जाना पड़ता है जो पुराना बंधा था उसमें रेत ही रेत है । गाड़ी या साइकिल जो भी जाती है, फंस जाती है, पानी है ही नहीं । आज बरसात आई तो

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

लोगों को आशा बंधी कि भानपुर कलां के बंधे में पानी आयेगा तो लोग फिर से रहने लगेंगे अन्यथा ऐसा लगता था कि उनको भानपुर से बाहर जाना पड़ेगा । पीने का भी पानी नहीं था, पशुओं के लिए पानी नहीं था इसी प्रकार हम देखेंगे कि बासना में 11 बंधे हैं । निमी का बंधा, पलीतों की ढाणी का बंधा, जीमलों की ढाणी का बंधा, मुर्दो की ढाणी का बंधा इस तरह से सारे बंधे टूट गये ।

श्री नाथूसिंह : पहले जिन्दों की ढाणी हुआ करती थी अब मुर्दों की ढाणी हुआ करती है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पलीतों की भी है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप ऐसे ही मुस्करा कर बोला करें सारा समय तो अच्छा रहे ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह शुद्ध संस्कृत का शब्द है उसका नाम है बासना ।

श्री उपाध्यक्ष : कई बार चेहरों पर शिकन दिखती है तो अच्छा नहीं लगता ।

श्री शोपत सिंह : आपका गुस्सा भी देखा है ।

श्री नाथूसिंह : आप भी इसी मूड में रहा करें ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो इसी मूड में रहता हूं, इसी मूड में आपको चाहता हूं । सारे हाउस को चाहता हूं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : खैर मुझे जो हंसी आ रही है आप क्यों हंस रहे हैं । यह हंसने की बात नहीं है । मैं इतनी परेशान हूं इन सबसे कि मैं आपसे क्या कहूं । नागलपुर का बंधा, मैंने सड़क से उस गांव में जाते थे । बंधा टूट गया, गांव में जाने का रास्ता नहीं बचा । इन्दरगढ़ से बंधे के टूट जाने से गांव को दो भागों में बांट दिया और इतनी बड़ी दरार पड़ गई जिसको बांधा जा सकता था । अगर उसमें एनीकट लगा दिया जाता तो बंधा भी बचाया जा सकता था, पानी भी हो जाता और रास्ता भी बच जाता, लेकिन सरकार ने वह नहीं किया । मैंने अलग-अलग ढंग से लिखकर दिया, मंत्रियों से मिली, इनके विभाग के अध्यक्षों से मिली लेकिन काम नहीं हुआ कई बार तो यह अफसोस होता है कि ये लोग सोच क्या रहे हैं । जो लोग कहते थे कि अगर बरसात से हानि हुई है, बाढ से हानि हुई है तो पैसे की कमी नहीं आने दी जायेगी और काम पूरे करा दिये जायेंगे । जमवा-रामगढ़ में एक बड़ा बंधा है जिसको जमवारामगढ़ बंधा कहते हैं, लेकिन ठीक उसके पीछे भैरूंजी का बंधा है उसमें टूटकर सारा जो एरिया था उसको ध्वस्त कर दिया । उसके बाद सीरों का बंधा है सीरे नहीं मीणा जाति के लोगों की एक जाति होती है उसको सीरा कहते हैं, उस बंधे ने टूट कर बस्ती को क्षति पहुंचाई । वहां की पंचायत का साऊ बांध है उसमें थोड़ा काम

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

करना शुरू किया गय, लेकिन चौबीस हजार रुपये खर्च करने के बाद, जिसकी सेंक्शन पचास हजार हुई थी, वह बांध का टुकड़ा बचा हुआ था बाकी का बंधा टूट गया और चौबीस हजार खर्च करके वहां से पार हो गये। मैंने इनको रोका और कहा कि काम करो। उपाध्यक्ष महोदय, बीसों गायें बह गई, भैंसें बह गई, बकरी बह गई, आदमी बहते-बहते बचे। वहां पर तम्बाकू की खेती का सहारा है, वहां की जमीन बह गई, लोग बेरोजगार हो गये सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी, यही कहना चाहिए कि काम नहीं हुआ। अब यहां रावेरी पंचायत के बांध पर नोलपुरा बंधा टूटा, सारी खेती की जमीन मिट्टी-मिट्टी हो गई। उसको ठीक नहीं किया और बांध को नहीं बांधा। उसमें कुछ पैसा लग जाता समय पर तो वह बंधा बचा सकता था और इस आने वाली बरसात में हमको पानी नसीब हो सकता था। हमारा यहां पर खेती के लिये कोई सिंचाई की योजना नहीं, सिर्फ इन्हीं बंधों से या कुओं से जो थोड़े बहुत खेती होती है, बिजली लगा दी गई, इसलिये कुछ खेती हो जाती है. लेकिन बंधों का सहारा हमसे टूट गया।

इसी प्रकार से कापड़ का बंधा है जिसको एक लाख रुपये लगाकर बनवाया था, वह पानी आने के कारण दो बार टूट गया। उसके आस पास की जो छोटी तलाई हैं वह भी टूट गई उनको नहीं बांधा। ट्रक गाली का नाला इसी पंचायत में आता है उसमें जनता पार्टी की सरकार ने काफी काम कराया था लेकिन 1981 की बाढ़ ने उसको भी तोड़ दिया। उसकी चपेट में बीस ढाणियां आती हैं और तीन गांव आते हैं। अगर यह पानी बहता जायेगा तो उनको निश्चित रूप से क्षति पहुंचेगी। नायडा में सरका बांध और सामोरी का बांध था और जो लक्ष्मण घाटी के रास्ते पर बना हुआ था वह टूट गया, उसको बांधने का कोई काम नहीं हुआ। बहते-बहते उसमें तीन आदमी पकड़े गये। अब फिर पानी बह जायेगा. नायडा वाले फिर चिल्लायेंगे, त्राहि त्राहि मचेगी, लेकिन काम नहीं होगा। उस पर अगर सड़क बनाई जाती तो बंधा रुक सकता था, लेकिन बंधे के ऊपर सड़क नहीं बना रहे, अगर वह बंधे में बन जाती तो जाने का सीधा रास्ता हो जाता और बंधे के नीचे से होकर मिट्टी में लोगों को जाना पड़ता है, मैं समझती हूं कि बड़ी असुविधा की बात है। साजोरी के बंधे में थोड़ा बहुत पैसा लगाया और वह लगाकर जब जांच करने के लिये गये कि मजदूरों को पैसा दे दिया जाय तो मजदूरों को पैसा नहीं देकर एक नोट लगा दिया कि आधे नाबालिग हैं। अरे आधे नाबालिग हैं तो कौन से बालिग हैं हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि बालिग कौन हैं, नाबालिग कौन हैं। इस पर निशान लगा देते कि यह बालिग हैं और यह नाबालिग हैं। सारा का सारा पैसा पड़ा हुआ है, मजदूर लोग रोज रोते फिर रहे हैं हमारी जान को, उनको पैसा नहीं दिया जा रहा, गरीब लोगों को सताया जा रहा है। न सहारा सुविधा कोई नहीं है और न मजदूरी का पैसा।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

अब हम आ जायें इन्दरगढ़ पंचायत में जो एक बंधा था और स्टेट टाइम से बना हुआ था वह बंधा टूट गया। उसके टूटने से हमारी इतनी क्षति हुई कि जितनी और किसी पंचायत समिति की नहीं हुई। सरपंच भी उस क्षति में बह जाते, बच गये। मैं समझती हूं कि इस पंचायत में अगर अब पानी आयेगा तो टूटे हुए बंध के सहारे, इसके सहारे जो पांच बड़े गांव बसे हुए हैं पालीकोलेना, चुगलपुरा और चादेलावाला यह तो बह ही जायेंगे लेकिन इन्द्रगढ़ खुद भी नहीं बचेगा ऐसी स्थिति यहां पैदा कर दी गयी है।

रूपवास पंचायत में रूपवास एक टापू हो गया। चारों तरफ उसके बंधे और बहता हुआ पानी, उसमें जाने आने का कोई रास्ता नहीं। उसी में जाने के पहले रास्ते में घाऊपुर बंधा पड़ता था वह टूट गया। अब उसके ऊपर मुश्किल से डेढ़ गज का रास्ता बचा है। न तो उसमें गाड़ी जा सकती है, न बैलगाड़ी जा सकती है और न जीप जा सकती हैं और ना कोई आदमी जा सकता है। ऐसा लगता है कि उस पर चलते हुए कि इधर गिरेंगे या इधर गिरेंगे। अंधेरा होता है तो उसमें निकलना रात के वक्त में मुश्किल होता है। आये दिन दुर्घटनायें घटती हैं। मूंडला बांध जो टूटा वह भी हीरावाला के सामने से रास्ता दो फर्लांग का था। दो फर्लांग के बाद बांध पर होकर रास्ता था जिसके दोनों तरफ बंधा था मूंडला से तो वह बंधा टूट जाने से बीच में दीवार गिर जाने से एक खण्डहर खड़ा हो गया और लोग घूम करके, तीन मील होकर, मूंडला में जाना पड़ता है और वह रास्ता भी नदी में है। फोर व्हील की जीप भी जिसमें नहीं जा सकती। इस तरह से गांव वालों को सामान ले जाने में असुविधा, आने जाने में असुविधा और पानी की उपलब्धता में असुविधा है। मैं समझती हूं कि इस सरकार का इन विशेष परिस्थितियों की ओर बराबर इनका ध्यान दिलाया गया उस पर भी काम नहीं किया और ऊपर से यहां पर बैठकर यह बात कही जाती है कि हम लोगों को सुख देने वाली सरकार लायें हैं। यह सुख है ? हर दिन यहां पर बात होती है लेकिन कहीं भी इस सरकार को न यो शर्म आती है, न काम करने की इच्छा जागृत होती है। पता नहीं कौन सा मंत्र कहां पढ़कर आये हैं जो इनमें कोई चेतना आ सके और सचेत होकर सोच सकें कि इनका क्या कर्त्तव्य है और इन्हें क्या करना चाहिए....

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा लगता है कि आप अब समाप्त करने वाली हैं अपने भाषण को।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं 110 बंधों के नाम गिनाऊं और उनके पास में पड़ने वाले खदान के, छोटे-छोटे तलाइयों के नाम गिनाऊं तो समय खराब होगा। इसलिए....

श्री उपाध्यक्ष : आपने जो कमैन्ट किया उसके बाद समाप्ति का समय आ जाता है।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : ....यह आपने ठीक ही सोचा । मैं खुद जाकर श्रमदान करूंगी । वहने तो नहीं दूंगी लेकिन इनको जितना धिक्कार दे सकूं उतना तो मुझे देना ही चाहिये, उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे बतायें, जिस 13 पंचायतों के 110 बंधे टूटे....

श्री उपाध्यक्ष : काफी हो गया । ध्यान आकर्षण है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : नहीं, मुझे बताइये आप कि उन पंचायत के लोगों को और वहां के निर्वाचित लोगों को क्या करना चाहिए । इन्हें घेरें, इन्हें पकड़ें, इन्हें ठोकें क्या करें ? कैसे काम करेंगे ? मैं समझती हूं कि मेरे ध्यान आकर्षण से ही सचेत होकर इन्हें काम पर लग जाना चाहिए । एक ही मंत्री बैठे हैं और वह भी बातों में मशगूल । माननीय भाटी जी आप यह बात लिख लें । मैंने 13 पंचायतों के 110 बंधे टूटने की बात कही है । कौन कौन से बताइये ? एक बंधे का नाम गिना दीजिए । बताइये ना । ऐसे कागज दिखाने से तो काम नहीं चलेगा । अगर आपने लिखा है एक दो लाइन ही पढ़कर बता दीजिए, मैं आश्वस्त होकर बैठ जाऊंगी । मैं समझ लूंगी कि काम के प्रति आपकी रुची जागृत हुई । कृपा करके एक या दो बंधों का नाम गिना दीजिए ।...

(व्यवधान)

आपने मुझे इशारा किया तो मैं समझी कि आपने वास्तव में लिखा है । मुझे कुछ सहारा मिला । लेकिन आप तो उठ ही नहीं रहे । बोल ही नहीं रहे । बैठे बैठे ही बोल दीजिए कौन से बंधे का नाम आपने सुना ?

उपाध्यक्ष महोदय, इनको जरा समझाइये यह हाउस में × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल रही हैं बीच में उनको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ....लो मैं बैठती हूं । आप एक बंधे का नाम बता दें, मुझे आशा हो जायेगी कि आप कुछ काम करेंगे । और अपने सहयोगी जिनकी शामिल जिम्मेदारी है उनसे कोई बात करेंगे । मैं बैठती हूं, उपाध्यक्ष महोदय, इनसे जरा एक बंधे का नाम पूछ लें....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं मेरी बात समाप्त करती हूं और आशा करती हूं कि सरकार इस पर कुछ ध्यान देगी अन्यथा लोगों को जो वह कदम उठायेंगे उनकी सारी जिम्मेदारी इस सरकार की होगी ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरलाल (सरदारशहर) : कृपा करके अफसोस जाहिर करें बोलने से पहले । आप उपस्थित नहीं

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री उपाध्यक्ष)

थे । उस समय इसलिए अफसोस जाहिर करें । माननीय भंवरलाल जी शर्मा आपसे नहीं कह रहा हूं ।

श्री भंवरलाल (सरदारशहर) : उपाध्यक्ष महोदय मैं समय पर नहीं पहुंच सका उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं।

श्री रामसिंह विश्नोई : समय पर कहां नहीं पहुंचे ?

श्री भंवरलाल : सदन में ।

श्री उपाध्यक्ष : अब बोलें ।

श्री भंवरलाल (सरदार शहर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विशेष तौर से एक ऐसी समस्या, स्थगन प्रस्ताव के जरिये सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि समय रहते अगर सरकार उस मामले में नहीं चेती तो सरदारशहर में भयंकर तबाही हो जायेगी । अभी भी बीस, बीस और पच्चीस, पच्चीस आंगल बरसात हुई है । मेरे पास अभी एक चिट्ठी आई है सरदार शहर से आज ही, उसमें लिखा है कि चौधरियों का मोहल्ला और वहां का सब्जी मार्केट, क्योंकि मैं वहां वर्षों से रह रहा हूं मुझे वहां की स्थिति का पता है, थोड़ी सी बरसात होने पर शहर इस ढंग से बसा हुआ है कि शहर के चारों ओर का पानी बाजार में इकट्ठा हो जाता है । दुकानों के अन्दर पानी घुस जाता है और अनाप शनाप जिस घाटे की पूर्ति मैं आपको नहीं बता सकता कि कितना नुकसान बरसात की वजह से होता है । आई साल होती रहती है । तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा एक विशेष यही अनुरोध है कि वहां की नाली, बनी हुई है शहर के गन्दे पानी की निकासी के लिए, वहां चार पम्प लगे हुए हैं, जिसमें से दो पम्प तो पी.एच.ई.डी. के हैं और दो नगरपालिका के हैं । मैं विशेष तौर से यह अर्ज करना चाहता हूं कि आज को तारीख में वह चारों पम्प बन्द पड़े हैं । अगर थोड़ी बहुत और भी बरसात हो गयी और सरकार ने समय रहते कोई ध्यान नहीं दिया-हम चाहते हैं बरसात होनी चाहिए और बरसात होगी, तो उस स्थिति में उस शहर का क्या होगा आप अन्दाज लगा लीजिए । इसलिए मेरा विशेष तौर से यही अनुरोध है कि उन मशीनों को तुरन्त चालू कराया जाये और बरसात के जरिये जो धीरे धीरे पानी नाली में आया है उससे वहां के मोहल्लेवासियों की इतनी भयंकर दुर्दशा हो रही है और उस गन्दगी का पानी पूरे शहर में बदबू दे रहा है । लोगों के आवागमन का रास्ता अवरोध हो गया है, निकलने का कोई रास्ता रहा नहीं है । ऐसी स्थिति में सरकार को समय रहते हुए सचेत होकर वहां जो पम्प लगे हुए हैं उन मोटरों को चालू करवा कर पानी निकासी का कोई रास्त निकालना चाहिए । भविष्य के लिए सारी ड्रेनेज की स्कीम बनती है तो मैं पिछले दिनों कलकत्ता गया था और हमारे सरदार शहर के प्रवासी हैं वहां भी आधा सहयोग, अगर 50 लाख रुपया लगेगा तो 25 लाख रुपया लेकर देने की मेरी जिम्मेदारी है, बाकी सहयोग सरकार करे । मैं उन

(श्री भंवरलाल)

प्रवासियों की तरफ से वह पैसा पहले जमा कराने को तैयार हूं । इस स्थिति में तुरन्त यह व्यवस्था नहीं हो सकती मैं मानता हूं, परन्तु इस बरसात की स्थिति को देखते हुए उन पम्पों को चालू करवा कर वहां की जनता है उसको राहत दिलाई जाये । धन्यवाद,

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिजली की दरों में वृद्धि के सम्बन्ध में आप बोल लें । एक निवेदन करता हूं कि मुस्करा कर बोलें. अच्छा बोलें । नाराजी से नहीं । श्री नाथूसिंह, नाराजी भी मुस्कराते हुए होती है ।

श्री नाथूसिंह ; उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि ऐसा वातावरण पैदा करें....

श्री उपाध्यक्ष : एक निवेदन करूंगा कि इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है इसलिए थोड़ा थोड़ा बोल दें तो अच्छा रहेगा । बहुत महत्व का प्रश्न है, गम्भीर विषय है । यह तो है ही, तो उसमें थोड़ा। थोड़ा बोल दें ।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा पाठ्य पुस्तक के लिए....

श्री उपाध्यक्ष : पहले बिजली को देख लें । बिना बिजली के पढ़ेंगे किस में ? रोशनी नहीं होगी तो आप कहेंगे अंधेरा है....

श्री भंवरलाल शर्मा : क्रमश: बोल रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : असल में इस पर भी बहुत बात हो चुकी हैं, पाठ्य पुस्तकों के बारे में काफी चर्चा हो/ चुकी है, माननीय सदस्य ।

श्री भंवरलाल शर्मा : मुझे बोलने के लिए समय के लिए कहा है माननीय अध्यक्ष ने कि आप बोल लें ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल लीजिए ।

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है कि पत्रकार लोग हैं, इन पत्रकारों के लिए मुख्य मंत्री जी की मीटिंग में यह बात हुई थी कि पत्रकारों के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है इसमें कुछ कर देते हैं उसके लिए यह संशोधन हुआ था कि उनको फ्री किया जायेगा राजस्थान स्टेट रोडवेज की बसों में....

श्री उपाध्यक्ष : पत्रकारों के लिए ?

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : हां पत्रकारों के लिए ।

श्री उपाध्यक्ष ; आज नहीं है । शायद अब आयेगा ।

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल :....छोटे और बड़े जितने पत्रकार हैं उन सब को राजस्थान रोड़वेज की बसों में फ्री किया जाये ऐसा

(श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल)

मेरा स्थगन प्रस्ताव है । ग्राज तक नहीं ग्राया ।

श्री उपाध्यक्ष : ग्रापका शायद ग्राज नहीं है कार्य सूची में । ग्यारसीलाल जी ग्राज नहीं है ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादा ग्रच्छा होता कि माननीय कमला जी यहां उपस्थित रहती क्योंकि विषय जब डिस्कस किया था दो दिन पहले तो उन्होंने सदन को जानकारी दी ग्रौर यह कहा था कि मैं जानकारी सदन को बताऊंगी कि पाठ्य पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं या नहीं हैं । वह जानकारी ग्रभी उनके किसी बस्ते में बंध रही है या वह जानकारी दे नहीं पा रही हैं । उस दिन करीब करीब सभी माननीय सदस्यों ने कहा था कि पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं है । उन्होंने कहा था मैं स्वयं जाऊंगी बाजार में । मेरा विश्वास है कि वे गई होंगी ग्रौर जाने के बाद उनको वही जानकारी मिली होगी जो माननीय सदस्यों की थी । यहां ग्राकर उत्तर देना उचित नहीं समझा कि बाजार में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं । उपलब्ध होती तो उत्तर देतीं । लेकिन कुछ कहने के पहले ग्राप कुछ कहेंगे ।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : नहीं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, जब सारे सदस्यों ने ग्रपनी चिन्ता व्यक्त की कि बाजार में पाठ्य पुस्तकें नहीं हैं तो पाठ्य पुस्तक मण्डल को थोड़ी चिन्ता हुई ग्रौर उसने बाजार में कुछ पुस्तकें उपलब्ध करवाई । ग्रब कौन से विषय की उपलब्ध नहीं हैं वह विषय नहीं लूंगा लेकिन जो उपलब्ध कराई है उनके बारे में ग्रापका ध्यान ग्राकर्षित करना चाहूंगा । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजनैतिक भेदभाव ग्रापने सब जगह सुना यह कांग्रेस के लोग करते हैं ग्रापको भी इस बात की जानकारी है, लेकिन पुस्तकों की बिक्री में राजनैतिक भेदभाव होता होगा यह ग्रभी तक जानकारी ग्रापको नहीं ग्राई है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री छोगाराम बकोलिया : यह बात ग्रापकी निराधार मानता हूं । किसी प्रकार का जोर नहीं है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : ग्रब जरा ग्राप ध्यान से सुनिये, क्योंकि ग्रापने इन्टरवीन किया है न ? ग्रब मैं ग्रापसे कहूंगा उठकर मत जाना जब तक मेरी बात पूरी न हो जाये ग्रौर ध्यान से सुनना ग्राप ।

श्री पंकज पंचोली : मेरी जिम्मेदारी है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : जमानत तो मोतबर ग्रादमी की लगती है, श्रीमान् ।

श्री छोगाराम बकोलिया : ग्रगर ग्रापने यहां वकालत करना शुरु किया तो बात ग्रलग है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : अब, उपाध्यक्ष महोदय, आपके सामने यह कक्षा 8 की हिन्दी की पुस्तक है। यह भारतीय जनता पार्टी या जो विरोधी लोग हैं उनके लिये कीमत 4 रुपया 35 पैसे और इनके××× और कांग्रेस के लोगों के लिये 2 रुपये 35 पैसे। यह मैंने नहीं लिखा है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य जो खरीदने जाते हैं उन पर कोई तगमा रहता है क्या ?

श्री छोगाराम बकोलिया : यह कोई मिस प्रिन्ट की उठाकर ले आये होंगे आप।

श्री भंवरलाल शर्मा : पता नहीं इन्होंने क्या व्यवस्था कर रखी होगी। एक ही कक्षा की एक ही पुस्तक को अगर कोई खरीदने जायेगा, मान लो बी. जे. पी. का भेदभाव न करते हों कोई भी व्यक्ति जायेगा किसी को 2 रुपये 35 पैसे में मिलेगी और किसी को 4 रुपये 35 पैसे में मिलेगी....

श्री पंकज पंचोली : इस पर लिखा हुआ है ?

श्री भंवरलाल शर्मा मैं वही बात कह रहा हूं जो प्रमाणित है। अगर लिखा होगा तो आप क्या करेंगे। प्लीज आप बतायें आप क्या करेंगे ?

श्री पंकज पंचोली : मैं विश्वास करूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : करेंगे नहीं आप। यह किताब वही है। इसमें एक में 4 रुपये 35 पैसे और एक पुस्तक में 2 रु. 35 पैसे और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी के लिये आपको खुद को देता हूं आप पढ़ लें, क्या लिखा है।

श्री छोगाराम बकोलिया : किताब का नाम क्या है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : हिन्दी की किताब है 8वीं कक्षा की। उसमें इस प्रकार की कीमत है 2 रुपया 35 पैसा और 4 रुपया 35 पैसा। लिखा ही नहीं है, यह चार्ज की जा रही है।

एक माननीय सदस्य : कौन से सन् की है।

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी की है, 1985 की है। यह भी लिखा है इसमें।

श्री छोगाराम बकोलिया आपने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया इसलिये पूछ रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : और बाकी रह गया एक्सप्लेन करना ? छोड़िये उसको। मैं आपको दूसरा नमूना देता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी पुस्तक है छठी क्लास की गणित की। यह तो इसका टाइटल कवर है। हो सकता है आप कहेंगे यह फट गया होगा उसकी भी मानता हूं....

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री छोगाराम बकोलिया : आप फाड़कर ले आये....

श्री भंवरलाल शर्मा : फाड़कर भी ला सकता हूं अगर आप मेरा यही करेक्टर समझते हैं । तो यह 249 पेज की पुस्तक हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पुस्तक में एक पेज से लेकर 96 पेज तक तो हैं, आउट आफ 249 । पहले पेज से लेकर 96 पेज हैं और 96 पेज के बाद फिर पेज आता है 193 और यह 193 पेज चलते चलते 224 तक जाता है बीच में और फिर 224 के बाद 129 और 249 शुरु होता है । अब आप यह कह सकते हैं कि दुबारा आ गये होंगे । डुप्लीकेट हो गये हैं लेकिन यह मिसिंग 32 पेज हैं उन मिसिंग पेज में से कोई पेज नहीं है । वह पेज ही नहीं है इसमें । किस को पढ़ेंगे ?

श्री छोगाराम बकोलिया : नाम तो बता दें ।

श्री भंवरलाल शर्मा : छठी क्लास की गणित है । यह आप ले लीजिये विश्वास हो जायेगा । 96 के बाद पेज क्या आ जायेगा ।

अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह किताब है राजस्थान न्यू इंग्लिश रीडर बुक-फर्स्ट । छटी क्लास के लिये । यह तो बड़ी इन्ट्रेस्टेड किताब छपी है । यह कलर स्कीम में है । अन्दर इसमें कलर से दिखाया गया है । यह दो पुस्तकें हैं । एक पुस्तक, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सामान्य जो पेपर होता है पुस्तक का, उस पर छपी हुई है । यही पुस्तक जो अखबार का कागज होता है और जिसकी कीमत एक तिहाई होती है, यह उस पर छापी गई है । केवल इतना ही नहीं कागज की क्वालिटी गिराई है आपने इसमें जो कलर हैं, जो कलर से दिखाया गया है उसमें भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें पेज तो हैं लेकिन मैं केवल कुछ पेजेज पर आपका ध्यान आकर्षित करुंगा । इसमें 35 पेज ऐसे हैं एक में कलर दिखाये गये हैं और एक में कलर ज्यादा नहीं हैं । कीमत वही हैं, किताब वही बल्कि जो अखबार के कागज की किताब है उसका थोड़ा साईज भी छोटा है यानि आपने क्वालिटी गिराई और रंग भी इसके गिराये । एक जगह नहीं ऐसे 35 पेजेज हैं जिनमें क्लीयर नहीं है....

श्री पंकज पंचोली : कीमत ?

श्री भंवरलाल शर्मा : यह पंकज साहब आपको दे दूं ?

श्री पंकज पंचोली : धन्यवाद ।

श्री भंवरलाल शर्मा : अब सबसे ज्यादा इनकी क्या कहूं, व्यवस्था या अव्यवस्था । वे कहते हैं सरकार चलाना आता है उसका नमूना बताता हूं आपको । यह एक हिन्दी की किताब है सातवीं कक्षा की । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें क्या किया है साहब । इसमें कुछ पेज छपे हैं कुछ पेज छपे ही नहीं । यह ब्लैंक हैं । अब आप यह कहेंगे, शायद रतनलाल जी ताम्बी कहेंगे कि यह आपने जोड़ दिये होंगे, अब तो नहीं कहेंगे, अब तो समझ गये, यह समझते होंगे कि जोड़ दिये होंगे । पर इधर यह छपा हुआ है ।

श्री छोगाराम बकोलिया : अगर इस प्रेस में कहीं आप ही काम कर रहे हों तो बाई दी वे क्या पता उनका कहा हुआ सही निकल जाये ।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैंने प्रेस में काम किया होगा ? सरकारी नौकरी आपने की है । मैंने तो जनता की सेवा की है । आप निकाले गये हैं नौकरी से ।....

(2.00 म. प.)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह देखिये यह जो ओड़े हुए पेजेज है, इधर लिखे हुए हैं इधर प्रिन्ट है और इधर नहीं है । एक ही पेज है, ऐसा भी नहीं है कि कोई दूसरे पेजेज हों ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे इसमें 16 पेजेज हैं, जो ब्लैंक हैं खाली हैं एक नहीं सोलह हैं । यह पुस्तक हिन्दी की सातवीं कक्षा की है....

(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : आप चैम्बर में वैसे ही बात कर लें ।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : आप डरते हैं क्या, आप लिखें डिपार्टमेंट को । अब फिर पेज 63 में है, इसमें । जब बच्चा निकालेगा तो पाठ सतरहवां है । पाठ का नाम है सेवा और वरदान-सेवा और वरदान । जब इसको पढेगा और सेवा करने के बाद वरदान प्राप्त करने की इच्छा होगी तो देखेगा खाली । अब कहां की सेवा करेगा और किसकी सेवा करेगा और फिर कहां से वरदान प्राप्त करेगा । फिर जब आगे पलटेगा, उपाध्यक्ष महोदय, तो पन्ना खाली.... ।

श्री उपाध्यक्ष : कागज कोरा रह गया ।

श्री भंवरलाल शर्मा ; उपाध्यक्ष महोदय, जब उसके बेक पर आयेगा तो पढेगा-करके उसे स्थान ले जाती थी-यानि पहला सेन्टेन्स यहां से पढेगा वह.... करके उसे स्थान पर ले जाती थी । अब कौन क्या करती थी और किसके साथ कहां ले जाती थी, कहां मिलेगा, क्या ढूंढेगा....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक पहेली है उसको सुलझाना बेहतर है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : फिर पेज 63 पर यह हालत होगी, पेज 66 ब्लैन्क मिलेगा । यह खाली मिलेगा । 67 पर पाठ है 18—सूक्ति सुधा—और जब वह सूक्ति सुधा का अध्ययन करने आयेगा तो खाली मिलेगा....

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है, कहीं फिल अप दी ब्लैन्क्स के लिये किया हो....।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, यह हो सकता है । वह अपने पापाजी से कहेगा कि इसे भरने के लिये मुझे बता दो....।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

(व्यवधान)

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा क्लेरिफिकेशन चाहता हूं . माननीय सदस्य, क्या ये सैम्पिल अपने लिये लेकर आये हैं या सारी किताबों में इस प्रकार की है....।

श्री भंवरलाल शर्मा : ××× इसके लिए भी आप मजाक कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इसको एक्सपंज कर दें ×××

श्री छोगाराम बकोलिया : हो सकता है आपने....

श्री भंवरलाल शर्मा : यह आप जांच करेंगे या मैं करूंगा।

It is your duty or my duty ?

मैं तो बाजार से खरीद कर लाया हूं। यह आपका काम है कि मेरा काम है....

You are taking so lightly, you do not deserve hear it.

आप पधार जाइये बाहर।

श्री उपाध्यक्ष : चेहरे पर शिकन नहीं, कृपया।

श्री भंवरलाल शर्मा : साहब, राजस्थान के जितने विद्यार्थी, उनका जीवन अन्धकार में है। यह गांव के लोग क्या करेंगे और क्या कहेंगे, उसके बजाय आप मुझे कह रहे हैं एक किताब ले आये, दो किताब ले आये....

You are not supposed to behave like this.

श्री छोगाराम बकोलिया : 1 लाख 70 हजार कापीज इसमें छपी हैं....

(व्यवधान)

आपके पास कितनी है।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह म[illegible] एस्पेक्ट करते हैं क्या आप ?

(व्यवधान)

आपकी मंत्री महोदया है, वही उत्तर नहीं दे सकती है। मुझ से पूछ रहे हैं....

You are questioning me as if I am the Minister and you are a Member.

श्री राम सिंह विश्नोई : ऐसा हुआ है तो एक्शन लिया जाय, यह तो आपको कहना चाहिए और उलटे आप.... ।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय सदस्य, जो मैटर है, जिस पर बात कर रहे हैं, मैं मानता हूं, वास्तव में मैटर बहुत सीरियस है, इसीलिए मैं जानकारी के लिए मालूम करना चाहता हूं। अगर इनफार्मेशन नहीं है तो hardly matter. Even then we will take a serious action against him.

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बीच में इन्ट्रप्ट न करें, माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप जिम्मेदारी तो कुछ फील करे। अब 18वां पाठ है सूक्ति सुधा का, वह उसको खाली मिलेगा। इसमें कुछ नहीं है, फिर दूसरी तरफ मिलेगा "केसन कहा बिगारिया, जे मूंडे सौर बार"....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : फिर से बताना....।

श्री भंवरलाल शर्मा : "केसन कहा बिगारिया, जे मूंडे सौ बार"। यानि केसन वालों को कहते हैं सौ मूंडे सौ बार। यह पढ़ेगा वह।

(व्यवधान)

हां, इतना ही पढ़ेगा, यही पढ़ेगा....

एक माननीय सदस्य : सारे उसमें से है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मूंडने से है....।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा तो नहीं है बीच में खत लिखने के लिए छोड़ दिया हो।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह हो सकता है साहब, लेकिन फिर कहीं क्रम तो बैठे न ? वह क्रम नहीं बैठ रहा है, साहब।

एक माननीय सदस्य : क्लीन सेव है....।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, क्लीन सेव है सरकार....

(व्यवधान)

पेज है 71, फिर पाठ है 19—नंगे पैर, एक राज्य का वर्णन है—जाड़ा गया, गर्मी आई तेज धूप भी पड़ने लगी, कोलतार की सड़क तपने लगीं, डामर पिघलने लगीं। इतनी कड़ी धूप में कोई किसी को फांसी नहीं देता। पर पोस्टमैन आता, उसके पास छाता नहीं, साइकिल नहीं और जूता भी नहीं। धूप से उसका चेहरा लाल पीला होता। पसीने से उसका कोट पीठ से चिपका रहता। सूखे अधरों पर वह जबान फिरा कर लजीली हंसी हंसता और डाक देकर लौट जाता, धूप से जलते नंगे पैर धूमता। उपाध्यक्ष महोदय, अब आगे घूमता ही रहा वह नंगे पैर, अभी भी घूम रहा है वह और

(श्री भंवरलाल शर्मा)

वह दो पेज तक घूमता रहा और कहां अन्त हुआ, इसका पता नहीं। दूसरा पाठ आ गया। पता नहीं कौनसे खड्डे में गया वह।

कई माननीय सदस्य : आगे चलें।

श्री भंवरलाल शर्मा : फिर पाठ 20 आ गया। अफ्रीका के मूल निवासी। जिन मादक वस्तुओं के बिना ये लोग नहीं रह सकते थे, उनको शिक्षित लोग हेय समझने लगे हैं.... बस खतम.... शिक्षित क्या समझने लगे, बाकी का क्या रहा....।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आगे बताने वाली बात नहीं होगी। उसके बाद जरूर कुछ होगा :

श्री भंवरलाल शर्मा : फिर उसके बाद सुदामा चरित्र आ गया। अब सुदामा चरित्र पेज 81 जब कृष्ण भगवान के पास सुदामा मिलने के लिये जाते हैं। द्वारपाल उन्हें रोकता है, कहां जा रहे हो, लिखा है—

"सीस पगा न झगा तन पै प्रभू, जाने को आहि बसे केहि ग्रामा।

धोती फटी सी लटी दुपटी अरू, पाह उपानहु की नहीं सामा।।"

बस सामा पर खतम। अब द्वारपाल नीचे ही नहीं बता पा रहा है। आखिर धोती फटी सी ही रह गई। अब सुदामा तो गेट पर इन्तजार कर रहे हैं और श्री कृष्ण अपने महलों में ही रह गये, यह क्या है अब आगे कौन बतायेगा कि क्या हुआ?

(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : आपका कहना ठीक है, सुदामा जी को तो लाते.... इसे तो पूरा करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह दोहा है, यह तो पूरा हो गया।

राम सिंह जी आप तो ज्ञान प्रकट मत करो। आपने हिन्दी नहीं पढ़ी होगी।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह बात सही है क्या, हमें क्या मालूम। आप अकेले पढ़ रहे हो, क्या मालूम आप क्या पढ़ रहे हो और क्या छोड़ रहे हो।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राम सिंह जी साहब, आपको तो फिल अप ब्लैन्क करना पड़ेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : फिर साहब यह आ गया 22वां पाठ। गढ़मुक्तेश्वर का मेला इस पाठ का हैडिंग है "गढ़ मुक्तेश्वर का मेला"। कार्तिक स्नान ऐसे समय में होता है जब भारतीय किसानों को थोड़ा अवकाश मिलता है। दैनिक परिश्रम से थका ऊबा सा किसान.... घूम रहा है मैदान में, अब घूम रहा है मैदान में, लेट रहा है वह, आराम कर रहा है और फिर कहां शुरू हुआ थका ऊबा सा किसान

(श्री भंवरलाल शर्मा)

उनके अखाड़ों में विजय के दृश्य देखने योग्य होते हैं। उनके अखड़ों में वह बीच में तो छोड़ ही दिया....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ये थका हुआ किसान कहां अखाड़ों में जायेगा बेचारा।

श्री भंवरलाल शर्मा : थका हुआ किसान, कार्तिक स्नान ऐसे समय में होता है जब भारतीय किसानों को थोड़ा अवकाश मिलता है। दैनिक परिश्रम से थका ऊबा सा किसान उनके अखाड़ों में विजय के दृश्य देखने योग्य होते हैं। वह बीच में गायब है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : आप स्वयं मत हंसिये, हमको हंसने दीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं नहीं, हसूंगा नहीं मैं। मैं तो उसका साथ दे रहा हूं और आप हंसे तो मुझे भी हंसना पड़ता है। फिर पाठ 23 है....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, हंसी भी थका देती है।

श्री भंवरलाल शर्मा : अच्छा मैं खत्म कर देता हूं। पाठ 23—इस पाठ का नाम है पुस्तक ज्ञान व व्यवहार यानि पुस्तक का ज्ञान क्या है और आदमी का व्यवहार क्या है। अजी साहब, यह वही पुस्तक है। अभी तो वही चल रही है, वही पढ़ रहे हैं। पुस्तक ज्ञान व व्यवहार–यह तो आप जवाब देंगे, साहब। अब आज विद्यार्थी ने कहा कि चलो पुस्तक का ज्ञान और व्यवहार पढ़ें तो व्यवहार प्राप्त करें तो पेज 90 खोला तो यह पुस्तक का ज्ञान व्यवहार पढ़ रहा है।

श्री छोगाराम बकोलिया : इसका मुद्रक कौन है।

श्री भंवरलाल शर्मा : यही है साहब, आपका पाठ्य पुस्तक मण्डल।

श्री रामसिंह बिश्नोई : सरकार है।

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी बता दूंगा, आप एक मिनट ठहर जाइये, पाठ 23— पुस्तक का ज्ञान व व्यवहार। जब बच्चा इसको खोलेगा तो उसको यह सारा प्रकट हो जायेगा ज्ञान में कोरा, व्यवहार में कोरा। तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं इसका वर्णन करता रहूंगा तो नमूने के लिए मैं समझता हूं पर्याप्त है यह। यह नमूने के लिए पर्याप्त है और यह ठीक है कि सारे आचरण से आप लोगों को हंसी तो आयी होगी लेकिन यह बड़ा गम्भीर विषय है कि हम हमारे देश के, प्रदेश के विद्यार्थियों को क्या सिखाना चाहते हैं, क्या पढ़ाना चाहते हैं। यह पाठ्य पुस्तक मण्डल जिसका काम पुस्तक छपाकर के केवल बाजार में बेचना है उसके लिए इतना सारा पैराफरनेरिया हमने लगाया हुआ है। अगर वह हवाई जहाज से बनारस जाकर प्रूफ देखे

(श्री भंवरलाल शर्मा)

और यह खाली कागज उसमें आ जाय या और प्रिंटिंग जो मैंने बतायी हैं यह अगर किताबों में उपलब्ध रहे और यह किताब जब विद्यार्थियों के हाथ में जायेगी तो माननीय मन्त्री महोदय, मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इस पर कुछ अपनी बात कहेंगे। यह बड़ा गम्भीर विषय है। इस पर आप क्या एक्शन लेंगे, इसमें कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, कोई प्रूफ और नहीं चाहिए आपको कि इसके प्रमाण इकट्ठा करेंगे और पता करेंगे। यह पुस्तकें आपके पास उपलब्ध हैं, आपका सारा प्रकाशन है यह सारी बातें अगर आप देखेंगे तो मैं समझता हूं बड़ी चिन्ता का विषय है और बहुत गम्भीरता से इसको लेना चाहिए, इसको ठीक करना चाहिए। या तो इस धन्धे को ही बन्द करो, कबाड़खाने को, कबाड़खाने में भी शायद ऐसी पुस्तकें नहीं मिलेंगी। इनका उपयोग क्या है? एक बात तो यह और दूसरी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसके कागज की आप जांच करिये, क्वालिटी आफ दि पेपर की जांच करिये। कुछ किताबें तो अच्छी हैं बाकी सबका कागज इन्फीरियर है। अखबार के कागज पर किताबें छापते हैं और आप उसके लिए भी प्रूफ मुझसे मांगेंगे, बड़ा खेदजनक विषय है। माननीय मन्त्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसको गम्भीरता से लें और यदि आप चाहें तो मैं अोन पेमेण्ट यह पुस्तकें आपको दे सकता हूं या आप स्वयं जांच करा लीजिए। बाकी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यही कहूंगा कि इस विषय पर बहुत

से मैं यही कहूंगा कि इस विषय पर बहुत

गम्भीरता से और बहुत सख्त एक्शन आपको लेकर इस सदन को बताना चाहिए कि आपने क्या किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे गम्भीर विषय के ऊपर वक्तव्य देकर स्थिति का स्पष्टीकरण करें। यह एडजर्नमैन्ट मोशन केवल चर्चा होकर ही खत्म हो जाय, इस तरह का एडजोर्नमैन्ट मोशन नहीं है। जिस तरह के तथ्य सदन में रखे गये हैं, बच्चों के जीवन के साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है, पाठ्य पुस्तक मण्डल जो एक सरकार का आर्गेनाइजेशन है उसमें इस प्रकार की व्यवस्था है तो इसको एक तरह से हमने कह दिया और खत्म, इस तरह से सरकार का काम नहीं चलेगा। सरकार को इसका उत्तर देना चाहिए, सरकार सारा स्पष्टीकरण करे, वक्तव्य दे। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार के जो प्रतिनिधि बैठे हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वह इसके ऊपर वक्तव्य दें। आज दे सकें तो सबसे बढ़िया, नहीं तो कल निश्चित रूप से वक्तव्य दें। आखिर बच्चे पुस्तकें खरीद रहे हैं और इस प्रकार की पुस्तकें खरीदेंगे तो उसका परिणाम क्या निकलेगा। इसको आप भी गम्भीरता से लें और सरकार को निर्देश दें कि सरकार इस पर वक्तव्य दे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक निवेदन मुझे करना है इसी विषय पर।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

इनके अलावा 7 पुस्तकें मैंने माननीय उपाध्यक्ष महोदय को बतायी थीं और उन्होंने राज्य सरकार को जानकारी के लिए भेजी हैं। अखबार के पेपर की चर्चा की गयी, उसी तरह मोनो प्रिंटिंग है इसमें, जिसके कारण आंखों पर जोर पड़ने से बच्चे किसी तरह नहीं पढ़ सकते हैं। स्याही ऐसी है कि फैल गयी है, सारा पढ़ा नहीं जाता। मैं चाहता हूं जैसा विरोध पक्ष के माननीय नेता महोदय ने कहा है केवल यह पुस्तकें नहीं, ऐसी पाठ्य पुस्तक मण्डल की पहली से लेकर आठवीं कक्षा तक जो समस्त पुस्तकें हैं, उनमें जो खाली पर्चे बताये हैं इसकी चर्चा, पेपर प्रयोग किया हुआ है इसकी चर्चा, उस पर जिस लैटर से टाईप किया हुआ है इसकी चर्चा, जो उसमें पेजेज गायब हो गयी है उसकी चर्चा, उसके पश्चात् जो स्याही का प्रयोग किया गया और फैल गयी है और पढ़ने में नहीं आती इस सब बारे में, एक एक विषय में विचार करके जो मेरा स्थगन प्रस्ताव जानकारी के लिए भेजा है उस पर मैं विरोधी पक्ष के नेता के साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सब की स्टडी करके पूरा एक वक्तव्य निश्चित रूप से आना चाहिए।

श्री हरिशंकर भामड़ा : अब मेरी इसमें, उपाध्यक्ष महोदय, मांग है कि मण्डल को तो आज ही भंग करने का आदेश जारी कर दीजिए और किन्हीं भले आदमी को लगाइये वरना आप सारी शिक्षा के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। मन्त्री महोदय यदि जवाब न दे सकें तो इनकी एक्सपर्ट मन्त्री श्रीमती कमला हैं उनको यहां बुलवाइये और जो रोज रोज उपदेश देती हैं उनको यह बताइये कि उनके इस उपदेश का यह नतीजा निकला है। मेहरबानी करके यह खिलवाड़ बन्द करिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आपसे, वैसे तो चेयर की आज्ञा है शिरोधार्य है पर जनहित में मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि आपने यह आदेश निर्देश जो दिये हैं हंसने मुस्कराने के इसको आप कृपया वापस ले लें क्योंकि काफी हो गया, जनहित में यह आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, मैंने हंसना नहीं कहा, मुस्कुराना कहा है....

श्रीमती विद्या पाठक : इसको भी वापस ले लीजिए, अति ज्यादा हो गयी।

श्री उपाध्यक्ष : मुस्कराना जोर से नहीं, वह मुस्कराहट अच्छी तरह से मुस्कराहट को वापस ले लेंगे तो हमारे पास क्या रह जायेगा।

माननीय सदस्य, यह कोटपूतली गोली काण्ड की जांच के लिए जो आयोग नियुक्त किया गया था उसको सुविधा न देने के सम्बन्ध में सरकार से जानकारी तो प्राप्त

(श्री उपाध्यक्ष)

हो गयी है, आपको बतलायी भी। अब मेरे ख्याल से इस पर चर्चा करने की क्या आवश्यकता है।

श्री नाथू सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अब बोलेंगे।

श्री यदुनाथ सिंह : अब तो टाइपराइटर आये हैं। अब टाइपराइटर मिले हैं कब का कमीशन बैठा है। कमीशन का रेलेवेन्स क्या है?

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट सुनिये। ये फण्ड उपलब्ध करा दिये गये हैं, स्थान उपलब्ध करवा दिया गया है और सारी सुविधायें हैं और यह आ गया है कि सारी जो सुविधायें हैं वह काम चालू है। तो एक एक करके।

श्री यदुनाथ सिंह : कब का गोलीकाण्ड हुआ। अगर इस तरह की ज्यूडिशियल इन्क्वायरी की तो....

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथू सिंह।

श्री नाथू सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोटपूतली जांच आयोग सरकार ने जब इस सदन में काफी हंगामा हुआ, बाहर हंगामा हुआ, उसके बाद में यह जांच आयोग बैठाया, वह जांच कर रहा था लेकिन इतने समय बाद भी, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहना यह है कि सरकार किस तरह से काम कर रही है। सरकार कोई घोषणा कर दे, सरकार जांच आयोग बैठा दे और केवल कुछ लोगों को बचाने के लिए जान बूझकर सरकार कोई सुविधायें, आवश्यक सुविधायें उपलब्ध नहीं कराये किसी जांच आयोग को तो इससे सरकार के इन्टैन्शन का पता लगता है। उपाध्यक्ष महोदय, आज तक जितने गोलीकाण्ड हुए हैं उन गोलीकाण्ड्स में अधिकतर मैं समझता हूं कि पिछले साल 84 में कई गोलीकाण्ड हुए हैं और उनके कइयों के जांच आयोग बैठे हैं। उनकी जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आयी। क्या जांच हुई, कम्पलीट नहीं हुई, कम्पलीट होने के बाद कोई रिपोर्ट सदन में पेश नहीं हुई इससे अन्दाज लगाइये। उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए कोटपूतली का उदाहरण सबसे अच्छा है कि जांच आयोग जो बैठाया गया उस जज ने अपने मिनिट्स में लिखा है, उपाध्यक्ष महोदय। उसने राज्यपाल को पत्र लिखा कि मुझे कोई आवश्यक सुविधायें नहीं दी जाती हैं। टाइपराइटर उनको नहीं दिया....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जानकारी में आ गया है कि दे दिये हैं।

श्री नाथू सिंह : अब दिये हैं, अब जब कि हमने सदन में उठाया। कोटपूतली जांच आयोग कब बिठाया गया....

श्री उपाध्यक्ष : स्टेनो टाइपिस्ट भी दे दिया है और मशीनें भी दे दी हैं, टाइपराइटर भी दे दिए हैं।

श्री नाथू सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, डेढ़ साल हो गया, डेढ साल के बाद में जांच

(श्री नाथूसिंह)

आयोग को अब टाइपराइटर उपलब्ध करवाया गया, अब थोड़ा बहुत पैसा डेढ साल बाद दिया गया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि डेढ साल तक यह सरकार क्या कर रही थी। जान बूझ कर उस आयोग ने अपने मिनिट्स में लिखा है जज ने, उपाध्यक्ष महोदय, कि ऐसा ह्यूमिलियेशन। सरकार ने चला करके मुझ को कहा कि आप इसकी जांच करिये और उसके बाद मुझे ह्यूमिलियेट किया जा रहा है। मुझे कोई आवश्यक सुविधायें नहीं दी जा रही हैं। पैसा नहीं दिया जा रहा है, मकान नहीं दिया जा रहा है, बैठने को कमरा नहीं दिया गया। ऐसा ह्यूमिलियेशन उस जज के साथ किया। उसने अपने मिनिट्स में, 9 तारीख की मिनिटस में लिखा है। उपाध्यक्ष महोदय, आप चाहेंगे तो मैं मिनिट्स की कापी सदन की मेज पर रख दूंगा। जब जज ने धमकी दी, उपाध्यक्ष महोदय, हमने यह स्थगन प्रस्ताव दिया और जज ने धमकी दी कि यदि मुझको आवश्यक सुविधायें उपलब्ध नहीं कराई गई तो 29 तारीख की हियरिंग होगी वह मैं नहीं करूंगा, तब जा करके, जब स्थगन प्रस्ताव आया, उनको कुछ सुविधायें दी गई। इसमें सरकार के इन्टेंशन का पता लगता है कि सरकार कुछ लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए उस समय पब्लिक जो उद्वेलित थी, पब्लिक को शान्त करने के लिए जांच आयोग की घोषणा कर दी और उसके बाद में जांच आयोग काम न करे, जो लोग हैं वे गवाहों को प्रभावित करें, लोगों को प्रभावित करें, उसको नया मोड़ दे दें, नई स्टोरी बना लें, इसलिए उनको बचाने के लिए इनडायरेक्टली उन्हें कोई सुविधायें नहीं दी गई। मेरा आरोप है सरकार के ऊपर, यह तो सदन इस वक्त चल रहा था और हमने स्थगन प्रस्ताव दे दिया, नहीं तो क्या आप यह समझते हैं कि अगर हम स्थगन प्रस्ताव नहीं देते तो सरकार ये सुविधायें उपलब्ध करा देती। अभी भी सुविधायें उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं, इसका परिणाम यह होता है कि जांच आयोग को अपना काम बन्द करना पड़ रहा है। तो उस समय इस आयोग का क्या होगा? इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से सरकार को कण्डैम करता हूं। इस मामले में सरकार की इन्टेंशन गलत थी। इस बात का मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि मुल्जिमों को बचाने के लिए इसी गोलीकाण्ड में ही नहीं, भरतपुर में थाना में गोलीकाण्ड हुआ, और भी कई जगह गोलीकाण्ड हुए उनका पता ही नहीं कि कहां जांच आयोग गए। जांच आयोगो की रिपोर्ट कहां हैं, क्या उसकी प्रगति हुई है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सरकार को आप प्रताड़ना दें, सरकार अपनी जिम्मेदारी समझे। जांच आयोग की सरकार अपने मुंह से घोषणा करती है और कोई फेसेलिटि नहीं देती। एक महीने मत दो, दो महीने मत दो और जब गवर्नर को उन्होंने पत्र लिखा, सरकार को लिखा और सदन में जब आवाज उठाई जाती है तब टाईपराईटर उनको उपलब्ध करायें, उचित सुविधायें तब जज को उपलब्ध करवायें, यह सरकार के लिए शर्म की बात है,

(श्री नाथूसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं कड़े शब्दों में सरकार की भर्त्सना करता हूं और आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सुश्री पुष्पा।

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, 25 जनवरी को जब कोटपूतली में गोलीकाण्ड हुआ, तीन छोटे-छोटे मासूम बच्चे पुलिस की गोली के शिकार हुए, उस समय हमने मांग की थी कि यह गोलीकाण्ड नहीं सीधा-सीधा मर्डर है। इसमें पुलिस का चालान करना चाहिए, सीधा कोर्ट में चालान प्रस्तुत करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, उस समय सरकार ने यह कहा था कि वह जांच आयोग बिठा रही है। उस जांच का हस्र क्या हुआ, उपाध्यक्ष महोदय। 25-1-84 को उन्होंने जांच बिठाई और आठ माह बाद उन्होंने उसका आर्डर किया और उसके बाद तीन माह बाद कार्यवाही शुरू हुई। उपाध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान की गरीब जनता ने यह सोचा कि चलो सरकार जांच कर रही है, जांच का नतीजा कुछ न कुछ निकलेगा, बातें सामने आयेंगी और जिन लोगों ने निर्दोष बच्चों की हत्या की हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जांच आयोग को सरकार ने कोई सुविधायें नहीं जुटाई। उपाध्यक्ष महोदय, आप चाहते थे कि इस बात पर न बोलें। बोलना इसलिए जरूरी है कि कई जांच और भी पेंडिंग हैं। राजस्थान में कितने और गोलीकाण्ड हुए हैं, इसकी चर्चा इस सदन में हो चुकी है। दूसरे गोलीकाण्डों में जो जांच बैठी हुई हैं उनका क्या हस्र हो रहा है। सरकार ने उनको सुविधायें दी हैं या नहीं दीं, इसके लिए इस केस में बोलना निहायत जरूरी है, उपाध्यक्ष महोदय। मुझे इजाजत दें उन प्रोसीडिंग्स को पढ़ने की, उन मिनिट्स को पढ़ने की जो माननीय जस्टिस जी. के. शर्मा साहब ने इस जांच के सम्बन्ध में लिखी है। उपाध्यक्ष महोदय, 9 जुलाई, 1985 की यह मिनिट्स हैं। जज महोदय ने लिखा है :—

श्री कृपा शकर गवाह ने अपने खर्चे का बिल मेरे समक्ष पेश किया। राज्य सरकार ने जो कमीशन को बजट दिया उसमें गवाहान के बयानात के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया। आज कमीशन के पास पैसा नहीं है जिससे कि गवाह को खर्चा दिया जा सके। रोजाना गवाहान बयानात देने के लिए आयेंगे और खर्चा मांगेंगे। बड़े खेद का विषय है कि राज्य सरकार एक तरफ तो कमीशन मुकर्रर कर देती है और दूसरी तरफ कमीशन को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए न तो बजट देती है और न किसी प्रकार की व्यवस्था की जाती है। कमीशन को जो हिन्दी और अंग्रेजी का टंकण यंत्र दिया गया है यह दोनों बेकार हैं और इन पर टंकण नहीं किया जा सकता। कई मर्तबा राज्य सरकार के गृह विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी एवं सहायक सचिव से उस बारे में मेरे सचिव एवं सहायक सचिव द्वारा प्रार्थना की गई कि दोनों टंकण की मशीनें नई दी जावें लेकिन

(सुश्री पुष्पा जैन)

हर बार यह अधिकारीगण टालते रहे। कभी कहा जिलाधीश, जयपुर से टंकण की मशीन ले लें और जब जिलाधीश जयपुर के पास टंकण की मशीन लेने के लिये जाते तो यह ऐसा व्यवहार करते जैसे कमीशन जिलाधीश का नौकर है। यह कमीशन की गरज नहीं थी कि राज्य सरकार से मैंने विनती की हो कि मुझे कमीशन दिया जाये। राज्य सरकार ने अपनी सुविधा के लिये कमीशन मुकर्रर किया था और मुझसे सहमति मांगी थी। मैंने सहमति दी लेकिन इसलिये नहीं दी कि राज्य सरकार मेरे को हर सुविधा के ऊपर, बजट के बारे में, सुचारू रूप से कार्य करने के बारे में, मोहताज करे और परेशान करें। ऐसी परिस्थिति में मेरे लिये कमीशन में कार्य करना असम्भव प्रतीत होता है। चूंकि मैंने 12-7-85 तक गवाहान को बुलाया है मेरा नैतिक कर्त्तव्य है कि मैं 12-7-85 तक गवाहान के बयानात ले लूं और बीच में कमीशन का कार्य छोड़कर नहीं लौटूं। इसी कारण मैं 12-7-85 तक कार्य करूंगा। इसमें मुझे खेद होगा कि मैं किसी भी गवाह को खर्चा नहीं दे सकूंगा। इस गवाहान का पता मैं जरूर ले रहा हूं। परन्तु ईश्वर मालिक है कि इनको खर्चा मिलेगा या नहीं मिलेगा। मुझे राज्य सरकार से आशा कम नजर आती है कि कमीशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बजट का प्रावधान किया जावेगा। चूंकि कल हिन्दी टंकण की मशीन काम नहीं कर रही थी और बड़ी मुश्किल से गवाह का बयान लिया गया था इसलिए एस. पी. जयपुर शहर, जयपुर और सरकारी वकील श्री शिवराज बिहारी माथुर से प्रार्थना की गई कि मेरे को और नयी टंकण मशीन की व्यवस्था की जाय। माथुर द्वारा की गई और उस मशीन पर आज का कार्य किया गया। यह तो परिस्थिति कमीशन की है जिसको कहते हुए मुझे स्वयं लज्जा आती है।"

धिक्कार है।

"आज के आर्डर शीट की प्रति सम्मानित महामहिम राज्यपाल महोदय को एवं मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय को वास्ते सूचनार्थ भेज दी जावे। यहां यह लिखना भी उचित समझता हूं कि कमीशन की अगली बैठक 29-7-85 को रखी गई है और 2-8-85 तक कमीशन कार्य करेगा। और अगर 29-7-85 के पूर्व राज्य सरकार ने हिन्दी और अंग्रेजी के टंकण की मशीन बिल्कुल नई कमीशन के कार्य करने हेतु नहीं दी तो कमीशन इन तारीखों पर कार्य करने नहीं आयेगा।

मुझे खेद है कि मैं कृपा शंकर को आज गवाह में आने का खर्चा नहीं दिला सकता। रीडर को आदेश दिया जाता है कि वे श्री कृपा शंकर से उनके घर का पता ले लें जिससे कि उनका खर्चा मनीआर्डर द्वारा भेजा जा सके।

अगर मुझे बजट नहीं मिला तो मैं गवाहान को खर्चा आयन्दा भी नहीं दे सकूंगा। ऐसी परिस्थिति में कमीशन

(सुश्री पुष्पा जैन)

29-7-85 की तारीख पर आने में असमर्थ होगा। अगर मुझे बजट नहीं मिला तो मैं एक सप्ताह पूर्व कोटपूतली में इस अदालत के कमरे के बाहर नोटिस बोर्ड पर सूचना लगा दूंगी और श्री उमरविसिंह अभिभाषक को भी पृथक से सूचना दे दूंगी।

पत्रावली कल दिनांक 10-7-85 को पेश हो।

एस. डी.

गोपालकृष्ण शर्मा

कमीशन

कोटपूतली पुलिस फायरिंग कमीशन।"

उपाध्यक्ष महोदय, इस मिनिट्स को पढ़ने के बाद मैं समझती हूं कि इस सरकार के लिए इससे बड़ी कोई लज्जा की बात नहीं हो सकती कि आज सरकार यह जवाब दे कि उन्होंने टंकण की व्यवस्था कर दी है। उन्होंने कमीशन के लिए थोड़े बहुत पैसे की व्यवस्था कर दी है। धिक्कार है ऐसी सरकार के लिए, मैं लानत भेजती हूं। कोई भीख दे रहे हैं आप राजस्थान की जनता को। क्या कसूर किया था इन छोटे-छोटे बच्चों ने जिनकी अनावश्यक, बिना किसी वजह से पुलिस की गोली के द्वारा हत्या की गई। उनकी हत्या हुई, उस पर आपने एक्शन नहीं लिया, जांच कमीशन बिठा दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चार्ज लगाना चाहती हूं, कत्ल के साथ साथ कत्ल की कांसप्रेसी करने वाला भी मुल्जिम होता है, दफा 302 के तहत सजा का अधिकारी होता है। इस सरकार ने साजिश करके गोली चलवायी है। तीन बच्चों की हत्या हुई। मैं आरोप लगाना चाहती हूं सरकार पर, उस केस को दबाने के लिये सरकार ने जांच कमीशन अपोइंट कर दिया। हमने बड़ी मांग की कि जांच कमीशन की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सादा मर्डर हुआ है तीन बच्चों का, इसका इन्वेस्टीगेशन होकर इसमें चालान प्रस्तुत किया जाना चाहिये। सरकार ने चालान प्रस्तुत नहीं किया, जांच कमीशन बैठा दिया। लेकिन इस बात की कल्पना नहीं थी कि जांच कमीशन बैठाने के पीछे कितना बड़ा षड़यंत्र है। सरकार उसको साधन सुविधाएं नहीं दे रही है ताकि जांच कमीशन काम नहीं करे और अपने आप झक मार करके अपने दरवाजे बन्द करके अपने घर पर आ जायें और बाद में हम यह कह दें कि कमीशन ने कोई कार्यवाही नहीं की इसलिये कोटपूतली के गोलीकांड में मुल्जिमों को सजा नहीं दी जा सकती। उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने दो दो कान्सप्रेसी की हैं। एक कान्सप्रेसी गोली चलवाने में, दूसरी कान्सप्रेसी जांच कमीशन को दबाने में ताकि असली कातिलों का पता न चल सके, उन्हें सजा न मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, इस हाउस के बाहर राजस्थान की जनता बड़ी आशा करके बैठी है हम सब लोगों से, उनके सामने हम क्या दर्पण दिखाना चाहते हैं। क्या आज सरकार का इतना जवाब काफी होगा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहती हूं आप सन्तुष्ट हैं सरकार के इस जवाब से कि टंकण की सुविधाएं दे दी गई

(सुश्री पुष्पा जैन)

हैं और थोड़ी बहुत पैसे की सुविधा दे दी गई है, अब बजट पास होगा तो और भी दे दी जायेगी ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहती हूं, जितने जांच आयोग आपने बैठाये हैं उन सबको आपने क्या-क्या सुविधायें दीं ? नहीं दी तो उनका क्या हश्र रहा, उनकी जांच पूरी हुई या नहीं हुई, नहीं हुई तो किस कारण से उनकी जांच पूरी नहीं हो रही। ये सारे वजूआत इस सदन में पेश किये जायें और सरकार जवाब दे कि कोटपूतली जांच कमीशन में इस तरह की हरकतें क्यों की, इस तरह की लापरवाही क्यों बरती गई ? क्या उन तीन बच्चों को मारने के लिये किसी की जिम्मेदारी नहीं ? क्या लावारिस थे वह बच्चे ? क्या उनके मां बाप नहीं थे ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं समझती, मैं समझती हूं कि इस सरकार में जरा भी लज्जा है तो वह स्वयं खड़ी होकर सारे जांच आयोगों के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे, सदन को बताये कि उन सारी जांचों का क्या हश्र रहा, जांच चल रही है या नहीं चल रही है और नहीं चल रही है तो न चलने के वजूआत क्या हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, जो आज जवाब आया उससे हम यह तसल्ली नहीं कर सकते, इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं कि आज भी कोटपूतली जांच कमीशन को यह सुविधाएं जुटा दी गई हैं। इसके बारे में सरकार स्वयं खड़ी होकर स्टेटमेंट दे। मैं समझती हूं कि यह सरकार के लिये जरूरी है अन्यथा कोई जरूरत नहीं है इस सरकार की। अच्छा हो यह सरकार इस्तीफा देकर अपने घर जाय, राजस्थान की जनता को अपने रहमोकरम पर छोड़ दे भगवान के लिये।

(व्यवधान)

कोई जरूरत नहीं है सरकार की, सुपुर्द करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी नाकारा सरकार से तो अच्छा है बिना सरकार के हम रह लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उजला जी, सारी चीजें आ गई हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक जानकारी रह गई है जो आप कह दें तो मैं दो मिनट में देना चाहती हूं। जिस समय कमीशन अपाइन्ट हुआ उसके दस महीने तक उनको बैठने की जगह नहीं दी गई। जितना बजट उनको दिया गया उस समय तंग किया गया....

श्री उपाध्यक्ष : यह सारी चीजें आर्डर शीट में आ गई हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पहले जज को बैठने की जगह नहीं दी गई, फिर कमीशन को काम करने की सुविधा नहीं दी गई। इस तरह से कमीशन का मजाक उड़ाया जा रहा है। सरकार न्याय की मजाक उड़ाती है, मैं समझती हूं यह अच्छी बात नहीं है। उनको समय पर पूछ कर सुविधा दे तब काम चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : पूरी भावना आ गई माननीय सदस्या। बिजली की दरों में....

श्री यदुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह मसला बहुत गम्भीर है। माननीय सदस्या ने अभी जो मिनट्स पढ़ कर सुनाये, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को कैटोगेरिकली जवाब देने के लिये सामने आना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आ गया।

श्री यदुनाथ सिंह : फिर यह मजाक क्या है। कमीशन अपाइन्ट करते हैं, रोज घोषणा होती है इस हाउस में कमीशन जांच करेगा। यह बहुत सीरियस मसला है, उपाध्यक्ष महोदय। यानी जज को ह्यूमिलिमेट किया जाय, लोगों को भूना जाय, यहां पर सदन में हल्ला रोकने के लिये, सदस्यों को शान्त करने के लिये कमीशन की घोषणा की जाय उसके बाद इस तरह कमीशन....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठें। सारी चीज कह दी।

श्री यदुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह बैठवे का मसला नहीं है। मैं एक एक शब्द बड़ी गम्भीरता से सुन रहा था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत चिन्तित हूं और सदन को चिन्तित होना चाहिये।

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, तीन-तीन जांच कमीशन आपके जिले में बैठे हैं। आपकी आंखों, नजरों के सामने खून की होली खेली गई है उन कमीशनों का क्या हश्र होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : पहले काफी चर्चा हो चुकी है इन कमीशन्स के ऊपर।

श्री यदुनाथ सिंह : यह क्या चर्चा है, मतलब क्या है कमीशन का, मायने क्या है इन कमीशन के, यह बताइये हमको आप।

श्री उपाध्यक्ष : इनकी रिपोर्ट पर भी हो चुकी है।

श्री यदुनाथ सिंह : आपका कान्सियस क्या कहता है, आप मुझे बताइये। कमीशन के मायने क्या रहे ?

श्री उपाध्यक्ष : रिपोर्ट के ऊपर भी हो चुकी है।

श्री यदुनाथ सिंह : यह किस पर चर्चा कर रहे हैं। हम चर्चा किस पर कर रहे हैं ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : टाइपराइटर दे दिया काहे का कमीशन है। आप मजाक क्यों कर रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : You are representing Government. सरकार मजाक उड़ा रही है कमीशन का।

श्री यदुनाथ सिंह : तमाशा बना रखा है राजस्थान की जनता....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : टाइप राइटर नहीं, गवाहों को पैसा नहीं। यह क्या मजाक कर रही है सरकार ?

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, कौन बैठेगा ऐसे कमीशन में ? न्यायाधीश कभी बैठना पसन्द नहीं करेगा।

श्री यदुनाथ सिंह : क्या मजाक है, लज्जा आनी चाहिए। सरकार को क्षमा मांगनी चाहिये।

एक माननीय सदस्य : भविष्य में ऐसे कमीशन में कोई बैठना पसन्द नहीं करेगा।

श्री यदुनाथ सिंह : कोई बात नहीं है, हम सुनने को तैयार नहीं हैं इससे आगे। इनकी वचनबद्धता पर क्या भरोसा किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : अभी और एक मसला आ रहा है।

श्री यदुनाथ सिंह : जो मुंह में आती है निकाल देते हैं।

श्री मोहन प्रकाश : सरकार तो दोषी को सजा नहीं देना चाहती....

श्री उपाध्यक्ष : वह आपकी भावना सामने आ गई।

श्री यदुनाथ सिंह : क्या भावना सामने आ गई। आपकी कान्सियस क्या कहती है, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे पूछना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

रोज हत्याएं हो रही हैं।

श्री मोहनप्रकाश : जो कोटपूतली में कांड हुआ उसमें सजा दे दी, अदालत ने मुल्जिमों को सजा दे दी। उसके विरोध में जो जनता आयी थी उसको सरकार ने गोली से भूनने का काम किया था वह जांच भी आज तक नहीं हो पाई, इससे बड़ी कोई शर्म की बात हो सकती है ? जिस औरत के साथ बलात्कार हुआ उन पुलिस वालों के खिलाफ अदालत ने सजा दे दी अभियुक्तों को, उसके बाद जनता ने जो कोशिश की, उसके बाद जो गोली से भूना गया, उसके बाद के कमीशन की अब तक जांच नहीं हो पाई, कार्यवाही नहीं चल रही है। सी.बी.आई. को राजा मानसिंह कांड में इसी तरीके से आपने हरेस किया, हरेस करके चालान पेश नहीं करने दिया और इसी तरह से कोटपूतली....

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : धना कांड में, उपाध्यक्ष महोदय, आपको पता नहीं है जो गवाह हैं उन पर मुकदमे सरकार ने चला रखे हैं। हमारे ऊपर देश द्रोह का मुकदमा चला रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इन कमीशन पर आप भी बोल चुके हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : कमीशन की रेलवेंस नहीं है, सरकार लफ्फाजी करती है यहां

(श्री यदुनाथ सिंह)

पर। सरकार लफ्फाजी करती है। सरकार को क्षमा मांगनी चाहिये सदन से। हम कोई बात सरकार की सुनने को तैयार नहीं है। इससे ज्यादा गम्भीर कोई चार्ज हो सकता है कि एक कमीशन लिखे वापस? लज्जा आनी चाहिये सरकार को। क्षमा मांगे सरकार।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने यह व्यवस्था दी कि जब एडजोर्नमेंट मोशन आया उसके बाद सरकार ने टंकण की व्यवस्था कर दी। यही तो आपकी व्यवस्था है?

श्री उपाध्यक्ष : इसमें यह आया है उन्होंने जो जानकारी दी है, जानकारी पढ़ कर सुना देता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, बता देओ।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार ने यह जानकारी दी है कि टंकण यंत्र उपलब्ध करा दिये गये हैं तथा कुछ धनराशि भी उपलब्ध करा दी गई है। बजट पारित....

(व्यवधान)

सुन लीजिये, सुन लीजिये।

श्री यदुनाथ सिंह : डेढ़ साल हो गया। हमने सुन लिया, वह बार बार सुन लिया। अब यह सरकार कहती है हमें उसका कोई भरोसा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : बजट पारित होने पर और राशि दी जायगी।

श्री यदुनाथ सिंह : कमीशन की जांच खतम हो जायगी....

श्री उपाध्यक्ष : आयोग की अवधि बढ़ा दी गई है अब....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह हुआ कि एडजोर्नमेंट मोशन जब तक नहीं आया या उन्होंने आर्डर शीट में, जो अभी पढ़ कर सुनायी, उस प्रकार की बात नहीं लिखी उसके पहले न टंकण की व्यवस्था थी, न उसके पहले गवाहों को खर्चा देने के लिये पैसे दिये गये थे, न कोई बजट का प्रावधान था। यह बात तो सही है ना? क्या कहना है आपका?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं निवेदन करूं, पूरा तो मेरे पास नहीं है, पूरा ला सकते हैं। उसमें ऐसा है कि, जहां तक जानकारी का प्रश्न है 14 हजार रुपये मांगे गये थे जो उन्होंने इस साल मांगे थे। एडहाक दस हजार रुपये ग्रांट कर दिये गये थे। दस हजार में से तीन हजार दे दिये गये। जहां तक टंकण का प्रश्न है, टंकण जयपुर के जिलाधीश से देने के लिये कहा

(श्री उपाध्यक्ष)

गया था तो वह टंकण यंत्र कहते हैं वहां से उपलब्ध करा दिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कमीशन अपाईन्ट करने के बाद ।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं पहले । पहले ज्यादा कराये थे उनमें जो वापस किये थे अब दुबारा किये हैं । पहले जो किये गये थे उनमें से तो कमीशन ने उल्टे लौटा दिये थे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह खराब भेजे थे ।

श्री उपाध्यक्ष : दुबारा जो मांगे थे....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह खराब भेजे थे इसलिये वापस लौटा दिये थे ।

श्री उपाध्यक्ष : पहली बार जो किये....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले जो दिये वह खराब थे इसलिये वापस लौटाये । दूसरी बार उन्होंने कलेक्टर या एस. पी. से टंकण यन्त्र प्राप्त किये । यही है ना? मैं यह कहना चाहता हूं कि जुडिशियल कमीशन तो अपाइन्ट कर दिया उसकी व्यवस्था सरकार ने क्यों नहीं की, इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्री उपाध्यक्ष : जानकारी के हिसाब से टंकण यन्त्र की व्यवस्था जिलाधीश के यहां से की गई, जिलाधीश ने उनको टंकण यन्त्र उपलब्ध कराये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, जानकारी यह दी कि जब आर्डर शीट में जज ने यह रिमार्क्स लिखे उसके बाद व्यवस्था हुई है ।

(व्यवधान)

उनके पहले कोई व्यवस्था नहीं थी ।

श्री उपाध्यक्ष : वह जानकारी....मुझे पता है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसीलिये कह रहा हूं, अब आपकी व्यवस्था से यह प्रकट हुआ है कि जब तक आर्डर शीट में यह बात नहीं लिखी गई....

श्री उपाध्यक्ष : उसकी तारीख मैं नहीं कह सकता । उसमें कौनसी तारीखें दी हैं, कौनसी तारीख की आर्डर शीट है यह ध्यान में नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, इसका अर्थ यह है कि आर्डर शीट 9 तारीख की है । कमीशन अपाइन्ट किया है 25 जनवरी, 84 को । 25 जनवरी, 84 को जो कमीशन अपाइन्ट किया गया उसको टंकण यन्त्र 9 तारीख तक नहीं दिये, 9-7 तक । उसी प्रकार जो कमीशन 25 जनवरी को अपाइन्ट किया गया उसको गवाहों को खर्चा देने के लिये खर्चा नहीं दिया गया । अब आप यह अन्दाज लगायें कि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

क्या कमीशन काम कर सकता था ? यह किसकी गलती रही ?

श्री उपाध्यक्ष : जो ध्यान में आया है, पहले ज्यादा कराये थे। उसमें से कुछ 28 या कुछ टकरण यन्त्र वापस लौटा दिये....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, आप क्यों बोल रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : जो जानकारी है मैं वह देना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप नहीं, सरकार क्यों नहीं बोलती ?

श्री उपाध्यक्ष : पूरी जानकारी की है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सरकार ने व्यवस्था नहीं की।

श्री उपाध्यक्ष : जानकारी दी है, जानकारी के आधार पर मैं कहना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह पूछना चाहता हूं, गवर्नमेंट ने व्यवस्था क्यों नहीं की ? गजट नोटिफिकेशन के तीन माह बाद तक कौन कमीशन बनेगा, कौन जज बनेगा, कहां ठहरेगा, उसकी व्यवस्था नहीं हुई। तीन माह बाद नवम्बर में किसी प्रकार जब व्यवस्था हुई तो उनको साधन नहीं दिये गये तो उस कमीशन को अपाइन्ट करने का अर्थ क्या है ? क्या लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिये कमीशन अपाइन्ट किया जाता है। मैं कहता हूं कि यह गवर्नमेंट का इन्टेन्शन था, इन्टेन्शनली गवर्नमेंट ने टाईप-राइटर नहीं दिया, इनटेन्शनली गवर्नमेंट ने कोई भत्ता नहीं दिया और गवर्नमेंट का इन्टेन्शन है कि जिन लोगों ने गोली चलाई उनको बचाया जाये। जिन लोगों पर गोली चलाई, कमीशन में यदि थोड़ी भी शर्म हो तो वह ऐसी व्यवस्था को छोड़कर चला जाये। यह तो सरकार पर स्ट्रक्चर्स हैं, जबरदस्त स्ट्रक्चर हैं और मुझे खेद है कि सरकार उसे सुनकर बैठी है, उत्तर देने की स्थिति में नहीं है जैसे सरकार को कोई जंग खा गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं निवेदन करूं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सरकार जवाब देगी, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को जवाब देना पड़ेगा।

श्री यदुनाथ सिंह : सरकार से जवाब दिलवाना पड़ेगा।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप सरकार की पैरवी क्यों कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : आप सरकार का तरफ क्यों ले रहे हो ? जवाब सरकार की

(श्री यदुनाथ सिंह)

तरफ से आना चाहिये । हम सरकार की बात आपके माध्यम से करें हमारा जो आरोप है उसका जवाब सरकार दे ।

(व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जज को नियुक्त करने के बाद जनता में आशा बंधी कि निश्चित रूप से न्याय मिलेगा । सरकार की निष्ठा का अभाव साफ है । सरकार की सिंसियरिटी और निष्ठा खास तौर पर द्योतक है इस बात का परिचायक है कि जांच को पूरी तरह सम्पन्न नहीं होने देना चाहती और होने देना चाहती तो यह नौबत नहीं आती कि एक जज को भी इस तरह की आर्डर शीट लिखनी पड़े जो खास तौर से लिखी है सरकारी कृत्य की उनके साथ जिस तरह से व्यवहार किया है उसके लिये । जब यह बात साफ आ गई तो हमारा निवेदन है आसन को कि आप बीच में न आयें । आपने व्यवस्था दी, उस समय यह आर्डर सीट हमारे सामने नहीं थी । इस आर्डर सीट को हमारे सामने सुनाने के बाद, उपाध्यक्ष महोदय, आप इस बात से निश्चित रूप से कन्वीन्स्ड होंगे कि जान बूझकर सरकार ने बाधा डाली । इस कमीशन का काम सुचारू रूप से नहीं चले जब ये तथ्य सामने है, यहां तक कमीशन ने लिख दिया कि हम 29 तारीख को काम बंद करेंगे, वहीं सात दिन पहले नोटिस बोर्ड पर चिपका देंगे । कोई बतायें, यह स्थिति जिस सरकार ने कर दी हो और मौन बैठी हो, वह सरकार जवाब न दे और आसन यह कह कर चुप कर दे कि हमारी व्यवस्था है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सरकार को ताकीद करें । हमारा एक सदस्य जरा सी देर लेट हो जाता है तो अफसोस जाहिर करना पड़ता है । इतना बड़ा लेप्स है । इसलिये सरकार फिर सदन को जवाब क्या नहीं देती कि आखिर सरकार ने ऐसी गलती क्यों की और क्यों सरकार ने एक जज के साथ ह्यूमीलियेसन किया और जांच कमीशन के कार्य में बाधा क्यों डाली जा रही है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य जो स्थगन प्रस्ताव आये थे उन पर जानकारी चाही गई थी जानकारी आने के बाद यह कह दिया कि स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत किया जाता है बोलने की अनुमति नहीं है, लेकिन बोलने की अनुमति दी जाती है आप बोल सकते हैं ।

श्री यदुनाथ सिंह : यह स्वीकृत करना चाहिये था । इस सदन में इससे ज्यादा गंभीर कोई मसला नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, एक बार मेरी और देखकर, मुस्कराकर आप मेरी बात सुनें । इस सदन में यह कोई नयी परम्परा तो नहीं है जब इस तरह का सवाल पैदा होता है । आपके पास जो जानकारी है वह अधूरी है और माननीय सदस्या ने जो जानकारी दी है उस जानकारी से कुछ ऐसी बातें सामने आयी हैं

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

कि जिनको सरकार की ओर से स्पष्ट करना चाहिये।

(म. प. 2.45)

(श्री हीरालाल देवपुरा, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, सवाल यह चल रहा था कि कोटपूतली काण्ड की जांच में जिस जज की नियुक्ति की गई।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह मैंने सुन लिया।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपने सुन लिया। अब सवाल यह है कि जो बातें यहां कही गयी और आपने जो जानकारी प्राप्त की, उस जानकारी में वह बात इसलिये शामिल नहीं हैं। सरकार को इस बारे में सदन को जानकारी देनी चाहिये। जो बातें और यह आर्डर सीट जज ने वहां लिखी और उसके बाद जितनी भी बातें आपने बतायीं, एवं हैं, उसमें सरकार की स्थिति क्या है, सरकार इसमें क्यों फेल हो गई, किसकी गलती है और उसके बारे में क्या करने जा रही हैं, सदस्यों को इस सम्बन्ध में जानकारी देना आवश्यक है। और यह कोई नई परम्परा नहीं है, जब कभी भी ऐसे सवाल आते हैं तो सरकार की ओर से माननीय मंत्री महोदय उत्तर का जवाब देते हैं। इसलिए इसका जवाब उनको देना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप अभी आये हैं मैं चार लाइन आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। मैं गवर्नमेंट से कैटेगरीकली यह जानना चाहता हूं, जो कमीशन ने लिखा है। ऊपर तो कुछ लिखा है मैं पढ़कर नहीं सुना रहा हूं।

"राज्य सरकार ने अपनी सुविधा के कमीशन नियुक्त किया और मुझसे सहमति मांगी मैंने सहमति दी लेकिन इसलिए नहीं दी कि राज्य सरकार मेरे को हर सुविधा के ऊपर, बजट के बारे में और सुचारु रूप से कार्य करने के बारे में मोहताज करे और परेशान करें।"

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यह सरकार यदि कमीशन को परेशान करे, मोहताज कर सकती है तो इस सरकार से, कमीशन से क्या अपेक्षा करें। कमीशन सरकार ने नियुक्त क्यों किया? इसकी चुनौती में खुद नहीं दे रहा हूं कमीशन कह रहा है कि मुझको नियुक्त क्यों किया था। उसके बाद मुझे सुविधा नहीं दी और परेशान कर रहे हैं। मैं उस परेशानी का जवाब चाहता हूं और मैं यह चाहता हूं कि कमीशन ने अपनी आर्डर सीट में जो लिखा है सरकार की उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज....आर्डर प्लीज....

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्य कृपया बैठें। माननीय सदस्य कोई व्यवस्था नहीं है अभी....

श्री सम्पत सिंह : इसी के संदर्भ में....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन के समक्ष अभी जिस पर चर्चा चल रही थी एक स्थगन प्रस्ताव माननीय सदस्य का आया था। उस स्थगन प्रस्ताव पर सरकार से जानकारी देने के बाद मैंने इस पर व्यवस्था दी और अस्वीकार किया उस स्थगन' को साथ-साथ बोलने की अनुमति दी है। माननीय सदस्य, जिनका स्थगन प्रस्ताव है वे अपने-अपने विचार संक्षेप में रखें। आपने सारी बातें कह दी, जो परम्परा इस सदन की रही है अभी तक स्थगन प्रस्ताव पर, सारी बातें कह दी थी। आपने उसके तहत जो फैक्ट्स थे, जो भी तथ्य थे, वह आपने कहे। यहां पर कहने का मतलब यह है कि सरकार उसका कोग्निजेन्स ले उसको देखें। यही स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होती है यह परम्परा अभी तक रही है। आपने सब बातें कही है और मैं यह मानकर चलता हूं कि सरकार इसका कोग्निजेन्स लेगी, उसको देखेगी, उस पर कार्यवाही जो भी होनी है वह करेगी। स्थगन प्रस्ताव के जाने से भी बहुत कुछ मामले सुलझते हैं और समझ में आते हैं। तो मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि स्थगन प्रस्ताव पर जो व्यवस्था दी है उस व्यवस्था के अनुरूप इस पर काफी चर्चा हो चुकी है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री यदुनाथ सिंह : मामला स्थगन प्रस्ताव का नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आर्डर प्लीज।

श्री यदुनाथ सिंह : क्या मखोल बना रखा है इस सदन में सरकार स्तीफा दे क्या रह गया है मखोल बना रखा है सरकार ने।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस प्रस्ताव पर काफी बोल लिये हैं माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। सारे एक साथ बोल रहे हैं। जितनी एनर्जी आप एक साथ बोलने में, लगा रहे हैं वह वेस्ट जा रही है। साथ-साथ बोलने से एनर्जी वेस्ट गयी, न ही नोट किया जा सका। पूरी तरह से न कोई बात हुई, न किसी ने सुना न समझा है।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : नोट करने से भी कुछ नहीं होता है। इस हाउस में घोषणा की, बाहर घोषणा की, खुद घोषणायें की, नतीजा कुछ नहीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, कृपया बैठें।

श्री यदुनाथ सिंह : यह तो करेक्टर की बात है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी तरफ देख रहे हैं जरा सरकार की तरफ भी देखें हम आपके प्रोटेक्शन में बोल रहे हैं। सरकार की तरफ से जवाब नहीं है। ऐसे गुमसुम बैठे हैं जैसे हैं ही नहीं।

श्री अध्यक्ष . जोरों से बोलें। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

श्री यदुनाथ सिंह : सरकार है ही नहीं यहां कोई....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज....कृपया बैठें।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सरकार के लिए विज्ञापन निकालना पड़ेगा कि सरकार कहां गई।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ उस स्थगन प्रस्ताव में सब बातें निहित नहीं थी। उस स्थगन प्रस्ताव के आधार पर आपने राज्य सरकार से जवाब मांगा, जवाब आपके पास आ गया, उससे आप कन्वींस हो गए कि आगे की व्यवस्था हो गई। आपने माननीय सदस्य को इस पर 2-3 मिनट बोलने का समय दे दिया। जब समय देने के पश्चात् उन्होंने सारी बात सदन के समक्ष आपके समक्ष रखी तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह ठीक है कि व्यवस्था की दृष्टि से एक बार बोलने के आधार पर सरकार काग्नीजेंस ले ले किन्तु जब इस प्रकार के तथ्य यहां सामने आ गए हैं कि जिसमें ज्यूडिशियरी के, कमीशन के व्यक्ति थे उन्होंने जिस तरह के सरकार के बारे में तथ्य प्रस्तुत किए हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप क्यों बोल रहे हैं बीच में, या तो कह दीजिए कि ललितजी समझे नहीं हैं इसलिए आप सप्लीमेंट करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन सरकार नहीं कहती, सरकार बोल ही नहीं रही है ।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : उन्हें लकवा मार गया सारी ट्रेजरी बैंच को, अध्यक्ष महोदय, इसको गम्भीरता से लिया जाना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : मैं बहुत गम्भीरता से ले रहा हूं ।

श्री यदुनाथ सिंह : आप तो ले रहे हैं, आप पर हमें कोई शिकायत नहीं है लेकिन सरकार कतई गम्भीरता से नहीं ले रही है । अध्यक्ष महोदय, इस तरह से सरकार बैठी है जैसे लकवा मार गया है सरकार को ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय अध्यक्ष जी, कोटपूतली का मामला है इसलिए सिर्फ एक मिनट ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं एक मिनट में यही नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जब इस प्रकार के तथ्य सामने आ गये तब आपने व्यवस्था जो सामान्य रूप से स्थगन प्रस्ताव के बारे में रखी है इस पर आप नहीं रहे और सरकार को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब इस प्रकार के तथ्य विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने, सदस्य महोदय ने इस प्रकार की बातें रखी हैं, सरकार पर जो कमीशन के इन्चार्ज हैं उन्होंने इस प्रकार के आरोप लगाए, उसके बाद भी सरकार मौन बैठी रहे और उत्तर न दे और आपको बीच में आना पड़े, अध्यक्ष को बीच में आना पड़े और आपको उनकी सेफ्टी करनी पड़े मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं गृह मंत्रीजी बैठे हैं, इस पर कुछ बोलें । सरकार पर किसी प्रकार का....

श्री अध्यक्ष : आर्डर माननीय सदस्य, कृपया बैठें ।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में हमेशा यह परम्परा रही है....

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में कुछ कहना है क्या ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा ।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पेश करता हूं ।

(व्यवधान)

मेरा अविश्वास का प्रस्ताव है सरकार पर ।

(व्यवधान)

श्री हरिकुमार औदिच्य : इस प्रकार का संगीन आरोप कभी सरकार पर पहले नहीं

(श्री हरिकुमार औदित्य)

लगाया गया। यह प्रजातन्त्र में कलंक की बात है, अध्यक्ष महोदय, और सरकार को सांप सूंघ गया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सरकार कहां है ?

एक माननीय सदस्य : मुझे लगता है सरकार मौन है, बोल नहीं रही है तो कुछ दाल में काला है।

श्री दाऊदयाल जोशी : सारी सरकार पर लकवा पड़ गया है।

श्री केदारनाथ : पाइन्ट आफ आर्डर, अध्यक्ष जी, आपने व्यवस्था दे दी। उसके बाद जो नोट शीट पर आब्जर्वेशन दिये जज साहब ने यह काफी ऐसा है, अध्यक्षजी, कि आपने जो व्यवस्था दी उसको रिवाइज भी कर सकते हैं और आपने कहा कि सरकार अपने आप काग्नीजेंस ले ले, सरकार लेती नहीं, सरकार बोलती नहीं तो आपके पास, अध्यक्ष जी, एक ही उपाय है कि आप डायरेक्शन दीजिए कि यह आज इस सदन की सीटिंग के पहले अपना स्टेटमेंट इसके बारे में देंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष जी, 2–3 रोज पहले माननीय गुलाबसिंह जी गृह मंत्री के रूप में बोल रहे थे तो उन्होंने इस सदन को आश्वासन दिया था कि तीन कमीशन बैठाए है सरकार ने उनकी रिपोर्ट अभी आई नहीं है और आएगी तब उनकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जाएगी। अभी एक कमीशन जिस प्रकार फंक्शन कर रहा है उसका एक नमूना अभी जो सामने आया है बहुत डिटेल में कि जो कमीशन मुकर्रर हुआ है वह क्या लिखता है और किस तरह से वह परेशान है। मैं सोचता हूं कि यह मामला गम्भीरता से लिया जाने के लायक मामला है। सरकार स्वयं अगर कमीशन मुकर्रर करे और उनके मुकर्रर किये हुए कमीशन अगर हैण्डीकेप्ड रह कर काम नहीं कर सकें, फिर उनकी रिपोर्ट नहीं आए सदन में लोगों को जानकारी नहीं मिले, उन कमीशन का पब्लिक के सामने एलान हुआ और उनका परिणाम नहीं निकले तो लोगों में नेचुरली ला एण्ड आर्डर के बारे में गम्भीर चिन्ता का विषय बनता है। मैं सोचता हूं कि आज एक कमीशन का मामला सामने आया है दूसरे कमीशन की क्या स्थिति है उसके बारे में तो हमको जानकारी नहीं और न किसी सदन के माननीय सदस्य ने उसके बारे में कहा है। मैं सोचता हूं कि इन कमीशंस को सरकार ने जनहित में अपनी दृष्टि से उचित समझ कर मुकर्रर किया है और जिन कमीशंस को स्वयं मुकर्रर करते हैं तो वह ज्युडिसियरी के आदमी होते हैं, केलीबर के आदमी होते हैं जो कमीशन में बैठते हैं और उनका एक वक्तव्य आज देखा उसको सुनकर तो बहुत दुख हुआ। मैं सोचता हूं कि सरकार को इस मामले में निश्चित तौर पर कुछ कहना चाहिए कि जो कुछ भी व्यवस्था चाहिए कमीशन में कमी नहीं रखने की उसको जल्दी पूरा करवायेंगे। कमीशन का

(श्री नाथूराम मिर्धा)

काम और दूसरे कमीशन को भी आप देख लें यह मेरा विशेष तौर से सरकार से निवेदन है। क्योंकि सरकार अगर इन मामलों में नहीं बोलती है और अगर आप चुप होकर बैठे रहते हैं, एक तरफ से सारी बात कही जाती है उसका बहुत उलटा असर लॉ आर्डर की सारी स्थिति पर, समाज पर पड़ता है। प्रान्त में पड़ता है। मैं सोचता हूं कि इस बारे में जो कुछ भी कमियां रहीं यह सरकार अभी बनी है, यह थोड़े महीने पहले ही बनी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अफसर तो वही हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : हां, हैं तो सब एक ही वैसे सभी कंटीन्युअस होते हैं, सरकार और वही पार्टी है, उसी पार्टी की सरकार है पर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कुछ पश्चाताप, खेद और व्यवस्था ठीक हो उसके बारे में आपको कहना चाहिए, चुप नहीं होना चाहिए, यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय अध्यक्ष महोदय जो एडजोर्नमेंट मोशन मूव किया गया था और उसमें जो कन्टेन्ट्स थे उसके सम्बन्ध में सरकार की ओर से उत्तर आपको निवेदन कर दिया गया है और उसके सम्बन्ध में आपकी व्यवस्था हो गई है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सुनने की कृपा करें। माननीय सदस्य, मंत्री महोदय कुछ कह रहे हैं कृपया बैठें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो एडजोर्नमेंट मोशन दिया गया था उसके लिए कंटेंट्स....

(व्यवधान)

सुनिए, आप बोलते हैं तो मुझे भी राइट है गवर्नमेंट की ओर से कहने का। आज आपने कोई नया एडजोर्नमेंट मोशन दे दिया हो तो बात दूसरी है। जज की नोट शीट पर क्या लिखा गया है यह एडजोर्नमेंट मोशन नहीं दिया गया है और न कभी इस एडजोर्नमेंट मोशन के जरिए सवाल उठाया गया। जो एडजोर्नमेंट मोशन दिया गया था उसमें जज को टाइप राइटर की सुविधा न करने के सम्बन्ध में था और खर्चे की व्यवस्था नहीं करने के सम्बन्ध में था। राज्य सरकार ने अध्यक्ष महोदय को जानकारी दी है कि टाइप राइटर उनको उपलब्ध कराए गए थे, उन्होंने कहा कि टाइप राइटर रेमिंगटन के चाहिए थे वे रेमिंगटन कम्पनी के टाइप राइटर बदल दिए गए हैं और खर्चे की व्यवस्था भी कर दी गई है अब प्रश्न नया आया है कि नोट शीट पर क्या लिखा गया और क्या नहीं लिखा गया यह एडजोर्नमेंट मोशन में है नहीं। सदन की हमेशा परम्परा रही है कि अध्यक्ष की व्यवस्था जब एडजोर्नमेंट मोशन को एडमिट नहीं करती तो सरकार की ओर से कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं दिया गया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह बात ठीक है कि यह आर्डर शीट अभी आपके नोटिस में आई है, हो सकता है कि आपके नोटिस में नहीं हो। अब इस आर्डर शीट में जो कमीशन ने लिखा है,

(व्यवधान)

मैं आपसे कह रहा हूं, इसे सुनिए।

श्री अध्यक्ष : मैं उस पर व्यवस्था दे देता हूं, कृपया बैठें।

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं एक मिनट, आप फिर कह दीजिए।

मेरा आपसे निवेदन है हेटी की बात नहीं है। यह जो नया मामला आपके नोटिस में आया है यह कोर्ट की आर्डर शीट पर है इसको आप देख लीजिएगा और यह आश्वासन सदन को दे दीजिए कि जो कमियां अब तक रही अब हम कोई भी तरह की कमी इन तीनों कमीशन के मामलों में नहीं रहने देंगे और उनकी कार्यवाही सुचारु रूप से चलेगी इसको कहने में आपको क्या कष्ट हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर माननीय सदस्य।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो तीन कमीशन बिठाए हैं उनको सुविधा देने का सवाल है और उसके कार्य को सुचारु रूप से चलाने का सवाल है सरकार पूरी तरह से सहयोग करके कमीशन के काम को समय पर निपटाने के लिए पूरी मंशा के साथ काम करना चाहती है।

(3.00 म. प.)

जहां तक कोटपूतली कमीशन का सवाल है, उसमें टाइप राइटर उपलब्ध कराये गये थे, स्पेशल मेक के टाइप राइटर चाहिए थे। उस टाइप राइटर को हमने बदल दिया। गवाह के खर्चे हमने उपलब्ध करा दिये, अधिक खर्चा और चाहिए तो उसके लिए हमने कहा कि इस महीने के बाद और उपलब्ध करा दिया जायेगा, ढील नहीं है। यही नहीं कोटपूतली काण्ड या मानसिंह काण्ड को लेकर जो कमीशन नियुक्त किया गया है, कमीशन की रिक्वायरमेंट के आधार पर जो भी आवश्यक है सरकार उनको पूरा करेगी। सरकार इस काम को आगे बढ़ाने के लिए पूरा सहयोग करेगी इसमें कोई दो राय नहीं है।

सुश्री पुष्पा जैन : अब तक क्यों डिले हुआ ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्या, कृपया बैठें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : अध्यक्ष जी....

श्री अध्यक्ष : आर्डर माननीय सदस्य, कृपया बैठें। माननीय श्री मुक्तिलाल जी बैठें।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसी सरकार ने कमीशन....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठें। मुक्तिलाल जी बैठें।

मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि गम्भीर मामला है इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। माननीय मंत्रीजी ने जो कहा है उससे भी लग रहा है कि सरकार इसको लाइटली नहीं लेना चाहती है, न ही ले रही है। अब आप यह कह रहे हैं कि आज तक क्यों नहीं हुआ। मैं समझता हूं उससे कोई पर्पज पूरा नहीं होने वाला है। जो कुछ भी ज्युडिशियल कमीशन अपाइन्ट हुए, जो हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने अपना एक आब्जर्वेशन दिया नोट शीट पर और उसको पढ़ कर सुनाया। मैं समझता हूं वह ही बहुत काफी है जो इस बात को दर्शाता है कि क्या स्थिति थी।

(व्यवधान)

नेक्स्ट। आर्डर प्लीज माननीय सदस्य।

एक निवेदन मैं और करना चाहता था और मैं यह मान कर चलता हूं कि मुझे नहीं मालूम कि उनको कितना स्वीकार करेंगे। एक स्थगन प्रस्ताव जो बिजली के बारे में था जिसमें मैंने व्यवस्था दी है कि माननीय सदस्य बोलेंगे। मैं माननीय सदस्यों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आगे की डिमाण्ड को देखते हुए, इम्पारटेंट डिमाण्ड को देखते हुए सवेरे इस बारे में काफी चर्चा हो चुकी है, माननीय सदस्यों की भावनाएं भी काफी आ चुकी हैं, काफी भावना आ चुकी है, इसलिए मैं चाहूंगा कि उस स्थगन प्रस्ताव पर बोलने की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होगी और इसमें माननीय सदस्य सहयोग कीजिये। धन्यवाद।

श्री नाथूसिंह : एक बात, अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नाथूसिंह। सदन में पहली बार रिक्वेस्ट की है। कृपया बैठें। आर्डर प्लीज। कृपया बैठें। माननीय सदस्य चैयर की भावनाओं को नहीं समझते। माननीय सदस्य....

(व्यवधान)

मतलब यह है कि कुछ न कुछ अपने को बोलना ही है। श्री नाथूसिंह, कृपया बैठें। माननीय सदस्य एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलने का पूरा अधिकार है, एप्रोप्रिएशन बिल पर कौन रोकेगा आपको। आप बोलें मुझे कोई एतराज थोड़े ही है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : बिल्कुल ठीक है, माननीय अध्यक्ष जी। हम तो यह चाहते हैं कि जो कोटपूतली का मसला एक साल से ज्यादा हो गया। तो मेरा यही कहना है कि कोई भी कमीशन बैठावो उसके अन्दर एक साल के अन्दर रिपोर्ट दे दे ऐसा मैं समझता

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

हूं सरकार को आदेश होना चाहिए, निर्णय होना चाहिए कि एक साल तक रिपोर्ट दे दें....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, बैठें। ध्यानाकर्षण। श्री नाथूसिंह, श्री ललित किशोर चतुर्वेदी राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। जयपुर मेटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जयपुर द्वारा संस्थान के आर्थिक हितों के प्रतिकूल एवं प्रबन्धों द्वारा अवैध आय करने के लिये जमीन के विक्रय में की गई अनियमितताओं के बारे में। श्री नाथूसिंह।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जयपुर मैटल्स की जमीन के विक्रय में अनियमितताएं एवं घोटाला

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत जयपुर मेटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जयपुर द्वारा संस्थान के आर्थिक हितों के प्रतिकूल एवं प्रबन्धों द्वारा अवैध आय करने के लिये जमीन के विक्रय में की गई अनियमितताओं एवं घोटालों की ओर उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा मामला है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप ध्यान आकर्षण कर दीजिये फिर मंत्री जी बोल लेंगे। श्री नाथूसिंह।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ध्यान आकर्षण करेंगे किसका, सरकार तो गायब है।

श्री अध्यक्ष : सरकार तो बैठी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वे तो उद्योग मंत्री हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उद्योग मंत्री हैं, मुख्य मंत्री नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : उनको चार्ज दिया हुआ है।

श्री शोपतसिंह : यह धीमी गति की सरकार है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि यह अव्यवस्था नहीं होने दें कि जिस मंत्री का ध्यान आकर्षण किया जाये और कोई भी मंत्री खड़ा हो जाये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज माननीय सदस्य मैं मानता हूं, आपकी भावना को समझता हूं लेकिन उद्योग का चार्ज मुख्य

(श्री अध्यक्ष)

मंत्री ने, यहां लिखा हुआ है कि कौन कौन मंत्री....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह लिखा हुआ होगा। तब तक कोई चार्ज नहीं मिल सकता जब तक कोई नोटिफिकेशन इश्यु नहीं हुआ हो गवर्नमेंट की तरफ से।

श्री नत्थी सिंह : आर्डर किसको दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष : माटी जी को।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह तो प्रश्न का उत्तर देने के लिए है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर विषय है।

एक माननीय सदस्य : यह गलत परम्परा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप हमारी मजबूरी समझिये, सरकार को कहिये कि यहां कोई तो बैठे जवाब देने के लिए।

श्री अध्यक्ष : मैं आपकी मजबूरी समझता हूं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज माननीय सदस्य।

श्री कल्याण सिंह कालवी : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार जन समस्याओं के प्रति कतई जागरूक नहीं है....

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें। उत्तर आ जाये उससे संतोष हो जायेगा, उससे मालूम हो जायेगा। कृपया बैठें।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप निर्देश दें कि मुख्य मंत्री यहां पधारें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लिख कर दिया हुआ वे पढ़ कर सुना देंगे, सन्तोष हो या नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं। मैं उनके प्रति कोई डिस्रेस्पेक्ट नहीं करना चाहता। मैं इस व्यवस्था के बारे में कहता हूं कि कोई भी मन्त्री उत्तर दे दे, यह आप हाउस में परम्परा डाल रहे हैं यह उचित नहीं है, बिल्कुल गलत है।

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमको कोई एतराज नहीं है, तीन बजे का टाइम है, धीमी गति के समाचार आयेंगे, सुनेंगे बैठे, बैठे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : यह सरकार लगती है आपको। हम जानते हैं आप भी अनुभव करते हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें। श्री नाथूसिंह।

श्री नाथू सिंह (टोडारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा मामला है जिसमें सरकार के बहुत बड़े बड़े लोग इन्वोल्व्ड हैं। अध्यक्ष महोदय, कई स्केन्डल्स इस सदन में उठाये और कई मामले चलते रहते हैं लेकिन यह ऐसा मुद्दा है, अध्यक्ष महोदय, जिसमें प्रशासन और शासन किस प्रकार से कान्स्पीरेसी करके करोड़ों रुपयों का सरकार का नुकसान करे, जनता का नुकसान करे यह इस मामले से स्पष्ट होगा। अध्यक्ष महोदय, यह जयपुर मेटल्स जिसके श्रमिक कई बार यहां पर प्रदर्शन कर चुके हैं पहले घाटे में जा रही थी। आज भी वे लोग धरने पर बैठे हैं। घाटे में जा रही थी तो सरकार ने इसको लिया, अपने शेयर्स डाले और उस समय जिसकी फैक्ट्री थी सेठ की, वह इसको दिवालियापन घोषित करके पैसे को खाना चाहता था लेकिन सरकार ने अपने शेयर डाले। अन्य वित्तीय संस्थायें जो सम्बन्धित हैं उनके 57 पर्सेन्ट शेयर्स इस कम्पनी में हैं। इसलिए इसमें मैनेजमेंट में सरकार का प्रतिनिधि शामिल है। अध्यक्ष महोदय, जब यह प्रोफिट में आयी वापिस कम्पनी तो उसके बाद इसमें जो जमीन पड़ी हुयी थी खाली, उसको बेचने के लिए, अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इसकी जमीन जो लगभग तीस हजार वर्ग गज के लगभग है उसको बेचने का मैनेजमेंट ने प्रस्ताव रखा और वहां की प्लान कमेटी जो थी उसमें एक डिसीजन हुआ। उस निर्णय के अनुसार, अध्यक्ष महोदय, यह 28-9-84 का डिसीजन है प्लान लेवल कमेटी का जिसमें उन्होंने यह तय किया कि जो पैसा आयेगा इसको बेचने से, जो बकाया भुगतान है उससे इसका भुगतान किया जायेगा इसको बेच कर। यह पहली मीटिंग थी जिसमें यह मामला आया 28-9-84 को, अध्यक्ष महोदय, इसको मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं "हमारी संस्था अभी इस स्थिति में नहीं है कि अपनी तरफ से उपरोक्त भुगतान कर सके इसलिए उसका उपाय यह है कि जैसा कि पहले बताया जाता रहा है कि संस्थान के पास जो फालतू जमीन है उसको बेच दिया जाय ताकि उस राशि से ग्रेच्युटी का भुगतान तथा अन्य कर जिनका भुगतान किया जाना अति आवश्यक है, किया जा सके।" इसमें मजदूरों के प्रतिनिधि भी थे जब यह डिसीजन लिया गया। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद दूसरी कमेटी की मीटिंग हुयी और उस कमेटी के अन्दर, अध्यक्ष महोदय, यह निर्णय लिया कि इस जमीन को खरीदने के लिए श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने अपनी ओर से प्रस्ताव रखा दूसरी कमेटी में। कि आप उस जमीन को बेचना चाहते हैं तो उसको मजदूर लेने को तैयार हैं; उनकी यूनियन की तरफ से। यह 24-1-85 को मीटिंग हुयी जिसमें उन्होंने यह प्रस्ताव रखा जिसकी मिनिट्स मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं :—

"श्रमिक प्रतिनिधियों द्वारा सर्व सम्मति से मत व्यक्त किया गया कि कम्पनी द्वारा जो जमीन बेचना प्रस्तावित है यह श्रमिकों द्वारा एक हाऊसिंग सोसायटी बनाकर उसके 300-325 गज के 50 स्क्वायर मीटर के प्लाट काट दिये जायं, इस तरह कुछ है। उनका कहना था कि कम्पनी को जो सर्वोच्च प्रस्ताव जमीन को खरीदने के लिए आये उस दर से यह जमीन श्रमिकों को दे दी जाय। श्रमिक प्रतिनिधियों ने कहा कि हाईयस्ट

(श्री नाथूसिंह)

कास्ट जो किसी की आये, प्रस्ताव आये कम्पनी के सामने, उसी हायस्ट कास्ट पर श्रमिकों को दे दी जाय और उन्होंने कहा कि इसका पैसा हम अपनी भविष्य निधि के खाते में से इकट्ठा करके, निकाल करके उस पैसे का भुगतान कर देंगे। यह श्रमिकों ने प्रस्ताव रखा कम्पनी के सामने। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, इसके बाद एक तीसरी मीटिंग हुयी। यह तीसरी मीटिंग 30-1-85 को हुयी। इससे पहले जब श्रमिकों ने प्रस्ताव रखा था, कम्पनी की ओर से एक टेन्डर निकाला उस जमीन को बेचने का। अध्यक्ष महोदय, यह टेन्डर निकाला उन्होंने 14-10-84 को, उसके पहले एडवरटाइजमेंट निकाला जिसमें उन्होंने इस जमीन को बेचने का निकाला इसमें कोई शर्त नहीं थी जिसके अनुसार प्रस्ताव आये। जो एडवरटाइजमेंट है वह मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि यह मिनिट्स में आये और सदन को पता चले कि वह एडवरटाइजमेंट किस तरीके का निकला :

"Jaipur Metals & Electricals Ltd."
Near Railway Station,
Jaipur–302006.

Commercial/Residential Land for Sale

Sealed offers are invited with earnest money of Rs. 10 lakhs or through A/c. payee bank draft payable at Jaipur upto 20-10-1984 for the following plots of commercial/residential lands in the vicinity of the factory premises :—

Approx. area near Ram Mandir 13,866 sq. yds.

यह है 13 हजार 864 स्क्वायर यार्डस का

Approx. area adjacent to Railway Divisional Office : 15069 sq. yds.

Total area, approx. 28935 sq. yds.

Interested parties/agencies are requested to contact the Company Secretary during office hours for detailed terms and conditions of sale or any other clarification desired by them.

Secretary."

अध्यक्ष महोदय, आज तक कोई एडवरटाइजमेंट निकला होता है तो उसमें टर्म्स एण्ड कंडीशनस होती है। अब इसमें लगभग 29 हजार गज जमीन आज बेचने जा रहे हैं। करोड़ों रुपये की जमीन है, इसमें टर्म्स एण्ड कंडीशन एडवरटाइजमेंट में नहीं निकाली। उसके बाद उस मीटिंग में मजदूरों ने प्रस्ताव रखा कि यह जमीन हमको दे दी जाय। उनको जमीन नहीं दी गयी। लेकिन इसमें जो पार्टियां आयी उसके बाद, उन पार्टियों को डरा धमका कर वापस भेज दिया और एक पार्टी जो कमल एन्टरप्राईजेज जो दिल्ली की थी उसका 10 लाख रुपया

(श्री नाथू सिंह)

अरनेस्ट मनी का जमा कर लिया। मैं कहना चाहुंगा, अध्यक्ष महोदय, कि 14-10-84 को इसमें 10 लाख रुपया दस दिन में जमा होने थे लेकिन दस दिन में एक भी के जमा नहीं हुए। तो यह जो एडवरटाइजमेंट निकाला था। यह इफेक्टिव नहीं रहा। 10 लाख रुपये की अरनेस्ट मनी की कंडीशन थी और 10 दिन में जमा कराना था। इसमें कोई नही आया। न कम्पनी के खातों में जमा ही नहीं है। लेकिन 14-10-84 के पश्चात् 10-1-85 को 10 लाख रुपये कमल एन्टरप्राइजेज जो दिल्ली की फर्म है उसके 10 लाख रुपये अरनेस्ट मनी के 10-1-85 को जमा किया। कितने दिन बाद ? इसके पहले कई पार्टियां आयी उनको डरा धमकाकर कि इस जमीन पर केस चल रहा है, यह डिसप्यूटेड जमीन है, इसमें श्रमिकों का अड़ंगा है और इस साल में जमीन के रुपये जमा नहीं करवाये। दूसरा जो इन्होंने एडवरटाइजमेंट निकला, 23-1-85 को जिसकी 8-2-85 तक ऑफर आनी चाहिए थी। दूसरा एडवरटाइजमेंट निकला....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में कहें।

श्री नाथूसिंह : संक्षेप में ही कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय।

23-1-85 को एडवरटाइजमेंट निकला, इसके पहले 11-1-85 को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया कि कमल एन्टरप्राइजेज को बेचेंगे। मैं आपसे निवेदन करूं कि आप विज्ञापन बाद में निकाल रहे हो और सैद्धांतिक रूप से पहले ही तय कर लेते हो कि हम को इस फर्म को यह जमीन बेचनी है और इसकी ओर से जो पैसा दिया, 13-2-85 को पैसा जमा कराया गया तो श्रमिकों को इस सम्बन्ध में डाउट हुआ। डाउट होने के पश्चात एक मीटिंग और हुयी, यह है 30-1-85 की। प्लान लेबल कमेटी की तीसरी मीटिंग हुयी 30-1-85 को, इसके क्या मिनिट्स हैं। श्रमिक प्रतिनिधियों ने फिर इस मामले को उठाया तो इसमें कहा गया कि कमेटी की बैठक दिनांक 24-11-84 के पैरा 36 जो कम्पनी की भूमि के प्रस्तावित विक्रय से सम्बन्धित है, के बारे में श्रमिक प्रतिनिधियों के प्रस्ताव विक्रय से सम्बन्धित हैं, के बारे में उन्हें बताया गया कि विक्रय का उक्त मामला काफी अग्रिम स्तर पर पहुंचने के कारण श्रमिक प्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर विचार किया जाना सम्भव नहीं हो पायेगा।" अध्यक्ष महोदय, उन्हें कहा गया कि ऊपर के ऊपर यह मामला तय हो गया है, यह काफी ऊपर मामला जा चुका है इसलिए इसके बारे में कम्पनी विचार नहीं कर सकती है।

मैं पूछना चाहता हूं, अपने जवाब में माननीय मंत्री महोदय यह बतायें, वह तो चले गये हैं या कहीं पर हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैं जवाब दूंगा।

श्री नाथूसिंह : अच्छा आप जवाब देंगे तो आप यह बतायें, अध्यक्ष महोदय, मंत्री

(श्री नाथू सिंह)

महोदय यह बतायें कि उच्च स्तर पर अग्रिम स्तर पर कहां यह मामला चला गया था, कहां पर यह निर्णय होना था। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसमें हायर लेबल पर कॉन्स्प्रेसी हुयी हैं। पहले 30-11-84 को और फिर 10-1-85 को विज्ञापन निकला, पर पहले ही बेचने का मामला अन्दर ही अन्दर इन्होंने तय कर लिया था। इस मामले में राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्रीमान् शिवचरणजी माथुर और मंत्री, प्रद्युम्न सिंह जी और यह कावडिया आई. ए. एस. इन तीनों मिलकर हाई लेबल पर कांस्प्रेसी की, अध्यक्ष महोदय। यह वह स्थान है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नाम न लें किसी का। आप स्वयं नियमों को जानते हैं।

श्री नाथूसिंह : मैं नाम नहीं लूंगा, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, यह वह स्थान है, इस जमीन को किस भाव से बेचा गया है। यह मामला ही नहीं है जब इस समिति ने निर्णय लिया। दूसरा विज्ञापन निकाला था, अध्यक्ष महोदय, 23-1-85 को जिसमें 8-2-85 तक ऑफर आने चाहिए थे। कोई आफर नहीं आया। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, 23-2-85 को इन्होंने एक एग्रीमेंट कर लिया सीधे कमल एन्टरप्राईजेज से और उसके अनुसार अपना एग्रीमेंट किया और जमीन दे दी तो 10 लाख रुपया जो अर्नेस्ट मनी था वही जमा रहा। एक लाख रुपया चैक से दिल्ली से इश्यू हो करके आया वह कम्पनी के खाते में जमा हुआ 12-3-85 को। 27-2-85 को चैक इश्यू हुआ दिल्ली से, 23-2-85 को एग्रीमेंट हो गया और 27-2-85 को चैक इश्यू हो गया और 12-3-85 को कम्पनी के खाते में जमा हो गया। कहीं ऐसा हुआ है, अध्यक्ष महोदय, आज तक। तीन करोड़ की जमीन, जे.डी.ए. ने उसके आसपास की जमीन बेची है वह एक हजार रुपये गज के भाव से बेची है और यह जो फर्म दिल्ली की है, कमल इन्टरप्राइजेज इसको इस कम्पनी ने केवल 250 रुपये वर्ग गज के हिसाब से जमीन बेची। तीन करोड़ की जमीन उन्होंने उसको केवल 75 लाख रुपये में दे दी। अध्यक्ष महोदय, उसमें भी 75 लाख में से भी 11 लाख रुपये कम्पनी के जमा किये और वह जमीन उनको दे दी लेकिन इसके विपरीत, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में....

श्री नाथू सिंह : मैं वे फैक्ट्स रखना चाहता हूं। अगर वे फैक्ट्स सदन के सामने नहीं आयेंगे....

श्री अध्यक्ष : आपके दूसरे साथी भी बोलेंगे....

श्री नाथूसिंह : वे दूसरे फैक्ट्स रखेंगे। सदन इसमें निर्णय लेगा....

(श्री नाथू सिंह)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, जब यह स्थिति हुई कि दूसरे एडवर्टाइजमेंट में भी कोई टर्म्स एण्ड कंडीशन नहीं थी। उसके बाद पांच फर्म्स और आयीं....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में कहें, माननीय सदस्य....

श्री नाथूसिंह : संक्षेप में ही कर रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : और भी संक्षेप में....

श्री नाथू सिंह : बहुत संक्षेप कर रहा हूं, बहुत जल्दी-जल्दी कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय।

पांच कम्पनियों ने और इसके ऊपर, आफर किया और उनको उन्होंने मना कर दिया। एक ने तो अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं आपको....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : सही फीगर्स देना।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नाथू सिंह : मैं नाम बता रहा हूं आपको इन्होंने....

श्री अध्यक्ष : चतुर्वेदी जी के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ें आप....

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें पांच और दूसरी फर्म्स हैं। एक फर्म है धामाणी, जो जयपुर की है उसने आफर दिया। एक फर्म धामानी एण्ड कम्पनी, इन्होंने इसके लिये डेढ़ करोड़ रुपया आफर किया। डेढ़ करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया इन्होंने खरीदने के लिये। 23-1-85 को इन्होंने प्रस्ताव दिया डेढ़ करोड़ में खरीदने का। दूसरी एक फर्म है बजरंगलाल सन्स, इन्होंने 92 लाख रुपये का प्रस्ताव दिया। धामानी एण्ड कम्पनी ने डेढ़ करोड़ का, बजरंगलाल ने 92 लाख का, और 24-1-85 को एक और कम्पनी है है उसने भी इस तरह से करीब सवा करोड़ के करीब का आफर दिया। तो इस तरह की कई दूसरी फर्म्स थी जिन्होंने 75 लाख से नीचे किसी ने नहीं दिया। एक तो 92 लाख सबसे कम दिया, डेढ़ करोड़ तक का आफर आया। लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया गया बल्कि उनको डरा धमका करके उनको वापस भेज दिया। इसके बाद इन मजदूरों ने एक लेटर लिखा, अध्यक्ष महोदय, कि हमको यह जमीन दे दी जाय। तो जब उन्होंने लेटर लिखा तो उसके जवाब में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि साहब, हम यह जमीन बेच रहे हैं वह इस लिये बेच रहे हैं कि हमारा जो भुगतान है वह उनको दे दिया जाय और इन्होंने उस लेटर के जवाब में एक बात और भी कही कि एक मुश्त पैसा दे करके कोई फर्म आयेगी, सारा पैसा जितने में खरीदेगी एक मुश्त। इसमें पैरा तीन है जो उन्होंने जवाब दिया है, श्रमिकों ने जो लेटर लिखा है उसका जवाब दिया है कम्पनी ने, वह पढ़कर सुनाना चाहूंगा :

(श्री नाथू सिंह)

"That although the prevailing rates in the market for the land were Rs. 1,500.00 to Rs. 2,000.00 per sq. yard."

यह उन्होंने स्वयं ने ही स्वीकार किया है, अध्यक्ष महोदय, कि 1500 से 2000 के बीच में है।

श्री अध्यक्ष : आप तो हिन्दी अंग्रेजी दोनों बोल रहे हैं। आप एक भाषा बोलते चले जाइये।

श्री नाथू सिंह : "....30,000. sq. yards of land...."

यह तो मैं मिनिट्स सुना रहा हूं। जो हमारे पास लिखा हुआ है वह इंग्लिश में लिखा हुआ है "....was sold of for only a sum of Rs. 75,00,000.00 @ Rs. 250.00 per sq. yd. and the conditions of sale of land issued by the company were not complied with. Many buyers were ready to buy the said land at higher prices but their proposals were turned down by the management."

यह उन्होंने कर दिया और उन्होंने कहा कि एक साथ....

श्री अध्यक्ष : आप रेलेवेंट पोर्शन ढूंढ नहीं पाये। जल्दी, कृपया....

श्री नाथू सिंह : इसको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि साइक्लोस्टाइल्ड पेपर है। तो अध्यक्ष महोदय, उन्होंने एक मुश्त के लिये लेटर में लिखा कि एक मुश्त जमा कराये ऐसी कोई फर्म आ जाय लेकिन क्या यह कमल एन्टरप्राइजेज फर्म ने एक मुश्त पैसा जमा किया ? 10 लाख अर्नेस्ट मनी के बाद एक लाख रुपये 12-3-85 को जमा हुआ इसलिये वह कंडीशन्स जो और फर्म्स के साथ लगा रही थीं और फिर मजदूरों ने यह शर्त लगायी कि हम पैसा देने को तैयार हैं तो कहा कि आपके प्राविडेंट फंड में पैसा नहीं है इसलिये हम आपको जमीन नहीं दे सकते। इसलिये मैं जानना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, आज लगभग चार करोड़ रुपये जमा हैं मजदूरों के प्राविडेंट फंड में। चार करोड़ रुपये जमा हैं तो क्या कम्पनी ने जिस समय यह कहा कि यह पैसा आप चुका नहीं पायेंगे, आपका यहां जमा नहीं है, क्या प्राविडेन्ट फंड डिपार्टमेंट से लेटर लिख करके या किसी तरह से उनसे पूछा गया कि इनका कितना पैसा जमा है ? क्या ऐसे कोई आपस में लेटर्स लिखे गये हैं, पत्रावली यदि हैं, तो मैं अध्यक्ष महोदय, सदन की मेज पर रखने का निवेदन करूंगा कि उन पत्रावलियों को सदन की मेज पर रखें....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री नाथू सिंह : कहने का मतलब मेरा यह है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करेंगे, कृपया। ध्यानाकर्षण हो गया आपकी तरफ से।

श्री नाथू सिंह : कि इस इस मामले में एक बहुत उच्च स्तरीय घोटाला हुआ है। उसके बाद एक और फर्म थी, अध्यक्ष महोदय, कमानी मैटल्स एन्ड एलाईट जो इस जमीन को बेचने के बाद हाईकोर्ट में गयी। हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया कि यह जमीन बेची जा सकती है। अर्नेस्ट जयपुर मैटल्स जयपुर मैटल्स के फेवर में निर्णय हो गया कि आप बेच सकते हैं। इसके बाद वे रिट ले करके सुप्रीम कोर्ट में गयी तो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने झूठा एफिडेविट दायर किया और सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस-को एक्ससेप्ट कर लिया और स्टेटस-को मेन्टेन करने के लिये इश्यू कर दिया आदेश। उस समय उन्होंने वहां झूठा ऐफिडेविट दिया जयपुर मेटल्स ने कि यह तो हमने इसका पजेशन 23-2-85 को ही दे दिया और उसी का एग्रीमेंट कर दिया, जबकि वास्तविकता यह है, अध्यक्ष महोदय, कि 14-4-85 तक न तो पजेशन दिया गया था और न उन्होंने इसका पजेशन लिया था। इसका सबूत यह है, अध्यक्ष महोदय, कि 14-4-85 को जब पजेशन लेने पहुंचे वहां पर तो वहां पर मजदूरों के क्वार्टर्स बने हुए थे। उनका वहां पर आफिस था। उन्होंने एस. पी. को, कलक्टर को, सदर थाने को और सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने टेलीग्राम्स दिये, टेलीफोन से....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें माननीय सदस्य....

श्री नाथू सिंह : ....कि हमको जबरन यहां से हटाया जा रहा है। यहां पर लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति खराब हो सकती है। तो देखें, अध्यक्ष महोदय, कि 23-2-85 को उनको पजेशन मिला कि नहीं मिला। उनको नहीं मिला इसका सबूत यह है कि आप देखें कि उनको टेलीग्राम्स इश्यु हुए कि नहीं हुए, मिले कि नहीं मिले....

श्री अध्यक्ष : कृपया....

श्री नाथू सिंह : इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, 15-4-85 को साइकिल स्टैण्ड को हटाया। तो ये झूठा ऐफिडेविट दिया वहां पर। तो मैं कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि इस मामले में एक बहुत बड़ा, जिसमें हमारे उस समय के मुख्य मंत्री और अधिकारी सम्मिलित थे और इन्होंने 2.25 करोड़ रुपये का गबन किया है। 2.25 करोड़ रुपये का चूना लगाया है और चूना लगाने के बाद अब ये कहते हैं, अध्यक्ष महोदय, वहां के जो आई. ए. एस. आफिसर आई. सी. कावड़िया, वह यह कह रहे हैं कि अब मेरा इण्डिया में मन नहीं लगता है मैं तो बाहर जाऊंगा विदेश में। मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि उस एग्रीमैण्ट को आप कैंसिल कीजिए। यह मेरी मांग है सरकार से कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाय।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री नाथू सिंह : यह व्यक्ति, यदि इसने पासपोर्ट बनवा लिया है तो इसका पासपोर्ट कैंसिल कराइये। इसके ऊपर केस चलाइये।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। ध्यान आकर्षण कर रहे हैं आप।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, 1984-85 की जो बैलेंस शीट दिखाई है....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य। आपने जमीन बेचने वाली बात कही है। आर्डर प्लीज। कृपया बैठें।

श्री नाथू सिंह : एक मिनट, अध्यक्ष महोदय। तो उसके अन्दर भी परचेजिंग में बोगस एण्ट्रीज दिखाई। मैं मांग करता हूं कि ऑडिट कराया जाय। जमीन के मामले की जांच कराई जाय। जिसमें राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री सम्मिलित हैं, मन्त्री सम्मिलित हैं, आई. ए. एस. अधिकारी सम्मिलित हैं। उन्होंने मिलकर के सवा दो करोड़ रुपए का घोटाला किया है। इन से सवा दो करोड़ रुपए वसूल किये जायं। केस चलाया जाय। और यदि कावड़िया बाहर भागना चाहता है तो पासपोर्ट कैंसिल करके उसके खिलाफ केस चलाइये। उसको तुरन्त सस्पैण्ड करिये। मेरा यह निवेदन है। इसका जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्वेदी जी।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बिन्दु कहे हैं उनको छोड़कर कुछ स्पेसिफिक बिन्दु की ओर मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि उत्तर में मन्त्री महोदय स्पेसिफिक इश्यूज का उत्तर देने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के एक वर्ष पूर्व मैंने एक पत्र लिखा था राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री शिवचरण जी माथुर को। जिसमें मैंने स्पेसिफिक बात यह कही थी कि जयपुर मैटल्स के पास तीस हजार वर्ग गज जो जमीन है उसको कौड़ियों के मोल बेचने की साजिश कर रहे हैं। मैंने उस पत्र में लिखा था कि इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर कावड़िया, वह संस्थान को एक बहुत बड़ी हानि पहुंचा रहे हैं। स्वयं के व्यक्तिगत लाभ में एक बहुत बड़ी राशि इसमें से हड़पना चाहते हैं। मैं जानना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि आज से एक वर्ष पूर्व राजस्थान के माननीय मुख्य मन्त्री जी को जो पत्र मैंने लिखा और जिसकी प्रतिलिपि इण्डस्ट्री मिनिस्टर साहब के पास भी भेजी, राज्य सरकार ने उस पर क्या किया? मेरे पास एक्नॉलेजमैण्ट नहीं है उसका। मुझे तो मिली नहीं किन्तु आप उत्तर देते समय बतायेंगे। क्योंकि 127 में इस प्रस्ताव को मूव करने का कारण यह था, मैं नहीं चाहता था कि ध्यानाकर्षण के रूप में आये। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस विषय में माननीय सदस्य ने जो कुछ मांग कर दी, मैं तीन मांगें रखूंगा। अपनी बात कहने के पश्चात् जिसकी बात करूंगा। Shri Kavdiya should be suspended. 420

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

का केस चलाया जाय उन पर। एक हाई कोर्ट के जज से न केवल इस जमीन के काण्ड की किन्तु पिछले दो साल का जो सारा वहां का हिसाब किताब है, उसकी भी जांच कराई जाय। मैं आपके सामने इसलिए कहना चाहता हूं, एक मिस्टर सी. राघवाचार्य वहां सैक्रेटरी हुआ करते थे। माननीय मन्त्री महोदय, मैं स्पेसिफिक इश्यु उठा रहा हूं इसलिए कह रहा हूं कि सी. राघवाचार्य सैक्रेटरी हुआ करते थे।

(म. प. 3.35)

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवारी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इन सैक्रेटरी को इन्हीं श्री कावड़िया जी ने अपने स्थान से इसलिए हटाया, हटने के लिये मजबूर किया, वैसे बम्बई में एक हजार रुपए की अधिक सर्विस पर गये हैं वह, क्योंकि श्री कावड़िया एक्सटर्नल ऑडिटर जो सारे हिसाब किताब की जांच करता है अपना मनवांछित लाना चाहते थे, श्री राघवाचार्य उसमें एक बहुत बड़ा रोड़ा थे। वह उसे किसी भी दृष्टि से अलाउ नहीं करना चाहते थे क्योंकि सारा जो काण्ड जमीन का हुआ, जिस दो साल के हिसाब किताब की चर्चा कर रहा हूं, मनवांछित ऑडिटर से ऑडिट करा कर श्री आई. एस. कावड़िया इस सारे काण्ड पर पर्दा डालना चाहते थे। इसलिए श्री राघवाचार्य को कहा गया, रेजिगनेशन दो। वहां इस प्रकार का है कि तीन महीने की पगार देने के पश्चात् आपस में कॉण्ट्रेक्ट होता है, सी. राघवाचार्य को यहां से जाना पड़ा।

एक और स्पेसिफिक बात बता रहा हूं मैं आपको। मिस्टर मिश्रा को दो अप्रैल को मजबूर किया गया कि छोड़कर चले जाओ। फैक्ट्री से वह चले गये कमानीज में। एक हजार की पगार पर गये हैं। वह भी एक बहुत बड़ा रोड़ा थे जिसकी स्पेसिफिक चर्चा करूंगा मैं। मै चाहूंगा, मन्त्री महोदय, जिन दो अधिकारियों का जिक्र कर रहा हूं संस्थान के, जो सरकार और प्राइवेट का मिला जुला संस्थान है, उसमें जो आठ अधिकारी बैठे हैं प्रबन्धक मण्डल में इसमें सात अधिकारी राजस्थान सरकार के हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और स्पेसिफिक बात कहना चाहता हूं मैं। जो यह जमीन है, यह निश्चित करती है रेट्स को कि प्रत्येक क्षेत्र में मिनिमम रेट्स जमीनों की क्या होगी क्योंकि वह अपने भू खण्ड जो नीलाम करती है उन भू खण्डों की नीलामी में उस से कम अगर बिड आती है तो उसको ऑक्शन नहीं करती। बनीपार्क के सामान्य इलाके में जे. डी. ए. द्वारा निर्धारित जो दर है वह है एक हजार रुपया प्रति वर्ग गज। इस कारण तीस हजार वर्ग गज का सवाल आकर खड़ा होता है तो उसकी कीमत होती है कम से कम तीन करोड़ रुपए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह जिक्र इसलिए करना चाहता हूं, आप जब जवाब देने खड़े होंगे क्योंकि जब मेरा पत्र चला गया और कुछ दिन पहले वक्तव्य छपा

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

तो एक पत्र उन्होंने मुझको भी लिखा, मेरी उनसे फोन पर बात हुई है। मैं आपके सामने इसलिए कहना चाहता हूं, दो आर्गुमैण्ट दिये जा रहे हैं, उन्होंने जो मुझे देने की कोशिश की थी। आप जब जांच करायेंगे तो जांच में मैं ऐसे लोगों को एफीडेबिट लेकर प्रस्तुत करूंगा। एक बहुत बड़े अधिकारी जिन मिश्रा जी की मैं चर्चा कर रहा हूं। कावड़िया जी ने तो मान रखा था, 1983 के सितम्बर से कुछ काम नहीं करते हैं उसका भी जिक्र करना चाहूंगा जिसका मैं चाहूंगा कि प्रति उत्तर आप दें। 1983 के सितम्बर से दिलो दिमाग बना रखा था कावड़िया जी ने कि तीस हजार वर्ग गज जमीन सोने की मुर्गी है, इसको किसी तरह से बेचना है, किसी कण्डिशन पर बेचना है, इस पर पैसा कमाना है। इस कारण से तब से प्रक्रिया चली थी। सोचा, मिश्रा जी को नौकरी से निकालना पड़ेगा। मिस्टर कावड़िया अपनी कार में बैठाकर उनको ले गये और कहने लगे, देखिये, आजकल बनीपार्क में कैसे जमीन बिक रही है। एक प्लाट वहां खड्डे का है। उस खड्डे के प्लाट को जे. डी. ए. ने 400 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से बेचा है, डिस्प्युटेबल भी है वह जमीन। यह देखिये, इस समय 400 वर्ग गज के हिसाब से बनीपार्क में.... मतलब कावड़िया यह चाहते थे कि वहां के अधिकारियों को यह कन्विन्स कर सकें क्योंकि इस बात की किसी को जानकारी नहीं थी कि कौन खरीद कर रहा है, कौन फरोख्त कर रहा है, ताकि उनके कॉन्फिडेंस में आ जाय, उनको मालूम पड़ जाय कि 400 रुपए वर्ग गज के हिसाब से जमीन बिक रही है। किन्तु, जिसका जिक्र किया है उन्होंने मेरी बातचीत के आधार पर और जिसको वह आधार बनाते हैं लोगों को बताने के लिए, शायद उत्तर में आपके पास भी लिखकर भेजा होगा उन्होंने, वह चाहते थे कि मिश्रा जी को कन्विन्स कर सकें कि यह 400 रुपए वर्ग गज की जमीन है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 400 रुपए वर्ग गज की कोई जमीन नहीं है। वह तो खड्डे की जमीन थी, डिस्पुटेबल थी इस कारण से।

एक यहां और अधिकारी हैं जिन्होंने केन्द्र सरकार से वैल्युएशन का अधिकार ले रखा है, मिस्टर शाह, जिसका मैं जिक्र करूंगा। मुझे पता है, मेरी बातचीत के आधार पर उन्होंने कहा कि मैंने इस प्रकार की दो एजेन्सीज से वैल्युएशन करा लिया था। एक एजेन्सी वह मिस्टर शाह हैं। हैं उनको अधिकार। प्राइवेट लोग करा लेते हैं अपना। करने का अधिकार है। मैं आरोप लगाना चाहता हूं, 5 हजार रुपए उसकी फीस दी गयी और 5 हजार रुपए ऊपर से रिश्वत के दिये गये। उन से कहा गया कि आप वैल्युएशन करके बता दीजिए कि इसकी कीमत 75 लाख से कम होती है। शायद आप जवाब देते समय यह भी कहना चाहेंगे कि दो इण्डिपेण्डेण्ट एजेन्सीज से इस जमीन की कीमत क्या होगी, इसका वैल्युएशन करा लिया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो मन्त्री महोदय को एक ही बात कहना चाहता हूं, जिक्र भी किया था उन्होंने मुझसे

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

बातचीत करते समय कि हमने जे. डी. ए. को जमीन बेचने की कोशिश की तो उन्होंने इसके 32 लाख रुपए लगाये। मैं आरोप लगा रहा हूं, वहां के. के. भटनागर हैं। मिली जुली साजिश है। भूतपूर्व तत्कालीन मुख्य मन्त्री नम्बर एक। बिलकुल ठीक है। मैं आरोप लगाऊंगा। सिद्ध करूंगा जांच हुई तो। अभी 11 लाख और 8 लाख आ गये। 19 लाख केवल आये हैं इस 75 लाख में से। जब तक 11 लाख रुपए आये थे व्हाइट मनी के, उस 11 लाख में ब्लैक मनी के थे। जिसमें से तीनों की साझेदारी हुई। श्री कावड़िया जी की साझेदारी, भूतपूर्व तत्कालीन मुख्य मन्त्री की साझेदारी और उस समय के जो मन्त्री थे उनकी साझेदारी। और अगर 75 लाख रुपये आयेंगे तो इस पर 75 लाख रुपये और ओवर दिये जायेंगे। बेचने की उसकी सारी प्रक्रिया, माननीय मुख्य मंत्री महोदय सदन में आ गये हैं इसलिये मैं चाहता हूं सब बातें एक-एक बात के साथ, मैं आपको और कहना चाहता हूं कि मन की मन में इच्छा हो गई, 1983 में, जब से मन में थी, आप वहां की एक-एक समिति से पूछ लीजिए, एक-एक ऑफिस के बाबू से पूछ लीजिये पिछले एक वर्ष से जिस कमरे में कावडिया साहब बैठते हैं उस कमरे में केवल ब्रोकर्स के अलावा कोई आता हो। 2-2 घन्टे, 3-3 घन्टे तक जो जमीन की खरीद फरोख्त करने वाले ब्रोकर्स हैं, कुछ नाम दिये हैं हमारे माननीय सदस्य ने, उन्होंने कहा कि धामाणी साहब ने बीड लगाई थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं बीड लगाई थी किन्तु उन्हीं को ब्रोकर बनाकर 5 से 10 लाख रुपये उनको देने की भी साजिश की गई कि तुम्हारे 1 करोड़ 50 लाख इसके रहने दो, इसको चर्चा का विषय मत बनाओ। इतनी इसमें बारीकियां हुई हैं, इतनी साजिश हुई है सारी जमीन को बेचने के लिये। मैं आगे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको निवेदन करना चाहता हूं, 30 हजार गज जे. डी. ए. का एक हजार रुपया प्रति वर्ग गज मिनिमम सपोर्ट, फिर कह देंगे 26 लाख करने वाली बात थी, क्योंकि वहां के अधिकारियों को भी इसमें मिला लिये और उन अधिकारियों को भी कुछ न कुछ देने की कोशिश की गई, ऑफर इन्फार्मल दी गई। माननीय सदस्य कह रहे थे कि दो विज्ञापन किये हैं, उन दोनों विज्ञापनों पर कन्डीशन्स का जिक्र नहीं है, क्यों नहीं किया? इसलिये कि हमारे पास आओ, यहां बैठो, हमसे चर्चा करो और मैंने 127 के प्रपत्र में लिखा है, मैं वह तीन बातें बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, यह जो प्रासंगिक भूमि थी इसका केस चल रहा है कमानी मैटल्स एण्ड एलॉय से। केस किस बात का, उन्होंने कहा कि हमको 99 वर्ष की लीज पर यह जमीन मिली हुई है, उन्होंने और किसी फैक्टरी को दे दी थी और उस फैक्टरी से गई सरकार के पास 1977 में। उन्होंने यह केस किया कि आपको फैक्टरी तो दे दी, किन्तु इस जमीन का 99 वर्ष की लीज पर कब्जा आपने हमको दे दिया इसलिये आप नहीं बेच सकते। जो भी कस्टमर आते तो श्री कावडियाजी कह देते थे, भइया, देखो यह कमानी मैटल्स एण्ड एलॉय का हम पर केस चल रहा है।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

इस केस का पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किस की जमीन है, किसनी जमीन नहीं है ? मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे एक मित्र थे, मोस्ट प्रामिनेन्ट लायर ऑफ जयपुर, अगर आप जांच करेंगे तो वह हलफनामे से वह यह बात कहेंगे कि एक कन्सर्न को लेकर वहां पर गया था और उस कन्सर्न ने बताया कि एक करोड़ 70 लाख रुपये में दूंगा, तो उनको कह दिया कि कमानी मैटल्स एण्ड एलॉय वालों से केस चल रहा है हमारा, मैं गारन्टी से तो नहीं कह सकता कि केस अपने पक्ष में होगा या उनके पक्ष में होगा, जमीन बिकेगी या नहीं बिकेगी, यह सब कह कर भगा दिया। मैं यह बात इसलिये कहना चाहता हूं आप यह प्रत्युत्तर में कहेंगे कि हमारे पास 5 इस प्रकार के कोटेशन्स आये हैं, 5 इस प्रकार के टेन्डर्स आये है, लेकिन वह सब फॉड है, सब झूठे हैं। जिन बजरंगलालजी शर्मा का जिक्र कर रहे थे माननीय सदस्य 92 लाख की आफर का उनको भी कहा गया कि केस चल रहा है। यानि जो जो भी आते थे, ठीक कीमत लगाने के लिये उनको बताया जाता था कि हमारे आपस में केस चल रहा है। एक बात और कही जाती थी कि सारा पैसा एक मुश्त में देना पड़ेगा। तीसरी बात और कही जाती थी कि यह जो भूमि जिसका जिक्र है इसमें कार्मशियल प्लाट्स बनायेंगे आप, रेजिडेन्शियल प्लाट्स बनायेंगे, जे. डी. ए. से परमिशन लेनी पड़ेगी। हम कुछ नहीं कह सकते जे. डी. ए. परमिशन देगा या नहीं देगा। यह श्री पाइन्ट्स ऑफ इन्टीग्रेशन, के हैं, जो भी संस्थान या जो भी कन्सर्न इनके कमरे में आती थी खरीदने के लिये इन तीन बातों से उनको डराया जाता था, वह भाग जाते थे। क्योंकि मन में तो साजिश थी, कमल एन्टरप्राइजेज से तय कर रखा था, इसको बेचनी है जमीन। 75 लाख रुपये में बेचनी है—It was a considered fact from the bigining, इसलिये मैंने उस पत्र का जिक्र किया। आखिर उस पत्र का काग्नीजेंस उस समय के तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय लेते, लेकिन काग्नीजेन्स कैसे लेते ? उनके हाथ तो स्वयं कोयले की दलाली में काले हो रहे थे। चुनाव के पहले जब यह सवाल खड़ा हुआ तो जे. डी. ए. से परमिशन दिलवा दी उन्होंने और परमिशन दिलवाने के पश्चात् यह प्रक्रिया शुरू हो गई।

इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं जिन 5 कन्सर्नस का आप अपने उत्तर में जिक्र करेंगे और जिनकी बाबत कहा गया है वह सब फ्रॉड है, वह सब नकली है और असली जो विक्रेता लेने वाला आया तो विक्रेता को जान-बूझकर टाला गया। मैं कहना चाहता हूं इतनी बड़ी जमीन बेच रहे हैं, कहां है जमीन, स्टेशन के पास, राम मन्दिर के सामने, मोस्ट प्रोमिनेन्ट प्लेस, जहां 2 हजार रुपये प्रति वर्ग गज से कम कीमत नहीं मिलेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आवश्यकता तो यह थी कि बीड लगायी जाती, नीलामी की जाती, वहां पर नीलामी करने के लिये सबको बुलाया जाता कि आओ और बोली लगाओ। लेकिन नीलामी कैसे लगाते ? छोटे प्लाट्स की चर्चा

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

की मजदूरों ने कहा कि हम ले लेंगे यह प्लाट्स। उसके बारे में कावडिया साहब ने अपने पत्र में लिया है. उनका पत्र मेरे पास भी आया है. मजदूरों को जो छोटे-छोटे प्लाट्स काटने की बात थी, उससे हमको ऐसा लगता है कि यह फिजिबिल नहीं होता। पता नहीं जे. डी. ए. परमिशन देती या नहीं देती। यह भी चर्चा कर रहे थे आप, मैं वह सब बातें बतला रहा हूं, जो कि आपके उत्तर में हैं और मैं चाहता हूं कि इन स्पेस्फिक इश्यूज का आप उत्तर दें! कहते हैं कि इसको छोटे-छोटे प्लाट्स में बांटना सम्भव नहीं होगा और उन्होंने पत्र में लिखा है कि मुश्किल तो यह है कि हमारे पुराने अनुभव मजदूरों की सहकारी समितियों के बारे में अच्छी नहीं हैं। यह आपकी फिजिबिलिटी है। सरकार के 21 पर्सेन्ट शेयर्स हैं, भारत के फाइनेन्स कार्पोरेशन्स हैं उसके शेयर्स हैं। 1977 में तय किया था, राज्य सरकार ने अपने प्रतिनिधियों को भेजकर ठीक करने की मंशा थी, घाटे में चल रही है यह बात मैं मानता हूं, मजदूरों को पगार चुकानी है यह बात भी मैं मानता हूं किन्तु नीलामी नहीं करेंगे एक, चुपचाप एडवरटाइजमेन्ट करके अपने कमरे में बुलावा दो, उनको इस प्रकार की बातें कह कह कर डराना और लेने वाले हैं उनको दूर करने की कोशिश करना-तीन। यह कहना कि जे. डी. ए. 32 लाख में लेना चाहता था इतना कम में तो देना नहीं था लेकिन 75 लाख रुपये तो बहुत थे और उन्होंने मुझे और बतलाया है कि 2 बीड और आई थी 62.5 लाख की और 65 लाख की यह दोनों बीड फ़ॉड हैं। बीड थी धामाणी की उस समय जब भी उसको नहीं किया और मैं कहना चाहता हूं कि धामाणीजी को कहा गया कि तुम फिक्र मत करो, चुप रहो जरा, हम तुमको एक जमीन दे देते हैं। या पांच बत्ती पर जो बिल्डिंग बनी है वह बिल्डिंग और उसके पीछे की जमीन 17 लाख रुपये में धामाणी को इन्होंने दे दी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्षजी, उन्हीं धामाणी महोदय, ब्रोकर महोदय ने बिल्डिंग अपने पास में रख ली और बाकी जमीन थी वह 17 लाख रुपये में बेच दी। पांच बत्ती पर खड़ी वह बिल्डिंग जिसकी लाखों रुपये की कीमत है वह इन्होंने इस ब्रोकर को देने का वायदा किया था 10 लाख रुपये में यह थी साजिश। एक करोड़ 50 लाख रुपये चले गये, 92 लाख जो श्री बजरंगलाल जी शर्मा देने के लिये आये थे उनको यह कन्डीशन्स बताकर डरा दिया गया, धमका दिया गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो इसकी लेबल कमेटी की मीटिंग हुई, पहली इसका जिक्र कर रहे थे माननीय सदस्य....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अगर एक भी रिपीटीशन करूं तो कहें। मैं तो स्पेसिफिक इश्यूज उठा रहा हूं जो मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय उनका स्पेसिफिक उत्तर तो दें ही, माननीय मुख्य मंत्रीजी बैठे हुये हैं वह आज आर्डर करेंगे कि आई. एस. कावडिया शुड बी सस्पेंन्डेड।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

(व्यवधान)

ऐसी स्थिति में है। इतना ही नहीं 2 करोड़ रुपये का घपला इस सारे काण्ड में किया गया है। इस कमेटी के दो बिन्दू मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। तय किया गया है वह किस प्रकार से बेचनी है— यह जयपुर मैटल्स कम्पनी के बोर्ड रूम में प्लान लेविल कमेटी, जिसमें आई. एस. कावड़िया स्वयं प्रबन्धक निदेशक बैठे थे, मैं तो उनका भाषण नहीं पढ़ना चाहता, अगर इस मीटिंग का भाषण पढूंगा, वह लोगों को, मजदूरों को उत्साहित करना चाहते थे कि हम इसलिये इसको जल्दी बेचना चाहते हैं कि तुम्हारी ग्रेच्युएटी देनी है, दीपावली आ रही है जो लोग चले गये हैं नौकरी छोड़कर या हमने निकाल दिया है घाटा होने के कारण कुछ इसके कारण उनको ग्रेच्युएटी मिल सके। इसलिये इस जमीन को जल्दी से बेचना चाहते हैं। इसमें उन्होंने बेचने की कार्य पद्धति निश्चित की है :—

पेज नम्बर (3) का (क) के ऊपर का मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने सरकार से मान्यता मिलने के पश्चात् यह तारीख है 28-9-84, 24-1-85 का है—

"(क) सरकार से मान्यता मिलने के पश्चात् हम 13.866 स्क्वायर्ड यार्ड जो राम मन्दिर के पास तथा 15,069 स्क्वायर्ड यार्ड जो रेलवे डी. एस. ऑफिस के पास है, कुल 28,935 स्क्वायर्ड यार्ड बेच दी जावेगी।"

"(ख) इसको छोड़ दीजिये, आगे लिखते है. उक्त जमीन की बिक्री हेतु एक कमेटी का गठन किया जायेगा और विभिन्न समाचार-पत्रों में विज्ञापन द्वारा इच्छुक पार्टियों/एजेन्सियों से इस सम्बन्ध में पत्र आमन्त्रित करेंगे। जिन पर कमेटी/समिति अपने विचार विमर्श कर उचित निर्णय लेगी। उद्देश्य यह रखा जावेगा कि जमीन इस पद्धति से बेची जावे जिससे कि अधिक से अधिक राशि प्राप्त हो सके।"

दो बातें कही। एक तो कमेटी बनेगी। माननीय मन्त्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या यह कमेटी बनी? कमेटी की कोई मीटिंग हुई। इस कमेटी के सामने लोगों का रिक्वायरमैण्ट कि हम खरीदना चाहते हैं वह आई? नहीं। इस प्रकार का निर्णय हो गया। कमेटी बनायी गयी? नहीं। कावड़िया साहब चाहते थे कि सिर्फ मेरे ही कमरे में लोग आयें, मेरी ही कन्डीशन्स पर वार्ता हो। उन्होंने तो तय कर लिया था कि इस जमीन को कमल एन्टरप्राईजेज को ही निश्चित रूप से मुझे बेचना है। इस तरह से अभी आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि एक साथ पैसा लेना तय किया गया था, मैं मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह बतावें कि पहले दस लाख रुपया आया। यह दस लाख रुपया तो अरनेस्ट मनी का था। यह तो कोई भी अगर खरीदने के लिये आयेगा तो उसको दस लाख रुपया जमा कराना ही था। यह उसकी खरीदने की कीमत नहीं थी। उसके बाद एक लाख रुपया और आया और वह आया फरवरी, 1985 में, चैक आया वह

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

एक लाख का। एक लाख रुपये का चैक आया किन्तु उसका पेमेन्ट हुआ है सात मार्च के बाद में 8, 9, 10 मार्च के बाद में। अब इसके बाद आठ लाख रुपया और आया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि वह कन्डीशन्स बतायेंगे अपने उत्तर में कि वह कौन सी कन्डीशन्स के आधार पर तय किया गया था यह मसला। एक मुश्त रकम लेने की बात थी। वह अगर तय नहीं की गयी तो जिन मजदूरों के प्रतिनिधियों ने मिस्टर कावड़िया को पत्र लिखा और पत्र के जवाब में मिस्टर कावड़िया लिखते हैं, यह बाद की बात है, अगर आप हमको सहायता करना चाहते हैं तो तीन दिन में 30 हजार वर्ग गज भूमि का स्वयं या और किसी पार्टी वाले के आधार पर एकाउन्ट पेयी ड्राफ्ट लेकर चले आइये। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कारण थे, इसके पीछे? उनका प्रयोजन क्या था? उन्होंने कहा एक मुश्त अदायगी की जाय। क्या एक मुश्त अदायगी की गयी थी? वह यह चाहते थे जैसा माननीय सदस्य कह रहे थे और मुझ से भी उनकी बातचीत हुई थी। उन्होंने लिखा है और आप देखिये कि विज्ञापन दो तारीखों में हो रहा है एक विज्ञापन हो रहा है 14-10-84 को और दूसरा विज्ञापन हो रहा था 23-1-85 को। मुझे एक पत्र लिखा कावड़िया साहब ने मेरे वक्तव्य देने के बाद, लिखा है कि तदनुसार अग्रिम कार्यवाही कमल एन्टरप्राईजेज की अधिकतम राशि 75 लाख रुपये निविदा को कम्पनी के संचालक मण्डल द्वारा दिनांक 11-1-85 को सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर विक्रय की अन्तिम रूप से मन्जूरी दे दी गयी है।" 11-1-85 को सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया गया तो फिर 23 जनवरी को विज्ञापन करना, इसका मतलब क्या था? What was the reason. 23-1-85 को विज्ञापन करने के पीछे एक ही बात थी कि सबको भुलावे में रखना चाहते थे कि कोई नहीं आना चाहता। माननीय मुख्य मन्त्रीजी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा में भी आपने उनको कुछ बना दिया है। वहां भी जमीन बिकने वाली है। वैसे वहां की नगर पालिका उस जमीन को बेचने का काम कर रही है बहुत अच्छा है। इनके कड़े हाथ नहीं पड़ जाय। तीन करोड़ रुपया या सवा दो करोड़ रुपये इन्होंने इसमें खाया है। पता नहीं कितना और खा जायेंगे। अभी तो खाया नहीं खाया।

श्री हरिश चन्द पल्लीवाल : वह केसरगढ़ को बेचा उसकी कहानी भी तो सुना दो।

(व्यवधान)

वह केसरगढ़ वाली कहानी भी तो सुना दो। वह कहानी नहीं सुनावेंगे। वह जमीन भी तो करोड़ों की थी उसको लाखों रुपये में बेच दिया।

(व्यवधान)

श्री दाउदयाल जोशी : × × ×

(व्यवधान)

× × × शब्द मा. अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैंने कुछ छोटे-छोटे बिन्दु इस सेल के विषय में स्पेसिफिक रूप से आपके सामने रखे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा कि जो स्पेसिफिक मुद्दे मैंने उठाये हैं आप उनका जवाब दें।

(व्यवधान)

श्री देवीलाल : वह सोना वाली बात भी तो सुना दो।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तीन मांग की है आई. एस. कावड़िया को इमीजियेटली निलम्बित करने की आवश्यकता। किसी हाईकोर्ट के जज से एक बात आप को और बता दूं, मैंने कहा था आडिट करने के लिये। एक बहुत अच्छे कवि हैं बहुत अच्छी कविता करते हैं आपने भी उनका नाम सुना होगा आपको भी पसन्द होंगे और मुझको भी वे बहुत पसन्द हैं। बड़े छोटे कद के हैं सुरेन्द्र शर्मा। एक मिस्टर गागिया ब्यावर वाले जिनका सम्बन्ध कावड़िया साहब से जब ये ब्यावर में थे उस समय परिचय हो गया था। आप अकाउन्ट उठाकर देख लीजिये। तीन लाख रुपये श्री सुरेन्द्र शर्मा को कावड़िया साहब ने किस बात के लिये दिये। उत्तर प्रदेश इलक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिये जो मीटर बनाते हैं इनके यहां, इस मीटर का मार्केट ढूंढने के लिये श्री सुरेन्द्र शर्मा को और श्री गागिया साहब को तीन लाख रुपया दिया गया। कोई बता सकता है कि यह किस बात के लिये दिया। यह एक साजिश है, सिर्फ एक ही बात और कोई दूसरा काम नहीं कि किस तरह से पैसा कमाया जाय। लोग कहते हैं कि कावड़िया साहब पांच दस मिनट के लिये आते हैं, मजदूरों को डाट डपट करना अपने कमरे में पहुंच जाना और पिछले एक वर्ष से अपने कमरे में ब्रोकर्स को बुलाना, उनसे चर्चा करना और इस सारी सेल में किस प्रकार से घोटाला किया जा सके वह करना, संस्थान को नुकसान किस तरह से पहुंचाया जावे और स्वयं को आर्थिक लाभ कैसे पहुंचे। अभी तो मैंने केवल आरोप लगाया है, क्योंकि जो 11 लाख रुपया आया था उसमें से 8 लाख रुपया की मुझे जानकारी नहीं हुई है और उसके ऊपर ओवर एण्ड एबाऊ पांच लाख रुपये दिये और पांच लाख रुपये तीन बड़े लोगों में बकाया है। इसमें तत्कालीन मुख्य मन्त्री और उस समय के जो स्वायत्त शासन मन्त्री थे राजाखेड़ा से आने वाले, वह और तीसरे जे. डी. ए. के श्रीमान जिन्होंने अभी प्लाटों का धन्धा करने की कोशिश की श्री के. के. भटनागर। यह तो किस्सा है जो अभी 19 लाख आया है। अभी 75 लाख रुपये और आना है, इसके ऊपर कितना और आयेगा, और कितना बंटेगा और किस किस को बंटेगा, यह प्रक्रिया आगे आने वाली है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि आप अविलम्ब इस सारी बातों को देखें। मैंने तीन मांगें जो की हैं उन पर मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी आप स्पेसिफिक इश्यूज पर जो माननीय सदस्य ने और मैंने उठाये हैं उनका उत्तर देने की कृपा करें।

श्री मोहन प्रकाश : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो एक ही बात निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मोहन प्रकाश : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो एक मिनट ही लूंगा। यह सारे तथ्य जो रखे, जिन अफसरों का नाम कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने लिया, अभी 24 घन्टे पहले, अभी 24 घन्टे भी नहीं हुए होंगे, अभी 12 घन्टे पहले ही माननीय मुख्य मन्त्री जी उनकी बड़ी तारीफ कर रहे थे और ऐसी तारीफ कि पिछली सरकार के मुख्य मन्त्री और दूसरे मन्त्रियों को वह करने के लिये कोशिश करते आ रहे हैं। इसमें मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि जब प्रवन्धकों ने मजदूरों से समझौता किया तब कृष्णा मिल का मामला उठा था। उसमें भी और इसमें भी मैं एक ही बात बताना चाहता हूं कि मजदूरों ने इतना त्याग किया कि हम पांच साल तक हड़ताल नहीं करेंगे, हम पांच साल तक कोई सुख सुविधा नहीं लेंगे, पांच साल तक वेतन बढ़ोतरी की कोई मांग नहीं करेंगे लेकिन जो मैनेजमैन्ट है वह इस उद्योग को लूटने में लगा हुआ है। मैं माननीय मन्त्री महोदय को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस हाई कमांड ने जो इस तरह के लोग थे उनके टिकट काट दिये और कांग्रेस हाई कमांड ने खुले रूप से कहा कि ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे, मेरी माननीय मुख्य मन्त्रीजी से यह मांग है कि जब आपका हाई कमांड यह कह रहा है कि ये मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त थे तो इन लोगों के खिलाफ में, भ्रष्टाचार के आरोप में आपकी सरकार को इनके खिलाफ मुकदमा कायम करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मोहन प्रकाश : माननीय मुख्य मन्त्री जी इसकी क्या सफाई देंगे?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मोहन प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, अगर राजस्थान में उद्योगों को पनपाना है तो राजस्थान के उद्योगों में जो इस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं उनको तत्काल हटा कर इनको जेलों में बन्द करना होगा तभी उद्योगों को राजस्थान में बढ़ावा मिलेगा वरना उद्योग धन्धे नीचे गिरेंगे और मजदूर सड़क पर होंगे। मजदूर भूखे मरेंगे, बेरोजगार होंगे और इन अधिकारियों की कोठियां बनती रहेंगी। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहूंगा कि अगर सरकार भ्रष्टाचार को मिटाना चाहती है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मोहन प्रकाश : इस तरीके के लोगों को, आई. ए. एस. आफिसरों के जो इन कार्पोरेशन्स में और फैक्ट्रीज में लगे हैं इन आई. ए. एस. आफिसरों के एक महीने के फाईव स्टार होटल्स के बिल देखे जायं तो आपको मालूम पड़ जायेगा कि इनकी एक

(श्री मोहन प्रकाश)

महीने में इन होटल्स में एक शाम को जितनी पार्टियां होती हैं उनके बिल्स क्या हैं और इनकी तनख्वाहें क्या हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य समाप्त करें। माननीय मन्त्रीजी।

(4.00 म. प.)

श्री दाऊदयाल जोशी : मुख्य मंत्री जी को जवाब देना चाहिए।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : चाहेंगे तो दे देंगे।

एक माननीय सदस्य : सरकार ने कान बन्द कर लिये, सुनना बन्द कर लिया।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, 127 के तहत माननीय नाथूसिंहजी और ललितजी ने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है, उसमें जो बिन्दू आपने उठाये हैं, उनका उत्तर देते हुए, भूमिका तो आपने काफी बता दी है, मैं डिटेल में जाऊं, अगर आप कहें तो पढ़ दूं जो जवाब आया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पढ़ दो।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : बहुत लम्बा हो जायेगा।

श्री नत्थी सिंह : शार्ट में बताओ

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, किन टर्म्स एण्ड कंडीशन में जयपुर मेटेल्स का मैनेजमेंट सरकार ने अपने हाथों में लिया और 51 प्रतिशत इसका शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट की व्यवस्था सुधरने में और इसको प्राफिट लाने में जो निर्णय लाने में लिया गया है उसके तहत पिछले कुछ वर्षों में इस यूनिट में भले ही कम हुआ हो, थोड़ा-बहुत प्राफिट भी हुआ है। चूंकि लासेज एक्यूम्यूलेट होकर इतने ज्यादा हो गये थे तो एक निर्णय यह भी लिया गया, जिसका जिक्र आपने किया है क्यों नहीं कुछ जमीन बेच दी जाये और ग्रेच्यूटी इत्यादि की तरह वह अमाउन्ट वर्कर्स कर दिया जाए। यह 28 हजार 123 स्क्वायर मीटर जमीन जिसको आपने पर्टिकुलर्ली मेटर बनाया है, यह दो भागों में मैनेजमेंट ने तय किया था कि इसको बेचा जाये। विज्ञापन भी दो बार निकले और विज्ञापनों की भाषा जैसा माननीय नाथू सिंह ने पढ़कर सुनाई वह पर्टीक्यूलर इसलिए थी कि इस जमीन में कुछ दिक्कतें पहले के मैनेजमेंट के कारण समझिये आप या उनकी हरकतों के कारण समझिये, कुछ दिक्कतें थीं जिनका जिक्र माननीय ललित जी ने यहां किया। जो लीज 99 साल की जिसका जिक्र आप यहां पर कर रहे हैं वह बिल्कुल इरेगुलर लीज थी और बिल्कुल ही सरकार के मैनेजमेंट को हाथ में लेने के पहले एक साजिश थी कि जयपुर एलायड यह तीस हजार वर्ग गज जमीन अपनी ही एक सिस्टर यूनिट कमानी ट्यूब्स को 99 साल के लिए दे दे। लेकिन इस लीज डीड की रजिस्ट्रेशन, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इसलिये नहीं

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

हो पाई क्योंकि वह हो नहीं सकती थी। उन्होंने 1980 में बम्बई में जाकर उसको रजिस्टर कराने की कोशिश की वहां पर भी कितने सफल हुए, कितने असफल हुए आपको ध्यान ही है। अब इसी जमीन का मुद्दा वापिस आ जाता है इस पर्टिकूलर सेल डीड पर। आपको भी पता है कि वर्कर्स की ऑफर आई और आपने जो दो लाइनें पढ़कर सुनाई, तीन दिन वाली जो कंडीशन थी कि अगर तीन करोड़ की आफर हो और खासकर वह आफर आई थी बी. एम. एस. की तरफ से, आपको ध्यान नहीं है और उसके बाद में आपके और कावड़िया जी के बीच में चिट्ठी पत्री भी एक्सचेंज हुई है, आपने इसका उत्तर नहीं दिया, आपको इन्वाइट भी किया गया था कि आप आकर उन अकाउन्ट्स को देख लें, किस कारणवश आपने उत्तर नहीं दिया और न आप पधारे और मेरा ख्याल है कि मैनेजमेंट ने यहां तक भी कहा था कि आपको कुछ असुविधा हो वहां पधारने की तो वह सब अकाउन्ट इत्यादि आपको दिखाने के लिए आपके पास हाजिर हो जायेंगे, लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं आया। दो विज्ञापन खासकर इसलिये, एक तो अक्टूबर 1984 में और एक जनवरी, 1985 में कम्पनी ने इसलिये दिया, क्योंकि मसला लीगल काम्पलीकेशंस में पड़ा हुआ था वह लीज डीड का ममला। यह भी शायद एक एप्रिहेंशन था। कि एग्रीमेंट हो या सेल हो उसके पहले स्टे आर्डर भी आ जाय। लेकिन चूंकि पब्लिक प्रापर्टी थी तो यह सोचा गया कि विज्ञापन के मार्फत टेण्डर इन्वाइट किये जायें। टेण्डर कंसीडर करके अगर वह ठीक प्राइज के हों तो उनको एक्सेप्ट किया जाय, नहीं तो फिर री-टेण्डर किये जायं। यह सही है कि पहला टेंडर जो अक्टूबर, 1984 में निकाला था उसमें जिस कम्पनी को फाइनली यह प्रापर्टी मिली और पजेशन हैंड ओवर हुआ, उन्होंने दस लाख रुपये सैकिण्ड टेण्डर, से पहले और फर्स्ट टेण्डर के बाद में जमा करा दिये। एक लाख और आठ लाख रुपये का जो जिक्र आप कर रहे हैं, क्योंकि चैक का पेमेंट था उसका रिलाइजेशन थोड़े दिन बाद हो तो आप भी जानते हैं और मैं खुद भी बिलीव करता हूं कि वहां पर अगर चैक का रियलाइजेशन दस-पन्द्रह दिन बाद हुआ हो तो एक कम्युनिकेशन होता है, थोड़ा बहुत समय लेता है, लेकिन आज की तारीख में भी चूंकि यह मसला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है इसलिये इसकी रजिस्ट्री आज की तारीख तक नहीं हुई है। कंडीशन जो आप एक मुश्त की फरमा रहे हैं वह शायद इस कारण से पूरी नहीं हुई। जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा उससे पहले या उसके साथ ही रिमेनिंग जो अमाउन्ट है वह जमा हो जायेगा। आपने, माननीय नाथूसिंह जी ने खासकर पार्टियों का जिक्र किया कि डरा-धमकाकर धामाणी को भगा दिया, भंवरलाल को भगा दिया। जानकारी प्राप्त करने के बाद में मैं तो यहां तक संतुष्ट हूं कि ऑफर लिखित में वास्तव में पांच ही आये हैं उसके अलावा लिखित में और लीगली पांच से ज्यादा कोई आई हो और इन्होंने हमें गलत सूचना दी हो तो मैं हेजीटेट नहीं करूंगा मुख्य मंत्री जी को अर्ज करने में कि इसमें जांच करवा ली

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

जाये । लेकिन आप यह फरमा दें कि फलाने ने आफर कर दी और फलाने को डरा कर भगा दिया, यह बात गले नहीं उतरती है । क्योंकि एक लीगल ट्रांजेक्शन है उसके तहत लिखित में ऑफर होती है । ऑफर के साथ जमा भी होता है पैसा और पैसा जमा होने के बाद अगर टैण्डर रिजेक्ट होता है तो जानते हैं कि उसमें रिफण्ड होता है । न तो कोई पैसा आया था, न कोई ऑफर आई और यह जो पांच जनों ने आफर दी उनमें आप फरमा दें मैं सदन को नाम पढ़कर सुना दूं ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जरूर, जरूर ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैसर्स रामपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर ।

मैसर्स एस. गुप्ता एण्ड कम्पनी, गोपाल जी का रास्ता, जयपुर ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : राशि भी बता दें ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : रामपुरी गृह निर्माण समिति की दो सौ रुपये प्रति वर्ग गज ।

मैसर्स एस. गुप्ता एण्ड कम्पनी दो सौ तैंतीस रुपये और तैंतीस पैसे प्रति वर्ग गज ।

मैसर्स अजन्ता कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड स्टेशन रोड, जयपुर, दो सौ पैंतीस रुपये ।

मैसर्स यूनिवर्सल एजेन्सी मार्फत झूलेलाल मार्केट, बापू बाजार, जयपुर, एक सौ चालीस रुपये ।

मैसर्स कमल एन्टरप्राइजेज जी-48, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली । दो सौ पचास रुपये ।

....और इस तहत, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बोर्ड का रेज्योल्यूशन हुआ और जो बी. एम. एस. को वापिस जब यह ऑफर दी गयी उनको कि

"By this letter, you are hereby asked to come forward with concrete proposals as mentioned above within 3 days....of the receipt of this letter, failing which etc. etc."

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसकी तारीख बोल दें ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अर्ज कर दूंगा । आपने तारीख बोल भी दी है ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप बोल दें । इस पत्र की तारीख अर्ज कर दें ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : यह रजिस्टर्ड ए. डी. से गया 8 जून, 85 को । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अन्त तक चूंकि न केवल माननीय सदस्यों ने लेकिन उधर से भी जो एलीगेशन्स आए थे कि 1500 से 2000

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

रुपये प्रति वर्ग गज की जमीन है और सस्ती बेच दी गयी है, 250 रुपये में बेच दी गयी है, उन एलीगेशन्स को और जो एक्चुअली अखबारों में आया था वह यह था कि करोड़ों की जमीन कोड़ियों के भाव बेची। जयपुर मैटल्स भूमि बेचान में करोड़ों के घपलों का आरोप इन्क्वायरी इन्टू दी लैण्ड डीड डिमान्डेड। उसका वापिस, उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर जयपुर मैटल्स के पास आता है और उस उत्तर में सिर्फ एक ही बात कहते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, अपनी डिमाण्ड बोनस इत्यादि की करते हुए हमने माननीय प्रधान मंत्री, माननीय मुख्य मंत्री जी तथा अन्य अधिकारियों से इन प्रकरणों की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। उपाध्यक्ष महोदय, यह उस तीन दिन की जो इनको आप्शन मिली थी कि अगर आप तीन करोड़ की ऑफर ला सकते हैं और कान्क्रीट कोई ऑफर या प्रपोजल है तो उसको हम कन्सीडर कर सकते हैं। 'इन रिप्लाई टू दैट' यह उत्तर इनका तारीख 12-6-85 को आया है।

अब, उपाध्यक्ष महोदय इन सब मुद्दों को देखते हुए अगर घोटाला हुआ है जैसा आप फरमाते हैं, तब तो यह होता कि साहब ऑफर्स आतीं। वर्ग गज की जो बाईफर्केशन की बात उठी है, रेज्योल्यूशन हुआ है लेकिन उनका आपसी में ही रेज्योल्यूशन आया इस जमीन के सेल की जरूरत कैसे उठी, उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए उठी कि कम्पनी के पास ग्रेच्यूइटी आदि के पेमेन्ट के पैसे नहीं थे और उन्होंने बोर्ड रेज्योल्यूशन से इसीलिए इस जमीन को बेचने का तय किया। जे. डी. ए. का आपने जिक्र किया कि जे. डी. ए. ने यहां पर 1000, 1500 रुपये में जमीन प्रति वर्ग गज बेची है, तो मेरा आपसे यही अर्ज करना है कि उसकी मिनिट्स भी हैं रिकार्डेड, आप चाहेंगे तो आपको उसका ब्यौरा भी मैं बाद में नजर कर दूंगा कि एल. एस. जी. सैक्रेटरी के यहां जे. डी. ए. को भी यह जमीन आफर हुई, उपाध्यक्ष महोदय, और साथ ही साथ हाउसिंग बोर्ड को भी हुई और दोनों ने इसको लेने से इन्कार कर दिया। यह तो इस पूरे प्रापर्टी डील का ब्यौरा उपलब्ध है। और इस हिसाब से कागजों को देखते हुए सरकार को तो नहीं दिखता है कि कोई बड़ा भारी घोटाला हुआ हो। अगर उसके उपरान्त भी सदस्यगण फरमायेंगे तो मैं इन्डस्ट्रीज मंत्री जी को, मुख्य मंत्री जी को अर्ज कर दूंगा कि इसमें फिर दोबारा देख लें और अगर कुछ पायें तो उस पर अकार्डिगंली एक्शन ले लें। धन्यवाद।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर स्पेसिफिक मेरे पाइन्ट दोहरा रहा हूं जिनका उत्तर माननीय मंत्री महोदय ने नहीं दिया। नम्बर एक-मैंने कहा कि नीलामी होनी चाहिए थी। नम्बर 2-मैंने कहा कि जे. डी. ए. की चर्चा आपने की, वह तो मैंने कहा था 26 लाख की चर्चा करके छोड़ दी उन्होंने। जे. डी. ए. की जमीन जो वहां बिक रही हैं, जो वह नीलाम कर रही हैं उसकी क्या लोएस्ट कीमत 1 हजार रुपया प्रति वर्ग गज

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

वहां नहीं है ? और है तो इनकी नीलामी के बाद एक हजार रुपया प्रति वर्ग गज से कम आने का कारण क्या है ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : एक एक का उत्तर देता जाऊं ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : हां ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, जे. डी. ए. की जमीन टाइटल सहित फ्रीहोल्ड बगैर कोई लीगल काम्पलीकेशन के इमीडियेटली ट्रान्सफरेबल है और जब जमीन आपको आफर होती है तो मुंह मांगे दाम भी मिलते हैं, उपाध्यक्ष महोदय। लेकिन एक काम्पलीकेटेड जमीन और काम्पलीकेशन दिख ही रहा है कि जैसे ही पजेशन हैंड ओवर किया और रजिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने मांग की तो स्टे आ गया और आज तारीख तक रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं, उपाध्यक्ष महोदय। आप भी जानते हैं और माननीय सदस्य भी परिचित हैं, जयपुर में विराजमान जितने भी यहां के सदस्यगण हैं और जितनी सहकारी समितियां हैं, आप जानते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, कि लैण्ड रीयल एस्टेट में उतार चढ़ाव इन कारणों से एक रुपया से लेकर सौ रुपया तक भी हो सकते हैं और एक रुपया से लेकर हजार रुपया तक भी हो सकते हैं। तो वह मुद्दा आप उठाते हैं या उस बिन्दु को उठाते हैं कि एक पास वाली जमीन तो हजार रुपये में बिक रही है, मैं मानता हूं बिक रही होगी, अगर इतना जे. डी. ए. को होता तो खुद ही जे. डी. ए. ले लेती लेकिन क्योंकि जमीन काम्पलीकेटेड थी और काम्पलीकेशन तो सामने ही दिख रहा है। अब इससे ज्यादा तो मैं आपको सन्तोषजनक उत्तर नहीं दे सकता, ललित जी, कि यह जब काम्पलीकेटेड जमीन हो गयी, उसमें इतने बिन्दु उठेंगे जिसमें कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो तो माफ करना अगर यह जमीन आपके पास भी होती तो शायद आप किसी को बेचने पधारते तो यह कीमत नही मिलती अगर अगले को पता होता कि आप उस का रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं तो यह कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नीलामी होती अपने आप मालूम पड़ जाता। चोर दरवाजे से कमरे के अन्दर बैठकर करने के कारण क्या हैं और इस प्रकार से नीलामी में क्या तकलीफ थी ? एक निवेदन और करना चाहता हूं कि यह सेमी गवर्नमेन्ट कन्सर्न है। मैं इसलिए पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा आसमान टूट रहा था, गवर्नमेन्ट यहां विराज रही थी, गवर्नमेन्ट के सात अधिकारी वहां थे। जब काम्पलीकेशन को रिमूव किये बिना जिस अधिकारी ने बेचान करने की कोशिश की है क्या यह अधिकारी यह चाहते हैं कि अगर उसमें कोई गड़बड़ी है, गलत डील है और कुछ परेशानी वाली बात है तो बेचने की जरूरत क्या थी ? In the name of Complication यह जो प्रक्रिया की है, नीलामी होती तो मालुम पड़ जाता, क्लियरकट हो जाता। उसमें क्या कठिनाई

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

आ गयी थी ? कठिनाई थी क्योंकि मन में तय कर रखा था कि इसी को बेचना है। मन में तय था कि और भी कन्सर्न आयेंगी उन कन्सर्न को इस भूत का बहाना बनाकर भगाना है। मैंने तो आपको निवेदन किया कि एक ऐसे व्यक्ति का एफेडेविट दिलाकर अगर जांच करेंगे आप, मैं नाम लेना चाहूंगा वीरेन्द्र प्रसाद जी अग्रवाल का जो कि मोस्ट प्रामीनेन्ट एडवोकेट यहां के हैं उनका एफेडेविट दिलाकर कहा गया कि जांच कर रहे हैं आप कि जिस कन्सर्न को लेकर बात करने के लिए गये थे यही बात कह देना कि यह काम्पलीकेशन्स हैं साहब। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि नीलामी होती इतनी बड़ी जमीन की, साफ-साफ क्लियर मामला होता। अब यह जो चोर दरवाजे से निकलने वाली बात की जा रही है लगातार और यह उत्तर देने की कोशिश की जा रही है, माननीय मन्त्री महोदय कनविन्स हो गए। वह सेमी गवर्नमेंट है। अगर काम्पलीकेशन्स से फंसे हुए हैं Let it be clear first और जो उद्देश्य था ग्रेचुटी देने का, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज तक मजदूरों को एक भी पैसा उस 18 लाख में से मिला नहीं है क्योंकि उद्देश्य तो कुछ और था और भाषण कुछ और था। इसीलिए यह जो प्रक्रिया अपनाई गई है मेरा उसी के बारे में आपको कहना था और इसलिए नीलामी की चर्चा की। नीलामी नहीं करने के क्या कारण आ गये ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, उनके मन में क्या था या क्या नहीं था मेरे ख्याल में इसका यन्त्र तो ललित जी के पास है....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मेरे पास तो नहीं है। या तो आप बड़े भयंकर एस्ट्रोलाजर हैं....

श्री शोपत सिंह : एक्शन डाउटफुल है....

एक माननीय सदस्य : नीलाम क्यों नहीं हुई ?....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : नीलामी का आपने वापिस जिक्र किया और उसके साथ-साथ यह भी अच्छा हुआ कि यह भी फरमा दिया कि, साहब, अभी तक वह पैसा मजदूरों को क्यों नहीं मिला। आपको पता है कि पैसा क्यों नहीं मिला क्योंकि चारों जो यूनियन्स थीं उनका जो निर्णय था, उपाध्यक्ष महोदय, मैनेजमेंट और इनके बीच में जितनी भी बातें हुई, रिजाल्व यही हुआ कि इस प्रकार से इक्वीटी या केश में प्राफिट 20 प्रतिशत....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप नीलामी का जिक्र करिये, उससे विषयान्तर हो रहे हैं....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैं विषयान्तर नहीं हो रहा हूं, मैं उसी पर आ जाऊंगा। नीलामी इसी लिये नहीं की, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं उन्होंने रिजाल्व किया....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : रिजाल्व तो यह किया है कि कमेटी बनाई जाये आप तो उसका उत्तर दीजिये वह कमेटी क्यों नहीं मिली, फिर उसकी मार्फत क्यों नहीं बिकी एक सवाल किया था, उपाध्यक्ष महोदय, फिर पढ़ रहा हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां मौजूद हैं....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मेरा उत्तर तो सुनिये ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 28-9-84 को....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मेरा उत्तर तो सुनिये । मुझे भी पता है आपने क्या फरमाया है । मुझे भी पता है क्या रेजोलूशन था । आप तो मुझे यह बता दीजिये कि कहां कम्पलसरी है नीलामी करना । कम्पलशन क्या है....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कम्पलशन नहीं है । पब्लिक प्रापर्टी है । This is the most important procedure.

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : सवाल कम्पलशन का नहीं है....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : शोपतसिंह जी, आपकी समझ में नहीं आयेगा, कानूनी मामला है, बिराज जायें ।

श्री शोपत सिंह : हमको बहुत समझ में आ रहा है, × × ×

श्री नाथूसिंह : व्यवहारिकता और नैतिकता....आपकी जमीन होती तो आप क्या करते, यह, बता दीजिये....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री नाथूसिंह : 28-9-84 को हाई लेवल कमेटी में यह तय हुआ था कि कमेटी बनेगी वह कमेटी तय करेगी । जमीन को नीलाम करना है कैसे बेचना है, किस रेट पर बेचना है वह कमेटी नहीं बनाई गई....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : कितनी बार दोहरायेंगे उसे....

श्री नाथूसिंह : यह तो बता दें क्यों नहीं बनाई....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैं आपको अर्ज कर रहा हूं....

श्री केदारनाथ : जमीन को सेल करने का जो रेजोलूशन है वह पढ़ कर सुना दो ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो नीलामी की बात बार-बार उठा रहे हैं मुझे पता है और आपको भी पता है, उपाध्यक्ष महोदय, जैसे ही पब्लिक

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

आक्शन होता है, कम्पनी ने इसी लिये तय किया कि जैसे ही पब्लिक आक्शन होगा या उसका एलान होगा तो कम्पनी को यह डर था कि उसका स्टे आर्डर आ जायेगा....

एक माननीय सदस्य : अब भी आ गया....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : लेकिन एक ऑफर आई 6 जून को....

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह सारा मैनूपुलेशन किया है पैसा खाने के लिये....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सुन लीजिये....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल मान लेता, इस फ्लोर पर भी मानता कि अगर 10, 15 आफर्स होती लिखित में, actually completing all formalties....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : एक मिनट श्री बजरंगलाल शर्मा जिनके चैक का नम्बर में माननीय मुख्य मंत्रीजी को दे सकता हूं जिससे वे दस लाख रुपया जमा कराना चाहते थे 92 लाख रुपये की बिड को लेकर, किन्तु मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं जो तीन अन्देशे मैंने कहे, एकमुश्त वाली बात उसको मैं दोहराना नहीं चाहता इस कारण से डिस्करेज हो गये, चैक काटा हुआ वापिस ले गये, उस चैक का नम्बर मैं माननीय मुख्य मंत्री को प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूं....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : उपाध्यक्ष जी, अब आप यह देखिये कितनी विचित्र बात फरमा रहे हैं। कह रहे हैं बजरंगलाल जी ने चैक लिख दिया। कहां है वह चिट्ठी जो चैक के साथ में थी, क्यों नहीं वह चिट्ठी रिकार्ड पर है और अगर वे इतने ही कन्विन्स्ड थे इस जमीन को लेने के लिए तो 92 लाख रुपये क्यों नहीं दिये ? क्यों डर गये....

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : आपने डराया :

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यह तीन कन्डीशन्स सामने रखते चले जायेंगे....इसका आप मैनूपुलेशन कर रहे हैं इसलिए मैं बार-बार दोहरा रहा हूं....

श्री नाथू सिंह : आप तो दो चीजें बता दीजिये, रेजोलूशन क्या है 28-9-84 की मीटिंग का जिसमें कमेटी बनाने की बात है। अगर वह रेजोलूशन है तो कमेटी क्यों नहीं फार्म की गई। तीसरा उस जमीन को भी....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, उत्तर में आया है, वह सामने आया है। आपने प्रश्न कर दिया उन्होंने उत्तर दे दिया वह सामने आ गया....

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप कन्विन्स्ड हैं क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो उन्होंने उत्तर दिया है वह हाउस के सामने है।

श्री शोपतसिंह : इसकी जांच कराने में दिक्कत क्या आ रही है ? परेशानी क्या है। अगर दुबारा करने से पैसा ज्यादा मिले तो सरकार की सहमति होनी चाहिये....

(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री सूरजपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी देना चाहूंगा। इस जमीन के अगर छोटे छोटे प्लाट काटकर बेचे जाते तो 40 से 50 प्रतिशत जमीन सड़कों में चली जाती, 125 रुपये के करीब इस पर डवलपमेंट खर्चा आता और इस प्रकार अगर सारे को मिलाया जाये तो मैं समझता हूं यह कम से कम 750 रुपये गज के करीब यह जमीन गई है और जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं वह मंत्री महोदय ने बताया, दो चीजें आपने बताई हैं वह रिकार्ड पर क्यों नहीं हैं जिन लोगों ने आफर दी है वह भी रिकार्ड पर होने चाहिये....

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : 5 करोड़ आता, 5 करोड़।

श्री सूरजपालसिंह : जो आप चाहते हैं उसमें सड़कों में कितना जाता, डवलपमेंट पर खर्चा कितना होता....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, जिस सम्पत्ति के बेचने के बाबत में अभी यहां पर एतराज किया गया है, मैं ऐसा समझता हूं कि जी एफ एण्ड ए. आर को माननीय सदस्य जानते हैं। जी. एफ. ए. आर. के अनुसार अगर आफर्स खुले मांगते हैं तो लोगबाग मिल जाते हैं और कम्बाइण्ड होकर जिस प्रकार दारू के ठेके के अन्दर कुछ लोग मिलकर ज्यादा कीमत नहीं बढ़ने देते हैं उस तरह की न बढ़ने देने की गुन्जाइश होती है। इस प्रकार की चीजों के अन्दर निश्चित रूप से खुले में यह मालूम नहीं होता है। मैं यह नहीं समझ सका, कमरे में बुलाकर इसको यों कह दिया। यह सारे 90-90 लाख रुपया पे करने वाले लोग इतने भोले थे कि उसने कह दिया और वह बहक गये और अपने घर चले गये और केवल आपकी बी. एम. एस. ही थी जो यह समझती थी कि इससे इतना ज्यादा पैसा

(श्री हरिदेव जोशी)

मिल सकता है। और अगर वह इतने ही कान्सियस थी बी. एम. एस. तो उसको किसने रोका था बिड देने से। जब बी. एम. एस. इतनी कांशियस थी तो उसको बिड देना चाहिये था। फिर भी जैसे माननीय मंत्री महोदय ने कहा है, क्योंकि मैं सारी चीजों से कनवर्सेंट नहीं हूं और मैंने इतना एक्जामिन करने की कोशिश नहीं की। दो माननीय सदस्य, माननीय ललितकिशोर जी और माननीय नाथूसिंह जी ने यहां पर अपने विचार व्यक्त किये हैं और मैं ऐसा समझता हूं कि उन्होंने एक कोंक्रीट शेप में रखने की कोशिश की है। मैं इन दोनों को एक्जामिन करके और उसी को प्राईमाफेसी शिकायत मान करके इसको एक्जामिन करवा लूंगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अब एक जानकारी....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री नाथूराम मिर्धा : जमीन बहुत मौके की है इस बात को तो सभी लोग मानेंगे। जो कुछ भी है स्टेशन के पास है और बहुत जल्दी में बड़ी जमीन बेचने से पैसे वाले लोग ही इसको खरीदने के लिये आयेंगे तो उनका कम्पीटीशन भी वाईट मनी देने में कितना हो सकता है इसकी भी एक सीमा है, लिमिटेशन्स हैं। छोटे-छोटे प्लाट्स में या कोई मार्केट की स्कीम बनाकर अगर उस जमीन को किसी तरह से बेचा जाये तो बहुत पैसा मिल सकता है और उसकी खूबसूरती भी कायम रहेगी। तो यह जमीन जिस जगह यह कम्पनी एक आदमी इसको लेकर जितना वाइट पैसा है उतना वह दे सकता है एक साथ लमसम में तो उसके लिये वह कमी आयेगी नहीं। इसलिये यह कुल मिलाकर यह जो कुछ हुआ है उससे मेरे को भी सन्तोष नहीं है। इसलिए इस सारे मामले को आप देखियेगा। किस उपयोग से इस जमीन का ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने को मिले, जैसा आपने कहा काम्प्लीकेशन्स हैं अगर छोटे-छोटे टुकड़ों में देंगे तो काम्प्लीकेशन्स क्या होंगी, क्या नहीं होंगी तो मैं सोचता हूं इसको वापिस इस मामले को देखने का जैसा आपने फरमाया है इसको गम्भीरता से देखें और इसका ज्यादा पैसा मिले जिससे लोगों का पैसा भी चुकाया जा सके और कम्पनी को भी घाटा नहीं हो, इस प्रकार की व्यवस्था की जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी माननीय मुख्य मन्त्री ने कहा जी. एफ. एण्ड ए. आर. में इस प्रकार की व्यवस्था है, इस लैण्ड की सेल पर जी. एफ. एण्ड ए. आर. लागू है क्या?

श्री हरिदेव जोशी : जी. एफ. एण्ड ए. आर. तो गाइड लाइन देता है, चाहे उसको कोई प्राइवेट लेवे या इन्डीजुअल लेवे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं पूछना चाहता हूं कि जी. एफ. एण्ड ए. आर. के अनुसार ही सेल हुई है क्या?

श्री हरिदेव जोशी : सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि जी. एफ. एण्ड ए. आर. कहता है अगर आप किसी का टेण्डर इन्वाइट करते हैं तो इस प्रकार से कर सकते हैं और टेण्डर इन्वाइट करने के मायने यह हैं कि कौन टेण्डर देता है अथवा नहीं देता है, क्या करता है....

(व्यवधान)

आप सुनें तो सही।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चर्चा नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन बहुत सीधा सा है।

श्री हरिदेव जोशी : यह कानूनी प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कानूनी प्रश्न नहीं है....

(व्यवधान)

आप बीच में नहीं आयें....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जी. एफ. एण्ड ए. आर. में प्रापर्टी के सेल के लिये कोई व्यवस्था है, किस प्रकार से टेण्डर लिये जाय, किस प्रकार से बातचीत की जाय, कैसे नहीं की जाय। मुख्य मंत्री जी को इसकी जानकारी है कि गवर्नमेंट प्रापर्टी पर जी. एफ. एण्ड ए. आर. लागू है?....

(व्यवधान)

मैं यही जानना चाहता हूं कि यह जो सारा सेल हुआ है और उस सेल में जो प्रक्रिया अपनाई गई है वह क्या जी. एफ. एण्ड ए. आर. के अनुसार अपनाई गई है क्या?

श्री हरिदेव जोशी : जी. एफ. एण्ड ए. आर. तो एक गाइड लाइन है जो गवर्नमेंट ने अपने काम के लिये तैयार किया हुआ है....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री हरिदेव जोशी : मैं उसी के अनुसार निवेदन करता हूं कि मुझे इसमें कहीं कोई बुराई नहीं दिखाई देती है। उन्होंने अखबारों में नोटिस निकाला और अखबार भी तीन बड़े-बड़े अखबार जो हिन्दुस्तान में काफी प्रचलित हैं, खास तौर से उत्तरी भारत के अन्दर। अब रह जाता है कि यह प्रक्रिया सही थी या गलत थी। वह प्रक्रिया तो सही थी कि उन्होंने टेण्डर इन्वाइट किये और टेण्डर के अनुसार उन्होंने सही किया या गलत किया। आपने जो कुछ कहा वह यह

(श्री हरिदेव जोशी)

कहा कि बिहाइन्ड दी स्क्रीन क्यों किया, यह कहा है....

(व्यवधान)

मैं सीधा सा सवाल कह रहा हूं कि इसमें कहीं कोई बुराई दिखाई नहीं देती कि टेंडर उन्होंने इन्वाइट किये कि क्या रेट देंगे, जिन-जिन लोगों ने पढ़ा और जो जो दे सकते थे उन लोगों ने अपना टेण्डर दिया। तो टेण्डर लेने से तो मुझे कहीं नहीं लगता है कि इसमें कोई बुराई है।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य....। दोनों नेताओं ने इस प्रश्न को रख दिया है....

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आखिर 127 में तो मैंने मूव किया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो कई बार शंका समाधान कर चुके हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय को मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने बी. एम. एस. का नाम ले करके इसको टिल्ट करने की कोशिश की है। मैं कहना चाहूंगा सारे मजदूरों ने, एज ए होल–इसको लेने की बात कही है। उसके बारे में केवल मात्र जो एक रिजोल्यूशन है वह मैं आपके ध्यान में दिलाना चाहता हूं। यहां जो 24-1-1985 की मीटिंग है उसका एक पेरेग्राफ पढ़ रहा हूं :—"श्रमिक प्रतिनिधियों द्वारा सर्व सम्मति से मत व्यक्त किया गया, श्रमिक प्रतिनिधि यानि चारों यूनियनों के पदाधिकारी जो उस समय उपस्थित थे" कि कम्पनी द्वारा जो जमीन बेचना प्रस्तावित है, वह श्रमिकों द्वारा एक हाऊसिंग सोसायटी बनाकर प्लाट काट कर दी जावे।" इस बारे में उनका कहना था कि कम्पनी को जो सर्वोत्तम प्रस्ताव उस जमीन को खरीदने के लिये आये हैं, उसी दर पर यह जमीन श्रमिकों को दे दी जावे। श्रमिक प्रतिनिधियों का यह भी कहना है कि उक्त जमीन के लिये श्रमिक गण वांछित धन की व्यवस्था अपने भविष्य निधि में से कर देंगे जो दो करोड़ रुपया है। इसके बाद यह और बता देना चाहता हूं क्योंकि कहीं यह न हो जाय कि जैसाकि इस प्रकार की बात कर रहे हैं माननीय मुख्य मंत्री जी, इसके बाद की मीटिंग हुई जिसकी तारीख है 30-1-85, उसमें कांवटिया साहब ने क्या कहा है मैं उसको भी यहां दोहराना चाहता हूं—

कमेटी की बैठक दिनांक 24-1-85 को पैरा तीन जो कि कम्पनी की जमीन के प्रस्तावित विक्रय के सम्बन्ध के बारे में श्रमिक प्रतिनिधियों के प्रस्ताव के बारे में

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

उन्हें बताया गया कि विक्रय का उक्त मामला काफी अग्रिम स्तर तक पहुंचने के कारण श्रमिक प्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

यह लेटर है 30-1-85 का। माननीय मंत्री महोदय ने जिक्र किया है जून, 85 का, 6 महीने बाद।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, ...माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि वे इसको देखेंगे। अब कृपया समाप्त करें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यह आफर आई कि नहीं आई ?

(व्यवधान)

श्रमिकों की कंक्रीट आफर उस मीटिंग में जो प्लान लेवल कमेटी की है जो कहती है कि हम आपके प्रस्ताव पर ही विचार नहीं करते....

श्री हरिदेव जोशी : आपने जो कहा है, गवर्नमेंट की तरफ से जो रिप्लाई आया है वह एक गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है। आपने जो कहा है वह आपने अपना पाइन्ट आफ व्यू रख दिया है। मैं ऐसा स्पष्ट कर चुका हूं कि गवर्नमेंट ने जो रिप्लाई दिया है, उसको ध्यान में रखते हुए और आपने जो कहा है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं देख लूंगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त की जाती है।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनिट....

श्री उपाध्यक्ष : इसका अन्त नहीं है। ज्यादा शंका मत रखिये....

(व्यवधान)

ज्यादा शंका मत किया कीजिये....

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनिट लूंगा....

(व्यवधान)

श्री देवीलाल : एक घंटा हो गया, बार-बार दो घंटा हो गया....

(व्यवधान)

ये विरोधी दल के नेता जमीन ने....

श्री नाथूसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है....।

श्री उपाध्यक्ष : अब मैं निवेदन करूं कि जब आप बोल रहे हैं, वे भी बोलेंगे तो यह परिपाटी गलत हो जाती....

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : मुझे परवाह नहीं, वे बोलें।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था बिगडती है, माननीय सदस्य, मानना चाहिये....

(व्यवधान)

मैं एक निवेदन करता हूं कि जिद करना अच्छा नहीं है। नियमों के विरुद्ध है। जब नेता लोग बोल गये, प्रस्तावक बोल चुके।

श्री नाथूसिंह : एक महत्वपूर्ण है इस लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय मुख्य मंत्री जी, मेरा निवेदन है कि कावड़िया साहब के रहते हुए हेरा-फेरी की जा रही है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त की जाती है।

अब श्री गुलाबसिंह जी शक्तावत अकाल राहत मंत्री मांग संख्या 34 प्राकृतिक आपदाओं से सम्बन्धित मांग पर प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

अनुदान की मांग
मांग संख्या 34
प्राकृतिक आपदाओं से राहत

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (अकाल राहत मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हू कि मांग संख्या 34 प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु. 33 करोड़ 75 लाख 99 हजार (तैंतीस करोड़ पिचहत्तर लाख निन्यानवे हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित हैं, प्रदान की जाय।

मांग संख्या 34 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक प्राकृतिक आपदाओं से राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय :

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल) :

1. प्राकृतिक आपदाओं के स्थायी समाधान हेतु योजना के अभाव से उत्पन्न कठिनाईयों पर चर्चा के लिये।

(1) **श्री रेवतराम चौधरी** (डूंगरगढ़)

(2) **श्री रामदेव चौधरी** (मूंडवा)

(3) **श्री नारायणराम बेड़ा** (भोपालगढ़)

(श्री रेवतराम चौधरी)

2. गत वर्षों में किए गए राहत कार्यों का भुगतान न होने से मजदूरों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिए।

श्री नवरंग सिंह : (नवलगढ़)

3. 2 अप्रेल, 1985 को ओलावृष्टि से फसल बर्बाद होने से झुन्झनू जिले के किसानों को राहत दिलाने पर चर्चा के लिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल)

4. वर्षा के अभाव से त्रस्त जयपुर जिले के गांवों को अकालग्रस्त घोषित करने में भेदभाव वरतने पर चर्चा के लिये।

5. जयपुर जिले में राहत कार्य खोलने में पक्षपात वरतने एवं पर्याप्त कार्य नहीं करने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

6. राहत कार्यों में हो रही अनियमितताओं पर व राज्य में सूखा सम्भावित कोष बनाने, अकाल से निपटने हेतु अलग-अलग विभागों से मास्टर प्लान के अनुसार कार्य कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर)

7. राज्य सरकार जिला बांसवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक विपत्तियों को रोकने में असफल रही है पर चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल पारीक (माण्डल)

8. अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत स्थायी प्रकृति के कार्य कराने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

9. अकाल राहत कार्यों की स्वीकृति होने के बावजूद कार्य पूरे न कराने पर चर्चा के लिये।

10. मांडल क्षेत्र में अकाल राहत कार्य समय पर आरम्भ नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

11. ओलावृष्टि से फसल नष्ट हो जाने पर सरकार द्वारा सहायता उपलब्ध न कराने पर चर्चा के लिये।

12. जिला जयपुर के बाढ़ अवरोधक प्रोजेक्ट पर कार्य न किये जाने से पुनः बाढ़ की आशंका की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

13. लाडनूं निर्वाचन क्षेत्र में अकाल राहत कार्य कम खोलने, एक ही

(श्री हरजीराम बुरड़क)

क्षेत्र में अधिक कार्य खोलने एवं मजदूर कम लगाने पर चर्चा के लिये ।

14. राहत कार्यों के अन्तर्गत ग्राम अनसेहीया तहसील लाडनूं में टैंकर द्वारा पानी कम पहुंचाने व जल संकट को हल नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

श्री चम्पालाल बाठिया (पचपदरा)

15. पचपदरा विधानसभा क्षेत्र में निरंतर पड़ रहे अकाल एवं प्राकृतिक विपदाओं पर सरकार द्वारा कम राशि व्यय किये जाने के विषय पर चर्चा के लिये ।

श्री जयनारायण पूनिया (तारानगर)

16. प्राकृतिक विपत्तियों से पीड़ित चूरू जिले की जनता को कोई राहत नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री रामचन्द्र जाट (बनेडा)

17. भीलवाड़ा जिले में हुरड़ा तहसील में आवश्यक अकाल राहत कार्य शुरू न किये जाने एवं पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिये ।

श्री अश्क अली (फतेहपुर)

18. रेगिस्तानी क्षेत्रों में अकाल की स्थिति के अस्थाई समाधान हेतु विशेष योजना बनाने पर चर्चा के लिये ।

श्री नारायणसिंह (दांतारामगढ़)

19. सीकर जिले में अकाल राहत कार्य पर्याप्त मात्रा में चालू नहीं करने के कारण गरीब लोगों की मजदूरी न मिलने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा (दूदू)

20. राज्य में अकाल के स्थायी समाधान हेतु चर्चा के लिये ।

21. ग्राम विचून में बाढ़ रोकने हेतु मराणा पहाड़ के पानी की निकाली पर चर्चा के लिये ।

22. राजस्थान में बाढ़ से बचने के संबंध में स्थायी हल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू)

23. चौमू क्षेत्र में मैढ़ा नदी के बहाव से भूतेड़ा व हस्तेड़ा गांवों को उत्पन्न खतरे पर चर्चा के लिये ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर)

24. सुरावा, दूगावा ग्रामों को बाढ़ से बचाने हेतु बांधों का निर्माण करवाने में सरकार की घोर उदासीनता पर चर्चा के लिये ।

श्री गणेश लाल बैरागी (हिण्डोली)

25. प्राकृतिक आपदाओं से राहत बाबत चर्चा के लिये ।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदार शहर)

26. सरदार शहर तहसील में अकाल राहत कार्यों के चालू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री सुजान सिंह यादव (बहरोड)

27. राज्य में प्रतिवर्ष अनेकानेक प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न कठिनाइयों के निराकरण हेतु चर्चा के लिये ।

• **श्री हंसराज मिढ़ा** (सूरतगढ़)

28. अभावग्रस्त क्षेत्रों में चारे की व्यवस्था एवं कृषकों से वसूली स्थगित करने बाबत चर्चा के लिये ।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर)

29. सांगानेर के गूलर व विधानी के बीच 1981 की बाढ से भारी खड्डे व नाले में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

30. जयपुर जिले की चाकसू तहसील के ग्राम डाहर सालगराम पुरा के नाले से होने वाली क्षति को रोकने पर चर्चा के लिये ।

31. सांगानेर तहसील के गांव खातीपुरा पंचायत जयपुर के निकट नाले से उत्पन्न कठिनाई के निराकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रमजान खां (पुष्कर)

32. पुष्कर क्षेत्र के आस-पास गांवों में पहाड़ों के पानी से कृषि भूमि के कटाव को रोकने के बारे में चर्चा के लिये ।

श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद)

33. अजमेर जिले में अकाल राहत कार्य न खोलने पर चर्चा के लिये ।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा)

34. राज्य में जो भी फसल ओलावृष्टि या अतिवृष्टि या अनावृष्टि से नष्ट हुई उसके लिये सरकार द्वारा कृषकों को राहत नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये ।

35. तिजारा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम टपूकड़ा में श्री रामस्वरूप खाती को मकान जलने के उपरान्त भी सहायता नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये ।

36. तिजारा व खैरथल विधान सभा क्षेत्रों में ओलावृष्टि से किसानों की समस्त फसल नष्ट होने, एवं सरकार द्वारा अकाल राहत कार्य न खोलने पर चर्चा के लिये ।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़)

37. ग्राम टोडपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू में 26-1-85 को कुए के ढहने से मरे छः व्यक्तियों के परिवारजनों को राहत न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री डूंगरराम पंवार (टीबी)

38. गंगानगर जिले में अनावृष्टि, शीत-लहर एवं ओलावृष्टि से किसानों को हुई फसल क्षति में सरकार द्वारा कोई भी राहत न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)

39. प्राकृतिक आपदायों के कारण होने वाले व्यय से राज्य की योजनाओं पर पड़ने वाले भार तथा केन्द्रीय सरकार से कम राशि मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी)

40. बाड़मेर जिले के ग्रामों की आबादी को लूनी नदी की बाढ़ से बचाने हेतु तटबन्ध के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. बाड़मेर जिले में संवत 2023 से आज तक अकाल राहत कार्यों पर लगे श्रमिकों की मजदूरी के बकाया भुगतान की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. बाड़मेर जिले में अकाल राहत कार्यों के तहत सीमेन्ट के पक्के तालाब बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. बाड़मेर जिले में चवा-बायतू एवं बायतू-सिणधरी सड़कों पर अकाल राहत के समय गिट्टी बिछाये जाने से आवागमन अवरुद्ध हो जाने से इन सड़कों की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी)

44. अकाल राहत कार्यों के तहत पक्की सड़कों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर)

45. अकाल की स्थिति एवं अकाल राहत कार्यों की मजदूरों की बकाया राशि का भुगतान करने पर चर्चा के लिये।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (झालरापाटन)

46. झालावाड़ जिले के अकाल राहत कार्यों एवं अकाल की स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली)

47. प्राकृतिक आपदाओं की राशि का

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

आवश्यकतानुसार सदुपयोग न होकर अन्य कार्यों में खर्च करने पर चर्चा के लिये ।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर)

48. अग्नि पीड़ित परिवारों को राहत दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)

49. जयपुर जिले के ग्रामों को अकाल ग्रस्त घोषित किये जाने में भेदभाव बरतने पर चर्चा के लिये ।

श्री चन्द्रशेखर (खैरथल)

50. खैरथल विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों घासोली, खोहबास, लंगड़बास, तितरका में ओलावृष्टि से कृषकों को राहत के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

51. अकाल राहत कार्य पर कार्यरत श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी दिये जाने एवं श्रमिकों से पूरा कार्य न लेने वाले सुपरवाईजरों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर चर्चा के लिये ।

52. अग्नि पीड़ितों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यक धन राशि पंचायत समितियों को आवंटित न करने से राहत देने में हो रहे अनावश्यक विलम्ब के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

53. जयपुर जिले की तहसील बस्सी में ग्राम बैनाड़ा, मोहनपुरा, दूप्पली, खिजूरिया तिवाडियान, जटवाड़ा एवं गढ़ोली में बाढ़ से हर वर्ष होने वाली क्षति को रोकने के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

54. जयपुर जिले की तहसील बस्सी में अकाल राहत कार्य पर लगे श्रमिकों को समय पर भुगतान न किये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

55. जयपुर जिले की तहसील चाकसू के बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों की सूची में हेरा फेरी कर पंचायत समिति चाकसू द्वारा बाढ़ सहायता राशि वितरण में किये गये लाखों रुपये के घोटाले की जांच के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

56. जयपुर जिले में आयी भीषण बाढ़ से प्रभावित तहसील चाकसू में बाढ़ से प्रभावित लोगों को पशुधन क्रय किये बिना रिश्वत लेकर दिये गये क्रय प्रमाण पत्र के आधार पर पंचायत समिति चाकसू द्वारा अनुदान राशि वितरण कर भारी घोटाला करने पर चर्चा के लिये ।

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

57. जयपुर जिले की तहसील चाकसू में बाढ़ के कारण प्रभावित लोगों को रोजगार के स्थायी साधन उपलब्ध करा कर राहत दिये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

श्री प्रणवीर (भीलवाड़ा)

58. अकाल राहत कार्यों में श्रमिकों को भुगतान न देने तथा अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने बाबत चर्चा के लिये।

वैद्य भैरूलाल भारद्वाज (जमुवारामगढ़)

59. अग्नि पीड़ितों, बाढ़ पीड़ितों, अकाल पीड़ितों को ठीक समय पर पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर)

60. ओलावृष्टि से फसल के हुए नुकसान पर चर्चा के लिये।

श्री पोकरलाल परिहार (देसूरी)

61. प्राकृतिक आपदाओं से राहत पर चर्चा के लिये।

श्री कमला भाई मीणा (लसाड़िया)

62. निर्वाचन क्षेत्र लसाडिया में राहत कार्यों पर मजदूर बढ़ाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री थानसिंह मीणा (सलूम्बर)

63. सलूम्बर क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं से राहत पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बूंदी)

64. बूंदी में 1984-85 में आई बाढ़ से हुई क्षति के कारण सड़कों की मरम्मत तुरन्त कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेश (थानागाजी)

65. ओलावृष्टि से गत वर्ष हुए नुकसान के लिए काश्तकारों को समय पर सहायता न दिये जाने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री जयनारायण पूनिया (तारानगर)

66. अकाल राहत कार्य समय पर शुरू न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

67. कृषकों तथा प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को समय रहते सहायता नहीं देने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

68. घाटगेट बाहर गिरजाघर स्कूल के पीछे कचरा बस्ती, जयपुर में अग्नि से नष्ट हुए परिवारों को ऋण देकर

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

सहायता नहीं पहुंचाने पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

69. अकाल घोषित करने में बरते गये पक्षपात पर चर्चा के लिये।

70. पीपल्दा क्षेत्र की बालूपा, नोनेरा, फूसोद, बागली आदि पंचायतों में अकाल घोषित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

71. एडीशनल तहसील में अकाल घोषित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री थानसिंह मीणा (सलूम्बर)

72. सलूम्बर तहसील में अकाल राहत कार्य खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर)

73. राहत कार्य अकाल के समय भेदभाव से प्रारम्भ किये जाने पर चर्चा के लिये।

74. किसानों के लिये अतिवृष्टि, अनावृष्टि तथा शीतलहर की स्थिति में स्थायी सर्वे कर शीघ्र सहायता दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. रायपुर तहसील के पहाड़ी क्षेत्र के 15 पंचायतों को स्थायी रूप से प्राकृतिक विपदाओं से ग्रसित क्षेत्र घोषित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल आर्य (जालोर)

76. विधान सभा क्षेत्र जालोर में ओलावृष्टि से हुई क्षति तथा अग्नि पीड़ितों को सहायता उपलब्ध न कराने पर चर्चा के लिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर)

77. तहसील सांचोर में आग से हुए नुकसान को क्षति पूर्ति हेतु पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

78. तहसील सांचोर के कई अकाल ग्रसित गांवों में अभी तक कोई अकाल राहत कार्य नहीं खोलने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

79. जिला जालोर एवं विशेषतया तहसील सांचोर में अकाल ग्रसित गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

(1) **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर)

(2) **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद)

80. सांगानेर तहसील के ग्राम गोनेर से से बिघानी के बीच वर्षा से बने भारी नाले के कारण हर वर्षों में होने वाली यातायात असुविधा को स्थाई रूप से निवारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. अकाल राहत कार्यों पर अब तक करोड़ों रुपयों की राशि खर्च होने के बावजूद स्थायी प्रकार की जन सुविधा उपलब्ध कराने में सरकारी चिन्तन के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्री माधोपुर)

82. मार्च 1985 में ग्राम नाथुसर, नांगक बागरियावाल के किसानों की खड़ी फसल ओलावृष्टि से नष्ट हो जाने से किसानों को आज तक कोई राहत नहीं पहुंचाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

83. ग्रामों में अग्नि कांड हो जाने के बाद कई महिनों तक पीड़ित लोगों को सहायता नहीं देने से उत्पन्न परेशानी पर चर्चा के लिये।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट)

84. पंचायत समिति लालसोट के ग्राम धोली अग्नि काण्ड में दो अबोध बालकों को मृत्यु तथा सारा गांव जलकर खाक हो गया, उनको राहत दिलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जयनारायण पूनिया (तारानगर)

85. चूरू जिले में अकाल होने पर भी नागरिकों को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं कराने पर चर्चा के लिये।

86. अकाल राहत कार्यों में स्वीकृत साहवा एप्रोच रोड धीरवास अप्रोच रोड शुरू न करने पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल मीणा (सराड़ा)

87. जिला उदयपुर में प्राकृतिक आपदाओं के कारण पशुओं के लिये खाने की घास नहीं होने पर चर्चा के लिये।

88. जिला उदयपुर में प्राकृतिक आपदाओं से अकाल की स्थिति बनी हुयी होने के फलस्वरूप तत्काल जिला उदयपुर में अकाल राहत कार्य प्रारम्भ कराकर रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र कुमार (आसपुर)

89. जिला डूंगरपुर में अकाल राहत कार्य प्रारम्भ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दिग्विज सिंह (उनियारा)

90. जिला टोंक में अकाल राहत कार्यों पर मजदूर बढ़ाये जाने पर चर्चा के लिये।

91. राज्य में प्राकृतिक आपदाओं का एक स्थायी कोष स्थापित करने पर चर्चा के लिये।

92. उनियारा कस्बे जिला टोंक में प्रतिवर्ष अतिवृष्टि के फलस्वरूप बांध से निचले क्षेत्रों में आने वाली बाढ़ से बचाव हेतु एक स्थायी योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मूलचन्द (टोडाभीम)

93. टोडाभीम क्षेत्र में भयंकर अकाल की स्थिति होते हुये भी अकालग्रस्त घोषित नहीं किया जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

94. टोडाभीम विधानसभा क्षेत्र के कृषकों को प्राकृतिक आपदाओं से हुये नुकसान से राहत दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल)

95. अकालग्रस्त क्षेत्र के गांवों में जहां पानी की स्कीम है वहां पानी नहीं पहुंचने की स्थिति में टैंकर से पानी उपलब्ध न कराने पर चर्चा के लिये।

96. जालौर जिले में अकालग्रस्त क्षेत्रों में समय पर कार्य शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर)

97. अग्नि पीड़ितों को राहत दिलाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री ग्यारसी लाल (निवाई)

98. प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नाथू सिंह (टोडाराय सिंह)

99. प्राकृतिक आपदाओं से राहत हेतु अधिक धन की व्यवस्था हेतु चर्चा के लिये।

श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर)

100. जिला बाड़मेर की तहसील बाड़मेर में अकाल सहायता कार्य प्रर्याप्त न खोले जाने पर चर्चा के लिये।

101. जिला बाड़मेर में राहत कार्य पर लगे मजदूरों की कार्य मात्रा सही नहीं मापने व ठेकेदारों का कार्य-

(श्री गंगाराम चौधरी)

मात्रा से अधिक भुगतान करने पर चर्चा के लिये।

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़)

102. आग लग जाने, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि व सूखा पड़ने की स्थिति में किसानों को तत्काल राहत न मिलने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर)

103. पूर्व के वर्षों के राहत कार्यों पर लगे मजदूरों की बकाया मजदूरी के भुगतान अब तक न करने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

104 बाड़मेर जिले में पूर्व में राहत कार्यों के अन्तर्गत तोड़ी गयी कंकर को ठेकेदारों द्वारा उठाकर उसकी कीमत सरकार से वसूल करने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला देवी (सागवाड़ा)

105. डूंगरपुर जिला, अनावृष्टि के कारण भयंकर अकाल की चपेट में आने से वहां के व्यक्तियों को अभी तक किसी प्रकार की कोई राहत नहीं पहुंचाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी)

106. बाड़मेर जिले में अकाल राहत कार्य कम खोलने पर चर्चा के लिये।

107. बाड़मेर जिले में अकाल राहत कार्यों के तहत उपयोगी कार्यों की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामधन (राजगढ़)

108. राजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में ओला वृष्टि एवं सर्दी से फसल नष्ट हो जाने पर नकद अनुदान राशि दिलाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (खानपुर)

109. सरकार द्वारा झालावाड़ जिले की तहसीलों के जो गांव अकालग्रस्त घोषित कर दिये गये उन गांवों में अकाल राहत कार्य प्रारम्भ नहीं करने पर चर्चा के लिये।

110. झालावाड़ जिले की तहसीलें खानपुर एवं अकलेरा में प्राकृतिक आपदाओं के कारण चारा पानी की कमी से हजारों पशुओं की अकाल से मोतें होने पर भी कोई राहत न पहुंचाने पर चर्चा के लिये।

111. अनावृष्टि के कारण झालावाड़ जिले की तहसीलें खानपुर एवं अकलेरा के कई गांवों में पेयजल की भीषण

(श्री हरीश शर्मा)

समस्या हो जाने पर भी टैंकर नहीं लगाने पर चर्चा के लिये।

112. खानपुर एवं अकलेरा तहसीलों के अकालग्रस्त गांवों में वसूली करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)

113. उदयपुर जिले के अकाल राहत कार्यों में कार्यरत मजदूरों को वेतन नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

114. उदयपुर जिले के अकालग्रस्त ग्रामों के पशुओं के आहार हेतु चारा अधिक मात्रा में उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बूंदी)

115. बूंदी जिले में आयी बाढ़ से हुये नुकसान एवं भविष्य में सुरक्षात्मक कदम उठाने पर चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई)

116. प्रतिवर्ष पड़ने वाले अकाल के कारण पशुधन के लिये पेयजल की व्यवस्था करने में राज्य सरकार की अक्षमता पर चर्चा के लिये।

117. राज्य सरकार राज्य में लगातार पड़ने वाले अकाल का स्थायी और योजनाबद्ध हल खोजने में असफल रही पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी)

118. सरकार प्राकृतिक आपदाओं का कारगर ढंग से मुकाबला करने में असमर्थ रही इस पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान (फुलेरा)

119. निर्वाचन क्षेत्र फुलेरा के ग्राम रेनवाल, दांतारामगढ़ बाई पास रोड़ का निर्माण अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत कराने पर चर्चा के लिये।

120. निर्वाचन क्षेत्र फुलेरा में रेनवाल के पास मेढ़ा नदी में बाढ़ के समय पानी अधिक आने से गांवों में उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

121. निर्वाचन क्षेत्र फुलेरा के ग्राम लालासर, बाघावास में मेढ़ा नदी में बाढ़ आने पर होने वाले जन धन की हानि पर चर्चा के लिये।

122. निर्वाचन क्षेत्र फुलेरा के ग्राम डोडवाड़ियों का बास अतिवृष्टि से प्रतिवर्ष पानी में डूबता है अतः इसके स्थायी हल पर चर्चा के लिये।

123. फुलेरा के कस्बा किशनगढ़ रेनवाल की हरीजन बस्ती को बाढ़ से बचाने

(श्री लक्ष्मीनारायण किसान)

सम्बन्धी उपाय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सम्पत्त सिंह (नगर)

124. बाढ़ के पानी से भरतपुर जिले में होने वाली हानि के लिये समय पर उपाय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

125. जाड़ा, पाला तथा ओलावृष्टि से सरसों, गेहूं, जो, चना की फसल नष्ट होने पर भी कोई राहत नहीं दिलाने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर)

126. शीत, ओला एवं बाढ़ से फसल नष्ट होने पर अनुदान नहीं दिलाने पर चर्चा के लिये।

127. बानसूर विधान सभा क्षेत्र में 1981 में विभिन्न समय आग लगने से सरकार द्वारा कोई राहत नहीं दी जाने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

128. बानसूर में दिनांक 2-4-85 को ओलावृष्टि से नुकसान होने पर भी सरकार द्वारा कोई राहत नहीं दी जाने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (खानपुर)

129. अकाल से घोषित गांवों के लिये सरकार द्वारा कोई सहायता न देने पर चर्चा के लिये।

130. अकाल राहत कार्य समय पर प्रारम्भ न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बिरदमल (जोधपुर)

131. राहत कार्यों में फर्जी मस्टररोल बनाकर धनराशि उठाये जाने पर चर्चा के लिये।

132. अकाल राहत कार्यों में मजदूरी बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

133. अकाल के स्थायी समाधान हेतु राहत कार्य न खोले जाने बाबत चर्चा के लिये।

134. अकाल राहत कार्य समीपवर्ती गांव में खोलकर लोगों को वहां पर काम देने के प्रबन्ध करने बाबत चर्चा के लिये।

135. अकाल में स्थायी प्रकृति के कार्य कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

136. ओलावृष्टि से नष्ट हुयी फसल से सम्बन्धित कृषकों को राहत दिलाये जाने बाबत चर्चा के लिये।

(श्री बिरदमल)

137. अकाल के समय पेयजल की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. जोधपुर जिले में अपर्याप्त राहत कार्य खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

139. अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं के लिये चारे की व्यवस्था न होने से पशु पालकों की कठिनाई पर चर्चा के लिये।

140. अकाल पर लगे मजदूरों को मजदूरी का बराबर भुगतान न होने पर चर्चा के लिये।

141. अकाल ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की प्रक्रिया में सुधार करने पर चर्चा के लिये।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया)

142. जिला उदयपुर के तहसील झाडोल और कोटड़ा में प्राकृतिक आपदाओं से प्रत्येक वर्ष पड़ने वाले अकाल के समाधान हेतु चर्चा के लिये।

143. प्राकृतिक आपदाओं से ग्रसित विधान सभा क्षेत्र फलासिया में राहत कार्यों के नहीं खोले जाने पर चर्चा के लिये।

श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर)

144. राहत कार्यों हेतु विभिन्न विभागों को आवंटित राशि के उपयोग के सम्बन्ध में राहत विभाग का कोई उचित नियंत्रण न होने के विषय पर चर्चा के लिये।

145. रेगिस्तानी क्षेत्र में पूर्ण तहसील या पूर्ण जिला अकाल ग्रस्त घोषित होने पर राहत कार्य खोलने के बजाय (एस. जी. आर.) विशेष सहायता मे आधा बिना ब्याज ऋण व आधा अनुदान प्रभावित परिवारों को अकाल की अवधि तक देने के विषय पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

146. जयपुर जिले की तहसील बस्सी में ग्राम बांसखोह में चर्म उद्योग के कारखाने में हुये भीषण अग्निकांड से प्रभावित लोगों को राहत नहीं देने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

147. पंचायत समिति बस्सी के अभावग्रस्त क्षेत्र में पेयजल कूप सूख गये उन्हें गहरा हेतु आवश्यक धनराशि आवंटित नहीं किये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

148. जयपुर जिले की तहसील चाकसू में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत चलाये गये राहत कार्यों पर लगे श्रमिकों को वर्षों

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

बाद भी बकाया मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

श्री भैरूलाल मीणा (सराड़ा)

149. उदयपुर जिले के तहसील गिर्वा, गोगुन्दा, कोटड़ा, झाडौल, खेरवाड़ा, सराड़ा, सलूम्बर, धरियावद में गत वर्ष से प्राकृतिक आपदाओं से अकाल की स्थिति बनी होने के फलस्वरूप पशुओं के लिये वहां पर चारे की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

150. उदयपुर जिले में प्राकृतिक आपदाओं से राहत के लिये स्थायी समाधान हेतु चर्चा के लिये ।

151. विधान सभा क्षेत्र सराड़ा में प्राकृतिक आपदाओं से वर्षा की कमी होने से सार्वजनिक कुए गहरे करना, एवं उनकी मरम्मत करवाने पर चर्चा के लिये ।

152. उदयपुर जिले में राहत कार्यों में धनराशि का सदुपयोग न किये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री नाथूराम (डूंगरपुर)

153. प्राकृतिक आपदाओं से राहत के बारे में चर्चा के लिये ।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

154. अकाल राहत कार्यों का मास्टर प्लान बनाकर पूरा करने की योजनाएँ बनाने पर चर्चा के लिये ।

(1) श्री रघुनाथ परिहार (बाली)

(2) श्री मोटाराम (सिवाना)

155. अकाल राहत, बाढ़ सुरक्षा कार्यों में मजदूरों की भुगतान समय पर किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

156. अकाल, बाढ़ राहत के अन्तर्गत प्रारम्भ किये गये अधूरे कार्यों को विभाग द्वारा पूर्ण कराने पर चर्चा के लिये ।

श्री रघुनाथ परिहार (बाली)

157. प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को जिला स्तर से ही त्वरित न्यूनतम आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु चर्चा के लिये ।

158. अकाल तथा अनावृष्टि की अवस्था में फसलों की खराबा-रिपोर्ट की सूचना क्षेत्रीय विधायक को दी जाने पर चर्चा के लिये ।

159. अकाल, बाढ़ की स्थिति में राहत हेतु जन सहयोग द्वारा घास वितरण की आवश्यकया पर चर्चा के लिये ।

श्री उदयराम धाकड़ (बडी सादड़ी)

160. बडी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र में अकाल राहत कार्यों की प्रगति पर चर्चा के लिये ।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन)

161. केशवराय पाटन क्षेत्र में अकाल ग्रस्त गांवों का सर्वे करवाकर राहत कार्य प्रारम्भ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

162. जयपुर जिले में अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत पृथ्वीपुरा बांध पर पिचिंग का कार्य नहीं होने पर चर्चा के लिये ।

163. जयपुर जिले की तहसील बस्सी में अकाल राहत कार्यों के तहत सड़क बांसखोह से बांसखोह रेल्वे स्टेशन, बांसखोह मूडला सड़क से लाला-हाला, तूंगा-रामगढ़ रोड से अणतपुरा, तूंगा से सांभरिया वाया दनाऊ कलां, देवगांव पर मोरम नहीं बिछाने तथा सड़क की कुटाई नहीं कराने पर चर्चा के लिये ।

164. अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत जयपुर जिले में बनाई जा रही सड़क कोट खावदा से महादेवपुरा वाया इन्द्रपुरी पर मोरम बिछाकर कुटाई नहीं किये जाने से आवागमन अवरुद्ध हो जाने पर चर्चा के लिये ।

165. अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत जयपुर जिले में बनायी जा रही सड़क सांभरिया से कोटखावदा पर मोरम डलवाकर रोड रोलर से सड़क की कुटाई नहीं होने से आवागमन में हो रही कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

166. जयपुर जिले में अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत निर्मित सड़क चाकसू से दौलतपुरा वाया गरुढ़वासी पर मोरम डालकर रोड़ रोलर से कुटाई नहीं किये जाने से आवागमन अवरुद्ध हो जाने पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर)

167. सुमेरपुर विधान क्षेत्र में अनावृष्टि से उत्पन्न हुई स्थिति पर चर्चा के लिये ।

168. पंचायत समिति सुमेरपुर के ग्राम चाणोद पावा, कोसेलाव, गुडा इत्यादि में अकाल से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

169. सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र के गांव बाबागांव में बाढ़ बचाव कार्य प्रारम्भ करने पर चर्चा के लिये ।

श्री रामलाल सोलंकी (सिरोही)

170. सिरोही जिले में अकाल राहत के

(श्री रामलाल सोलंकी)

अपूर्ण कार्यों जैसे पालडी से गोल, मनादर से हरली, शिवगंज से बेडा सड़कों को इस वर्ष अकाल कार्य में पूर्ण कराने पर चर्चा के लिये।

171. अकाल राहत कार्यों पर मजदूरी भुगतान एवं प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

172. सिरोही विधान सभा क्षेत्र के गांव पोसालिया, गोयल, केराल, लखमावा छोटा-बड़ा में बाढ़ नियंत्रण दिवार बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

173. सिरोही–शिवगंज तहसील के गांवों में अकाल की स्थिति होते हुए भी अकाल ग्रस्त घोषित नहीं करने पर चर्चा के लिये।

174. सिरोही एवं शिवगंज तहसील के मणोरा, सतापुरा, डोडुघा, नून, पुरोनी, बावली, ननारा से बाडा, लखमावा, ओडा में भीषण अकाल की स्थिति पर चर्चा के लिये।

175. सिरोही क्षेत्र में अतिवृष्टि से गांव मनादर, देलदर, मण्डवाडा, कृष्णगंज, चुली, जार्मोतरा में नदी नालों से होने वाले नुकसान पर चर्चा के लिये।

176. शिवगंज तहसील के ग्राम माडोनी में बारीश के पानी से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए ग्राम बचाओ धोरा योजना पर चर्चा के लिये।

177. शिवगंज तहसील के गांव नासदरा, लोटीवाडा, उम्मेदगढ़, बुडेरी, मोचाल, वाण, अन्दोर आलवा रोवाडा व अन्य गांवों में सूखे से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मुलतानाराम (जैसलमेर)

178. जैसलमेर जिले में अकाल राहत कार्यों की मजदूरी कम होने तथा उसका भुगतान नहीं होने पर चर्चा के लिये।

179. अकाल राहत कार्यों पर लगे मजदूरों को मजदूरी 11/– से 20/– तक करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

180. जैसलमेर जिले में अकाल राहत कार्यों पर अधिकतर गरीब अनुसूचित जनजाति के मजदूर होने से सरकारी अधिकारियों एवं मेटों द्वारा जानबूझ कर कम मजदूरी चुकाने पर चर्चा के लिये।

181. राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1985-86 में अकाल राहत कार्यों की पक्षपात पूर्ण स्वीकृति पर चर्चा के लिये।

(श्री मुलतानाराम)

182. अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत जैसलमेर जिले के ग्राम रामगढ़ से ग्राम पंचायत राछवा तक सड़क पक्की बनाए जाने पर चर्चा के लिये।

183. जिला स्तर पर अकाल राहत कार्य स्वीकृति हेतु "जिला अकाल राहत परामर्शदात्री समिति" होने पर भी राज्य सरकार ने अकाल राहत कार्य एवं स्वीकृति का कार्य अपने अधीन लेने से विलम्बता होने पर चर्चा के लिये।

184. जैसलमेर जिले में 1985-86 में अकाल राहत कार्य कम मात्रा में खोले जाने पर चर्चा के लिये।

185. जैसलमेर जिले में अकाल राहत कार्यों पर लगे श्रमिकों को पानी नहीं पिलाने व सरकारी औजार नहीं दिए जाने पर चर्चा के लिये।

186. जैसलमेर जिले में लगातार अकाल की समस्या का अस्थाई समाधान ढूंढने हेतु चर्चा के लिये।

श्री पन्नालाल मीणा (बागीदोरा)

187. जिला बांसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र बागीदोरा में प्राकृतिक आपदाओं के कारण अकाल की स्थिति बनी होने से अकाल राहत कार्य चालू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमर चन्द (गंगरार)

188. जिला चित्तौड़गढ़ में गत वर्ष के अकाल राहत कार्यों की बकाया वेतन राशि दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

189. विधान सभा क्षेत्र गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ में प्राकृतिक आपदाओं से अकाल की स्थिति बनी हुई होने के कारण राहत कार्य आरम्भ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी)

190. राज्य में प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत के लिये स्थायी व्यवस्था अब तक न हो सकने पर चर्चा के लिये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं)

191. चौमूं क्षेत्र को प्राकृतिक आपदाओं से राहत दिलाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ा मालानी)

192. अकाल राहत के तहत पक्के कार्य स्कूलों के भवन, छात्रावास, पटवार घर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप केन्द्र तथा उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य उप केन्द्र के भवनों को 60 : 40 (श्रम एवं सामग्री) के

(श्री हेमाराम चौधरी)

अनुपात में बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल मीणा (सराड़ा)

193. विधान सभा क्षेत्र सराड़ा में प्राकृतिक आपदाओं से अकाल ग्रस्त गांवों में राहत कार्य नहीं होने से आदिवासी लोगों के रोजगार की उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 34 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : सुश्री पुष्पा।

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले कई वर्षों से राजस्थान को अकाल और बाढ़ की स्थिति से निपटना पड़ रहा है ऐसी स्थिति से जनता को बचाने के लिए राज्य सरकार को जिस मुस्तैदी से तैयारी करनी चाहिए थी, मैं बहुत खेद के साथ कहना चाहती हूं कि राज्य सरकार उसमें बिलकुल असफल साबित हुई।

(म. प. 4.40)

(श्री पंकज पंचोली, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, जब चारों तरफ से आवाज आने लगी कि अकाल है, अकाल है, तब तो राज्य सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगी। बहुत देर के बाद जब राज्य सरकार बुरी तरह से फंस गयी तब इन्होंने अकाल की घोषणा के लिए, गस्त गिरदावरी के लिए पटवारियों को आदेश दिये, बहुत देर से गश्त गिरदावरी की गयी। अगर समय से गश्त गिरदावरी की जाती तो, सभापति महोदय, उसके परिणाम दूसरे होते। गश्त गिरदावरी करने के बाद अकालग्रस्त गांव जो घोषित हुए उसमें बिलकुल आपा-धापी हुई है। जिन गांवों को अकालग्रस्त घोषित करना चाहिए था उनको अकालग्रस्त घोषित नहीं किया गया। टेबिल पर बैठकर जो रिपोर्ट्स आयी थीं उनको भी एक किनारे करके, दरगुजर करके और अपनी मर्जी से अकालग्रस्त गांवों को घोषित कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण के तौर पर पाली जिले को लेना चाहती हूं कि पाली जिले में बाली विधान सभा क्षेत्र, माननीय सदस्य बैठे हुए होंगे, इनके क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई बैल्ट है, गिरासी बैल्ट उस क्षेत्र के लोग जिनके पास कोई कमाने खाने का साधन नहीं उन गांवों को अकाल घोषित नहीं किया। पाली जिले में सबसे ज्यादा अगर अकालग्रस्त घोषित करना चाहिए था किन्हीं गांवों को तो पाली विधान सभा क्षेत्र के गांवों को करना चाहिए था जिसको राज्य सरकार ने नहीं किया।

अब, सभापति महोदय, उसके बाद रायपुर, रायपुर में मदुरा बैल्ट जो सबसे ज्यादा दरिदंगी से जूझ रही है, बिल्कुल गरीब मजदूर लोग जिनका न कोई कमाने का साधन है न खाने का साधन है किसी तरह का कोई साधन नहीं, उन गांवों में इन्होंने अकाल घोषित नहीं किया। देसूरी जहां अनुसूचित जाति का क्षेत्र है, अनुसूचित जाति के क्षेत्रों में इन्होंने अकाल जिस तरह

(सुश्री पुष्पा जैन)

से घोषित किया गया है सरकार की जो पत्रावलियां हैं, उठाकर देख लें कि किस तरह अकाल घोषित हुए हैं, अगर ईमानदारी से सरकार पूरी जांच करवाये, सारे पाली जिले के सारे विधान सभा क्षेत्रों में जांच करवा ली जाय तो मैं दावे के साथ कह सकती हूं मन्त्री महोदय कि आप स्वयं मेरी बात को सही मानेंगे कि अकालग्रस्त गांवों को घोषित करने में बहुत बड़ी धांधली हुई है।

सभापति महोदय, उसके बाद इन्होंने काम घोषित किये, अकालग्रस्त गांव घोषित किये पटवारियों की रिपोर्ट के आधार पर और अकालग्रस्त गांवों में काम घोषित कर रहे हैं, काम की घोषणायें कर रहे हैं जयपुर के सेक्रेटियेट में बैठकर। जी. रामचन्द्र कमिश्नर पर मैं आरोप लगाना चाहती हूं अपने दफ्तर की टेबिल पर बैठकर उन्होंने अपनी मर्जी से काम घोषित कर दिये, जिन्हें यह इल्म नहीं कि कौन सा गांव कहां है। किस गांव में कितने प्रतिशत अकाल है, कितने प्रतिशत उनकी फसल खराब हुई है उन्होंने टेबिल पर बैठकर जिन्होंने उनकी मस्काबाजी की उनके गांवों में काम खोल दिये। आज काम खोलने के बाद भी मन्त्री महोदय मैं आपको जानकारी देना चाहती हूं कि जिन गांवों में आपने काम खोले उसमें अभी तक काम शुरू ही नहीं हुए। सभापति महोदय, मैं आपके मारफत सरकार को कहना चाहती हूं कि आज जब आप वर्षा का इन्तजार कर रहे हैं और भगवान की दया से वर्षा हो भी गयी है उस स्थिति में आप कम से कम इतना तो कीजिए कि यह जांच करवायें कि राजस्थान में कितने जिलों में अकाल के जो काम आपने खुलवाये थे वह काम चालू भी हुए या नहीं हुए। आप तो अब थोड़े समय में अकाल के कामों को बन्द करने जा रहे हैं। तो मैं आरोप लगाना चाहती हूं कि आपके काम अभी तक चालू ही नहीं हुए। सभापति महोदय, अकाल की जो इन्होंने घोषणा की, मैं उस मुताल्लिक कहना चाहती हूं कि राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष 10276 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया। गांवों को अभावग्रस्त घोषित करने का सर्व प्रथम गजट नोटिफिकेशन दिनांक 15-1-1985 को निकाला गया। सबसे पहले दिनांक 18-3-1985 को अकाल राहत कार्य स्वीकृत हुए। जब राज्य सरकार ने 18 मार्च, 1985 को काम शुरू किये, काम खोले अकाल राहत के, तो फिर पाली जिले से ऐसी आपको क्या दुश्मनी थी। पाली में 12-4-1985 को अकाल राहत काम शुरू करने की घोषणा की गयी। सभापति महोदय, मैं आरोप लगाना चाहती हूं कि जान बूझकर राजनैतिक दुर्भावना से इन्होंने काम किया। राजनैतिक दुर्भावना बरसबे वेसी कहते हैं कि अकल से काम लो तो उससे भी यह बच सकते थे। माननीय सदस्य यहां बैठे हुए हैं, उनके क्षेत्रों में काम चालू नहीं किये। सिर्फ पाली जिले में एक क्षेत्र सुमेरपुर, उस क्षेत्र में इन्होंने काम चालू किया। लेकिन उसमें भी आरोप लगाना चाहती हूं कि मजदूर अपनी अदायगी का इन्तजार कर रहे हैं। उनको अभी तक मजदूरी ही नहीं मिली। काम चालू किये

(सुश्री पुष्पा जैन)

तो कम से कम उस एक क्षेत्र को तो निहाल कर दीजिए। वहां के गरीब लोगों को तो आप जाकर उनकी मजदूरी का भुगतान कर दीजिए। सभापति महोदय, अब मजदूरी के लिए इन्होंने पैमाना क्या निश्चित किया है, टास्क बेसिस पर। टास्क बेसिस पर यह मजदूरी देंगे 11) रुपये। एक सवाल के जवाब में मन्त्री महोदय इस विधान सभा में आपने कहा है 'कि टास्क के अनुसार कार्य करने पर एक श्रमिक को एक दिन में 11) रुपये देय हैं अगर वह कार्य करे। फिर आपने कहा, "क्या ऐसी शिकायतें भी राज्य सरकार को प्राप्त हुई हैं कि मजदूर को न्यूनतम से भी कम राशि दी जाती है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मजदूरी देने की कोई शिकायत विभाग में अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।"

अब, सभापति महोदय, यह राज्य सरकार है जो यह कह रही है कि कम मजदूरी देने के लिए इनको कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। मैं दावे के साथ कहना चाहती हूं मंत्री महोदय आप ईमानदारी से कहें कि आपके सचिवालय में कितनी दरख्वास्तें, जिलाधीशों को कितनी दरख्वास्तें इस बाबत प्राप्त हुई हैं ? मजदूर रो रहे हैं कि उनकी मजदूरी नहीं मिल रही, उनकी मजदूरी कम मिल रही है और मन्त्री महोदय जवाब दे रहे हैं कि मजदूरी की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। सभापति महोदय, मैं इस मुताल्लिक आप ही के जवाब में जो आपने कहा है वह बताती हूं। कनिष्ट अभियन्ता द्वारा किये गये, सवाल था कि : "1979-80 में 50 अकाल राहत कार्यों के मजदूरों की मजदूरी करीब एक लाख रुपये अभी तक बकाया है।" आप फरमाते हैं :

"कनिष्ट अभियन्ता द्वारा किये गये मूल्यांकन के आधार पर जारी स्वीकृति के अनुसार पांचों कार्यों पर इतने-इतने रुपये का भुगतान किया जाना था जिसके बेटे सरपंच को इतने-इतने रुपये का भुगतान किया जा चुका था और इतने रुपये सरपंच द्वारा स्वीकार नहीं किये जाने के कारण भुगतान नहीं हो सका।"

अब यह गलती मजदूरों की है ? सरपंच ने अगर स्वीकृति नहीं दी तो आपको सरपंच के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए थी, इसका भुगतान, इसकी दुश्मनी, इसका खामियाजा आपने मजदूरों से निकाला। गरीब मजदूर जिनको खाने को रोटी नहीं, काम करने को नहीं मिलता, पीने को पानी नहीं मिलता, उस मजदूर को अगर समय पर मजदूरी नहीं मिलेगी, काम करने के लिए तो, सभापति महोदय, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आपके क्षेत्र के लोग किस तरह से गुजारा करते हैं। सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय को बताना चाहती हूं कि न्यूनतम मजदूरी 11 रुपये बता रहे हैं और यह रतनगढ़ क्षेत्र में अकाल राहत कार्य रतनगढ़ से मानूदा सड़क वाया नोसरिया, पोलसर, आमूसर में दी गयी मजदूरी। अब इसमें थोड़ा सा बताना चाहती हूं कि इन्होंने प्रति मजदूर को प्रतिदिन की क्या मजदूरी

(सुश्री पुष्पा जैन)

दी है। प्रतिदिन एक रुपया 40 पैसा, एक रुपया 41 पैसा. एक रुपया 60 पैसा, एक रुपया 60 पैसा, 2 रुपया 27 पैसा। मैं सारा पढ़ूंगी, सभापति महोदय, तो बहुत वक्त लगेगा, 91 पैसा एक मजदूर को इतनी कड़कती गर्मी में काम करने के बदले में 91 पैसे, दो रुपये, एक रुपया 78 पैसे, दो रुपये 68 पैसे, एक रुपया 26 पैसे, दो रुपये 64 पैसे यह जो मैं बोल रही हूं, सभापति महोदय, यह अलग-अलग मजदूरों के लिए मजदूरी की संख्या के आधार पर प्रतिदिन की मजदूरी है। इस तरीके से आपने मजदूरी दी है, मन्त्री महोदय, क्या आप अपने उत्तर में स्पष्ट करेंगे कि यह किस बेसिस पर आपने मजदूरी दी है। सभापति महोदय, मैं तो आरोप लगाना चाहती हूं कि जिस तरीके से मजदूरों पर यह टास्क बेसिस आपने तय किया है अगर एक दिन के लिए आप मंत्रियों की सारी तनख्वाहें बन्द करके, क्यों नहीं आप लोगों को टास्क बेसिस पर पैसा दिया जाय कि जो मन्त्री जिस दिन विधान सभा में आकर जिस तरह का जवाब दें उस तरह की मजदूरी, जिस तरह की आपकी परफार्मेंस हो उस तरह की मजदूरी और जो मन्त्री विधान सभा में आकर अन्दर नहीं बैठें उसको उस तरह की मजदूरी, तो कैसा हाल रहे आपका। जब पता चलेगा आपको कि टास्क बेसिस....

श्री सभापति : यह अकाल राहत, यहां लागू थोड़े ही है।

(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह प्रस्ताव सदस्य के लिए और मंत्री के लिए दोनों के लिए रख दो आप तो अच्छा रहेगा।

श्री यदुनाथ सिंह : सरकार भूखी मर जायेगी इस तरह से।

सुश्री पुष्पा जैन : यह दुर्भाग्य है कि जिम्मेदारी सरकार पर है। अगर हमारे छोड़ने से आप सुधर जायें तो मैं अपनी सारी तनख्वाहें छोड़ने के लिए तैयार हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, अकाल राहत जयपुर में लागू नहीं है। मन्त्री महोदय और आप हम सब जयपुर में रहते हैं यहां अकाल राहत का कोई प्रोग्राम नहीं है। आप चालू रखें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, जयपुर जिले में लागू नहीं है, आप कैसी बात कह रहे हैं।

श्री सभापति : जयपुर शहर में। जयपुर शहर की मैं निवेदन कर रहा हूं। सचेतक महोदय फरमायें, प्रस्ताव करें।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री बुलाकी दास कल्ला : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की मांग पारित हो तब तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : सदन की आज्ञा से सदन का समय आज की मांग पारित होने तक बढ़ाया जाता है ।

प्लीज कण्टीन्यू ।

मांग संख्या 34 पर विचार

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, एन. आर. ई. पी. के काम बन्द हो गए, अकाल के काम शुरू नहीं हुए और बाढ़ बचाओ काम जो थे वह भी शुरू नहीं हुए। अब अकाल के बाद, भगवान न करे इस प्रदेश में बाढ़ आ गई तो क्या हालत होगी उस क्षेत्र में जहां आपने बाढ़ बचाओ काम भी आरम्भ नहीं किए। मंत्री महोदय, इस राज्य में, आपकी लापरवाही से इस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों का गरासिया बेल्टों का, मगरा क्षेत्रों का, अनुसूचित जाति के लोगों का क्या हाल हुआ है। सभापति महोदय, मैं एक एडीटोरियल जो अखबार में छपा है जिसका सरकार ने खण्डन नहीं किया है, उसकी चन्द लाइनें आपको पढ़ कर सुनाऊंगी जिससे आपको मालुम होगा कि इस राजस्थान की हालत इन्होंने कैसी बना दी है।

श्री सभापति : इम्पोरटेंट लाइनें ही सुना दें जो खास-खास हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : "उदयपुर जिले की गोगूंदा तहसील के अकाल पीड़ित आदिवासी अपनी भूख मिटाने के लिए जंगली एवं पालतू जानवरों को मारकर पेट भरने लगे हैं। बड़ा गांव पंचायत समिति के गांवों के लोगों को मीलों दूर से पानी लाना पड़ रहा है। उनके पास खाने को अन्न नहीं है और करने को कोई काम नहीं है। जंगलों में लकड़ी के लिए जाते हैं तो टैक्स मांगा जाता है। राज्य में अकाल पीड़ित क्षेत्रों और वहां के लोगों की हालत कैसी कष्ट कर और विपदाकारी हो गई है उसका यह उदाहरण है। ऐसी दर्दनाक हालत उन अन्य स्थानों के निम्न वर्ग के गरीबों की होगी जिनके पास खाने को कुछ नहीं है और कोई काम-धन्धा न होते से बेकार हैं।

राजस्थान पर सूखे व अकाल की छाया गहरी है और राहत व सहायता के कार्यक्रम सीमित धन एवं साधनों के हैं।....

आगे लिखते हैं :—

"मंत्री एवं सरकारी प्रचार बराबर यह आश्वासन देते हैं कि राज्य में राहत कार्यों में धन की कमी आड़े नहीं आयेगी। लेकिन हालात बताते हैं कि लोग भूखे और प्यासे मर रहे हैं और पशुओं को मार कर पेट भरने की मजबूरी में हैं।

सरकारी राहत मशीनरी की निर्बलता और उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार की परिपाटी की बातें भी वर्षों से चली आ रही है। इसके अतिरिक्त राहत कामों व खर्च राजनीतिक दृष्टि से होने के आरोप भी निराधार हैं यह नहीं माना जा सकता। इन सब कारणों से राहत के लिए सीमित मात्रा में जो धन व साधन मिलते हैं उनका सदुपयोग नहीं होता और उन लोगों तक सहायता व

(सुश्री पुष्पा जैन)

राहत नहीं पहुंच पाती जिन्हें इसकी सर्वाधिक आवश्यकता है। गोगून्दा तहसील के गांवों की जो हालत सामने आई है वह राहत कार्यक्रमों के अधूरेपन एवं अपंगता की कहानी है और राज्य के कई अकालग्रस्त स्थानों की हालत भी ऐसी होगी। अकाल की हालत इस बार गम्भीर है यह बात स्वयं सरकार भी मानती है अत: आवश्यक है राहत कार्यों के दायित्व के प्रति अधिक सतर्कता रखी जाय और सीमित साधनों के अधिकतम उपयोग की क्षमता दिखाई जाय।"

यह दर्पण है आपका।

सभापति महोदय, अभी सीमान्त क्षेत्रों का दौरा करने का मौका मिला था। मुझे यह कहते हुए दु:ख होता है कि सरकार ने इसी विधान सभा में कई बार कहा है कि सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए और पश्चिमी राजस्थान के लिए पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। अकाल राहत की व्यवस्था कर रहे हैं। वहां हालात क्या हैं कि बाड़मेर में चौहटन तहसील में चालीस-चालीस किलोमीटर दूर पानी लाने के लिए लोगों को जाना पड़ता है और वह क्षेत्र अकालग्रस्त क्षेत्र है। सीमावर्ती क्षेत्र है, मैं पहले भी बता चुकी हूं।

सभापति महोदय, एक पत्र जो माननीय सदस्य बालोतरा से जीत कर आए हैं, उन्होंने माननीय राहत मंत्रीजी को लिखा है जिसकी दो लाइनें मैं पढ़ना चाहूंगी :

"हमारे क्षेत्र की जनता और जन प्रतिनिधियों को भारी निराशा तब हुई जब आपने सहायता करना तो दूर रहा, केन्द्र सरकार द्वारा पानी के सोर्सेज बढ़ाने हेतु एक करोड़ तीस लाख रुपये की राशि जो बाड़मेर जिले के लिए मदद के रूप में दिया जाना तय हुआ था उसमें से कटौती कर पिचहत्तर लाख रुपये की राशि कटौती कर आपके होम डिविजन के लिए लगाने की आपकी मंशा का हमें पता चला। क्या यही राहत का उपहार आप हमारे लिए लाये थे? क्या हम अकाल पीड़ितों के घावों पर आप ऐसी ही नमक की पट्टी बांधने पधारे थे।"

मंत्री महोदय, पाली जिले के हालात मैं कई बार बयान कर चुकी हूं इस सदन में। मैं आज अकाल के मुद्दे पर बोलते हुए कहना चाहूंगी कि उन गांवों में जो अकाल ग्रस्त घोषित हैं उनमें पानी सप्लाई किस तरह से होता है और पानी की सप्लाई के साधन क्या मुहैय्या करा रखे हैं, मैं उस मुद्दे पर आपके खुद के जवाब के आधार पर जो आपने यहां पर दिया है उसके आधार पर कहना चाहूंगी। सवाल था कि : "पाली जिले में समस्या ग्रस्त गांवों में पानी पहुंचाने के लिए कितने टैंकर हैं?" आप जवाब देते हैं कि "14 टैंकर आवंटित हैं इनमें से 12 टैंकर सही हालत में हैं। दो टैंकर मरम्मत हेतु जोधपुर भेजे गए हैं।" अब सभापति महोदय, दो टैंकर मरम्मत हेतु गए हैं लेकिन इन्होंने उन मरम्मत करने के लिए टैंकरों के ऊपर कितना पैसा खर्च कर दिया, अगर इस सरकार में थोड़ी सी भी अकल होती तो मरम्मत कराने की जगह नए टैंकर खरीद

(सुश्री पुष्पा जैन)

लिए जाते । आपने जवाब दिया है : टैंकरों की मरम्मत हेतु पाली जिले को 4,86,000 रुपये आवंटित किये गये थे जिनका उपयोग 12 टैंकरों की मरम्मत हेतु किया गया। टैंकरवाइज कराये गये मरम्मत कार्यों का ब्यौरा सदन के पटल पर रख दिया गया है।" वह ब्यौरा क्या है सभापति महोदय :- "टी. एन. एच. 2210 उसमें मरम्मत का कार्य करवाया गया है, टायर ट्यूब व बैट्री खराब थी उसको सुधारा । कम्पलीट डेन्टिग व वैल्डिंग का कार्य किया । कम्पलीट पेन्टिंग का कार्य किया । कम्पलीट प्रोसीस का कार्य किया । कम्पलीट इलेक्ट्रिक का कार्य किया। माइनर रिपेयर व मेन्टिनेंस का कार्य किया। तो बचा क्या था उस टैंकर में। 4 लाख 86 हजार रुपया, करीब पांच लाख रुपया आपने उन टैंकरों को सुधारने में लगा दिया। उसमें आपने टायरट्यूब भी नए लगाए, बैट्री भी नई लगाई। डेंटिंग और वैल्डिंग का कार्य भी किया । पेंटिंग का कार्य भी किया, प्रोसीस का कार्य भी किया, इलेक्ट्रिक का कार्य भी किया और रिपेयर और मेंटीनेंस का कार्य भी किया ! फिर उस टण्डीरे को बेच क्यों नहीं सकते थे आप ? क्यों इतना बोझ लगा दिया आपने इस राज्य की जनता पर। क्या हराम का पैसा है इस गरीब जनता का । इधर तो आप टैक्स लगाते हो, कोड़े मार मार कर टैक्स वसूल करते हो और उस पैसे को आप बेदर्दी से इस तरीके से बर्बाद करते हो । सभापति महोदय, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जैसी टैंकर की हालत है, एक टैंकर की यह हालत है, इसमें बाकी क्या बचा था ? मैं समझ नहीं पाई, मंत्री महोदय आप बतायेंगे अपने जवाब में कि इस टैंकर में कौनसा ऐसा पुर्जा बच गया था जो बेशकीमती था जिसको बचाने के लिए आपने इतना खर्चा कर दिया।

(व्यवधान)

श्री रामसिंह बिश्नोई : यह दो पर लगाएं या सभी पर लगाएं।

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, इन्होंने पाली जिले के कुल 46 गांवों को पानी पहुंचाया। पाली जिले में टोटल 46 गांवों में। अब पानी पहुंचाने को आप देखिये । नवम्बर से लेकर जून तक-नवम्बर दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रेल, मई, जून आठ महीनों में इन्होंने पानी पहुंचाया टैंकरों से । तो जो अभावग्रस्त सबसे ज्यादा पीड़ित गांव थे उनके बारे में कहना चाहूंगी, सबके बारे में नहीं बोलूंगी । पांतीगांव में 21 बार टैंकर पहुंचा । 8 महीनों में 21 बार। रखाणा में 35 बार गया, कुलथाना में कुल 35 बार गया, सिणगीरी में कुल 3 बार गया। आठ महीनों में कुल तीन बार। सीराणा में 20 बार, पांचपदरिया में 20 बार, रेवड़ा में 20 बार, निम्बली में 20 बार और चारणान में 5 बार।....

श्री सभापति : सूची बहुत लम्बी है, दो चार नाम आपने बता दिए, अब आगे बढ़ें।

सुश्री पुष्पा जैन : अब, सभापति महोदय, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ऐसा

(सुश्री पुष्पा जैन)

कौन सा जादू का पिटारा है पाली जिले में जो अभावग्रस्त गांव जिनके लिए मंत्री महोदय स्वयं जानते हैं कि पीने के पानी का कोई साधन नहीं है। या तो जवांई बांध से पानी जाता है या फिर कुदरत की अगर कृपा हो जावे और तालाब भर जायं तो उनसे वह पानी पीते हैं, और कोई साधन नहीं है। आपने मेहरबानी करके 14 टैंकर पूरे जिले में दिए थे, 14 में से 2 खराब, बाकी बचे 12। 12 टैंकर पूरे पाली जिले में पानी सप्लाई करेंगे तो कोई भी समझ सकता है कि हालत क्या होगी। अब उसमें भी एक टैंकर एक गांव में एक महीने में नहीं पहुंचा। आठ महीने में पांच बार गया, एक गांव में एक बार भी एक महीने में नहीं गया। तो सभापति महोदय, कैसे रहेंगे।

श्री सभापति : कृपया संक्षिप्त करें।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं संक्षिप्त ही कर रही हूं, माननीय सभापति महोदय। कोई ऐसी बात नहीं कह रही हूं, कोई गलत बात नहीं कह रही हूं।

श्री सभापति : आपकी बातें सही ही होंगी, मैं नहीं कहता, जरा और भी सदस्य बोलेंगे, कृपया संक्षिप्त करें।

सुश्री पुष्पा जैन : मंत्री महोदय, आप मुझे बतायेंगे, या तो आपको अकालग्रस्त घोषित नहीं करना चाहिए था उन गांवों को, अकालग्रस्त घोषित किया तो आप कम से कम इस तरीके से मखौल तो नहीं उड़ाते। यह तो कोई तरीका नहीं था, वहां के हालात बताऊं आपको, सभापति महोदय, कि वहां टैंकर जाता है। टैंकर जाते ही जो प्रभावशाली लोग होते हैं उस टैंकर को खरीद लेते हैं। टैंकर को खरीदने के बाद गरीब लोग हैं वे पानी की बूंद-बूंद को तरसते हैं। एक बूंद पानी नहीं मिलता। पानी बिकता है टैंकरों के माध्यम से और बाकी जो बचता है, जैसा मैंने पहले भी बताया था वह जाता है, एक और आफत उनके गले में लगा दी—नसबन्दी। नसबन्दी कराओ इनाम पाओ। अधिकारी और कर्मचारी उसमें लगे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा नसबन्दी कराओ। अब इससे ज्यादा मजबूरी इन्सान की क्या हो सकती है। जो खाने के दाने दाने को मोहताज, पीने के पानी की बूंद-बूंद के लिए मोहताज। उनकी कमजोरी का फायदा उठा कर जो अधिकारी और कर्मचारी उनसे कहते हैं कि अगर पीना है पानी और लेना है काम, गांव में काम खुलवाने हैं, अकालग्रस्त घोषित करवाना है तो पहले नसबन्दी के केसेज लाइये, उसके बाद हम आपकी समस्याओं को सुनेंगे। मंत्री महोदय, इससे ज्यादा दयनीय स्थिति और इससे ज्यादा लानत की बात इस राजस्थान की सरकार के लिए हो नहीं सकती जो यह हालत कर दी इस राजस्थान की।

सभापति महोदय, पशुओं को पीने के लिए पानी नहीं। तालाब इतने गन्दे हो रहे हैं, उनकी सफाई नहीं होती कभी। बारिश हो जाय और उससे भर भी जायं तो कम

(सुश्री पुष्पा जैन)

से कम आप यह तो करें कि उन तालाबों को साफ तो करवा दें। कहां से पीयेंगे पशु पानी ?

(5.00 म. प.)

पशु मर रहे हैं, इन्सान मर रहे हैं, सरकार को कोई चिन्ता नहीं है। ठंडे, एयरकूल्ड विधान सभा में बैठे हुए हैं, घर में कूलर, एयर कंडीशनर लगाये हुए हैं। आपको क्या अन्दाजा है उन लोगों की जो मजबूरी है। बाहर निकलकर जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली जाइये। वहां बैठकर 15 दिन कड़कती धूप में जरा जायजा तो लीजिये कि अकाल कैसा होता है तब मालूम पड़ेगा अकाल का नजारा।

(व्यवधान)

आपको तो होगा, आपसे तो मैं सहमत हूं। आप तो गांव के हैं, आपको होगा पर इनको नहीं है। आप तो गांव में जाते तब तपती हुई रेत पर बैठते हों ये ठंडे कूलर में, फ्रिजर में, एयर कंडीशन में बैठते हैं।

श्री सभापति : मंत्रीजी गांव के हैं, मंत्री जी जानते हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं भी गांव का हूं।

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, अब तक तो मेरा भी यह अन्दाज था, मैंने भी मंत्रीजी के चर्चे बहुत सुने थे कि मंत्रीजी बहुत संवेदनशील हैं, बहुत कुछ जानते हैं लेकिन दुर्भाग्य मेरा, इस बार जो पाली जिले का जायजा लिया तो मंत्रीजी की पोल खुल गयी।

श्री सभापति : नहीं, संवेदनशील तो हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : यह आपके कहने की जरूरत नहीं है। सभापति महोदय, पशुओं के लिए चारा नहीं है। मुझे मंत्री जी बतायेंगे कि अकाल की स्थिति में आपने चारे के लिये क्या प्रावधान किया है ? चारे के लिये आपने कहां दुकानें खोली हैं ? चारे के लिये वन विभाग के रहमोकरम पर लोगों को छोड़ दिया। हालत क्या है, वन विभाग में, मैं बताना चाहती हूं। कलेक्टर मंजूर करता है कि इतना क्विटल चारा आप वन विभाग से जाकर ले लीजिये। रेंजर उसके पैसे मांगता है। चारा देता नहीं। पैसे न देने पर वह दिन गुजारता है। कल आइये, परसों आइये, तरसों आइये। जब पूरी मियाद गुजर जाती है कलेक्टर की, उस दरख्वास्त पर जो टाइम दिया होता है, मियाद निकलने के बाद फिर वह कहता है वापस जिलाधीश के पास जाइये और मियाद बढ़वाकर लाइये वरना हम नहीं देंगे। यह हालत है चारे की। कहीं चारा आपकी सरकारी दुकान पर नहीं मिल रहा है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करने की चेष्टा करें।

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, मैं चर्चा समाप्त करने जा रही हूं।

श्री सभापति : धन्यवाद ।

सुश्री पुष्पा जैन : अकाल की इस हालत में वसूलियां हो रही हैं । ऐसी वसूलियां हो रही हैं कि लोगों को मुर्गा बनाया जा रहा है । इसकी चर्चा विधान सभा में कई बार हो चुकी है । यह झूठ नहीं है, बिल्कुल सही बात है । लोगों के साथ ज्यादती की गई है, उनकी औरतों की अस्मत से खेला जा रहा है, अधिकारी उनको परेशान करते हैं, हैरान करते हैं । लोगों को, औरतों को परेशान करते हैं । इन सारी बातों का जायजा लीजिये, नाजायज वसूलियां रोकिये । कम से कम । जिन गांवों में अकाल घोषित हैं वहां आपने वसूलियां नहीं रोकीं तो मैं समझती हूं आप जान बूझकर लोगों को वहां मारेंगे, उनके साथ ज्यादती होगी ।

अब अन्त में एक बात और कहना चाहूंगी । मंत्री महोदय, आप कहेंगे तो जरूर कि हमारे कानूनों के प्रावधानों में नहीं है लेकिन मैं कहने से पहले यह कहना चाहती हूं कि कानून इन्सान के लिये है, इन्सान कानून के लिये नहीं है । आप अगर चाहें तो कानून को इन्सान के लिये मोड़ भी सकते हैं, बदल भी सकते हैं । पाली जिले में वह गांव जिनमें प्रदूषण से फसल नहीं होती, जिनकी जमीन बंजर हो चुकी है, जिनके खाने पीने का कोई साधन नहीं हैं, भगवान के लिये उन सबमें अकाल की घोषणा कीजिये । तब तक काम बन्द मत करवाइये जब तक प्रदूषण रोकने के बाद उनकी जमीन सरसब्ज नहीं हो जाय । उन प्रदूषण वाले गांवों में, प्रदूषण से ग्रस्त गांवों में अकाल की घोषणा पूरे समय के लिये कीजिये । अकाल जिनमें आपने घोषित कर दिया उनमें काम बन्द मत कीजिये । अकाल के काम ज्यादा से ज्यादा खोलिये, मजदूरों को काम दीजिये ।

एक बात मैं और कहना चाहती हूं, सभापति महोदय ।

श्री सभापति : जल्दी से कह दें ।

सुश्री पुष्पा जैन : अकाल के काम आपने जिन गांवों में घोषित किये हैं उनको अधिकारियों ने शुरू नहीं किया । हमने पूछा, क्यों ? कहने लगे, मजदूर नहीं मिलते । हमने कहा, इतने मजदूर रोज हमारे पास आ रहे हैं, आप उनको परिचय पत्र नहीं देते । तो अधिकारी कहने लगे कि परिचय पत्र इसलिये नहीं देते कि उन गांवों में अकाल घोषित नहीं हुआ । अब मंत्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाहती हूं मैंने पहले ही कहा है कि यह कानून इन्सान के लिए है, इन्सान कानून के लिए नहीं है यह उनकी गलती थी कि आपने इस गांव में तो अकाल घोषित कर दिया और उसके पास जो गांव हैं उसमें अकाल घोषित नहीं किया ? इसमें गांव वालों का क्या दोष है ? उनको आप अकाल में काम नहीं दें । आपसे और तो कुछ नहीं मांग रहे हैं ? इस कड़कती धूप में कौन काम करना चाहेगा ? किसी के पास अगर दलिया होगा तो वह भगवान के लिए कभी काम नहीं करना चाहेगा अकाल राहत में । वही मजबूर लोग काम करना चाहेंगे जिनके पास कोई साधन नहीं है, जो मजबूर हैं, अपने बच्चों को रोजी रोटी देने के लिए उन लोगों को आप काम नहीं देना

(सुश्री पुष्पा जैन)

चाहते। यह कह कर काम बन्द करते हैं क्योंकि आपके गांव में अकाल घोषित नहीं है लिहाजा आपको काम नहीं दे सकते। इस तरह की सीमाएं मत लगाइये। उन मजबूर लोगों के अरमानों के साथ खेलिये मत। आज जवाब दीजिये तो हम भी मान जायं कि हमारे राजस्थान का एक संवेदनशील मंत्री बोल रहा है जिसे राजस्थान के दुखी लोगों की पीड़ा का अनुमान है, ऐसा परिचय आज आप देंगे। इसी के साथ आपका आभार व्यक्त करती हूं।

श्री सभापति : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : माननीय सभापति जी, इस वर्ष जालौर जिले में भी करीब साढ़े चार सौ गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये थे। इन गांवों में प्रथम तो काम समय पर पर्याप्त मात्रा में शुरू नहीं किये गये और अगर काम मंजूर भी किये तो पर्याप्त मात्रा में नहीं खोले गये। सरकार की तरफ से यह जवाब था कि पैसे की कमी की वजह से काम ऐसे खोले जाय, बहुत देरी से खोले गये थे, इसके साथ साथ पाबन्दी भी लगाई थी कि इतने दिनों में काम पूर्ण होने चाहिए। वही काम खोले गये जिनकी पूर्ण होने की संभावना थी। ज्यादातर काम जालौर जिले में वही खोले गये जो पिछले अकाल के समय अधूरे रह गये थे, करीब-करीब वही काम मंजूर किये गये थे। सभापति महोदय, आपकी मार्फत माननीय मंत्री जी से मैं यही आग्रह करना चाहूंगा कि जो भी काम आपने मंजूर किये हैं उन पर लगे हुए मजदूरों की मजदूरी की समय पर आप व्यवस्था जरूर करा दें। क्योंकि पिछले चार-पांच दिन में काफी गांवों में वर्षा हुई है, वर्षा होते ही लोगबाग अपनी खेतीबाड़ी के काम में लग जाते हैं। मजदूरों की मजदूरी काफी समय से बकाया है। समय बहुत लगता है मजदूरी के पेमेंट में। माननीय मंत्रीजी वहां आये तो उस समय भी बहुत लोगों ने शिकायत की थी कि हमेशा हजारों रुपये मजदूरी के बकाया रह जाते हैं। एक तो आपके जरिये मैं मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी भी बकाया मजदूरी है, युद्ध स्तर पर मस्टर रोल पास करके शीघ्र उसका भुगतान करा दें वरना फिर वह अनपेंड बकाया में चलती रहेगी, मजदूरों को ढूंढने में मुश्किल पड़ेगी और बहुत समय लगेगा। इसीलिये इस बारे में माननीय मंत्रीजी सतर्कता से विभाग के अधिकारियों को आदेश देकर मजदूरी का भुगतान करवायें।

माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रथम कटौती प्रस्ताव 29 नम्बर पर है। वह इस प्रकार है कि कुछ वर्ष पूर्व ज्यादा वर्षा आने से सांचौर के दो गांव सुरावा और दुगावा बाढ़ से बह गये। सारा पानी गांव में घुस गया था। सुरावा गांव तो करीब करीब नष्ट हो गया था। उन गांवों को बचाने के लिये बाढ़ बचाव कार्य के लिये सरकार को बार-बार लिखा गया। इस वर्ष भी बाढ़ आने का समय आ गया है परन्तु बाढ़ बचाव कार्य, गांव का प्रोटेक्शन देने के लिये अभी तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

इसलिए मैं आपकी मार्फत मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि चार पांच वर्ष पूर्व जब ज्यादा बाढ़ आई थी उस समय सुरावा और दुगावा गांव में गरीबों के सारे मकान और झोंपड़ियां नष्ट हो गई थीं, वहां रेता लाकर बिछा दिया था, गांव बरबाद हो गये थे, गांव में आने जाने का रास्ता नहीं रहा था, गांव छोटे से टापू की तरह हो गये। तो उस बारे में सुरावा का सर्वेक्षण करके काम भी शायद मंजूर किये थे परन्तु शुरू नहीं किये। यह बाढ़ बचाव कार्य थे। फेमिन खत्म भी हो जाय तो बाढ़ बचाव कार्य के लिये उसके अन्दर रोकें नहीं। माननीय मंत्रीजी, मैं चाहूंगा कि वहां काम जारी रखें ताकि उन गांवों में जो मकान बचे हैं उनको फिर से वह आपदा नहीं उठानी पड़े।

माननीय सभापति महोदय, मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव अग्नि के बारे में है। अग्नि से जो प्राकृतिक नुकसान होता है उसके बारे में राज्य सरकार की ओर से राहत देने की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी हमारे चार पांच गांव आग से नष्ट हो गये थे। कई लोगों को बड़ा भारी नुकसान हुआ। बच्चे मर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं। आग से जो क्षति होती है तो कम्पेनसेशन गवर्नमेंट देती है उसका प्रोसिजर बहुत लम्बा चौड़ा है। जिला कलेक्टर के पास कोई फण्ड नहीं है, तखमीना बनाकर राहत पहुंचाने के लिये कागज आते हैं तो यही कहा जाता है। कलेक्टर हजार रुपये किसी जगह से, पंचायत समिति से या ऐसे फण्ड से लाकर पेमेंट कर दे तो वह बात अलग है बाकी सरकार के पास अग्नि से जो नुकसान होता है उसका पेमेंट करने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले वर्षों में अग्नि से जितना भी नुकसान हुआ है उसके बारे में राहत पहुंचाने के लिए कलक्टर के पास फण्ड होना चाहिए ताकि इमीजिएट विपदा आ जाय, मकान या गांव जल जायं तो उनको पहुंचाने का फण्ड होना चाहिए, राज्य सरकार इस बारे में व्यवस्था करे।

सभापति महोदय, इसके बाद दूसरा मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि करीब 450 गांव जिला जालोर में अभाव ग्रस्त घोषित किए थे उसके बारे में जिन-जिन गांवों में काम पहले नहीं हुआ और आधे से ज्यादा गांव मेरे को इन्फार्मेशन मिली है, आज ही आदमी आया हुआ है, बरसात हुई है उनमें कम से कम मजदूर बिल्कुल बेकार बैठे हैं दूसरी जगह जा नहीं सकते इसलिए 15 या 20 दिन काम आपको चलाने हैं। कलेक्टर से रिपोर्ट आ गई होगी, जो गांव अभावग्रस्त हैं और जहां अभी तक वर्षा नहीं हुई है वहां पर 31 जुलाई तक या जो भी काम करना चाहते हैं उनको कुछ न कुछ काम दें ताकि पर्याप्त मात्रा में वर्षा हो तब तक उनको मजदूरी मिल जाय और वे वर्षा होते ही खेती में लग जायं तो इस बारे में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा 69 गांव सांचौर में हैं, बहुत से गांवों में काम मंजूर किये ही नहीं गये और जालोर के आस-पास ओला वृष्टि हुई थी तो

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

रबी में बिल्कुल फसल समाप्त हो गई इस बारे में लोगों को राहत नहीं पहुंचाई गई इस बारे में, सभापति जी, आपके मार्फत चाहूंगा कि इतना बड़ा भारी काश्तकारों का नुकसान हुआ है उसको जैसे पंजाब और हरियाणा में कम्पन्सेशन देते हैं वैसे ही आप कम्पन्सेशन क्यों नहीं देते कम से कम उनको तो कम्पन्सेशन देना चाहिए इस बारे में फेमिन कोड में कोई प्रावधान नहीं है और अभी तक उपयुक्त नियमों के अभाव के अन्दर ऐसे काश्तकारों को कोई राहत पहुंचाने का नियम नहीं है इस बारे में राज्य सरकार गम्भीरता से विचार करे और जिनकी फसल बिल्कुल नष्ट हो जाय उनको कुछ न कुछ कम्पन्सेशन देना चाहिए।

सभापति महोदय, इसके अलावा दूसरा 3-3, 4-4 साल से लगातार फेमिन अफेक्टेड जो गांव हैं उनकी रिकवरी आप स्थगित करते हैं, उसके बाद में रिकवरी होती है तो ब्याज समेत वापिस लिये जाते हैं। इस बारे में राज्य सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि लगातार फेमिन अफेक्टेड गांव हो वहां अगर रिकवरी स्थगित करते हैं राजस्व की या जो भी रिकवरी है उसके बाद में उसका ब्याज नहीं जोड़ना चाहिए। इसके बारे में राज्य सरकार की क्या नीति हो, भविष्य में इसके बारे में कुछ न कुछ राहत काश्तकारों को मिले क्योंकि आज प्राकृतिक आपदाओं से राहत देने का स्पेसिफिक रूल्स में प्रावधान नहीं है तो कर दें क्योंकि पहला फेमिन कोड बहुत पुराना कई वर्षों का बना हुआ है। उसके बारे में चर्चा भी हो चुकी है। यह फेमिन कोड है इसको री-आर्गेनाइज करना जरूरी है। फेमिन कोड के अन्दर ऐसी कुछ कठिनाइयां हैं कि आज की हालत में इसको रिवाइज करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि यह बिल्कुल बेकार सा साबित हो रहा है इसलिए कोई कमेटी का गठन करके फेमिन कोड को नए सिरे से बनाने के लिए मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा। फेमिन कोड में किसी तरह की डिफिकल्टी हो तो भी हालांकि सरकार अभाव की स्थिति, फेमिन अफेक्टेड घोषित करके वास्तव में स्केयरसिटी कहीं हो तो इस तरह की अभाव की स्थिति घोषित करके काम तो शुरू कर देगी परन्तु बाकी जो रिलीफ मिलनी चाहिए फेमिन अफेक्टेड काश्तकारों को वह नहीं मिलती है। इसके बारे में राज्य सरकार को ऐसा इन्तजाम करना चाहिए कि फेमिन कोड नया आ जाय। एक बिल्कुल लाइन रखी हुई है कि आठ आना या उससे ज्यादा नुकसान हो तो ही फेमिन अफेक्टेड घोषित होगा। उसके बाद मार्जिन पर बहुत सी जगहों में ऐसा है कि वास्तव में पूरी गिरदावरी या पूरा एग्जामिनेशन नहीं होने की वजह से बहुत से गांवों में अभाव की स्थिति हो गई हो पर वहां रेकार्ड के आधार पर होता है इसके बारे चेंज करने के बाद ऐसा प्रोवीजन फेमिन कोड में हो तो लोगों को रिलीफ दी जा सकती है परन्तु इसमें आज तक नहीं है। उस बारे में फेमिन कोड को री-आर्गेनाइज करके नए सिरे से राज्य सरकार को विचार करने की आवश्यकता है।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

सभापति महोदय, इसके अलावा इस बार पानी की बड़ी भयंकर कमी रही है। जो भी अभावग्रस्त गांव घोषित किए गये उनमें पीने के पानी की पर्याप्त मात्रा में इन्तजाम राज्य सरकार करने में असफल रही है इसका उदाहरण है, माननीय मन्त्री जी ने जिलावाइज जाकर जायजा लिया था। वे स्वयं महसूस कर रहे थे कि पर्याप्त मात्रा में पानी की व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई। गांवों की दूसरी और कमियों की तो छोड़िये, उस बारे में तो संभव ही नहीं था पर कम से कम पानी का पर्याप्त मात्रा में इन्तजाम हो उसके लिये हमारे सांचोर में दो टेंकर भेजे थे, वे दोनों ही खराब हो गए। कभी चलते हैं कभी नहीं चलते इसलिए लोग तो यह सोचते हैं कि बरसात हो गई, पर कई गांवों में अभी तक बरसात नहीं हुई है। इस बारे में मन्त्री महोदय से चाहूंगा कि पीने के पानी का कम से कम जो अभावग्रस्त स्थिति के गांव हैं जहां बिल्कुल पानी उपलब्ध नहीं है, नीचे का पानी खारा है, जिसकी वजह से बड़ी भारी गेस्टो इंजाइटिस वगैरा बीमारियां फैल जाती है तो इसके बारे में मैं चाहूंगा कि इस वर्ष तो पूरा इंतजाम नहीं हो पाया पर भविष्य में ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को पूरा इंतजाम करना चाहिए और पीने के पानी का पूरा इंतजाम हो ऐसी व्यवस्था इसमें कर देनी चाहिए ताकि लोगों को उस समय में राहत देने में राज्य सरकार को कठिनाई उपस्थित न हो। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार पानी का इंतजाम समय पर क्यों नहीं कर पाई क्योंकि वहां पर सबसीडी या लीजेज सार्वजनिक तो है नहीं। किसी जगह माननीय मन्त्री जी गए और अनुदान वगैरा दिया परन्तु अनुदान देने का जालोर जिले में कोई ऐसा है नहीं जिसमें अनुदान दिया गया हो क्योंकि नीचे इतना पानी तो है ही नहीं मीठा जिसके लिए अनुदान दे सकें। दूसरे इलाके में दिया होगा परन्तु इसमें सिर्फ टैंकर्स लगाने की व्यवस्था है और टैंकर्स अपर्याप्त थे। जो थे वे भी खराब थे इसलिए मैं, सभापति जी आपसे चाहूंगा कि अभी 1-2 दिन में बरसात हुई है परन्तु फिर भी पानी की कमी है और अकाल भी है इसलिए राज्य सरकार आज ही उनको निर्देश दे ताकि पानी का इंतजाम पर्याप्त मात्रा में हो भगवान करे वर्षा हो जाय परन्तु अभी जिन गांवों में पानी की कमी है उसको पूरा करने की कोशिश करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा कहना उपयुक्त नहीं समझूंगा, परन्तु मन्त्री महोदय से यही चाहूंगा कि यह न समझें कि जयपुर में बरसात हो गई इसलिए वहां भी हो गई होगी, ऐसी बात नहीं है, जहां गांव अभी अफेक्टेड हैं उनमें कुछ काम 10-15-20 दिन के लिए देवें।

श्री सभापति : मंत्रीजी को मालुम है उनके पास पूरी सूचना है। श्री गंगाराम चौधरी।

श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर) : सभापति महोदय, प्राकृतिक प्रकोप से मुख्य

(श्री गंगाराम चौधरी)

रूप से जनता जो पीड़ित होती है, चाहे बाढ़ से हो, अकाल से हो या फिर आगजनी से हो, लेकिन हमारे राजस्थान में जो मोटी समस्या है वह अकाल की है, खास तौर से पश्चिमी राजस्थान की। मुख्य रूप से अकाल के सम्बन्ध में ही मेरा कटौती प्रस्ताव है वह मूव कर रहा हूं। 101 से लेकर आगे तक हैं।

सभापति महोदय, राजस्थान में अकाल का यदि इतिहास देखें पिछले वर्षों का तो यह मालुम होगा कि अकाल पीड़ित लोग इन दिनों में अकाल से भी ज्यादा सरकारी तकवे से पीड़ित हैं। चाहे कितना ही काम खोल दीजिये, चाहे मजदूरी कितनी ही निर्धारित कर दीजिए, मोटे रूप से अगर थोड़ा सा पिछला इतिहास देखा जाय तो संवत् छिनवे का अकाल था, 1939 का, उसमें जो सहायता दी गई उसको लोग बहुत याद करते हैं जोधपुर स्टेट में खास तौर से। उसके बाद का जो समय राजस्थान में रहा, सम्वत् 2020 का, सम्वत् 2025 का और 2026 का, और 2026 में जो सहायता दी गई उसकी भी लोग तारीफ करते हैं। लेकिन उसके बाद में ज्यों ज्यों सरकार ने नीतियां बदली, चाहे काम मंजूर की हो, चाहे काम खोलने की नीति हो, चाहे पेमेन्ट की ऐजेंसी अलग-अलग करने की नीति हो, चाहे पहले की मजदूरी और फिर कार्य की मात्रा निर्धारित करके मिनिमम वेजेज एक्ट लागू करके पैसा देने की नीति हो, लोग बड़े दुःखी हैं। सरकार ने तो शायद यह सोचा था कि सं. 25 और 26 के अकाल के बाद में कि मजदूर काम नहीं करता। और इसलिए इतना ज्यादा खर्चा हो जाता है। स्टेडी टीम आती हैं, हमारे यहां के आफिसर साथ में जाते हैं, कार्य भी देखते हैं। यह जरूर है कि दुरुपयोग हुआ होगा पैसे का लेकिन इसमें मजदूर का कोई दोष नहीं है। 25 ए, 26 ए जिसमें जितनी मजदूरी निर्धारित थी, चाहे डेढ़ रुपया प्रति पुरुष का, चाहे एक रुपया दो आना स्त्री का, 14 आना बच्चे का लेकिन पूरा पैसा मिलता था और कार्य मात्रा भी उन वर्षों की देख ली जाये तो आज के मुकाबले में उस वक्त काम भी ज्यादा होता था। लेकिन न मालूम राजकीय अधिकारी या न मालूम स्टेडी टीम की राय थी इस नीति को बदलो है आपने और बदल कर कार्य मात्रा लागू की सम्वत् 31 से। नाम तो यह रख दिया कि पहले फेमीन कोड के मुताबिक पैसा जो मिलता था वह बहुत कम निर्धारित था, मिलता तो पूरा था लेकिन निर्धारित कम था। कार्य मात्रा तीन चौथाई थी उसके बाद आपने कार्य मात्रा को बढ़ाया पेमेन्ट वेजेज के एक्ट के माफिक पैसा देना आपने शायद शुरू किया लेकिन मजदूर दुःखी हो गया। पेमेंट की आपने एजेन्सी बदली, एग्जिक्युटिव एजेंसी अलग रखी, पेमेन्ट की एजेंसी अलग कर दी लेकिन फिर भी मजदूर दुःखी हुआ। इसके मोटे दो कारण हैं। सभापति महोदय, शायद शिकायतें पहले यह आयी होगी कि पी. डब्ल्यू. डी. या एग्जिक्युटिव एजेन्सी जो भी हो वह फर्जी मस्टरोल भर लेती होगी और उसके मुताबिक पैसा ज्यादा उठ जाता होगा। आपने जो कार्य मात्रा लागू की

(श्री गंगाराम चौधरी)

उसके बाद में क्या हुआ। जो एग्जिक्युटिव एजेन्सी है उसने ही विद्रोह किया अन्दर ही अन्दर। वे नाराज हुए इस बात से कि पेमेंट का काम हमसे क्यों छीना और मजदूर के ऊपर आकर उसने किया। मजदूर को यह कहने लगे कि आप अगर पूरी कार्य मात्रा ठीक तरह से नपवाना चाहते हैं तो मुझे इतना पैसा दीजिये और वह मजदूर उस बात से तंग आया। और अगर वह पैसा नहीं देता तो कार्य मात्रा उसकी मन माने हिसाब से लिखता। इसलिए आज यह शिकायतें आती हैं कि मजदूर को 11 रुपये के बजाय डेढ़ रुपया, दो रुपया, तीन रुपया प्रति दिन मिलता है। पहले सात रुपया, नौ रुपया था और इतना ही पैसा मिलता था। बाड़मेर जैसी जगह में 55 पैसे से लेकर रु 3.50 तक मुश्किल से उनको पैसा मिला। कार्य मात्रा का हिसाब देख लीजिये। कोई नापने दुबारा नहीं आता। चाहे गिट्टी हो, चाहे ग्रेवल हो उसको आप ठेकेदार के मार्फत डलवाते थे और वही ठेकेदार उसी मजदूर से किये हुए काम को, उसी मजदूर की इकट्ठी की हुई ग्रेवल को जो वह डालता था तो उसका पेमेंट कितना होता है। उसका पेमेंट बल्कि यूं कहिये बहुत ज्यादा ही होता था। गिट्टी थी वह ज्यादा नाप कर उसका पूरा पेमेंट कर दिया जाता था लेकिन इस बात को कोई नहीं देखता था कि इसी कैम्प के ऊपर मजदूरों की मस्टरोल में उसकी कार्य मात्रा लिखी गयी है। जितनी गिट्टी उसने तोड़ी है शायद ठेकेदार ने इतनी डाली है या उससे ज्यादा डाली है इस बात का कोई कभी चैक आज तक नहीं हुआ। और यही कारण रहा कि पैसा मजदूरी का कम उठा, और ठेकेदार लोग ज्यादा पैसे उठा कर ले गये। 60-40 का रेशो मजदूरी का इतना होना चाहिए और माल का इतना होना चाहिए उस रेशो पर भी शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया। उस रेशो को तो जिले में आपने पूरा नाप कर बता दिया। गड्डे खोद कर मजदूरी का पैसा ज्यादा बता कर एक-एक जिले का मैं समझता हूं 60-40 हिस्सा बराबर कर दिया। लेकिन उस मजदूर को क्या मिला उससे? या तो ठेकेदार ले गया या फिर इंजीनियर ले गये। वह आज भी दुःखी हो रहा है। बाड़मेर जिले के अन्दर कुछ शिकायतें भी हुई कि ठेकेदार लोग फर्जी मस्टरोल भी भरते हैं। ठेकेदार लोग बराबर ग्रेवल नहीं डालते हैं। कुछ केसेज पकड़े भी गये और एक्सपर्ट हिसाब से सड़क पर गुरडा नहीं डलता। एंटीकरप्शन में शिकायत भी हुई और एक्सपर्ट से वह सड़कें नपवाई गई, कुछ केसेज पकड़े भी गये। नतीजा यह सामने आया, एक्सपर्ट्स ने यह कहा कि 30 पर्सेन्ट ग्रेवल केवल सड़क के ऊपर डाली गयी और ठेकेदार को पेमेन्ट कितना-सेन्ट-पर्सेन्ट। अगर ग्रेवल 9 इंची डालना हो तो उसने तीन इंची ग्रेवल डाला है। सारी सड़कें आज फैमिन की बाड़मेर जिले में, जैसलमेर जिले में, जोधपुर में आप देख लीजिये वह बहुत ही बिलो-स्टेण्डर्ड बनी हुई है। अगर आप चैकिंग करेंगे तो शायद यह कह दिया जायेगा कि रेत आकर पड़ गयी, अब तो ग्रेवल नापने के काबिल नहीं रहा, अब तो कुछ पता भी नहीं लगता और उन केसेज

(श्री गंगाराम चौधरी)

का बाद में क्या हुआ। 1982-83 के अन्दर वे केसेज दर्ज हुए और एन्टीकरेप्शन ने उनकी इन्क्वायरी भी की थी, इन्वेस्टीगेशन भी हुआ, केसेज बाइफरकेट हुए, अलग-अलग आदमियों के खिलाफ दर्ज हुए और उनमें नॉन-आफिशियल्स भी जिम्मेदार ठहराये गये। लेकिन कई बार गवर्नमेंट की तरफ से चालान की सेंक्शन रोक दी गयी, सेंक्शन नहीं दी गयी कि यह फलां पोलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ कोई आदमी इसमें नॉन-आफिशियल आ रहे हैं। इसलिए गवर्नमेन्ट ने कुछ न कुछ बहाना बनाकर उनको वापस लौटा दिया। उन आफिसर के खिलाफ नोन-आफिशयल्स के खिलाफ जिन ठेकेदारों के खिलाफ यह मामला बनते थे उनका आपने चालान नहीं किया। दुखी कौन आदमी हुआ, वह मजदूर हुआ बेचारा जिसको डेढ़ रुपया या दो रुपया इतना ही मिला। खैर, उसके बाद में उन मुकदमों को तो आप अलग से देखिये कि आज भी कुछ पेंडिग हैं। उन आदमियों के खिलाफ अगर आप इन्क्वायरी करें, उनका चालान हो तो शायद कुछ चेक भी हो। लेकिन उसके बाद में भी एक तरीका तो आपने जरूर निकाला कि ठेकेदारों को सीधा ग्रेवल रोड के ऊपर डालने का तरीका बदल दिया और उन्हें कहा गया कि अब चट्टे बनाइये, चट्टे नापेंगे, चट्टे भी नपवा लीजिये लेकिन आज भी नापने वाला आफिसर ध्यान नहीं रखता है। अगर ठेकेदार से पूछा जाये कि तेरे ट्रक का कितना एरिया, कितनी केपेसिटी है और उस हिसाब से कितने ट्रक डाले हैं और मौके के ऊपर कितने नपवा रहा है। चट्टे के नीचे वह रेत डाल देता है और चट्टे का नाप ज्यादा बता देता है, गिट्टी का नाप ज्यादा बता देता है। इसके अलावा पेमेंट में भी उसका ध्यान ज्यादा रखा जाता है। 31 मार्च को फाइनेन्शियल ईयर खत्म होता है लेकिन आप देख लीजिये आपने जनवरी से कुछ काम खोले थे, चाहे वह कार्य एन. आर. ई. पी. के हों, चाहे वह कार्य आई. आर. डी. पी. के हों। मजदूर का पेमेंट तो मई तक नहीं हुआ और ठेकेदार का पेमेंट 31 मार्च से पहले हो जाता है। फेमीन के पैसे का पेमेंट भी पहले हो जाता है। वहां पर भी उसको प्राथमिकता दी जाती है और मजदूरों को डिले भी होता है और कम पैसा भी नहीं मिलता है। फेमीन के सारे पैसे का इसी प्रकार से दुरुपयोग होता है।

कार्य मात्रा के बारे में अर्ज करूंगा। मंत्री महोदय आपने कार्य मात्रा के लिए अभी जनवरी में एक दूसरा सर्क्यूलर निकाला उसके अन्दर फेमीन की कार्य मात्रा अलग से तय की। उस कार्य मात्रा में भी आप गिट्टी की रेट देख लीजिये। गिट्टी का आपने टास्क सारा बी. एस. आर. के टास्क से ज्यादा मुकर्रर किया है। 5.5 या कितना बताया, क्यूबिक मीटर। पहले था सिर्फ पांच क्यूबिक मीटर 11) रुपया में। इसका भी मैं निवेदन करूंगा कि फेमीन का अगर टास्क फेमीन कोड के मुताबिक देखें तो 3/4 होना चाहिए। खैर, ठीक है आपने 3/4 तय नहीं किया। बी. एस. आर. से आपने पूरा तय किया लेकिन ज्यादा तो तय मत

(श्री गंगाराम चौधरी)

कीजिये। फेमीन पीड़ित, अकाल पीड़ित आदमी इतना काम नहीं कर सकता। टास्क के बारे में मुझे यही निवेदन करना था। इसके आगे मैं निवेदन करना चाहता हूं बहुत सी बकाया मजदूरी पिछले वर्षों की अभी तक नहीं हुई है। आपका जो लास्ट क्वार्टर होता है फैमीन वर्क का सबसे ज्यादा उसमें घोटाला होता है। क्योंकि पेमेंट आप जानते हैं, एजेन्सी पेयिंग दूसरी है, मस्टररोल बनाने वाली दूसरी है, वह मस्टररोल बनाकर तैयार करती है तब तक मजदूर आखिरी क्वार्टर का घर चला जाता है। उसके बाद पेयिंग एजेन्सी या तो फर्जी कुछ लेती हैं या किसी तरह से पेमेन्ट बता कर मस्टररोल वापस लौटा देती है। और आखिर क्वार्टर का मजदूर बरसों तक लटके रहता है। जो बरसात के बाद में दरख्वास्तें पेश होती हैं तब कहते हैं कि मस्टररोल नहीं मिल रहा है, वह मंगवायेंगे। क्लेक्टर पी. डब्ल्यू. डी. के पास भेजते हैं, इर्रीगेशन के पास भेजते हैं वे लोग मस्टररोल ढूंढ ढांढ कर कभी कहते हैं पेमेन्ट हो गया कभी कहते हैं कि मस्टररोल नहीं मिला और मजदूर दोनों दफ्तरों के बीच में लटकता भटकता रहता है और उसको पेमेन्ट नहीं होता है। बकाया मजदूरी का यही हाल है।

एक और शिकायत है मंत्री महोदय कि सम्वत् 25 और 26 के अन्दर बहुत बड़ी तादाद में बाड़मेर, जैसलमेर जिले के अन्दर गिट्टी तोड़कर इकट्ठी की थी और उस वक्त सड़कें मन्जूर नहीं थी वह गिट्टी यों की यों ढेर के ढेर पहाड़ों के पास में पड़ी रही और उसको आज कितने वर्ष हो गये, उस गिट्टी का बाद में क्या हुआ। मंत्री महोदय, उस गिट्टी का कोई एकाउन्ट नहीं रखा गया। सभापति महोदय, वर्षों तक गिट्टी पड़ी। पिछले तीन चार वर्षों में ठेकेदारों ने क्या किया। ठेकेदारों ने जो ठेके लिये, किसी पक्की सड़क की उस पड़ी हुयी गिट्टी को, पी. डब्ल्यू. डी. की गिट्टी को, सड़कों पर डलवा दिया और अपनी बता कर के उस गिट्टी का अलग से पैसा ले लिया कि हमने उसको तोड़ा है। जो फेमिन की अकाल की गिट्टी पड़ी थी उसका अलग से पैसा उठा लिया। इस प्रकार उन्होंने लाखों करोड़ों रुपये इन वर्षों में उन लोगों ने कमाये हैं।

श्री सभापति : थोड़ा संक्षिप्त करें।

श्री कल्याण सिंह कालवी : कन्सट्रक्टिव सजेशन आ रहे हैं।

श्री सभापति : संक्षिप्त के लिए कह रहा हूं। और भी कई बोलेंगे।

श्री गंगाराम चौधरी : सभापति महोदय, मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता था कि आपने पेयिंग एजेन्सी और एग्जीक्यूटिव एजेन्सी अलग कर दी। अकाल का पैसा, अकाल विभाग का पैसा कलेक्टर के मार्फत एजेन्सी को आवंटित होता है। पी. डब्ल्यू. डी. इर्रीगेशन को जाता है। लेकिन हाथ से जाने के बाद अकाल विभाग का कोई कंट्रोल नहीं चाहे किसी तरह से खर्चा करें। कलेक्टर या तहसीलदार न तो इन कार्यो को

(श्री गंगाराम चौधरी)

इन्सपेक्ट करते हैं और न कर सकते हैं और न कोई उनके पास ऐसी एजेन्सी है ताकि टैक्नीकल काम को देख सके। तो मनमाने तरीके से पैसे का इसमें उपयोग होता है। यही नहीं, पंचायतों से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मांगते हैं यह यूटिलाइजेशन सही होता है या नहीं, सब-स्टेण्डर्ड होता है या स्टेण्डर्ड के अनुसार काम होता है। इसके बारे में सरकार के अकाल राहत विभाग का किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं है। मैं चाहूंगा, मंत्री महोदय, अकाल राहत विभाग में एक ऐसी एजेन्सी हो, अथोरिटी तैयार करें जिनके पास टेक्नीकल हैंड हों जो जाकर, जिस तरह से आप क्वालिटी कन्ट्रोल आफिसर रखा करते हैं उसी तरह से आप क्वालिटी कन्ट्रोल अथोरिटी रखें। चाहे पी डब्ल्यू डी हो, इर्रीगेशन हो, वन विभाग हो, सोयल कन्जरवेशन हो, जितनी एजेन्सीज हैं उन एजेन्सियों के काम को अलग से कोई अथोरिटी चैक करे, देखे कि अबाऊ स्टेण्डर्ड, अकॉर्डिंग टू स्टेण्डर्ड या बिलो स्टेण्डर्ड है। इसमें देखकर के रिपोर्ट करनी चाहिए। तब जाकर मालूम पड़ेगा कि अकाल के पैसे का वास्तव में सदुपयोग हो रहा है या वास्तव में दुरुपयोग हो रहा है।

अन्त में मैं एक ही बात निवेदन करूंगा, सभापति, महोदय, इन वर्षों के अन्दर, अकाल के अन्दर जितनी भी सहायतायें दी गयी हैं, दो तरीके लोगों ने बहुत पसन्द किये। एक तो सन् 1979 में बाढ़ आयी थी। बाढ़ में, लूणी नदी में बाढ़ आयी थी। बाढ़ में कई खेत चले गये, कई कुयें चले गये। उनके लिए सहायता राज्य सरकार ने एक नया तरीका निकाल कर मंजूर की थी। उनको किस तरह से सहायता दी जिसमें आधा कर्जा था और आधा अनुदान था। उनका नुकसान आंका गया था और उस नुकसान को आंक कर जो सहायता दी थी उसको लोगों ने बहुत पसन्द किया। दूसरा एक तरीका पसंद किया था बाड़मेर, जैसलमेर शेरगढ़ और कोलायत तहसील में सम्वत् 2026 में यानि सन् 1969-70 में अकाल में एस जी आर एक विशेष सहायता दी गयी। साढ़े बारह रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह आधा कर्जा दिया गया आधा अनुदान और कर्जा बिना ब्याज के। उसमें भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं रहा। उनकी पर्चियां बनाकर एक तरह से पास बुक बना दी गयी, उसमें पैसा लिख दिया था। दो माह का पैसा एक साथ पेमेंट होता था। 25) रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से उनके मुखिया को पेमेंट किया गया उसमें एक पाई कोई आदमी बीच में नहीं खा पाया। सारे का सारा पैसा उनके पास गया और सरकार को भी लाभ हुआ। सरकार को जो एजेंसी का खर्चा और प्रशासन का खर्चा था वह बच गया और भ्रष्टाचार के रूप में जो पैसा जाता था वह बच गया। आदमी अपने घर में बैठा रहा और उसको इस तरह की जो सहायता मिली उसकी आज तक तारीफ कर रहा है। मैं मानता हूं कि भारत सरकार ने इस यजोना को शायद मंजूर नहीं किया। भारत सरकार शायद यह सोचती होगी कि बिना काम किये किस तरह से सहायता दी जाये। लेकिन मैं कहता हूं कि आज हम जो तरीका अपना रहे हैं, चाहे वह मिनिमम वेजेज एक्ट लागू करके खुश होंगे 11) रुपया

(श्री गंगाराम चौधरी)

एक मजदूर को देना शुरू कर दिया लेकिन उसकी जेब में कितना जाता है कितना भ्रष्टाचार के रूप में जाता है, कितना वास्तव में काम होता है इस सारे का अगर आप आडिट वेल्यूवेशन करायें तो मालूम होगा कि यह वेस्टेज है। इस तरीके में बिना काम पैसा दिया है। उस तरीके से जनता खुश थी। सरकार को भी लाभ था और केवल 40 प्रतिशत जो राजस्थान का जितना खर्चा आता था उसी से पूरा अकाल उन्होंने निकाल दिया। 60 प्रतिशत ऊपर का ऊपर बच गया। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार अब भी गौर करे, बाढ़ के लिए जो सहायता दी गयी उस तरीके पर या 1969-70 के अन्दर जो साढ़े बारह रुपया प्रति व्यक्ति सहायता दी गयी, ऐसा तरीका रुपये की वेल्यु को देखते हुए आज भी शुरू किया जाय। हालांकि यह हर छोटे मोटे गांव में नहीं हो सकता है। पूरे के पूरे जिले या तहसील में हो तो पश्चिमी राजस्थान में जहां और कोई धन्धा नहीं है अपनाया जा सकता है। जनता पसन्द करेगी और सरकार को भी लाभ होगा। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री गोविन्द सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री अमरचन्द।

श्री अमरचन्द (गंगरार) : माननीय सभापति महोदय, प्राकृतिक आपदाओं के ऊपर हाऊस में जो चर्चा चल रही है मैंने उसके सम्बन्ध में कट मोशन दिया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिला चित्तौड़गढ़ के अन्दर गत वर्षों में काफी लोगों को भयंकर आपत्ति और सूखे का सामना करना पड़ा। अकाल से इन लोगों को जूझना पड़ा। यह गत वर्ष की ही बात नहीं लम्बे समय से यह परिस्थितियां चलती आ रही हैं। इस मामले में सन् 1980 के बाद हमारी भूतपूर्व स्वर्गीया प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बहुत बड़ी सुन्दर व्यवस्था इस देशवासियों के लिए बनायी 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत और स्वर्गीय संजय गांधी ने जो 5 सूत्री कार्यक्रम दिया था इसमें एक मुख्य था वृक्षारोपण और वन विकास का उसको ज्यादा से ज्यादा पनपाया जाय तो देश के अन्दर यह जो भयंकर आपदा आती है उससे बचा जा सके। तो कई जगह लम्बे समय से इस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं और 480 के बाद इस सरकार ने बहुत अच्छी तरह से ध्यान दिया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि फिर भी कुदरत का जो प्रकोप होता है उसको कोई टाल नहीं सकता है। इसमें और जो साथ में ऐसी प्रवृत्तियां जुड़ जाती हैं जो खासकर के इन आपदाओं में शरीक होती हैं और वह किन कारणों से होती है वह थोड़ा मैं बताना चाहता हूं।

वास्तव में बात सही है कि जिस देश के अन्दर, जिस प्रान्त के अन्दर वृक्ष ज्यादा होंगे वहां पर प्राकृतिक आपदायें कम होंगी। जो अवैध रूप से कटाई की जाती है वृक्षों की उसकी ओर सरकार की तरफ से पूरी तरह से ध्यान दे करके इसकी रक्षा करायी

(श्री अमरचन्द)

जाये तो मैं समझता हूं कि इन आपदाओं के अन्दर हम बच सकते हैं। दूसरी तरफ जब जब यहां इस प्रकार की आपदायें आयी हैं राज्य सरकार ने बड़ी सजगता के साथ उसका मुकाबला किया है। 1980 के बाद में भी इस प्रकार की परिस्थितियां आयीं, भयंकर अकाल पड़ा उसमें भी सरकार ने अपनी ओर से जितना जितना करना चाहिये उतना किया और लोगों को रोजी रोटी उपलब्ध करायी। अभी अभी विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य, इस बात के लिये कह रहे थे कुछ बातें, उनका कहना सही भी है। मजदूरों को मजदूरी देने के सम्बन्ध में उन्होंने जो कहा है उसमें एक बात उन्होंने मुख्यतः कही कि मजदूरी अभी भी बाकी है। तो इस बात को नकारा नहीं जा सकता, यह बात सही है। लेकिन कुछ बातें उन्होंने इस प्रकार की कहीं, समझ में नहीं आया संवत् 2025, सन् 1976 उसमें भी विपदा आयी और 1976 के बाद जो दुष्काल पड़े हैं राज्य सरकार ने पूरी तरह से उसका मुकाबला किया और लोगों को रोजी रोटी दी, चाहे अमेरिका ने हमको गेहूं देने से इन्कार कर दिया। उस समय हमारी भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने लाल ज्वार ला करके इन लोगों को खिलायी, इन लोगों को मरने नहीं दिया। मैं कहना चाहूंगा कि रोडों की जो बातें कही गयी हैं, अकाल राहत के अन्दर जो काम चले हैं उनकी जो बातें कही गयी हैं, मैं समझता हूं कि जनता सरकार के टाइम पर यह जो बता रहे थे उस हिसाब से कार्य उस समय हुआ होगा। जबकि 1980 के बाद हमारी सरकार बनी है और उसमें अकाल राहत के काम शुरू हुए हैं उसमें इस प्रकार के घपले नहीं हुए हैं। उस समय जो कार्य हुए वह आज हमारे जो ग्रामीण लोग हैं वह लोग अच्छी तरह से याद करते हैं। अकाल राहत के काम जो सन् 1980 में शुरू हुए वह लोग महसूस करते हैं कि उस समय से कई गुना अच्छा काम हमारी कांग्रेसी सरकार ने करवाया है। कई जगह ग्रेवल रोड बनाये, कई जगह मिट्टी रोड बनाया, कई जगह डामरीकरण भी किया गया। तो उन कामों की तुलना में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि चौमासा के टाइम में बैल को अच्छी हरिया घास मिलती है चरने को और जब बैल को मस्ती आती है तो एक सींग फेफड़े में इधर डाला और एक उधर डाला। इसी प्रकार के जनता पार्टी के शासन में जो रोडों के काम हुए हैं यह घपलेबाजी की बातें कहकर हमारी सरकार के ऊपर इस प्रकार का आक्षेप लगाना चाहते हैं। वे अपने आपको तो देखें कि हमारी सरकार ने कितना अच्छा काम किया उसका भी तो उल्लेख करना चाहिए।

एक दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि अकाल राहत काम उस समय भी चला और उस समय से लगा करके अब तक उसका मूल्यांकन किया जाय कि किसमें कितना काम हुआ। उस समय पहाड़ियाजी के टाइम में प्रभाकर साहब अकाल राहत मंत्री थे और उस समय जो यहां रिपोर्ट पेश की गयी थी उसका एवरेज निकाला गया था तो डेढ़ दो पैसे का काम जनता सरकार के

(श्री अमरचन्द)

समय में हुआ और हमारी सरकार ने जो काम कराया उसकी नीति निर्धारित की और वह नीति इस ढंग से निर्धारित कर दी कि कोई भी उसमें मिसगाइड नहीं कर सके। मेजरमेंट करेगा पी. डब्ल्यू. डी. और उसका चुकारा करेगा रेवेन्यू। इस प्रकार की व्यवस्था करने के बाद में भी यदि मान लीजिये कि कहीं 19-20 का काम हुआ हो, यह मैं नहीं कह सकता कि सारे काम 100% सही हुए हों, उसमें से कुछ काम इस ढंग से हुए हों लेकिन इस प्रकार के जो आक्षेप लगाते हैं वैसे जनता सरकार के समय पर अवश्य हुए। वे अपने आपको देख करके फिर आगे के लिये बात करें तो बात मानी जा सकती है।

मैं अधिक लम्बी बात न कहते हुए इस प्राकृतिक आपदा के अन्दर इनके बचाव के लिये निवेदन करना चाहूंगा कि पानी की रोकथाम की जाय। चाहे एनीकट के माध्यम से, चाहे तालाबों के माध्यम से वह पानी रोकें और पानी के रुकने के कारण से किसानों को उसका फायदा मिलेगा और समय पर उसका लाभ मिलेगा। जब विपदा आती है तो उस पानी का उपयोग उस विपदा के अन्दर कर सकते हैं। जैसे मेरे क्षेत्र गंगरार के अन्दर इस प्रकार का तालाब है, कई वर्षों से अब तक सरकार ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि निवाड़ा पंचायत के अन्दर एक तालाब है और उसका भराव भी अच्छा हो सकता है और वह किसानों की नीचे वाली जमीन को भी सिंचित कर सकता है। इस लिये उस तालाब का सर्वे करवायें। उसका काम चालू कराया जाय तो उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा और ऐसे संकट के समय में यह बड़ी उपयोगी चीज बनेगी। इसी प्रकार, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक जो हमारे गंगरार तहसील के अन्दर हूंडवा पंचायत के अन्दर एक तालाब वीरान पड़ा है। कम खर्च में वह भी बन सकता है और उससे मेरा तो अनुमान यह है कि लगभग 500 एकड़ जमीन सिंचित हो सकती है। ऐसे बांधों को भी सरकार हाथ में ले। इस प्रकार के काम चला करके प्राकृतिक विपदाओं के अन्दर लोगों को बचाया जा सकता है और किसानों को भी सदा के लिये उसका फायदा मिल सकता है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र गंगरार के अन्दर, चूंकि इससे सम्बन्धित बात तो नहीं है लेकिन आपदाओं के अन्दर यह भी बात आती है। तो उनको कहा जा सकता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा जैसा कि हमारे भूपाल सागर का कार्य काफी लम्बे समय से चल रहा है, उसका काम भी जल्दी पूरा कराया जाय तो उसका भी लाभ हमारे किसानों को मिल सकता है। सबसे बढ़िया हमारे यहां की चावल भूपालसागर की पैदा होती है जिसका कि कई माननीय सदस्यों ने उसका उपयोग किया होगा। भूपालसागर का चावल भी बासमती चावल तो कहलाता है, बहुत अच्छी सुगन्धित होती है उसके अन्दर। मैं तो निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य उस चावल का भी उपयोग करें।

(श्री अमरचन्द)

उसके साथ-साथ मेरा एक निवेदन और है कि बांध बनाने के लिये जब राज्य सरकार स्कीम बनाती है, बांध बनाती है लेकिन पानी का यूटिलाइजेशन बराबर हो नहीं पाता और उसका मुख्य कारण उसकी नहरें कच्ची, उसकी कैनालें कच्ची और कच्ची होने के कारण से आधा पानी सिंचाई के लिये जाता है, आधा पानी वेस्ट जाता है। तो राज्य सरकार को मैं निवेदन करना चाहूंगा, मंत्री महोदय, कि जहां पर भी तालाब बनायें तो उसकी नहरों को प्रारम्भ से ही पक्की की जाय, माइनर जो उनकी नहरें होती हैं उनको भी पक्की करायी जाय, जिससे पानी का ज्यादा वेस्टेज नहीं हो। भूपालसागर की हालत को देख करके मैं यह कह सकता हूं कि आधा पानी हमारे किसानों को मिलता है और आधा पानी हमारा वेस्ट जाता है क्योंकि उसकी नहरें कच्ची उसकी कैनालें कच्ची हैं। वे सारी कच्ची की कच्ची हैं। इसी प्रकार जहां पर भी जैसे बसही का जो बांध बन रहा है उसमें कई जगह कुछ पक्का बनाया बाकी कच्ची की कच्ची चल रही है माइनर, इसलिये पहले सरकार इस बात का ध्यान दे कि कैनाल पक्की बनायी जाय ताकि पानी का वेस्टेज नहीं हो। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय को कि जहां पर भी अगर मान लें आप तालाब बनाये उसकी नहरों को भी पक्की बनाने का ध्यान रखा जाय। साथ-साथ एक निवेदन और करना चाहूंगा कि छोटे-छोटे तालाबों की भी अगर ठीक ढंग से रिपेयर की जाय तो उसमें आपको इरींगेशंस का फायदा भी मिलेगा और हमारे किसानों को भी उसका लाभ मिलेगा।

लम्बा समय नहीं लेते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि खास करके गत साल या उसके परसाल में मजदूरी का पैसा जिसे भी हमारी कंस्टीट्यूएंसी गंगरार के अन्दर नहीं मिला है उसका आप आंकड़ा मांग करके और यह....

श्री सभापति : कौन से साल का है यह बता दें मन्त्री महोदय को।

श्री अमरचन्द : 1984-85 के अन्दर कुछ लोगों ने बैलगाड़ियों से ट्रांसपोर्टेशन किया उसका पैसा भी उन लोगों को नहीं मिल पाया है, वह तो हमारी सरकार भुगतान करायेगी, इसके लिये कोई बात नहीं है....

श्री सभापति : वह बोलेंगे तो बता देंगे।

श्री दिग्विजय सिंह : सारे राजस्थान का देख लें....

श्री सभापति : आप बता देंगे जब बोलें तब।

श्री अमरचन्द : तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर ये छोटे-मोटे जो बांध हैं छोटे-मोटे तालाब हैं इनको अगर बनाया जायेगा तो प्राकृतिक आपदा के अन्दर बचाने के लिये शाखें बन सकेगी। खास करके जो मैंने निवेदन किया था कि वनों की

(श्री अमरचन्द)

अवैध कटाई को रोका जाय और ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाये जायं तो हमारी सरकार इस काम के अन्दर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकती है। मैं इतना ही कहकर के अपनी बात समाप्त करता हूं और मुझे समय दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : धन्यवाद, धन्यवाद। स्थगन प्रस्ताव के तहत श्री देवी सिंह भाटी।

(अनुपस्थित)

स्थगन प्रस्ताव के तहत श्री हरिशंकर भाभड़ा।

(अनुपस्थित)

एक माननीय सदस्य : मेरा भी है एक स्थगन प्रस्ताव....

श्री सभापति : ठहरिये आप। स्थगन प्रस्ताव के तहत श्री नाथू सिंह।

(अनुपस्थित)

कटौती प्रस्ताव में श्री जयनारायण पूनिया।....

एक माननीय सदस्य : मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव है जिला बांसवाड़ा की तरफ से।

श्री सभापति : आपका नाम आ जायेगा इसमें....

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति महोदय, मुझे मौका दिया जाय। चूंकि दक्षिण राजस्थान की तरफ से बोलने वाला कोई नहीं है....

श्री सभापति : हां, सब का नाम आयेगा....

श्री हरिकुमार औदिच्य : बीच में तो अध्यक्ष महोदय द्वारा कहा गया था कि स्थगन प्रस्ताव वाले लोगों को बोलने के लिये पहले मौका दिया जाय ताकि ठीक रहे....

श्री सभापति : वह मैंने मान लिया। बीच-बीच में तो बोलेंगे। कटौती प्रस्ताव पर भी बोलेंगे और उस पर भी बोलेंगे....

एक माननीय सदस्य : मेरा कटौती प्रस्ताव भी है और स्थगन प्रस्ताव भी....

श्री हरिकुमार औदिच्य : अध्यक्ष महोदय ने आज नयी व्यवस्था कर दी है। कल ऐसा नहीं हुआ, परसों भी ऐसा नहीं हुआ....

श्री सभापति : क्या चाहते थे आप....

(व्यवधान)

श्री हरिकुमार औदिच्य : जो नाम पार्टियों की तरफ से दिये गये हैं उन्हीं का क्रम चलता रहता है, स्थगन प्रस्ताव....

श्री सभापति : इस विषय पर जिनके स्थगन प्रस्ताव हैं....

(व्यवधान)

(सभापति)

आप नहीं बोलना चाहें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप लिख दें इस पार्टी के, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. नहीं बोलना चाहें। श्री जयनारायण पूनिया, कटौती प्रस्ताव पर बोलेंगे।

(व्यवधान)

मैं कह रहा था आपसे कि अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी थी कि जो भी स्थगन प्रस्ताव इस विषय के बारे में आये हैं जिसकी आज मांग प्रस्तुत हुई है वह सदस्य बोल सकेंगे। अगर आप यह चाहते हैं कि आपके दल के सदस्य उस पर नहीं बोलें, मुझे कोई दिक्कत नहीं।

श्री हरिकुमार औदिच्य : आसन की तरफ से यह व्यवस्था दी गयी है पहले....

श्री सभापति : अब आपका नाम आ जायेगा।

श्री हरिकुमार औदिच्य : बीच में जो आप नाम जोड़ देंगे स्थगन प्रस्ताव वाले तो जो कटमोशन के ऊपर बोलने वाले हैं वह रात को 11 बजे पहुंच जायेंगे उनका टाइम। इसलिए दो दिन से अध्यक्ष महोदय ने इस व्यवस्था को बन्द कर दिया था। आप जानकारी ले लें अध्यक्ष महोदय से।

श्री सभापति : मेरे पास अध्यक्ष महोदय की सूचना आयी हुई है वैसे अपने पास समय बहुत है। आपने जैसा कहा, अगर नहीं बोलना चाहें, मुझे कोई दिक्कत नहीं।

(व्यवधान)

मैं मानता हूं, समय बहुत हो जाता है। कल भी बहुत हो गया था, परसों भी हो गया था पर मैं यह निवेदन कर रहा था कि अध्यक्ष महोदय ने जो मुझे सूची दी है, आज के विषय के स्थगन प्रस्ताव वाले हैं वह बीच-बीच में बोलते रहेंगे। अगर नहीं बोलें, मुझे कोई दिक्कत नहीं।

कटौती प्रस्ताव पर श्री जयनारायण पूनिया बोलेंगे।

श्री हरिकुमार औदिच्य : फिर और कुछ नहीं कहना अगर उन्होंने सूची दी है तो....

श्रीमती हमीदा बेगम : माननीय सभापति महोदय, समय का ध्यान रखें। बहुत लेट हो रहे हैं।

श्री सभापति : हां, समय का पूरा ध्यान रखा जायेगा। आप ठीक कह रही हैं। समय का पूरा ध्यान रखा जायेगा। धन्यवाद। श्री जयनारायण पूनिया।

श्री जयनारायण पूनिया (तारानगर) : सभापति जी, सहायता विभाग की तरफ से जो वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है उसमें अकाल राहत कार्यों तथा स्कीमों पर चर्चा की गयी है तथा आंकड़े दिये गये हैं। इसके मुताबिक, भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से आयी हुई शिकायतों के मुताबिक तथा स्थगन प्रस्ताव रखे गये उनमें उठाये गये मुद्दों के अनुसार यह बात साबित हो जाती है कि

(श्री जयनारायण पूनिया)

इस बार अकाल राहत कार्य शुरू नहीं किये गये। अगर कहीं किये गये तो बहुत थोड़े और बहुत लेट शुरू किये गये जिसके कारण प्रभावित लोग माकूल सहायता प्राप्त नहीं कर सके। बहुत व्यापक क्षेत्र में अकाल पड़ा। 10 हजार से ऊपर गांव अकाल से प्रभावित हुए। वर्षा न होने से फसलें बरबाद हुई। इसके साथ-साथ पानी का भारी सकट भी पैदा हो गया। पानी की किल्लत, बेरोजगारी, भूख और सब प्रकार की आने वाली कठिनाइयों के कारण किसान को जितनी जिल्लत इस साल झेलनी पड़ी, मैं समझता हूं, यह आंकड़े जो इस प्रतिवेदन में दिये हैं वह स्वयं यह कहानी कहते हैं कि इस बार सबसे कम काम हुआ और बहुत ज्यादा अपेक्षा की गयी थी। दस हजार से ऊपर गांवों के अन्दर 92 लाख जनसंख्या प्रभावित हुई। उसके मुताबिक सरकार ने जो अपना कार्यक्रम निश्चित किया है उसके मुताबिक 30 जून, 1985 तक करीब 2 लाख 91 हजार आदमियों को रोजगार देने का लक्ष्य था। जो राशि उपलब्ध हुई वह 31 मार्च तक 5 करोड़ 42 लाख और अप्रेल से लेकर जुलाई तक खर्च करने के लिए 25 करोड़ 88 लाख थी। इसके साथ मार्जिन मनी की सीमा भी बढ़ा दी गयी। जो सात करोड़ 74 लाख से बढ़ाकर 16 करोड़ 75 लाख कर दी गयी। इस प्रकार धन की उपलब्धि, सरकार का बनाया हुआ अपना कार्यक्रम, अपने हिसाब से निश्चित लक्ष्य उसके मुताबिक अगर आप हम देखें तो इस से यह साबित हो जाता है कि 31 मार्च, 1985 से पहले, इस ड्राफ्ट के अनुसार, यह जो हिसाब प्रस्तुत किया गया है इसके हिसाब से 31 मार्च, से पहले सहायता विभाग की तरफ से कोई कार्य स्वीकृत नहीं हुआ। 31-3-85 को 611 कार्य स्वीकृत हुए, वह भी 13 जिलों में जबकि 21 जिले प्रभावित थे। 13 जिलों में 31 मार्च को काम की स्वीकृति देना यह साबित करता है कि इससे पहले कोई काम किसी प्रकार से सहायता विभाग की तरफ से शुरू नहीं किया गया। इस से दो तरह का प्रभाव पड़ा। एक तो यह कि 31 मार्च तक जो बजट प्रावधान रखा गया, राशि रखी गयी वह कार्य शुरू न होने से खर्च नहीं हो पायी, लैप्स हो गयी। दूसरा, लोगों को रोजगार नहीं मिला। इस प्रकार अप्रेल से जुलाई तक जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया प्रभावित क्षेत्र में कि कितने आदमियों को मजदूरी दी जायेगी, उस सारे का हिसाब देखने से यह मालूम पड़ेगा कि अपने लक्ष्य में फेल हुए। इसका कारण यह था कि 30 जून तक जितने लक्ष्य रखे गये थे, काम जो मन्जूर हुए, स्वीकृत हुए वह 2489 थे लेकिन उसके अनुसार काम शुरू न करवाकर 1784 काम शुरू करवाये गये। जो लक्ष्य रखे गये गवर्नमेण्ट ने अपने लक्ष्यों को किस प्रकार से अण्डरमाइन किया। इस प्रकार से काम शुरू नहीं हुआ इस से बहुत बड़ी जनसंख्या रोजगार प्राप्त करने से महरूम रह गयी। रोजगार जो प्राप्त हुआ वह करीब एक लाख 92 हजार आदमियों को प्राप्त हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि 30 जून तक

(श्री जयनारायण पूनिया)

करीब एक लाख आदमी जो बेरोजगार थे, रोजगार के इन्तजार में बैठे रहे, जिनको परिचय पत्र बांट दिये गये, उनको यह कह दिया गया कि आप लोगों को हम रोजगार देंगे। वह 30 जून तक भी रोजगार प्राप्त नहीं कर सके। इस प्रकार अभाव के कारण, जहां सब प्रकार की कठिनाइयां पैदा हो जायं वहां लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके जबकि लक्ष्य कम थे। यह जो लक्ष्य रखे गये इसके हिसाब से चूरू जिले के अन्दर 16700 आदमियों को रोजगार 30 जून तक दे देना चाहिए था वहां सिर्फ पांच हजार आदमियों को रोजगार दे पाये। जिन 198 कामों की स्वीकृति दी उसमें से सिर्फ 55 काम शुरू किये गये। यह सरकार की किस प्रकार से ढीली नीति रही, किस प्रकार से काम शुरू न करवाकर लोगों को बेरोजगार रखा, पीड़ित रखा, इससे लोगों को बड़ा नुकसान हुआ, यह शिकायत थी। यह शिकायत इन आंकड़ों से साबित हो जाती है। इसी प्रकार जो धन मिला, सहायता विभाग को जो खर्च करना चाहिए था, समय पर काम न करवाने से धन लैप्स हुआ। उसके मुताबिक लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, वह रोजगार प्राप्त नहीं हुआ। यह आंकड़े जो इस प्रकार से दिये हैं प्रतिवेदन में, यह स्वयं आंकड़ों से साबित हो जाता है कि यह काम शुरू नहीं करवाये गये। मैं समझता हूं, पहला मौका है। इस प्रकार इतने व्यापक क्षेत्र में जब अकाल पड़ा उसके मुताबिक काम शुरू कराना चाहिए था, समय पर स्टार्ट कर देना चाहिए था। नवम्बर, दिसम्बर में काम शुरू कर देना चाहिए लेकिन मार्च से पहले काम शुरू नहीं हुए। इस प्रकार कोताही बरती गयी उस से बड़ा भारी नुकसान हुआ। इस नुकसान के कारण जो बेरोजगारी, भुखमरी खड़ी हुई थी उसमें कई गुना वृद्धि हुई। इस बेरोजगारी, भुखमरी और अभाव के कारण कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा होता है। इस कारण यह एक अहम् मसला था, इसके ऊपर सरकार को बहुत ध्यान से काम करना चाहिए था। इसके अन्दर सरकार बुरी तरह से फेल रही है। चूरू क्षेत्र, जिस से मैं चुनाव लड़कर आया हूं तारानगर, मैंने शिकायत भी की है, लिखा पढ़ी भी की है, उसके बावजूद उस क्षेत्र में कोई काम शुरू नहीं करवाया गया। इस प्रकार चूरू जिले के अन्दर साढ़े सात लाख जनसंख्या प्रभावित है और बारह लाख पशु प्रभावित हैं। इफैक्टेड एरिया के कारण। उसके अन्दर एक भी डिपो भूसे, चारे या कड़वी का नहीं खोला गया। न हो माकूल प्रबन्ध जो काम शुरू करके करवाना चाहिए था वह किया गया। इससे वहां के लोगों के अन्दर बेरोजगारी फैली हुई थी। उनको मदद नहीं देना चूरू जिले के अन्दर बहुत पीड़ादायक और कष्टदायक घटना थी। माननीय मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से, सभापति महोदय, आपने यह समस्या तो मेरी खत्म कर दी कि वहां पर तारानगर क्षेत्र के अन्दर कोई रकम किसी की मजदूरी की नहीं मिली हो या इस प्रकार काम करने के अन्दर कोई झगड़ा हो गया हो। आपने कोई काम ही शुरू नहीं किया इस से झगड़ा या किसी प्रकार से मजदूरी का न मिलना, यह कोई

(श्री जयनारायण पूनिया)

शिकायत नहीं छोड़ी। इसके लिए आपको धन्यवाद।

इसके साथ-साथ एक सुझाव भी देना चाहता हूं। हमारे राजस्थान में हमेशा, हर साल कभी किसी क्षेत्र में, कभी किसी क्षेत्र में अकाल पड़ता है और क्षेत्र प्रभावित रहते हैं। यह परमानेण्ट है। इसके लिए योजनायें भी ऐसी होनी चाहिए कि हर साल हम जो काम का सलेक्शन करते हैं वह नया नहीं हो, स्थायी योजनायें हों। उसके अनुसार, ज्यों ही अकाल की घोषणा हो, उनके ऊपर काम शुरू किया जाय। इस प्रकार यह काम शुरू कर दिया जाय।

(6.00 सायं)

ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि तहसील हैड क्वार्टर्स पर सहायता विभाग की यूनिट्स कायम की जायं। दूसरी टास्क बेसिस पर मजदूरी दी जाती है इसके लिये न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था की जाय। एक और ऐसी चीज है जो खराब टैंकर्स पड़े हैं उनकी संख्या 215 दिखा रहे हैं लेकिन 215 में से 100 टैंकर्स ऐसे हैं जिनका किसी भी कीमत पर सुधार नहीं करवाया जा सकता है।

दूसरी बात—फेमिन कोड के अन्दर तरमीम करने की, सुधार करने की बहुत जरूरत है। इसके लिये एक कमेटी बनाई जाय, इफेक्टेड एरिया को अभाव ग्रस्त घोषित करने के जो मापदण्ड तय किये हुये हैं, उन मापदण्डों में आज की सरकमस्टान्सेज में, आज की हालातों में इसके अन्दर परिवर्तन बहुत जरूरी है। फेमिन कोड के लिये एक कमेटी बनाई जाय, जन प्रतिनिधियों को शामिल करके।

धन्यवाद।

श्री सभापति : स्थगन प्रस्तावों के तहत श्री नारायणराम बेड़ा।

(अनुपस्थित)

श्री हीरासिंह चौहान।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीश तिवाड़ी।

श्री नवरंगसिंह : सभापति महोदय, मेरा नाम पहले आया बताया था।

श्री सभापति : मैंने आपका नाम नहीं पुकारा है।

श्री जगदीश तिवाड़ी।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) : माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं राज्य सरकार को और खास तौर से अकाल राहत मंत्रीजी को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने, जब हम गत सत्र में मिले और उस समय जब उनका ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि राजस्थान सरकार ने 75 प्रतिशत खराबा वाले गांवों

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

को ही अभावग्रस्त घोषित किया है जबकि फैमिन कोड के अन्तर्गत 50 प्रतिशत खराबा तक के गांवों को सम्मिलित किया जाना चाहिये था और जो अभावग्रस्त घोषित होने से वंचित रह गये हैं, माननीय मंत्री महोदय ने गत विधान सभा सत्र में ही यहां इन्होंने घोषणा की और उसके तत्काल बाद उन गांवों को अभाव ग्रस्त घोषित किया गया तथा सम्बन्धित गांवों में अकाल राहत कार्य खोले गये। जो लोग अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं होने से काम से वंचित रह रहे थे, रोजगार सुविधा उनको उपलब्ध नहीं हो रही थी उन लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ। मैं यह बात निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस बार जो अकाल राहत कार्यों का चयन किया गया है वह जन उपयोगी कार्य थे और जो कार्य स्वीकृत किये गये हैं उनके ऊपर निश्चित तौर पर काम हुआ है, जितने मजदूर आये हैं उनको काम भी दिया गया है। जहां तक काम का प्रश्न है, सभापति महोदय, जहां सख्त मिट्टी होती है वहां मजदूर इतनी मिट्टी नहीं निकाल सकते और उसके कारण काम कम होता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां कि मिट्टी सख्त है वहां यदि कम काम भी हुआ है तो भी मजदूरों को पूरी मजदूरी दी जानी चाहिये।

दूसरा मेरा यह निवेदन है कि जो कार्य गत वर्षों में हुये थे, जिन मजदूरों की मजदूरी बकाया रह गई है और वह मजदूरी बकाया रहने का कारण यह नहीं है कि उनका चुकारा नहीं करना चाहा। माननीय सभापति महोदय, उसका कारण यह रहा है कि जिस विभाग के द्वारा काम करवाया गया था उसके अन्दर मजदूरों द्वारा किये हुये कार्य का मूल्यांकन कम किया और कम करने के कारण उन लोगों की मजदूरी 2 रुपया, डेढ़ रुपया इस प्रकार से प्रतिदिन के हिसाब से आई और यह काम लास्ट मस्टरोल के अन्तर्गत हुये हैं और जब आखिरी मस्टरोल में काम कम दिखा दिया गया तो उसके आधार पर उन मजदूरों ने वह मजदूरी लेने से मना कर दिया। लेकिन सभापति महोदय, जिन श्रमिकों ने काम किया है उन श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं माननीय मन्त्री महोदय इस संदर्भ में निकट भविष्य में ही जो लोग वंचित रह गये हैं इस प्रकार से उन लोगों को उनकी मजदूरी का भुगतान करने की व्यवस्था करेंगे।

जहां तक दो एजेन्सियों के द्वारा काम कराने का प्रश्न है, माननीय सभापति महोदय, एक एजेन्सी काम करती है और दूसरी एजेन्सी के द्वारा भुगतान करवाया जाता है तो इससे निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की सम्भावना खत्म होती है। जब से यह व्यवस्था लागू हुई है तब से यह बात सही है कि काम भी अधिक हुये हैं और उसमें जो विभाग काम कराने वाला है, जो गड़बड़ी किया करता था वह गड़बड़ियां भी बन्द हुई हैं। मुझे याद है जनता पार्टी के शासन में जिस एजेन्सी के द्वारा काम करवाया गया था उसी एजेन्सी के द्वारा भुगतान कराने की

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

व्यवस्था थी। उस समय कई सरपंच गधों पर रख रख कर गेहूं बेचने के लिये चले गये थे। तो एक ही एजेन्सी के द्वारा कार्य और भुगतान कराने की व्यवस्था होती है तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार होता है। इस लिये एक एजेन्सी काम कराये और दूसरी एजेन्सी के द्वारा भुगतान हो यह व्यवस्था सही है और इससे भ्रष्टाचार की सम्भावनायें खत्म हो जाती हैं....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपस में बात-चीत नहीं, माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से एक बात निवेदन करना चाहूंगा। जिस समय नवीन अकाल राहत कार्य खोलने के प्रस्ताव भेजे उसी समय एन. आर. पी. के अन्तर्गत या राष्ट्रीय ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत जहां कहीं भी काम चल रहे थे उस जगह पर अकाल राहत कार्य नहीं खोले जायेंगे। यह बड़े दुख का विषय रहा है। ज्योंहि हमने प्रस्ताव भेजे उसके बाद से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत जो काम चल रहे थे वह बिल्कुल बन्द हो गये और हमारे क्षेत्र में अकाल से प्रभावित जो लोग बेरोजगार थे, जिनको रोजगार की आवश्यकता थी उन लोगों को अचानक घर बैठना पड़ा। उस समय राहत कार्य वहां नहीं चालू रख सके उसके कारण कई लोग रोजगार से वंचित रहे हैं इसलिये इस मामले को भी देखें। इस साल तो जो कुछ हुआ सो हुआ लेकिन भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो। जब आप एक तरफ अकाल राहत कार्य इस प्रकार के खोलने जा रहे हैं और दूसरी तरफ उन कामों को मानकर आप उस एरिया को वंचित रखते हैं और फिर वह काम भी बन्द हो जाते हैं तो वहां के श्रमिक कहां जायेंगे, यह प्रश्न भी विचारणीय है। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो यही मेरा अनुरोध है।

माननीय सभापति, अकाल ग्रस्त घोषित होने के अन्दर मैंने यह देखा है कि जिस पटवारी ने एक गांव दो गांव बीच में छोड़ दिये हैं, उस पटवारी की भूल के कारण वह लोग वंचित रह गये हैं और आस-पास के सभी लोग जहां अकाल राहत कार्य खुले हैं वहां पर मजदूरी करने आते हैं। अनुसूचित जाति के लोग, जिनके पास जमीन नहीं है, काश्त के लिये जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और कोई दूसरे नहीं हैं उन लोगों की भी इच्छा थी कि हम लोग अकाल राहत कार्यों पर जायं। जब चारों तरफ अकाल से प्रभावित गांव हैं, वहां के लोग काम पर जाने से वंचित रह रहे हैं, जो उस गांव की सीमा से मिले हुये हैं उन गांवों के जो अनुसूचित जाति के लोग यदि अकाल राहत कार्यों पर काम करने के लिए आ भी गये हैं तो उन लोगों को मजदूरी दी जानी चाहिए। उन लोगों को मजदूरी के बारे में अभी तक संशय में रखा जा रहा है कि जो अकाल ग्रस्त

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

गांवों के कार्य मंजूर नहीं है उनको मजदूरी नहीं दी जायेगी लेकिन किन्हीं की भूल के कारण या अधिकारियों को उस समय यह बात मालूम नहीं थी उसके कारण वहां के श्रमिक लोग काम पर ले लिये गये उनको यदि मजदूरी से वंचित किया जाता है तो उनके साथ बड़ा अन्याय होगा। इसलिए जिन लोगों को, जो अकाल ग्रस्त गांवों के समीपस्थ गांवों के लोग हैं और खास तौर से अनुसूचित जाति के लोग, भूमिहीन लोग, ऐसे लोगों को जहां उन्होंने श्रम किया है उस श्रम का भुगतान किया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं इन श्रमिकों को कम मजदूरी देने का प्रश्न लास्ट मस्टरोल में आयेगा। इस मामले में जिस विभाग के अधीन काम चलते हैं उस विभाग का जे. ई. एन. समय पर जाता नहीं है और मेट वगैरह जो काम करते हैं वह इस बात की निगरानी प्रत्येक मजदूर के हिसाब से नहीं रखते। जो लोग काम करते हैं और जो लोग काम नहीं करते हैं उनका खामियाजा काम करने वाले मजदूरों को उठाना पड़ता है। इसलिए जिस मजदूर ने काम किया है और पूरा काम किया है उस मजदूर को पूरा पारिश्रमिक मिलना चाहिए। यह बात सही है कि वह टोटल कार्य जो होता है उसका मूल्यांकन करते हैं। प्रतिदिन जितना काम किया गया है जे.ई.एन. उसका हिसाब नहीं रखते उसके कारण काम नहीं करने वाले व्यक्ति के साथ-साथ काम करने वाले व्यक्ति को भी कम मजदूरी मिलती है। यह व्यवस्था सुधारी जाने चाहिये और जिन लोगों ने काम किया है उनको पूरा पैसा मिलना चाहिए।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल सहायता के अन्तर्गत कितने श्रमिकों को कितना पैसा दिया गया वह और सरकार की यह मंशा भी है कि अकाल से प्रभावित लोगों को रोजगार भी दिया जाये, उनके लिये योजना भी बनायी जाय। लेकिन, सभापति महोदय, यदि समय पर उनको मजदूरी उनको नहीं दी जायेगी तो हमारा जो उद्देश्य है वह पूरा नहीं होता है। इसलिये अकाल सहायता विभाग ने जो पैसे रेवेन्यू विभाग को भेज दिये हैं या सम्बन्धित विभागों को भेज दिये हैं उन्हें सहायता विभाग समय पर तकाजा स्वयं ही करे और इस बात के लिये बड़ी निगरानी रखे कि समय पर मजदूरी का भुगतान हो रहा है या नहीं। अगर समय पर भुगतान नहीं हो रहा है तो क्यों? जहां पर समय पर मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया तो उसको तत्काल मजदूरी का भुगतान कराया जाय।

सभापति महोदय, सड़कों पर गिट्टी और मोहरम निकालने के लिये भी मजदूरों से काम कराया जाता है और अकाल सहायता के काम बन्द हो जाने के बाद वह गिट्टी और मोहरम वहां पहाड़ पर ही पड़ा रहता है, वह बर्बाद हो जाता है। इसलिये, सभापति महोदय, श्रमिकों के हित में जो भुगतान किया उसका सदुपयोग नहीं होता है।

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

इसलिये मेरा यह निवेदन है कि अकाल राहत के कार्य के अन्तर्गत जो मिट्टी और मोहरम साइट पर पड़ा रहता है उसको एकत्रित किया जाय और उस मिट्टी को सड़क पर डलवाया जाय। यह व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए अन्यथा जो हमारा पैसा खर्च हुआ वह बर्बाद हो जायेगा और उसका कोई उपयोग नहीं होगा। इसलिये अकाल राहत कार्य बन्द हो जाने के बाद भी उसके कार्य अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत जो मोहरम और मिट्टी पड़ी रहती है उसको सड़क पर डालना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत जो सड़क बनती है उस सड़क का बाद में रख रखाव नहीं होता है और उसके कारण आवागमन के रास्ते अवरूद्ध हो जाते हैं। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि विभाग यह हमारे जो अकाल राहत कार्य सड़क बनने के जिस सड़क पर जितना काम हुआ उस पर मोहरम की बिछाई की जानी चाहिए और उसकी कुछाई की जानी चाहिए। अगर यह अनिवार्य नहीं हुआ तो जो मिट्टी का वर्क बना है वह बहकर बरसात में चला जायेगा और सड़क वर्बाद हो जायेगी। और वहां पर आवागमन के रास्ते भी अवरुद्ध हो जायेंगे।

सभापति महोदय, पीने के पानी का पैसा भी सहायता विभाग ने पी. एच. ई. डी. विभाग को ट्रान्सफर कर दिया है आज मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पीने के पानी की समस्या अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में इस बार अधिक थी। पानी का स्तर नीचे चला गया और कुए सूख गए हैं और गांवों में पानी के लिए लोग चिल्लाते रहे पर फिर भी पी. एच. ई. डी. विभाग ने जो पैसे मिले उसका कोई भी उपयोग आज दिन तक नहीं किया हमारे यहां के अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में। मैं मेरी जानकारी के अनुसार अपने क्षेत्र की बात निवेदन करना चाहूंगा कि एक भी जगह पर हैण्ड पम्प नहीं लगा और एक भी कुआ गहरा नहीं कराया गया। हमने प्रस्ताव भेजे तो सहायता विभाग ने इतनी मेहरबानी तो जरूर की कि पी. एच. ई. डी. विभाग को पैसे दिए लेकिन पी. एच. ई. डी. विभाग ने कुछ भी नहीं किया और यह मामला अलग से विचारणीय है। मैं सहायता विभाग के मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस मसले को देखें और जहां कहीं भी चाहे कोई अधिकारी दोषी हो या कोई भी व्यक्ति हो उसके खिलाफ में कार्यवाही की जानी चाहिए।

सभापति महोदय, जयपुर जिले में न तो कोई इर्रीगेशन का बड़ा बान्ध है और न ही कोई एनीकट है। उसके कारण हमारे यहां पर दिनों दिन पानी का स्तर नीचे चला गया है और पानी का स्तर नीचे चले जाने के कारण पीने के पानी के अधिकांश कुए सूख गये और पी. एच. ई. डी. ने हैण्ड पम्प नहीं लगाये और जहां हैण्ड पम्प लगाये वहां पर पीने के पानी के बजाय कीचड़ आने लग गया। कई हैण्ड पम्प सूखे पड़े हैं। मैं यह समझता हूं, सभापति महोदय, यह प्राकृतिक आपदाओं में आता है और प्राकृतिक

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

आपदाओं में इसको प्राकृतिक आपदा मान कर चाहे अभाव ग्रस्त की सीमा समाप्त हो जाती हो परन्तु इसके बावजूद भी इससे निपटने के लिये सरकार को कोई न कोई कार्यक्रम बनाना चाहिये और योजनाबद्ध तरीके से इस पेयजल की समस्या का निवारण किया जाना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इन योजनाओं के यह काम पी. एच. ई. डी. के भरोसे नहीं छोड़े जायं। अगर उसके भरोसे छोड़े गये तो यह काम कभी करने वाले नहीं हैं। वह हैण्ड पम्प लगाने के अन्दर इन्टरेस्टेड हैं। तो मेरा यह निवेदन है कि विभाग खुद बोरिंग करने की मशीन उपलब्ध कराके गांवों में कुछ कुए जो सूख गये हैं उनके बोरिंग करवाने की व्यवस्था की जाय।

अगर आपने यह व्यवस्था नहीं करवायी तो आने वाले समय में हमारे यहां पर लोग प्यासे मर जायेंगे। इसलिए लोगों को पीने के पानी की तत्काल आवश्यकता है। जयपुर शहर में हैंड पम्प लगाकर आपने पानी की समस्या का निवारण कर दिया लेकिन गांवों में विकट समस्या है खास तौर से, सभापति महोदय, हमारे यहां पर शिडयूल्ड कास्ट और शिडयूल्ड ट्राइब के लोग है जिनको दूसरे लोगों के कुओं पर पीने के पानी के लिये निर्भर रहना पड़ता है। काश्तकार की यदि अपनी मर्जी हो तो उनको पानी पीने दे और मर्जी नहीं हो तो उनको पानी नहीं पीने दे। वहां पर जान बूझकर हरिजन बस्तियों में हैण्ड पम्प नहीं लगाये गये और वह इससे वंचित रह गये। आज भी वहां पर इसकी इतनी विकट समस्या है कि लोग दूसरों के कुओं पर जाकर, खेती के कुओं पर जाकर पीने के पानी के लिये मजबूर होते हैं। उसके कारण उनको उनकी गुलामी करनी पड़ती है। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस विकट समस्या को गम्भीरता से लें जिससे पानी की जो समस्या उत्पन्न होने जा रही है उसका निवारण किया जा सके।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया संक्षिप्त करें।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : संक्षिप्त ही कर रहा हूं, साहब।

मेरे यहां पर बाढ़ से जन धन की हानि हर वर्ष होती है और बाढ़ नियन्त्रण कार्य पिछले पांच साल से निरन्तर चल रहा है। सभापति महोदय, जब बाढ़ आती है तो बाढ़ सहायता करने को विभाग तैयार रहता है लेकिन जहां बाढ़ नियन्त्रण की बात होती है तो सिंचाई विभाग कहता है कि हमारे पास फन्ड नहीं है। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि बाढ़ नियन्त्रण के समय पर तो विभाग पैसा खर्च कर सकता है पर जब बाढ़ आये ही नहीं तो उसके लिये भी आप व्यवस्था करें। बाढ़ नियन्त्रण के अन्तर्गत उसकी व्यवस्था की जाय। सभापति महोदय, बाढ़ हमारे यहां पर सन् 1981 में आई उस

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

समय हमारे जिलाधीश जो वर्तमान में अकाल राहत आयुक्त हैं, वह थे उन्होंने खुद ने अपनी आंखों से देखा कि उस समय अकाल से जयपुर में जन धन की खूब हानि हुई थी सहायता विभाग ने बाढ़ से प्रभावित लोगों को पुनः स्थापित करने के लिये व्यवस्था की थी। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि बाढ़ से जिन लोगों को वास्तविक नुकसान हुआ था उनकी सूचियां डी. आर. डी. ए. के दफ्तर में बनी थी लेकिन डी. आर. डी. ए. के दफ्तर में 50 रुपया प्रति केस लेकर सूचियां बदल दी गयी और सूचियां बदल कर जिनके नुकसान नहीं हुआ था उन लोगों को सहायता राशि दी गयी। जिन लोगों को वास्तव में नुकसान हुआ था वह लोग सहायता से वंचित रह गये। माननीय सभापति महोदय, मैंने उसकी शिकायत जिलाधीश महोदय को की। उन्होंने उसके जांच करने के आदेश दिये लेकिन उसमें चूंकि कुछ अधिकारी फंसते थे और कुछ हमारे जन प्रतिनिधि फंसते थे इसलिए उनकी मिलीभगत के कारण उन सूचियों में परिवर्तन किया गया। सभापति महोदय, इन सूचियों के अन्दर परिवर्तन करने के कारण हमारे यहां के सैकड़ों गरीब परिवार बाढ़ से बर्बाद हो गए उनको सहायता नहीं हो सकी और वह सहायता से वंचित रह गए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदय, कुछ चिल्लाते रहे पर कोई उनको सन्तोषजनक जवाब आज तक नहीं मिला। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय को अनुरोध करूंगा कि वह सहायता विभाग से इस सन्दर्भ में व्यक्तिगत रूप से स्वयं जांच करावें और जिला प्रशासन के भरोसे नहीं छोड़ें। अपने स्वयं के पास इस जांच को लेकर खुली जांच करें और इसका सत्यापन करें कि किस व्यक्ति को कितनी सहायता दी गयी या नहीं दी गयी और इसके अन्दर जो दोषी व्यक्ति हों उनके खिलाफ में कार्यवाही करें। जय हिन्द।

श्री सभापति : स्थगन प्रस्ताव के तहत श्री मानिक चन्द सुराना।

(अनुपस्थित)

कटौती प्रस्ताव के तहत श्री बिरदमल सिंघवी।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) : माननीय सभापति महोदय, अकाल जो कि पश्चिम राजस्थान की एक स्थायी समस्या है और इस बार भी अकाल पिछली बार से भयंकर पड़ा है इस बार करीब 92 लाख लोग अकाल से प्रभावित हुए हैं। इसके लिए जो राशि खर्च करना बताया गया है, जो राशि स्वीकृत की गई वह पांच करोड़ बयांसी लाख 31-3-85 तक और अप्रेल से जुलाई तक पच्चीस करोड़ इक्यासी लाख, कुल 30 करोड़ रुपए खर्च करने की स्वीकृति दी गई। सभापति महोदय, अगर लोगों में

(श्री विरदमल सिंघवी)

यह राशि बांटी जाये तो प्रति व्यक्ति पैंतीस रुपये से अधिक नहीं आती और वह राशि अर्थात् प्रति माह राज्य सरकार अकाल के लिए चार रुपए प्रति व्यक्ति खर्च करने को तैयार है। चाहे आप पेयजल के लिए लगा लो, चाहे टैंकर्स के लिए लगा लो, चाहे इर्रीगेशन के लिए लगा लो, किसी के लिए समझ लो, चार रुपए माहवार प्रति व्यक्ति के हिसाब से इस सरकार की तरफ से इतनी राशि दी गई है। मैं समझता हूं यह वास्तव में बहुत थोड़ी है और इसके विषय में राज्य सरकार को विचार करना चाहिए कि इतनी बड़ी समस्या के लिए इतनी राशि से किस प्रकार से काम हो सकता था। सभापति महोदय, जो काम जनवरी या फरवरी में हो जाने चाहिए वह आंकड़ों में पूरे हो गए हैं, मगर मार्च के अन्त तक कोई काम अकाल के कहीं पर नहीं खुले हैं। इसका कारण यह था कि यदि यह राशि अभी खर्च की गई तो बाद में क्या बचेगा और इसका समाधान नहीं हो सकेगा। आंकड़ों में बताया गया कि हमने इतना खर्च कर दिया है मगर वह काम वहां नहीं हुए हैं। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा जब अकाल आ रहा है तो यह पता चल जाना चाहिए कि वह आ रहा है। उस समय पेयजल के लिए टैंकर्स की जरूरत पड़ेगी। अब मैं उदाहरण देता हूं किस प्रकार से राज्य सरकार जागरूक है। पेयजल के लिए बताया गया कि 215 टैंकर्स उपलब्ध हैं, 100 टैंकर्स उसमें से खराब पड़े हैं। यह जो प्रतिवेदन मिला है 30 जून तक को मिलाकर व्यवस्था है। 100 टैंकर्स खराब बताने का अर्थ क्या है। अगर वह 30 जून तक ठीक नहीं हुए तो उपलब्धि कैसे हुई; केवल आंकड़ों में बताया गया है कि 215 टैंकर्स हैं और 100 खराब पड़े हैं। राज्य सरकार किस प्रकार से अकाल राहत कार्य करना चाहती है इससे सरकार की मंशा प्रतीत होती है। अगर 100 टैंकर्स खराब पड़े हैं तो किस प्रकार से काम चलेगा, करीब-करीब आधे से अधिक टैंकर्स आंकड़ों के अनुसार बताए हैं, वास्तव में सारे खराब होते रहते हैं, 115 ठीक बताए गए हैं, उनमें से कोई कभी खराब हो जाते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं, फिर खराब हो जाते हैं। 100 तो स्थाई रूप से खराब हैं। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, वास्तव में असत्य आंकड़े दिए गए हैं। अगर वास्तव में इच्छा है, दिल है तो सभी टैंकर्स अकाल के समय ठीक करा कर तैयार रखने चाहिए थे और जून के अन्त तक टैंकर्स ठीक नहीं कराए तो अकाल राहत कार्य में आप किस तरह से सीरियस हैं, यह इससे बिलकुल प्रकट नहीं होता है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा अकाल राहत के कार्यों में इस प्रकार की जो गड़बड़ी और घोटाले होते हैं वह वास्तव में सरकार के अधिकारी करते हैं। वहां के लोग, पश्चिम राजस्थान के लोग अकाल आता है तो बड़े दुःखी होते हैं और वहां के ऑफिसर्स और इंजीनियर्स यह समझते हैं कि हमारे लिये पैसा कमाने का सीजन आ गया है, इससे अच्छा कमाने का मौका नहीं है, सीजन नहीं है। मैं आपको

(श्री बिरदमल सिंघवी)

उदाहरण दूंगा भोपालगढ़ में पंचायत समिति है. 1982-83,83-84 की बात है वहां पर जो काम हुआ अकाल राहत में नाडियों का, वहां पर जो मस्टररोल बनाये गये, जे. ई. एन. कहता है मालूम नहीं कहां गये। खो गये। आज भी वह मजदूर इधर से उधर चक्कर काट रहे हैं। उन्हें पैसा आज तक नहीं मिला है। इस प्रकार के हालात हैं मस्टर रोल गायब हैं, खो गया उसका पता नहीं, कहां है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कौन सी पंचायत समिति की बात है?

श्री सभापति : मजदूर कहां के थे, वह बता दीजिए।

श्री बिरदमल सिंघवी : भोपालगढ़ पंचायत समिति के। इसके सिवाय, सभापति महोदय, यह मजदूरों की हालत है, उनको मजदूरी नहीं मिली। उसके विषय में आपसे निवेदन करना चाहूंगा मजदूरों को अपनी मजदूरी लेने के लिए कोर्टों की शरण लेनी पड़ी। रथकूरिया में जो काम हुए उसमें मजदूरों को मजदूरी नहीं दी गई। वह पेमेंट आफ वेजज एक्ट के तहत कोर्ट में गये और कोर्ट में जाकर उनको चक्कर लगाने पड़े और कोर्ट से आखिर में फैसला हुआ। परन्तु दुर्भाग्य है, इसके बाद भी सरकार को चाहिए तो यह था कि ऐसे मामले में तुरन्त मजदूरों को पैसा देती परन्तु आज तक, कोर्ट का फैसला होने के बाद पांच-छः माह हो चुके हैं, उनको पैसा नहीं मिला है और कोर्ट की डिक्री होने के बाद भी आज तक उन मजदूरों को उनका चुकारा नहीं हुआ है। रथकूरिया का मैंने आपको निवेदन किया है। इसके अतिरिक्त दुर्भाग्य की बात है कि इन मजदूरों को मजदूरी प्राप्त करने के लिए हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़े, हाईकोर्ट में रिट हुई बिना स्टाम्प फीस के, जज महोदय ने बिना फीस के रिट स्वीकार की और कहा कि यह दलितों का मामला है मैं कोर्ट फीस एग्जम्पट करता हूं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर कहा कि उनको मिनी-मम वेजेज मिलने चाहिए। इसके बाद भी सरकार टालमटोल करती रही। इस प्रकार की स्थिति वहां पर बनी हुई है। आज कहा जाता है कि हम पूरा पैसा देते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा यह पैसा कितना दिया जाता है यह पैंतीस-पैंतीस पैसा तक दिया है शर्म की बात है पैंतीस पैसे लोगों को मजदूरी मिली है। मैं आपको उदाहरण पेश करूं कि बाड़मेर के ए. डी. एम. ने वहां के प्रधान को मंजूरी दी है....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वहां की बात है?

श्री सभापति : मेवाड़ की नहीं कह रहे हैं।

श्री बिरदमल सिंघवी : बाड़मेर की निवेदन कर रहा हूं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं समझा जोधपुर की बात कर रहे होंगे।

श्री बिरदमल सिंघवी : बाड़मेर के आपके ए. डी. एम. ने यह बात कही है। जब उनको पचपदरा पंचायत समिति के प्रधान ने यह कहा कि हमें मजदूरी बहुत कम मिलती है शिकायत की कि केवल तीन रुपये, साढ़े तीन रुपये मजदूरी हमें मिलती है उस समय वहां के ए. डी. एम. ने बड़े गर्व से कहा तुम को इतनी मजदूरी तो देते हैं बाड़मेर तहसील में जाकर देखो जहां पैंतीस पैसे मजदूरी मिली है। इस प्रकार के हालात हैं। सभापति महोदय, इस प्रकार की मजदूरों को मजदूरी देकर कल्याणकारी राज्य की बात कही जाती है। इस प्रकार की स्थिति है। सभापति महोदय, मैं एक बात निवेदन करूंगा। अकाल के समय घोषणायें की जाती हैं उसके बारे में बहुत ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, वक्त कम है काफी सदस्यों को अभी बोलना है....

श्री सभापति : हां, संक्षेप में बतायें।

श्री बिरदमल सिंघवी : मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि घोषणा समय पर हो जाये और यथा समय हो जाने से आपको आगे काम करने में सुविधा मिलेगी, टैंकर्स ठीक करने की सुविधा मिलेगी। इसके अतिरिक्त कितनी घोषणायें करवाई जाय, कई बार पटवारी लोग गड़बड़ करते हैं इसकी शिकायतें आती हैं जांच कराकर देखा जाना चाहिए। कई बार पक्षपात के कारण ऐसा नहीं हो कि असत्य घोषणायें हो जायें और काम कुछ हो नहीं। मैं सभापति महोदय....

श्री सभापति : कृपया संक्षिप्त करें।

(व्यवधान)

श्री बिरदमल सिंघवी : धीरे-धीरे कह रहा हूं, संक्षेप में निवेदन कर रहा हूं।

मैं निवेदन करूंगा वसूलियों की बाबत अकाल के बाद भी जो वसूलियां चालू हैं उन्हें तुरन्त बन्द कराया जाये। शेरगढ़ तहसील में मुर्गा बनाकर वसूलियां की गई। वहां पर लोगों को वसूलियां बाकी होने के कारण मुर्गा बनाया गया तो उनको कोर्ट में आकर मुन्सिफ के कोर्ट में आकर केस दर्ज कराना पड़ा। कोर्ट में यह जाहिर करना पड़ा कि मुझे वसूली के लिये मुर्गा बनाया गया। शेरगढ़ तहसील का मैं आपको हाल बताता हूं जहां पर अकाल राहत कार्य की घोषणा होने के बाद भी इस प्रकार से लोगों को मुर्गा बनाया गया और कोर्ट में मुकदमा हुआ।

सभापति महोदय, मैं अग्नि काण्ड के के विषय में थोड़ा निवेदन करूंगा....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, थोड़ा संक्षेप में।

श्री बिरदमल सिंघवी : बहुत ही संक्षेप में कर रहा हूं।

अग्नि काण्ड के विषय में मेरा निवेदन है सभापति महोदय, कि जो यह राशि है वह अधिकतम 500 रुपया रखी गयी है। आज के जमाने में इतनी राशि से किसी प्रकार से राहत नहीं मिल सकती और फिर प्रॉसीजर इतना पेचीदा है कि रिपोर्ट कराओ और

(श्री बिरदमल सिंघवी)

साधारण तौर पर आदमी जिसकी झोंपड़ी में आग लगती है उसको कई चक्कर काटने पड़ते हैं लेकिन इतने चक्कर काटने के बाद भी उन्हें राशि नहीं मिल पाती है। मोहनपुरा, बागावास में जो आग ढाणी में लगी उनको चक्कर काटने के बाद भी आज तक भी वहां राशि नहीं मिली है। इसी तरह से बाजवा में भी कुछ मकान कुम्हारों के जले थे उनको भी आज तक राशि नहीं मिली है। इस प्रकार से यह अग्नि काण्ड की राशि कम से कम उनको बिना पेचीदगी के थोड़ी सी रिपोर्ट लेकर और संक्षिप्त जांच करके वास्तव में क्या हुआ है राशि दी जाये और पूरी राशि दी जाये। आज के जमाने में उसका सारा कुछ जल जाता है, कुछ भी शेष नहीं रहता और उसको आप केवल 500 रुपया देते हैं यह बहुत ही कम है। इतना मैं निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि अकाल की राशि जो वास्तव में बहुत ही कम है उसके विषय में विचार करना चाहिए और अकाल कार्यों में मजदूरी कम से कम जो भी आपने देना तय की है वह लोगों को मिल जाये और बिना दिक्कत के मिल जाये, बिना अदालतों में शरण लिये मिल जाये इसकी व्यवस्था करनी चाहिये। आज उनके जो एरियर्स हैं जिसका मैंने आपसे निवेदन किया है उन लोगों को कोर्ट में जाना पड़ता है, मैंने तीन चार उदाहरण भी दिये हैं इस प्रकार से मजदूरों के साथ नहीं हो, इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री हेमाराम चौधरी। कृपया आप अपने निश्चित स्थान पर आकर कहें बात।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय सभापति महोदय, हमारी मीटिंग है और हमें जाना है। मुझे तो केवल दो तीन मिनट में कुछ बातें बतानी हैं। 6।। हो गये और बस हमको रवाना ही होना है।

श्री सभापति : नाम पुकार लिया है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : सभापति महोदय....

श्री सभापति : हेमाराम चौधरी.... आपस में बातचीत नहीं।....आर्डर प्लीज आर्डर....

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : माननीय सभापति जी....

श्री सभापति : वह बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए। आप भी बोलेंगे बाद में। स्थगन प्रस्ताव पर बोलेंगे आप। आपका नाम सूची में है।

श्री हेमाराम चौधरी।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढा मालानी) : सभापति महोदय, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने अकाल के बारे में मंत्रीजी का ध्यान बकाया मजदूरी के बारे में दिलाया है, मैं भी आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस वर्ष के अकाल राहत

(श्री हेमाराम चौधरी)

कार्यों पर लगे श्रमिकों की मजदूरी का मुगतान बाड़मेर जिले में जून माह का अभी बाकी पड़ा है और जुलाई का तो बाकी है इसके अतिरिक्त भी, समापति महोदय, गत वर्षों में जब-जब भी अकाल पड़ा और अकाल राहत के काम खोले गये उन कामों पर भी लगे श्रमिकों की मजदूरी आज दिन तक बकाया पड़ी है। समापति महोदय, इसके बारे में मैंने गत सत्र में भी यह मामला उठाया था और आज भी आपकेमाध्यम से मंत्री जी से यह विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल के समय में जिन लोगों ने अकाल राहत कार्यों पर काम किया उनकी मजदूरी उनको मिलनी चाहिए। इसके बारे में आप चाहे किसी भी तरह से व्यवस्था करें, किसी भी तरह से आपको इसके लिए अभियान चलाना पड़े लेकिन उनकी मजदूरी उनको मिल जानी चाहिए....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आपस में बातचीत नहीं....आर्डर प्लीज आर्डर....

श्री हेमाराम चौधरी : ....सभापति महोदय, मंत्री जी जब पिछली बार बाड़मेर पधारे थे और वहां पर अकाल राहत की जिला स्तरीय बैठक में भाग लिया था उस समय भी मैंने यही निवेदन किया था कि पिछले वर्षों के अकाल के समय में राहत कार्यों पर लगे श्रमिकों की मजदूरी आज दिन तक बकाया है और उसका भुगतान बराबर निवेदन करने पर भी नहीं हो रहा है। वहां पर जिला अकाल राहतदात्री समिति की बैठक में जिलाधीश महोदय ने मंत्री महोदय को स्वयं को बताया कि मजदूरों का एक भी पैसा बकाया नहीं है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो मुझे जानकारी है उसके अनुसार बाड़मेर जिले में आज भी 1 लाख 66 हजार के करीब का मुगतान मजदूरों को चुकाना बाकी है। इस तरह से पूरे राजस्थान के अन्दर इस तरह की मजदूरों की जिन्होंने अकाल राहत के कार्यों पर काम किया उसकी बाकी है और वह मजदूरी करीब 52 लाख रुपये बाकी है....

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : 82-83 की?

श्री हेमाराम चौधरी : नहीं, शुरू से आज तक की।

श्री सभापति : कौन से वर्ष की बाकी है मंत्री महोदय पूछ रहे हैं। माननीय सदस्य बतायें।

श्री हेमाराम चौधरी : एक पर्टीकुलर वर्ष की नहीं।

श्री देवीलाल : 82, 83, 84....

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप नहीं बोलें। इनको बताने दें।

श्री हेमाराम चौधरी : सम्वत् 2023 से लेकर इस वर्ष के अलावा यानि सम्वत् 2041 के अलावा पहले के जितने भी वर्ष हैं

(श्री हेमाराम चौधरी)

सभी वर्षों को मिलाकर इतनी मजदूरी बकाया है यह मजदूरी इसलिए रही कि जो अन्तिम सत्यापन काम के होते हैं या जो बीच में भी कुछ सप्ताह हो सकते है जब कि पैमेंट करने वाली एजेन्सी है वह मजदूरों की मजदूरी लेकर वहां जाती है और उस समय सभी मजदूर वहां उपस्थित मिलते नहीं हैं, क्योंकि अगर काम कन्टीन्यु होता है तो मजदूर सब मिल जाते हैं लेकिन काम बन्द होने के बाद या तो मजदूर किसी दूसरे काम पर चले जाते हैं या फिर और कहीं चले जाते हैं जिसके कारण से सभी मजदूर हाजिर नहीं होने से मजदूरों का भुगतान नहीं हो पाता और कई मजदूरों का अनपेड पेमेंट वापिस लौट जाता था। जो अनपेड पेमेंट एक बार वापिस लौट गया उसका फिर वापिस चुकारा करने के लिए प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की जिसके कारण से पेमेन्ट आज दिन तक अनपेड पड़ा है। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि आप राहत देना चाहते है तो आपके यहां पर उन्होंने काम किया और उसके बदले जो भी मजदूरी है कम हो या ज्यादा, लेकिन एक बार आप उनका भुगतान करवा दो क्योंकि यह मामला हर बार उठता है और आखिर इसका निपटारा भुगतान करने से ही होगा।

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले में कुल 496 गांव अकाल से प्रभावित हुए जिनमें 316 काम स्वीकृत किए गए और जिसमें से 266 काम प्रारम्भ किये गये जिनके ऊपर 27,960 लोगों को जून माह में रोजगार दिया गया। सभापति महोदय, मैंने एक प्रश्न भी पूछा और उस प्रश्न में मैंने यह पूछा था कि राज्य सरकार द्वारा, अधिकतम निर्धारित सीमा तक, वहां लोगों को काम पर लगाया या नहीं और नहीं लगाया गया तो क्यों नहीं लगाया गया। मुझे जवाब यह मिला है कि वहां पर श्रमिक उपलब्ध ही नहीं थे। जितने हमारे पास आये, जितने उपलब्ध हुए उतने हमने लगा दिये। सभापति महोदय, यह इस तरह का जवाब है। लेकिन लोग तो हमको काम के लिए परेशान कर देते हैं, सोने नहीं देते हैं और काम के लिए चक्कर काटते हैं। जब लोग वहां पर काम पर आने वाले नहीं हैं और जितने की जरूरत है उससे भी कम आने वाले हैं तो हम हमेशा यहां सैक्रेटेरियट में और मंत्री जी के यहां पर, रिलीफ डिपार्टमेंट के चक्कर क्यों काटते हैं। तो या हमारा ही दिमाग काम नहीं करता। तो, सभापति महोदय, जब हम यहां हमेशा चक्कर काटते हैं और इसलिए काटते कि पब्लिक परेशान है, जितने काम पर लगाना चाहते हैं उतने लगे नहीं हैं इसलिए हम लोग हमेशा यहां चक्कर काटते थे लेकिन जवाब इस तरह से दिया गया है कि वहां पर लोग काम पर नहीं आना चाहते हैं इसलिए निर्धारित सीमा जो राज्य-सरकार ने तय की कि हम अधिकतम मजदूर इतने जिले में लगायेंगे उतने भी नहीं लगाये गये। इस लिए, सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि इस तरह से जो भी सही स्थिति है वह बतानी चाहिए। अगर राज्य सरकार के पास

(श्री हेमाराम चौधरी)

संसाधन नहीं हैं, आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है तो बात स्पष्ट होनी चाहिए जिससे हम लोगों को यह बता सकें कि सरकार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह और ज्यादा काम खोल सके ज्यादा लोगों को लगा सके इसलिए जितने लग सकते थे या जितने काम खोल सकते थे उतने खोल दिये। इसके अलावा अब आप लोगों को और कहीं रोजगार ढूंढना पड़ेगा लेकिन, सभापति महोदय, जब स्पष्ट कोई जवाब नहीं मिलता तो लोग हमारे चक्कर काटते हैं और हम यहां चक्कर काटते रहते हैं और उसका कोई अन्तिम हल नहीं निकलता है। तो, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि इस वर्ष अकाल के काम खोले हैं और लोगों को रोजगार भी दिया गया है लेकिन जितने लोग काम पर लगाना चाहते थे उस अनुपात में लोगों को रोजगार नहीं मिला। आगे भगवान करे अच्छी बरसात हो और यह मुसीबत हम पर नहीं हो लेकिन फिर भी अगर मुसीबत आ आले तो उससे निपटने के लिये उचित इन्तजाम, पर्याप्त इन्तजाम पहले किये जाने चाहिये जिससे कि लोग हैं वे रोजगार के लिये भटके नहीं।

दूसरा, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक यह निवेदन और करना चाहूंगा कि पूरे जिले को रिलीफ डिपार्टमेंट ने एक इकाई माना और 60 और 40 के अनुपात में श्रम और सामग्री के हिसाब से काम स्वीकृत किये तो, सभापति महोदय, वहां पर जितने काम स्वीकृत हुए और आज तक जो खर्चा हुआ है, उसमें 80 प्रतिशत व्यय श्रम पर हुआ है और केवल 20 प्रतिशत सामग्री पर व्यय हुआ होगा। जितने भी काम हुए हैं ज्यादातर मजदूर लगाने के हिसाब से स्वीकृत किये गये हैं। हमने यह निवेदन किया कि कुछ ऐसे काम लिये जायें कि ठोस काम हों, पक्के काम हों, एक तरह से ऐसे काम हों जो लोगों को दिखें कि अकाल के अन्दर कुछ कामों का निर्माण हुआ और यह जनता के हमेशा काम में आयेगा। इस तरह के हमने कुछ पक्के कामों के सुझाव दिये स्कूल भवन, पटवार घर, सब-सैन्टर के भवन का निर्माण और उनको हमने यह भी कहा, हमने यह भी सुझाव दिया कि इसमें यदि जिले को एक इकाई नहीं मानते 60 और 40 के अनुपात से चाहेंगे तो हम उसके हिसाब से भी इसका करवा देंगे। इस 40 पर्सेन्ट से ज्यादा अगर सामग्री पर व्यय हो तो पंचायत वहन करने के लिए तैयार थी लेकिन फिर भी काम स्वीकृत नहीं हुआ और बहुत से पक्के काम जरूरी थे। जिस तरह से स्कूल हैं जहां पर छोटे-छोटे बच्चे सर्दी में, गर्मी में, बरसात में बैठने की व्यवस्था नहीं है यदि इस तरह के काम लिये जाते तो बहुत ही पक्के होते। इसलिये मैं यह चाहूंगा कि अगर भविष्य में कोई जरूरत पड़े तो इस तरह के कामों को आप अवश्य लें जिससे कुछ पक्के काम हों, उपयोगी काम हों, जनता कुछ कह सके कि यह हमारे अकाल के समय में ऐसे काम हुए, निर्माण हुए जो आज जनता के बराबर काम में आ रहे हैं। इसके अलावा, सभापति महोदय, यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि किस तरह मे पेयजल विकास के कामों को

(श्री हेमाराम चौधरी)

मद से जो नाडी के काम स्वीकृत हुए उसका पूरा का पूरा पैसा श्रम पर खर्चा हुआ। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह नाडी है इसमें खुदाई का काम होता है। इसमें कुछ नाडियां ऐसी होती हैं जिनमें यदि खुदाई करते जायें तो उसमें पानी की भराव की क्षमता बढ़ती जायेगी लेकिन कुछ ऐसे भी तालाब होते हैं जिनके नीचे का पेटा बड़ा कच्चा है और ज्यादा खोदने से पानी उसमें ठहर नहीं सकता। इसलिये यह जो तालाब हैं उनको सीमेंट से बांधने का काम राज्य सरकार को हाथ में लेना चाहिये। यदि वह पक्के सीमेंट से बांधे जायेंगे और वह 60-40 के अनुपात से हम चाहते हैं, जो राज्य सरकार की नीति है उसी अनुपात में हम स्वीकृत चाहते हैं अगर उसके हिसाब से स्वीकृति मिलती है तो उनके पेटे सीमेंट से पक्के जाते हैं तो पानी की जो मुख्य रूप से समस्या रहती है वह हल हो सकेगी। लेकिन इस तरह का कोई काम हाथ में नहीं लिया गया। इसलिये मैं यह आगे से कभी भी काम हाथ में लेने की जरूरत पडे तो आप ऐसे कामों को अवश्य हाथ में लें। दूसरा, सभापति महोदय, सड़कों के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप कुछ ऐसी सड़कों को हाथ में लें जिससे कि पक्की सड़कों का निर्माण हो सके वरना केवल उसके ऊपर अर्थ वर्क, मिट्टी का काम कराते रहे और उस पर थोड़ी बहुत जैसे ग्रेवल बिछाई का काम हो तो दो चार बार गाड़ी चलने से वह ग्रेवल रेत के नीचे मिल जाती है और वह सड़क बिल्कुल अनोपयोगी हो जाती है, इसलिये कुछ ऐसी सड़कों को हाथ में लेना चाहिये। पूरे जिले को 60-40 के अनुपात में आप एक इकाई मानते हैं तो इससे कुछ अच्छी सड़कें भी बनेंगी और हमारा यातायात है वह बढ़ेगा और आवागमन की सुविधा बढ़ेगी।

इसी तरीके से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ सड़कें अकाल राहत के तहत बनीं जिनके ऊपर मिट्टी डाल थी और मिट्टी डालने के बाद वापिस अच्छी तरह से कुटाई नहीं हुई या उसके ऊपर डामर नहीं हुआ तो वह सड़क जो पहले ग्रेवल सड़क थी उससे भी ज्यादा खराब हो गई। उसके ऊपर आदमियों का चलना सम्भव नहीं, जानवर भी उस पर चल नहीं सकता, गाड़ीवान का तो उसके ऊपर चलने का सवाल ही नहीं और अब यह हाल हो गया है, सभापति महोदय, कि इनके ऊपर न आदमी चल सकता है और न जानवर चल सकता है। साइड में खेत के जो मालिक हैं वह नहीं चलने देते क्योंकि उनके खेत से आलरेडी सड़क निकाली और पास में एक कच्चा रास्ता और निकालना चाहते हैं। जहां आप चलना चाहते हैं। जहां आप चलना चाहते हैं वह भी नहीं चलने देता इस तरह की मुसीबत हमारे यहां कई जगह पैदा हो गई है। इसलिए मैं चाहूंगा, मैंने पिछले सत्र में भी निवेदन किया था कि यह मिट्टी आपने डाल दी है इसकी आप वापिस अकाल में स्वीकृति देकर हटा लें या फिर उसके ऊपर ग्रेवल डालकर उसकी कुटाई कर ठीक करवा दें। दो सड़कों के लिये मैंने कटमोशन दिया चवा-बायतू एवं बायतू-सिवरी, आज

(श्री हेमाराम चौधरी)

वहां पर चलना मुश्किल हो गया है। इस लिये मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगा कि अकाल के तहत कुछ ऐसी सड़कें ली जायें जो पक्की हों। पिछले वर्ष के अकाल के तहत कुछ पक्की सड़कें हाथ में ली गई। पक्की सड़कों का काम हुआ और डामर की सड़कें बनी हैं गत वर्षों में इसलिये अब आप कुछ ऐसे काम लें जो अच्छे काम हों, मजबूत काम हों और पूरे जिले को जब आपने एक इकाई माना है उसमें वह 40 प्रतिशत से ज्यादा भी सामग्री पर खर्चा आ जाये तो कुछ दूसरे ऐसे काम हैं जैसे नाडी का काम है उसमें सामग्री का कोई खर्च है ही नहीं....

श्री सभापति : कृपया संक्षिप्त में कहें, रिपीट न करें।

श्री हेमाराम चौधरी : मैं आपकी मार्फत यह चाहता हूं, अब तो जो काम स्वीकृत होने थे वह हो गये, आगे से आप विशेष ध्यान रखें। मैं आपके माध्यम से पुनः मंत्री जी को इस बात के लिये निवेदन करना चाहूंगा कि पहले मजदूरों की मजदूरी जो बकाया है, इस साल की भी और इससे पहले की भी जो वर्षों से बकाया रही है, उसको आप किसी न किसी तरीके से, आपके पास अगर पैसों की कमी भी हो तो कहीं भी दूसरे मद से कम करके उनकी मजदूरी अवश्य चुका दें। वह हमेशा चक्कर काटते हैं। जब भी हम क्षेत्र में जाते हैं तो हमारे से पूछते रहते हैं कि उस वर्ष के फेमिन का पेमेंट रह गया उसका क्या हुआ? हम तो यही कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। अब वह भी कहते कहते थक गये हैं।

सभापति महोदय थोड़ा सा बाढ़ के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। हमारे वहां पर लूणी नदी:...

श्री सभापति : हां, कृपया जल्दी कह दें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय सदस्य, एक जानकारी देने का कष्ट करेंगे। बाड़मेर में जो पुरानी बकाया है, एन्टी-करप्शन में कुछ केसेज चल रहे हैं उसके अलावा भी बकाया है क्या?

श्री हेमाराम चौधरी : उसके अलावा है....

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : 1982-83 के जो केसेज चल रहे हैं, उसके अलावा कोई बकाया है क्या?

श्री हेमाराम चौधरी : उसके अलावा है....

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप सूची दे सकेंगे?

श्री हेमाराम चौधरी : अभी तो सूची मेरे पास नहीं है, मैं दे दूंगा।

श्री सभापति : मंत्री महोदय पूछ रहे हैं, जो एन्टीकरप्शन में केसेज पेंडिंग हैं

(श्री सभापति)

उसके सिवाय आपके पास कोई सूचि हो तो देने का कष्ट करें ।

श्री हेमाराम चौधरी : अभी तो सूची मेरे पास नहीं है वहां पर मैंने जिलाधीश को दे दी थी ।

श्री सभापति : बाद में दे दें मंत्री जी को....

श्री हेमाराम चौधरी : वहां पर उन्होंने मांगी थी उनको दे दी ।

श्री सभापति : आप बाद में दे दें, कोई बात नहीं ।

श्री हेमाराम चौधरी : एन्टी-करप्शन में जो केसेस हैं उनको आप रोक दीजिये, उनका मुझे पेमेंट नहीं करवाना है....

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, एक जानकारी चाहता हूं । आप वर्षों तक तय नहीं करें, मजदूर कोई मर गया, एन्टी-करप्शन में कोई गड़बड़ सिद्ध हो तो उसको आप सजा दें....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह तो पुराना मामला है....

श्री दिग्विजय सिंह : पुराना क्या....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जवाब देंगे मन्त्री जी....

श्री दिग्विजय सिंह : सिद्धांत का प्रश्न है, सभापति महोदय....

श्री सभापति : आप अभी बोलेंगे । तब आप कह देना अपनी बात ।

श्री मानिक चन्द सुराना : यह एन्टी-करप्शन के मामले माननीय सदस्य से सम्बन्धित नहीं है इसके अलावा....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मेरी जानकारी के लिए पूछा है....

श्री मानिकचन्द सुराना ; वह ठीक है । लेकिन 1982-83 के मामले अब तक नहीं निपटाये तो यह भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, यह गृह विभाग की जिम्मेदारी है, वह आप निपटायें । यह मेरा अलग से कहने का प्रश्न नहीं है....

श्री सभापति : नहीं, माननीय सदस्य आप ठीक कह रहे हैं । ए. सी. डी के मामले तो अदालत में पेन्डिंग होंगे ।

श्री मानिक चन्द सुराना : उसी सम्बन्ध में अर्ज कर रहा हूं ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य कृपया बोलें और संक्षेप में कह दें अपनी बात । यह सूची बाद में दे दें आप मन्त्रीजी को ।

श्री हेमाराम चौधरी : सभापति महोदय, एन्टी- करप्शन में जो केश इन्वाल्वड हैं उनमें मजदूरों की मजदूरी बकाया है उसके लिये नहीं कह रहा हूं। उसके अलावा कह रहा हूं और अगर वह भी मामला है तो उनका भी कोई न कोई निपटारा हो जाना चाहिये। उसका यह सोचना सही है कि उसका भुगतान मिलेगा या नहीं मिलेगा। इतने लम्बे समय से जो केसेज एन्टी- करप्शन में पेंडिंग भी हैं उनमें घोटाला तो है ठेकेदारों का और मजदूर बिना मतलब के मारे जा रहे हैं। उसमें भी वे किसी वजह से फंस गये ठेकेदारों की वजह से। उसको सजा मिल रही है तो मिले, उनके भी चंगुल में उनका कोई लेना देना नहीं है। कम में कम उनकी व्यवस्था कर दें। सूची तो मैंने वहां भी जिलाधीश कार्यालय में दी थी, कई बार दी है। आज भी मैं कह रहा हूं अगर इसमें कोई गलत हो मजदूरों की बकाया अगर एन्टीकरप्शन के अलावा नहीं हों, मैं गलत कह रहा हूं, तो मैं स्तीफा दे दूंगा।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : गलत की बात नहीं कह रहा हूं, मैंने तो सूची मांगी है।

श्री सभापति : मंत्री महोदय गलत होने की बात कह रहे हैं, आपसे सिर्फ सूची चाही है, आप सूची दे दें अगर आपके पास हो तो, नहीं तो बाद में दे दें।

श्री हेमाराम चौधरी : इसी तरह, सभापति महोदय, मैं बाढ़ के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। लूनी नदी बाड़मेर जिले के अन्दर से होकर निकलती है और 1979 में भयंकर बाढ़ आई थी। उसमें कई गांव, कई पशु, कई मनुष्यों की जानें उस नदी की बाढ़ की वजह से चली गई थी और कई गांव जो उस लूनी नदी की सीमा में आये हुए थे उनमें कइयों में तो 10-15 घर ही बचे थे। कई जगह पूरा का पूरा गांव उस बाढ़ की चपेट में आ गया था लेकिन जो भी पीछे बचे, किसी में आधा गांव बचा, किसी जगह पर 10-15 घर ही बचे। तो, सभापति महोदय, जो भी पीछे बचे उनके लिये आज दिन तक कोई काम नहीं हुए। इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ऐसे कार्यों को भी हाथ में लें।

श्री सभापति : शार्ट में कह दें।

श्री हेमाराम चौधरी : कुछ ठोकर बांधने का काम है। जैसे पूरा का पूरा गांव बसा हुआ है और उसके अन्दर एक ठोकर बांधने से बचाव हो सकता है तो जो इस तरह के काम हैं, उनको भी आप हाथ में लें तो जहां बिलकुल नदी की चपेट में आये हैं, उनका बचाव हो सकता है। उदाहरण के तौर पर गोरियंकलां, डेडावास, सिन्दास-वारनिया और नगर आदि, इन गांवों को बाढ़ से बचाने के लिये काम हाथ में लें। वैसी बाढ़ फिर आ गई तो जो आबादी अब वहां रही है वह भी वह जायेगी। सभापति महोदय, आज तक उनके बचाव के लिये कोई ठोस काम नहीं हुआ है।

श्री सभापति : शार्ट में कहिये कृपया।

श्री हेमाराम चौधरी : इसलिये मैं चाहूंगा कि इस तरफ आप विशेष ध्यान दें।

श्री सभापति : अपनी बात एक मिनिट में समाप्त कर दें, कृपया। काफी अच्छी-अच्छी बातें कह चुके हैं आप....

(व्यवधान)

श्रीमती हमीदा बेगम : माननीय सभापति महोदय, प्राकृतिक आपदा....

(व्यवधान)

खैर, राजस्थान में तो अकाल पड़ता ही पड़ता है। आप कैसे कह सकते हैं....

(व्यवधान)

आप कैसे कह सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, सभी सदस्य भी एक ही बात सरकार से निवेदन करना चाहते हैं। यह बकाया बाकी है या कुछ सुझाव हैं। सभी सदस्यों से आप निवेदन कीजिये कि सदन के समय का ध्यान रखें।

(व्यवधान)

श्री सभापति : वह अच्छा निवेदन कर रहे हैं और वह मेरी बात मान भी रहे हैं। आपके सुझाव का स्वागत है।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, यहां तो मेम्बरों का अकाल पड़ा हुआ है, कोई नहीं बैठा है।

श्री सभापति : माननीय देवीसिंह जी को मेम्बरों के अकाल की चिन्ता हो रही है।

श्री हेमाराम चौधरी : अग्नि काण्ड के बारे में माननीय सदस्यों ने काफी सुझाव दिये हैं। अग्नि काण्ड के मामले में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस मद के लिये, कहीं भी आग लग जाय, वह पैसा जिलाधीश को या पंचायत समिति को दे दे ताकि वे लम्प-सम, अधिकतम जो कुछ भी राहत तुरन्त दे सकें। आप यह अधिकार दे दें कि इससे ज्यादा नहीं करें, यानि इससे ज्यादा पेमेन्ट नहीं हो। अग्नि से जिसका नुकसान होता है वह महिनों-सालों तक ताकता रहता है और साल दो साल बाद उसको 500) रु. मिले तो उससे क्या होता है।

श्री सभापति : मंत्री जी बहुत जल्दी समझ जाते हैं बात को, आप जल्दी समाप्त करें। श्री यदुनाथ सिंह।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : सभापति महोदय, आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं....।

श्री मोहन छंगानी : भरतपुर भी अकाल की चपेट में है ?

श्री यदुनाथ सिंह : हां, राजस्थान का भाग है भरतपुर इसलिये....

(व्यवधान)

श्री सभापति : No interruption please.

श्री यदुनाथ सिंह : आज हम प्राकृतिक आपदाओं के बारे में विचार कर रहे हैं....।

श्री सभापति : प्राकृतिक आपदायें सबके लिये आती हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय, आज हम जिस मांग पर बहस कर रहे हैं वह इस राज्य के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है और महत्वपूर्ण बहस है क्योंकि यहां सदियों से अकाल पड़ता आया है। जब हम प्राकृतिक आपदाओं की बात करते हैं तो हमारा ध्यान अकाल पर जाता है मुख्य रूप से। बाढ़ कई वार आती है, बीच में कहीं आग भी लग जाती है लेकिन जो मुख्य समस्या इस राज्य की है वह अकाल की है और सेन्चूरीज का, शताब्दियों का हिसाब लगायें तो 17 तो इस शताब्दी में अकाल पड़ चुके हैं, 49 अभाव के वर्ष रहे हैं, यानि 15 वर्ष को छोड़कर लगातार राजस्थान और राजस्थान की जनता, यहां के मवेशी इस समस्या से ग्रस्त रहे हैं, पीड़ित रहे हैं, दुःखी रहे हैं।

आज की बहस में यहां यह भी कहा गया कि अकाल कहीं घोषित किया गया है तो कहीं घोषित नही किया गया है, कहीं पर मजदूरी दी गई है तो, कहीं पर मजदूरी नहीं दी गई है, कहीं मजदूरी कम दी गई है तो दो-तीन रुपये मजदूरी के दिये गये हैं कहीं 35 पैसा, कहीं 30 पैसा दिया गया है। यहां यह भी कहा गया है कि कहीं राजनैतिक कारणों से अकाल का काम शुरू किया गया है और कहीं राजनैतिक कारणों से अकाल घोषित नहीं किया गया है। यहां यह भी कहा गया कि कहीं पानी पहुंच गया है और कहीं पानी नहीं पहुंचा है। यहां यह भी चर्चा हुई कि कहीं भुगतान हुआ है और कहीं नहीं हुआ है। मैं इन बातों को दोहरा कर सदन का समय जाया नहीं करना चाहता हूं।

यह एक परिस्थिति है, जो भी कारण हो, इन कारणों को खोजना होगा और इन कारणों का निदान ढूंढना होगा। जो भी कारण हैं उनके ही परिणाम हैं कि हमारे यहां अकाल बराबर आ रहा है। सभापति महोदय, राजस्थान में आजादी के बाद से लगभग 700 करोड़ रुपया हम अकाल पर खर्च कर चुके हैं। यह सीधा सादा एडमिनिस्ट्रेशन पर अलग खर्चा होता है, पानी के लिये अलग खर्चा होता है, और समस्याओं के निदान के लिये अलग खर्च करना पड़ता है यानि भारी भरकम रकम इस राज्य के खजाने से हम अभी तक खर्च कर चुके हैं लेकिन अभी तक इन समस्याओं का निदान नहीं निकाल पा रहे हैं।

आप पानी की व्यवस्था टैंकरों से कर दें, आज चारा के आप डिपो लगा दें लेकिन मैं कहता हूं जड़ को ढूंढने की आवश्यकता है। यह कोई हमारा परमानेन्ट निदान नहीं है। इस जड़ को किस प्रकार से दूर किया जाय, इस बात पर गम्भीरता से विचार किया जाना आवश्यक है यानि राजस्थान

(श्री यदुनाथ सिंह)

में दो तरह की स्थितियां नजर आ रही हैं। सभापति महोदय, पिछले दिनों आपने भी अखबार में पढ़ा होगा एक करोड़ टन गेहूं हम विदेशों को एक्सपोर्ट करेंगे। कितनी विडम्बना है, कितने मजाक की बात है, कितनी तौहीन है इस देश की जनता की कि जिस देश में आधी जनसंख्या भूखे रह कर सोती हो वहां पर एक करोड़ टन गेहूं एक्सपोर्ट करें और वह भी किस स्थिति में। एक टन पर आपको 400) रुपये का लास उठाना पड़ता है यानि चार सौ करोड़ का लास उठाकर, नुकसान उठाकर बाहर गेहूं भेजने का काम करेंगे। दूसरी तरफ यहां पेट की अंतड़ियां हरी नहीं हो रही हैं, मवेशी भूखों मर रही हैं, जानवर भूखों मर रहे हैं तो जब हम अकाल पर बहस करते हैं तो मेरा ध्यान एकदम इस ओर जाता है कि अकाल का कारण क्या है? जो कुछ मैं देखता हूं उसका कारण मुझे यह नजर आता है कि अकाल की जड़ यहां के रेगिस्तान में है। रेगिस्तान के कारण यहां अकाल पड़ता है। हम इस रेगिस्तान को हरा-भरा बनायें, किस प्रकार का मैनेजमेंट हो, इसमें मेरा मानना है कि इतनी रकम यदि हम रेगिस्तान पर खर्च करते तो इस समस्या का कितना निदान होता। इसलिये सरकार इस पर पुर्नविचार करके कोई नीति का निर्धारण करें।

सभापति महोदय, दुनिया में सदैव अकाल पड़ते आये हैं। एक अकाल तो होता है सहारा का जो प्राकृतिक डेजर्ट है, रेगिस्तान है वहां होता है जहां एरिड जोन है जहां पर 100 मिलिमीटर से कम वर्षा होती है लेकिन आज जो रेगिस्तान हमें बढ़ते नजर आ रहे हैं, बनते नजर आ रहे हैं ऐरिड जोन और सेमी एरिड जोन उसमें 80 परसेन्ट भूमि आज रेगिस्तान में चलती चली जा रही है। यह हिन्दुस्तान की समस्या नहीं है, हिन्दुस्तान भी एक भाग है और करीब 180 देश इससे पीड़ित हैं जिसमें 80 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन जा रही है। अगर प्राकृतिक रेगिस्तान है तो वह एरिड जोन में होनी चाहिये जहां 100 मिलिमीटर से कम वर्षा होती हो। सभापति महोदय, लेकिन आज हमें रेगिस्तान सेमी एरिड जोन में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बनते हुए नजर आ रहे हैं। सभापति महोदय, रेगिस्तान बनने के बहुत से कारण हैं। जहां हम आज राजस्थान के रेगिस्तान में रहते हैं वहां अभाव और अकाल की स्थिति नजर आ रही है। आज से 1300 वर्ष पूर्व इन्डस सिविलाइजेशन रहती थी। पिछली बार बहस चली थी, स्टडी भी हुई और उस स्टडी का नतीजा यह है कि यहां पर मैन मेड रेगिस्तान है, मनुष्य ने रेगिस्तान को पैदा किया है। यह रेगिस्तान प्राकृतिक रेगिस्तान नहीं है। जब इसको मनुष्य ने पैदा किया है तो मनुष्य ने किस प्रकार से पैदा किया है, इसको मैं पांच मिनट में अर्ज करने की कोशिश करूंगा।

(7.00 रात्रि)

दो तरफ का रेगिस्तान है। आप ईजराईल और इजीप्ट का नजारा देख

(श्री यदुनाथ सिंह)

लीजिए। दोनों एक ही रेगिस्तान के भाग हैं लेकिन इजराइल आपको हरामरा नजर आ रहा है लेकिन इजिप्ट में बिल्कुल बर्बादी, तबाही नजर आती है वहां पर कई तरह के साधन जुटाये गए। तो इसलिए जब कि हम रेगिस्तान के उपचार की बात कर रहे थे, सुबह जब इसका प्रश्न था, मुझे आश्चर्य है और खेद है कि राज्य सरकार की कितनी उदासीनता है, इनकी एमेजिनेशन नहीं है। कोई इमेजिनेशन नहीं है, इनको पता नहीं है कि कितना पैसा खर्च करना है। तो सभापति महोदय, रेगिस्तान क्यों बनता है जब तक हम इन सवालों का हल नहीं ढूंढेंगे जब तक हम रेगिस्तान को नहीं रोक पायेंगे, इन सवालों का उत्तर नहीं आएगा। आज यह प्रश्न नहीं है, सुबह कहा गया कि रेगिस्तान नहीं बढ रहा है, स्टडी कर रही है। रेगिस्तान नहीं बढ़ रहा है यह सवाल नहीं है, रेगिस्तान जहां पर नहीं बढ़ रहा है वहां के पड़ौस की भूमि रेगिस्तान बन रही है कि नहीं बन रही है। वह क्यों बन रही है, उसके कुछ कारण हैं। कुछ मोटे-मोटे कारण आपके सामने पेश करना चाहूंगा और उन्हीं में से उनका हमें निदान भी ढूंढना पड़ेगा।

सभापति महोदय, सबसे बड़ा कारण रेगिस्तान के फैलने का पेड़ों की अन्धाधुन्ध कटाई और वेजिटेशन की कटाई है। पेड़ों की अन्धाधुन्ध कटाई कई कारणों से हुई। पेड़ों की अन्धाधुन्ध कटाई इस कारण से भी हुई कि गांव के आदमी की फ्यूल है वह किसी खास पेड़ से निकलती है, लकड़ी से ही निकलती है। टिम्बर की जरूरत पड़ी बढ़ती हुई जनसंख्या की जरूरत को पूरा करने के लिए पेड़ अन्धाधुन्ध कटते चले गये और जो वहां पर झाड़ियां थीं वह कटती चली गई। दूसरा कारण है, सभापति महोदय, कि जब हम रेगिस्तान की बात कर रहे हैं, रेगिस्तान बनने का एक कारण यह भी था कि वहां पर अधिक अन्न, अधिक फूड प्रोडक्शन के कारण भी रेगिस्तान पैदा हुआ है। जब तक बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अन्न को हम और ज्यादा खोज करने लगे तो और ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए उसमें करने लगे। ज्यादा पैदावार उस जमीन से लेने लगे। नतीजा यह हुआ कि उसके लिए कैपिटल इन्टेंसिटि बढ़ी। कैपिटल इन्टेंसिटि बढ़ती गई उसमें ट्रेडीशनल फार्मिंग को छोड़ते गए और अब तो मैकेनाइज्ड फार्मिंग शुरू हो रहा है और उसके रहते हो क्या रहा है? जमीन पर ट्रैक्टर चलाने के लिये पेड़ काटने पड़ते हैं। ट्रैक्टर चलाने के लिए जो झाड़ियां हैं वह आपको काटनी पड़ती हैं। ट्रैक्टर चलाने के लिए आपको जो ट्रेडीशनल वेजीटेशनल है वह आपको काटना पड़ता है। उसके रहते जमीन में फिर इरोजन शुरू हो जाता है। जमीन में से पार्टिकल्स वहां से उड़ना शुरू हो जाते हैं। जमीन की ज्यादा गहराई तक ट्रैक्टर जुताई करते हैं उसके कारण से जमीन का वहां से उड़ना शुरू हो जाता है। पार्टिकल्स थे छोटे-छोटे उपजाऊ वह पार्टिकल्स वहां से उड़ कर चले जाते हैं परिणाम यह होता है कि वहां पर जो घासफूस उगता था वह घासफूस उगना बन्द हो जाता है। सभापति महोदय, एक इसका कारण यह भी रहा कि

(श्री रघुनाथ सिंह)

जब सूखा पड़ा, कभी अकाल की स्थिति आती रही, जनसंख्या बढ़ती गई तो जब अकाल पड़ा ग्रेजिंग फील्ड्स कम होते चले गए, तब मवेशियों के दूध कम देने से प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लोगों ने और मवेशी रखना शुरू कर दिया, यानि एक आदमी के पास कितना दूध पैदा हो। अपनी इकोनोमी को सुधारने के लिए उसने और मवेशी पर मवेशी रखना शुरू कर दिया और जो आज पश्चिमी राजस्थान दिख रहा है, सभापति महोदय, हर्ड के हर्ड लोगों के पास हैं लेकिन जब उनका उत्पादन देखते हैं तो उत्पादन थोड़ा होगा। यानि वह अपनी इकोनोमी को ठीक करने के लिए, अपना पेट पालने के लिए ज्यादा से ज्यादा पशु रखने का काम करने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि वह ग्रेजिंग ग्रास जो थी, ग्रेजिंग लैंड जो थी उस पर ज्यादा प्रेशर पड़ा और उसके रहते घासफूस खत्म हुआ। जमीन नंगी हो गई और नंगी होने से फिर इरोजन शुरू हुआ। यह एक कारण है, सभापति महोदय।

अभी चर्चा चल रही थी कि राजस्थान कैनाल की। अभी पिछले दिनों जब इर्रीगेशन के डिमाण्ड चल रही थी तो राजस्थान कैनाल मंत्री ने यह कहा था कि जो योजना राजस्थान कैनाल की बनाई है हम उस पर पुर्नविचार करेंगे? रेगिस्तान बनने का एक बड़ा कारण, सभापति महोदय, एक और भी है। जब इर्रीगेशन मैनेजमेंट जो हमारा गड़बड़ हो जाये यानि कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जब बड़ी बड़ी योजनायें बनती चली जा रही हैं, बड़े-बड़े डैम बनाते चले जा रहे हैं, उनमें से दस बीस पचास साल के लिए हमें पैदावार देश में होती नजर जरूर आती है लेकिन धीरे-धीरे वहां जमीन में वाटर लोगिंग शुरू होती है। वाटर लोगिंग शुरू होता है तो सैलेनिट शुरू होती है। फिर अलकाइन लैण्ड होती है, उसमें हम फर्टीलाईजर डाल कर पैदावार जमीन की बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उससे साल्ट ऊपर आता है और जमीन तबाह होती चली जाती है। हमारे यहां तो यह चर्चा चल रही थी, सुबह जब पेड़ों की बात चल रही थी, रेगिस्तान की बात चल रही थी तो हमें संकेत मिलने लगे हैं सिरोही जिले में, अजमेर जिले में, जयपुर जिले में कि हमें रेगिस्तान नजर आने लगा है। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि हम रेगिस्तान के ऊपर इतना खर्च करते जायं कि अकाल पर इतना खर्च करें, डजर्ट डवलपमेंट पर इतना खर्च करें और जो रेगिस्तान है उसको हम रोक नहीं पायें। इससे अकाल की जो समस्या है उसका परमानेंट निदान नहीं हो पायेगा। इसलिए हमें नीतियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। सुबह यह भी कहा गया कि यह योजना है डजर्ट डवलपमेंट की, डजर्ट एरीडिकेशन की यह कोई राज्य सरकार अपने बलबूते पर चला पाए यह सम्भव नहीं है। इसलिए इसको राष्ट्रीय और माननीय समस्या मान कर हमें यहां पर प्रस्ताव पास करना चाहिए, संकल्प पास करना चाहिए सदन से कि केन्द्रीय सरकार इसके लिए शत प्रतिशत सहायता दे। पिछले दिनों तक शत प्रतिशत सहायता भी मिल रही थी लेकिन

(श्री यदुनाथ सिंह)

पता नहीं राज्य सरकार की किस कमी के कारण पचास-पचास का रेश्यो हो गया। सभापति महोदय, जब राजस्थान कैनाल की हम आगे योजना बनाने की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना होगा कि वहां का इतिहास क्या था? वहां की किस तरह की परिस्थितियां थीं। जमीन कैसी है। क्योंकि आज सुबह भी राजस्थान कैनाल के विषय में एक प्रश्न का जवाब आया था। राजस्थान कैनाल में वाटर लोगिंग शुरू हो गया, से-लाईन शुरू हो गई है और जहां पर इर्रीगेशन इर्टेसिटि ज्यादा है, जैसे पंजाब की नजीर लीजिए आप, वहां पर हण्ड्रेड, पट्टी परसेन्ट इर्टेसिटि है वहां की जमीन का वाटर लेवल इतना ऊंचा आ गया है कि वहां पर वाटर लोगिंग शुरू हो गया है। वहां पर जमीन से पैदावार गिर रही है, प्रोडक्शन गिर रहा है जमीन की। प्रोडक्शन आप बढ़ा लें भले ही फर्टीलाईजर से, आर्टिफिशियल से बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए जो हमें पाश्चर लैण्ड के रूप में, ग्रेजिंग लैण्ड के रूप में क्योंकि यह जमीन है एग्रीकल्चरल के लिए, एग्रीकल्चर के दोहन से जो जमीन आपको दस पांच साल के लिए हरी भरी नजर भले ही आ जावे, उसमें से पैदावार ले लें, लेकिन अल्टीमेटली जमीन इरोजन की तरफ जाएगी। साल्टी होगी। वहां पर इरोजन शुरू होगा। इसलिए इस जमीन की राजस्थान कैनाल के प्रोजेक्ट को हाथ में लेते टाइम हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि इन सारी बातों को ध्यान में रख कर हम अपनी योजनाओं में जितना जरूरी हो परिवर्तन करें।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा नहीं कह कर इतना और कहना चाहूंगा, प्राकृतिक आपदाओं में एक आग का प्रावधान होता है। आग जो लगती है, कितना लम्बा प्रोसीजर है। प्राकृतिक आपदायें धीरे-धीरे आती हैं, आग लगने की आपदा जो एकदम आती है, आग लगी सब कुछ स्वाहा, तहत नहस हो जाता है लेकिन उसकी सहायता पहुंचाने के लिए एक तो उसमें मद बहुत कम हैं। बहुत कम पैसा उसमें मिलता है। दूसरा इतना लेंदी प्रोसीजर है, पटवारी लिखेगा, पटवारीजी की सेवा करनी पड़ेगी, फिर तहसीलदार साहब के पास जाएगा, बीच में गिरदावर साहब आ गए तो वह भी वह भी आयेंगे, फिर एस. डी. ओ. साहब के पास जाएगी, फिर कलेक्टर साहब के पास जायेगी। उसको इमीजियेट रिलीफ की जरूरत है, इसलिए कानून में परिवर्तन किया जाय। आग से जो भी तबाही होती है उसके होते ही उसको सहायता मिलनी चाहिए और समुचित मिलनी चाहिए।

सभापति महोदय, प्राकृतिक आपदाओं में एक बाढ़ का काम भी आता है। मेरे यहां अक्सर बाढ़ आती है और मैं चाहता हूं कि मेरे यहां बाढ़ आती रहे। क्योंकि यहां बैठने वाले लोगों को लगता होगा कि ईस्टर्न राजस्थान में कोई अकाल नहीं पड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अस्सी परसेन्ट अण्डर ग्राउण्ड वाटर भरतपुर में, अलवर में, सवाई माधोपुर में और इससे लगे हुए क्षेत्र में धौलपुर में सेलाईन है।

(श्री यदुनाथ सिंह)

यानि और वहां पानी नहीं आएगा तो वाटर टेबल भी पानी ऊंचा करने का काम करता है। और अब पम्पिंग हम अन्धाधुन्ध कर रहे हैं। जमीन में से जब पानी को खूब खेंच रहे हैं, कई रिपोर्ट्स आई हैं, कई मैग्जीन्स में वह रिपोर्ट छप चुकी हैं कि ओवर पम्पिंग से, ओवर उसके एक्सप्लोयेटेशन आफ अण्डर ग्राउण्ड वाटर से वाटर टेबल पूरे नोर्दन इण्डिया मे, कहीं-कहीं तो छः छः मीटर नीचे जा रहा है। उसका नतीजा क्या होगा कि नीचे पानी फिर सैलाईन होगा। उस पानी को फिर पम्प करके जमीन पर डालेंगे और वह रेगिस्तान में धीरे धीरे दस बीस पच्चीस पचास साल में परिवर्तित होता जायेगा। तो हमें सारे वाटर मैनेजमेंट को किस प्रकार से देखना है, एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट को किस प्रकार से देखें, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उसमें बहुत से कड़ुवे डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे। यानि राजस्थान कैनाल में जो यह छोटा सा एरिया है, यह देश का भाग है, राजस्थान के परिपेक्ष में मत देखिये उसको। यह जरूरी नहीं है कि इसमें आप जमीन अलाट कर दें सब को, पंजाब से आदमी आ जायं, हरियाणा से आदमी आ जायं यू. पी. से आ जायं, दूसरे राज्यों से आकर बस कर वहां पर भीड़ इकट्ठी कर दें। जमीन को बर्बाद और तबाह करने का काम करें। रखिये आप इसको सरकारी जमीन। डवलप कीजिए इसको चरागाहों में। ज्यादातर इसको अलाट मत कीजिए। क्या जरूरत है करने की? तो हमारे यहां भी, सभापति महोदय, जमीन में पानी बिल्कुल नीचे जा रहा है। गांव गांव में पीने के पानी की दिक्कत हो रही है। कड़ुवा पानी है, सैलाईन पानी है, उस ओर भी ध्यान देने का काम करेंगे। और जो कुछ कहा है बहुत जरूरी है। इतने समय बाद आज तक जितना कर पाये हैं उसको पूरा करने का काम करेंगे।

हमारे यहां बाढ़ आती है, मजाक क्या होता है। पिछले दिनों आपको स्मरण होगा, एक तरफ भगवान की कृपा हुई बाढ़ आई और दूसरी तरफ लोग गुलछर्रे उड़ाते और मौज करते हैं। पिछले दिनों जयपुर में बाढ़ आई जयपुर बर्बाद हुआ, तबाह हुआ। जयपुर की तबाह नहीं हुआ, बहुत दूर दूर तक गांवों की जमीन और दूर दूर तक एरिया भी बर्बाद हुआ। 43 करोड़ रुपये केन्द्र से सहायता मिली, 25 करोड़ रुपये जयपुर पर खर्च हुए। किस पर, सड़कों के निर्माण पर और नालियों को ठीक करने के नाम पर। हालत देख लीजिए किसी से छिपी नहीं है। सबके सामने है कि बरसात से तहस नहस हो गयीं। तो अब बहुत से राजनैतिक कारणों से किसी मन्त्री का भाई उसमें ठेकेदार बनता है, मन्त्री के भाई का टिकट कट जाता है लेकिन उसी भाई को मिल जाता है जो काम कराता है। इस तरह की एक असमंजस की स्थिति इस देश में बनी हुई है। आपको ज्यादा नहीं कहना चाहता....

श्री सभापति : शार्ट में ही कह दें।

श्री यदुनाथ सिंह : सेक्रेटियेट के सामने ही मैं समाप्त ही कर रहा हूं। मेरा समाप्त ही हो गया है । सेक्रेटियेट के सामने इतने बढ़िया बढ़िया पत्थर लगे हुए थे उन पत्थरों को तो उठा ले गये और वहां पर दूसरा काम शुरू कर दिया। तो इस तरह से बर्बाद नहीं हो । जो पैसा मिले, यह प्रकृति प्रकोप है, इस पैसे को खर्च करने में सरकार और सरकार के अधिकारीगण और जो भी इसमें इन्वाल्वमेन्ट रखता हो, आम जनता का इन्वाल्मेन्ट लेकर इसका दुरुपयोग नहीं हो उस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं इतना ही कहते हुए, आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद ।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री पोकर लाल ।

श्री बहादुर सिंह : सभापति महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है। मेरे कट मोशन भी है ।

श्री सभापति : हां, है आपका नाम । अभी सब के नाम आ रहे हैं ।

श्री बहादुर सिंह : आपने पहले भी फरमाया था ।

श्री सभापति : ऐसा है क्रमशः सब के नाम आ रहे हैं। श्री पोकर लाल ।

श्री बहादुर सिंह : क्रमशः सब के नाम तो आ रहे हैं लेकिन मेरा स्थगन प्रस्ताव है, साहब । मुझे दो मिनट का तो मौका दीजिए। बांसवाड़ा से कोई माननीय सदस्य बोलने वाला नहीं है यहां ।

श्री सभापति : आपके दल की ओर से लोग बोले ही हैं इसलिए ऐसी क्या बात है। आप भी बोलेंगे ।

श्री बहादुर सिंह : नहीं, दल की ओर से बोले हैं । माननीय सभापति महोदय, पेयजल की बात करने वाला कोई नहीं है।

श्री सभापति : आप जरूर बोलेंगे । अभी क्रमशः आपका नम्बर आयेगा । श्री पोकर लाल कृपया बोलें ।

श्री पोकर लाल परिहार (देसूरी) : माननीय सभापति महोदय, जैसा कि मांग संख्या 34 पर मैंने भी कट मोशन दिया है उसके लिए मैं अपने विचार प्रकट करूंगा। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मन्त्री जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने मेरे क्षेत्र में अकाल राहत के काफी काम शुरू करवाये हैं। सबसे पहले जब हमारे विधायक दल की मीटिंग हुई थी तब हमने सबसे पहले अकाल राहत मन्त्री जी से निवेदन किया था कि हमारे क्षेत्र में अकाल की स्थिति है इसलिए वहां पर वसूलियां रोकी जाये, हमारी इस बात को मन्त्री महोदय ने माना और इसी सप्ताह सारे राजस्थान में जहां अकालग्रस्त गांव घोषित हैं वहां कोआपरेटिव सोसायटीज की वसूलियां रोकी गयीं मगर उनमें कुछ बातों की कमी रह गयी। जो गांव अकालग्रस्त घोषित हैं उन्हीं गांवों में

(श्री पोकरलाल परिहार)

यह वसूलियां रोकी गयी हैं। मतलब यह हुआ कि बाकी लोगों को उसका फायदा नहीं मिल सका। होना यह चाहिए था कि अकाल की स्थिति जिन गांवों में है उन सब गांवों की अकाल की स्थिति को देखते हुए, माननीय सभापति महोदय, उन सब जगह यह वसूलियां बन्द होनी चाहिए थीं। मगर यह अकाल की एक तो इसमें भूल हमारी यह भी रही कि पटवारी लोगों ने जो लिस्ट बनायी, गिरदावरी के वक्त बनायी और गिरदावरी के आधार पर ही मतलब तहसीलदार के जरिये कलेक्टर साहब के पास लिस्ट आयी और वही लिस्ट है जो आगे एप्रूव हुई तो उतने ही गांव अकालग्रस्त घोषित हो गये। होना यह चाहिये था कि स्थिति को देखते हुए पूरे जिलेवाइज अकालग्रस्त घोषित करते तभी अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिल सकता था।

दूसरी बात यह कि पहले काम के बदले अनाज योजना जनता पार्टी के टाइम में चलायी थी तो उसमें जनता पार्टी के टाइम का काफी लोगों को अनाज भी नहीं मिल सका। अभी भी हम यह शिकायत सुन रहे हैं कि जनता राज के समय का हमारा अनाज बाकी है। मैंने कहा-भई, बाकी है वह तो जनता राज में खा गये अब तो हमारे टाइम का कोई बाकी है तो उसके लिए हम मन्त्री महोदय से निवेदन कर सकते हैं....

एक माननीय सदस्य : पुराना हिसाब निकाला है।

श्री पोकर लाल परिहार : हमारा कहीं गेहूं बाकी है पुराने हिसाब से, जहां भी हम क्षेत्रों में जाते हैं तो हमारे सामने हिसाब पेश कर देते हैं कि हमने काम किया था, मीटिंग होती थी सड़कों पर काम किया था तो हमारा गेहूं बाकी है। उसके लिए हम यही कह सकते थे कि जनता पार्टी वालों की बात जनता पार्टी वालों के साथ गयी। उन्होंने जितना भी काम किया, जितनी भी गड़बड़ियां की उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं।

दूसरी बात, कोआॅपरेटिव सोसायटियों की वसूलियां अभी भी गावों में चल रही हैं। उसके लिए कम से कम यह हमारा निवेदन है कि उनमें सख्ती नहीं वर्ती जावे और उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जावे क्योंकि अकाल की स्थिति है। इसलिए अकाल की स्थिति को देखते हुए उनमें जहां अकालग्रस्त गांव घोषित हैं वहां तो वसूलियां बन्द हो गयी हैं मगर अन्य गांवों में जहां अकालग्रस्त घोषित नहीं हो सके हैं वहां वसूलियों में कुछ नर्मी बरती जावे या कुछ समय के लिए उसको ढील दी जावे। अकाल की स्थिति को देखते हुए हमारे क्षेत्र में पशुओं के चराने की भी काफी समस्या है। चारा कम पड़ गया है इसलिए जिलाधीश महोदय से भी मैंने आज कहा है कि हमारे वहां चारे की व्यवस्था की जावे। इसके लिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से भी यह कहूंगा कि हमारे क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्र में, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की जावे। अकाल राहत के समय हमारे आसपास के गांवों में जो जवाई नहर के पास में गांव हैं

(श्री पोकरलाल परिहार)

वहां अकाल के समय में तालाबों में पानी भी दिया जाता था, मगर यह परिपाटी चल रही है पुरानी, जिसमें तब्दीली करने की जरूरत है। वह यह है कि जवाई नहर जब कच्ची थी उस समय यह व्यवस्था थी कि 5 किलोमीटर तक के आसपास के गांवों को पानी नहीं दिया जाता था उसका कारण यह था कि 5 किलोमीटर तक वह पानी इफेक्ट करता था जमीनों में और कुओं में पानी पहुंच सकता था। मगर अब चूंकि यह नहर पक्की हो गयी है, सीमेण्ट की बना दी है, अब वह पानी जमीन में रुकता कम है इस लिए वह 5 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें संशोधन करके पास वाले गांवों में जब अकाल की स्थिति हो और तालाब में पानी की जरूरत हो तो पेयजल के लिए, पशुओं के लिए, पानी की जरूरत पड़ती है तो उनमें इस व्यवस्था को संशोधित किया जाय।

अभी अकाल के समय में विशेष रूप से इसके ऊपर वन विभाग एम्फेसाइज करता है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए मगर उसके उल्टे होता यह है कि हमारे देसूरी क्षेत्र में अरावली पर्वत पर वनों की भयंकर कटाई चल रही है और जिसमें वन विभाग के कर्मचारी भी उसमें शामिल बताये जाते हैं उसके लिए हमारे प्रधान, देसूरी के प्रधान ने यह अखबार में भी निकाला था कि वनों की, जंगलों की कटाई को रुकवाया जाय। बाद में भी यह सुनने में आया कि जब उनकी शिकायतें हमने और हमारे वाली क्षेत्र के विधायक महोदय ने मिल करके शिकायत की तो प्रधान ने मिल करके उनके वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ ब्लैक मेल करना शुरू कर दिया और उनके बचाव में लग गये और कहा कि यह तो अखबार वालों ने झूठी खबर निकाली है। मगर वास्तविकता यह है कि हम वनों की कटाई को नहीं रोकेंगे तब तक यह मानसून बरसात के लिए नहीं बनेगा और मानसून को बनाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने की भी आवश्यकता है। तभी हमारे यहां रेगिस्तान कम होगा और पेड़ों के जरिये ही मानसून बनेगा और अकाल की स्थिति दिनों दिन कम हो सकती है। इसके लिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर वृक्षों की रक्षा और वृक्ष लगाने के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय और वनों के अन्दर जो अवैध कटाई हो रही है उसको रोका जाय।

वनों के अन्दर कई बार आग लगती है, प्रकृति की तरफ से या बांस आपस में टकराने से आग पैदा हो जाती है। कई बार वन विभाग के कर्मचारी भी उसमें उनको बहाना ढूंढना पड़ता है पेड़ काटने के लिए, वह यह कहते हैं कि आग बुझाने के लिए आगे वाले पेड़ काट रहे हैं तो इस बहाने भी काफी पेड़ काट काटकर जंगलों से भेजते हैं और ट्रक के ट्रक पकड़े गये हैं और उनको त्रिपाल उढ़ा करके ट्रकों को निकाल देते हैं। इस तरह से काफी हमारे अरावली वनों से बेचे जा रहे हैं जिसमें वन कर्मचारी भी शामिल हैं। उस सम्बन्ध में विशेष रूप से ध्यान दिया जाय। दमकल विभाग की भी

(श्री पोकरलाल परिहार)

कई बार यह शिकायतें आयी हैं इसके ऊपर भी माननीय मन्त्री महोदय जी से मैं निवेदन करूंगा कि कई बार जब आग लगती है, जैसे हमारे गांवों में गेहूं की कटाई के समय ट्रैक्टर से गेहूं अनाज निकालने का काम करते हैं उस समय उसमें कई बार ट्रैक्टर से आग भी लग जाती है और इस तरह से इम्मीडिएटली उनको दमकल विभाग की जरूरत पड़ती है। तो वहाँ जब खबर मिलती है उस समय वहां दमकल की गाड़ियां उपलब्ध नहीं होती हैं और उसके दो तीन दिन बाद में वह पता लगाते हैं कि वह आग कहां लगी थी ! बाद में पता नहीं वह किस लिए पहुंचते हैं इसलिए यह इस तरह की तुरन्त कार्यवाही करने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए।

इसके साथ ही साथ अब अकाल की स्थिति थी तो प्रकृति ने हमारी सुनवाई की, मानसून शुरू हो गया है और बरसात बढ़िया होगी इसलिए उम्मीद करते हैं। फिर भी इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इससे बाढ़ की भी स्थिति पैदा हो सकती है तो बाढ़ के उपाय पहले से किये जावें। हमारे क्षेत्र में, देसूरी क्षेत्र में मुझे याद है कि 1971 की जो बाढ़ आयी थी तब हजारों की तादाद में लोग उसमें बह गये थे और जानवरों की तो गिनती ही नहीं आती थी इतनी पशुधन की हानि हुई। इस तरह की स्थिति को देखते हुए बाढ़ से बचाव की पहले से व्यवस्था की जावे। पानी से नुकसान होता ही है इसलिये बाढ़ बचाव के उपाय विशेषतया जन-धन की सुरक्षा के बन्दोबस्त पहले किये जायं।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहूंगा। अकाल राहत के कार्यों में लोगों की जो मजदूरी बकाया है, अभी अकाल के तहत, जो काम हुए हैं सड़क के फेमिन में, मजदूरों का काफी जगह पेमेन्ट बकाया है। ज्यादा शिकायतें नहीं हैं, छुटपुट घटनाएं हैं जहां ओवरसियर वगैरह ने गड़बड़ी की है। जिन लोगों के पेमेन्ट नहीं हुए हैं उनकी जांच करा कर उनको पेमेन्ट कराने की व्यवस्था करें ताकि यह शिकायतें हमारे पास में नहीं आवें।

अकाल राहत कार्य के लिये विशेष रूप से जो मस्टर रोल बनाते हैं ये गड़बड़ी करते हैं, इसकी जांच करायी जाये। मस्टर रोल की कई जगह यह भी शिकायत आई है कि जो मजदूर वहां काम नहीं करते हैं और अकाल राहत से सम्बन्धित पी. डब्ल्यू. डी. के कर्मचारियों के घर पर काम करने वालों के नाम भी मस्टर रोल में जोड़ दिये जाते हैं, इसके लिए भी जांच की व्यवस्था करनी चाहिये।

अन्त में मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र में अकाल राहत के काम इस साल जितने हुए हैं, पहले से काफी ज्यादा हुए हैं। कुल मिलाकर देसूरी में 16 लाख 80 हजार रुपये जो लगाये गये हैं उसके लिये मैं माननीय मंत्री महोदय को हार्दिक बधाई दूंगा।

श्री सभापति : धन्यवाद दे दीजिये। धन्यवाद दे दीजिये।

श्री पोकरलाल परिहार : इसके लिये मैं माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि हमारे क्षेत्र देसूरी में सबसे ज्यादा पैसा लगाया। हमारे पास के क्षेत्र पाली की अपेक्षा देसूरी क्षेत्र में अकाल राहत के काम ज्यादा से ज्यादा शुरू करवाये इसके लिये मैं मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद।

जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री दिग्विजय सिंह।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : सभापति महोदय, अकाल और प्राकृतिक विपदा पर आज चर्चा हो रही है। सबसे पहले मैं माननीय मंत्रीजी का इस बात के लिए सौभाग्य समझता हूं कि आज और दो दिन से राजस्थान में अच्छी बारिश हुई है यह उनके लिए सौभाग्य की बात है। कुछ ज्यादा बौछार विधान सभा में होती लेकिन बाहर अच्छी बौछार हो गई तो उससे वह बच गए। इसके लिए बधाई के पात्र आप नहीं हैं, भगवान की कृपा हो गई। आपके भरोसे तो राजस्थान में पता नहीं क्या हाल होता, यह तो भगवान ने बचाया है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप भी तो चाहते थे।

श्री दिग्विजय सिंह : अपन सभी चाहते थे।

श्री सभापति : बधाई तो आपस में एक दूसरे को दे लीजिए, कोई बात नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह : सबके सामने दूंगा। हमारी आप जैसी आदत नहीं है चुपचाप में बातें करने की।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इसका मतलब करते हो, आप सफाई दे रहे हो, इसका मतलब करते हो।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रहा था कि अकाल की जो समस्या है, राजस्थान के अन्दर नई नहीं है : हमारे प्रदेश में अगर आप पूर्व का इतिहास देखें तो लगातार खास तौर से पश्चिमी राजस्थान में इसकी छाया बनी रहती है। इसके साथ साथ मैं इसे दुर्भाग्य कहूंगा कि राजस्थान के अन्दर गत 5-7-8 वर्ष से दूसरे जिलों में अकाल की स्थिति काफी गम्भीर रही है। होना तो यह चाहिये था कि राज्य स्तर पर एक इसका मास्टर प्लान तैयार किया जाता। मास्टर प्लान आप जिलेवार तैयार करायें। आप यह जानते हैं कि प्रतिवर्ष हमारे यहां अकाल की छाया रहती है। सभापति महोदय, हम यह भी मान लें कि किसी वर्ष नहीं भी रहे और भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि अकाल हमारे यहां नहीं रहे, पर जिस प्रकार की सारी स्थिति हम देख रहे हैं, यह अकाल की छाया बनी रहती है। तो राजस्थान का एक मास्टर प्लान आपके पास तैयार होना चाहिये। आज, सभापति महोदय, होता क्या है, जब आप अकाल की

(श्री दिग्विजय सिंह)

घोषणा करते हैं, अकाल घोषित होने के साथ साथ जब आप डिस्ट्रिक्ट रिलीफ एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाते हैं उसमें जब प्रस्ताव आते हैं और वहां जन-प्रतिनिधि बैठकर प्रस्ताव देते हैं तो इतने कम्बर्सम प्रस्ताव आपके सामने आ जाते हैं कि आपको उनको छांटना और प्रायोरिटी तय करना मुश्किल हो जाता है। यदि आपके पास जिलेवार मास्टर प्लान तैयार हो तो आपको प्राथमिकता देने में सुविधा रहेगी। आपका जो स्लम पीरियड कहा जाय, बरसात के बाद जब अकाल राहत विभाग के पास कोई काम नहीं रहता उस समय यह सारी एक्सर्साइज की जानी चाहिये। आप डिपार्टमेंट को इस एक्सर्साइज में लगा दें। आप एक योजना बनायें, आप जोधपुर जिला ले लीजिये, बाड़मेर ले लीजिये, पाली जिले को ले लीजिये उनका एक कम्प्लीट मास्टर प्लान बनायें कि अकाल अगर आयेगा तो कौनसी सड़क हम पहले लेंगे, कौनसा तालाब लेंगे, कौनसा काम हमको हाथ में लेना है। इससे, सभापति महोदय, दो लाभ होंगे। एक तो आपको इस बात की जानकारी रहेगी कि किस जगह कौनसा काम करना है और कितनी लागत उस पर आयेगी। जिस वक्त जिलों से प्रस्ताव आते हैं तो इससे ज्यादा आ जाते हैं, मैं समझता हूं करोड़ों रुपये के प्रस्ताव आते हैं उसके साथ-साथ व्यावहारिक भी नहीं होते। इसलिए मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से विशेष तौर से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसको मद्देनजर रखते हुए राज्य का एक मास्टर प्लान तैयार करें। उसके ऊपर विचार करके जब कभी भी ऐसी स्थिति हो उसके अनुरूप काम चले।

सभापति महोदय, मैं बहुत लम्बी चौड़ी बात नहीं कह करके कुछ मुद्दों पर मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। फैमिन रिलीफ कोड के अन्तर्गत यह फैमिन डिक्लेयर होता है। इस वर्ष जब फेमिन डिक्लेयर हुआ तो आपने वसूलियां स्थगित कर दीं। यह वसूलियां आपने 30-9-85 तक स्थगित की हैं। सभापति महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि आपने वसूलियां तो स्थगित कर दीं, उसके साथ-साथ कोआपरेटिव लोन और कोआपरेटिव की जो वसूलियां थीं, जो शोर्ट टर्म लोग थे उनके लिये आपने प्रतिवेदन में लिखा है कि मिड टर्म लोन में कन्वर्ट कर दिया है। वह आपके करने से कुछ नहीं है। यह तो कोआपरेटिव एक्ट में भी लिखा हुआ है कि अगर अकाल इस तरह से पड़ेगा तो वह शोर्ट टर्म लोन मिड टर्म लोन में कन्वर्ट हो जायेगा। पर आज जो काश्तकारों की मुसीबत है उस पर मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आपने जो वसूलियां स्थगित कीं, राजस्व की वसूलियां तो आपने स्थगित कर दीं, कोआपरेटिव के आदेश पहुंचे नहीं। काश्तकारों को इतनी परेशानी हुई, सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, काश्तकारों से कोआपरेटिव लोन की जबरन वसूलियां की गई हैं। जब कि यह बात डिस्ट्रिक्ट रिलीफ एडवाइजरी कमेटी में भी कही गई थी कि

(श्री दिग्विजय सिंह)

राज्य सरकार के यहां से इस प्रकार के के आदेश हो गये हैं। मैं, मन्त्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपके यहां से आदेश इतने देर से पहुंचे कि काश्तकारों को वसूली स्थगित होने का जो रिलीफ मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया।

इसके साथ-साथ, सभापति महोदय, मुद्दे की जो बात है वह यह है कि आपने 30-9-85 तक ये वसूलियां स्थगित कर दीं। मैं यह निवेदन करूंगा कि 30-9-85 का अर्थ है सितम्बर तक। सितम्बर तक आपने इनको स्थगित किया है। आज वर्षा भी हो गई, वर्षा होने के बाद काश्तकार बुवाई भी कर देगा। क्या आप यह समझते हैं कि सितम्बर तक फसल पक कर आ जायेगी? सितम्बर तक उस काश्तकार के पास फसल पक कर नहीं आयेगी और आपके आदेशानुसार पटवारी वहां वसूली शुरू कर देगा। तो मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस डेट का एक्सटेंड करके नवम्बर के एण्ड तक करें। यह जो वसूलियां आपने स्थगित की हैं उनको 30 नवम्बर तक आप स्थगित रखें। तब तक काश्तकार के पास भी फसल आ जायेगी और वह इस स्थिति में भी होगा कि आपको आपकी जो बकाया है वह दे दे।

माननीय सभापति महोदय, अभी एक सदस्य रघुनाथ जी फरमा रहे थे कि कुछ न कुछ व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए कि अगर लगातार अकाल किसी प्रान्त या जिले में पड़ता है तो उसकी भी कोई प्रक्रिया हो कि वहां काश्तकार से वसूली नहीं हो। शायद वह रेवेन्यू के बारे में मेरे से ज्यादा जानते हैं पर उस समय वे इस बात को भूल गये कि रेवेन्यू एक्ट में आलरेडी प्रोविजन है कि अगर तीन साल तक कांसीक्वेंटली अकाल पड़ता है तो एक साल का जो रेवेन्यू है वह रेमिशन हो जायेगा। सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार भी राजस्थान के अन्दर इसकी प्रक्रिया चालू नहीं की गई। तो आप कम से कम इस बात को देखें कि राजस्थान के अन्दर किन-किन जिलों में कान्सीक्वेंटली तीन साल तक अकाल पड़ा है। तीन साल अकाल पड़ने के फलस्वरूप एक साल का जो रेंट रेमिशन हो जाना चाहिए था वह नहीं हुआ उसकी कार्यवाही आप करवायें और राजस्व मन्त्री जी को इस बात के लिए भी कहें कि ऐसी जो बकाया है, ऐसे जो केसेज हैं जिन जिलों में तीन साल तक अकाल पड़ा वहां एक साल का रेंट रेमिट हो जाना चाहिए था। उसकी कार्यवाही करके वहां रेमिशन आप करवायें तो उन काश्तकारों को लाभ मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा, टोंक जिले के सम्बन्ध में।

टोंक जिले के अन्दर करीब एक हजार गांव हैं उन गांवों में से 957 गांव प्रभावित हैं। अब, सभापति महोदय, आपका जो प्रतिवेदन है इसमें आपने मजदूरों की संख्या बताई है 11,938 और कुल प्रभावित

(श्री दिग्विजय सिंह)

आबादी है लगभग 4 लाख । 4 लाख में से आपने कितनों को मजदूरी दी है ? केवल 11,938 को मजदूरी दी है । सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने काम खोल दिये, स्वीकृति भी दे दी, पर, महोदय, आपने मजदूरों पर प्रतिबन्ध लगा दिया कि इससे अधिक आप मजदूर नहीं लगा सकते । आपने लगाये 4 लाख में से सिर्फ 11,938 । सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपने काम खोलने के लिये स्वीकृति दे भी दी पर वहां पर आपने मजदूरों को लगाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया इससे अधिक आप मजदूर नहीं लगा सकते तो आपका काम देना न देना बराबर रहा ।

सभापति महोदय एक और निवेदन करना चाहता हूं आपने एक और प्रतिबन्ध लगा दिया, ऐसा प्रतिबन्ध कि 8 किलोमीटर के एरिया में दूसरा काम आप नहीं खोलें और इसके साथ-साथ एन. आर. ई. पी. और दूसरे काम चल रहे हैं तो उस में भी आपने यह मान लिया कि अकाल राहत का ही चल रहा है । अब 8 किलोमीटर की परिधि में आपने दूसरा काम नहीं खोला । सभापति महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान ऐसा भविष्य न दिखाने पर अगर भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है अकाल की तो आपका यह 8 कि.मी. वाला प्रतिबन्ध है इसके ऊपर आप पुनः विचार करेंगे क्योंकि आखिर में आप अकाल की विषम स्थिति में मदद करने जा रहे हैं और इसके अन्दर भी आप प्रतिबन्ध के हिसाब से मदद करें कि नहीं 8 कि.मी. । हम 8 कि.मी. के बाद ही काम पर लगायेंगे तो आस पास के एरिया में रहने वाली जो जनसंख्या है वह तो बेचारी प्रभावित हो जाती है ।

दूसरी बात यह है, सभापति महोदय कि अकाल की स्थिति के अन्दर जिसके पास खाने को नहीं, उसके पास पशुओं को खिलाने के लिये नहीं और उससे आप उम्मीद करते हैं कि आप 8 कि.मी. दूर काम करने जावो तो मान्यता के आधार पर और मन से आप सोचेंगे इस बात को कि यह जो लिमिट आपने लगा रखी है वह ठीक नहीं है, इस पर विचार करेंगे ।

सभापति महोदय, अन्त में मैं बाढ़ पर निवेदन करना चाहूंगा ।

श्री सभापति : संक्षेप में कहें ।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं आपका संकेत समझ गया, बिल्कुल संक्षेप में कह रहा हूं ।

बाढ़ के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा सन् 1981 में बाढ़ आई, उसके पहले 1979 में भी बाढ़ आई और टोंक के अन्दर काफी क्षति हुई । मेरी कांस्टीट्यूएन्सी और खास तौर से उनियारा में जो निचला क्षेत्र है कस्बे में उसके अन्दर हरिजन बस्ती है वह सारी डूब गई । वहां का एक प्लान बनाया गया था और उस प्लान को बनाकर इर्रीगेशन डिपार्टमेंट ने रिलीफ डिपार्टमेंट को भेजा था अकाल राहत के तहत 18 लाख

(श्री दिग्विजय सिंह)

का उसके अनुसार कुछ काम वहां हुआ और वह काम अब वहां अधूरा पड़ा है। सभापति महोदय, वहां गांव के एक और पुराने कस्बे के ठीक एक किलोमीटर पर एक गलवा बांध बनाया उस गलवा बांध पर 8सौ फिट लम्बी चादर है वह जब ओवर फ्लो होती है तो वह सारा पानी कस्बे के अन्दर से होकर निकलता है। वहां पर एक नदी है जिसको बांधा गया है तो वह नदी बिल्कुल कस्बे के पास होकर जाती है और उसका जो फ्लूड पानी है वह इस गांव के अन्दर आता है। तो जो योजना बनाई हुई है, मैं माननीय मंत्री महोदय को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर वह ध्यान दें। एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि सन् 1981 के अन्दर टोंक जिले को 80 लाख रुपये....

(व्यवधान)

कितने दिये आप बता दो।

श्री सभापति : आप बता दीजिये।

श्री दिग्विजय सिंह : वह इन्कार कर रहे हैं कि नहीं दिये। जहां तक मेरी जानकारी है बाढ़ के लिये दिये थे उसमें से कुछ तो वहां पर खर्च कर दिये गये बाकी के पैसे करीब 40 लाख रुपये अभी भी डी. आर. डी. ए में पड़ा हुआ है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वह सारी बात को जानते हैं तो मेहरबानी करके उस पैसे को आप टोंक में लगाइये और ये नहीं कि उस पैसे को आप ट्रांसफर करके जयपुर में ले आयें। मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि अन्दर ही अन्दर फाइल पर कुछ कार्यवाही चल गई है कि 40 लाख रुपये जो टोंक में पड़े हुये हैं उनको जयपुर में लाकर खर्च कर दे। तो, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वह पैसे जो डी. आर. डी. ए. के अन्दर थे, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने दिया था। आपके वहां उपयोग में नहीं आया तो उन्होंने आपसे सवाल पूछ लिया कि आपने उसका उपयोग किया या नहीं किया। आपने डी. आर. डी. ए. के अन्दर ट्रांसफर कर दिया। तो मैं कहना चाहूंगा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कि उस पैसे को उसी जिले में खर्च करेंगे। मैंने जो बिन्दु उठाये है उस पर प्रकाश डालेंगे।

आपने जो समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

(व्यवधान)

श्री सभापति : इनके बाद आपको, एक हां पक्ष का एक ना पक्ष का चल रहा है। चम्पालाल जी बोलेंगे फिर आप बोलेंगे, वह क्रम ठीक रहता है। फिर आप कहेंगे कि व्यवस्था में गड़बड़ हो गयी।

(व्यवधान)

श्री नाथूराम जी।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) : माननीय सभापति महोदय, आज हाउस में प्राकृतिक आपदाओं के बारे में विचार चल रहा है। माननीय सभापति महोदय, हर तीसरी साल राजस्थान में अकाल पड़ता है कभी दूसरे साल भी पड़ता है। हमारे डूंगरपुर में याये साल पानी तो अच्छा गिरा लेकिन लास्ट में जाते हुए एक बरसात नहीं होने के कारण वह मिलाकर दोनों फसलें बरबाद हो गयीं। बाद वाले पानी से दोनों फसलें बेकार हो गई क्षेत्र में जिसके फलस्वरूप अकाल की छाया इतनी भयंकर हो गई कि आज तक उसका निराकरण नहीं हुआ। माननीय सभापति महोदय, गुजरात में अभी आरक्षण की बात को लेकर के काफी दंगे हुये, काफी झगड़े हुये, इसलिये हमारे हजारों मजदूर जो डूंगरपुर जिले के थे वह चले आये और हालत यहां तक हुयी कि अकाल ग्रस्त होने के कारण न तो मजदूरी मिली और न उनको कोई राहत मिली। पानी की कमी के कारण हैण्ड पम्पों में पानी गहरा चला गया है, कुओं में पानी नहीं है, नदी नालों में पानी नहीं है, जल स्तर बहुत नीचे चला गया है जिससे वहां पर भयंकर अव्यवस्था पैदा हो गई है। कल सुबह की रिपोर्ट के अनुसार अभी तक डूंगरपुर में पानी नहीं गिरा है। माननीय सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब पानी गिर जाने पर भी मैं यह समझता हूं कि जून के महीने में 15 जून से 20 जून तक पाना गिरताहै तो एक भी महीना खिसक गया है जिसमें मैं समझता हूं खरीफ की फसल मक्की, ग्वार तो होगा ही नहीं, अगर ठीक पानी गिर गया तो आने वाली फसल हो जाये तो और बात है। साल के रोल तैयार नहीं हुये तो इसलिये आज भी मुझे लगता है कि फसल नहीं होगी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे डूंगरपुर में अकाल के लिये कुछ न कुछ विचार किया जाये। यह साल अकाल ग्रस्त नहीं है फिर भी मैं समझता हूं कि वहां की स्थिति बड़ी गम्भीर है, फसल नहीं पकी है। माननीय सभापति महोदय, आपने शायद डूंगरपुर देखा ही है। डूंगरपुर का एरिया ऐसा है जहां जब कभी पानी गिरता है तो वहां इतना पानी गिरता है कि वहां की जमीन को नुकसान पहुंच जाता है और जब कभी नहीं गिरता है तो हालत बड़ी खराब हो जाती है। अभी बीच में हमारे अकाल राहत मंत्री जी मई में पहुंचे थे, समस्त विभागों के अलग-अलग आंकड़े दिये थे कि किसको कितनी कितनी लेवर लगानी है। लेकिन बीच में यहां से कोई ऐसे आदेश गये कि जो काम चल रहा था, प्लान का उनको भी बन्द कर दिया गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि डूंगरपुर के लिए कोई मास्टर प्लान बनाया जाय प्राकृतिक आपदाओं से राहत पहुंचने के लिए मैं समझता हूं कि गम्भीरता से विचार करना बहुत जरूरी है। हैण्ड पम्प के बारे में भी निवेदन है कि पानी बहुत गहरा चला गया है। विभाग के लोग अगर हैण्ड पम्प खराब होता है और ठीक करने के लिये जाते हैं तो ऐसे टाइम में पहुंचते हैं जब पानी का स्तर ऊपर होता है। फिर उस समय एक आध पाईप यह कह कर निकाल देते हैं कि पानी ज्यादा आ रहा

(श्री नाथूराम)

है जिससे जब पानी का स्तर गहरा चला जाने पर उनमें फिर पानी नहीं आता। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि डूंगरपुर के लिये कोई मास्टर प्लान बनाया जाय। डूंगरपुर में ऐसे नदी नाले हैं जिनका पानी समुद्र में चला जाता है उसको एनीकट बना कर, बांध बना कर रोका जा सकता है और वहां के जल स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। मैंने बीच में हाउस में निवेदन किया था कि वहां जो बांध बने हैं वे केवल सिंचाई के लिए ही बने हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि स्टोरेज के लिए, क्योंकि वहां पानी जब कभी बरसता है तो वह बह कर समुद्र में चला जाता है, तो इस पानी को रोकने के लिये नदी नाले जहां जहां भी हैं 5-6 मील के एरिया में एक-एक स्टोरेज टैंक होना चाहिए जिससे जल स्तर को ऊंचा रखा जा सके। वहां जो बांध बने हैं मैं इन्जीनियरों की गलती नहीं निकालता, मैंने पहले भी हाउस में कहा है कि आने वाले 15 साल में हमारे जितने भी टैंक, एनीकट, बांध हैं वे सारे पानी से नहीं रेत से भरे रहेंगे। उनमें गलती यही है कि जितनी भी शिल्ट, जितनी भी मिट्टी आती है, उसको निकलने का, निकास का कोई साधन नहीं है। इसलिए उसमें भराव आ गया और उस मिट्टी को मैं समझता हूं कि सरकार काफी खर्चा करे तो भी निकल नहीं सकती। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो भी इस तरह के टैंक बने हैं, बांध बने हैं, उनमें फाटक लगे हों और चौमासे के टाइम में फाटक खोल दिये जायं ताकि रेत वहां से बाहर निकल जाय तो रेत से बांध नहीं भरेंगे, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं। इसके साथ ही जितने भी टैंक और बांध बने हुए हैं उनकी नहरें इतनी खराब हैं कि उसका आधा पानी भी उपयोग में नहीं आता है और फीडर या नहर के नीचे जितनी जमीन है वह सारी सीपेज से ऊसर हो जाती है। उसके लिए कोई मास्टर प्लान बनाकर जितनी भी नहरें हैं उनको पक्का करना चाहिए, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : संक्षेप में, कृपया।

श्री नाथूराम : सभापति महोदय, इसके साथ ही डूंगरपुर में कई ऐसे कुए हैं गांवों में एकाध ऐसे कुए हैं जिनकी गहराई भी है उनमें पानी पर्याप्त है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ट्राइबल सब-प्लान के बजट का काफी हिस्सा दूसरी योजनाओं में चला जाता है। किसान के घर में अगर पर्याप्त पानी का कुआं होगा तो किसी का भी मोहताज नहीं रहेगा। मैंने दो साल से इसके बारे में निवेदन कर रहा हूं हालांकि फण्ड नहीं आने के कारण वहां का पूरा काम नहीं हुआ है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ट्राइबल का जो फण्ड आ रहा है उस फण्ड से जो आदिवासियों के कुए हैं गांव में 2-4 उनके परिवार को देखकर एक एक कुआं पाताल तोड़ बना करके समस्या को हल किया जाना चाहिए।

श्री सभापति : कृपया, संक्षेप में कहें अपनी बात।

श्री नाथूराम : सभापति महोदय, डूंगरपुर में जो हर साल या दूसरे साल अकाल पड़ता है उसका एक कारण वन का खत्म होना भी है । हमारे यहां ऐसी कई नंगी पहाड़ियां पड़ी हुई हैं ! उन पहाड़ियों के लिये मैं समझता हूं कि जंगलात विभाग की तरफ से कोई ऐसा प्लान बने, नंगी पहाड़ियां हैं, केवल पत्थर ही पत्थर हैं, उनका कोई उपयोग नहीं है उस पर खेती नहीं की जा सकती । इतना ढलान है कि बैल उस पर अपना पैर जमा नहीं सकता, ऐसे एरिया को चयनित करके उस पर वृक्ष लगाने चाहिए इससे हमारे मानसून में काफी फर्क आ सकता है, यही मैं आपसे निवेदन करता हूं ।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें ।

श्री नाथूराम : माननीय सभापति महोदय, अभी तो मैंने शुरु किया है ट्राइबल के हिसाब से तो और प्रोत्साहन देना चाहिए ।

अकाल के कारण हमारी वसूलियां बंद होती हैं, हर दूसरे या तीसरे साल । सभापति महोदय, उसको स्थगित तो कर देते हैं लेकिन उसका दंडनीय ब्याज कम नहीं होता है । किसान ने अगर एक हजार रुपया लिया है तो अब वह 5-6 हजार रु. हो गया हैं । क्योंकि अकाल हर दूसरे साल पडता है जिससे वह चुका नहीं पाता है, और वह कर्जे से लद गया है । मैं समझता हूं कि इस बारे में गंभीरता से विचार करके जो पुराना कर्जा है वह अदा नहीं कर पा रहे हैं तो वह माफ होना चाहिये । आज खाने के लाले पड रहे हैं, घास नहीं है, मध्य प्रदेश में घास रोक ली गई है, गुजरात में भी रोक ली गई है. जो हजारों पशु मर चुके हैं । इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह जो वसूलात वाला है वह बहुत पुराने कर्जे हैं, जिनकी स्थिति ठीक नहीं है उनके कर्जे माफ होना चाहिए, यही मैं आपसे निवेदन करता हूं ।

मान्यवर सभापति महोदय, कहने को तो खूब है लेकिन मैं तो यही आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी सरकार का करोडों, अरबों का बजट है जो कई ऐसी योजनाओं में खत्म हो जाता है, उदाहरण के लिए मेडबंदी है, भूसंरक्षण है, इसमें हमारे एक पहाडी है छोटी सी दो गांवों के बीच में, इसके लिए 93 हजार मंजूर हुए थे । इस पर कोट बनाने की सरकार की योजना हैं । जंगलात विभाग का प्लान है कि पांच साल तक इसकी रक्षा करे लेकिन उसके रख रखाव के लिए सरकार ने कोई प्रावधान नहीं रखा है जिससे इसमें भी कभी गडबड होती है । पेड़ पौधों को बच्चे की तरह पाल कर उसको अगर खुला छोड देंगे तो उसका कितना नुकसान होगा । इसलिए इस बारे में मैं निवेदन करता हूं कि 5 साल का जो प्लान है उसको आगे बढाया जाय, इसकी समुचित व्यवस्था की जाय । साथ ही हमारे डूंगरपुर जिले में, आप जितने भी बड़े अधिकारी हैं या मंत्री हैं, मैं निवेदन करता हूं कि एक हफ्ते का कार्यक्रम बना कर हमारे जिले में आ जांय और हमारे जिले की जो समस्याएं हैं उन पर गम्भीरतापूर्वक

(श्री नाथू राम)

सोचें। इसमें हर विभाग का मास्टर प्लान बने और डूंगरपुर जिले के लिये कुछ न कुछ ऐसी योजना बनाई जाय जिससे हमारे यहां हर दूसरे तीसरे साल जो अकाल पड़ता है उसका निवारण किया जा सके। मजूर शुदा कई काम ऐसे पड़े हैं, पुलिया है, आज पाए तो बाहर आ गए लेकिन सीमेंट नहीं होने के कारण और यहां से पैसा नहीं जाने के कारण उसको बन्द कर दिया गया। मुझे सूचना मिली है कि वापिस शुरू कर रहे हैं, तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि अगर समुचित व्यवस्था नहीं की जाएगी तो बरसात अगर एक आध हो गई तो वहां की जमीन ऐसी है, बिल्कुल पहाड़ी है और एक दो ही बरसात हो जाने से किया कराया काम पानी में मिल जाएगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में सोचा जाय। हमारे डूंगरपुर में अभी अकाल तो घोषित नहीं है लेकिन मजदूरी की काफी समस्या है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री नाथू राम : सरकार के पास अनाज का भण्डार तो काफी है लेकिन इस भण्डार को खरीदने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो लोग जिन्दा कैसे रहेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा नये काम खोले जायं और प्लान में मंजूर शुदा कामों को चालू रखा जाय। हमारी पालिसी यह है कि जब बरसात हो गई तो रिलीफ बन्द कर देते हैं, यह मापदण्ड गलत है। बरसात होने के बाद भी 3-4 महीने लग जाते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि नवम्बर दिसम्बर तक छोटे-मोटे काम चालू रखने चाहिए। मजदूरी के हिसाब से मजदूरों को 11/- देने की जो बात है उसमें कहीं-कहीं गलतियां होती हैं इस बारे में भी बहुत गम्भीरता से विचार कर विभाग को आगाह रखना चाहिए। आपने मुझे टाइम दिया और बोलने का अवसर दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री चम्पालाल बांठिया।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : मान्यवर सभापति जी, पश्चिमी राजस्थान का एक दुर्भाग्य है कि बार-बार अकाल पड़ते रहते हैं और हर बार यह विचार होता रहा है कि कोई स्थाई हल निकाला जाय ताकि अकाल के दिनों में लोगों की दुर्गति न हो लेकिन कोई स्थाई हल निकालना तो दूर रहा लेकिन इस बार जो अकाल पड़ा है उसमें पूर्व के अकालों में जो प्रबन्ध हुआ उसके मुकाबले में बिल्कुल एक प्रतिशत भी इन्तजाम यह सरकार नहीं कर पाई। सम्वत् 1996 का अकाल, भयंकर अकाल गिना जाता है जोधपुर के तत्कालीन नरेश श्री उम्मेद सिंह जी ने उस समय जो इन्तजाम किया था वह इन्तजाम आज भी लोग याद करते हैं। उन्होंने सवा करोड़ रुपया लगाकर उस वक्त में उम्मेद पैलेस का निर्माण करवाया। सरदार समन्द और बड़े-बड़े

(श्री चम्पालाल बांठिया)

तालाब, बड़ी-बड़ी लम्बी सड़कें उस वक्त में बनाकर यह ऐलान किया कि हमारे मारवाड़ से एक भी मवेशी बाहर नहीं जायेगी। घास का पूरा इन्तजाम किया। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि उस वक्त में अकाल राहत कार्यों में काम करने वाले लोगों को चावल और बढ़िया किस्म की दाल वहीं पर सप्लाई की गयी जहां पर वह काम करते थे। लेकिन बाद में पच्चीसवें, छब्बीसवें के अकाल के अन्दर भी बहुत कुछ हुआ। लेकिन इस बार जो अकाल के अन्दर इस सरकार का इन्तजाम है, उस इन्तजाम को मैं क्या कहूं कतई किसी प्रकार का इन्तजाम नहीं है। पहले तो यह कि जनवरी माह से जो अकाल राहत कार्य प्रारम्भ होने चाहिए थे, मैं कहना चाहता हूं कि बाड़मेर जिले में एक मई से पूर्व कोई अकाल राहत कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ और जैसलमेर जिले में एक जून से पहले कोई अकाल राहत कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ और जितने अकाल राहत कार्य प्रारम्भ हुए वह बहुत कम प्रारम्भ हुए और उनके अन्दर भी भेदभाव बरता गया। जहां पर इनकी मर्जी के, इनकी पार्टी के सरपंच हैं एक-एक पंचायत के अन्दर 4-4, 5-5 काम खोल दिये गये। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आप नोट करें, थोब एक पंचायत है जिसके आठ गांव हैं और आठ ही अकाल ग्रस्त हैं लेकिन एक भी काम उस पंचायत के अन्दर नहीं खोला गया। राजस्थान ही नहीं समस्त हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी जो पंचायत गिनी जाती है उस पाटोदी पंचायत के अन्दर जिसकी 20 हजार की आबादी है एक काम के अलावा दूसरा काम इन्होंने प्रारम्भ नहीं किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कानाना में जो प्रधान का निवास स्थान है, बालोतरा पंचायत समिति का जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधान हैं उनके यहां बाढ़ बचाव का काम नहीं किया गया। साथ में पारलू में काम शुरू किया गया, सराणा में बाढ़ बचाव का काम शुरू किया गया और इस प्रकार 1979 की बाढ़ के अन्दर जहां पर 76 लोग मरे और प्रत्येक घर उससे प्रभावित हुआ, वहां पर इन्होंने भेदभाव रख कर बाढ़ बचाव का काम अकाल के अन्दर प्रारम्भ नहीं किया।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल राहत कार्यों के अन्दर जिस प्रकार से आप मनमानी करके नाप तोल करते हैं और जिस प्रकार से आप पेमेंट करते हैं वह कितना दुखदायी है यह आपको पूर्व वक्ताओं ने भी बताया है। यह मेरे पास सीमान्त टाइम्स का साप्ताहिक अखबार है, जो आपकी ही पार्टी का अखबार गिना जाता है जिसके अन्दर स्वयं जो अकाल राहत के जिलाधीश हैं, ए. डी. एम. हैं उन्होंने मन्जूर किया है कि 35 पैसे की मजदूरी दी गयी है और वह गांव गोडकातला चौहटन पंचायत के अन्दर है। इस प्रकार से 35 पैसे देकर आप अकाल के अन्दर मजदूरों से मजदूरी करवाना चाहते हैं। उस बाड़मेर जिले का आप खून चूसना चाहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि हमने अकाल का प्रबन्ध किया है कि इतनी तारीफ आप कर रहे हैं, सारे आंकड़े आपके फर्जी हैं। आप कहते हैं कि पीने के पानी का हमने इन्तजाम किया है। मैं कहना चाहता हूं

(श्री चम्पालाल बांठिया)

बाड़मेर में जितने टैंकर्स हैं उनमें से ग्राधे से ग्रधिक, ग्रापके स्वयं के ग्रांकड़े कहते हैं कि खराब पड़े हैं। पीने का पानी का ग्राप इन्तजाम कर नहीं पाये हैं एक भी स्थान के ऊपर। जो ग्रापने नीति निर्धारित की है, ग्रापने मंत्रीजी स्वयं ने बाड़मेर की ग्रकाल राहत समिति की बैठक के ग्रन्दर यह घोषणा की थी कि पांच सौ से ग्रधिक की ग्राबादी वाले जो गांव हैं वहां हफ्ते में दो बार टैंकर जायेगा, जो हजार से ऊपर वहां तीन बार जायेगा। मैं कहना चाहता हूं कि एक भी गांव इस प्रकार का नहीं है जहां पर ग्रापने इस प्रकार की व्यवस्था की हो। सारे के सारे ग्रापके टैंकर खराब पड़े हैं। जितने ग्रापने ग्रच्छे बताये हैं वे भी टैंकर्स खराब हैं। बाबा ग्रादम के जमाने के टैंकर्स, ग्राप इनको बदल नहीं सकते। जब ग्राग लगे तब कुग्रां खोदने वाली कहावत के ग्रनुसार ग्राप चलते हैं। भयंकर ग्रकाल हो तब ग्राप टैंकर्स काम में लाना चाहते हैं। ग्राप साल भर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं ग्रौर काम ग्राप प्रारम्भ नहीं करना चाहते हैं। जिलाधीश महोदय से कहा जाता है तो वह कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं, ग्रब ग्रायुक्त महोदय से निवेदन किया तब भी वह कहते हैं कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ग्राखिर इस देश की, इस प्रदेश की हालत क्या हो गयी है। एक जिलाधीश, एक ग्रायुक्त यह कहे कि मैं कुछ नहीं कर सकता। भेद-भाव के ग्राधार के ऊपर शिव कान्स्टीट्यूयेंसी में पूरी की पूरी कान्स्टीट्यूयेंसी में जून माह के ग्रन्दर जो काम खुले, वहां एक भी काम नहीं खोला गया जबकि यह क्षेत्र भयंकर रूप से ग्रकालग्रस्त है। जब ग्रकाल राहत मंत्रीजी वहां पधारे उनके सामने जब लोगों ने जोर देकर इस बात को कहा तो दुबारा काम खुले उसके ग्रन्दर नाड़िया जरूर दी गयी। दूसरी बार जो लिस्ट निकाली उसमें मेरी कान्स्टीट्यूएंसी को बिल्कुल नजर ग्रन्दाज कर दिया गया। जब मैंने जाकर ग्रायुक्त महोदय से कहा तो ग्रायुक्त महोदय ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने निवेदन किया ग्राप कुर्सी छोड़ कर मेरे साथ ग्रा जाइये, ग्राप ग्रौर कुछ नहीं कर सकते। फिर जाकर 4 जुलाई को मेरे क्षेत्र के ग्रन्दर 10 नाड़ियों की सेंक्शन दी इन्होंने यह मान करके कि वहां पर 124 गांव ग्रकालग्रस्त हैं। मेरे क्षेत्र में केवल पचपदरा तहसील के ग्रन्दर ग्राज हाहाकार मचा हुग्रा था, लोगों को काम नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था जब जाकर इन्होंने यह काम किया। 15 तारीख तक की मियाद दी, ग्राप सोचिये 4 तारीख को ग्रादेश निकले ग्रौर 9 तारीख को वहां पर काम शुरू हुए। केवल 6 दिन के लिए दिखावे मात्र के लिए इन्होंने काम शुरू किए। बाद में इन्होंने 31 जुलाई तारीख बढ़ायी है। लेकिन ग्रब बरसात हो गयी। मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया ग्रौर जो परम्परा थी हर ग्रकाल के समय मजदूरों को फावड़ा तगारी, ग्रौजार देने की, इस बार इन्होंने कहीं पर भी ग्रौजार नहीं दिये। जब इनसे कहा गया ग्रौर इन्होंने यह वायदा किया था ग्रकाल राहत परामर्शदात्री समिति की बैठक के ग्रन्दर कि मैं इसको प्रारम्भ करूंगा लेकिन इन्होंने प्रारम्भ नहीं किया। इनसे

(श्री चम्पालाल बांठिया)

निवेदन किया गया था कि भयंकर अकाल है, धूप पड़ रही है लू चल रही है, लोग काम नहीं कर सकते इसलिए आप इस टास्क को, जो आपने टास्क निर्धारित किया है वह बहुत अधिक है, सामान्य से भी अधिक है। मैं निवेदन करना चाहता हूं जब आपने कहा था कि मैं इस टास्क को 25 पर्सेन्ट कम करूंगा, कहां गया आपका वायदा ? जो आप वायदा कर आते हैं, जो आप वक्तव्य दे आते हैं, भाषण दे आते हैं उसके ऊपर अमल नहीं होता, जो आप आंकड़े देते हैं, उसके ऊपर अमल नहीं होता। आज वर्षों से बकाया पड़ा है फेमीन राहत में काम करने वाले लोगों का पैसा। आप नाम पूछ रहे थे अपने विधायक महोदय से, मैं नाम लिखाना चाहता हूं, आप नाम लिखें, अरावा पंचायत है, वहां पर दो वर्ष पूर्व का अकाल राहत का भुगतान अभी तक लोगों का बकाया है। नाम लिखें आप टावरा गांव के अन्दर जो पानी की टंकियां अकाल राहत में लगी हुई थी उनका पेमेंट आज दिन तक नहीं हुआ। लोग फिर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। इस प्रकार की हालत आपने बना रखी है। आप कहते हैं कि हमने अकाल का इन्तजाम किया है। इस बार जितना बाड़मेर, जैसलमेर और शेरगढ़ के अन्दर आपका पूर्णतया कुप्रबन्ध रहा इतना कभी नहीं रहा। आज लोगों की हालत क्या हो गयी है। मैंने निवेदन किया था। सेवण घास है, छाती तक आयी हुई हैं सम के क्लोजर्स में खड़ी है और जैसलमेर के मवेशी भूखी बैठी है, उसको घास नहीं मिल रही है, बहुत महंगी घास पड़ रही है, आप इनको खोलिये। बरसात आने पर यह घास भी किसी काम की नहीं रहेगी। आज उस घास की मिट्टी पलीत हो गयी लेकिन आपने वहां की मवेशी को मरने दिया। उन क्लोजर्स को आपने नहीं खोला जो नहीं खोला। इस प्रकार की नीति पर मुझे एक कहावत याद आती है, कोई जमाने में हमारे यहां एक पोपाबाई हुआ करती थी लेकिन आज तो इस जमाने में, राजस्थान की सरकार में ही बहुत पोपाबाई है। एक कवि ने कहा है कि "मरजी की सुनती, अर्जी की अफवाह, फौरन देती फैसला, वाह री पोपो वाह, इन पल में पोपों अधिक, ऐसा न्याय करन्त पीढ़ियों के नहीं फैसला, फरीकेन जाय मरन्त।" आज तो बहुत सारी पोपा बाई हो गई है। पोपाबाई के शासन में वह मरजी से लेकिन फैसला उसी वक्त करती थी। आज सबसे बड़ी × × × यहां हरिदेव जी जोशी बैठे हैं, दूसरे ये हमारे अकाल राहत मंत्री हैं, तीसरे वे जो आयुक्त हैं और फिर छोटी × × × बाड़मेर जिले का जिलाधीश है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप कोरे वायदे करते हैं, असत्य आंकड़े पेश करते हैं, आपके वक्तव्य असत्य हैं। आपने कोई इन्तजाम नहीं किया है। अगर आप इन्तजाम करना चाहते हैं स्थाई इन्तजाम करना चाहते हैं तो मैं निवेदन करना चाहता

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री चम्पालाल बांठिया)

हूं कि राजस्थान नहर का पानी हमें पीने के लिये दो हमको, खेती के लिए नहीं चाहिए। बाड़मेर के लोगों के लिए जो आपने स्वप्न संजोया था, जो सब्जबाग दिखाये थे कि कच्छ की खाड़ी में यह राजस्थान नहर गिरेगी, नावें चलेगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो इलाका पानी की बूंद-बूंद के लिए तरसता है, अकाल पड़ने पर अपना माल, मवेशी लेकर ग्रामीण गुजरात, मालवा, पंजाब और हरियाणा चला जाता है। वापिस लौटता है तब तक उसकी ढाणी उजड़ जाती हैं।

(8.00 रात्रि)

उसकी मवेशी आधी रह जाती है। इनके लिए अगर आप इन्तजाम कर सकते हैं तो यह स्थायी इन्तजाम होगा। बाड़मेर जैसलमेर के लिए भगवान के लिए आप पीने के पानी का इन्तजाम राजस्थान कैनाल से करें। 172 गांवों को पचपदरा में इन्दिरा नहर से पानी सप्लाई करने की आपने घोषणा की है। चाहे पाइप लाइन से पानी सप्लाई करें, नहर खोदें, अगर आप काम करना चाहते हैं तो मैं आपको सहायता के रूप में भीख मांगकर लाऊंगा चाहे मुझे देश देशावर जाना पड़े, इस काम के लिए मैं तीन करोड़ रुपयों की मदद देने के लिए तैयार हूं। बशर्ते आप इस वर्ष से चाहे पाइप से पानी दें, चाहे नहर खोदकर दें, चाहे लिफ्ट करके दें, किसी भी प्रकार से दें पीने के लिए पानी दें। फिर अकाल राहत काम की आपसे मांग नहीं करेंगे।

दूसरे अगर आप स्थायी काम करना चाहते हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां आक है, ऊन है, सिणियां जट है उनके ऊपर आधारित कोई उद्योग लगायें। कुटीर उद्योग लगायें। लुग्दी बनाकर पुट्ठे बना सकते हैं, रस्सी बन सकती है। औषधियों के काम शुरू हो सकते हैं। हर गांव और ढाणी में यह दोनों चीजें आपको मिलेंगी। जो उद्योग वहां है, जटपट्टी का उद्योग है, घरों के लिए काम का है जिसमें 20 हजार मजदूर काम करते थे आज उनको मोहताज कर दिया गया है। आज एक विदेशी के हाथों ठेका दे दिया गया है, आज वह मोनोपोली लेकर बैठा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर और शेरगढ़ का कोई स्थायी इन्तजाम हो तो बरसात के बाद 8 महीने तक वहां का काश्तकार, वहां का गांव वाला बैठा न रहे, उसके पास कुछ न कुछ काम हो इस प्रकार ऊन पर, जट पर, आक पर और सिणिया पर आधारित ऐसे काम दें और पीने के लिए पानी का इन्तजाम कर दें। इतना ही बहुत होगा और आप कुछ कर नहीं सकते हैं, मुझे पता है। आपने मुझे समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदय, मन्त्री महोदय ने × × ×,

---

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

को स्वीकार कर लिया है। ××× पर कोई आपत्ति नहीं है।

श्री सभापति : ××× कोई बदनाम नाम नहीं है।

एक माननीय सदस्य : तो आपने भी स्वीकार कर लिया है।

श्री सभापति : श्री मूलचन्द मीणा

(अनुपस्थित)

श्री बहादुर सिंह।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मौका दिया उसके लिए पहले ही धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय अकाल राहत मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं....

श्री सभापति : स्थगन प्रस्ताव पर बोल रहे। शोर्ट में बोलें।

श्री बहादुर सिंह : शोर्ट में ही बोलता हूं। ज्यादा बोलता नहीं।

श्री सभापति : अच्छे आदमी हैं।

श्री बहादुर सिंह : अच्छा बुरा तो आप जानें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कृपया संक्षेप में। हिन्दी में कहें।

श्री सभापति : संक्षेप में बोलें।

श्री बहादुर सिंह : मैंने जो स्थगन प्रस्ताव पेश किया है, बांसवाड़ा जिले में अकाल की वजह से गांव अकाल की चपेट में आये हैं। राज्य सरकार को जिन-जिन जिलों को पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर जनवरी, फरवरी, मार्च में अकालग्रस्त घोषित करना था जबकि जनवरी, फरवरी, मार्च में घोषित न करके अप्रैल, मई में बांसवाड़ा जिले को अकालग्रस्त माना। बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति पीपल खूट, पंचायत समिति तलवाड़ा, कुशलगढ़, सज्जनगढ़ और आनन्दपुरी इन पंचायत समितियों के गांवों को अकाल में लिया गया है। 1400 से ऊपर करीब गांव हैं परन्तु इन 1400 गांवों को अकाल में लेने के बावजूद भी राज्य सरकार ने जून माह में जाकर के अकाल राहत के कार्य खोले। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमन्त्री जी का और अकाल राहत मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब लोग एक तरफ से पीड़ित गुजरात और मध्यप्रदेश के शहरों में चले गये और बांसवाड़ा के जो लोग जिनके पास थोड़ा बहुत मवेशी थे और जो कुछ थोड़ा बहुत अनाज था उसके सहारे बैठे हुए लोग जिनको कोई दूसरा सहारा नहीं मिला आज उनके मवेशी मर रहे हैं। पीने को

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री बहादुर सिंह)

पानी नहीं मिल रहा है और काम करने के लिए मजदूरी नहीं मिल रही है। समय पर राज्य सरकार ने जो थोड़ी बहुत मजदूरी खोली, उन कामों पर सिलिंग लगा दिया। जबकि एक घर में 5 इन्सान हैं तो 5 में से 2 को मजदूरी देना बहुत जरूरी था, लाजमी था, क्योंकि 5 इन्सान एक घर में काम करने वाले हों और छोटे बच्चों सहित 10-12 लोग घर में खाने वाले हों तो उसमें भी एक इन्सान को रोजगार उपलब्ध नहीं है यह बांसवाड़ा की हालत है जबकि मुख्यमन्त्री जी वहां के रहने वाले हैं और उनको एक एक घर की हालत मालुम है। बाकी यह बहुत बुरी बात है आदिवासियों के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ करना। जहां जहां इर्रीगेशन के काम चल रहे हैं, पांच मस्टर-रोल भरे हैं, 20 मजदूर काम करते हैं। तो इस प्रकार से वहां के लोगों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। अकाल से पीड़ित लोगों के साथ खिलवाड किया जाता है। यह राज्य सरकार बिल्कुल अन्धी होकर देख रही है कि नहीं देख रही है। किस प्रकार से काम चल रहा है और उन गरीबों के लिये क्या करने जा रही है, यह मुझे समझ में नहीं आता। माननीय सभापति महोदय, हम ने बार बार जिलधीश महोदय से अकाल राहत कमेटी की बैठक में मांग की और बार-बार कहा कि राजस्थान में से, मध्यप्रदेश से, गुजरात से कहीं से भी घास की व्यवस्था करें लेकिन आज दिन तक बांसवाड के जिला कलेक्टर महोदय ने अकाल राहत कमेटी का निर्णय होने के बावजूद एक गांठ भी घास की व्यवस्था नहीं की बांसवाड़ा जिले के लिए।

श्री सभापति : संक्षेप में।

श्री बहादुर सिंह : एक गांठ भी नहीं भेजी। सारे के सारे मवेशी भूखे उनको जंगल में जितने सूखे पत्ते थे उतने तो खिलाये और जंगल में पत्ते नहीं मिले, खत्म हो गये तो जानवर भूख से और प्यास से मर गये और बीमार भी पड़े, मौत के घाट उतर गये। काश्तकारों के पास आज बैल नहीं, भैंसें खत्म हो गयी, गाय खत्म हो गई और बकरियां खत्म हो गयी। आज बरसात हो गयी तो कैसे हल जोतेंगे कैसे जमीन फोड़ेगा, कैसे फसल बोयेंगे, कैसे यह लोग जिन्दा रह पायेंगे उसके लिए कोई व्यवस्था राज्य सरकार ने नहीं की है।

श्री सभापति : संक्षेप में।

श्री बहादुर सिंह : मैं आपके माध्यम से माननीय राहत मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, अभी भी मुझे विश्वास नहीं है कि बांसवाड़ा में बरसात हुयी या नहीं। 15 तारीख तक की मुझे जानकारी है कि बरसात नहीं हुयी थी, अभी भी शायद नहीं हुयी होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज से बांसवाड़ा जिले को अगले साल में 1985-86 के लिए अकाल-ग्रस्त घोषित कर दें। बहस का जवाब देते समय जब आप बोलेंगे तो उस समय आज ही बांसवाड़ा जिले को अकालग्रस्त घोषित कर देंगे यह मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि लक्षण मालूम पड़ जाते हैं कि जिस इलाके में बरसात देर से होती है तो भगवान

(श्री बहादुर सिंह)

के घर नियम बना हुवा नहीं है तीन चार महीने तक लगातार पानी पड़े। लगातार बरसात होती रहे ऐसा कोई नियम नहीं है। हो सकता है एक या दो बरसात हो जाये और उसके बाद बरसात रुक सकती है। एक भी बरसात रुकने से....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री बहादुर सिंह : फसल सूख जायेगी। अगले साल के लिए अकाल घोषित करने के लिए मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। बांसवाड़ा जिले में अनाज के कंट्रोल की दुकानों पर आज भी अनाज उपलब्ध नहीं है। लोग बाजार से खरीदते हैं महंगा अनाज खरीदते हैं और कोई सोसायटी कोई प्राइवेट डीलर अनाज नहीं लाता है, गांव के लोग दर दर भटक रहे हैं। बनिये के पीछे भटक रहे हैं। वे मनमाने भाव से अनाज बेचते हैं।

गेहूं और मक्की का भाव पांच रुपये किलो तक पहुंच गया है। माननीय सभापति महोदय, इस पर आप ध्यान दें। आपने मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हरीश शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री रघुवर दयाल।

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ परिहार। हां, विपक्ष में अब कम ही रह गये हैं इसके बाद आप बोलिये। श्री रघुनाथ परिहार का नाम मैंने पुकार लिया है।

श्री रघुनाथ परिहार (बाली) : सभापति महोदय, मांग संख्या 34 प्राकृतिक आपदाओं से राहत के विषय पर आपने मुझे चर्चा के लिए आमंत्रित किया इसके लिए मैं आभारी हूं। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा राजस्थान जो एक सूखा प्रान्त है और यहां अनावृष्टि अधिक रहती है इस कारण अकाल की सम्भावनायें बनी रहती हैं। गत 5 वर्षों में राजस्थान प्रांत में 1980 से 82 तक तीन वर्षों तक तो भंयकर अकाल की स्थिति रही और 1983 में भी कई जिलों में औसत से कम वर्षा हुई। 1984 में भी कई जिलों में औसत से कम वर्षा हुई है। मेरे विधान सभा क्षेत्र बाली जो पाली जिले में आता है गत वर्ष औसत से कम वर्षा हुई। फिर भी मैं मेरा दुर्भाग्य कहूंगा कि वहां जो वर्षा हुई उसकी गिरदावरी सही ढंग से नहीं होने पर मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक भी गांव अकाल ग्रस्त घोषित नहीं किया गया। मैं आश्चर्यचकित हूं कि अकाल के इतिहास में एक पृष्ठ और नहीं जुड़ा। साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र के ऐसे लोगों का जिसमें विशेष तौर से दस पंचायतें आती हैं और आदिवासी भाई निवास करते हैं अकाल ग्रस्त घोषित नहीं होने से उन गांवो में मजदूरी, रोजगार का काम नहीं हुआ। यह

(श्री रघुनाथ परिहार)

सही बात है कि हमारी जो अकाल घोषित करने की प्रक्रिया है. हमारा फेमीन कोड का जो प्रावधान है बहुत पुराने हैं और अकाल घोषित करने की जो प्रक्रिया है वह दोषपूर्ण है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कम वर्षा होने पर अथवा औसत से भी कम वर्षा होती है उसका रिकार्ड सरकार के पास उपलब्ध हो जाता है। उस क्षेत्र के लिये जब अकाल की स्थिति को आंकने के लिए जो रिपोर्ट प्राप्त होती है उसकी कोई जानकारी वहां के सम्बन्धित प्रधान अथवा विधायक को नहीं दी जाती है और किस प्रकार से वह सूची बनाकर के राज्य सरकार को भेज देते हैं और कौन से गांव घोषित किये जा रहे हैं वास्तव में गजट में छप करके वह सूची आती है तभी यह जानकारी होती है। यही स्थिति इस बार मेरे क्षेत्र की हुई है। जब ऐसा क्षेत्र जो पठारी क्षेत्र हैं जहां पर कुओं में 150-150 और 200-200 फीट नीचे पानी मिलता है और गत पांच वर्षों में जब औसत से भी कम वर्षा हुई है, सिंचाई का एक मात्रा साधन कुओं से ही है, जब औसत से कम वर्षा हुई है तो रवी की फसलें कतई नहीं हुई; खरीफ की फसलों में केवल नाम मात्र के लिये घास चारा हुआ और ऐसी स्थिति में भी हमारा क्षेत्र जब अकाल ग्रस्त घोषित नहीं किया गया है यह वास्तव में हमारे लिये बहुत दुःख भरी बात हुई और हमारे क्षेत्र में कोई राहत कार्य उपलब्ध नहीं हो पाया। मैंने इस मामले को जिला परिषद की बैठक में उठाया और जिला प्रशासन ने कुछ सहयोग दे करके आदिवासी क्षेत्र के जो मेरे करीब 25 गांव हैं उन क्षेत्रों में एन. आर. ई. पी. और आर. एल. जी. पी. से कुछ रकम सड़कों में और कुछ तालाब कार्य में जुटा करके राहत के कुछ कार्य चालू किये गये थे।

सभापति महोदय, राज्य सरकार ने न्यूनतम मजदूरी की दर बढ़ा करके एक अच्छा कार्य किया है। 11 रुपये मजदूरी देने का प्रावधान किया गया है फिर भी इसमें जो मौके पर तख्मीना करके अथवा बी. एस. आर. के अनुसार जो भुगतान की प्रक्रिया है उसमें तकनीकी कारणों से और नपती के आधार पर मजदूरों के साथ कभी कभी अन्याय हो जाता है और ऐसी जो प्रशासनिक विसगतियां हैं, जो दोषपूर्ण प्रणाली है, उसमें अगर वास्तव में मानवीय दृष्टिकोण से हम सुधार लायें तो मजदूरों के लिये बहुत ही अच्छी बात हो सकती है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि बाढ़ के विषय में मेरे क्षेत्र में वर्ष 1983 में 24 घण्टे में ही 12 से 15 इन्च वर्षा हुई और उस समय वर्ष 1982 में जो एनीकट्स हमारे क्षेत्र में बने, पीपला, सेवाडी और कावोटी ये तीनों एनीकट्स एक साथ बह गये। उसके कारण बाली में, बोयागाम में और सेवाडी व फालना स्टेशन पर कम से कम तीन सौ, चार सौ घर बह गये और काफी सम्पत्ति का नुकसान हुआ। इस मौके पर मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री स्वयं मौके पर

(श्री रघुनाथ परिहार)

पधारे, उन्होंने स्थिति का अवलोकन किया और मौके पर खाद्य सामग्री की और उनके आवास की व्यवस्था भी की। फालना स्टेशन पर जो हमारे मजदूरों की कालोनी इन्दिरा कालोनी के नाम से है वहां लोगों को अपने आवासीय मकानों को पुनः बनाने के लिये, निर्माण के लिये मुख्य मंत्री कोष से 1.43 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की उसके लिये भी मैं मुख्य मंत्री महोदय का बहुत आभारी हूं।

सभापति महोदय, अकाल के और बाढ़ राहत के जो कार्य चलते हैं उसमें जो कार्य जिस विभाग के जिम्मे दिया जाता है, यह उनकी विशेष जिम्मेदारी हो जाती है कि वे मजदूरों के भुगतान की व्यवस्था समय पर करें। मैं आपके माध्यम से: चूंकि हमारे अकाल राहत मंत्री सौभाग्य से सिंचाई मंत्री भी हैं, मेरे क्षेत्र में, सेवाडी के पास पीपला और सेवाडी एनीकट्स के कार्य चले थे सन् 1982 में, उनके भुगतान के बारे में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज भी हमारे कुछ मस्टर रोल एक वहां का कनिष्ठ अभियन्ता है, जो लेकर बैठा है। शायद उसके खिलाफ विभाग से कार्रवाई भी की जा रही है। हमारे जिलाधीश महोदय ने भी उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के लिये विभाग को लिखा है परन्तु अब तक वह मस्टर रौल मिरगेश्वर और सेवाडी में जो अकाल राहत कार्य हुए हैं वह उसके पास रुके हुए हैं। उसने जमा भी नहीं कराये हैं। इस प्रकार मेरे क्षेत्र के काफी मजदूर पेमेंट के लिये, भुगतान के लिये मारे-मारे फिर रहे हैं।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं राज्य सरकार को अनुरोध करना चाहूंगा कि जब भी ऐसी स्थिति अकाल की हो उस क्षेत्र में राहत कार्य की कमी हो तो उस क्षेत्र में जो भी स्वयंसेवी संस्थायें, जो भी दानदाता आगे आ करके उसमें हाथ बंटाना चाहते हैं, जन सहयोग करना चाहते हैं उन्हें भी जिला प्रशासन की ओर से पूर्ण सहयोग मिलना चाहिए ताकि हम ऐसे संकट की घड़ी में उन लोगों को राहत दे सकें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री जगमाल सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री भगराज जी आप बोलिये....

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, जैसा आपके मंत्रीजी ने कुछ नहीं कहा....

(व्यवधान)

श्री सभापति : मैंने पुकार लिया। श्री भगराज। कृपया संक्षेप में कह दें :

श्री भगराज चौधरी (आहोर) : सभापति महोदय, अकाल पड़ने की समस्या हमारे राजस्थान के लिये कोई नयी नहीं हैं। आम तौर पर इस बात की चर्चा है कि यह बहुत पुरानी समस्या है, इसके निदान के

(श्री मगराज चौधरी)

लिये, स्थाई हल के लिए विचार करना चाहिए। यदि अकाल पड़ता है हमारी सरकार केन्द्र सरकार से कुछ राशि प्राप्त कर लेती है और वह भी सहायता के रूप में नहीं, वह भी हमारे प्लान का जो एलोकेशन होता है उसके अगेंस्ट में केन्द्र सरकार कुछ पैसा एडवान्स कर देती है। जैसा कि इस वार मुझे जानकारी मिली, हमारे यहां पर अकाल पड़ा, भयंकर पड़ा और इसके कारण से भविष्य की क्या हालत बनी, चारे पानी की क्या समस्या बनी, लोगों की आर्थिक हालत काफी गिर गयी, बड़ी भारी गिर गयी और लोग बाग अपनी मजदूरी की तलाश में, अपना घर छोड़कर, वार छोड़कर, अपना गांव छोड़ कर बहुत ही दूसरे दूर दराज क्षेत्रों में गये और ऐसी हालत में हमारी राजस्थान की सरकार कुछ कर नहीं पायी। विशेष तौर से इसका कारण यह हो सकता है कि हमारे पास साधनों की कमी है। पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यद्यपि दूसरे प्रान्तों में देवी प्रकोप की जो विपदायें आती हैं चाहे बाढ़ हो, चाहे भूकम्प हो अथवा और किसी प्रकार की हो वहां तो हमारी दिल्ली सरकार, हमारी केन्द्रीय सरकार प्लान के अगेन्स्ट में नहीं बल्कि अपने खुद का दायित्व मान करके उस प्रकार की विपदा से निपटने के लिए उन सरकारों को, उन प्रान्तों को मदद के रूप में बड़ी भारी भरकम रकमें देती है जैसाकि मुझे याद पड़ता है आन्ध्र-प्रदेश में आज से 6-7 साल पहले, पिछले वर्ष और दूसरे प्रान्तों में जब जब भी बाढ़ आयी तो दिल्ली की सरकार, हमारे प्रधान मंत्रीजी और दूसरे लोगों ने बहुत बड़ी रकम सहायता के रूप में स्वीकार की। मगर हमारे यहां पर, मैं समझता हूं, बाढ़ के मुकाबले जो अकाल पड़ता है, और इस वर्ष का जो अकाल था उसकी विभीषिका और उसका असर जो पड़ा, मेरे ख्याल से बाढ़ से भी ज्यादा पड़ा। बाढ़ हमने देखी है। हम तो चाहते हैं कि हमारे पर बाढ़ आये। 1974 में राजस्थान में बाढ़ आयी थी खासकर पश्चिमी राजस्थान में जहां मुझे देखने का काम पड़ा था। जालौर जिले के अन्दर नदी का जो पानी था ऊपर से चला। मगर मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अकाल से तो बाढ़ अच्छी है। बाढ़ अगर आती है तो राजी होंगे। खेतों में पानी हो जायेगा, कुओं में पानी ऊंचा होगा। हमारी धरती हरी-भरी हो जायेगी। 5-10 साल सूखा पड़ने के बावजूद भी बाढ़ का असर बना रहेगा। हमें जो तकलीफ होती है अकाल के कारण वह तकलीफ बाढ़ के कारण से नहीं आयेगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, बाढ़ आने पर जब केन्द्र सरकार पैसा देती है सहायता के रूप में तो फिर अकाल पड़ने पर हमारी केन्द्र सरकार हमें सहायता के रूप में क्यों पैसा नहीं देती बाद में। मैं निवेदन करना चाहता हूं इसका कारण या तो यह हो सकता है कि हमारी राजस्थान सरकार ने हमारे यहां अकाल से पड़ने वाली समस्या और उसके कारणों से और इससे जो स्थिति बिगड़ती है उसके बारे में केन्द्र सरकार के सामने मजबूती से या तो अपना पक्ष नहीं रखा हो या जिस प्रकार का प्रचार और पैरवी करनी चाहिए उसमें कोई न कोई कमी रखी हो। वरना क्या तकलीफ

(श्री मगराज चौधरी)

कि राजस्थान सरकार को पूरा पैसा नहीं मिले। अकाल पड़ने की समस्या है यह हमारी सरकार की ही समस्या नहीं है, अपने प्रान्त की समस्या ही नहीं है यह एक राष्ट्रीय समस्या है। जब तक हमारी सरकार, केन्द्र सरकार से यह नहीं कहेगी कि हम अपने खुद के साधनों से अकाल से पड़ने वाली स्थिति से निपटने की स्थिति में नहीं हैं, इसको राष्ट्रीय समस्या मानकर, हमारे जन-धन की जो हानि होती है और जो हमारे लोगों की आर्थिक हालत गिर जाती है। एक दफा आर्थिक हालत गिरने के बाद, एक दफा अकाल पड़ता है उससे जो असर होता है या उससे जो स्थिति बनती है उससे निपटने के लिए आने वाले 5-7-10 सालों के अन्दर, मेरे ख्याल से, लोगों की हालत ठीक नहीं होती है। इस लिए राज्य सरकार को चाहिए कि राज्य सरकार दिल्ली सरकार से कहे कि यह एक मानवीय समस्या है, यह एक राष्ट्रीय समस्या है और अकाल से पड़ने वाली समस्या को राष्ट्रीय और मानवीय समस्या मानकर सारा जो खर्चा है वह पूरा खर्चा दिल्ली सरकार को वहन करना चाहिए।

(व्यवधान)

हमारे खुद के अपने साधनों से नहीं। मैं मानता हूं, जैसा कि अपने बजट पर चर्चा हुई थी उस समय इस पर काफी चर्चा हुई कि राजस्थान के जो साधन हैं, जो हमारी जरूरतें हैं, जो हमारी प्रायोरिटीज हैं, हमारे रिसोर्सेज हैं उन सबको देखते हुए हमारे खुद के बलबूते की बात नहीं है कि हमारी सरकार अकाल से निपटने के लिए सब प्रकार के साधन जुटा सके। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार अब भी दिल्ली की सरकार से बात करे कि जो 32 अथवा 33 करोड़ रुपया हमको इस साल अकाल से निपटने के लिए प्लान एलोकेशन के अगेन्स्ट, एडवान्स प्लान के रूप में मिला है एडवान्स प्लान के रूप में वह पैसा स्वीकार नहीं करे। दिल्ली सरकार से कहें, प्लान के रूप में आपकी तरफ से जो मदद हमें मिलने वाली है उसके अगेन्स्ट आपने जो पैसा हमें दिया है हम किसी भी प्रकार उसका एडजेस्टमैण्ट स्वीकार नहीं करेंगे बाद में। यानि, यह जो पैसा मिला है वह प्लान के अगेन्स्ट अथवा प्लान एलोकेशन के अगेन्स्ट स्वीकार नहीं करे। इस स्थिति से निपटने के लिए अलग से सहायता के रूप में पैसा मांगे। उनसे कहें, किसी भी प्रकार से सहायता में जो पैसा हमें मिला है वह हमारे प्लान का जो हमारा पैसा है उसमें से कम नहीं करें।

अकाल की जो समस्या है यह रेगिस्तान से जुड़ी समस्या है। अकाल क्यों पड़ता है, इसका क्या कारण है, क्या निदान है, इसके बारे में काफी चर्चा हो चुकी है। अन्धाधुन्ध पेड़ों की कटाई, बढ़ती हुई आबादी के साथ खाली पड़ी जमीन, सिवाय चक भूमि अपने खेती के लाइक बनाने की होड़ अथवा कोशिश में हमारी गोचर भूमि, हमारा ओरण, हमारा आगोर, यहां तक कि जंगलात भी, इसी प्रकार हमारे दरख्त थे, वेजिटेशन्स थे, वह कट गये। मगर जब कट गये तो वापस

(श्री भगराज चौधरी)

उसी प्रकार की स्थिति को बनाये रखने के लिए हमें हमारे यहां पर हरियाली बढ़ाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। हरियाली बने, ज्यादा पेड़ लगें, चरागाहों का विकास हो।

जब भी बरसात पड़ती है और हमारा जो पानी बेकार जाता है उस पानी का हमको संचय करना चाहिए, बिलकुल ठीक कहा बालोतरा से आने वाले माननीय सदस्य ने। हमारे यहां पर सरकार क्या करती है, जब आग लगती है तो कुआ खोदने का विचार करती है। अकाल पड़ता है तो अकाल से निपटने के लिए टैम्परेरी तौर पर कुछ न कुछ योजना बनाती है। मैं समझता हूं, इस प्रकार का प्रयत्न हमारी सरकार का नहीं होना चाहिए। राजस्थान के दुर्भाग्य से अकाल एक स्थायी समस्या बन गया है। तो इसके निदान के लिए स्थायी रूप से हमें कुछ आवश्यक उपाय सोचने पड़ेंगे, ढूंढने चाहिए। उसके लिए हमें, जो पानी बेकार जाता है उसकी एक-एक बूंद का उपयोग करना चाहिए। उसके लिए हमारे यहां पर हम एनीकट बनायें, खडीन कार्य हाथ में लें, छोटे मोटे सिंचाई के कार्य हाथ में लें। इस बार क्या जब भी, मैं तो देख रहा हूं काफी सालों से, जब जब भी अकाल पड़ता है तो अकाल राहत मजदूरी के रूप में कुछ कामों की सरकार स्वीकृति देती है हर जिले के अन्दर जैसा कि उनियारा, टौंक से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा। डिस्ट्रिक्ट फेमिन एडवाइजरी कमेटी अपने वहां से सुझाव भेजती है वह इतने भारी-भरकम होते हैं उनमें से बहुत से मैरिट वाले काम होते हैं, बहुत से बिना मैरिट के होते हैं। मगर फिर भी वहां अपने डिस्ट्रिक्ट फेमिन एडवाइजरी कमेटी के लेवल पर अथवा अपने सैक्रेटेरिएट के अन्दर या राज्य सरकार के लेवल पर बड़ा मुश्किल हो जाता है इस बात की स्क्रूटनी करना कि कौन से काम मैरिट वाले हैं और कौन से काम मैरिट वाले नहीं हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप यह मानकर चलें कि आने वाले सालों में अकाल पड़े अथवा नहीं पड़े, 4-5 प्रकार के काम हैं जो अकाल की स्थिति से निपटने में हमारी सहायता करने वाले हैं। जैसे प्रत्येक पड़ने वाली बूंद का हम उपयोग करें। उसके लिए एनिकट हम बनायें, माइनर इर्रीगेशन स्कीम हम हाथ में लें। जहां तक हो सके, सिंचित क्षेत्र बढ़ाने के लिए नहरें भी सहायक होती हैं। मगर साथ-साथ बहुत बड़े इलाके ऐसे भी हैं जिसमें अपने कुओं से खेती होती है। खासकर अपने जालौर जिले के अन्दर।

श्री सभापति : कृपया संक्षिप्त करें।

श्री भगराज चौधरी : मैं निवेदन करना चाहूंगा, कुओं का जो जल है उसका पूरी क्षमता से उपयोग कर सकें उसके लिए हमें डीसिल्टिंग प्रोग्राम हाथ में लेना चाहिए, डीपनिंग प्रोग्राम हाथ में लेना चाहिए। साथ साथ, हमारी जो खाली जमीन पड़ी है उस जमीन पर हमें अधिक से अधिक लाखों-करोड़ों की संख्या में पेड़ लगाने के लिए

(श्री भगराज चौधरी)

व्यापक तौर पर प्रोग्राम हाथ में लेना चाहिए। भगवान की मेहरबानी से अब कुछ इलाकों में बरसात हो गयी है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस सुनहरे समय को हाथ से न गंवाये और बहुत बड़ी संख्या के अन्दर पेड़ लगाने का प्रोग्राम हाथ में लेवे। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, थोड़ा संक्षिप्त करें।

श्री भगराज चौधरी : साथ साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस बार जो अपने अकाल राहत कार्य खोले गये उनमें सबसे मोटी कमी तो यह रही कि सरकार ने काम बहुत देर से खोले, बहुत देर से स्वीकार किये और बहुत कम कार्य स्वीकार किये। साथ में, लेबर किसी जिले में कितनी लगायी जायेगी इसका भी सीलिंग मुकर्रर कर दिया। जालौर जिले के अन्दर पहले तो राज्य सरकार ने यह कहा कि मार्च के अन्दर तीन हजार लगेगी लेबर। फिर कहा कि मई के अन्त तक 10 हजार लगेगी, फिर जून के अन्त तक 13 हजार। मुझे माफ करिये, सभापति महोदय, जालौर जिले में 700 गांवों में से 437 या 450 गांव अकाल से प्रभावित थे और कुल आबादी थी साढ़े चार लाख। साढ़े चार लाख जिले की जनता प्रभावित हो वहां पर केवल मात्र जून के अन्त तक 13 हजार लोगों को मजदूरी देने का विचार करती है तो फिर, मेरे ख्याल से, यह बहाना मात्र है कि हम अकाल राहत कार्य स्वीकार कर रहे हैं अथवा हमने किये हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री भगराज चौधरी : इसलिए मैं चाहूंगा, जैसी स्थिति बनी है उसके बारे में सरकार इस बात को सुधारे आयंदा। साथ ही मैं निवेदन यह भी करना चाहूंगा, अकाल राहत कार्य खोलने पर जो मजदूरी देते हैं वह टास्क पर आधारित है। टास्क हमने इतना बड़ा मुकर्रर कर रखा है कि 2-3 मजबूत आदमी, जितना टास्क हमने एक मजदूर के जिम्मे रखा है, उसको पूरा नहीं कर पाते।

श्री सभापति : कई अन्य सदस्य इस पर अपने विचार प्रकट कर चुके हैं। संक्षिप्त करें।

श्री भगराज चौधरी : यही कारण है कि आज जो मजदूरी मिलती है चाहे कितना ही अच्छी तरह से काम करे, बिल्कुल ही बिना समय बरबाद किये, सुबह आठ से लगाकर पांच बजे तक जो समय मुकर्रर किया है मजदूरी करने का उतने समय तक मजदूरी करेगा फिर भी एक मजदूर को 5 रुपये 6 रुपये से ज्यादा मजदूरी नहीं मिलती है। जालौर में तो नहीं मिली मेरे ख्याल से। मन्त्री महोदय, बहुत मजबूत कोई आदमी हो 2-4 मिलकर टास्क पूरी कर लें तो मैं कह नहीं सकता।

श्री सभापति : आप कौन से कमजोर हैं ?

श्री भगराज चौधरी : मैं तो कमजोर हूं ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज जिस प्रकार से हमारी शारीरिक शक्ति घट रही है, डाइट घट रही है उसको देखते हुए हमारा जो टास्क है, इस टास्क को कम करना चाहिए ताकि लोगों को पूरी मजदूरी मिले ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें ।

श्री भगराज चौधरी : हम एक तरफ कहते हैं, 11) रुपये से कम किसी को मजदूरी नहीं मिलेगी लेकिन जो मजदूरी मिलती है वह 5-4-3 रुपए मिलती है । बहुत बुरी बात है ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, रिपीटीशन हो रहा है बात का । कृपया समाप्त करें ।

श्री भगराज चौधरी : दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा साथ में, प्राकृतिक विपदा वाला मामला । इसमें भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आम तौर पर अपने गर्मी के दिनों में कभी कभी चारे के स्टोर में आग लग जाती है और उस से हजारों रुपए का चारा बरबाद होता है । साथ में चारे के कराये, पोटले अगर आबादी क्षेत्र के नजदीक होते हैं तो आबादी क्षेत्र में बड़ी भारी तबाही मचा देते हैं । उसको बचाने के लिए हर जिले में अग्नि दमन इकाई की स्थापना होनी चाहिए । इस बार थोड़े दिन पहले जालौर जिले में आग लगी । बहुत कोशिश की जोधपुर से हमने फायर ब्रिगेड मंगाने की । जोधपुर में अवेलेबल नहीं हुई । फिर जिलाधीश ने पाली से कोशिश कर अग्नि दमन इकाई मंगवायी और उसकी व्यवस्था हो पायी मगर वह हुई करीबन 24 घण्टे के बाद । तब तक अग्नि ने अपना पूरा प्रकोप जमा लिया था और काफी कुछ तबाह हो चुका था ।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें ।

श्री भगराज चौधरी : मैं निवेदन करना चाहूंगा, प्रत्येक जिले के अन्दर कम से कम एक अग्नि दमन इकाई की स्थापना होनी चाहिए । जालौर में अब तक नहीं है । मैं इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर विचार करें....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें ।

श्री भगराज चौधरी : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें ।

श्री भगराज चौधरी : संक्षेप में कह रहा हूं सब ।

(श्री भगराज चौधरी)

सभापति महोदय, अब मैं अन्त में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा....

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री यदुनाथ सिंह : उन्हें अन्तिम निवेदन तो कर लेने दीजिए।

श्री सभापति : कह दीजिए। कहें, कहें।

श्री भगराज चौधरी : राज्य सरकार फिजूल खर्ची कम करके जो हमारी प्रायोरिटीज हैं और जो हमारी आवश्यकतायें हैं, उनकी तरफ ध्यान रख कर कुछ काम करे। हमारी आज की आवश्यकता टी. वी. लगाने की नहीं है, हमारी आवश्यकता आज 21 वीं सदी में जाने की नहीं है। हमारी सरकार अब तो कह रही है 21 वीं सदी में जाने की बात पर मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मूलभूत आज हमारी आवश्यकता पीने के पानी की है, हर गांव में स्कूल की है, स्कूल के भवन बनाने की है, उसके लिए सड़क और सुचारू रूप से अपनी खेती बाड़ी की व्यवस्था के लिए आवश्यक व्यवस्था करने की है और दूसरे साज सामान की है। इस प्रकार व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो सरकार इस बात के लिए डींग कैसे हांक रही है कि हम 21 वीं सदी में पहुंचना चाहते हैं।

श्री सभापति : आपने तो फिर वापिस शुरू कर दिया.... समाप्त करें।

श्री भगराज चौधरी : तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार फिजूल खर्ची कम करे। आप देखिये पिछले 6 महीने के अन्दर दो इलेक्शन्स हुये हैं। पालियामेंट का इलेक्शन हुआ....

श्री सभापति : फिर वापिस शुरू....

श्री भगराज चौधरी : उसके बाद में असेम्बली का इलेक्शन हुआ तो आपने तीन महीने के अन्दर दो बार इलेक्शन क्यों करवाये....

श्री सभापति : आपने तो फिर शुरू कर दिया....

श्री भगराज चौधरी : आपने करोड़ों लोगों के साथ क्यों ज्यादती की....

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री भगराज चौधरी : इस प्रकार की फिजूल खर्ची को आप रोकिये और पैसे को बचाकर, जो लोग दुःखी हैं, जो पीड़ित हैं अकाल से उनको मदद के लिए आप ज्यादा से ज्यादा पैसा लगावें। आप यह कह रहे हैं कि.... बरसात हो चुकी है....

श्री सभापति : धन्यवाद, धन्यवाद।

श्री भगराज चौधरी : बरसात इस बार जो हो रही है जिस प्रकार की आपकी भावना है उसी भावना को देखते हुये व्यापक बरसात नहीं हो रही, व्यापक स्करटेड नहीं हो रही है; कहीं हो रही है, कहीं नहीं हो

(श्री मगराज चौधरी)

रही है। अभी दो दिन पहले ही मैं जालौर गया था और मैंने वहां पर देखा कि चार गांव में बरसात है तो 10 गांवों में नहीं है, 10 गांवों में हैं तो 15 गांवों में नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिन-जिन गांवों में अभी तक बरसात नहीं हुई है वहां मेहरबानी करके आप अकाल राहत कार्य चालू कर दीजिए और जो अकाल राहत कार्य पूरे हो चुके हैं उनके स्थान पर आप दूसरे अकाल राहत कार्य चालू करें....

श्री सभापति : काफी अच्छे-अच्छे सुझाव दे दिये आपने।

श्री मगराज चौधरी : ताकि किसी न किसी प्रकार से लोगों की वहां पर इमदाद हो सके, उनको मजदूरी मिल सके। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री नाथूसिंह : मेरा नाम भी है, दो मिनट।

श्री सभापति : आपका नाम मैंने पुकार लिया था, आप अनुपस्थित थे।

श्रीमती उजला अरोड़ा।

एक माननीय सदस्य : बोलने की समय सीमा निर्धारित कर दीजिए।

श्री सभापति : नाथूसिंह जी आप पहले अनुपस्थित थे, मैंने पहले आपका नाम पुकार लिया था।

श्री नाथूसिंह : पानी पीने के लिए भी नहीं जायें क्या ?

श्री सभापति : इसमें मेरा क्या दोष हो सकता है ? कृपया, श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री नाथूसिंह : कई बार सरकार भी गायब हो जाती है।

श्री सभापति : सरकार कभी गायब नहीं रही है, सरकार हर वक्त उपस्थित रहती है। आप ही बहुत व्यस्त रहते हैं, आप बहुत अनुपस्थित रहते हैं।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, 2 मिनट बोल लेने दीजिए।

श्री सभापति : आप कल सदन में बोल लिये थे। आप माननीय सदस्या को आज बोलने दीजिए। कृपया बोलें।

श्री दिग्विजय सिंह : आप एग्रीकल्चर पर बोलना कल नाथूसिंह जी।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, राजस्थान में बार-बार अकाल, बार-बार बाढ़ चलती रहे, होना तो यह चाहिये था कि....

(व्यवधान)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

देखिये आप मेरे को बोलने दीजिए....

श्री सभापति : नहीं आप बोलें । कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : होना तो यह चाहिये था कि राजस्थान के बाढ़ और अकाल का मास्टर प्लान बनाया जाता । क्योंकि जिन क्षेत्रों में अकाल पड़ता है, हम यह देखते आये हैं कि वर्षों उन क्षेत्रों में बार-बार अकाल पड़ता है चाहे सेन्ट परसेन्ट पड़े या 75 परसेन्ट पड़े । तो इस तरह से योजना बनाकर स्थाई नेचर के काम किये जाने चाहिये थे जिसमें वहां रहने वालों को असुविधा नहीं होती, सिंचाई के लिए बरसात का मुंह नहीं देखना पड़ता और वहां पर भी सरसब्ज जमीन हो जाती । ऐसे साधन मनुष्यकृत हो सकते थे लेकिन नहीं किये गये, इसका प्लान नहीं बनाया गया । मुझे अफसोस है । मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि वह जरा नोट कर लें, जो मैं सुझाव दे रही हूं उन्हें मन्त्री महोदय जरा नोट कर लें ।

श्री सभापति : वह नोट कर रहे हैं, आप चिन्ता नहीं करें ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप बोलिये मैं नोट कर रहा हूं ।

श्री सभापति : मन्त्री महोदय हर बात को नोट कर रहे हैं ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप जब सुझाव पर आ जायेंगी तब मैं नोट कर लूंगा । पहले तो आप भूमिका बांध रही हैं....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं शुरू से सुझाव दे रही हूं ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : ठीक है, मैं नोट कर लूंगा आप सुझाव पर आ जायं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा ठीक है, नोट करें, पैंसिल तो हाथ में लें ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : वह तो आपके बोलने का ही इन्तजार कर रहे थे । कृपया बोलें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अच्छा तो मैं भी इनके आने का इन्तजार कर रही थी, ये आ जायं तब बोलूं । आपको धन्यवाद कि आपने ऐसे समय मुझे बुलाया जब मन्त्री महोदय यहां पर आये । तब मन्त्री महोदय मेरे सुझाव कुछ कारगर हो सकते हैं....

(व्यवधान)

श्री सभापति : यह एक बहुत अच्छी बात है आप एक दूसरे का इन्तजार कर रहे हैं । कृपया बोलें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अकाल ग्रस्त क्षेत्र ऐसा कोई प्लान बनाया जाय जिससे स्थाई रूप के काम किये जा सकें, बरसात के

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

बादलों का मुंह हम न देखें। स्थाई रूप से हमारे खेतों को, हरियाली को नुकसान नहीं होगा। वहां पर बान्ध बनें, जो बरसात का पानी आता है उसको रोक लिया जाय और इस तरह से हम सिंचाई के साधन भी पैदा कर सकते हैं। इस तरह से राजस्थान के जिन क्षेत्रों में निरन्तर अकाल पड़ता है उन क्षेत्रों में साधन बनने चाहिये मंत्री महोदय।

इसी तरह से मैं कहना चाहूंगी कि हमारे यहां जो बरसाती नदियां मिट्टी बहाकर लाती हैं, पत्थर बहाकर लाती हैं उसके कारण से पानी इस तरह से उफनने लगता है कि हम उसको रोक नहीं पाते और आस-पास के क्षेत्रों में वह पानी फैल जाता है। इसके लिये आपका कोई प्लान बनना चाहिये कि जब इस तरह से उछलती हुई नदियां आयें उसका पानी वहीं रोक लें और उसको हम काम में ले लें तब वह पानी हमारे क्षेत्र में नुकसान नहीं कर सकेगा। जो नुकसान होता है उसको समाप्त करने के लिये हम लोग काफी पैसा खर्च करते हैं। मैं समझती हूं कि इस तरह से आप सारे राजस्थान का, जयपुर जिले का प्लान बनायें, अन्य जिलों का अलग से प्लान बनायें जिससे कि केन्द्र से पैसा लिया जा सके और हम स्थायी नेचर के काम अपने प्रान्त में कर सकें। जयपुर नगर में 1981 में बाढ़ आई थी। 1981 में बाढ़ आई उसके उपरान्त केवल नगर भर का प्लान बना, जयपुर शहर को बाढ़ से बचाने के लिये। होना तो यह चाहिये था, जयपुर जिले की बहुत सी तहसीलों में जल प्लावन हुआ था—सांगानेर तहसील में, लालसोट तहसील में, जयपुर तहसील में, जमुआरामगढ़ तहसील, चौमूं तहसील, आमेर तहसील इन सब को ध्यान में रखते हुए जयपुर जिले का मास्टर प्लान बनना चाहिये था उस बाढ़ को रोकने के लिये, जिससे कि जिन कारणों से बाढ़ आती हैं, उनको अवरुद्ध करके हम अपने इलाके को बचा सकते।

जयपुर नगर में 400 करोड़ रुपये का नुकसान कूता गया था। स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मन्त्री यहां पर आई थीं, वह स्वयं चिन्तित थीं कि जयपुर जैसे नगर को बचाया जा सके, जयपुर जिले को बचाया जा सके। और उस समय के मुख्य मंत्री महोदय ने आश्वस्त किया था कि हम यहां के लोगों को दुःखी नहीं होने देंगे और अगली बार ऐसी बाढ़ आये उसके लिये सारे इन्तजाम कर दिये जायेंगे। इसके लिये 25 करोड़ रुपया केन्द्र से सहायता के रूप में मिला था....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 45 करोड़ रुपया मिला था।

श्रीमती उजला अरोड़ा : वह राशि आप जयपुर नगर में लगायें। साथ ही 20 करोड़ रुपया आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों में आप खर्च करें। सभापति महोदय, यहां की नालियां टूटी, यहां की सड़कें टूटी, यहां की पुलिया टूटी, यहां के बन्धे फूटे इस तरह से जलप्लावन हुआ, भयंकर स्थिति थी। मंत्री

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

महोदय मैं इस सम्बन्ध में आरोप लगाना चाहती हूं कि जिन कारणों से बाढ़ आई उनको रोकने के लिये कोई काम नहीं किये गये। उस पैसे का उपयोग शहर में फुटपाथ बनाने के काम में किया गया, कोटा स्टोन के चौके प्रभावशाली लोगो के क्षेत्र में जहां कि वह रहते हैं उनमें फुटपाथ बनाने के लिये खर्च किया गया। 15 करोड़ रुपया पी. डब्ल्यू. डी. को दिया कि यहां की नालियों में जहां जहां पर बाढ़ का पानी आता है, जैसे मैंने सुबह ही जिक्र किया था नाग तलाई के नाले का, यहां पर इस तरह की 7 नालियां हैं जिनके कारण से बहुत बार पानी भारी मात्रा में आता है। अगर बरसात तेज आ जाय तो जयपुर नगर का सम्बन्ध बाहर के हिस्से से विच्छेद हो जाता है। यहां की जो सारी सड़कें एदम् बाई पास सारा टूट सकता है। नगर में जो काम किया गया थोड़ा बहुत वह कच्चा काम किया गया, पैसे का अपव्यय किया गया। यह मेरा आरोप है।

सभापति महोदय, इसी प्रकार नगर परिषद् को और जयपुर नगर विकास न्यास को साढ़े तीन करोड़ रुपया दिया गया कि आप यह काम करायें। जयपुर नगर परिषद् ने कुछ काम किया, सामान्य काम जयपुर नगर विकास न्यास ने किया और जयपुर नगर विकास न्यास ने 2 करोड़ 40 लाख रुपये वापिस लौटा दिये। यह अक्षमता का नमूना है। यह नमूना है इस बात का कि वह काम नहीं कर सकते और बहाना लिया यह कि जो बाढ़ का प्लान बना है, जो प्रोजेक्ट बना है उसके बाद काम होगा। सरकार आदेश देगी तब हम काम करेंगे। 4 साल तो इसी आदेश के इन्तजार में निकाल दिये और सरकार ने आदेश दिये। जो भी सारी नालियां वह कम से कम खाली पड़ी हैं एक छोटी सी बरसात आई, गंगापोल पुलिया तड़क गई, आप देखेंगे जो अम्बा बाड़ी की पुलिया बनाई है, एक बरसात आ जाय तो वहां कोई बचने वाला नहीं है। मंत्री महोदय मुझे आपसे आशा है आप जयपुर नगर और जयपुर जिले के प्लान में अपना योगदान करेंगे और इसी वर्ष में यह योजना, मास्टर प्लान बनाकर काम शुरू करायेंगे। मेरे इलाके में जो पुलियायें टूटी हुई हैं उन पर भी काम पूरा नहीं हुआ है। आप जाते होंगे आगरा रोड पर। आप आगरा रोड पर जब भी जायेंगे तब देखेंगे कि वहां पर दो चार, दस एक्सीडेन्ट आपको पड़े मिलेंगे। वह सड़क 4-5 साल हो गये पर अभी तक पूरी नहीं हुई है और न ही नायला के पार जाने वाला पुल पूरा हुआ है। मैं मन्त्री महोदय से यह कहना चाहूंगी कि आप इसको देखें कि आपको क्या करना है। इसी तरह गलता के पीछे जो क्यारा बनने वाला था जन सहयोग से, पर्यटन विभाग ने जो पैसा दिया लाख, दो लाख, चार लाख उसका काम भी पूरा नहीं किया है। वह क्यारा अभी तक यों ही पड़ा हुआ है। अगर उस क्यारे का निर्माण नहीं हुआ तो आप सच मानिये कि मेरे इलाके में जो कि गलता के पीछे का इलाका है बलूपुरा, सुमेर, गगराना, रूपाकी नाल, मुकुन्दपुरा, यह गांव और ढाणियां बाढ़ की चपेट में आ जायेंगी।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

गलता का क्यारा बनाये जाने की बात नितान्त आवश्यक है। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि नाग तलाई के नाले के लिये कुछ दिनों पहले यहां पर यह कहा गया कि 40 लाख या 45 लाख रुपये पहले भी सैंक्शन हुए थे। कई बस्तियां आज भी मैं गिना सकती हूं मण्डी खटिकान, डाकोतान, लक्ष्मी-नारायणपुरी, नागतलाई और पदमपुरी की डूंगरी और जल महल के इलाके इनको बचाया जा सकता था। सभापति महोदय, मेरे इलाके में करीब तीन साढ़े तीन हजार मकान गिर गये थे जिसमें थोड़े से लोगों को तो पैसे दिये गये थे पर बाकी सौ रुपया, तीन सौ रुपया या छः सौ रुपये आमदानी वाले लोग थे उनके पैसे रोक लिये गये। यह कहा गया कि पक्के मकान का दिया गया है। अगर यह है तो क्या नागतलाई में जितने लोगों के मकान विध्वन्स हुए उनको आज यदि याद करें तो आपकी आंखें चकरा जायं। 79 लाशें तो वहां से वह कर गई थीं उस समय, आप उसको रोक नहीं सके। आज भी लोग रोते फिरते हैं कि हमारे घर के आदमी कहां गये, उनका क्या हुआ। यह बात दूसरी है कि उस समय के तत्कालीन एम. एल. ए. ने वहां पर बाढ़ ग्रस्त लोगों के साथ हंस-हंस कर फोटो खिचवाये। मैं उस बात में नहीं जाना चाहती हूं लेकिन जिनके मकान टूटे थे उनको पैसा नहीं दिया गया। कच्चे मकान टूटे थे उनमें आधे के तो पैसे रोक लिये। 18 लाख रुपये जयपुर तहसील के लोगों के लिये था पर जितना पैसा दिया गया था उसके लिये यह कहा गया कि इस पैसे का समायोजन दूसरे बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र के अन्दर कर लिया गया है। वह पैसा वहां पर दूसरी जगह पर लगाया। फिर मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहती हूं कि उस पैसा का समायोजन वहां पर जहां के लिये कहा गया था वहां पर नहीं किया गया और जो विद्याधर नगर और मुरलीपुरा, जहां पर लोगों को ले जाकर लगाया गया, आपकी किताब जो बाढ़ राहत के नाम पर निकली उसमें है कि 8 हजार रुपये प्रति मकान दिया जायेगा और उसके बाद आपकी जो पुस्तक निकली जो जयपुर नगर विकास न्यास की थी उसमें यह कहा गया कि 600) रु. से कम आमदानी वाले लोगों को 9 हजार रुपये में मकान दिया जायेगा। यह कैसे बदला? आपने 600 से और 300 से ऊपर आमदानी वाले लोगों को 9000 और 600 रुपये वाले के लिये 12 हजार रुपये में मकान देने की बात कही जबकि प्रधान मन्त्री के सामने जो बुकलेट दी गयी है उसमें अलग था। अब यह कह रहे हैं कि इसमें 19 हजार रुपये लिये जायेंगे एक साल पहले कह रहे थे कि 17 हजार रुपये लिये जायेंगे। गरीब लोगों को मकान नहीं दिया गया है। अगर एक व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर रखा जाता है तो एक चिड़िया होती है उसका घोंसला भी अगर आप तोड़ेंगे तो चार दिन वह भी चीं चीं करती है कि मैं यहां पर कभी रहती थी।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, कृपया संक्षिप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : समापति महोदय, मैं बहुत कम बोलती हूं।

श्री सभापति : आप बहुत अच्छी बोलती हैं। आप बहुत अच्छी वक्ता हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप कहें तो मैं बैठ जाऊं और अपनी बात भी पूरी किये बगैर ही बैठ जाऊं।

श्री सभापति : समय का ध्यान रखें, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : समय की सीमा आप क्या रखना चाहते हैं मुझे बता दीजिये। कितने समय में मुझे कवर करना है उतने ही समय में कवर कर लूं।

श्री सभापति : समय की सीमा का ध्यान रखें। माननीय सदस्या आप बोलें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : क्या पांच मिनट या सात मिनट, उसी में समाप्त कर दूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, मन्त्री महोदय का भी वक्तव्य होगा। आप संक्षेप में करने की क्षमता रखती हैं इसलिये मैं कह रहा था कि संक्षेप में सीमा का ध्यान रख कर घड़ी की ओर देखती जावें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : तो सभापति महोदय, यह विद्याधर नगर, मुरलीपुरा, भालानापुर जहां आपने लोगों को ले जाकर बसाया है वहां हालत यह है, सभापति महोदय, टोटल दीमक है। वहां पर लोग अपना सामान लेकर गये तो उन का सामान दीमक खा गयी। एक तरफ तो तकदीर के मारे यहां मरे दूसरी तरफ भालाना में जाकर मरे। तो मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगी कि उनको जमीन दी जाये और उनको रीजनेबल पैसे दिये जायं। जो पैसे देने का आपने वायदा किया था 300 से 600 रुपये की आमदानी वाले लोगों को मकान दिये जायं, चाहे आप लीज पर दें, चाहे आप किस्तों में दें आप किसी तरह करके उनको मकान दें मैं यह आग्रह मन्त्री महोदय से करना चाहूंगी।

(रात्रि 8.47)

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

हमारे यहां पर सन् 1977 में जब पानी आया तो उस समय भैरोंसिंह जी की सरकार थी। उस समय हमारे इलाके में इतनी जमीन डूब में आ गयी कि मैं आपको क्या कहूं। मैंने आकर कहा तो तत्काल ही जमुवारामगढ़ में तीन फाटक और एक फाटक जलमहल में लगाया जिसके चार लाख रुपये लगे। जमुवारामगढ़ में जो तीन फाटक लगे थे उसके 20 लाख रुपये से भी ज्यादा लगे थे जिससे जयपुर शहर को बचाया जा सका था। मैं यह कहना चाहती हूं कि जल महल से बार-बार पानी निकाला जाकर जैसे भैरोंसिंह जी की सरकार ने फाटक लगाया, उसी तरह मैं आपको कहना चाहूंगी कि अभी पीछे 33 गांव हैं जो कि पानी की चपेट में आये हुए हैं, जिनको आप डुबाना चाहते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि जयपुर और जयपुर के निचले हिस्से को अगर नहीं

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

बचाया गया तो बर्बाद हो जायेंगे। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि राज्य सरकार इस ओर ध्यान दे। आज जलमहल में मिट्टी भर कर उसकी भरत बढ़ायी जानी चाहिये। जलमहल की खुदाई करके उसकी भरत को, पानी की क्षमता को बढ़ाया जाय, वह तो हुआ नहीं आपसे और जयपुर को रिसाव का पानी पिलाया जा रहा है जो पहाड़ के नीचे के रिसाव का पानी है। अगर कुछ दिन बाद, दो चार दिन बाद अगर बरसात आ गयी तो आप सच मानिये कि यह जमवा-रामगढ़ का बान्ध टूट जायेगा और अगर उसकी बाढ़ से नहीं बचाया गया तो बहुत सारे गांव चपेट में आ जायेंगे और बहुत सारी लाशें वह कर आयेंगी।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ऐसा नहीं, साहब। या तो बोलने दीजिये या मना कीजिये।

मेरा यह कहना है कि जन सम्पर्क विभाग के द्वारा निकाली गयी यह पुस्तक "निर्माण के नये दौर" उसमें योजना बनायी और जे. डी. ए. के बाढ़ प्रोजेक्ट देखें। एक-गिनाऊं तो बहुत देर हो जायेगी। मैं चाहती हूं कि माननीय मन्त्री जी आप उन पर काम करें। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में 13 बान्ध 110 बान्धों में से टूटे हुए हैं। वहां पानी की सीव नहीं लगी होने के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। जयपुर जिलाधीश के कार्यालय में अभी 23 तारीख को मीटिंग बुलाई है। विधान सभा जब चल रही है तो मीटिंग बुलाई नहीं जाती है। फिर भी जिलाधीश ने मीटिंग बुलाई उसमें मैं नहीं पहुंच पाई। मेरे यहां पर आने के बाद बांधों का कहां-कहां पर निर्माण कराया जाना है उसके लिये तय किया गया। वहां जो माननीय सदस्य हैं यह कह रहे थे कि वहां पर काम कराने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो 23 तारीख की मिनिट्स उठा कर देख लें, जिलाधीश के आफिस से मंगा कर देख लें जिसमें यह कहा गया है कि अमुक माननीय सदस्य ने यह कहा था कि बान्ध वहां पर बनाये जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस क्षेत्र में गांव डूब में आयेंगे अगर बान्ध फूट गया तो। मूंडला बान्ध, घावपुरा का बान्ध, रानी का बान्ध, मोहन-पुरा का बान्ध, शाहू का बान्ध और इतने यह सब बान्ध जरूरी हैं। जो आथोरिटी दिये जाने वाले बान्ध हैं उसमें 110 में से 81 तो जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में तत्काल बनाने के आप आदेश दें।

बहुत सी तहसीलों में दूसरे ऐसे गांव हैं, मैं आप पर पक्षपात का आरोप लगाऊं यह शोभा नहीं देता। आप इस बात को ध्यान में रखें कि आने वाले समय में अगर एक तहसील में जहां अलग-अलग दलों के सरपंच हैं आप एक समान रूप से व्यवहार करिये। इस बारे में मैं यह बात कहना चाहती हूं कि भैरोंसिंह जी की सरकार ने काम के बदले अनाज योजना में काम किया, मेरे इलाके में भी सरपंच कांग्रेसी हैं, लेकिन उन्होंने पैंतीस गांवों में काम किया इस

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

योजना के अन्तर्गत, हमने कभी भेदभाव नहीं किया। लेकिन आज अकाल या बाढ़ के कार्यों में पक्षपात का सवाल उठता है। मैं कहना चाहती हूं आपसे कि जो आप ग्यारह रुपये दे रहे हैं केवल इसी आधार पर उनको मजदूरी नहीं दे रहे हैं। मेरा कहना है ग्यारह रुपये कम हैं, आप जयपुर शहर में सफाई वाले आदमी को बुलायें तो वह भी 15-20 रुपये से कम नहीं लेगा। यह मजदूरी बढ़ाई जानी चाहिए जिससे वह काम पर तत्काल आ जाय। आप उनकी हालत सुधारें। इन अकाल के कामों में उनको चिकित्सा की सुविधा, पानी की सुविधा, जहां अकाल के काम हो रहे हैं उनमें आप को यह सुविधायें पहुंचाने के लिए इन्तजाम करने चाहिए। यह एक बात मैंने कही।

मुझे अग्नि शमन सेवा के बारे में कहना है। जयपुर में अग्नि शमन की नगर परिषद की नौ गाड़ियां हैं, केवल तीन गाड़ियां ही चलती हैं।

एक माननीय सदस्य : थोड़ा समय का भी ध्यान रखें, रामायण नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सिविल डिफेंस की नौ गाड़ियां हैं जिनमें पांच खराब पड़ी हैं। जब गांव में आग लग जाती है, मंत्री महोदय मेरा कहना यह है कि वहां पांच गाड़ियां हैं। जयपुर शहर में आग लगती है और जिस समय सब कुछ ध्वस्त हो जाता है उस समय यह अग्नि शमन की गाड़ियां पहुंचती हैं। उनको तत्काल पहुंचाने की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। अगर चौड़ा रास्ता में आग लग जाये तो घाट गेट से पानी, अगर विश्वकर्मा में आग लग जाये तो घाट गेट से पानी देते हैं। जाते-जाते यह पानी सूख जाता है इस तरह से सड़कों के नीचे जो हाई ड्रेन हैं 285, वह बन्द पड़े हैं उनको खुलवाया जाये। और अग्नि शमन का जो सिविल डिफेंस का टेलीफोन है मैं पूछना चाहती हूं नगर परिषद के आयुक्त के लगाने की क्या जरूरत है। हरिशंकर शर्मा उनके यहां टेलीफोन है और एक मेडिकल आफिसर हैं उनके यहां भी सिविल डिफेंस के टेलीफोन हैं। किस प्रकार से उन्होंने जिलाधीश की आज्ञा ले रखी है? यह सारा काम जिलाधीश की आज्ञा से हुआ है। मैं समझती हूं यह गलत है, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : ज्यादा बोलने से ब्लड प्रेशर बढ़ जायेगा तो मुश्किल हो जायेगी, इसलिये कृपा करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपके सहयोग के लिए, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी चिन्ता कीजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने जो आपसे आग्रह किया है कि सिविल डिफेंस में और नगर परिषद में अग्नि शमन सेवा कर्मचारियों के सिर पर हैट नहीं है, हैट के बिना आग में

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

घुसें और सिर पर पट्टी गिर जाये तो मर जायं। इस प्रकार की स्थिति उन कर्मचारियों की है, न उनके पास ग्लोब्ज हैं, न उनके पास आंख के चश्मे हैं, न पैरों में गम बूट हैं, न उनके पास आग की बचाव वर्दी है। इस प्रकार के काम में यह कर्मचारी सेवा करें इसकी हम अपेक्षा रखते हैं, लेकिन उनके पास यह सुविधायें नहीं हैं तो वह सेवा कैसे करें। वह अपनी जान की बाजी लगा कर जाते हैं। मुझे आशा है और विश्वास है कि आप इन सेवाओं को तात्कालिक रूप से युद्ध सेवाओं के समान जुटायेंगे और जो अग्नि शमन सेवा की खराब पड़ी हुई गाड़ियां हैं उनको नीलाम करके नई गाड़ियां मंगवायेंगे जिससे गांव और शहर को आग लगने पर बचाया जा सके। इसी प्रकार राजस्थान के केवल कुछ बड़े नगरों में अग्नि शमन सेवायें हैं बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, भरतपुर, अलवर, धौलपुर में नहीं हैं। इसी तरह से इन जगहों पर भी, जो बड़े जिले हैं छोटे जिले हैं, सत्ताइस के सत्ताइस जिलों में आप अग्नि शमन सेवायें और गाड़ियां उपलब्ध करायेंगे। यह तो दैविक विपदा है।

इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगी, केवल पांच सौ रुपये दिये जाते हैं जब आग लगती है तो सब कुछ भस्म हो जाता है, सिर पर छप्पर नहीं रहता, खाने को दाना नहीं बचता फिर आप सिर्फ पांच सौ रुपये जब जूती टूट जाती है तब आप उपलब्ध कराते हैं। मेरा आपसे कहना है कि तात्कालिक रूप से गांव में और शहरों में जब सूचना आए आग की उनको रुपया मिले और पांच सौ रुपये नहीं, इस महंगाई को देखते हुए एक हजार रुपये नकद उनको दिये जायं। जिनका छप्पर टूट जाये उनको छप्पर उपलब्ध करायें, खाने के लिए राशन का इन्तजाम करायें जैसा कि पहले होता था, यह कोई नई बात नहीं है। आपने आते ही इसको बन्द किया है 1981 में, हमारे समय में चलता था। मैंने अनाज की बोरियां दिलवाई हैं जिनके घरों में आग लगी है। आधा किलो अनाज देते थे, तीन किलो एक सप्ताह के हिसाब से देते थे। मैं समझती हूं इस प्रकार से आप इन लोगों को देखें। प्रिमियर वेजीटेबल में आग सात दिन में बुझी, जयपुर फ्लोर मिल में आग सात दिन में बुझी, अभी चौड़ा रास्ता में साईकिल हाट वालों के आग लगी वह 4 दिन में बुझी छोटी-छोटी आग 10-15 दिन में बुझे। इनके पास कोई गैस नहीं जिसको डालने से आग समाप्त हो सकती है। इनके पास वह नहीं है, कोई रासायनिक पदार्थ नहीं है। इस प्रकार आप अग्नि शमन सेवाओं को सक्षम बनायेंगे ऐसी मुझे आशा है।

यही बात कहते हुए आपने मुझे बोलने का समय दिया, उपाध्यक्ष महोदय, उसके लिये धन्यवाद। मंत्री महोदय ने मेरे सुझाव निश्चित रूप से लिखे होंगे अगर नहीं लिखे हों तो मैं एक महीने के बाद आकर दोहराऊंगी, इन कामों को कराने की कोशिश करूंगी। मुझे आशा है कि आप पहले से ही कर देंगे।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : उपाध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवायें।

श्री उपाध्यक्ष : पांच-पांच मिनट में माननीय सदस्य अपनी बात कहें। श्री हंसराज ।

श्री हंसराज मिढ़ा (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, सूरतगढ़ क्षेत्र में पटवारी ने नौ गांवों के तालाब गलत रिपोर्ट करके अलाट कर दिये हैं। पानी पहले नहीं मिलता, नौ गांवों में तालाब और बन्द कर दिये हैं। नहरी क्षेत्र नहीं है वहां इससे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, लोग यहां आये हुए हैं बाहर बैठे हैं, वह कहते हैं कि नौ गांव के तालाब अलाट करा दिये हैं पटवारी ने। मंत्री महोदय आप जिलाधीश को आर्डर दें ताकि अकाल पहले से ही है, अकाल राहत कार्य नहीं खोले हैं, उनको चलाया जाये। इसके लिए हमने कई बार रिक्वेस्ट की तालाबों का इन्तजाम करें पशुओं के लिये पीने का पानी नहीं है, कहां से पानी लायेंगे। पानी जो है वह भी खारा है। दो गांव के लिए अपनी व्यवस्था दें देवदासपुर और लदेड़ में पानी पेयजल योजना से पहले दिया गया है मगर वहां अभी तक पानी नहीं है, लोग आये बैठे हैं। आपके पी. एच. ई. डी. के एक्स. ई. एन. सैनी साहब को टेलीफोन या वायरलेस से आर्डर दें कि उनको पानी दें। मेहरबानी करके तालाबों को रोकें नहीं वरना पशुओं को पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, वहां तालाब खत्म हो जायेंगे, आपने समय दिया। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : नाथूसिंह जी, आप बोलेंगे ? अफसोस करते हुए बोलें, अनुपस्थित थे।

श्री यदुनाथ सिंह : यह परम्परा नहीं डालें तो अच्छा है। सरकार के मंत्री गायब हो जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपके सामने इतने लम्बे-चौड़े बैठे हुए हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : पाइन्ट आफ आर्डर, सर। मैं निवेदन करूंगा कि आसन की तरफ से व्यवस्था उचित नहीं कि माननीय सदस्य खेद व्यक्त करें। माननीय सदस्य को खेद व्यक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, सदन की बड़ी परम्परा है, माननीय सदस्य किसी कारण से सदन में नहीं थे क्योंकि सदन में बोलने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है कि विपक्ष के कौन सदस्य किस वक्त बोलेंगे और पक्ष के सदस्य कौन से किस वक्त बोलेंगे, इसलिये यह परम्परा गलत है। चाहे पक्ष के हों, चाहे ना पक्ष के हों, अनावश्यक रूप से खेद व्यक्त करें ऐसा रूल्स में कोई प्रावधान नहीं है इस तरह से खेद व्यक्त करने का कि सदस्य का नाम पुकारा जाये कि वह खेद व्यक्त करेगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य को बिना खेद व्यक्त करने के बोलने दिया जाये तो उचित रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा एक निवेदन है, जो सचेतक लिस्ट देते हैं उसके हिसाब से देखते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराना ; वह अलग बात है, इसमें समय नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं महसूस करता हूं माननीय सदस्य, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उस समय यह उपस्थित नहीं थे जब नाम पुकारा गया था।

श्री यदुनाथ सिंह : मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आपकी व्यवस्था को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन ट्रेजरी बेंच के सदस्यों को आप दुबारा समय देते हैं तो खेद व्यक्त करने के लिये नहीं कहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सबको कहता हूं।

श्री यदुनाथ सिंह : नहीं कह रहे हैं, अगर कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं।

श्री मानिकचन्द सुराना : खेद व्यक्त करने का प्रावधान गलत है, कोई प्रावधान नहीं है चाहे हां पक्ष के हों या ना पक्ष के हों।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा हाउस का कन्वेंशन रहा है....

श्री मानिक चन्द सुराना : कभी नहीं रहा आप इस पर पुर्नविचार करें।

श्री उपाध्यक्ष : इसको डिस्कशन का मामला न बनायें।

श्री यदुनाथ सिंह : बिलकुल बनाया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : इसके बारे में बैठकर विचार कर लेंगे।

(9.00 रात्रि)

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रेस्टीज का पाइन्ट नहीं है। माननीय सदस्य कृपया सूक्ष्म में।

श्री देवीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, हमें भी समय दो।

श्री उपाध्यक्ष : इनके बाद में।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम पुकार लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बार केन्द्र को अकाल के लिए एक मेमोरण्डम प्रस्तुत किया था। उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र से 102 करोड़ 92 लाख रुपये की कुछ मांग राज्य सरकार ने की थी और जिसके अगेन्स्ट में 14 करोड़ 9 लाख ही कुल हमें मिले। बहुत कम पैसा हमें मिला केन्द्र से। मैं समझता हूं कि हमारे मंत्री जी जितने विशाल हृदय हैं, जुबीलेन्ट मूड में रहते हैं, हमारे जो सैक्रेटरी हैं वह भी इस समय ऐसे हैं यदि यह केन्द्र सरकार पर थोड़ा सा भी प्रभाव डालते और केन्द्र से भी कहते कि वह विशाल हृदय रखकर राजस्थान को ज्यादा सहायता दे तो अच्छा होता। क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि चुनावों के समय में हमारे माननीय प्रधान मन्त्री जी स्थान-स्थान पर कहते फिरते थे कि कांग्रेस की सरकार लाओ तो तालमेल अच्छा रहेगा। तालमेल अच्छा

(श्री नाथूसिंह)

रहेगा तो उस प्रदेश की प्रगति होगी। इस प्रगति का नमूना यह है कि अकाल पड़ा, तो सरकार संकट में, राजस्थान की जनता संकट में और 102 करोड़ की मांग की और मिला 14 करोड़ और मंत्री मण्डल संकट में, सरकार संकट में और इस समय मंत्री जी खुद संकट में। इस समय केवल 14 करोड़ रुपये की सहायता मिली। मैं समझता हूं कि यह हमारे लिए बहुत कम सहायता है। माननीय मंत्री जी से मैं चाहूंगा कि पूरे सदन की तरफ से एक प्रस्ताव पास करें आगे के लिए। मैं उन चीजों को रिपीट नहीं करना चाहूंगा जो माननीय सदस्य बोल चुके हैं। उन्होंने यह कहा है कि अकाल के लिए, जैसा माननीय सदस्य बोल रहे थे कि प्लान में वह पैसा काट लेते हैं और इसमें देते हैं। कई प्रदेशों में ऐसे उदाहरण हैं, मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा। कई माननीय सदस्यों ने उदाहरण दिये हैं जिसमें कोई प्राकृतिक आपदा आ जाये, अकाल आ जाये, कोई ऐसी स्थिति हो जाये तो केन्द्र सरकार हमें पैसा देती रही है सहायता के लिए। प्रधान मंत्री फण्ड में से भी दिया जाता रहा है लेकिन राजस्थान के ऊपर जब ऐसी विपदा आये तो इसको एक रूटीन मानकर प्लान में से पैसा काट लिया जाता है और उसमें दे दिया जाता है। मैं यह चाहूंगा कि सदन सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास करके केन्द्र सरकार को भेजे कि हमें जो अकाल में पैसा दिया जाता है किसी विशेष सहायता के रूप में पैसा दिया जाय। वह सहायता के रूप में, उसका सहायता तो नाम है और प्लान में से पैसा काट लेते हैं इसलिए वह सहायता नहीं हुई। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह पैसा सहायता के रूप में ही दिया जाये, जिसको प्लान में से नहीं काटा जाये और ज्यादा दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, एक सेन्ट्रल टीम यहां पर आई। वह यहां पर स्टडी करके ले गयी उसकी रिपोर्ट वहां दे दी और उस स्टडी के बाद 14 करोड़ रुपया दिया। यह कौनसी स्टडी करके ले गयी वह टीम? उस टीम ने गलत रिपोर्ट दी या केन्द्र सरकार ने उस टीम की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया? इन दोनों बातों का पता लगाकर मंत्री महोदय को ज्ञात करना चाहिए कि यदि टीम ने सही रिपोर्ट दी और केन्द्र सरकार ने स्वीकार नहीं की है तो अगली बार जो टीम आये उसका बायकाट करना चाहिए कि टीम रिपोर्ट कुछ देती है और इसको मानते नहीं हो तो इस टीम को भेज करके हमारे ऊपर यह दण्ड क्यों है। उसको एन्टरटेन करने में हमारा पैसा खर्च होता है और यदि उस टीम ने गलत रिपोर्ट दी है तो आइन्दा जो भी टीम आये माननीय मंत्री जी उस टीम से आप ढंग से बातचीत कीजिए। अच्छे लोगों की टीम आये इसका प्रयास कीजिए जिसमें राजस्थान के भी माननीय सदस्य रहें। ऐसे लोगों की टीम बनकर आयें तो अच्छा रहेगा।

एक निवेदन और करना चाहूंगा कि इस समय जो काम खुल रहे हैं वह 6 गांवों में एक अकाल राहत कार्य है। 6 गांवों के बीच में एक काम, तो यह कम से कम दो

(श्री नाथूसिंह)

गांवों के बीच में एक काम होना चाहिए वरना एम्पलायमेन्ट जनरेशन करने के लिए तो आपने यह कार्यक्रम चलाये हैं लेकिन एम्पलायमेन्ट जनरेट कहां हुई, उपाध्यक्ष महोदय। जून के अन्त तक जो कुल मजदूर काम कर रहे थे उसमें एम्पलायमेन्ट दिया गया था 1,99,700 आदमियों को और इस समय जुलाई में जो काम चल रहे हैं उसमें 2,15,000 लोग काम कर रहे हैं। इतने लोगों को एम्पलायमेन्ट मिला। तो यह एम्पलायमेन्ट बहुत कम हैं। 3।। करोड़ और 4 करोड़ जनता के बीच में 2 लाख आदमियों को आप एम्पलायमेन्ट दे रहे हैं यह कितने परसेन्ट काम हुआ? 21 डिस्ट्रिक्ट्स में अकाल है। अब 21 जिलों में इतना सा एम्पलायमेन्ट मैं समझता हूं कि यह पर्याप्त मात्रा में नही है। आप भी स्वीकार करेंगे इसको। तो इसको और ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। और यह भी हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों मेरे क्षेत्र में आपस में झगड़ा हुआ लोगों में। वह कहे कि मस्टर रोल इस गांव में बनाओ, दूसरा कहे कि इस गांव की मस्टर रोल बनाओ। तो इस पर झगड़ा हुआ। एक मेरा निवेदन यह है कि इस समय जो फेमिन में काम कर रहे हैं, फेमिन में जो रोड्स बना रहे हैं इनके मैन्टीनेन्स की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए इनके मेन्टीनेन्स की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। परमानेन्ट व्यवस्था इसकी हमें करनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमेशा कभी अकाल पड़ता है, प्राकृतिक विपदा आती है इसके लिए एक परमानेन्ट कोष राज्य सरकार स्थापित करे तो उस कोष से हमेशा जब भी कभी ऐसी विपत्ति आये तो केन्द्र सरकार के ऊपर हमें निर्भर नहीं रहना पड़े कि केन्द्र सरकार पैसा देगी तभी यह काम चलेगा क्योंकि इस बार भी अकाल तो पहले पड़ गया और काम शुरू हुए बहुत देर से....

श्री मगराज चौधरी : केन्द्र को देना चाहिए।

श्री नाथूसिंह : देना तो चाहिए लेकिन फिर भी एक कोष अपना भी स्थापित करना चाहिए। वह देते नहीं हैं तभी तो कर रहा हूं।

एक और कहना चाहूंगा कि हमारा जितना पैसा आता है डेजर्ट डवलपमेंट के अन्दर सारा पैसा चला जाता है। डेजर्ट डवलपमेन्ट में कम से कम जितना पैसा आये वहां सारा खर्च हो जाता है इसलिए डेजर्ट प्राब्लम यह राज्य सरकार की नहीं होकर, प्रदेश की नहीं होकर एक नेशनल लेवल पर इसको मीट आउट करना चाहिए। जैसे इजरायल में और दूसरी जगह पर है। तो यह नेशनल प्राब्लम है डेजर्ट की इसलिए डेजर्ट डवलपमेन्ट में जितना पैसा राज्य सरकार का खर्च नहीं करके पूरा का पूरा पैसा केन्द्र सरकार का लेकर खर्च करना चाहिए। तो इस सम्बन्ध में हमें व्यवस्था करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, एन. आर. ई. पी. के अन्दर काम चले। पिछली बार मैंने सदन

(श्री नाथूसिंह)

में एक सवाल पूछा था। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए खेद है कि एन. आर. ई. पी. में जितना पैसा केन्द्र सरकार देती है आधा पैसा हम लगाते हैं। हम पैसा कम खर्च करते हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा फण्ड्स एन. आर. ई. पी. के लिए जुटाने चाहिए क्योंकि आधा पैसा जितना पैसा हम लगायेंगे उतना ही पैसा हमें केन्द्र सरकार की ओर से मिलेगा। तो जितने दूसरे प्रोग्राम चला रहे हैं और राजस्थान में उनका पैसा डाइवर्ट करके एन. आर. ई. पी. के हैड में ले लें वह तो उतना ही पैसा केन्द्र सरकार से मिलेगा और इससे ज्यादा व्यापक रूप से अधिक काम करा सकेंगे। मेर कहने का तात्पर्य यह है कि पिछली बार भी एन. आर. ई. पी. के अन्दर ईवन उसके ऊपर हमने बजट रख दिया था लेकिन वह खर्च नहीं हुआ पूरे का पूरा पैसा। मेरे निवेदन यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि इसी तरह से ड्रिंकिग वाटर की प्राब्लम थी इस बार। राजस्थान में शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था हो उसमें राजस्थान का 22 स्टेट का यदि सर्वेक्षण करें तो राजस्थान का 16 वां नम्बर आता है। चुनावों में हम जाते थे तो गाव में लोग पानी-पानी चिल्लाते थे....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री नाथूसिंह : एक मिनट। तो मैं समझता हूं कि इस पीने के पानी की प्रोब्लम को प्रायोरिटी देना चाहिए और इसको दूर करना चाहिए।

अन्त में एक निवेदन और करना चाहूंगा क्योंकि कई माननीय सदस्यों ने कई बातें कही हैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा। मेरा निवेदन करना इतना सा है कि स्थान-स्थान पर सरपंचों को हम पैसा देते हैं और सरपंचों के थ्रू काम करवाते हैं कई जगह आफिसर्स के थ्रू करवाते हैं। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं इस सम्बन्ध में। जैसे मेरे यहां पर एक कुए को गहरा कराने का काम सरपंच को दिया गया। डाबरकलां में देवी पचायत समिति में एक पंचायत है। उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं टूर पर गया तो उस सारे कुए का पैसा सरपंच खा गया। गांव वालों ने ग्राम सभा में प्रस्ताव पास करके दिया और ताज्जुब है उसके विरूद्ध आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। ग्राम सभा में यह प्रस्ताव लाया गया। बी. डी. ओ. से पूछा, उन्होंने कहा साहब ऐसा किया है। बी. डी. ओ. मौके पर मौजूद जाकर आया और एस. डी. ओ. मानता है। डिप्टी डी. डी. ओ. को वह रिपोर्ट दी....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य समय भी बहुत हो गया है और विषयान्तर हो रहे हैं आप।

श्री नाथूसिंह : मैं विषयान्तर नहीं हो रहा हूं इसी पर बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : करप्शन खतम कर देंगे तो कांग्रेस कहां रहेगी? क्या उल्टी बात कह रहे हैं।

श्री नाथूसिंह : यह आफिसर्स और सरपंचों के द्वारा नहीं करवायें, ग्रामीण विकास समिति से करवाये। उस समिति में सरपंच को भी आप रखें, अधिकारी को भी रखें। जब समिति बनायेंगे तो करप्शन के चान्सेस कम हो जायेंगे और समिति के द्वारा काम करवायें तो मैं समझता हूं उस काम में भ्रष्टाचार कम होगा, काम ज्यादा इफेक्टिव होगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री देवीलाल।

श्री देवीलाल (शाहपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज अकाल राहत के ऊपर चर्चा चल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1981, 82, 83 और 84 में जो अकाल राहत कार्य चालू हुए उसके अन्दर मेरा यह निवेदन है कि मजदूरी का पैसा अभी तक बकाया है। हमारी तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में जो काम किया उसका पैसा अभी तक बकाया है। उपाध्यक्ष महोदय, वह चुकारा चाहे पी. डब्लू. डी., चाहे इर्रीगेशन, चाहे वन विभाग का हो. वह बाकी है। तहसीलदार जब चुकारा करने जाता है और उस मौके पर जो आदमी नहीं मिले उनके चुकारे अब तक नहीं हुए। लास्ट चुकारे के समय जो आदमी मौके पर नहीं मिले, मस्टर रोल में उसकी हाजरी भरी हुई है, जिस आदमी ने दस्खत नहीं किये हैं, उसके ऊपर भी निशानी लगा दी, मस्टर रोल भर दिये और मजदूरों को पैसा नहीं दिया गया, वह पैसा बाकी है। जिला परिषद की मीटिंग में भी मजदूरों को भुगतान करने हेतु मैंने निवेदन किया था कि यह मजदूरी का पैसा बहुत सारा बाकी रह गया है। यह कम से कम तीन साल का 15 हजार रुपया मजदूरों का बकाया है। उपाध्यक्ष महोदय, मजदूरों ने जो अकाल राहत के अन्दर काम किया है वह पैसा मिलना चाहिये। ऐसी नौबत थी कि खाने के लिये धान नहीं था, पहिनने के लिये कपड़ा नहीं था पीने पानी नहीं था, ऐसी स्थिति के अन्दर भी उन लोगों ने काम किया है, दो दो, तीन तीन साल हो गये हैं किन्तु अभी तक भी उन्हें मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है, आज तक बाकी है। कृपया कार्यवाही कर उनकी मजदूरी का भुगतान शीघ्र करावें।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक और निवेदन है कि जितने अधूरे काम हैं, विकास के काम हैं, बड़ी सड़कें हैं, तालाब हैं, कुए हैं और हमारी तहसील के अन्दर ज्यादा से ज्यादा तालाबों की क्षमता है। बरसात का जो पानी होता है, वर्षा जब होती है तो उन तालाबों के ऊपर जो थोड़ी बहुत मिट्टी डाली थी वह भी बरसात में बह जाती है। तालाबों के जो अधूरे काम रह गये हैं, दो दो लाख रुपये के काम हुए हैं थोड़ा सा काम और करना है 40, 50 हजार की मिट्टी डालनी है तो अधूरे कामों के लिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैंने लिख कर भी दिया था लेकिन कोई भी कार्य शुरू नहीं हुआ। उन अधूरे कामों को आप पूरा करायें।

उपाध्यक्ष महोदय, जो सड़कें हैं, जिनके ऊपर मिट्टी डाली है और कांकरिया पड़ी हैं, सड़क के ऊपर गाड़ियां चलती नहीं हैं और

(श्री देवीलाल)

कैसे जायें, मनुष्य ही नहीं निकल सकता है दो-दो तीन-तीन फिट की खाइयां हैं, बड़ी दिक्कत है, कांकरियों को सड़क के ऊपर बिछाओ उसके ऊपर मिट्टी डालकर उसके ऊपर रोलर चला दो तो आदमी आ जा सकेगा और गाड़ियां चल सकेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे ही एनीकट हैं। एक तो हमारे शाहपुरा के अन्दर एनीकट है, दो साल से पहले काम चालू हुआ, अब थोड़ा सा काम बाकी रहा है। दो-चार महीने का काम और हो जाता तो काम पूरा हो जाता। उस एनीकट को पूरा कराने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं। 6-7 कुओं के अन्दर व खेतों में पानी की सप्लाई हो जाती, पानी की समस्या मिट जाती और फसल को भी पानी मिल जाता।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री देवीलाल : ऐसे ही हमारे जो अधूरे काम हैं, कोटड़ी तहसील के अन्दर दो एक पुलियों का काम अधूरा है। यह दो काम आप पूरे करा दीजिये। एक हमारे कोठड़ी और देवपुरा के बीच में एक बांध है, मसून्दनी बांध तो अगले जिले में है उसका नाला हमारे भीलवाड़ा जिले में है। आने जाने वाले बहुत तकलीफ पाते हैं। बार-बार हमने किया है, लिखकर भी दिया है और मंत्री महोदय को भी लिखकर दिया था, उसके ऊपर काम हो जाना चाहिये। मंत्री महोदय, एक निवेदन और जो हमारे अधूरे काम हैं दो-तीन हैं उन पर कार्यवाही करवायें। हमारा क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है, शिड्यूल्ड कास्ट का है। बीस सूत्री कार्यक्रम में, और कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी है कि पिछड़े क्षेत्र को पहले। इसलिये हमारा निवेदन है कि अधूरे कामों को पूरा करवाया जाय। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, इतनी बात कहकर ही समाप्त करता हूं। आपने समय दिया, आपको धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहन प्रकाश। आपने दो मिनट मांगे थे। पांच मिनट बोल लें।

श्री मोहन प्रकाश (राजा खेड़ा) : एक मिनट।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से सिर्फ दो तीन चीजें निवेदन करना चाहता हूं। यह प्राकृतिक विपदाओं से सम्बन्धित राहत देने का जो प्रश्न है इसमें दो तरह की विपदायें होती हैं। एक तो आकस्मिक विपदायें आ जाती हैं जो कि अन्य प्रदेशों में भी आती हैं जैसे कहीं भूकम्प आ जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, यह आकस्मिक प्रकार की विपदायें होती हैं। लेकिन राजस्थान में जिस प्राकृतिक विपदा की चर्चा आमतौर पर होती है वह यहां स्थाई है और इसलिए मैं यह निवेदन चाहूंगा फण्ड्स की बात केन्द्रीय सरकार से कितना अनुदान हमको मिलता है, उसको दूसरे भाग में हम देखें। प्रथम भाग तो हमारा यह होना चाहिए कि प्रदेश की एक नियोजित और दीर्घकालीन योज-

(श्री मोहन प्रकाश)

नाओं के तहत हमको इस प्रकार की विपदाओं का मुकाबला करने के लिये तैयार रहना चाहिए। जो राजाओं का जमाना था, जो मेरी जानकारी है, हो सकता है मेरी जानकारी गलत हो, कि जब अकाल पड़ा करते थे, सूखा पड़ा करता था तो राजा लोग कहीं कोप भवन बनवाते थे रानी के लिये, कहीं रंग महल बनते थे, कहीं शीश महल बनते थे। महलों का निर्माण होता था और रानी के लिये कोप भवन शीश महल और रंग भवन का निर्माण होता था। लेकिन मैं यह देख रहा हूं, जो मेरी जानकारी है प्रति वर्ष आज करोड़ों रुपया खर्च होता है उसका कहीं भी स्थाई निर्माण हम लोग नहीं करवाते। दूसरी जो बात आपसे सम्बन्धित मामला है तो इस मकान के ऊपर यहीं समय रहते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान में जो स्थाई प्राकृतिक विपदायें हैं, इनके लिए प्रति वर्ष किसी के मोहताज न रहते हुए इसका एक स्थाई हल ढूंढ़ने के लिए हमें जो कुछ अनुदान मिले उस अनुदान में हमें कोई न कोई पक्का और स्थाई कार्य करना चाहिए ताकि उसका निदान हो सके।

दूसरा आग से सम्बन्धित है। आग लगने पर हमारे जिले में जो मिलता है एक आदमी को, यदि उसका छप्पर जल जाय, मकान जल जाय तो 75) रु. प्रति व्यक्ति की दर से सहायता मिलती है। उपाध्यक्ष जी, जिसका छप्पर जल गया, जिसका मकान जल गया उसको आप 75) रु. प्रति व्यक्ति देकर और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि परिवार नियोजन कराइये। परिवार नियोजन के बाद चार-पांच सदस्य परिवार में रह जाते हैं और वे 4-5 सदस्य को जोड़कर दो-ढाई सौ रुपया मिलता है। उसमें वह दो-चार दिन का या सप्ताह का राशन भी इकट्ठा नहीं कर पाता। जिन गांवों में भयंकर आग लगती है, यू.पी. में ऐसा है कि वहां पर कैम्प खोले जाते हैं और जब तक उनका पुनर्वास नहीं हो जाय, उनको खाना दिया जाता है, कलक्टर की तरफ से उनको कपड़े दिये जाते हैं। तो मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि आग के मामले में जब परिवार के सारे सदस्य बेघर हो जाय, अभी हमारे क्षेत्र में 12 जगह आग लगी है एक जगह तो एक इन्सान की मौत हो गई। और जब भी यह कहा गया तो मालूम पड़ा कि पैसा नहीं आया। उसमें लिखा गया कि मुख्य मंत्री कोष से कुछ सहायता दे दी जाय लेकिन मेरा जिला जिसका नाम धौलपुर है, कोई सहायता नहीं दी गई। अगर बांसवाड़ा होता, उदयपुर होता तो शायद जो मरा होता उसको जरूर मुख्य मंत्री कोष से सहायता मिल जाती। कल उद्योग के मामले में मुख्य मंत्री जी ने कहा तो भी बांसवाड़ा गिनाया, ऋषभदेव गिनाया। उसमें वे भूल गये कि कम से कम जब मौत हो जाय तो अपने में शामिल कर लिया करें।

(व्यवधान)

श्री मानिकचन्द सुराना : उन्होंने कह दिया था कि राजाखेड़ा में कोई औद्योगिक वातावरण पहले नहीं है।

श्री मोहन प्रकाश : तो उसके लिये तो कल हमारा, उपाध्यक्ष महोदय, जवाब यह था कि जो 20 साल से रोजगार चल रहा है, जो उद्योग चल रहा है, उसको ही मुख्य मंत्री जी राजकीय उद्योग घोषित कर दे तो भी हम प्रसन्न हैं। जो नारी उद्योग चल रहा है उसके अलावा और कोई उद्योग का वातावरण नहीं है।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप चाहें तो सरकार उस पर टैक्स लगा सकती है।

श्री मोहन प्रकाश : नहीं, वह तो सरकार पर है, बजट में चल रहा है, ये जानें। बस मेरे तो ये दो निवेदन थे। एक मिनट मेरा पूरा हो गया, मैं यही चाहता हूं और जो डा. उजला अरोड़ा जी ने कहा....

(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : आपकी पार्टी से एक प्रस्ताव भेज दीजिये उसका।

श्री मोहन प्रकाश : अब आप हमारे अग्रज हैं। आप जैसा आदेश देंगे वैसा करेंगे लेकिन यह काम तो आपको करना चाहिए आपके मित्र और साथी थे वे।

अभी माननीय यदुनाथ जी ने कहा रेवाइन्स जो हैं, अगर सूखा प्राकृतिक विपदा है तो निश्चित रूप से रेवाइन्स भी प्राकृतिक विपदा है क्योंकि वह नदी के कटाव से पैदा होती है। चम्बल नदी के कटाव से पैदा होती है। हमारे राजस्थान के उस पार वर्ल्ड बैंक की स्कीम चल रही है जिसमें रेवाइन्स को समतल करने का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा हैं। उससे भी बड़ी समस्या रेवाइन्स की जो है वह है डाकू समस्या। तो अगर इस स्कीम की प्राकृतिक विपदा में लेते हैं तो कई और भी ऐसे इलाके हैं जो अछूते रह गये। इन्दिरा गांधी नहर में पैसा चला जाता है, और विकास में पैसा चला जाता है, उधर भूखों मरने वालों के लिये कोई मदद आती है तो वह भी उधर ही चली जाती है तो कम से कम जो जिन्दा लोग रह रहे हैं, उनके लिये भी प्राकृतिक विपदा का ख्याल रखें, धन्यवाद।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं माननीय मंत्री महोदय को एक सुझाव दूंगा कि आग जब लगती है तो यह भी एक तरह की प्राकृतिक विपदा है। फेमिन कोड में इसका उल्लेख नहीं है। इसलिये होता क्या है कि जो लोग मदद भी करना चाहते हैं तो भी वे इसके कारण मदद नहीं कर सकते हैं। यदि आप इसको फेमिन कोड में जोड़ लें तो ऐसे लोगों की सहायता करने में आप सक्षम हो जायेंगे....

(व्यवधान)

आग भी आज विपदा है....

(व्यवधान)

वही तो कह रहा हूं। उससे क्या है न तो आपके पास इसके लिये कोई धनराशि

(श्री भंवरलाल शर्मा)

होती है और न मदद कर सकते हैं। बड़ी मुश्किल से कलक्टर के प्रभाव से कुछ थोड़ा बहुत चन्दा करके सहायता करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा सुझाव है कि आप ज़िद मत करिये और अगर आप इसको जोड़ सकें तो ऐसे लोगों की भी मदद की जा सकती है और अच्छी ताकत से निपट सकते हैं। यह मेरा सुझाव है, इसको आप देख लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा....।

(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : एक सेकिन्ड....।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, सुनिये सुराणा साहब, मैं एक निवेदन करूं आपसे। आपने जो यह प्रश्न उठाया था कि आप उस समय अनुपस्थित थे और आपका यह कहना है कि अफसोस जाहिर करने की कोई जरूरत नहीं है। आसन यह मानकर चलता है कि अफसोस जाहिर करने की जरूरत है....

(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निर्णय देने से पूर्व....

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट ठहरिये। मैं इसको थोड़े समय के लिये रिलेक्स करता हूं। मैं यह मानकर चलता हूं और मेरा सर्वेक्षण यह है कि अगर आपको हाऊस में व्यवस्था कायम रखनी है तो यह आवश्यक है लेकिन मैं आपके लिए थोड़े समय के लिए रिलेक्स करता हूं।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : आप चैम्बर में चले जाते हैं, सभापति बिठा जाते तो क्या सदस्य बाहर निकल कर नहीं जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आसन खाली नहीं रहता है।

(व्यवधान)

यह आया वह गया, इसको आप नहीं मानते हैं....

(व्यवधान)

लेकिन मैं यह मानता हूं अफसोस जाहिर करना जरूरी है, अगर सदन की व्यवस्था रखनी है तो।

(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराणा : आप कल व्यवस्था दें, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी बहस में नहीं पड़ना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : आप माननीय सदस्यों का समय निर्धारित कर दें।

श्री मानिकचन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्राकृतिक आपदाओं में से सिर्फ अकाल पर कुछ निवेदन करूंगा....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह कनवेन्शन खतम नहीं किया जाय। ब्रिटिशर्स का सारा ढांचा ही कन्वेशन पर है।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : इज इट प्रेक्टिकल कि सारे मैम्बर हर समय जब आसन पुकारे मौजूद ही रहें। क्षमा मांगने की कोई बात ही नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज बैठिये। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य....

(घंटी व व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : सीकर से आने वाले माननीय सदस्य से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि....

(व्यवधान)

कल होगी इस पर चर्चा माननीय भंवरलाल जी।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं प्राकृतिक विपदा में से अकाल पर कुछ निवेदन करूंगा। राजस्थान के अकाल को मुख्यत: अग्रिम योजना सहायता से चलाने के लिये राज्य सरकार की मजबूरी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस अकाल की योजना 430 करोड़ की उसमें से एक बार भारत सरकार ने चौबीस पाइन्ट कुछ करोड़ दिये, एक बार पांच करोड़ कुछ दिये 1985-86 में 24, 86 या 68 करोड़ दिया था। कुल मिलाकर 30 करोड़ के इर्द-गिर्द अग्रिम योजना सहायता में से आपने प्राप्ति कर ली। मैं निवेदन यह करूंगा, माननीय उपाध्यक्ष जी, यह मजबूरी है कि हम योजना के रुपये से अकाल को चलायें। यह मजबूरी हमारी समाप्त होनी चाहिये। आखिर योजना से यह अकाल कब तक चलेगा और अगर उससे चलेगा तो योजना तो जरूर डांवाडोल होगी। हमने 25 करोड़ रुपये खर्च कर दिये तो 25 करोड़ की राशि तो कहीं न कहीं योजना में से कम करनी होगी।

एक योजना है जल प्रदाय की, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आज खर्च कर दिया या कल खर्च कर दिया। आपने 11 करोड़ खर्च किया लेकिन 12 करोड़ रोजगार देने के लिए अकाल में खर्च किया। मैं इस बात की मांग करता हूं कि राजस्थान के बजट में मुख्य मंत्री जी ने जो 20 करोड़ रुपयों की कटौती का प्रावधान प्रशासनिक व्यय में करने की अपनी बजट स्पीच में कही है, वह कटौती करके प्राकृतिक विपदा जो आज है उसमें व्यय करें। उस प्रावधान को 21 जिलों में जहां अकाल पड़ते हैं, कभी 14 जिलों में है और 10 तो निरन्तर ही अकाल से ग्रस्त रहने वाले इलाके हैं जिसमे दो साल में एक साल तो अकाल पड़ता ही पड़ता है। मेरा निवेदन है कि यह 20 करोड़ रुपया अकाल ग्रस्त क्षेत्रों को राहत देने के लिये रखें। यह राशि राजस्व आय से राजस्व खाते में और जो राजस्व की स्टेट की इन्कम है उसमें निश्चित रूप से रहनी

(श्री मानिकचन्द सुराना)

चाहिये तभी हम अकाल का सही तरह से मुकाबला कर सकेंगे। नहीं तो जब भी अकाल पड़ता है, भारत सरकार की तरफ देखते हैं और जब तक वहां से कोई मंजूरी नहीं आये, कोई व्यय सीमा निर्धारित नहीं हो, तब तक हम कुछ भी काम नहीं कर सकें, उपाध्यक्ष जी, यह राज्य सरकार के लिये व्यवस्था उचित नहीं है। जो अकाल से प्रभावित लोग हैं, उनके लिये भी बहुत ही आज की स्थिति में जबकि राज्य सरकार का बजट 15 सौ करोड़ से ऊपर है राजस्व का, उस स्थिति में 20 करोड़ रुपया अकाल से प्रभावित लोगों के लिये न रहे, इससे शर्म की बात हम सबके लिए और कुछ हो नहीं सकती।

92 लाख लोग इस बार प्रभावित थे आपके खुद के आंकड़ों के अनुसार।

92 लाख लोग जहां प्रभावित हैं वहां आपने प्रावधान रखा उनको रोजगार देने के लिए 12 करोड़ का और इस प्रावधान में, उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा आपने जो आंकड़ा दिया है एक लाख 92 हजार लोगों को यह तो जून का आंकड़ा है, यह आंकड़ा जुलाई का है, यह आंकड़ा मार्च का भी है, यह आंकड़ा अप्रैल मई का नहीं है। आखिर या तो जून का है या जुलाई का, 8 जुलाई तक का आंकड़ा है....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जून का है।

श्री मानिकचन्द सुराना : जून का है तो यह जो जून का आंकड़ा है एक लाख बयानवे हजार मैं मानकर चलता हूं और आप भी शायद सहमत होंगे कि यह आंकड़ा मई के महीने में डेढ़ लाख से ऊपर नहीं था। असल फिगर तो आपके पास हैं क्योंकि कन्सोलिडेटेड फिगर आपके पास आयी होगी विभागों से और अप्रैल के महीने में निश्चित रूप से यह फिगर और भी कम थी क्योंकि आपने तो 31-3-85 को ही जो आपको 1984-85 में राशि मिली थी उसकी सेंक्शन सबसे पहले आपने 31-3-85 को जारी की। मैं, उपाध्यक्ष जी, मानकर चलता हूं कि 1984-85 के बजट में बहुत कम राशि, बहुत न्यूनतम राशि, 31-3-85 को जब आपने मंजूरी दी है तो खर्च क्या होगा, कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए वह 5 करोड़ रुपया जो 1984-85 के बजट में आपको मिला अग्रिम योजना सहायता के पेटे, निश्चित रूप से बहुत मामूली कुछ खर्च हुई होगी। 12 करोड़ की राशि है उसको, उपाध्यक्ष जी, राज्य सरकार ने खर्च नहीं किया है, मैं इस बात को कहना चाहता हूं। 12 करोड़ की राशि खर्च नहीं की है। जी ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं आपको जवाब दे दूंगा।

श्री मानिकचन्द सुराना : हां दे दीजियेगा। एक लाख बयानवे हजार लोगों को राजस्थान में जो मजदूरी आपने दी है, माननीय सदस्य विभिन्न जिलों से आये हैं, मैं आज भी कहना चाहता हूं कि आपने जो मजदूरी दी है वह औसत 4 रुपये से 5 रुपये, 4 और 5 के बीच से अधिक नहीं आयेगी। अभी माननीय सदस्य जो बाड़मेर से आये हैं

(श्री मानिकचन्द सुराना)

श्री चम्पालाल जी, उन्होंने कहा कि 35 पैसे तक की मजदूरी दी गयी है और माननीय मन्त्री जी 1.10 रु. की मजदूरी नारंगदेसर तहसील बीकानेर में और जागौर लूणकरणसर तहसील में 1.35 रुपया मजदूरी का आंकडा वहां पर आया है । यदि आप सारे आंकड़े को जितने आपने अकाल राहत कार्य खोले उन पर प्रत्येक पक्ष की या प्रत्येक फोर्टनाइट की रिपोर्ट आप देखें कि किस-किस अकाल राहत कार्य पर कितनी राशि दी गयी मजदूरी की तो आप स्वयं इस निष्कर्ष पर आयेंगे कि यह मजदूरी आपने 4 और 5 रुपये से ज्यादा दी नहीं है और मुझे यह भय है कि यह मजदूरी शायद 4 रुपये से भी कम न आ जाय । मैं मानकर चलता हूं, उपाध्यक्ष जी, कि यह मजदूरी 5 रुपये भी आ गयी और एक लाख 92 हजार लोगों को 5 रुपये प्रतिदिन से यदि आपने काम दिया तो अधिक से अधिक व्यय 10 लाख का हुआ । मैं इसको राउन्ड फीगर कर लेता हूं दो लाख पर 10 लाख का व्यय एक महीने में । जून के महीने में 30 दिन का व्यय 3 करोड़ से अधिक नहीं होगा और आप पीछे चले जायेंगे । निश्चित रूप से अप्रेल और मई में आपने 4 करोड़ रुपये से अधिक का खर्चा नहीं किया है रोजगार देने में । राज्य सरकार ने 12 करोड़ रुपये का जो प्रावधान रखा है, जो दिखाया है आंकड़ा, निश्चित रूप से मैं गारन्टी के साथ कह सकता हूं, उपाध्यक्ष जी, कि यह राशि राजस्थान में खर्च नहीं होगी और जितना मजदूरी का, आपने काम देने का टार्गेट रखा था माननीय मन्त्री जी, 4 जिलों का आंकड़ा बहुत साफ है इसमें बीकानेर चूरू, जालौर आप आंकड़े को देख लीजिए । हमारे यहां 19 हजार लोगों को काम देने का टार्गेट रखा, काम कितनों को दिया ? आपने 9100 आदमियों को काम दिया । मैं पूछना चाहता हूं कि यह काम क्यों नहीं हुआ ? 198 जितने काम आपने मंजूर किये उनमें से कोई 102 काम के करीब खुले, जितने कामों की मंजूरी थी उतने काम नहीं खुले । उपाध्यक्ष जी, वावजूद इसके और यह मंजूरी कब हुई, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मंजूरी बहुत लेट हुई । 20 मई को माननीय मन्त्रीजी के चैम्बर में बीकानेर जिले के विधायकों को इन्होंने बुलाया और हम लोग इनसे मिले । उसके बाद में जून के पहले हफ्ते तक, आपने जो काम 20 मई को मंजूर कर दिये, फाइनेंस डिपार्टमेन्ट 15 दिनों तक अकाल राहत मन्त्री से स्पष्टीकरण मांगता रहा और जून के प्रथम सप्ताह में वह काम मंजूर हुए । उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह 6 करोड़ रुपये जो आपने खर्च किये, 7 करोड़ खर्च किये, जितने काम आपने मंजूर किये मैं उसके ब्यौरे में नहीं जाना चाहता लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि आप स्वयं यह देखेंगे कि 92 लाख लोग अकाल से प्रभावित हैं और आप यदि 2 लाख लोगों को काम दे रहे हैं तो कितने लोगों को काम दिया आपने ? 46 में से एक आदमी को आपने काम दिया । मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो काम करने के टार्गेट हमने फिक्स किये हैं यह बिल्कुल नाकाफी हैं, बहुत कम है । राज्य सरकार

(श्री मानिकचन्द सुराना)

को निश्चित रूप से एक नीति बनानी चाहिए कि जितने लोग प्रभावित होंगे अकाल से उनमें से आप कितने लोगों को काम देंगे। एक कोई मेजरमेन्ट होना चाहिए, एक कोई हमारा मापदण्ड होना चाहिए, बनाना चाहिए कि अकाल जहां पड़ेंगे तो जितने लोग प्रभावित होंगे उनमें से हम कितनों को काम देंगे। और यह काम निश्चित रूप से एक परिवार में से कौन आता से अकाल पर करने के लिए, उपाध्यक्ष महोदय, 4 रुपये और 5 रुपये की मजदूरी जो आज करेगा निश्चित रूप से समाज के सबसे कमजोर तबके लोग ही उसमें आयेंगे। आप अकाल राहत कार्यों की समीक्षा करें 80 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग और हरिजन और अनुसूचित जन जाति के लोग ही उस काम पर आते हैं और यदि उसमें कुछ चौधरी और दूसरी जातियों के लोग आते हैं तो निहायत कमजोर तबके लोग हैं जो आज 4 रुपये और 5 रुपये पर काम करने के लिए मजबूर होकर आते हैं।

मैं उनको पेमेण्ट की कहानी नहीं कहूंगा कि उनको महीने-महीने डेढ़-डेढ़ महीने में पेमेण्ट मिलता है। मैं आपका ध्यान दूसरी बात की तरफ आकर्षित करता चाहता हूं यह मांग करते हुए कि आप 20 करोड़ रुपये की जो कटौती करेंगे प्रशासनिक व्यय में, यह प्रावधान अकाल से लड़ने के लिए नया प्रावधान बढ़ायेंगे। इस राशि को अकाल से लड़ने के लिए, अकालग्रस्त लोगों को राहत पहुंचाने के लिए इस राशि को मन्जूर करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा काम अकाल में आपने 60 लाख रुपये का प्रावधान रखा कि आप पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करेंगे। उपाध्यक्षजी, अभी माननीय श्री बहादुरसिंह जी जो बांसवाड़ा से आये हैं उन्होंने कहा कि एक गांठ चारे की राज्य सरकार ने बांसवाड़ा में उपलब्ध नहीं करायी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा राजस्थान गौ सेवा संघ को बीकानेर में आपने जो 10 लाख की राशि दी है, उस 10 लाख की राशि से उन्होंने बीकानेर शहर से बीकानेर शहर के इर्द-गिर्द खाजूवाला में, छतरगढ़ में कुछ राहत पहुंचायी। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर सेन्टर से तहसील मुख्यालय है, नोखा के तहसील मुख्यालय पर, कोलायत के तहसील मुख्यालय पर एक गांठ चारा भी राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध नहीं था आपने कुछ सरपचों को 10 हजार रुपये दे दिये मैं निवेदन करना चाहता हूं क्यों देते हैं आप सरपचों को 10 हजार रुपये? इस राशि से राज्य सरकार स्वयं व्यवस्था करे, चारा पहुंचाये। मैं मांग करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष जी, कि 15 लाख हैक्टेयर माननीय इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मन्त्री महोदय ने स्वयं ने अभी कहा, कुछ दिन पहले भी कहा इस सन्दर्भ में कि 15 लाख हैक्टेयर में सेवण घास जैसलमेर में हो रही है। क्या राज्य सरकार ने कभी सोचा कि इस सेवण घास की कटाई कराकर और यह फोडर की जो प्राब्लम है अकालग्रस्त क्षेत्रों में इस प्रोब्लम का निपटारा किया जाय। जब आग लगे तभी हम कुआं खोदें यह उचित नहीं है। रोज अकाल पड़ते हैं, रोज चारे की समस्या।

(श्री मानिकचन्द सुराना)

अकालग्रस्त मजदूरों को तो कुछ राहत मिल भी जाती है लेकिन पशुओं को कोई राहत नहीं मिलती, उपाध्यक्ष महोदय। जहां अकाल पड़ता है वहां कितने पशु मर गये इसका कोई आंकड़ा कभी आपने इकट्ठा किया, कोई सर्वे कराया कभी कि कितने पशु मारे गये ? आपने सदन में कह दिया कि बीकानेर में एक पशु नहीं मरा, में सारे बीकानेर की बात नहीं कहता, चूरू की मैं कहना चाहता हूं कि हजारों पशु इस चारे के अभाव मरे हैं। चारा एक रुपये किलो से भी अधिक महंगा मिला है गांवों में इस अकाल में लेकिन उपाध्यक्षजी, इस अकाल में सरकार बिल्कुल पत्थर मन बनकर के देखती रही। चारे की व्यवस्था के लिए कोई गौ सेवा संघ को दे दिये 10 लाख और कोई 10-10 हजार सरपंचों को दे दिये। चारे के नाम पर इसके अलावा इस सरकार ने राजस्थान के पशुधन पर बिल्कुल कोई तवज्जह नहीं दी और हजारों पशु मरे। मैं, माननीय अकाल राहत मन्त्री जी आपसे कहना चाहूंगा कि इस पशुपालन विभाग को भी कहिये। पशुपालन विभाग अपने बजट में कोई प्रावधान करें। अकाल जब पड़े तो पशुओं को बचाने के लिए कोई प्रावधान पशुपालन विभाग में भी किया जाना चाहिए और जहां-जहां यह डी. पी. ए. पी.

(समय घन्टी)

के प्रोग्राम हैं, उपाध्यक्ष महोदय, इस डी. पी. ए. पी. के प्रोग्राम में हमने वर्षों पहले यह तय किया था कि हम वहां पर चरागाहों का विकास करेंगे। माननीय राजस्व मन्त्री जी को मालूम है कि जो चरागाहों के सुरक्षित क्षेत्र रखे गये डी. पी. ए. पी. कोई चरागाह आज तक विकसित नहीं हुए। सिर्फ किसानों को, भूमिहीनों को उसका एलाटमेन्ट जरूर बन्द हो गया लेकिन गांवों में चरागाह विकसीत नहीं हुए। मैं मांग करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जितनी भी गोचर भूमियां हैं उनमें चरागाहों को विकसित करने के लिए सरकार एक ठोस नीति को अख्तियार करें। वहां पर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड से ट्यूबवैल बनाए जावें और दो सौ पांच सौ एकड़ जमीन में अलग-अलग गांवों की आवश्यकता को देखते हुए यह चरागाहों को विकसित किय जावे ताकि अकाल के समय में आज 21 वीं सदी में जाने से पहले पशुधन की हानि न हो इस बात की रखवाली करने का काम राज्य सरकार का है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा कि अकाल में मजदूरी 11) रु. रोज से, आपने जो भी मापदण्ड बनाया हो, पी. डब्ल्यू. डी. के हिसाब से कि जितना जो काम करेंगे तो 11) रु. देंगे। मै मांग करता हूं कि यह मापदण्ड समाप्त किया जावे। आपने जिसकी हाजरी दर्ज की है, यदि वह आदमी हाजिर है, आपने आट घन्टे काम लिया है, उस आदमी को ग्यारह रुपये देने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह आपने कैसे मैजरमेन्ट कर लिया कि उस आदमी ने काम कम किया है। एक-एक

(श्री मानिक चन्द सुराना)

आदमी का मेजरमेन्ट कोई सरकार नहीं कर सकती और अगर आपने सामूहिक मेजरमेन्ट किया है तो सामूहिक मेजरमेन्ट कराने की जिम्मेदारी जो आदमी आठ घण्टे काम करते है उसकी नहीं है। यदि सौ आदमी काम करते है, उसमें अस्सी आदमी आठ घण्टे काम करते हैं और बीस आदमी चार घन्टे काम करते है, उपाध्यक्ष महोदय, तो सब को मजदूरी बराबर मिलेगी। मैं कहना चाहूंगा कि आठ घन्टे जिनका आपने रिकार्ड में नाम लिख लिया, ग्यारह रुपये रोज की मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी हमको देना चाहिए। सुप्रिम कोर्ट का फैसला हुआ है, उसके बावजूद राजस्थान में इस अकाल के मजदूरों के लिए आपने पहले यह रूल कानून था कि अकाल मजदूरों को मिनिमम वेजेज चुकाने के लिए राज्य सरकार पाबन्ध नहीं है। पहले कानून था उस कानून को सुप्रिम कोर्ट ने रद्द किया, उपाध्यक्ष महोदय, और उसके बावजूद राज्य सरकार फिर घुमा फिरा कर किसी न किसी बहाने किसी को दो रुपया मजदूरी, किसी को चार रुपया मजदूरी, किसी को तीन रुपया मजदूरी देकर अकाल राहत में मजदूरी का चुकारा करके छुट्टी पाना चाहती है। मैं कहना चाहूंगा, यह छुट्टी नहीं मिल सकती है। ग्यारह रुपया रोज आपको देना पड़ेगा कानून के तहत। न्यूनतम मजदूरी का कानून कहता है कि ग्यारह रुपये से जो आप मजदूरी नहीं चुकायेंगे, यदि आप नहीं चुकाते हैं तो सरकार भी इस कानून को तोड़ने के गुनहगार हैं।

इसलिए मैं कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि चारे का समुचित प्रबन्ध भविष्य में करने के लिए, बीस करोड़ का प्रावधान रखें राजस्व आय में से अकाल राहत के लिए, नया प्रावधान बनाए, व्यवस्था करिये और राजस्थान में आने वाले अकालों के लिए इस बात की व्यवस्था करेंगे कि जब भी अकाल पड़े जो गांव प्रभावित हों वहां पर कैटल की सर्वे करायेंगे कि कितने मरे हैं। चाहे आप पटवारी के माध्यम से सर्वे करायें, चाहे और किसी ऐजेन्सी के माध्यम से करायें, अकाल पड़ने पर विशेष तौर पर कि किस गांव में कितने पशु मरे। यह जिम्मेदारी राज्य सरकार की है कि किस गांव में कितने पशु मरे।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं कुछ सुझावों के साथ मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब मैं वाद-विवाद समाप्त करता हूं।

(व्यवधान)

श्री सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही सुझाव देना चाहता हूं....

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : उपाध्यक्ष जी, आपको एक मिनट मेरी बात सुननी पड़ेगी।

श्री उपाध्यक्ष : आपने नाम भी नहीं दिया है। अब वाद विवाद समाप्त होता है।

श्री सम्पत सिंह : मैं एक ही बात अर्ज कर रहा हूं। आप मेरी बात को शान्ति से सुन लीजिए।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : उपाध्यक्ष महोदय, केवल एक मिनट के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट का मतलब चुन्नीलालजी एक मिनट से है।

श्री सम्पत सिंह : एक मिनट से भी कम। उपाध्यक्ष महोदय, पूरी चर्चा आज बड़ी एकाग्रता से हमने सुनी है और जहां तक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अकाल राहत का जब काम होता है, हम इस बात के लिए बदनाम हैं कि राजस्थान में अकाल पड़ा वहां के मंत्री और खास तौर से अकाल राहत मंत्री और बड़े-बड़े उच्चाधिकारी इनकी पोबारा पच्चीसी हो जाती है। एक तरफ तो अनुदान की राशि लाते हैं उसमें मान लीजिए भ्रष्टाचार होता है तो सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि अकाल राहत में अगर भ्रष्टाचार हो तो कम से कम किसी भी तरीके से, कानून बना कर या कोई कमेटी बना कर यह तय करें और कम से कम बीस साल की सजा उसमें मुकर्रर होनी चाहिए और भ्रष्टाचार के ऊपर कम से कम एक तिहाई मुकर्रर होनी चाहिए जो मोबाईल तरीके से घूमें और कड़ी नजर रखे कि कम से कम इस भीख की रकम में से कोई भ्रष्टाचार नहीं करे, यही मेरा विनम्र सुझाव है सरकार के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल इन्दलिया। कृपया जितना सम्पतसिंह जी बोले हैं उतना ही आप बोलें।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : उपाध्यक्षजी, मेरे बीकानेर जिले में मजदूरों को मजदूरी नहीं चुकाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव था और आसन ने व्यवस्था दी थी....

श्री उपाध्यक्ष : आपने नाम नहीं दिया है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मैं लम्बी बात नहीं करूंगा, उपाध्यक्ष जी....

श्री उपाध्यक्ष : लम्बी नहीं, दो मिनट में।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : बीकानेर जिले में 680 गांव हैं, 680 गांवों में से 560 गांवों में इस साल राहत कार्य चालू किए गए। इनमें से जो अकालग्रस्त घोषित किए गए, उनमें से आपने अप्रेल और मई में, उपाध्यक्ष जी, ताज्जुब करेंगे, 560 गांवों में जिनको अभावग्रस्त घोषित किया गया, अप्रेल और मई में चार हजार मजदूरों को आपने काम पर लगाया है। उपाध्यक्ष जी, चार हजार आदमियों को लगाया और आखिरी दिनों में जून में आपने नौ हजार आदमियों को काम पर लगाया। खेद इस बात का है, उपाध्यक्षजी, आज मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जिन मजदूरों ने काम किया चाहे तराई पर मजदूरी का काम किया हो, चाहे सड़क पर काम किया हो, उपाध्यक्षजी, आज पौने दो लाख रुपये इन गरीब मजदूरों के

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

आज की तारीख में बाकी हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ यह बात कह रहा हूं। इन गरीब लोगों का पैसा है, उनके पास एक वक्त का आटा नहीं है। आज वह गरीब परिवार खास तौर से पिछड़ी हुई जाति के गरीब तबके के लोग उस गर्मी की कलकलाहट में अपने बच्चों को छाबड़ियों में डाल कर फेमिन केम्पों पर गए हैं। उपाध्यक्ष जी, दर्द इस बात का है कि आज उन लोगों को उनकी मेहनत की कमाई, खून और पसीने की कमाई का, मजदूरी का सरकार भुगतान नहीं कर सकी है। बीकानेर जिले की मजदूरी के आज की तारीख में, उपाध्यक्ष जी, लगभग ढाई लाख से ऊपर घनराशि बकाया है। मैं लम्बा समय नहीं लूंगा लेकिन दुःख का विषय है आज गरीबों को सरकार समय पर पैसा नहीं दे रही है। उपाध्यक्षजी, मैं ज्यादा बात नहीं कह करके आपको खास तौर से मजदूरों को मजदूरों का जो भुगतान बकाया है इस ओर आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

खास तौर से माननीय मंत्रीजी, इस अकाल में जो पीड़ित हैं, जो लावारिस हैं, अपाहिज हैं, अंगहीन हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है सरकार के सिवाय, आज वे लूले लंगड़े लावारिस जिले में रहने वाले व्यक्ति हैं उनकी आपकी तरफ नजर है। सरकार की तरफ नजर है मंत्रीजी। आपकी तरफ नजर है, वह लावारिस है, उसका मालिक आप हैं। लेकिन, उपाध्यक्षजी सरकार ने उन लोगों की घनराशि, खाने के लिए पैसा नहीं दिया। इतना ही नहीं, उपाध्यक्षजी....

श्री उपाध्यक्ष : रिपीट कर रहे हैं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : रिपीट नहीं कर रहा हूं। उपाध्यक्षजी, इतना ही नहीं हमारे जिले में जो पशु हैं, खास तौर से राठी गाय, बहुत बढ़िया नसल की गाय है, बहुत अच्छा दूध है लेकिन सरकार ने अकाल में अच्छी नसल के सांड हैं, अच्छी नसल के झोड़े हैं उनको अकाल सहायता विभाग के द्वारा जो नियमों में प्रावधान है, ऐसे नसलदार सांडों को सरकारी सहायता नहीं दी। आज वह नसल बीकानेर जिले में खत्म हो रही है। झोड़ा हो चाहे सांड हो। सरकार इस तरह के मुद्दों पर असफल रही है। माननीय उपाध्यक्षजी, अकाल के दिनों में सरकार ने यह घोषणा की कि जहां भी पीने का पानी गांव में नहीं है, उन गांवों में हम टैंकर से पानी पहुंचायेंगे, लेकिन, उपाध्यक्षजी, अगर आंकड़े देखें, इनके आंकड़े तो सारे फर्जी हैं, किसी गांव में एक टैंकर लगा, सिर्फ दो गांवों में महीने में दो बार पानी डाला है। इस तरह की हालत है, उपाध्यक्षजी, मैं आपके मार्फत सरकार से चाहूंगा कि आप इस ओर ध्यान दें।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

दूसरी बात, उपाध्यक्षजी, खास महत्वपूर्ण यह है कि पशु उस जिले में ज्यादा मरे हैं, वह जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

है। एक ट्रक भी पंजाब, हरियाणा, यू. पी. का अगर आप बीकानेर जिले में चारे का साबित करा दें तो आप कहो जो मैं करने को तैयार हूं। उपाध्यक्षजी, सरकार ने कुछ सरपंचों को दस हजार रुपये दिए। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं कि कोई सरपंच ने दस हजार की धनराशि में से अगर एक क्विंटल चारा भी मोल लेकर दिया हो तो आप जो कुछ कहें करने को तैयार हूं। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। आज आप किसानों के दर्द को नहीं जानते। मुझे पता है, अच्छी नसल की गायें हैं, अच्छी नसल की भेड़ें हैं हमारे जिले में....

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

उनकी ऊन के बदले में आज देश की रक्षा के लिए ऊन के बराबर अमेरिका हथियार देता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : लेकिन उन भेड़ों की ओर सरकार का ध्यान नहीं है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा लेकिन अगर आप मदद नहीं करोगे तो आपको बहुत बड़ी दुराशीष लगेगी। मैं चाहूंगा आप कम से कम समय में उनका भुगतान करायें। आपके पास वायरलैस है, आपके पास अधिकारी हैं। आज तक गरीब का पैसा बाकी क्यों रहा? आप जरा एक्शन लीजिये। अगर आपकी यह पालिसी है कि हमको तो यूं ही झांसा देना है, लोगों को बरबाद करना है तो मर्जी आपकी है, सरकार आपकी है।

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक ही निवेदन है अकाल राहत मंत्रीजी से कि उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में लैण्ड होल्डिंग कम है। अकाल राहत डिक्लेयर करने का जो अभी मापदण्ड है उसमें जिस फसल का पचास पर्सेन्ट से ज्यादा खराबा होता है उस तक तो सरकार अभाव ग्रस्त घोषित करती है। क्या मंत्री महोदय, उदयपुर जिले में जहां पर लैण्ड होल्डिंग कम है....

श्री यदुनाथ सिंह : सबसे छोटी हमारे यहां पर है।

श्री सी. पी. जोशी : जहां भी हो, जिन जिलों में भी हो, जिन जिलों में लैण्ड होल्डिंग कम है, जहां पर पचास पर्सेन्ट से कम खराबा है, मतलब 30 से 40 पर्सेन्ट खराबा है उन जिलों को भी अकाल राहत में डिक्लेयर करने का विचार रखते हैं? यदि यह विचार नहीं रखते हैं तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। इसलिये मैं चाहूंगा मंत्री महोदय रिप्लाई दें तो इस बारे में भी स्पेसिफिक अपना उत्तर जरूर दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी उत्तर देंगे। वाद विवाद समाप्त हुआ कटौती प्रस्तावों पर मंत्रीजी उत्तर देंगे।

श्री यदुनाथ सिंह : यह प्रश्न मंत्रीजी ने पुछवाया दिखता है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में प्राकृतिक आपदाओं से राहत की मांग पर विचार विमर्श चल रहा है। कई माननीय सदस्यों ने अपने कटौती प्रस्तावों के जरिये राज्य सरकार का ध्यान अकाल सहायता के संबंध में, बाढ़ सहायता के सम्बन्ध में, अग्नि पीड़ित लोगों का राहत पहुंचाने की दृष्टि से आकर्षित किया है। आज जिन माननीय सदस्यों ने वादविवाद में भाग लिया उन्होंने भी राज्य सरकार को कई सुझाव दिये हैं। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार प्राकृतिक विपदाओं से निपटने के लिये आप सबके सहयोग से, आप सबके सुझावों के आधार पर निश्चित रूप से अमल करेगी और राजस्थान में हमेशा हमेशा के लिये जो विपदा हमारे सामने आती है उस विपदा से कैसे हम स्थायी रूप से छुटकारा पा सकें, इसके लिये आपके अमूल्य सुझावों पर विचार करेगी।

माननीय उपाध्यक्ष जी, सम्वत् 2041 जो पिछला वर्ष था, खरीफ के वक्त मे समय पर वर्षा न होने से राजस्थान के 27 जिलों में से 21 जिलों में दस हजार....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अकाल है।

एक माननीय सदस्य : अकाल नहीं है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : 10,276 गांवों को अभाव ग्रस्त घोषित किया गया। प्रारम्भ में 15-1-85 को 6117 गांव घोषित किये गये। राज्य सरकार की नीति यह रही, जो हमारे पश्चिमी जिले हैं जिनमें अकाल की विभीषिका ज्यादा रहती है उनमें 50% से लेकर जो अधिक खराबा है उन्हें अभाव ग्रस्त घोषित किया जाय तथा दूसरे जो सामान्य जिले हैं वहां पर 75 प्रतिशत खराबा है उनको अभाव ग्रस्त घोषित किया जाय। उस नीति के आधार पर 6117 गांवों को अभाव ग्रस्त घोषित किया। उसके पश्चात् सरकार ने इस पर पुनर्विचार किया और 3770 गांवों को और अभाव ग्रस्त घोषित किया। इस प्रकार राजस्थान में कुल 10276 गांवों को अभाव ग्रस्त घोषित किया। इन्हें राहत देने की दृष्टि से अलग-अलग जिलों में काम प्रारम्भ करने की स्वीकृतियां मार्च में दी गई थीं। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि 31 मार्च को स्वीकृति दी। सरकार के गठन के बाद 18 मार्च, 1985 को अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जालौर, जोधपुर, पाली, सीकर, सिरोही, टौंक और उदयपुर में 457 कार्यों की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ऊंट के मुंह में जीरा।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय सदस्य, थोड़ा धीरज रखें तो मैं सारी चीज आपको स्पष्ट करूंगा और चाहूंगा कि आप जिस भावना से बोले है, सरकार का उत्तर भी सुनने की कोशिश करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उसी भावना से।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप तो बोलते जाओ, आपको तो बोलना है बोल लें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि 5 करोड़ रुपये भारत सरकार ने हमको मार्च, 1985 तक के लिये दिये उसका हमने उपयोग नहीं किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमें जो पांच करोड़ 42 लाख रुपया भारत सरकार से मिला था उसमें से 3 करोड़ 30 लाख रुपया पेयजल व्यवस्था के सुधार के लिये, उसके आगमेन्टेशन के लिये और दूसरे कामों में खर्च के लिये हमने पी. एच. ई. डी. को दिया जिससे उन्होंने अपना काम किया। इसी तरह एन. आर. ई. पी. के तहत जो प्लान की सड़कों के काम चल रहे थे उस पर हमने दो करोड़ उनको दिये, वेज एण्ड मीन्स पर दो करोड़ हमने खर्चा किया। इसलिये जो भारत सरकार से मिलने वाली राशि है उसका हमने पूरा-पूरा उपयोग किया, उसमें लैप्स होने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। तत्पश्चात् भारत सरकार ने हमको 25 करोड़ की राशि और दी। कुल मिला कर भारत सरकार से हमें 31 करोड़ मिले हैं। इसमें से, जैसा मैंने कहा, 1984-85 में 3 करोड़ 30 लाख पी. एच. ई. डी. को पीने के पानी की व्यवस्था के लिये दिया। इस बार भी वर्ष 1985-86 में हमने 11 करोड़ पी. एच. ई. डी. को राजस्थान के अलग-अलग जिलों में पेयजल की व्यवस्था के लिये दिये। पिछले वर्ष 2 करोड़ रुपया और इस साल 12 करोड़ रुपया वेज एण्ड मीन्स पर खर्च करने का फैसला किया है। आज राजस्थान में विभिन्न जिलों में जो अलग-अलग स्थानों पर मजदूर काम कर रहे हैं उनकी संख्या 2,15,724 है।

एक माननीय सदस्य : बहुत कम है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं मानता हूं। लेकिन अगर इसकी तुलना कोई 1982-83 से करना चाहता है....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक गांव में 20 आदमी हैं ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : बात तो सुन लीजिये पहले। बाद तो सुन लीजिए मेरी। अगर कोई इसकी तुलना 1982-83 के फैमिन से करना चाहे तो माननीय सदस्यों को मैं याद दिलाना चाहता हूं, उस समय कितने गांव और कितनी जनसंख्या प्रभावित थी।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री नाथूसिंह : मुख्य मन्त्री कौन था, किस पार्टी का शासन था ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अब कोई भी मुख्यमन्त्री हो, राजस्थान में सरकार रहेगी और उसका मुख्य मन्त्री रहेगा।

(व्यवधान)

आपकी याददास्त अगर कमजोर हो तो मित्रों से पूछ लीजिए।

श्री नाथूसिंह : आप बता दीजिए ना।

श्री दिग्विजय सिंह : 1982-83 का बता दो।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इस बार केवल 10276 गांव ही अभावग्रस्त घोषित किये गये। 1982-83 के मुकाबले में काफी कम गांवों में अभाव की स्थिति बनी और उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने सहायता के काम प्रारम्भ किये। सरकार की नीति यह रही है कि उन कामों को प्राथमिकता दी जाय जो कि स्थायी महत्व के काम हों। हमने फैसला किया कि सिंचाई के काम, भू-संरक्षण के काम, वृक्षारोपण के काम, उसके बाद प्लान की सड़कों के काम को भी हाथ में ले। इस प्रकार जैसा मैंने शुरू में निवेदन किया, लगभग 1816 काम सारे राजस्थान में किये और 2,15,724 लोगों को काम पर हमने लगाया है। यह संख्या हमारे प्रान्त में चलने वाले एन.आर.ई.पी., आर. एल. ई. जी. पी., मिनिमम नीड प्रोग्राम, कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा किये गये कार्यों के अतिरिक्त लगाये गये मजदूरों की संख्या है। राजस्थान में काफी तादाद में इन कामों पर भी मजदूर लगे हुए हैं।

(10.00 रात्रि)

माननीय सदस्यों ने बड़ी चिन्ता व्यक्त की कि जो अभाव ग्रस्त क्षेत्र हैं, पहले नीतिगत बातों पर आपका ध्यान जो कट मोशन के जरिये आपने आकर्षित किया है उसके सम्बन्ध में निवेदन करूंगा बाद में माननीय सदस्यों ने जो अपने-अपने क्षेत्र की चर्चा की उस सम्बन्ध में बताना चाहूंगा। पेय जल के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने कई तरह की दिक्कतें व्यक्त की और मैंने जैसा निवेदन किया था कि हमने अप्रेल महीने में, मई महीने में, जून महीने में अलग-अलग जिलों में टैंकर्स के जरिये, ट्रैक्टर्स किराये करके, केमल कार्टस को किराए करके और पिहाई के कुएं सेक्शन करके लगभग 801 कुए जिसमें 650 अभावग्रस्त घोषित गांव थे और 158 गांव जो अभावग्रस्त घोषित नहीं थे उनमें हमने पेय जल उपलब्ध कराया है। माननीय सदस्य यदि जानना चाहते हैं तो मैं निवेदन करता हूं जालौर में हमने 6 टैंकर्स की व्यवस्था की, नागौर में 13 टैंकर्स की व्यवस्था की, 107 पिहाई के कुएं स्वीकृत किए जोधपुर में 22 और 60 पिहाई के कुए सैंक्शन किये बीकानेर में, 12 टैंकर्स, 7 केमल कार्ट्स लगाए पाली में 12 टैंकर्स हमने लगाये। आप शायद जल्दी जाने के मूड में हों तो मैं नहीं कह सकता। अब पशुधन के बारे में काफी चर्चा यहां हुई और माननीय सदस्यों ने कहा कि बीकानेर की नस्ल को बचाने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि हमने जैसलमेर में पशु पोषण केन्द्र के लिए 30 हजार पशुओं की स्वीकृति दी, बाड़मेर में 25 हजार, चूरू में 17 हजार, बीकानेर में 45 हजार, प्रारम्भ में यह संख्या 30 हजार थी। माननीय सदस्य जब मुझसे मिले उन्होंने कहा कि संख्या कम है तो 30 हजार से बढ़ाकर हमने 45 हजार की संख्या स्वीकृत की और इसी प्रकार सीकर, अजमेर, पाली कुल मिला कर 1.60 लाख पशुओं को हमने

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

पशु पोषण केन्द्र के जरिये पोषाहार उपलब्ध कराया । इसी प्रकार से राजस्थान के अलग-अलग जिलों साण्डों के लिए, हमने एक हजार सांडों के रख-रखाव के लिए 3.75 रुपया प्रति साण्ड के हिसाब से सहायता उपलब्ध कराई । यह कहना उचित नहीं होगा कि राजस्थान में सांडों के लिए कुछ नहीं किया गया ।

एक माननीय सदस्य : उनका उपयोग कहां हो रहा है ?

(व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जैसलमेर में 200, बाड़मेर में 100, चूरू में 100, बीकानेर में 200, जोधपुर में 200, नागौर में 100, जालौर में 100, इस प्रकार हमने यह सुविधा भी उपलब्ध कराई है। इसके अतिरिक्त जिन इलाकों में

(व्यवधान)

आप मेरे को सुनने की बात तो सोच लीजिए, ज्यादा समय नहीं देना चाहते हैं ।

श्री नाथूसिंह : इन साण्डों की सेक्शन भी डिजायर से हुई क्या ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इसके अतिरिक्त सरकार ने फैसला कि प्रारम्भ में जब प्रत्येक जिले से रिपोर्ट हमारे पास आई, किसी भी जिलाधीश ने और किसी भी जन-प्रतिनिधि ने ना तो उन जिलों में अनाज की कमी बताई और न चारे की कमी बताई । माननीय सदस्य को पता होगा और कई माननीय सदस्य मुझे भी मिले, मैं भी उनसे अलग-अलग स्थानों में जाकर मिला, बहुतों ने कहा कि चारे की स्थिति सन्तोषजनक है, चारे की हमें कोई आवश्यकता नहीं है ।

(व्यवधान)

आपकी बात पहले कह रहा हूं, आप अकेले की बात क्यों सोचते हैं । आपकी बात कह रहा हूं चारे की और अनाज की तो बताई । फिर भी हमने 10/–क्वि. के हिसाब से सब्सीडी उपलब्ध कराई । बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि पूली और चारा वहां बराबर मिल रहा है । हमने आज से कुछ दिन पहले वेस्टर्न राजस्थान के सभी जिलाधीशों को बुलाया था । हमने पूछा था, जब वर्षा नहीं हो रही थी, सभी के लिए चिन्ता का विषय था, सरकार के लिए भी चिन्ता का विषय था और सदन के माननीय सदस्यों के लिए भी चिन्ता का विषय था तब वेस्टर्न राजस्थान के सभी जिलाधीशों को बुलाया और अलग-अलग जिलाधीश से मैंने रिपोर्ट प्राप्त की और चारे के भाव जानने की कोशिश की तो बीकानेर के कलक्टर ने बताया कि वहां चूरी जो मिल रही है वह 67/– और 65/– रु. प्रति क्विटल मिल रही है । जैसलमेर कलक्टर ने बताया कि 55/– क्विटल चूरी मिल रही है। जोधपुर कलक्टर ने बताया कि 60/– के आस-पास मिल रहा है ।

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

चूरू में 70 से 7' के भाव से कडबी मिल रही है। पाली में 55-60 खाखला मिल रहा है और पाली में फोरेस्ट डिपार्टमेंट की घास भी थी जो तीन हजार क्विंटल घास हमने उदयपुर भेजी और एक हजार क्विंटल जोधपुर भेजी। इसलिए कोई घास की वात करे कि घास उपलब्ध नहीं है उसको मैं सही मानता।

सुश्री पुष्पा जैन : आप इस विधानसभा सत्र के वाद मेरे साथ पाली पधारिये, मैं चुनौती देती हूं

(व्यवधान)

यहां बैठ कर वात कर रहे हैं चारे की, हालत तो देखिए जाकर, कोई आपको घास थोड़े ही मिल रही है, यहां पशुओं की वात हो रही है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : माननीय सदस्यों ने इस वात का जिक्र किया कि जो अकाल राहत कार्य चल रहे हैं उन पर मजदूरी वहुत कम मिली। हमने इस सम्बन्ध में भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की और जानकारी मुझे जो मिली वह इस प्रकार है, मुझे यह अवश्य बताया गया, कुछ एकाध सड़कें और कुछ एकाध काम ऐसे हैं जिन पर मजदूरों को टास्क वेसिस पर लिक किया वहां पर वहुत कमी आई। लेकिन एवरेज मजदूरी किस जिले में किस काम पर कितनी मिल रही है वह मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं। अजमेर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के काम पर 5.80 रुपये से 11/– तक, सिंचाई विभाग में 8.50 और वन विभाग में 11/– मजदूरी मिल रही है। वांसवाड़ा में सार्वजनिक निर्माण विभाग की 9/–, सिंचाई विभाग पर 8/– और वन विभाग और भू संरक्षण 11/– प्रति दिन के हिसाब से मजदूरी मिल रही है। इसी प्रकार से वाडमेर में सार्वजनिक निर्माण विभाग पर 7/– से 11/– तक और सिंचाई विभाग पर 11/– वन विभाग पर 11/– और भू संरक्षण पर 7.27 पैसे के हिसाब से मजदूरी दी जा रही है। बीकानेर में भू-संरक्षण पर 11/–, वन विभाग पर 11/– और सार्वजनिक निर्माण विभाग पर 6.16 पैसे के हिसाब से एवरेज भुगतान किया जा रहा है।

मजदूरों की संख्या तो आपको पता है....

श्री मानिकचन्द सुराना : उसमें कितने मजदूर लगे हुए हैं ? यह 9 हजार में से अधिक से अधिक डेढ़ हजार होंगे और अकाल राहत पर मजदूरी निश्चित रूप से मैंने आपको कहा है 4/– एवरेज नहीं आ सकती। माननीय मंत्री जी, क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करेंगे कि 4/– से कम एवरेज मजदूरी अकाल राहत कार्यों पर दी जा रही है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि जो सूचना मैं इस सदन में दे रहा हूं यदि

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

वह गलत हो तो मैं चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूं।

श्री मानिकचन्द सुराना : यह सूचना तो सिर्फ एक हजार मजदूरों के सम्बन्ध में है जो आप दे रहे हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : वही तो कहूंगा जो मजदूर हमने लगाये हुये हैं और हम जो भुगतान कर रहे हैं।

श्री मानिकचंद सुराना : क्या आप 9 हजार के बारे में नहीं कहेंगे कि आप 11/- उनको देंगे न्यूनतम मजदूरी आपको देनी पड़ेगी, आपकी सरकार को देनी पड़ेगी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं सुन रहा हूं!

श्री मानिकचंद सुराना : मिनिमम वेजेज को मैं समझता हूं कि आप वायलेट नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, आप सारे आंकड़े प्रकाशित करें कि राजस्थान के अकाल राहत कार्यों पर आपने कितने रुपये की मजदूरी दी है। राज्य सरकार की स्वयं की आंख खुल जायेगी कि कितनी मजदूरी हम दे रहे हैं। यह सब मेरे सोचने का सवाल नहीं, आपके भी सोचने का सवाल है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मेरे ही सोचने का सवाल है इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुराना साहब कृपया आप बीच में नहीं। कम से कम उत्तर देने के बाद में शंका का समाधान करें तो अच्छा होगा। यह सदन की परिपाटी है, गरिमा है। आप तो सीनियर सदस्य हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि सरकार ने यह फैसला किया है कि हम मिनिमम वेजेज के साथ टास्क को भी लिंक करेंगे और टास्क को....

(व्यवधान)

जो आदमी जितना काम करता है उसके हिसाब से उसका भुगतान किया जाता है लेकिन हमने फेमिन के दिनों में इस टास्क बेसिक को भी डिलेट किया है। मेरे पास सूचना है कि पी.डब्ल्यू.डी. या दूसरे विभाग जो नार्मल काम करवाते हैं उसके मुकाबले फेमिन में हम 75 पर्सेन्ट और 70 पर्सेन्ट तक ही काम देते हैं। अभी हमने जो बी.एस.आर. रिवाइज की है उस हिसाब से लेते हैं। अब हमने उसमें रिलेक्शन किया है।

मैं कहना चाहता हूं कि, आप जल्दी में हैं, आपके रेगिस्तान की चर्चा न करूं, आप जल्दी हैं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इस सदन में कई प्रश्न आये, खास तौर से माननीय सदस्यों को चिन्ता थी कि वर्ष 1982-83 में जो फेमिन के काम चले थे उनका भुगतान नहीं हुआ। उसके बारे में कई माननीय सदस्यों ने सवाल उठाये। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पिछले 1982-83 के फेमिन के जो बकाया है, अगर उसके मस्टर रोल और सारी चीज समय पर मुझे उपलब्ध हो गयी। तो मुझे यह कहने की नौबत इसलिए आ रही है कि 1982-83 के फेमिन के कुछ मामले एन्टीकरप्शन विभाग में जांच के दौरान पकड़े गये हैं, इसलिए उन बातों को छोड़ करके बाकी भुगतान जो बाकी है उसको शीघ्र ही एक महीने के अन्दर चुकाने की व्यवस्था हम करेंगे ताकि लोगों को राहत मिले। कई माननीय सदस्यों ने वर्तमान में जो....

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने उनके लिए कह दिया कि जिनके मामले एन्टीकरप्शन में चले गये ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा : उसके लिए मजदूर क्या करेंगे। अगर एन्टीकरप्शन में मामले चले गये तो उसमें मजदूर का क्या कसूर है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य शंका का समाधान बाद में करें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इस वर्ष जो राहत कार्य शुरू किये गये हैं, मेरी सूचना है कि 31 मई तक के चुकारे की व्यवस्था कर दी है। लेकिन कई माननीय सदस्यों ने यह बताया कि चुकारा नहीं हुआ है। मैं 30 जून तक जो कार्य समाप्त हुए हैं उनका चुकारा एक सप्ताह के अन्दर करने के आदेश दे रहा हूं और 15 जुलाई तक जो काम पूरे हो गये हैं उस चुकारे को 30 जुलाई के पहले चुकाने की व्यवस्था करने के आदेश दे रहा हूं यह मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। कई लोगों ने फेमिन कोड की चर्चा की, कई माननीय सदस्यों ने फेमिन कोड के बारे में कई तरह के सुझाव दिये। मैं यह मानता हूं कि अब वक्त आ गया जबकि सरकार को उस फेमिन कोड पर दुबारा विचार करके इसमें संशोधन करना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नयी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए फेमीन कोड में आवश्यक संशोधन किया जायेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसी साल में।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : कई माननीय सदस्यों ने अकाल के स्थाई हल के सुझाव दिये। माननीय सुराना साहब ने कहा कि मुख्य मंत्री जी जो 20 करोड़ रुपया बचाना चाहते हैं, वह सब अकाल के लिए दे देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जो रुपया हमें भारत सरकार से मिला है, उसको खर्च नहीं किया। मैंने आपको आंकड़े बताये और मैंने प्रति दिन की मजदूरी की राशि बतायी, उसके हिसाब से यह सारा रुपया खर्च होगा।

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

यही नहीं इसके अलावा जो हमारे योजनाबद्ध काम चल रहे हैं फेमिन के इलाकों में, उन सड़कों के लिए हमने 1 करोड़ 45 लाख रुपया दिया है। जो फेमिन इफेक्टेड एरिया की सड़कें हैं उनमें कम राशि होने की वजह से इस वर्ष से उस काम को आगे चलाने के लिए दिया है। इसी तरह से मार्केटिंग बोर्ड की जो सड़कें बन रही हैं उनमें भी हमने 40 लाख रुपया दिया है ताकि वहां के अकालग्रस्त लोगों को राहत मिल सकें और वे काम बराबर चालू रखे जा सकें, इस काम के लिए हमने धन राशि उपलब्ध करायी है। यही नहीं भारत सरकार से हमने मांग की है कि हमको लगभग 13 करोड़ 30 लाख 49 हजार रुपये की और सहायता दिलाई जाये। जिसमें हमने मांगा है कि रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए 1154.84 लाख रुपया, पशु पोषण केन्द्र के लिए 105 लाख रुपया और पेयजल के लिए 70.50 लाख रुपया। इस तरह हमने भारत सरकार से फिर अनुरोध किया है कि 1330.49 लाख रुपये की राशि हमको और दिलायी जाये ताकि यह जो राहत कार्य चल रहे हैं जिसमें पशु पोषण केन्द्र चल रहे हैं इन कार्यों को समय और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बरकरार आगे बढ़ाये जा सकें और इनको चालू रखा जा सके।

कई माननीय सदस्यों को चिन्ता यह थी कि जो असहाय लोग हैं उनके लिए राजस्थान सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं उनकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि हमने वर्ष 1984-85 में 2.76 लाख रुपये स्वीकृत किये थे और 1985-86 में 3.75 लाख रुपये, कुल 6.51 लाख रुपया हमने असहाय लोगों को सहायतार्थ स्वीकृत किए हैं और उसकी जिलेवार सूची भी मेरे पास उपलब्ध है। माननीय सदस्य चाहे बीकानेर की पूछें, बीकानेर में हमने मार्च, 1985 तक 15 हजार रुपये तक का आवंटन किया और अप्रेल से अब तक 20 हजार रुपये का आवंटन कर चुके हैं। यदि और भी आवश्यकता हुई तो हम इस राशि को आवंटित करेंगे ताकि ऐसे जो लोग असहाय हैं उनको इस फेमिन के वक्त में सहायता बराबर मिलती रहे।....

(व्यवधान)

यह तो माननीय विधायक आप भी सहयोग करें, ऐसे लोगों की सूची जिलाधीश को दें उनका सहयोग कीजिये, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा इसमें।

कई माननीय सदस्यों ने ओलावृष्टि का भी जिक्र किया ....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ओला जी तो नहीं हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : ओला जी तो नहीं हैं लेकिन ओलावृष्टि हुई उसका जिक्र किया है। आप जल्दी में हैं, सुनना नहीं चाहते हैं तो आपकी मर्जी की बात है।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, मंत्री महोदय, जाने की जल्दी नहीं है। आपका भाषण ही बोर कर रहा है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : हमने ओला-वृष्टि के लिए भी राजस्थान में किसानों को जो नुकसान हुआ है उसके लिए 20 लाख रुपया एग्रीकल्चर इनपुट की सब्सिडी के लिए अलग-अलग जिलों में स्वीकृत किए हैं ताकि किसानों को बीज, खाद आदि वस्तुएं खरीदने में उनको राहत मिले ।

श्री नाथूसिंह : अब क्या कर रहे हैं, आगे बता दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जयपुर जिले के बारे में आपने नहीं बताया है । अगर कल परसों बाढ़ आ गयी तो आप क्या करेंगे ? आप बताये तो सही क्या करने वाले हैं ? ऐसे ही आप कैसे चले जायेंगे । जयपुर को इस तरह छोड़ कर चले जायेंगे । आप बोलिये क्या करने वाले हैं जयपुर में ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : कई माननीय सदस्यों ने अग्नि पीड़ित....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय, आप जयपुर के बारे में बोलेंगे ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : ....का जिक्र किया उसकी सूचना भी मेरे पास जिलेवार उपलब्ध है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय, जयपुर के बारे में आप क्या कह रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या ।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप लोग भी यहीं बैठे हो, सब की जिम्मेवारी हम पर है ।

श्री उपाध्यक्ष : जरा समाप्त कर लेने दीजिये ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अधिक से अधिक जो सहायता राशि उपलब्ध कराई है उसकी सीमा 500 रुपया है । लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम फेमिन कोड को रिवाइज करने जा रहे हैं माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं उन सुझावों पर फेमिन कोड के रिविजन के वक्त पर हम विचार करेंगे ।

श्री नाथूसिंह : नीचे के लेवल पर भ्रष्टाचार है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि जो वसूली आपने 31-9-1985 तक स्थगित की है उसके लिये मैंने कहा कि आप नवम्बर के एण्ड तक उसको एक्सटेन्ड करने का सोच रहे हैं क्या ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : क्या चीज ?

श्री दिग्विजय सिंह : वसूली जो आपने 31-9-1985 तक स्थगित की है। आपकी फसल आयेगी नवम्बर के एण्ड तक और इधर आप अगर इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे तो वह वसूली करने के लिए तकाजा करेंगे।

(व्यवधान)

नवम्बर दिसम्बर तक इसको स्थगित करने का विचार करेंगे या आदेश देंगे?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय सदस्य का विचार वैसे मेरे ख्याल से उपयुक्त लगता है। और मैं वित्त मंत्रालय को इस बात की सिफारिश करूंगा कि 30 नवम्बर तक फसल नहीं आती है इसलिए किसान उसको चुकाने में असमर्थ रहता है इसलिए उसे नवम्बर तक के लिए स्थगित कर दिया जाय।

श्री दिग्विजय सिंह : आप सक्षम हो, आप घोषणा कर दो।

(व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप जानते हैं कि किसी भी वसूली को स्थगित करना, रेवेन्यु का काम राजस्व विभाग करता है। सहकारिता विभाग का काम सहकारी विभाग करता है....

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात तो हम जानते हैं। पर आप घोषणा कर देंगे तो यह तो आपका इन्टरनल मैटर है, यह तो हो जायेगा।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : आप घोषणा कर दो, उनसे तो हम करवा लेंगे। आप घोषणा कर दीजिए, उनसे तो हम करवा लेंगे।

(व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैंने जैसा निवेदन किया कि मैं इस बात से सहमत हूं कि 30-9-1985 तक के लिए जो स्थगित की गयी है उसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए और मैं सहायता विभाग की ओर से वित्त मंत्री जी को इस बात का निवेदन करूंगा और इस बात की कोशिश करूंगा कि यह तिथि आगे बढ़े ताकि किसानों को कर्जा चुकाने में सहूलियत मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब का एक बार फिर आभार प्रदर्शित करता हूं...

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : वाट अबाऊट करप्शन.... भ्रष्टाचार....और उपाध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि इस मांग को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : माननीय मंत्री जी भ्रष्टाचार पर बिल्कुल खामोश हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री नाथूसिंह : ....जितना पैसा दिया गया। अभी तक अधिकतर पैसा लोग खा गये। इस बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अकाल पड़ता है तो कई लोग सोचते हैं कि त्यौहार आ गया। इसलिए उसके बारे में आप बतायें। इस भ्रष्टाचार के मामले में।

(व्यवधान)

श्री चम्पालाल बांठिया : क्या आप मुझे यह आश्वासन देंगे कि जो डी-सेलेनाइजेशन के जो प्लांट हैं सौर ऊर्जा से चलने वाले और जिसके अन्दर केन्द्रीय सरकार भी पचास प्रतिशत से अधिक सब्सिडी देती है, खारा पानी है उसको मीठा पानी करने का यंत्र सब जगह लग सकता है दूर दराज के गांवों में, उसका प्रावधान करने का क्या सरकार विचार रखती है ?

दूसरा यह जो फेमीन कोड है इसका नाम प्राकृतिक विपदा संहिता रखकर इसमें अतिवृष्टि, बाढ़, अंधड़ भूकम्प, ओलावृष्टि, अग्नि इत्यादि से जो नुकसान होता है उसका प्रावधान रखने का भी सरकार विचार रखती है क्या और यह जो शब्द है न्यूनतम मजदूरी इस शब्द को निकालने का और इसको अधिकतम रखने का सरकार का विचार होना चाहिए क्योंकि 11) रुपये से अधिक आप कहीं नहीं दे रहे हैं फिर यह लोगों को ठगने का नियम जो न्यूनतम नाम रखा है इस शब्द को हटाने का प्रावधान रखने का क्या आप विचार रखते हैं ?

यह जो लेबर लॉ का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, साप्ताहिक अवकाश जो सब जगह दिया जाता है, इस फेमिन में अकाल राहत कार्यों पर जो मजदूर काम करते हैं उनको साप्ताहिक छुट्टी नहीं दी जाती है। क्या आने वाले समय में इसका भी प्रावधान रखकर सरकार चलना चाहती है।

(व्यवधान)

श्री जयकिशन तोसवडा : माननीय सदस्य, आपको तो 51) मिलते हैं फिर 11) रुपये क्यों मांगते हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री मानिकचन्द सुराना।

श्री मानिकचन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने 1 लाख 92 हजार लोगों को मजदूरी दी....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : दो लाख 15 हजार। वह पुराना फिगर है।

श्री मानिकचन्द सुराना : 2 लाख 15 हजार इसमें से 67 हजार लोगों को सार्वजनिक निर्माण विभाग से मजदूरी दी गयी और 51 हजार को इर्रीगेशन विभाग से मजदूरी दी गयी। 1 लाख 26 हजार या 16 हजार जो भी फिगर है या इसके अलावा 1 लाख के करीब सीधे अकाल राहत में जिनको मजदूरी दी गयी किसी को सड़कों पर, किसी को नालियों पर, जो कि इसमें कवर्ड नहीं है जो पी. डब्ल्यू. डिपार्टमेंट और इर्रीगेशन में कवर्ड नहीं हैं, आपने पी. डब्ल्यू डी. में 6 रुपये से 11 रुपये तक की मजदूरी का कहा। आपने वन विभाग में 11) रुपये की मजदूरी का कहा है। वन विभाग ने निश्चित रूप में 11) रुपये की मजदूरी दी है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि जो मजदूरी पी. डब्ल्यू. डी. के इन कामों से कवर्ड नहीं है और जिनकी संख्या 1 लाख है, उन मजदूरों को औसत मजदूरी कितनी मिलेगी ? टॉस्क बेसिस पर अपन जब मिनिमम वेजेज़ फिक्स करते हैं, उपाध्यक्ष जी, तब अपन यह सोच करके करते हैं कि एक आदमी कम से कम उतना काम तो करेगा ही। जब हमने एक कानून बनाया कि इतना काम तो करेगा ही करेगा और चाहे उससे कम भी काम करे इतना तो देंगे ही क्योंकि उस लॉ को कोई वायलेट नहीं कर सकता है। क्या राज्य सरकार टॉस्क फोर्स से लिंक करके कम मजदूरी मिले दो रुपया मिले, डेढ़ रुपया मिले, तीन रुपया मिले और टॉस्क फोर्स से लिंक कर दिया हमने तो फिर मिनिमम वेज से कम मजदूरी देने को क्या राज्य सरकार उचित समझती है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : बालोतरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जो ऊर्जा की कमी है और उसके लिए दूसरे वैकल्पिक साधन क्या हो सकते हैं तो उसके लिए जिस प्रकार से भारत सरकार ने सब्सिडी का प्रोविजन किया है वह राजस्थान सरकार भी लागू करेगी क्या ? इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान में भी वैकल्पिक ऊर्जा के क्या-क्या स्रोत हो सकते हैं, उसके सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी है। इसमें किस प्रकार का अनुदान क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है उस पर विचार-विमर्श चल रहा है और शीघ्र ही राजस्थान सरकार विचार करेगी।

(व्यवधान)

जल्दी करेंगे।

जहां तक टॉस्क फोर्स का सवाल है और लोगों को मजदूरी देने का प्रश्न है, राज्य सरकार तो चाहती है कि जो लोग काम करें उन लोगों को पूरा भुगतान मिले। लेकिन मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हम उन लोगों को सपोर्ट न करें जो कि काम नहीं करना चाहते केवल हाजरी मांड करके पैसा लेकर चले जायं। मैं समझता हूं कि आप जानते हैं कि हमको यह राशि मिल रही है यह एडवान्ड प्लान के तहत मिल रही है। और एडवान्स प्लान असिस्टेंस के रुपये का पूरा उपयोग होना चाहिए अगर

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

हम उसका टॉस्क फोर्स नहीं करते हैं और केवल हाजरी पर ही 11) रु. देना शुरू करेंगे तो माननीय सदस्य सोच लें कि इस रुपये का दुरुपयोग होने की सम्भावना भी हो सकती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि यदि कोई हार्ड केसेज हैं किसी अधिकारी की गलती से या और किसी गलती से....

एक माननीय सदस्य : केवल हाजरी से तो नहीं लेकिन क्या आप टॉस्क को घटाने का विचार नहीं रखते हैं?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : टॉस्क को निश्चित रूप से 75 प्रतिशत हमने किया है। नार्मल टॉस्क में अगर उसके नापने में कहीं पर गलती हुयी है तो ऐसे केसेज में मैं निश्चित रूप से उसको दुबारा नापने के आदेश दूंगा। जांचने के आदेश दे सकता हूं

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राम सिंह जी।

श्री मानिकचंद सुराना : उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : श्री राम सिंह जी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, मजदूरों को महीने में दो दिन सवैतनिक छुट्टी दी जाती है अभी भी यह नियम लागू है और कहीं पर भी इसकी पालना नहीं की गयी है और उन्होंने काम किया है तो उसके वेतन का भुगतान किया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राम सिंह जी।

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले लम्बे समय से राजस्थान की सरकार ने करोड़ों अरबों रुपये अकाल से जूझने के लिए खर्च किये। मैं यह उचित समझता हूं मेरे हिसाब से कि क्या राजस्थान सरकार आयन्दा राजस्थान के 37 हजार गांवों का मास्टर प्लान बनायेगी जिसमें जो भी काम, अकाल पड़ने के बाद जब बाढ़ आती है, उस मास्टर प्लान के बाहर किसी भी तरह का काम नहीं करेंगे ताकि जनता का जो धन है उससे उसके दुरुपयोग को बचाया जा सके। जो भी काम हैं, सड़कें हैं, तालाब खुदवाइये, बंधे बनवाये या एन. आर. ई. पी. के कोई भी काम हैं, फोरेस्ट के काम हैं रोड साइड प्लान्टेशन के काम हैं, उसके बाहर आप नहीं कोई काम लेंगे यह बात आप सदन में कहें। अधिकारी लोग कभी भी यह स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि वह लोग चाहते हैं कि इमीजिएयटली काम शुरू हों और करोड़ों रुपये मिल मिलाकर ठेकेदार खा जाते हैं। जनता को पैसे मिलते नहीं हैं और उसके काम का उपयोग नहीं होता है। क्योंकि हम पश्चिमी राजस्थान से आते हैं हमारे वहां पर ज्यादा काम होते हैं लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानता हूं कि उसका कितना दुरुपयोग होता है। वास्तव में जनता को उसका फायदा नहीं मिलता है। हम चाहते हैं कि हमारे पश्चिमी राजस्थान

(श्री रामसिंह बिश्नोई)

में जो खर्चा होता है, पूर्वी राजस्थान की जनता के ऊपर इसका इफेक्ट होता है। आखिर कितने दिनों तक यह लोग इस चीज को बर्दाश्त करते रहेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे काम हों, वहां की जनता भूखी नहीं मरे वहां के लोगों को काम मिले, यह सरकार का कर्त्तव्य है। लोगों को काम मिले यह सरकार का दायित्व है लेकिन यह भी है कि दुरुपयोग नहीं हो। बार बार बार सड़कें बनीं, 10-10 बार बनीं पर टूट गयीं। आज बन्धे नहीं हैं। 10-10, 20-20 लाख रुपये खर्च होने के बाद भी बन्धे किसी काम के नहीं हैं, टूट गये हैं, बिल्कुल पक्के काम हुए नहीं हैं उन पर सड़कें हैं। वहां पर एज नहीं है, मिट्टी में बह गयी है। तो जो काम हैं, वहां पर जो मिट्टी कंक्रीट के काम छूटे पड़े हैं वह ठेकेदार लोग ठेका ले करके बाद में उसका उपयोग करते हैं। तो यह सारे मामले जो हैं मैं चाहता हूं, हमारे मंत्री महोदय भी सक्षम हैं, आप यह विश्वास दिलायें जनता को और हमारे सदन को कि भविष्य में, चाहे यह अच्छी बरसात हुई है, भविष्य में जब भी इस प्रकार की नौबत आवे हमारे राजस्थान की सरकार और यहां के सदन के माननीय सदस्य एक सुर से कहें कि मास्टर प्लान के अलावा हम कोई काम स्वीकृत नहीं करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : राजस्थान सरकार को खुशी होगी अगर सभी सम्माननीय सदस्य मास्टर प्लान के अलावा दूसरे काम नहीं मांगें तो। मैं तैयार हूं इस बात के लिये कि राजस्थान के प्रत्येक जिले में एक मास्टर प्लान बनाया जाय। चाहे वह अभावग्रस्त की स्थिति से निपटने का हो, चाहे बाढ़ की स्थिति से निपटने का हो, मैं माननीय सदस्यों का सहयोग चाहूंगा और राजस्थान के प्रत्येक जिले के लिये इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिये जरूर मास्टर प्लान बनायेंगे। सरकार को इसमें कोई दिक्कत नहीं।

मांग संख्या 34 का पारण

श्री उपाध्यक्ष : मांग संख्या 34 मतदान के लिये प्रस्तुत की जाती है।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 34 प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 33,75,99,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदान राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई, 1985 को म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक रात्रि 10.38 बजे शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई, 1985 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट - 1

तारांकित प्रश्न संख्या 368 की सूची

अपराधिक प्रकरणों में एक वर्ष से अधिक काल से निलम्बित पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण की सूची : (अ)

क्र. सं.	नाम कर्मचारी/अधिकारी	पद नं.	पदस्थापन	निलम्बन तिथि
1	2	3	4	5
1.	श्री अशोक कुमार	उप निरीक्षक	जयपुर नगर	23-5-85
2.	श्री गिरधारी लाल	स. उ. नि.	,,	23-1-78
3.	श्री गोपाल सिंह	कानि. 232	,,	18-9-80
4.	श्री छोटेलाल	कानि. 3879	,,	19-9-80
5.	श्री अहमद अली	कानि. 5001	,,	10-7-80
6.	श्री सुमेर सिंह	कानि. 1178	,,	13-3-81
7.	श्री हुकम चन्द	कानि. 3252	,,	1-5-81
8.	श्री शंकर लाल	कानि. 4288	,,	21-9-83
9.	श्री बनवारी लाल	कानि. 3938	,,	22-11-83
10.	श्री डाल सिंह	कानि. 555	सीकर	18-2-84
11.	श्री रामकरण	उनि.	टोंक	15-2-82
12.	श्री कन्हैया लाल	कानि. 244	,,	15-2-82
13.	श्री रामनिवास त्यागी	उ. नि.	,,	7-12-82
14.	श्री सूरजपाल	कानि. 343	,,	12-6-84
15.	श्री श्रीराम	कानि. 2508	जयपुर ग्रामीण	10-11-80
16.	श्री नानगराम	कानि. 63	,,	25-11-80
17.	श्री सुमरणसिह	कानि. 2121	,,	1-5-81
18.	श्री अमंयदान सिंह	कानि. 1041	,,	19-7-82
19.	श्री राम निवास	कानि. 1048	,,	11-4-84

1	2	3	4	5
20.	श्री राजेन्द्र सिंह	कानि. 1032	जयपुर ग्रामीण	25-1-84
21.	श्री सुमन सिंह	कानि. 3342	,,	31-8-81
22.	श्री देवीदास	कानि. 635	जिला जोधपुर	1-6-83
23.	श्री मूराराम	कानि. 1370	,,	2-6-83
24.	श्री करणी सिंह	कानि. 1195	,,	25-5-84
25.	श्री जगदीश सिंह	उनि.	,,	9-4-84
26.	श्री अरमंव खां	है. कानि.	सिरोही	5-12-79
27.	श्री भूरी सिंह	कानि. 877	पाली	3-8-81
28.	श्री भंवर सिंह	कानि. 879	,,	3-8-81
29.	श्री बहादुर सिंह	कानि. 758	,,	14-6-82
30.	श्री किशन सिंह	हैड कानि. 814	,,	19-12-83
31.	श्री राजेन्द्र सिंह	कानि. 501	,,	21-1-84
32.	श्री जगदीश सिंह	उ.नि.	जालोर	19-4-84
33.	श्री माधव सिंह	है. कानि. 510	,,	6-6-84
34.	श्री सूरज प्रसाद	कानि. 446	अलवर	24-4-76
35.	श्री रतन लाल	कानि. 180	,,	18-9-82
36.	श्री लल्लू खां	उ.नि.	,,	19-10-82
37.	श्री अमर सिंह	है. कानि. 967	,,	1-2-83
38.	श्री माधोसिंह	कानि. 395	,,	14-2-83
39.	श्री राम सिंह	कानि. 1107	,,	29-12-83
40.	श्री मेहर चन्द	स. उ. नि.	,,	6-6-84
41.	श्री रतन सिंह	स. उ. नि.	सवाई माधोपुर	27-3-84
42.	श्री राम प्रकाश	कानि. 493	धौलपुर	24-4-83
43.	श्री हनुमान सिंह	कानि. 506	,,	11-12-83
44.	श्री बद्री लाल	कानि. 401	भीलवाड़ा	30-5-84

1	2	3	4	5
45.	श्री श्रीदान	उ.नि.	नागौर	6-12-83
46.	श्री मदनलाल	उ.नि.	"	6-4-84
47.	श्री राजकुमार	निरीक्षक	रेंज कार्यालय उदयपुर	15-2-84
48.	श्री गोविन्द सिंह	हैः कानि. 631	जिला उदयपुर	28-11-71
49.	श्री माधोसिंह	हैः कानि. 129	"	10-7-83
50.	श्री माधूसिंह	कानि. 1965	"	10-10-83
51.	श्री नाहर सिंह	स. उ. नि.	"	1-10-83
52.	श्री लाल मोहम्मद	कानि. 83	"	4-2-84
53.	श्री नाथू सिंह	कानि. 2283	"	4-2-84
54.	श्री किताब सिंह	उ.नि.	"	27-3-84
55.	श्री रामसिंह	स.उ.नि.	चित्तौड़गढ़	6-10-81
56.	श्री प्रताप सिंह	कानि. 231	"	6-5-83
57.	श्री मुस्तफा खां	कानि. 1048	"	9-8-83
58.	श्री डाल सिंह	स.उ.नि.	"	6-1-84
59.	श्री चन्द्र सिंह	कानि. 654	कोटा नगर	5-6-79
60.	श्री जीवनराम	कानि. 604	"	5-6-79
61.	श्री रमेश चन्द्र	कानि. 1138	"	5-6-79
62.	श्री करण सिंह	कानि. 1097	"	6-5-79
63.	श्री बृजराज सिंह	कानि. 1596	"	6-5-79
64.	श्री मोहन लाल	कानि. 1629	"	6-5-79
65.	श्री भैरूलाल	कानि. 1267	"	6-5-79
66.	श्री हरीश गोड़	कानि. 218	"	15-4-78
67.	श्री जोरावर सिंह	कानि. 229	"	7-8-82
68.	श्री दर्जनशाल सिंह	कानि. 1941	"	23-10-82
69.	श्री नन्द किशोर	हैः कानि. 1607	"	7-5-83
70.	श्री छीतरलाल	कानि. 4150	"	29-12-83

1	2	3	4	5
71.	श्री जसवन्त सिंह	कानि. 1244	कोटा नगर	31-3-83
72.	श्री सोहनलाल	कानि. 3164	,,	28-4-84
73.	श्री अब्दुल वहीद	कानि. 1131	,,	29-5-84
74.	श्री अभय सिंह	कानि.	कोटा ग्रामीण	5-6-79
75.	श्री रामकल्याण पान्नीवाल	उ.नि.	,,	25-10-83
76.	श्री बृजराज सिंह	कानि. 493	,,	13-4-84
77.	श्री भंवरलाल वर्मा	स.उ.नि.	,,	2-1-82
78.	श्री राधेश्याम	कानि 379	बून्दी	12-12-83
79.	श्री भूपेन्द्र सिंह	कानि 741	झालावाड	1-6-83
80.	श्री अब्दुल वाकर	स.उ.नि.	,,	9-9-83
81.	श्री किशनलाल	क. लिपिक.	,,	21-2-84
82.	श्री मघाराम	कानि. 653	आरएसी प्रामजोधपुर	4-8-81
83.	श्री मानसिंह	कानि. 793	,,	13-4-81
84.	श्री सुभेसिंह	कानि. 526	आरएसी तीसरी जयपुर	13-9-82
85.	श्री राजकुमार बंसल	स्टेनो	,, चौथी बीकानेर	9-3-84
86.	श्री मेघ सिंह	एलएचसी 153	,, ,, ,,	9-3-84
87.	श्री जनक सिंह	कानि. 325	,, पांचवीं कोटा	9-6-81
88.	श्री उद्धाराम	कानि. 199	आरएसी पाचवीं कोटा	9-2-83
89.	श्री बहादुर सिंह	कानि. 78	,, ,, ,,	27-12-83
90.	श्री कानाराम	कानि. 677	,, ,, ,,	6-10-83
91.	श्री रणजीत सिंह	कानि. 146	,, ,, ,,	2-3-83
92.	श्री इकवाद बहादुर	है. कानि. 31	,, ,, ,,	2-2-84
39.	श्री देवाराम	कानि. 420	सीआईडी सीबी जयपुर	2-10-79
94.	श्री अशोक कुमार	कानि. 186	,, ,, ,,	19-1-76
95.	श्री नन्दलाल गौतम	कानि. 204	,, ,, ,,	16-6-84
96.	श्री विष्णु दत्त	उ.नि.	सीआईडी आईबी जयपुर	28-1-80

1	2	3	4	5
97.	श्री अखलेश कुमार	कानि.	सीआईडी आईबी जयपुर	4-1-84
98.	श्री गोपाल सिंह	कानि. 182	जीआरपी अजमेर	1-6-81
99.	श्री दयाल सिंह	कानि. 122	,, ,,	,,
100.	श्री कुन्दन सिंह	कानि. 906	,, ,,	,,
101.	श्री गरणपत लाल	कानि. 1030	,, ,,	30-1-82
102.	श्री बद्रीनारायरण	कानि. 141	,, ,,	6-4-84
103.	श्री बदलू सिंह	कानि. 178	,, ,,	12-5-84
104.	श्री करनेल सिंह	कानि. 676	,, ,,	,,
105.	श्री द्वारिका प्रसाद	कानि. 1031	,, ,,	,,
106.	श्री अमीर सिंह	कानि. 347	,, ,,	19-5-84
107.	श्री रामेश्वर लाल	कानि. 1001	,, ,,	24-10-82
108.	श्री इन्द्र सिंह	क. लिपिक	आर.पी ए.जयपुर	20-10-83
109.	श्री नवाब अली	कानि.	वायरलेस	3-3-83
110.	श्री मोहन लाल	कानि. 81	डूंगरपुर	19-4-79
111.	श्री राजकुमार	निरीक्षक	,,	13-2-84
112.	श्री लक्ष्मणप्रसाद सैन	उ.नि.	अजमेर	12-9-78
113.	श्री हिम्मत सिंह	कानि. 1090	,,	1-1-83
114.	श्री राम रतन	उ.नि.	,,	31-5-84
115.	श्री सवाईसिंह	कानि. 645	गंगानगर	2-9-83

विभागीय जांचों से सम्बन्धित पुलिस अधिकारी/कर्मचारी जो निलम्बित हैं व आरोप पत्र दिये जा चुके हैं और वो एक साल से अधिक समय से निलम्बित है, की सूची : (ब)

क्र.सं.	नाम कर्मचारी/अधिकारी मय पद नं.	पदस्थापन	निलम्बित दिनांक
1.	श्री वी. आर. निमावत, आरपीएस, पुलिस उप अधीक्षक	उदयपुर	24-2-84
2.	श्री रामबहादुर सिंह, एल.एच.सी. 437	धौलपुर	30-4-84
3.	श्री दयानंद सिंह एच.सी. 495	कोटा ग्रामीण	9-4-84
4.	श्री दशरथ सिंह, कानिस्टेबिल 689	द्वितीय आरएसी	13-9-83
5.	श्री लून सिंह, एचसी 41	,, ,,	29-12-83
6.	श्री उम्मेद सिंह हैड कानि. 159	नागौर	9-5-84
7.	श्री दयानन्द हैड कानिस्टेबिल 435	कोटा शहर	9-3-84
8.	श्री हरीश गौड़, कानिस्टेबिल 218	,, ,,	15-4-78
9.	श्री इन्द्र सिंह, कनिष्ट लिपिक	आर.पी.ए.	20-10-83
10.	श्री शुभराम, ए.एस.आई.	सीआईडी (आई बी)	22-5-84
11.	श्री सुरेन्द्र सिंह, प्रयोगशाला सहायक	एफ.एस.एल.	6-5-83
12.	श्री भंवरलाल, कानि. नं.–212	भ्र.नि.वि.	27-1-84

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न सं. 374 की सूची

ट्रायसम के अन्तर्गत बकाया भुगतान का विवरण

क्र. सं.	वर्ष	ट्रायजम के प्रशिक्षणार्थियों की संख्या जिन्हें छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हुआ था	प्रशिक्षणार्थियों को देय बकाया छात्रवृत्ति	कुशल कारीगरों की संख्या जिन्हें वेतन का भुगतान करना बकाया था	राशि जो कुशल कारीगरों को भुगतान करना बकाया था
1	2	3	4	5	6
1.	**पंचायत समिति, बीकानेर**				
1.	1980–81	6	1200	—	—
2.	1981–82	49	11700	32	22250
3.	1982–83	170	41090	38	31200
4.	1983–84	34	07700	0	11100
5.	1984–85	102	26700	15	22575
	योग :	361	88390	91	87125
2.	**पंचायत समिति, कोलायत**				
1.	1982–83	39	11700	13	11700
2.	1983–84	174	32700	58	32700
3.	1984–85	45	12375	15	8250
		258	56775	86	52050

1	2	3	4	5	6
3.	**पंचायत समिति लूनकरणसर**				
1.	1983–84	44	11200	13	10000
2.	1984–85	55	20250	14	37500
	योग :	99	31450	27	47500
4.	**पंचायत समिति नोखा**				
1.	1984–85	105	26000	35	16750
	वृहत योग :	815	202615	239	204025

परिशिष्ट–3

तारांकित प्रश्न सं. 376 की सूची

(सूची "अ")

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सड़कों की सूची

1. राज्य मार्ग :

1. बर–पाली–सिरोही सड़क एस. एच. डब्लू. 27 कि.मी. 0/0 से 24/0 तक
2. ब्यावर–बर–बिलाडा–जोधपुर सड़क एस. एच. डब्लू. 5 कि.मी. 6/0 से 36/0 तक

2. अन्य जिला सड़कें :

1. चण्डावल से जैतारण सड़क 0/0 से 15/0
2. रायपुर बस स्टैण्ड से हरीपर रेल्वे स्टेशन 0/0 से 7/0
3. मुडिया–पिपलीया–कुशलपुरा सड़क 10 कि. मी. मेटल सड़क 4.5 कि. मी. ग्रेवल सड़क
4. बिलाडा से ब्यावर वाया गीरी नानणा 20 कि.मी. मेटल रोड़ 15.5 ग्रेवल सड़क
5. रायपुर से जस्सर खेडा सड़क कि. मी. 3/0 से 32/0 तक
6. सेन्दड़ा से चांग वाया चिताड कन्यावाबडी तक 6 कि.मी. मेटल सड़क व 8 कि.मी. ग्रेवल सड़क
7. लाम्बिया से ब्यावर वाया रास बाबरा कि.मी. 23/0 से 36/0 तक

3. ग्रामीण सड़कें :

1. सम्पर्क सड़क रेल्वे स्टेशन बर तक 1 कि. मी. मेटल सड़क
2. सम्पर्क सड़कें कुशालपुरा गांव तक 0/0 से 9/0 तक
3. रायपुर से डिपावास सड़क कि.मी. 3 कि.मी. मेटल व दो कि.मी. ग्रेवल सड़क
4. पिपलिया से दोरनाडी 4.5 कि.मी. मेटल व 1.5 ग्रेवल सड़क

310

5. हरीपुर रेल्वे स्टेशन से चण्डावल वाया झूठा कर्मावास मोहरा, रामपुरा 24 कि.मी. ग्रेवल सड़क

6. बासीया से मेरूखेजडा वाया मोहरा बासनी । कि.मी. ग्रेवल सड़क

7. दकर्मावास से निम्बेडा 4.5 कि.मी. ग्रेवल सड़क

8. सेन्दडा से कावा 4.5 कि.मी. ग्रेवल सड़क

9. खेमा की बेरी से बेलपाना सड़क बगड़ी चाराया तक वाया कलालीया बगड़ी 3 कि.मी. मेठल 10 कि.मी. ग्रेवल सड़क

10. बर से गिरी वाया बिराठीया खुर्द 13 कि.मी. ग्रेवल सड़क

11. गिरी से बाबरा 11 कि.मी. ग्रेवल सड़क

12. बिरांठिया कला से झाला की चौकी वाया बिरांठिया खुर्द 11 कि.मी. ग्रेवल सड़क

13. झाला की चौकी से कलालीया वाया कनुणा आसन जिलेलाव 1 कि.मी. मेटल व 11 कि.मी. ग्रेवल सड़क

14. बिरांठिया कला से बुटिवास वाया हाजीवास मेशीया 11 कि.मी. ग्रेवल 2 कि.मी. एफ. आर. डब्लू.

15. बाबरा से सुमेल वाया नया गांव तक 3 कि.मी. डामर सड़क व 12 कि.मी. एफ. आर. डब्लू.

16. सेन्दडा से अमरपुरा रेल्वे स्टेशन बडीपोल पाटन बाबरा, लालपुरा तक 20 कि.मी. ग्रेवल सड़क

17. रामपुरा से निमाज वाया कुशालपुरा 19 कि.मी. मेटल सड़क

18. लिलम्बा से निमाज तक वाया आकेली सड़क 8 कि.मी. ग्रेवल सड़क

19. बर से हाजीवास वाया धलकोट 5 कि.मी. ग्रेवल सड़क

20. बर से मेवदडा माकडवाली 3 कि.मी. ग्रेवल 2 कि.मी. एफ. आर. डब्लू

21. माता मगरी से कर्मावास 7 कि.मी. ग्रेवल

22. बर से घोलीचेड 3 कि.मी. ग्रेवल सड़क ।

(सूची "ब")

क्र. सं.	सड़क का नाम	खर्चा वर्ष 1983-84 (लाखों में)	खर्चा वर्ष 1984-85 (लाखों में)
1	2	3	4
	अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य :		
1.	चण्डावल से जैतारण सड़क	1.34	0.47
2.	रायपुर बस स्टेशन से हरीपुर रेल्वे स्टेशन तक	0.04	0.04
3.	गुडिया–पिपलीया–कुशालपुरा सड़क	0.20	0.12
4.	बलाडा से ब्यावर वाया गिरी नानणा	—	0.09
5.	रायपुर से बस्सी खेड़ा सड़क	0.28	0.06
6.	सेन्दडा से चांग वाया चिताड कन्या बावडी तक	0.05	0.02
7.	लाम्बिया से ब्यावर वाया रास बावरा	—	—
8.	सम्पर्क सड़क कुशालपुरा गांव तक	—	0.16
9.	सम्पर्क सड़क कुशालपुरा गांव तक	0.02	0.01
10.	रायपुर से दीपावास	—	—
11.	पिपलीया से दोरनाडी	—	0.23
12.	हरीपुर रेल्वे स्टेशन से चण्डावल वाया झुठ कर्मावास, माहुरा, रामपुरा	—	—
13.	कर्मावास से निम्बेडा सड़क	—	—
14.	सेन्दडा से कावा सड़क	—	—
15.	खेमा की बेरी से बेलमाना/बगडी चौराया तक वाया कलालीया बगड़ी तक	—	0.21
16.	बर से गिरी वाया बिराठिया खुर्द	0.08	0.11
17.	गिरी बावरा सड़क	—	—
18.	बिराठिया कला से झाला की चौकी वाया बिराठिया खुर्द	—	—

1	2	3	4
19.	झाला की चौकी से कलालीया वाया कुशालपुरा जिलेलाव	0.09	0.01
20.	विराठिया कल्ला से बुटिवास वाया हाजीवास मसीया	—	0.10
21.	बाबरा से सुमेल वाया नया गांव	—	—
22.	सेन्दडा से अगरपुरा रेल्वे स्टेशन वहीं बालपाटन, बाबरा लालपुरा तक	—	0.01
23.	रामपुरा से निमाज वाया कुशालपुरा	0.13	0.10
24.	लिलम्बा से निमाज वाया आकेली	—	0.06
25.	बर हाजीवास वाया घुल कोट	—	0.01
26.	बर से मेगडदा माकंडवाली	—	—
27.	माता मगरी से कर्मावास	—	—
28.	बर से चोलीघेडा	—	—

(सूची "स")

क्र.सं.	सड़क का नाम	शासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	लम्बाई	उपलब्धियां	वर्ष 1984-85 में खर्च की गई राशि (लाखों में)
1.	पिपलीया से दोरनाडी सड़क	एफ-2/14/पी.डब्लू/एएस/84 दिनांक 14-6-84 रुपये 7.50 लाख	5 कि.मी.	1.50 कि.मी. में मिट्टी का कार्य 2 कि.मी. में कुटाई का कार्य एवं 1 कि.मी. में ग्रिट एकत्रित करने का कार्य पूर्ण किया गया।	0.96
2.	कुशालपुरा से पिपलीया	वही रुपये 7.50 लाख	5 कि.मी.	2 कि.मी. में मिट्टी का 2 कि.मी. मे कुटाई का कार्य एवं 2 कि.मी. में ग्रिट एकत्र करने का कार्य पूर्ण किया गया	0.78
3.	बर से गिरी	वही रुपये 7.50 लाख	5 कि.मी.	4 कि.मी. में मेटल एकत्र करने का कार्य दो कि.मी. मुड एकत्र करने का कार्य पूर्ण किये गये।	0.49

नोट : डी. आर. डी. ए. वसूली द्वारा 3.50 लाख रुपये जमा कराये गये थे। जिसके तहत छः 6.78 लाख खर्च किये गये। 3.28 लाख सार्वजनिक निर्माण विभाग के बकाया है। धन उपलब्ध कराये जाने पर आगे कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

314

परिशिष्ट–4

(तारांकित प्रश्न सं. 378 की सूची)

परिशिष्ट–1

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, टोंक के अधीन 1985-86 में पूर्ण कार्यों की सूची

I. जिला ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम :

क्र.सं.	पं. समिति	स्थान	अनुमानित लागत राशि (लाख रु.)
1	2	3	4
(अ) एनीकट :			
1.	टोडारायसिंह	चूली	0.245
2.	निवाई	पहाड़ी	0.274
3.	टोंक	जवाड़िया	0.165
4.	देवली	धुवाकलां	1.350
(ब) नाडी			
1.	टोंक	चाकूबगंज	0.300
2.	टोंक	पालडी	0.145
3.	निवाई	राजवाग	0.099

II. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम :

एनीकट :

1.	टोडारायसिंह	मनोदिया	1.074
2.	टोडारायसिंह	खजूरिया	0.716

1	2	3	4
3.	देवली	पांवोली	0.761
4.	देवली	घूघावास	0.895
5.	देवपुरा	देवपुरा	0.537
6.	अलीगढ़	उखलाना	0.806
7.	अलीगढ़	बनेठा	0.537
8.	निवाई	बनोनी	0.752
9.	निवाई	दत्तवास	0.671
10.	निवाई	जीवली	0.806
11.	निवाई	बरथला	0.448

III. आई. आर. डी. पी. :

एनीकट :

1.	देवली	धुवाकलां	1,03,830 रु.
2.	देवली	धुवाकलां जलोत्थान सिंचाई योजना	37,360 रु.

IV. माडा :

एनीकट :

1.	देवली	ज्योतिपुरा	81,000 रु.
2.	देवली	रामपुरा	72,600 रु.
3.	देवली	सारदड़ा	1,26,280 रु.

316

परिशिष्ट–2

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, टोंक के अधीन 1985-86 के चालू कार्यों की सूची

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम :

क्र. सं.	पंचायत समिति क्र.सं.	नाम पंचायत	ग्राम का नाम	कार्य	स्वीकृत राशि (रुपये)
1	2	3	4	5	6
			पंचायत समिति अलीगढ़		
1.	1.	हैदरीपुरा	लसाड़िया	कूप मरम्मत/गहरा	4000.00
2.	2.	,,	अमीनपुरा	,,	4000.00
3.	3.	चौरू	चौरू	,,	4000.00
4.	4.	पंचाला	बिशनपुरा	,,	4000.00
5.	5.	भुंडवा	भुंडवा	,,	4000.00
6.	6.	,,	रहमानपुरा	,,	4000.00
7.	7.	खेलनिया	खेलनिया	,,	4000.00
8.	8.	मोहम्मदपुरा	सेदरीगूजरान	,,	4000.00
9.	9.	मोहम्मदपुरा	सेदरीमालियान	,,	4000.00
10.	10.	फलेता	बालापुरा	,,	4000.00
11.	11.	रूपवास	स्कूल के सामने	,,	4000.00
12.	12.	कचरावता	समरावता	,,	4000.00
13.	13.	बासरिया	बालापुरा	,,	4000.00
14.	14.	अलीगढ़	नर्सरी	कूप गहरा	7000.00
15.	15.	फुलेता	कूप भैरूंजी	,,	2000,00

1	2	3	4	5	6
16.	16.	झण्डया	उस्मानपुरा	नलकूप निर्माण	10000.00
17.	17.	फुलेता	ढाणी मुकंदपुरा	कूप गहरा	2000.00
18.	18.	मोहम्मदपुरा	रोशनपुरा	कूप गहरा	8000.00
19.	19.	मीठडा	खरेडा	कूप मरम्मत	4000.00
20.	20.	झुण्डवा	मोतीपुरा	,,	4000.00
21.	21.	,,	हनोतिया	कूप गहरा	4000.00
22.	22.	,,	ठीकरिया	,,	4000.00
23.	23.	खाखोली	पागडी	कूप मरम्मत	
		पंचायत समिति टोडारायसिंह			
24.	1.	मूण्डियाकलां	मूण्डिया	कूप गहरा	4000 00
25.	2.	,,	निमेडा	,,	4000.00
26.	3.	मोरभाटियान	मोरडा	,,	4000.00
27.	4.	गणेती	बावोलाव	,,	4000.00
28.	5.	हन्दोकिया	हरभगतपुरा	,,	4000.00
29.	6.	रीण्डल्यामपुरा	पन्द्राहेडा	सा. कूप गहरा	4000.00
30.	7.	,,	वनका खेडा	,,	4000.00
31.	8.	कुहाडा बुजुर्ग	सास्कावास	कूप गहरा	4000.00
32.	9.	मान्दोलाई	खेजडा का वास	,,	4000.00
33.	10.	अलियारी	वोसेडावैरवानढाणी	,,	4000.00
34.	11.	मावता	पथराजकला	,,	4000.00
35.	12.	,,	पथराजखुर्द	,,	4000.00
36.	13.	,,	रघुनाथपुरा	,,	4000.00
37.	14.	बावडी	बावडी	सार्व. ,,	4000.00
38.	15.	कूकड	खेडल्या खुर्द	,,	4000.00
39.	16.	संवारिया	सांवारिया	,, बावडी	4000.00

1	2	3	4	5	6
			पंचायत समिति, टोंक		
40.	1.	सोरन	ठिकरिया	कूप मरम्मत/गहरा	4000.00
41.	2.	अरनियाकेदार	करिरीया	,,	4000.00
42.	3.	बम्बोर	बैरवा बस्ती	,,	4000.00
43.	4.	हरचन्देडा	बोरडीसाडा	,,	4000.00
44.	5.	लवादार	दमदडा	,,	4000.00
45.	6.	लवादार	लवादार	,,	4000.00
46.	7.	कावरा	ऊम	सार्व. कूप मरम्मत	4000.00
47.	8.	कावरा	ऊम	,,	4000.00
48.	9.	साचोली	बालाजी	कूप मरम्मत	4000.00
49.	10.	,,	बैरवान	,,	4000.00
50.	11.	,,	बजीरपुरा	,,	4000.00
51.	12.	बम्बोर	बजीरपुरा	,,	4000.00
52.	13.	पालडा	नवाबपुरा	,,	4000.00
53.	14.	वजीरपुरा	पातड़ी	,,	4000.00
54.	15.	,,	,,	,,	4000.00
55.	16.	डीडवाडी	डीडवाडी	,,	4000.00
56.	17.	नागेर	नागेर खटीकान	,,	4000.00
57.	18.	नीमेडा	मदारीपुरा	,,	4000.00
58.	19.	काशीपुरा	काशीपुरा	,,	4000.00
59.	20.	झिराना	मोजामायनावाद	,,	4000.00
60.	21.	,,	मोजानसीखवाद	,,	4000.00
			पंचायत समिति, मालपुरा		
61.	1.	डिग्डी	दामोदरपुरा	सार्व. कूप गहरा	2000.00
62.	2.	,,	भवानीपुरा	,,	2000.00

1	2	3	4	5	6
63.	3.	झाडली	ढाणीमोम्यान	,,	3000.00
64.	4.	कचोलिया	कचोलिया बलाइयान	कूप गहरा	3000.00
65.	5.	डूंगहरीकला	डूंगरी खुर्द	बावडी गहरा	3000.00
66.	6.	,,	ढाणी बागरियान	,,	3000.00
67.	7.	सोडा	,,	,,	3000.00
68.	8.	सीतारामपुरा	ढाणी बेबोरी	,,	4000.00
69.	9.	राजपुरा	ढाणी हाथको	,,	3000.00
70.	10.	लावा	लावा	,,	1500.00
71.	11.	रीण्डलिया	तितरिया	सार्व कूप गहरा	4000.00
72.	12.	,,	रूपाहेली	,,	2000.00
73.	13.	कोटोली	कालामाटा	,,	3000.00
74.	14.	घोली	मीपुरमो. गूजरान	,,	3000.00
75.	15.	गनवर	सार्व. बापदून्दा बाबरियान	कूप गहरा	2000.00
76.	16.	कुराड	बागरियान शाह	सार्व. कूप गहरा	2000.00
77.	17.	तिजाजू	भावलपुर पैरवान की बस्ती	कूप गहरा	3000.00
78.	18.	हरिसिंह	गुडगांव	सार्व. कूप बावडी को गहरा	3000.00
79.	19.	डूंगरीकला	डूंगरीकला	नव कूप निर्माण	10000.00
80.	20.	हाथगी	हाथगी	तालाब	20000.00

पंचायत समिति, देवली

81.	1.	कनवाड़ा	चक आमदपुरा	सार्व. कूप	2000.00
82.	2.	पनवाड़	रेगरान पनवाड	,,	2000.00
83.	3.	,,	मालियान पनवाड	,,	2000.00

1	2	3	4	5	6
84.	4.	पनवाड़	प्राथमिकशाला	,,	2000.00
85.	5.	,,	चमारान पनवाड	,,	2000.00
86.	6.	,,	दौलता ,,	,,	2000.00
87.	7.	,,	उ. प्रा. वि.	,,	2000.00
88.	8.	निवारिया	संग्रामपुरा	,,	2000.00
89.	9.	,,	निवारिया	,,	2000.00
90.	10.	देवडावास	देवडावास	,,	2000.00
91.	11.	पालेडा	डावरकंजा मंदिर के सामने	,,	2000.00
92.	12.	सांवलगढ़	सेदियावास	,,	2000.00
93.	13.	सांवलनढ़	रेगरान सांवलगढ़	,,	2000.00
94.	14.	,,	रतनपुरा	,,	2000.00
95.	15.	टोकरावास	टोकरावास/उनियारा	,,	2000.00
96.	16.	नगर का बांध	नगर का बांध	तालाब	5000.00

पंचायत समिति निवाई

1	2	3	4	5	6
97.	1.	नटवाडा	गोपालपुरा	कूप गहरा	4000.00
98.	2.	मरथला	मरथला	कूप गहरा/मरम्मत	4000.00
99.	3.	,,	ढाणी जाटाग छापर	,,	2000.00
100.	4.	खण्डवा	खण्डवा ढाणी बैरवान	,,	3000.00
101.	5.	झिलाय	सरावडीनाडी	,,	4000.00
102.	6.	नोहटा	हरिजन रहड	,,	4000.00
103.	7.	ललवाड़ी	रेगरान अंगारपुरा	,,	4000.00
104.	8.	करेडा	करेडा	अपूर्ण कूप	4000.00
105.	9.	झापडी	बीडोली	तालाब	45000.00

(II) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम

(i) एनीकट :

क्र. सं.	पं. समिति	नाम कार्य	अनुमानित लागत (लाखों में)	
1.	निवाई	खण्डवा	0.537	1984–85 में स्वीकृत
2.	टोडारायसिंह	मेहरू एनीकट	0.154	1985–86 में स्वीकृत

(ii) सड़क निर्माण कार्य :

1.	टोंक	बरोनी से सिरस	कुल स्वीकृति 35.00 लाख रु. की है उसमें से उपरोक्त कार्यों पर 8.52 लाख रु. व्यय किये जा चुके हैं। 1983–84 में स्वीकृत
2.	मालपुरा	टोरडी से तिलांजू	
3.	टोडा.	रतवाई से मासू	
4.	निवाई	झिलाय से दत्तवास	
5.	अलीगढ़	सोप से खातोली	
6.	देवली	पनवाड से सींवलगढ़	

(iii) आई. आर. डी. पी. :

1.	देवली	सरवराबाद जलोत्थान सिंचाई योजना	63350.00	1984–85 में

(iv) माडा : (एनीकट)

1.	देवली	सुजानपुरा	107930.00	1983–84 में स्वीकृत
2.	देवली	राजकोट जलोत्थान सिंचाई योजना	58100.00	

322

परिशिष्ट–5

(तारांकित प्रश्न सं. 61 की सूची)

LIST OF REACHES OF INDIRA GANDHI NAHAR WHERE SEEPAGE HAS BEEN OBSERVED D/S R.D. 961

Sl. No.	Reach			Left or Right side
1.	976.600	to	976.800	Left
2.	975.800	to	976.800	Right
3.	999.200	to	999.600	Left
4.	10000.500	to	10000.700	"
5.	1001.550	to	1001.600	Right
6.	1000.000	to	1000.600	"
7.	1002.050	to	1002.400	"
8.	1005.500	to	1007.200	"
9.	1007.500	to	4008.391	"
10.	1025.000	to	1026.500	"
11.	1035.500	to	1039.000	"
12.	1044.500	to	1045.000	"
13.	1036.250	to	1039.000	Left
14.	1112.500	to	1116.000	"
15.	1119.000	to	1120.000	"
16.	1129.000	to	1117.500	Right
17.	1116.000	to	1118.300	"
18.	1119.000	to	1120.000	"

परिशिष्ट-6

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित)

प्रश्न व उनके उत्तर

केकड़ी क्षेत्र में सैकण्डरी विद्यालयों की क्रमोन्नति

379. **श्री ललित भाटी** (केकड़ी) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सैकण्डरी विद्यालयों को हायर सैकण्डरी विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के लिए क्या मापदण्ड निर्धारित है ? क्या यह मापदण्ड छात्र एवं छात्राओं के विद्यालयों के लिए भिन्न-भिन्न है ?

(2) केकड़ी निर्वाचन क्षेत्र में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार किन-किन सैकण्डरी विद्यालयों को हायर सैकण्डरी विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाना है, तथा कब तक ?

उत्तर

(1) सैकण्डरी विद्यालयों को हायर सैकण्डरी विद्यालयों में क्रमोन्नत क्षेत्रीय आवश्यकता, छात्रों की संख्या पर्याप्त भवन सुविधा व वितीय साधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है । विद्यालय क्रमोन्नत करने हेतु छात्र-छात्राओं के लिए कोई भिन्न मापदण्ड नहीं है महिला शिशु के विकास हेतु छात्रा विद्यालयों की मांग को प्राथमिकता दी जाती है ।

(2) वर्ष 1985-86 में सैकण्डरी विद्यालयों को हायर सैकण्डरी विद्यालयों में क्रमोन्नत करने हेतु बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं है । अतः केकड़ी निर्वाचन क्षेत्र में सैकण्डरी विद्यालयों को हायर सैकण्डरी विद्यालयों में क्रमोन्नत करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

फलौदी में जारी आर्मस लाइसेन्स

380. **श्री मोहन छंगानी** (फलौदी) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) एस. डी. ओ. फलौदी, द्वारा गत तीन वर्षों में किन-किन व्यक्तियों को आर्म्स के लिये लाइसेन्स जारी किये गये हैं ? कृपया नामों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उनमें से कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनके खिलाफ कई फौजदारी मुकदमें विभिन्न अदालतों में लम्बित हैं ?

(3) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में जनता द्वारा कुछ शिकायतें राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रकार प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) एस. डी. ओ., फलौदी द्वारा गत तीन वर्षों में श्री कुलदीप सिंह पुत्र बलवन्त सिंह, फलौदी एवं श्री सुखदेव सिंह पुत्र नाहरसिंह, निवासी बाव्ड़ी तहसील फलौदी को आर्मस लाइसेन्स जारी किये गये।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

पंचायत समिति, नीम का थाना में एन. आर. ई. पी. के तहत निर्माण कार्य

382. श्री फूलचन्द (नीम का थाना) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति, नीम का थाना में 1983-84 व 1984-85 में एन. आर. ई. पी. में कितने निर्माण कार्य शुरू किये गये ?

(2) उक्त में से कितने कार्य अधूरे हैं, तथा उक्त समय में मानव दिवसों की संख्या क्या है ?

(3) क्या उक्त कार्यों की मजदूरी व सामान की कीमत का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) उक्त पंचायत समिति में आने वाले वर्षों में कितने कार्य व कितनी राशि खर्च करने की योजना है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, नीम का थाना में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 83-84 में 11 निर्माण कार्य तथा वर्ष 84-85 में 25 निर्माण कार्य शुरू किये गये।

(2) उक्त निर्माण कार्यों में से 10 निर्माण कार्य अभी तक अधूरे हैं। वर्ष 1983-84 एवं 84-85 में पंचायत समिति नीम का थाना में मानव दिवसों की संख्या क्रमशः 17 हजार और 15 हजार है।

(3) जी नहीं। राशि की अनुपलब्धता के कारण कुछ भुगतान नहीं किया जा सका है।

(4) आने वाले वर्षों में सूचना अभी दिया जाना सम्भव नहीं है।

पाली जिले में दस्तावेजों का अवैध पंजीयन

383. श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या पाली जिले की सोजत व मारवाड़ जंक्शन तहसील के उप पंजीयन अधिकारियों ने 9-2-1981 से लेकर 1-4-1983 तक भारतीय पंजीयन अधिनियम

(श्री खंगारसिंह चौधरी)

की धारा 22 ए की अवहेलना कर, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के विरुद्ध दस्तावेजों का पंजीयन किया ?

(2) यदि हां, तो उक्त अर्से में कौन-कौन उप पंजीयन अधिकारी थे, व कितने-कितने दस्तावेज किस-किस तारीख को कितने-कितने क्षेत्र के पंजीयन किये ?

(3) प्रश्न के भाग (1) में बताये समय में कब-कब जिलाधीश ने तहसील का निरीक्षण किया, व उक्त पंजीयन के बारे में क्या-क्या निरीक्षण नोट लिखा ? कृपया नोट सदन की मेज पर रखें अगर नोट नहीं लिखा, तो क्या कारण है ?

(4) प्रश्न के भाग (1) में बताये गये गैर कानूनी कार्य की क्या जिलाधीश, पाली को कोई शिकायत मिली ? यदि हां, तो कब व जिलाधीश ने कितने समय में उक्त शिकायत की जांच करवाई, व उस पर क्या कार्यवाही की ?

(5) प्रश्न के भाग (2) में बताये अधिकारियों को क्या प्रश्न के भाग (1) में बताई अनियमितता के बावजूद भी उप पंजीयन अधिकारी के पद पर तैनात किया ? यदि हां, तो क्यों ?

(6) क्या सरकार गैर कानूनी कार्य करने वाले अधिकारियों को सख्त सजा शीघ्र देगी ? यदि हां, तो कितने समय में विभागीय जांच पूर्ण कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) उप पंजीयक, सोजत द्वारा इस प्रकार के दस्तावेज पंजीबद्ध किये गये हैं। जबकि उप पंजीयक, मारवाड़ जंक्शन द्वारा ऐसे दस्तावेज पंजीबद्ध नहीं किये गये।

(2) इस अवधि में सोजत तहसील में उप पंजीयक के पद पर श्री मोहन सिंह बीका पदस्थापित थे। पंजीबद्ध किये गये दस्तावेजों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) प्रश्न के भाग (1) में जिलाधीश, पाली द्वारा दिनांक 10 व 11 मार्च 83 को तहसील, सोजत का निरीक्षण किया गया जिसमें पंजियन कार्य का निरीक्षण नहीं किया गया है। अतः निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं रहती है।

(4) जी हां। दिनांक 11-11-82 को इस बाबत एक लिखित शिकायत चेयरमेन, विजिलेन्स कमेटी (जिलाधीश) को दी गई थी। जिलाधीश पाली ने श्री बीका के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की सिफारिश राजस्व मण्डल को की, जिस के आधार पर श्री बीका को नियम 16 सी. सी. ए. के तहत चार्जशीट दे दी गई है।

(5) श्री मोहन सिंह बीका दिनांक 9-2-81 से 7-3-83 तक तहसील सोजत में उप पंजीयक के पद पर कार्यरत थे। राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 4-3-83 के द्वारा इनका स्थानान्तरण तहसीलदार रतनगढ़ जिला चूरू के पद पर कर दिया गया।

(6) श्री मोहन सिंह बीका उप पंजीयक सोजत को सी. सी. ए. नियम 16 के अन्तर्गत चार्जशीट दे दी गई है। श्री बीका से चार्जशीट का जवाब अपेक्षित है।

सूची

क. सं.	पंजीयन की दिनांक	नाम ग्राम	धारित ख. नं.	भूमि का रकबा	विवरण किस्म	सम्पूर्ण रकबे में से बेचे गये क्षेत्रफल का क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
1.	16-2-81	सोजत-1	396	1.55	बी. 1	1/3 हिस्सा (0.51 हेक्टर)
2.	17-2-81	खसी खेड़ा	378	1.41	बी. 2	1/2 हिस्सा (1.67 हेक्टर)
3.	27-2-81	सांडिया	380	1.93	बी. 2	—
			1165			
			1166			
			1168	9.74	बी. 1	(7.53 हेक्टर विक्रय किये जाने से शेष 2.21 हेक्टर फेगमेन्ट रहा)
			1169			
4.	28-2-81	बगड़ी	3617	1.60	बी. 1	1/2 हिस्सा (0.80 हेक्टर)
5.	28-2-81	बगड़ी	3617	1.60	बी. 1	1/2 हिस्सा (0.8 हेक्टर)
6.	2-3-81	बगड़ी	107			
			108	8.34	बी. 1	1/9 हिस्सा (0.92 हेक्टर)
			109			
			110			

1	2	3	4	5	6	7
7.	11-3-81	अटगड़ा	1408	1.93	बी. 2	ख. न. 1412 में से 1.60 हेक्टर
8.	23-3-81	सोजत-II	2226	0.44	चा. 1	1/5 हिस्सा (.08 हेक्टर)
9.	30-3-81	सोजत-I	2672	0.52	बी. 1	1/5 हिस्सा (0.14 हेक्टर)
10.	7-4-81	पाचुण्डा कलां	123	4.90	बी. 1	1/4 हिस्सा (1.22 हेक्टर)
11.	8-4-81	बगड़ी	2221	6.60	बी. 1	1/6 हिस्सा (0.55 हेक्टर)
12.	9-4-82	बगड़ी	2221	6.60	बी. 1	1/6 हिस्सा में से 1/12 हिस्सा (0.09 हेक्टर)
13.	8-4-81	बगड़ी	2221	6.60	बी. 1	1/12 हिस्सा (0.55 हेक्टर)
14.	9-4-81	सोजत	1907 1908	0.86 0.79	मेहन्दी	1/4 हिस्सा (0.41 हेक्टर)
15.	10-4-81	घन्धेड़ी	758/2	1.95	बी. 1	1/2 हिस्सा (0.92 हेक्टर)
16.	15-4-81	सोजत	4478	0.11	चा. 1	1/3 हिस्सा (0.03 हेक्टर)
17.	16-4-81	रूपावास	919	1.32	चा. 1	1/2 हिस्सा (0.66 हेक्टर)
18.	30-4-81	चांडवास	1252	2.01	बी. 1	1/2 हिस्सा (1.00 हेक्टर)

1	2	3	4	5	6	7
19.	4-5-81	बोरनडी	911	0.54	बी. 2	1.53 हेक्टर
			912	1.07	बी. 2	
20.	20-5-81	चण्डावल	1402 1404 1405	3.88	बी. 1	बेचानकर्ता 1/3 हिस्सा का 1/9 हिस्सा यानि 1/27 वां हिस्सा बेचा गया है। भूमि क्षेत्रफल 0.14 है।
21.	25-5-81	पांचुडा कलां	209	11.13	चा. 1	1/8 हिस्सा = 1.39 हे.
22.	8-6-81	सियाट	349	6.06	बी. 1	1/3 हिस्सा = 2.02 हे.
23.	8-6-81	सियाट	394	6.06	बी. 1	1/3 हिस्सा = 2.02 हे.
24.	8-6-81	सियाट	394	6.06	बी. 1	1/3 हिस्सा = 2.02 हे.
25.	25-5-81	चंडावल	1989	2.55	बी. 1	1/2 हिस्सा = 1.27 हे.
26.	9-6-81	सोजत	1930 1936 1937 1938 1939	3.36	मेहन्दी	1/22 हिस्सा = 0.[illegible]5 हे.
27.	11-6-81	सियाट	329	3.48	बी. 1	1/5 हिस्सा = 0.70 हे.

1	2	3	4	5	6	7
28.	18-6-81	शिवपुरा	476 477 478	2.39	पेटा तहाटी	1/3 हिस्सा = 0.76 है.
29.	30-6-81	पांचुडा कलां	40 634 646	7.02	चा. 3	ख. नं. 40 रकबा 3 83 का 1/4 हिस्सा बराबर 0.05 है.
30.	13-7-81	सोजत	1178	2.34	चा. 2	2/5 हिस्सा = 0.93 है.
31.	28-8-81	सोजत रोड	94 100	5.35	बी. 2	1/8 हिस्सा = 0.67 है.
32.	11-8-81	चुन्दलाई	75	1.53	बी. 1	1/10 हिस्सा = 0.15 है.
33.	28-8-81	सोजत रोड	100	4.44	बी. 1	1/8 हिस्सा = 0.55 है.
34.	16-10-82	सोजत	617 622	3.39	बी. 1	1/2 हिस्सा = 1.70 है.
35.	19-10-82	सोजत	96	5.47	बी. 1	क्रमश: 1.60 है. तीन अलग- 1.60 है. अलग व्य- 1.13 है. क्तियों को

1	2	3	4	5	6	7
36.	6-11-82	सोजत	1364 1353 1351 1352	0.24	चा. 1	1/2 हिस्सा = 0.12 हे.
37.	12-11-82	सोजत रोड	66/477	0.96	बी. 1	1/6 हिस्सा में से 1/4 हिस्सा यदि 1/24 हिस्सा क्षेत्रफल 0.04 हे
38.	19-11-82	सोजत	1050 1060 1067 1068	0.86	चा. 1	1/2 हि.=0.08 हे.
39.	18-11-82	बगड़ी	328/5095	9.23	बी. 1	1/2 हि.=4.61 हे.
40	18-11-82	बगड़ी	328/5095	9.23	बी. 1	32/923 हि.=0.32 हे.
41.	24-11-82	सोजत	5176 5177	0.06	बी. 1	1/8 हिस्सा=3/4 एयर
42.	3-12-82	सिसरवादा	436 633 634 635	3.23	बी. 1	1/4 हिस्सा = 0.87 हेक्टर

1	2	3	4	5	6	7
43.	4-12-82	सोजत	4412	1.02	बी. 1	3/51 हिस्सा = 0.06 हेक्टर
44.	6-12-82	सोजत	2233	0.38	चा. 1	12/169 हिस्सा = 0.02 हेक्टर
45.	7-12-82	सोजत	511	0.27	बी. 1	1/2 हिस्सा = 0.13 हेक्टर
46.	8-12-82	मुरड़ावा	512	3.80	बी. 1	1/2 हिस्सा = 1.90 हेक्टर
47.	8-12-82	चौपड़ा	974	2.30	सेवज	1/2 हिस्सा = 1.15 हेक्टर
48.	10-12-82	खोखरा	914	7.66	सेवज	1/2 हिस्सा = 1.15 हेक्टर
49.	14-12-82	सोजत	2233	0.28	चा. 1	6/169 हि. 9 एयर
50.	14-12-82	सोजत	2233	0.04	चा. 1	1/4 हि. 1 एयर
51.	14-12-82	सोजत	2233	0.38	चा. 1	12/69 2.5 एयर
52.	14-12-82	नया गांव	791	1.50	नहरी	1/2 हिस्सा 0.75 हेक्टर
			792	1.45	नहरी	0.72 हेक्टर
53.	21-12-82	सोजत	371	4.16	बी. 1	1/8 हिस्सा = 0.52 हेक्टर
			372			
			373			

1	2	3	4	5	6	7
54.	21-12-82	धन्वेरी	692 695 696 693 694	9.75	चा. 1	1/16 हिस्सा 0.60 हेक्टर
55.	28-12-82	छिलावास	748	1.29	बा. 1	80/129 हि. 0 = 80 हेक्टर
56.	17-1-83	सोजत	1991	2.94	बी. 1	1.53 हेक्टर
57.	21-1-83	पाचुण्डा खुर्द	56	1.77	बी. 1	118/177 हिस्सा .11 एयर
58.	21-1-83	पाचुण्डा खुर्द	56	1.77	बी. 1	72/177 हिस्सा .22 एयर
59.	21-1-83	सोजत	4282	0.70	बी. 1	1/17 हिस्सा 4 एयर
60.	21-1-83	सोजत	4282	0.70	बी. 1	1/17 हिस्सा 4 एयर
61.	3-2-83	सोजत	2226	0.44	चा. 1	1/8 हिस्सा 5 एयर
62.	4-2-83	सोजत	2241 2240	3.05	चा. 1	1/4 हिस्सा 0.69
63.	8-2-83	सरदारपुरा	452	1.14	बो 1	80/114 हिस्सा 8 एयर

उदयपुर जिले में श्रमिकों को भुगतान

384. श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : क्या राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) उदयपुर जिले के एन. आर. ई. पी. के तहत हुये अकाल राहत कार्यों पर मजदूरों को किस अवधि तक का भुगतान कर दिया गया है ? शेष अवधि की बकाया का कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

(2) मजदूरों को मजदूरी के भुगतान की क्या प्रक्रिया है ?

(3) क्या इस प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में एन. आर. ई. पी. के तहत कोई अकाल राहत कार्य नहीं चल रहे हैं।

(2) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्यों पर मजदूरी न्यूनतम मजदूरी के आधार पर दी जाती है। इसमें एक भाग का भुगतान खाद्यान्न के रूप में रियायत दर पर 1.50 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं प्रति व्यक्ति प्रति दिन एवं शेष मजदूरी का भुगतान नकद किया जाता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत रु. 11/– प्रति दिन प्रति व्यक्ति है। कुशल एवं अर्द्ध कुशल मजदूरों को भुगतान सार्वजनिक निर्माण विभाग की प्रचलित दरों (बी. एस. आर.) पर किया जाता है। मजदूरों की हाजरी मस्ट्रोल पर लगाई जाती है एवं मजदूरों का भुगतान मस्ट्रोल के आधार पर किया जाता है।

(3) जी, हां।

पंचायत समिति अनूपगढ़ के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी

385. श्री हंसराज मिढ़ा (सूरतगढ़) : क्या पंचायती राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

( ) अनूपगढ़ पंचायत समिति जिला श्री गंगानगर में कितनी प्राथमिक पाठशालाएं हैं तथा उन पाठशालाओं में अध्यापकों की संख्या क्या पूरी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) उक्त पाठशालाओं में कितने अध्यापकों की कमी है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, अनुपगढ़ (गंगानगर) में कुल 171 प्राथमिक पाठशालाएं जिनके लिये अध्यापकों के 227 पद स्वीकृत हैं। इनमें से अध्यापकों के 23 पद रिक्त हैं।

(2) निर्धारित मापदण्ड के अनुसार 90 अध्यापकों की कमी बताई गई है।

क्रय-विक्रय समिति, भोपालगढ़ में अनियमितायें

386. श्री हरजी राम बुरड़क (लाडनूं), **श्री मोहन लाल बारूपल** (जायल), **श्री नारायणराम बेड़ा** (भोपालगढ़) एवं **श्री महेन्द्र शास्त्री** (मण्डावर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि क्रय-विक्रय समिति, भोपालगढ़ जिला जोधपुर का सन् 1984-85 का अंकेक्षण हो चुका है ? यदि हां, तो कब किसके द्वारा और उसमें क्या-क्या अनियमितताएं पायी गयी ? कृपया अंकेक्षण प्रतिवेदन का मुख्य विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अंकेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर कोई कार्यवाही विभाग में चल रही है ? यदि हां, तो कहां-कहां पर, किन-किन के खिलाफ, कब-कब से, क्या-क्या कार्यवाही चल रही है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) इसी अंकेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर क्या और कोई कार्यवाही करनी शेष है ? यदि हां, तो वह क्या है, और कब तक की जायेगी ?

(4) क्या यह भी सही है कि सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जोधपुर द्वारा किये गये निरीक्षणों के समय गड़बड़ियां पायी गयी ? यदि हां, तो क्या-क्या और उनमें कौन-कौन दोषी पाये गये, और दोषियों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें ।

(5) क्या संस्था के प्रशासक का भी इस संदर्भ में दायित्व निश्चित किया गया है ? यदि हां तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

वर्ष 84-85 का अंकेक्षण 1-7-85 के बाद ही ड्यू होता है ।

(2) जी नहीं ।

(3) वर्ष 84-85 का अंकेक्षण अभी तक नहीं हुआ है ।

(4) सहायक रजिस्ट्रार द्वारा कोई निरीक्षण नहीं किया गया है ।

(5) अंकेक्षण के अभाव में दायित्व निश्चित करना सम्भव नहीं है ।

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड एसोसियेशन

387. श्री हरिशंकर भामड़ा (रतनगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे— क्या राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड एसोसिएशन में अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति, गलत पदोन्नति, सेवा निवृत के बाद भी निरन्तर सेवाओं में रखने के कारण

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

राज्य कोष में रु. 9 लाख 70 हजार रु. के दुरुपयोग की आपत्ति महालेखाकार राजस्थान ने की है? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये?

उत्तर

जी हां। महालेखाकार राजस्थान की आपत्ति रुपये 9,18,673.15 एवं 77222.80 पैसे की है। मामला राज्य सरकार के विचारधीन हैं।

पलसाना ग्राम में सहायक अभियन्ता कार्यालय

388. **श्री नारायण सिंह** (दांता-रामगढ़) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विद्युत् उपभोक्ताओं की मांग पर अधीक्षण अभियन्ता, सीकर ने पलसाना ग्राम से सहायक अभियन्ता आर. एस. ई. बी. का कार्यालय खोलने हेतु विद्युत् बोर्ड को प्रस्ताव भेजे हैं? यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब भेजे गये? अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

(2) क्या यह सही है कि सहायक अभियन्ता कार्यालय न होने के कारण लोगों को काफी परेशानी होती है? यदि हां, तो कब तक इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम कोछोर, सीकर क्षेत्र में किसानों को राणोली 33 के. वी. स्टेशन से बिजली दी जाती है? क्या यह सही है कि यह लाइन काफी लम्बी होने तथा ट्रान्सफार्मर का भी ओवर लोड होने के कारण व वाल्टेज की कमी के कारण किसानों की मोटरें जलती रहती हैं? क्या इस सम्बन्ध में उपभोक्ताओं की मांग पर कोछोर में 33 के. वी. सब स्टेशन बनाने की मांग है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है?

उत्तर

(1) जी हां, अधीक्षण अभियन्ता सीकर ने दिनांक 15-7-83 को पलसाना में सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने के प्रस्ताव भेजे थे। प्रस्ताव में सहायक अभियन्ता कार्यालय के अधीन, जो कंज़ूमर्स की संख्या आती थी, उससे मण्डल ने वहां सहायक अभियन्ता का कार्यालय खोलना उचित नहीं समझा। अतः प्रस्ताव की फिर से जांच की जा रही है। मण्डल के पास और भी कई वृत्तों के पुर्नगठन के प्रस्ताव विचाराधीन हैं, लेकिन मण्डल ने प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न वृत्तों के पुनर्गठन के अधिकांश मामलों पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

(2) सहायक अभियन्ता का कार्यालय सीकर में स्थित है। पलसाना में सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने की स्वीकृति के बारे में अभी कुछ भी कहना सम्भव नहीं है।

(विद्युत मंत्री)

(3) जी हां। रागोली 33/11 के. वी. सब स्टेशन से कोद्धोर को बिजली दी जाती है एवं यह फीडर 26 कि. मी. लम्बा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 3-4 ब्लॉक्स में प्रतिदिन बिजली दी जाती है। अतः कोद्धोर क्षेत्र को विद्युत सप्लाई देने वाले 33 के. वी. ट्रांसफारमर के ओवर लोड होने का प्रश्न नहीं उठता है। इस क्षेत्र में वोल्टेज की कमी के कारण मोटर के जलने के बारे में मण्डल को कोई जानकारी नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत भार तथा उपलब्ध वित्तीय साधनों को ध्यान में रखते हुए 33 के. वी. सब-स्टेशन बनाये जाते हैं।

ग्राम पंचायत, रिडमलसर का प्रशासक

389. श्रीमती रतन कंवर (शेरगढ़) व **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला बीकानेर में भंग ग्राम पंचायत रिडमलसर में भूतपूर्व सरपंच श्री अब्दुल मजीद को प्रशासक नियुक्त कर रखा है? यदि हां, तो किस नियम के तहत व क्यों?

(2) प्रदेश में इस प्रकार भूतपूर्व सरपंचों को कहां-कहां व कब से प्रशासक नियुक्त किया हुआ है?

(3) क्या राज्य सरकार ग्राम पंचायत रिडमलसर के भूतपूर्व सरपंच को हटाकर सरकारी अधिकारी को प्रशासक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 (राजस्थान अधिनियम, 21) की धारा 9-क की उपधारा (1) के में प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार को प्रशासक नियुक्त करने के अधिकार हैं।

(2) प्रदेश की अन्य किसी ग्राम पंचायत में भूतपूर्व सरपंच को प्रशासक नियुक्त नहीं किया गया है।

(3) जी नहीं। प्रशासक के विरूद्ध कोई शिकायत नहीं है।

मत्स्य फार्म लखूवाली हैड पर आरक्षित भूमि

390. श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मत्स्य फार्म लखूवाली हैड पर कब किस अधिकारी द्वारा कितनी एकड़ भूमि आरक्षित की गई थी?

(2) क्या यह सही है कि फार्म की इस भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है? यदि हां, तो वे कौन हैं?

(श्री शोपत सिंह)

(3) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में मत्स्य विभाग के अधिकारी ने पुलिस में तथा जिलाधीश को शिकायत भी की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह सही है कि सिचाई विभाग के अधिकारियों ने मत्स्य फार्म की भूमि का पानी उस व्यक्ति के नाम कर दिया, जिसने जबरन कब्जा किया था ?

उत्तर

(1) आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर द्वारा 26 बीघा 13 विसवा भूमि वर्ष 1976 में आवटित की गई थी।

(2) जी हां। 20-6-81 को उपरोक्त भूमि पर श्री करतार सिंह कांग, श्री जनरेल सिंह व श्री बलवन्तसिंह निवासी लूनकरणसर द्वारा जबरन कब्जा किया गया।

(3) जी हां। जबरन कब्जा किये जाने पर सहायक निदेशक मत्स्य, सूरतगढ़ द्वारा पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाऊन में एफ. आई. आर. नं. 126 दिनांक 22-6-81 को दर्ज करवाई गई जिसकी प्रति जिलाधीश व पुलिस अधीक्षक को भी देते हुए वस्तुस्थिति से अवगत करवा दिया गया था। पुलिस ने इस पर मुकदमा नम्बर 126 दफा 447-427 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दर्ज किया था परन्तु तफ्तीश बाद व सहायक पब्लिक प्रोसीक्यूटर की कानूनी राय लेकर एफ. आर. नं. 73 दिनांक 31-12-81 लगाकर मुकदमा खारिज कर दिया।

(4) जी नहीं।

जयपुर नगर में कम्प्यूटर केन्द्र की स्थापना

391. श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार का जयपुर नगर में एक कम्प्यूटर केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो कब तक, तथा इसमें कितनी धन राशि व्यय होगी ?

(2) इस सत्र में कितने विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था करने का कार्यक्रम सरकार ने बनाया है ?

(3) क्या विद्यालयों का चयन कर लिया गया है ? यदि हां, तो कृपया सूची सदन पटल पर रखें। चयन के क्या आधार हैं।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) कम्प्यूटर शिक्षा के लिये राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली से पाठ्यक्रम व कम्प्यूटर शिक्षा के लिये विस्तृत रूपरेखा प्राप्त होने पर अध्यापन कार्य प्रारम्भ हो सकेगा।

(शिक्षा मंत्री)

(3) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी है। विद्यालयों का चयन भारत सरकार के निर्देशानुसार रिसोर्स सेन्टर के 50 किलोमीटर की परिधि में कम्प्यूटर शिक्षा के लिये छात्रों की उपलब्धता, क्षेत्रीय मांग तथा भवन की पर्याप्त व्यवस्था को मध्य नजर रख कर किया गया है।

कम्प्यूटर शिक्षा के प्रशिक्षण हेतु चयनित विद्यालयों की सूची

1. केन्द्रीय विद्यालय नं. 1 टौंक फाटक, जयपुर।
2. केन्द्रीय विद्यालय नं. 261, इण्डस्ट्रीज एरिया प्रताप लाइन्स, जयपुर।
3. डेमोस्ट्रेशन स्कूल, रीजनल कॉलेज ग्रॉफ एजूकेशन, ग्रजमेर।
4. राजकीय पौद्धार उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर।
5. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सांगानेर।
6. केन्द्रीय विद्यालय नं. 1 के. सी. सी., खेतड़ी नगर, झुन्झुनूं।
7. राजकीय जयसिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय, खेतड़ी।
8. बिड़ला उच्च माध्यमिक विद्यालय, पिलानी।
9. बिड़ला बालिका विद्यापीठ, पिलानी।
10. बिड़ला विद्या निकेतन, बिड़ला पब्लिक स्कूल, पिलानी।
11. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोती कटला, जयपुर।
12. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चौमूं।
13. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दौसा।
14. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ग्रामेर।
15. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जोबनेर।
16. राजकीय फतेह उच्च माध्यमिक विद्यालय, उदयपुर।
17. राजकीय गुरु गोविन्द सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय, उदयपुर।
18. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोगुन्दा।
19. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नाथद्वारा।
20. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, रेजीडेन्सी, उदयपुर।
21. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, धरियावाद, उदयपुर।
22. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, झुन्झुनूं।

23. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नुवा ।
24. राजकीय लाठ उच्च माध्यमिक विद्यालय, मण्डरेला ।
25. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बीगोद ।
26. चिड़ावा उच्च माध्यमिक विद्यालय, चिड़ावा ।
27. केन्द्रीय विद्यालय, प्रताप नगर, उदयपुर ।
28. केन्द्रीय विद्यालय, जावर माईन्स जिला उदयपुर ।
29. केन्द्रीय विद्यालय, मोती डूंगरी के पास, अलवर ।
30. केन्द्रीय विद्यालय नं. 1, सागर रोड, बीकानेर ।
31. केन्द्रीय विद्यालय, कन्जोली लाईन्स, भरतपुर ।
32. केन्द्रीय विद्यालय नं. 1, ए. एस. एस., जोधपुर ।
33. केन्द्रीय विद्यालय, बी. एस. एफ., मण्डौर रोड, जोधपुर ।
34. केन्द्रीय विद्यालय, स्टेशन रोड, कोटा ।

पंचायत प्रधान के विरुद्ध सामग्री के क्रय में अनियमितता की शिकायत

392. श्री किरोड़ी लाल (महुआ) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पंचायत समिति टोडाभीम (जि. सवाईमाधोपुर) में पंचायत प्रधान द्वारा विभिन्न मदों की राशियों से छात्रों की ड्रेस, स्टेशनरी एवं अन्य उपयोगी सामग्री में करीब 3.50 लाख रुपये का सामान खरीद कर घोटाला किया गया ? यदि हां, तो कब, कितनी रकम का ?

(2) क्या उक्त सम्बन्ध में उच्च स्तरीय शिकायतें की गई है ? यदि हां, तो अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या इससे पूर्व भी कोई घोटाले पंचायत प्रधान के द्वारा किए गये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह सही है कि सन 1972-73 में आडिट रिपोर्ट के आधार पर पंचायत के प्रधान, श्री उदयचन्द मीना के विरुद्ध भ्रष्टाचार के चार्ज सिद्ध हुए थे ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, टोडाभीम द्वारा लगभग 2.51 लाख का सामान खरीदा गया है जिसकी जांच कराये जाने पर प्रथम दृष्टया अनियमिततायें पाई गई हैं । आगे जांच कार्यवाही की जा रही है ।

(पंचायती राज मंत्री)

(2) जी हां। शिकायतें 28-5-1985 का ही प्राप्त हुई थी। दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

(3) ऐसा कोई पूर्व का मामला विभाग में विचाराधीन नहीं है।

(4) जी नहीं।

बांसवाड़ा जिले में आई. आर. डी. स्कीम से लाभान्वित व्यक्ति

393. **श्री बहादुर सिंह** (दानपुर) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) एकीकृत ग्रामीण विकास योजना कार्यक्रम के तहत बांसवाड़ा जिले में वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84 व 1984-85 में पंचायत समितिवार किन-किन व्यक्तियों का चयन किया गया है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन व्यक्तियों को किन-किन यूनिट्स से लाभान्वित किया गया? कृपया वर्षवार लाभान्वितों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) वर्ष 1980-81 से 1984-85 तक एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत 21,882 परिवार लाभान्वित हुए हैं। वर्षवार लाभान्वित परिवारों का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

वर्ष 1980-81 से 1984-85 तक लाभान्वित परिवारों का प्रयोजनवार विवरण संलग्न परिशिष्ट "2" में प्रस्तुत है।

परिशिष्ट–1

वर्ष	लाभान्वित परिवारों की संख्या			
	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अन्य	योग
1980–81	303	1441	659	2403
1981–82	71	2544	637	3252
1982–83	774	3607	746	5127
1983–84	821	4595	775	6151
1984–85	478	3705	726	4909
योग :	2447	15892	3543	21882

वर्ष 1980-81 से 1984-85 तक लाभान्वित परिवारों का प्रयोजनावार विवरण संलग्न परिशिष्ट–2 में प्रस्तुत है ।

परिशिष्ट–2

जिला – बांसवाड़ा

प्रयोजनवार आई. आर. डी. के अन्तर्गत वर्ष 1980–81 से 1984–85 तक लाभान्वित परिवार

क्र. सं.	विकल्प	1980–81	1981–82	1982–83	1983–84	1984–85	योग
	कृषि सम्बन्धित :						
1.	बैल जोड़ी	189	483	609	879	753	2913
2.	बैलगाड़ी	105	—	113	77	17	312
3.	बैलजोड़ी मय बैलगाड़ी	—	—	122	133	145	400
4.	नया कुंआ	206	640	15	36	27	924
5.	कुंआ गहरा करना/लघु सिंचाई	—	—	—	14	144	158
6.	पम्प सैट	570	492	50	32	60	1204
7.	भू-संरक्षण	489	—	—	757	730	1976
	योग :	1559	1615	909	1928	1876	7887

क्र. सं.	विकल्प	1980-81	1981–82	1982–83	1983–84	1984–85	योग
पशुपालन :							
1.	गाय इकाई	45	466	321	351	163	1346
2.	भैंस इकाई	73	163	292	623	602	1753
3.	बकरी इकाई	—	569	605	657	310	2141
4.	भेड़ इकाई	—	—	23	13	17	53
5.	ऊंट इकाई	—	—	—	17	35	52
6.	गधा, मुर्गीपान, मछली पान	—	—	—	48	—	48
	योग :	118	1198	1241	1709	1127	5393
1.	ग्रामीण/लघु/उद्योग	726	323	1921	1710	1313	6003
2.	खादी	—	116	1056	382	85	1639
3.	टरसरी	—	—	—	462	413	875
4.	प्रशिक्षण के बाद नियोजन	—	—	—	—	95	95
	महायोग :	2403	3252	5127	6191	4909	21882

शराब से आय

394. श्री सम्पत सिंह (नगर) व श्री मोहन छंगाणी (फलोदी) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अंग्रेजी एवं देशी शराब से प्रान्त को विगत पांच वर्ष में वर्षवार कितनी आमदनी हुई ?

(2) आबकारी विभाग पर राज्य का सालाना कितना खर्चा होता है ?

(3) क्या सरकार यह अनुभव करती है कि राज्य में शराब की खपत निरन्तर बढ़ती जा रही है, और आगामी कुछ वर्षों में यह एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई का रूप धारण कर सकती है ? यदि हां, तो सरकार इस बुराई को समाप्त करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) अंग्रेजी एवं देशी शराब से प्रान्त को विगत पांच वर्षों में निम्नानुसार आमदनी हुई है ।

(आमदनी करोड़ों में)

वर्ष	देशी मदिरा	विदेशी मदिरा
1980-81	6.80	5.04
1981-82	22.35	9.21
1982-83	32.13	19.16
1983-84	46.20	21.19
1984-85	48.42	25.00

(2) आबकारी विभाग पर राज्य का सालाना खर्च का मानचित्र सदन की पटल पर रख दिया गया है ।

(3) पिछले वर्षों में, हर वर्ष आरक्षित राशि में 10% की ट्रेंड (Trend) वृद्धि की गई थी । यह एक सामाजिक समस्या है ।

आबकारी विभाग पर राज्य का सालाना खर्च

क्र. सं.	वर्ष	कुल व्यय	शराब व अफीम पर किया गया व्यय	शुद्ध व्यय
1	2	3	4	5
1.	1980-81	2,70,32,000	1,16,34,000	1,53,98,000
2.	1981-82	5,37,26,000	3,79,58,080	1,57,67,920
3.	1982-83	6,50,84,000	4,46,54,000	2,04,30,000
4.	1983-84	6,03,37,000	3,78,09,000	2,25,28,000
5.	1984-85	6,82,04,756	4,17,28,584	2,64,76,172
		(विभागीय आंकड़े)	(विभागीय आंकड़े)	(विभागीय आंकड़े)

बूंदी के ऐतिहासिक दुर्ग तथा फूल सागर को संरक्षित स्मारकों का स्वरूप

395. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) व **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या कला एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही कि बूंदी के ऐतिहासिक दुर्ग तथा फूल सागर को वहां के पूर्व महाराजा ने बेच दिया है ? यदि हां, तो कब, किसको तथा कितने में ?

(2) क्या यह भी सही है कि पूर्व महाराजा के उक्त निर्णय का हाडौती की जनता ने विरोध किया है ?

(3) क्या सरकार, हाडौती की शान उक्त ऐतिहासिक दुर्ग को अपने अधीन लेकर उसको संरक्षित स्मारकों का स्थान दिलाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। लेकिन कोई प्रामाणिक सूचना नहीं है।

(2) समाचार पत्रों तथा कुछ अभ्यावेदनों (रिप्रेजेन्टेशन्स) से पूर्व महाराजा के तथाकथित निर्णय का विरोध जाहिर होता है।

(3) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (आर्कोलोजीकल सर्वे ऑफ इण्डिया) द्वारा बूंदी के किले को प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत संरक्षित घोषित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट-7

(तारांकित प्रश्न संख्या 365 से सम्बन्धित आरोप की प्रति)

आरोप पत्र विरुद्ध श्री मगनलाल सरपंच ग्राम पंचायत पण्डेर पंचायत समिति, जहाजपुर

आरोप सं. 1 :--आपके द्वारा वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 में क्रमश: 3 एवं 2 व्यक्तियों की प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर भी नियमानुसार प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस प्रकार आपके द्वारा पद का दुरुपयोग किया गया है।

आरोप सं. 2 :—ग्रुप सचिव के बयान के अनुसार ग्राम पंचायत का रिकार्ड उनके पास नहीं रखा जा कर अपने स्वयं के मकान में रखा जाना प्रमाणित हुआ है जबकि ग्राम पंचायत का रिकार्ड ग्रुप सचिव के पास पंचायत भवन में रखा जाना आवश्यक है। इस प्रकार आपके द्वारा आदेशों की पालना न कर कर्त्तव्य विमुखता का दोष किया गया है।

आरोप सं. 3 :—वर्ष 1981-82 के माह जनवरी, फरवरी तथा मार्च, 1983 में तथा अप्रेल, 1982 से अक्टूबर, 1983 तक निर्धारित सीमा से अधिक राशि अपने पास रखी जा कर पंचायत कोष को हानि पहुंचाने के साथ-साथ पद का दुरुपयोग किया गया है। बाबत जांच यह भी पाया गया है कि 6-8-1983 से 16-9-1983 तक केश बुक नहीं लिखी गई है तथा दिनांक 16-9-1983 को 7873.35 पैसा पंचायत कोष में पोते होना बताया गया है तथा उक्त राशि आपके स्वयं के पास थी लेकिन बाबत जांच उक्त राशि का आपके द्वारा सत्यापन नहीं कराया जा कर राशि के गबन के साथ-साथ दुरुपयोग किया गया है।

आरोप सं. 4 :—यह है कि आपके द्वारा दिसम्बर, 1981 से अगस्त, 1983 तक 17 भूखण्ड विक्रय, 3 भूखण्ड निलाम, 4 भूखण्ड कृषि भूमि तथा 10 भूखण्ड आबादी में किये गये है। लेकिन जांच किये जाने पर यह जाहिर आया है कि राज. पं. सामान्य नियमों की पालना कर भूखण्ड विक्रय नहीं किये गयें हैं। इस प्रकार आपके द्वारा पद का दुरुपयोग कर अनियमित कार्यवाही कर पंचायत कोष को हानि पहुंचाने की कार्यवाही की गई है।

आरोप सं. 5 :—पंचायत के सहयोग सदस्यों को बैठक में बुलाये जाने बाबत पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है लेकिन आपके द्वारा सहयोगी सदस्यों को बैठक में न बुला कर पद का दुरुपयोग किया गया है।

परिशिष्ट–8

(तारांकित प्रश्न संख्या 373 की सूची)

वितरिकाओं व उपवितरिकाओं पर क्षतियों के वर्षवार विवरण

वर्ष	नाम नहर	बुर्जी	दिनांक	टूटने का कारण
1	2	3	4	5
1981	रूपसी माईनर	11.000	16-7-81	एक नं. मोगा बन्द होने से नहर को क्षति हुई।
1982	(1) शेरपुरा माईनर	32.000	6-10-82	6-10-82 की रात को आये आंधी और तूफान की वजह से क्षति हुई।
	(2) शेरपुरा सब माईनर	16.000	6-10-82	—डु—
	(3) शेरपुरा सब माईनर	17.800	6-10-82	—डु—
	(4) शेरपुरा लालेवाली माईनर/ वितरिका टैल	टैल	7-10-82	—डु—
	(5) शेरपुरा माईनर	2.500	20-12-82	—डु—
	(6) रोजरी वितरिका	63.650	12-6-82	तेज आंधी से कचरे के कारण

1	2	3	4	5
1983	(1) शेरपुरा लालेवाली वितरिका	59.60	22-5-83	तेज ग्रांधी ग्रौर तूफान के कारण
	(2) जोरावर माईनर	29.30	22-5-83	—इ—
	(3) शेरपुरा माईनर	20.21	22-5-83	—इ—
	(4) शेरपुरा सब माईनर	16.17	22-5-83	—इ—
	(5) शेरपुरा लालेवाली माईनर	57.59	10-4-83	टूटने का कारण ग्रॉवरफ्लो है
	(6) गेगरा माईनर	43.44	13-4-83	तेज ग्रांधी ग्रौर वर्षा के कारण
	(7) गेगरा सब माईनर	0.1	13-4-83	—इ—
	(8) शेरपुरा सब माईनर	15.16	13-4-83	—इ—
	(9) रोजड़ी वितरिका	7.500	12-4-83	वन—विभाग द्वारा एक साइफ नर्स के लिए लगाया था, जो रात भर चलने से पट्टे की मिट्टी वहा ले गया जिसकी वजह से वितरिका बुर्जी 7.5 से टूट गई ।
	(10) गेगड़ा माईनर	46.47	13-4-83	तेज ग्रांधी एवं वर्षा के कारण नहर को क्षति हुई ।
	(11) गेगरा माईनर	46.47	25-5-85	तेज ग्रांधी एवं वर्षा के कारण नहर को दुबारा क्षति हो गई ।

1	2	3	4	5
(12)	जोरावर पुरा माईनर	11.12	25-5-83	भारी तूफान एवं मृत जानवर नहर में आने के कारण क्षति ।
(13)	रोजरी माईनर	2.500	3-11-83	पानी की ज्यादा जरूरत की वजह से पानी अधिक छोड़ा एवं घास व नहर में मिट्टी आई हुई थी जिसकी वजह से माईनर के ऊपर से पानी निकल गया व उप वितरिका टूट गई ।
(14)	जोरावर पुरा माईनर	टेल	21-1-83	टेल पर काश्तकार न होने की वजह से पानी लगातार चलता रहा जिसका रख-रखाव नहीं हो सका व टेल पर से स्कावरींग हो गई ।
(15)	खेसवाली माईनर	29 आर. डी. के पास	16-10-84	तेज आंधी तूफान के कारण
(16)	खेरनवाली माईनर	47 आर. डी. के पास	29-10-85	तेज आंधी तूफान के कारण
(17)	आरेवाली माईनर	33 आर. डी. के पास	29-10-85	तेज आंधी तूफान के कारण
(18)	रोजड़ी वितरिका	110 व 115 के पास	29-10-85	तेज आंधी तूफान के कारण
[illegible])	आवा माईनर	54 व 48 आर. डी. के पास	29-10-85	तेज आंधी तूफान के कारण

ANNEXURE 'A'

S. No.	Name of Pucca Structure	Year of com/pletion.	Date of damage of structure.
1	2	3	4
I.	**Indira Gandhi Nahar Project.**		
1.	VRB 644.100	76-77	
2.	VRB 668.140	76-77	
3.	VRB 685.200	77-78	
4.	VRB 698.200	78-79	
5.	VRB with H/Regulator RD 710.	78-79	
6.	VRB RD. 731	78-79	
7.	Cross Head Regulator with ascape RD. 750.	83-84	
8.	DRB RD. 764	80-81	
9.	VRB RD 786.250	80-81	
10.	VRB 800.200	80-81	
11.	VRB RD. 819.217 combined with H/Regulator.	80-81	
II.	**Dattor Disty. System.**		
A.	Dattor Disty		
1.	VRB at RD. 15.900	77-78	25-12-1982
2.	Cross H/R at RD 28.91 of Aduri Disty cum fall 0.40M	77-78	
3.	VRB at RD. 40.800	80-81	

1	2	3	4
4.	Cross Regulator and H/R at RD. 52.000 of Ramra Minor. 8.5' fall	78-70	
5.	10' Fall at RD. 58.500	80-81	
6.	Fall at RD. 62.250	80-81	
7.	H/R Cum 10' fall Cum VRB at RD. 68.000	81-82	
8.	H/R at RD. 83.300 of SND & Dattor Minor.	80-81	
B.	**Aduri Disiributory**		
1.	6' fall at RD. 18.50	77-78	
2.	VRB at RD 21.250	77-78	
3.	Irifurcation cum 12' fall at RD 31.913	78-79	
4.	Fall at RD 32.300	78-79	
5.	Fall at RD 46.300	79-80	
C.	**Kumbharwala Minor**		
1.	2.936 metre fall at RD. 10.000	78-79	
2.	2.44 metre fall at RD 12.750	79-80	
3.	VRB at RD 16.000	78-79	
D.	**Mugrala Minor**		
1.	VRB at RD. 21.900	77-78	
E	**Ramra Minor**		
1.	4.74' fall at RD 2.400	80-81	

(352)

1	2	3	4
2.	10.000' fall at RD 3.800	80-81	
3.	10.000' fall at H/R at RD. 8.500 for makeri	78-79	
4.	10.000' fall at RD. 12.750	78-79	
5.	5' Fall at RD. 13.250	78.79	
6.	VRB at RD. 21.750	79-80	
7.	2.1' fall at RD. 23.500	79-80	
F.	**Makeri Sub-Minor**		
1.	8.7' fall at RD. 9.000	78-79	
2.	8.000' fall at RD. 11.750	79-80	
3.	VRB at RD. 18.500	79-80	
4.	9' fall at RD. 20.250	79-80	
G.	**Da'tor Minor**		
1.	1' fall at RD. 3.500	82-83	
2.	VRB at RD. 11.750	83-84	
3.	VRB at RD. 36.000	83-84	
M.	**Samewala Distributory**		
1.	10' fall cum VRB at RD. 11.000	83-84	
2.	10' fall at RD. 11.500	83-84	
3.	9.20' fall at RD. 31.250	84-85	

Sd/-
Executive Engineer,
XVI Division, IGNP,
Bikaner.

S.No.	Location	S.No.	Location
1	2	1	2

Birsalpur Branch

1. H/R at RD. 4.5
2. 10' fall at RD. 5.500
3. 10' fall at RD. 6.500
4. H/R at RD. 19.727 of Mohammedwala Minor.
5. H/R at RD. 40.200 of Mankasar Disty.
6. VRB at RD. 49.000
7. H/R at RD. 57.400
8. 7' fall at RD. 59.500
9. VRB at RD. 62.100
10. H/R at RD. 66.400
11. 11' fall at RD. 70
12. VRB at RD. 81
13. H/R at RD. 95.285

Cholewalki Distributory

1. VRB at RD. 11
2. 3' fall at RD. 12.800
3. H/R at RD. 20.617 of Ahmedwala Minor.
4. 7' fall at RD. 28.750
5. 7' fall at RD. 29.700

Ahmedwala Minor

1. 2' fall at RD. 6.900
2. 4' fall at RD. 9.100
3. VRB at RD. 10.000
4. 7' fall at RD. 14.200
5. 5' fall at RD. 15.800

Mohammedwala minor

1. Fall at RD. 6.750
2. Fall at RD. 15

1. Mankasar Disty fall. at RD. 11.05
2. VRB at RD. 25.500
3. H/R at RD. 30.680
4. VRB at RD. 37.750 of Manksar Disty.
5. H/R at RD. 45.800 of Mankasar Disty.
6. H/R of Gokul sub-Minor
7. H/R at RD. 55.800
8. H/R at RD. 47.614
9. Fall at RD. 52.850
10. Fall at RD. 63.000

S.No.	Location	S.No.	Location
1	2	1	2

Roop Singh Minor

1. Fall at RD. 2.200
2. Fall at RD. 13.300
3. Fall at RD. 17.400

Chera Minor

1. VRB at RD. 0.900
2. VRB at RD. 7.800
3. Fall at RD. 15.700

Ghillan Distributory

1. Fall at RD. 13.200
2. Fall at RD. 13.625
3. Fall cum VRB at RD. 15.750
4. Fall at RD. 24.625
5. VRB at RD. 28.800

Bhuttowali Distributory

1. Head Regulator at RD. 3,500 of Katak Minor.
2. H/R at RD. 6.600 of Rawat Minor.
3. 8' fall at RD. 8.000
4. Head Regulator at RD. 13.750 of Bhuttowali Minor
5. VRB at RD. 15.625

Rawat Minor

1. Fall at RD. 6.200

Bhuttowali Minor

1. 5' fall cum VRB at RD. 3.800
2. VRB at RD. 18 of Bhuttowali Minor
3. VRB at RD. 31 of Bhuttowali Minor

TOTAL :

Branch	13 Nos.
Disty.	32 Nos.
Bhuttowali	9 Nos.
	58

N. B. : Out of this eight works are still to be completed.

परिशिष्ट–18 जुलाई, 1985–परिशिष्ट (655

S. No.	Location & Structure	Date of start	Year of comple-tion	Remarks
1	2	3	4	5
1	VRB at RD. 110.150 of Birsalpur Branch.	24-8-83	1984	
2	H/R. with VRB at RD. 114.397 of Birsalpur Br.	24-8-83	1984	
3.	Fall at RD. 119.600 of Birsalpur Branch.	24-8-83	1984	
4.	Fall at RD. 120.700 of Birsalpur Branch.	24-8-83	1984	
5.	VRB at RD. 125.000 of Birsalpur Branch.	24-11-83	1985	
6.	Fall at RD. 129.200 of Birsalpur Branch.	24-8-83	1985	
7.	H/R cum fall at RD. 130.400 of Birsalpur Branch.	24-8-83	1985	
8.	Fall at RD. 130.700 of Birsalpur Branch.	24-8-83	1985	
9.	VRB at RD. 140.300 of Birsalpur	—	1985	
10.	Tail cluster cum H/R at RD.	8-1-84	1985	
11.	Fall at RD. 2.700 of Ranjeetpura Disty.	24-8-83	1984	
12.	Fall at RD. 3.500 of Ranjeetpura Disty.	24-8-83	1984	
13.	Fall at RD. 14.200 of Ranjeetpura Disty.	10-3-84	1984	

1	2	3	4	5
14.	H/R with VRB at RD. 25.200 of Ranjeetpura Disty.	7-2-84	1985	
15.	H/R at RD. 5.500 of Birsalpur Disty.	—	1984	
16.	Fall at RD. 20.000 of Birsalpur Disty.	24-8-83	1984	
17.	Fall at RD. 23.800 of Birsalpur Disty.	24-8-83	1984	
18.	Fall at RD. 24.000 of Birsalpur Disty.	24-8-83	1984	
19.	VRB at RD. 2.600 of Rawala Minor.	—	1984	
20.	Fall at RD. 7.100 of Rawala Minor.	—	1984	
21.	VRB at RD. 3.200 of Akhusar Disty.	—	1984	
22.	H/R. at RD. 14.200 of Akhusar Disty.	—	1984	
23.	VRB at RD. 41.200 of Akhusar Disty.	—	1985.	

Sd/-
Executive Engineer,
Birsalpur Br. Divn-II,
IGNP, Bajju.

S.No.	Particulars	Month of completion
1	2	3
1.	Head regulator of Charnwala Br. at RD. 961.350 of RMC.	6/83
2.	Head regulator of Phulasar Disty. at RD. 14.650 of CWBr.	3/84
3.	VRB at RD. 14.650 of CWBr.	3/84
4.	Head regulator cum Cross regulator of Khara Disty at RD. 24.550 of CWBr.	10/84 10/84
5.	Fall at RD. 25.750 of CWBr.	8/84
6.	Fall cum VRB at RD. 33.600 of CWBr.	5/84
7.	VRB at RD. 46.800 of CWBr.	8/83
8.	VRB at RD. 71.300 of CWBr.	4/84
9.	Fall at RD. 1.600 of Phulasar Disty.	3/83
10.	Fall at RD. 2.00 of Phulasar Disty.	3/83
11.	Fall at RD. 5.500 of Phulasar Disty.	3/83
12.	H/R of Godu Minor at RD. 15.500 of Phulasar Disty.	6/83
13.	Fall at RD. 0.650 of Khara Disty.	4/84
14.	Head Regulator of Narainsar Minor at RD. 32.500 of Khara Disty.	2/85
15.	Fall at RD. 2.900 of Kheruwala Disty.	10/84
16.	Fall at RD. 45.200 of Kheruwala Disty.	4/85
17.	Fall at RD. 47.000 of Kheruwala Disty.	1/85

Sd/-
Executive Engineer,
IGNP, XVIII Division,
Bajju.

(358)

मुख्य नहर वितरिकायें एवं पुलों की सूची निर्माण वर्ष सहित

भाग "अ"

क्रमांक	मुख्य नहर एवं वितरिकायें तथा पुल	निर्माण वर्ष	पुलों के क्षतिग्रस्त होने का विवरण
1	2	3	4
1.	आर. डी. 243 से 415 मुख्य नहर	1973-74	
2.	243 से 415 के बीच की वितरिकायें	1974-85	
3.	आर.डी. 415 से 620 मुख्य नहर	1975-76	
4.	आर.डी. 415 से 620 के बीच की वितरिकायें	1977-78	
5.	पुल आर.डी. 253.125 मुख्य नहर	1973-74	
6.	—डू— 269.950 ,,	—डू—	,,
7.	—डू— 303.000 ,,	—डू—	,,
8.	—डू— 315.750 ,,	—डू—	,,
9.	—डू— 330.900 ,,	—डू—	,,
10.	—डू— 348.500 ,,	—डू—	,,
11.	—डू— 363.000 ,,	—डू—	,,
12.	—डू— 390.000 ,,	—डू—	,,
13.	पुल एवं क्रॉस रेगूलेटर आर.डी. 415.250	—डू—	,,
14.	पुल आर.डी. 428.000 मुख्य नहर	1974-75	दिनांक 4-8-83 क्षतिग्रस्त
15.	पुल आर.डी. 445.000 ,,	—डू—	कोई क्षति नहीं
16.	—डू— 465.000 ,,	—डू—	,,
17.	—डू— 487.000 ,,	—डू—	,,
18.	पुल एवं हैड रेगुलेटर आर.डी. 507.290	1975-76	,,

1	2	3	4
19.	पुल आर.डी. 526.850 मुख्य नहर	—डू—	"
20.	—डू— 546.050 "	—डू—	"
21.	—डू— 573.750 "	—डू—	"
22.	—डू— 604.100 "	—डू—	"
23.	पुल एवं हैड रेगुलेटर आर.डी. 619.300	—डू—	"
24.	हैड रेगूलेटर बीरमाना माईनर I	1973-74	"
25.	हैड रेगूलेटर गोविन्दा माईनर	—डू—	"
26.	हैड रेगूलेटर बीरमाना माईनर II	—डू—	"
27.	पुल आर.डी. 9.300 बीरमाना II माईनर	—डू—	"
28.	—डू— 15.350 —डू—	—डू—	"
29.	हैड रेगूलेटर डूगीया वाली माईनर आर.डी. 316.250	—डू—	"
30.	पुल आर.डी. 11.000 डूगिया वाली माईनर	—डू—	"
31.	—डू— 20.500 —डू—	—डू—	"
32.	हैड रेगूलेटर डूगीयों वाली सब माईनर आर.डी. 19 डूगीयाँ वाली माईनर	—डू—	"
33.	हैड रेगूलेटर लालगढ़ माईनर आर.डी. 317.500	"	"
34.	पुल आर.डी 0.750 लालगढ़ माईनर	—डू—	"
35.	—डू— 19.000 —डू—	—डू—	"
36.	गोपालसर माईनर हैड रेगूलेटर आर.डी. 335	1973-74	कोई क्षति नहीं
37.	पुल आर.डी. 1.000 देवासर माईनर	"	"
38.	—डू— 8.000 गोपालसर माईनर	"	"
39.	हैड रगूलेटर बख्तावरपुरा माईनर आर.डी. 341	"	"
40.	पुल आर.डी. 9.000 बख्तावरपुरा माईनर	"	"
41.	—डू— 14.000 एवं हैड रेगूलेटर बख्तावरपुरा सब माईनर	"	"

Page No. 360

1	2	3	4
42.	पुल आर.डी. 15.000 बख्तावरपुरा सब माईनर	,,	,,
43.	हैड रेगूलेटर सुखचैनपुरा माईनर 331 मुख्य नहर	,,	,,
44.	—डू— राजाना माईनर 338 ,,	,,	,,
45.	पुल आर.डी. 0.750 राजाना माईनर	,,	,,
46.	—डू— 14.000 ,,	,,	,,
47.	हैड रेगूलेटर गोविन्दसर माईनर आर.डी. 356	,,	,,
48.	पुल आर.डी. 4.000 गोविन्दसर माईनर	,,	,,
49.	पुल एवं हैड रेगूलेटर आर.डी. 11.000 गोविन्दसर माईनर	,,	,,
50.	पुल आर.डी. 23.000 गोविन्दसर माईनर	,,	,,
51.	हैड रेगूलेटर भोपालपुरा माईनर आर.डी. 358.000 मुख्य नहर	,,	,,
52.	पुल आर.डी. 3.000 भोपालपुरा माईनर	,,	,,
53.	—डू— 9.000 ,,	,,	,,
54.	हैड रेगूलेटर चिदढासर माईनर आर.डी. 373	,,	,,
55.	पुल आर.डी 0.700 चिदढासर माईनर	,,	,,
56.	हैड रेगूलेटर गोमावाली माईनर आर.डी. 391	,,	,,
57.	पुल आर.डी. 4.885 गोमा वाली माईनर	,,	,,
58.	—डू— 17.000 ,,	,,	,,
59.	—डू— 21.000 ,,	,,	,,
60.	—डू— 34.000 ,,	,,	,,
61.	हैड रेगूलेटर तख्तपुरा माईनर आर.डी. 405	,,	,,
62.	पुल आर.डी. 28.000 तख्तपुरा माईनर	,,	,,
63.	तख्तपुरा सब माईनर का हैड रेगूलेटर आर.डी. 21.528 तख्तपुरा माईनर	,,	,,
64.	हैड रेगूलेटर देवासर माईनर	,,	,,

1	2	3	4
65.	पुल आर.डी. 0.500 देवासर माईनर	,,	,,
66.	—डू— 7.100 ,,	,,	,,
67.	हैड रेगूलेटर शेरपुरा लाले वाली डिस्ट्रीब्यूटरी आर.डी. 445 मुख्य नहर	1974-75	,,
68.	पुल आर.डी. 8.000 एस.एल.डी.	1975-76	,,
69.	—डू— 33.000 ,,	1984-85	,,
70.	—डू— 37.000 ,,	1975-76	,,
71.	हैड रेगूलेटर शेरपुरा माईनर आर.डी. 8 एस.एस.डी.	1975-76	कोई क्षति नहीं
72.	पुल आर.डी. 30 शेरपुरा माईनर	,,	,,
73.	हैड रेगूलेटर आर.डी. 15.000 शेरपुरा सब माईनर	,,	,,
74.	पुल आर.डी. 13.000 शेरपुरा सब माईनर	,,	,,
75.	हैड रेगूलेटर कनकपुरा माईनर आर.डी. 431.100	कार्य चालू रहा है	,,
76.	हैड रेगूलेटर गेगरा माईनर आर.डी. 20 एस.एस.डी.	1975-76	,,
77.	पुल आर.डी. 9.800 गेगड़ा माईनर	,,	,,
78.	—डू— 28.000 ,,	,,	,,
79.	—डू— 38.000 ,,	,,	,,
80.	हैड रेगूलेटर गेगड़ा सब माईनर आर.डी. 38 गे.मा.	,,	,,
81.	पुल आर.डी. 6.000 गेगड़ा सब माईनर	,,	,,
82.	हैड रेगूलेटर जोरावरपुरा माईनर आर.डी. 42.135 एस.एल.डी.	,, ,,	,, ,,
83.	पुल आर.डी. 9.000 जोरावरपुरा माईनर	,,	,,
84.	—डू— 34.000 ,,	,,	,,
85.	हैड रेगूलेटर कृष्णा माईनर आर.डी. 505 मु.न.	,,	,,

1	2	3	4
86.	हैड रेगूलेटर रूपसी माईनर ग्रार.डी. 456 मु.न.	1974-75	,,
87.	पुल ग्रार.डी. 0.500 रूपसी माईनर	1974-75	,,
88.	हैड रेगूलेटर दामोलाई माईनर ग्रार.डी. 472	,,	,,
89.	पुल ग्रार.डी 0.800 दामोलाई माईनर	,,	,,
90.	हैड दामोलाई सब माईनर ग्रार.डी. 5.000 दा. मा.	ग्रपूर्ण	,,
91.	हैड रेगूलेटर लाखनसर माईनर ग्रार.डी. 465 मुख्य नहर	1983-84	,,
92.	पुल ग्रार.डी. 17.000 रौजरी डिस्ट्रीब्यूटरी	1975-76	,,
93.	—डू— 39.400 ,,	,,	,,
94.	—डू— 115. ,,	,,	,,
95.	—डू— 57.500 ,,	,,	,,
96.	हैड रेगूलेटर ग्रारे वाली माईनर ग्रार.डी. 314 ग्रा.जे.डी.	,,	,,
97.	पुल ग्रार.डी. 9.000 ग्रारे वाली माईनर	,,	,
98.	—डू— 38.100 ,,	,,	,,
99.	—डू— 24.650 ,,	,,	,,
100.	हैड रेगूलेटर खेरन वाली माईनर 36.900 ग्रार.जे.डी.	,,	,,
101.	पुल ग्रार.डी. 7.000 ,,	1976–77	,,
102.	—डू— 18.050 ,,	,,	,,
103.	—डू— 8.500 ,,	,,	,,
104.	—डू— 39.500 ,,	,,	,,
105.	—डू— 47.600 ,,	,,	,,
106.	पुल ग्रार.डी. 57.000 खेरनवाली माईनर	1976-77	कोई क्षति नहीं
107.	—डू— 64.350 ,,	,,	,,
108.	हैड रेगूलेटर खेरनवाली सब माईनर ग्रार.डी. 15.900 के.डब्ल्यू.एम.	,,	,,

1	2	3	4
109.	पुल आर.डी. 10.000 के.डब्ल्यू.एस.एम.	,,	,,
110.	हैड रेगूलेटर रोजड़ी माईनर आर.डी. 51.400 आर.जे.डी.	,,	,,
111.	पुल आर.डी. 12.400 रोजड़ी माईनर	,,	,,
112.	—डू— 5.000	,,	,,
113.	—डू— 32.000	,,	,,
114.	हैड रेगूलेटर रोजड़ी सब माईनर आर.डी. 32 आर.जे.डी.	,,	,,
115.	हैंड रेगूलेटर मीरगढ़ माईनर आर.डी. 73.360 आर.जे.डी.	,,	,,
116.	पुल आर.डी. 7.000 मीरगढ़ माईनर	,,	,,
117.	हैड रेगूलेटर खोखरण माईनर आर.डी. 82 आर.जे.डी.	,,	,,
118.	पुल आर.डी. 7.000 खोखरण माईनर	,,	,,
119.	हैड रेगूलेटर छत्तरगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी आर.डी 550 मुख्य नहर	1975-76	,,
120.	हैड रेगूलेटर छत्तरगढ़ माईनर आर.डी. 9.000 छत्तरगढ़ डिस्ट्रीब्यूटर	1976-77	,,
121.	पुल आर.डी. 23 छत्तरगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी	,,	,,
122.	हैड रेगूलेटर कुमतावाला माईनर आर.डी. 39 छत्तरगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी	,, ,,	,, ,,
123.	पुल आर.डी. 51 छत्तरगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी	,,	,,
124.	—डू— 26.200 छत्तरगढ़ माईनर	,,	,,
125.	—डू— 3.000 ,,	1976-77	,,
126.	हैड रेगूलेटर आवा माइनर आर.डी. 566 मु.न.	1975-76	,,
127.	पुल आर.डी. 11.500 आवा माईनर	,,	,,
128.	—डू— 26.300 ,,	1976-77	,,
129.	—डू— 41.200 ,,	1976-77	,,

(364)

1	2	3	4
1.	बी.आर.बी. इगॉन आर.डी.	1140	10/83
2.	—डू—	1154	10/83
3.	—डू—	1168	10/83
4.	—डू—	1185	10/83
5.	—डू—	1251	1/83
6.	—डू—	800	1/84
7.	हैड रेगूलेटर आर.डी.	1254	1/84
8.	—डू—	1243.200	1/84
9.	बी.आर.बी. आर.डी.	1205	1/84
10.	—डू—	1222	1/84
11.	हैड रेगूलेटर आर.डी	1207	1/84
12.	—डू—	1231	1/84

परिशिष्ट–9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 460 की तालिका)

COMPARATIVE STATEMENT

COMPARATIVE STATEMENT OF EXISTING WATER RATES OF NEIGHBOURING STATES

(All rates are per hectre)

S. No.	Name of Crops	Rates in neighbouring States					Present rates in Rajasthan w.e.f. 3-3-82			Increased rates by 10%		
		U. P.	Haryana	Punjab	M. P.	Gujrat	Mejor Medium	Pre 1952	Pre-1952 Innundation	Mejor & Medium	Pre 1952	Innundation
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Sugarcane	80.79	40.39	33.30	121.18	339.19	58.00	850.00	21.00	63.80	55.00	23.10
2.	Rice	40.05	30.29	19.69	24.24	51.08	40.00	— 23.00	10.00	44.00	25.30	11.00
3.	Cotton	14.47	25.25	13.63	37.87	81.73	36.00	29.00	18.00	39.60	31.90	19.80
4.	Maize	23.23	20.19	12.87	15.15	16.34	18.00	10.00	8.00	19.80	11.00	8.80
5.	Bajra	23.23	20.19	98.84	15.15	16.34	18.00	10.00	8.00	19.80	11.00	8.80
6.	Jawar	23.23	20.19	9.84	15.15	16.34	18.00	10.00	8.00	19.80	11.00	8.80
7.	Pulses	23.23	20.19	9.84	17.16	24.52	21.00	18.00	13.00	23.10	19.80	14.30
8.	Garden (Per Ye.)	40.05	25.25	20.82	121.18	32.93	73.00	49.00	23.00	80.30	53.90	24.30
9.	Guwar	23.23	20.19	9.84	15.15	16.34	21.00	18.00	10.00	23.10	19.80	11.00
10.	Seinnihemp & Grass	8.75	20.19	6.06	50.49	40.86	18.00	18.00	13.00	19.80	19.80	14.30
11.	Vegitables	40.05	25.25	16.66	121.18	40.86	29.00	20.00	11.00	25.30	19.80	14.30
12.	Other Kharif & Crops	23.23	20.19	20.82	40.02	40.86	23.00	18.00	13.00	31.90	22.00	12.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	Wheat	40.05	25.25	11.80	25.25	44.95	30.00	21.00	13.00	33.00	23.10	14.30
14.	Barley	40.05	27.26	11.80	20.19	61.30	21.00	15.00	10.00	23.10	16.50	11.00
15.	Gochchani & Bajra	40.05	23.22	11.80	20.19	61.30	29.00	21.00	15.00	31.90	23.10	16.50
16.	Gram Ist Watering	—	—	—	—	—	20.00	18.00	18.00	22.00	19.80	19.80
	(2 or more watering)	40.05	20.19	11.80	17.16	61.30	29.00	25.00	19.00	31.90	27.50	20.90
17.	Palewa	—	5.05	—	12.11	12.26	9.00	6.00	—	9.90	6.60	—
18.	Fodder	11.05	20.19	6.06	50.49	40.86	18.00	18.00	10.00	19.80	19.80	11.00
19.	Oil Seeds	26.93	27.26	12.87	18.18	40.86	23.00	18.00	13.00	25.30	19.80	14.30
20.	Water Nuts	40.05	33.32	—	—	40.86	36.00	25.00	13.00	39.60	27.50	14.30
21.	Indigo & other dyes	40.05	33.42	—	27.26	81.73	36.00	18.00	13.00	39.60	19.80	14.30
22.	Tobacco	43.09	33.42	—	27.27	81.73	36.00	21.00	13.00	39.60	23.10	14.30
23.	Lucerne & Poppy	40.05	33.42	—	27.26	81.73	36.00	21.00	11.00	39.60	23.10	12.10
24.	Zeera	—	33.42	—	27.26	81.73	36.00	19.00	11.00	39.60	20.90	12.10
25.	Other Crops of Rabi	26.93	13.12	—	—	61.30	26.00	18.00	13.00	28.60	19.80	14.30

परिशिष्ट–10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 462 का विवरण)

"क"

नाम वस्तु	मात्रा	मूल्य (रुपयों में)
गेहूं	3414.19 क्विन्टल	5,28,823.00
चीनी	5786.11 क्विन्टल	10,21,990.00
सीमेन्ट	10943 कट्टे	6,61,129.00
खाद्य तेल	451.5 टिन	67,502.00
वनस्पति घी	3646 टिन एवं 10 किलोग्राम	9,00,278.00
कैरोसिन	44000 लीटर	1,00,508.00
चना	2171.23 क्विन्टल	6,10,216.00
मोटा खाद्यान्न	3058.81 क्विन्टल	6,51,045.00
पाठ्य पुस्तकें (कापियां)	16549 नग	64,456.00
रेपसीड व पाम आयल	701 टिन	1,00,737.00
तेल तिलहन	4087.01 क्विन्टल	13,71,646.00
दाल दलहन	518.53 क्विन्टल	1,91,376.00
डीजल	16567 लीटर मय 29 ड्रम	53,869.00
दूध/मावा	30.31 क्विन्टल	12,291.00
चाय	8087 किलो	2.43,997.00
गुड़	211.68 क्विन्टल	86,793.00
चावल	222.25 क्विन्टल	72,692.00
कोयला	571.40 क्विन्टल	65,000.00
नियन्त्रित कपड़ा	733.5 मीटर	3,095.00
अन्य सामान	—	14,00,582.00
	योग ;	82,08,025.00

368

"ख"

क.सं.	नाम जिला	अनिवार्य वस्तु अधिनियम के तहत कुल मारे गये छापे।	की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4
1.	अजमेर	12	सूचना अप्राप्त।
2.	अलवर	22	16 फर्मों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई तथा विभागीय कार्यवाही भी जारी है। 6 फर्मों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।
3.	बाड़मेर	4	2 में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई व शेष में विभागीय कार्यवाही की गई।
4.	बून्दी	30	11 मामलों में धारा 6–ए में कार्यवाही मय विभागीय कार्यवाही, 17 में विभागीय कार्यवाही, 2 में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं।
5.	बांसवाड़ा	3	तीनों प्रकरण जिलाधीश कार्यालय में धारा 6–ए में चलाये गये।
6.	भरतपुर	14	14 स्थानों पर छापे मार कर 364 प्रकरणों में रुपये 74,480.00 जब्त किये गये।
7.	भीलवाड़ा	25	7 मामलों में निर्णय होकर प्रतिभूति राशि रुपये 2605.00 जब्त की गई शेष में विभागीय कार्यवाही जारी है।
8.	बीकानेर	3	3 मामलों में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई।

1	2	3	4
9.	चूरू	12	7 मामलों में विभागीय कार्यवाही की जा रही है। 5 मामलों में किसी प्रकार की अनियमितताएं नहीं पाई गई। जो फाईल कर दिये गये हैं।
10	चित्तौड़गढ़	43	सभी मामलों में वस्तुओं को सीज कर जिलाधीश न्यायालय में 6–ए के तहत पेश किये गये।
11.	डूंगरपुर	2	एक मामले में 6–ए की कार्यवाही जारी है एवं 1 मामले में इस्तगासा पेश किया गया।
12.	गंगानगर	—	—
13.	जयपुर	56	छापों के बनाये गये मामलों में विभागीय कार्यवाही पुलिस कार्यवाही व न्यायिक कार्यवाही गई।
14.	जोधपुर	15	3 मामलों में एफ.आई.आर. तथा 6–ए की कार्यवाही की गई एवं अन्य मामलों में 6–ए की कार्यवाही गई।
15.	जैसलमेर	—	—
16.	जालौर	46	11 मामले 6–ए के तहत पेश किये गये, 3 में विभागीय कार्यवाही कर प्रतिभूति राशि जब्त की गई, 2 में एफ.आई.आर. दर्ज कराई, 2 मामलों में न्यायिक कार्यवाही जारी है शेष मामलों में कोई अनियमितता नहीं पाई गई।
17.	झुन्झुनू	33	14 मामलों में विभागीय कार्यवाही जारी, 19 मामलों में कोई अनियमितता नहीं पाई गई।
18.	झालावाड़	16	11 मामलों में विभागीय कार्यवाही जारी है 2 मामलों में 800/– प्रतिभूति राशि जब्त की गई, 1 में चेतावनी दी, 2 में माल जब्त कर एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई।

1	2	3	4
19.	कोटा	2	एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई ।
20.	नागौर	22	20 मामलों में 6–ए के तहत कार्यवाही की गई शेष में पुलिस में मामले दर्ज कराये गये ।
21.	पाली	—	—
22.	सीकर	206	प्राधिकार पत्र निरस्त किये गये व प्रतिभूति समस्त एवं आंशिक रूप से जब्त की गई ।
23.	सवाईमाधोपुर	6	एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई व विभागीय कार्यवाही की गई ।
24.	सिरोही	112	15 मामलों में माल अधिग्रहण किया उनमें से 12 न्यायालय में प्रस्तुत किये गये, 8 मामलों में अनुसंधान पूर्ण होकर न्यायालय में प्रस्तुत किये, 7 में अनुसंधान जारी है । शेष मामलों में कोई अनियमितता नहीं पाई गई ।
25.	टोंक	8	एक मामले में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई व 7 मामले न्यायालय में विचाराधीन है ।
26.	उदयपुर	45	1 मामले मे प्रथम रिपोर्ट दर्ज कराई गई, 12 मामलों में विभागीय कार्यवाही की गई, 33 मामले पैंडिंगस है, जिनमें 6 मामले 6–ए में जिलाधीश अदालत में पेश किये गये ।
27.	धौलपुर	59	विभागीय कार्यवाही की गई ।
	योग :	796.	

परिशिष्ट–11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 463 की सूचियां)

सूची "अ"

पंचायत समिति खानपुर के अन्तर्गत विद्युतीकृत/स्वीकृत/अस्वीकृत ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड सं.	विद्युतीकरण का दिनांक	योजना
1	2	3	4	5
1.	खानपुर	26-1-52	12-2-66	आर. ई.
2.	सूमर	10	31-3-69	"
3.	चांदखेड़ी	51	31-3-69	"
4.	भैरूपुरा	9	31-3-69	"
5.	डोबरा	12	31-3-69	"
6.	विलासरा	6	31-3-69	"
7.	चिकली	5	31-3-69	"
8.	बन्या	103	20-1-79	"
9.	बाघेर	161	20-1-79	"
10.	गोलिया खेड़ी	50	30-12-78	आई. सी. (ओ. बी.)
11.	देदिया	127	30-12-78	"
12.	देवपुरा	49	30-12-78	"
13.	पीपलाज	128	30-12-78	"
14.	सीमलखेड़ी	136	17-1-79	"
15.	डूंगरपुर	166	30-4-79	"
16.	सोजपुर	135	17-1-79	"
17.	जगदीशपुरा	132	24-1-79	"

1	2	3	4	5
18.	गंघरवता	131	20-1-79	ग्रार.ई.सी. (ग्रो.बी.)
19.	सरोला कलां	161	28-2-81	"
20.	छापन खुर्द	152	31-3-82	"
21.	उमरिया	162	31-3-82	"
22.	दादिया	160	28-2-81	"
23.	मालनवासा	159	28-2-81	"
24.	चितावा	153	31-1-82	"
25.	बेसर	47	31-1-79	"
26.	गडरवाला ढूंढी	55	31-1-79	"
27.	ठीकरिया	56	31-1-79	"
28.	कैलेरवा	58	31-1-79	"
29.	जरका	90	26-3-79	"
30.	खटवाड़ा	60	26-2-79	"
31.	महिरा	64	24-2-79	"
32.	जीथाना	89	26-2-79	"
33.	पनहारावा	74	24-2-79	"
34.	दाही खेड़ा	63	31-3-79	"
35.	खरनवाड़ा	34	26-3-79	"
36.	पनवार	33	31-3-79	"
37.	ढूंढी	53	30-9-79	"
38.	हथईखेड़ा	54	31-1-80	"
39.	गरजनी	91	31-12-81	"
40.	ढूंढा	92	31-12-81	"
41.	हाली खेड़ा	93	31-12-81	"
42.	पूंमाहेड़ी	88	31-12-81	"

1	2	3	4	5
43.	कुंजर	26/1/87	31-12-81	आर.ई.सी. (ओ.बी.)
44.	सरायत	94	31-12-81	"
45.	कंवल्दा	123	22-1-80	"
46.	गोलाना	122	अगस्त, 80	"
47.	लाखा खेड़ी	124	31-12-79	"
48.	बरवेली	121	31-12-79	"
49.	पंचपीला	126	31-12-79	"
50.	खण्डी	137	31-3-82	"
51.	सुनारिया	138	31-3-79	"
52.	लीमी	139	31-3-79	"
53.	काडी खेड़ा	164	31-3-81	"
54.	फोटू खेड़ी	45	31-5-79	"
55.	रूपाहेड़ा	44	31-5-79	"
56.	भगवानपुरा	13	30-11-79	"
57.	भोजू छेड़ी	41	31-5-79	"
58.	लोदा	43	31-5-79	"
59.	गुढा	42	31-7-79	"
60.	पदमिया	39	31-7-79	"
61.	रामपुरा	38	30-10-79	"
62.	रलावता	36	29-11-80	"
63.	रान्या खेड़ी	40	29-11-80	"
64.	सोगोला	37	31-3-82	"
65.	कोलू खेड़ी	21	31-3-82	"
66.	मोहनपुर	35	31-3-82	"
67.	झाटेड़ी	61	31-3-82	"

1	2	3	4	5
68.	बानी	26/1/62	31-8-79	आर.ई.सी. (ओ.बी.)
69.	महदारी	3	31-3-82	,,
70.	सुवाखिया	14	31-3-82	,,
71.	गुलखेड़ी	20	31-3-82	,,
72.	खुंजा	15	31-3-82	,,
73.	खाटा खेड़ी	19	31-3-82	,,
74.	ओदपुर	22	31-3-82	,,
75.	सरखण्डिया	24	31-3-82	,,
76.	बांगडसी	17	31-3-82	,,
77.	आलनपुर	16	31-3-82	,,
78.	सांगाहेड़ा	18	31-3-82	,,
79.	कंवरपुरा-मदवालियां	11	31-5-79	,,
80.	बोहरा	4	28-2-82	,,
81.	जोलपा	1	28-2-82	,,
82.	सरोला खुर्द	167	31-3-82	,,
83.	मूमरी	169	31-3-82	,,
84.	श्योनगर ढाणी	168	31-3-82	,,
85.	मरतपुर	170	31-3-82	,,
86.	खेड़ी	134	31-8-79	,,
87.	महुवा खेड़ा	178	31-3-82	,,
88.	कोडक्या	175	31-3-82	,,
89.	अकवाड़ खुर्द	174	31-3-82	,,
90.	इरली	180	31-3-82	,,
91.	अकवाड़ कलां	175	31-5-82	,,
92.	चन्दलिया	179	31-3-82	,,

1	2	3	4	5
93.	हातोला	26/1/177	31-3-82	आर.ई.सी. (ओ.वी.)
94.	हातोली	181	31-3-82	"
95.	खेर-खेड़ा	182	31-3-82	"
96.	देवरी	185	31-3-82	"
97.	करनवास	186	31-3-82	"
98.	अम्बाला	196	31-3-82	"
99.	मालूनी	158	31-3-82	"
100.	बरेड़ा	194	28-2-83	"
101.	तरज	197	28-2-83	"
102.	मीलखेड़ा	189	31-3-83	"
103.	समरोल	190		"
104.	बोरखेड़ी	188		"
105.	सिवानिया	192		"
106.	हूंखारी	193		"
107.	दौलतपुरा	198		"
108.	दोलरा	201		"
109.	दुर्जनपुरा	46	26-3-79	" नोन.पो.
110.	कोटला	7	26-3-79	"
111.	मोटला	8	26-3-79	"
112.	सूखेड़ी	2		"
113.	घोल्या खेड़ी	23		"
114.	केथूनी	59	26-3-79	"
115.	माटखेड़ी	57	26-3-79	"
116.	सेवनी	125	26-3-79	"
117.	चिताई	154		"

1	2	3	4	5
118.	चुरेल्या	163	26-3-79	आर.ई.सी. (ओ.बी.) नोन. पो.
119.	दत्तरवाड़ा	165	30-4-79	"
120.	बालखो	172		"
121.	हनुवत खेड़ा	171		"
122.	बोसर	133	26-3-79	"
123.	भागर	129	26-3-79	"
124.	मोहम्मदपुरा	130	26-3-79	"
125.	भरवाड़ा	48	26-3-79	"
126.	नीमथोर	176		"
127.	बिसलाई	184		"
128.	सुखबरेड़ी	183		"
129.	सरथला	187		"
130.	बलदेवपुरा	195		"
131.	कंगनीखेड़ा	191		"
132.	छीपीखेड़ा	199		"
133.	रनवास	200		"
134.	भीमगढ़	202		"
135.	मानपुरा	203		"
136.	बोरड़ा	26/1/70	30-3-84	आर.ई.सी. (ओ.बी.-82-83)
137.	बड़गुवालिया	78	25-11-83	" "
138.	फदानिया	76	25-11-83	" "
139.	चमलासा	71	25-11-83	" "
140.	लेपल	67	जनवरी, 84	" "

1	2	3	4	5
141.	वासखेड़ा	72	25-2-84 आर.ई.सी. (ओ.वी.–82–83)	
142.	बागोद	66	25-2-84 "	"
143.	नपानिया	73	"	"
144.	छालेट	68	"	"
145.	हींचर	69	"	"
146.	बिसनखेड़ी	65	"	"
147.	उम्मेदपुरा	29	"	"
148.	ककवासा	75	"	"
149.	बदकारी	85	"	"
150.	अकोड़िया	25	"	"
151.	चदनिया खेड़ी	113	"	"
152.	मतवासा	119	"	"
153.	चोसला	27	"	"
154.	सरोलामाकिया खेड़ी	26	"	"
155.	भमोरी	105	30-9-81 एस.पी.ए.	खानपुर
156.	भैरूपुरा	102	25-9-81 "	"
157.	अगोरा	106	25-9-81 "	"
158.	बोरडा मऊ	145	30-9-81 "	"
159.	राजपुरा	146	30-12-81 "	"
160.	घनोदाखुर्द	148	30-12-81 "	"
161.	पीपल्दा	149	30-12-81 "	"
162.	घनोदा कलां	155	30-12-81 "	"
163.	बरेड़ी	156	30-12-81 "	"
164.	मियारा	100	30-12-81 "	"

1	2	3	4	5	
165.	खेरली	111	31-1-82	एस.पी.ए.	खानपुर
166.	गुवाढ़ी	114	31-1-82	,,	,,
167.	गडरवाड़ा नूरजी	112	30-12-81	,,	,,
168.	बड़खेड़ा	120	31-1-82	,,	,,
169.	मटवासी	110	31-1-82	,,	,,
170.	अकरवाड़ो	109	28-2-83	,,	,,
171.	चन्द्रापुरा	150	31-3-83	,,	,,
172.	कांकरड़ा	151	31-3-83	,,	,,
173.	अलीगढ़	79	जनवरी, 83	,,	,,
174.	प्रितमपुरा	82	25-11-83	,,	,,
175.	लड़ानिया	99	28-2-83	,,	,,
176.	कंवरपुरा	98		,,	,,
177.	लकूट	116		,,	,,
178.	मूंडला	84		,,	,,
179.	गुगलहेड़ी	95		,,	,,

सूची "ब"

पंचायत समिति खानपुर में ग्रामवार प्राप्त कृषि आवेदन की स्थिति

क्र. सं.	ग्राम का नाम	प्राप्त आवेदनों की संख्या	डिमान्ड नोटिस जारी किये गये की संख्या	प्राप्त "एल" फार्मों की संख्या	दिये गये कनेक्शनों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	देवपुरा	13	10	10	10
2.	गोल्या खेड़ी	6	—	—	—
3.	पीपलाज	15	5	5	5
4.	सोजपुर	4	—	—	—
5.	ढंगरावता	3	—	—	—
6.	दादीया	7	4	1	1
7.	मोहम्मदपुरा	5	5	4	4
8.	गाडर वाडा डूंडा	12	—	—	—
9.	ठीकरिया	2	—	—	—
10.	कालारेणा	4	—	—	—
11.	बटखेड़ी	2	—	—	—
12.	जारंगा	5	5	1	1
13.	पंखराना	8	—	—	—
14.	माहीरा	17	5	2	2
15.	जेवना	7	—	—	—
16.	खमवदा	2	1	—	—
17.	दहीखेड़ा	10	—	—	—
18.	पनवाड़	3	—	—	—
19.	वैरवार	11	—	—	—

1	2	3	4	5	6
20.	कंवरपुरा	19	3	3	3
21.	जोलया	3	—	—	—
22.	मोरा	6	—	—	—
23.	रूपाहेड़ा	1	1	1	1
24.	लोढ़ा	5	3	2	2
25.	गुढ़ा	1	—	—	—
26.	पदनिया	6	3	3	2
27.	ललावता	11	2	1	1
28.	भगवानपुरा	12	8	3	3
29.	जठेड़ी	3	—	—	—
30.	मोजूखेड़ी	2	2	1	1
31.	गोलाना	38	17	4	4
32.	कवनदा	13	13	6	6
33.	लाखाखेड़ी	6	5	—	—
34.	लीनी	3	3	—	—
35.	फूंगाहेडी	3	3	—	—
36.	डोन्डा	1	—	—	—
37.	मरापत	14	—	—	—
38.	हथाई खेड़ा	4	—	—	—
39.	कुन्जेर	3	—	—	—
40.	सरोला कलां	18	3	—	—
41.	दादीवा	5	5	—	—
42.	मालपवाला	18	1	—	—
43.	तारज	15	1	1	1
44.	भरतपुर	5	—	—	—
45.	ढाणी	2	—	—	—

1	2	3	4	5	6
46.	खन्डी	23	—	—	—
47.	बराड़ा	1	—	—	—
48.	गुरजनी	2	—	—	—
49.	कगाहेड़ी	1	—	—	—
50.	चितावा	16	—	—	—
51.	रामपुरा	1	1	1	1
52.	भगवानपुरा	1	—	—	—
53.	मोहिस	1	1	—	—
54.	बेसार	15	5	1	1
55.	सीथलखेड़ी	1	1	1	1
56.	कालारेवा	5	2	2	2
57.	रूपाहेड़ा	1	1	1	1
58.	लाखा खेड़ी	1	1	1	1
59.	भरखेड़ी	4	—	—	—
60.	भूमरी	4	2	2	2
61.	बडरेली	4	—	—	—
62.	जठाना	1	—	—	—
63.	सिगरोला	3	—	—	—
64.	रान्याखेड़ा	5	—	—	—
65.	मालनवासा	1	—	—	—
66.	थाया खुर्द	41	—	—	—
67.	रानीयाखेढ़ी	1	—	—	—
68.	पचियाला	15	—	—	—
69.	जगदीशपुरा	1	—	—	—
70.	उमरिया	1	—	—	—
71.	थानिया खुर्द	35	25	22	22

1	1	3	4	5	6
72.	पीपल्दा	32	22	22	22
73.	राजपुरा	5	4	4	4
74.	घनोदा थलां	3	3	—	—
75.	बोरदा महू	1	—	—	—
76.	भैरूंपुरा	6	6	4	4
77.	हरीष्ट	30	21	17	17
78.	कांकडया	15	9	9	9
79.	चांवपुरा	4	4	—	—
80.	पीतामपुरा	18	18	18	18
81.	वरखेड़ा	2	2	2	2
82.	बघेर	2	2	1	1
83.	खानपुर	13	11	5	5
84.	चांदखेड़ी	6	6	3	3
85.	सूमर	22	18	12	12
86.	बिलासपुर	4	4	1	1
87.	दोवडां	16	—	7	7
88.	बडमुवालिया	11	11	11	11
89.	बागोद	3	—	—	—
90.	लायफल	7	—	—	—
91.	बांसखेड़ा	6	—	—	—
	योग :—	744	280	195	194

परिशिष्ट—12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 487 का विवरण)

"अ"

जयपुर में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में उपलब्ध सुविधाओं की स्थिति

1. बैंक :

(अ) विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र :

1. दी बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड
2. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
3. बैंक ऑफ बड़ौदा
4. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर

(ब) मालवीया औद्योगिक क्षेत्र :

1. दी बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड
2. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर

(स) झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र :

1. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया

(द) बाईस गोदाम औद्योगिक क्षेत्र :

1. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया

(ई) सुदर्शनपुरा औद्योगिक क्षेत्र :

बाईस गोदाम औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत बैंक की सुविधाएं ही उपलब्ध हैं।

2. पोस्ट आफिस :

पोस्ट आफिस की सुविधाएं निम्न चार औद्योगिक क्षेत्रों में उपलब्ध हैं :

1. विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र
2. मालवीया औद्योगिक क्षेत्र
3. झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र
4. बाईस गोदाम औद्योगिक क्षेत्र

3. कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय :

उक्त चिकित्सालय की सेवाएं विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में उपलब्ध है। झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र के लिए पंचायत समिति कार्यालय झोटवाड़ा के समीप उक्त चिकित्सालय को सुविधाएं उपलब्ध हैं।

4. प्रयोग शाला :

विश्वकर्मा, मालवीया एवं बाईस गोदाम औद्योगिक क्षेत्रों में उपलब्ध है।

5. सुरक्षा सुविधा :

विश्वकर्मा एवं झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्रों में पुलिस स्टेशन कार्यरत हैं।

6. जल, विद्युत, टेलीफोन, व्यवसायिक केन्द्र, मालियों एवं स्ट्रीट लाईट की सुविधायें :
सभी औद्योगिक क्षेत्रों में उपलब्ध हैं।

7. रेल्वे स्टेशन :

झोटवाड़ा, बाईस गोदाम एवं सुदर्शनपुरा में उपलब्ध हैं।

"ब"

जयपुर में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों की स्थिति

क्र. सं.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	आयोजित भूखण्डों की संख्या	30 जून, 1985 तक आवंटित भूखण्डों की संख्या	आवंटन के लिए उपलब्ध भूखण्डों की संख्या	उत्पादनरत भूखण्डों की संख्या	निर्माणाधीन भूखण्डों की संख्या
1.	विश्वकर्मा	1126	1024	102	575	98
2.	मालवीया	185	185	शुन्य	80	70
3.	झोटवाड़ा	206	206	शून्य	200	4
4.	बाईस गोदाम	118	118	शून्य	118	शून्य
5.	सुदर्शनपुरा	95	95	शून्य	95	शून्य

परिशिष्ट–13

(अतारांकित प्रश्न सं. 496 का विवरण)

तहसील, नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं दिनांक 1-4-85 व 15-6-85 तक अग्निपीड़ित परिवारों की स्वीकृत सहायता राशि व बकाया का विवरण ।

क्र.सं.	नाम तहसील	नाम ग्राम	नाम व पता अग्निपीड़ित	सहायता स्वीकृत राशि
1	2	3	4 5	6
1.	नवलगढ़	कुमावास	श्री मुकन्दराम पुत्र राजूराम चमार ।	450.00
2.	,,	,,	श्री थावरराम पुत्र कालूराम चमार	300.00
3.	,,	,,	श्री भजनाराम पुत्र कालूराम चमार	450.00
4.	,,	,,	श्री डूंगरसिंह पुत्र नेकराम जाट	500.00
5.	,,	,,	श्री झावरमल पुत्र गंगाराम महाजन	450.00
6.	,,	ढाणी रावतातन नवलगढ़	श्री तनसुख पुत्र चूनाराम माली	500.00
7.	,,	,,	श्री रामू पुत्र चूनाराम माली	500.00
8.	,,	,,	श्री प्रहलाद पुत्र भूराराम माली	500.00
9.	,,	,,	श्री भूरा पुत्र सुखदेवा माली	500.00
10.	,,	,,	श्री गणेश पुत्र रूपाराम माली	500.00
11.	,,	ढाणियां नवलगढ़	श्री गौरीशंकर पुत्र भगवानाराम माली ।	
12.	,,	गोठडा	श्री बनवारीलाल पुत्र मातुराम भंगी	बजट के अभाव से विचाराधीन है ।
13.	,,	बिरौल	श्री प्रहलाद राम पुत्र थूणाराम माली ।	
14	,,	बासडी	श्री प्रभातराम पुत्र सुरजाराम माली	

जिला कलेक्टर सहायता
झुन्झुनूं

परिशिष्ट-14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 498 की सूची)

जायल तहसील जिला नागौर के विद्युतिकृत गांवों की सूची
जिनमें अनुसूचित जाति के मोहल्ले में बिजली नहीं है।
(1971 की जनगणना पुस्तिका के आधार पर)

क.सं.	गांव का नाम	कोड नं.
1.	सेरपालिया	14-3-9
2.	कामेरिया	12
3.	झारेली	19
4.	रामसर	24
5.	तंवरा	27
6.	छापरा	28
7.	ईवाड़	29
8.	देह	31
9.	सोमढ़ा	32
10.	खोनेली	33
11.	मंगलोद	35
12.	रोटू	40
13.	रोजोद	48
14.	दुगस्ताज	49
15.	रातंगा	53
16.	फरडोद	64
17.	धारना	65
18.	कढ़ोसी	72
19.	बरनेल	77

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड नं.
20.	नूरियास	14-3-80
21.	सांडीला	85
22.	डेरी	88
23.	मातासुख	89
24.	पादेली	98
25.	रूपाथल	100
26.	नूणसरा	101
27.	थांवला	102
28.	कालवी	103
29.	गेलोली	104
30.	कसनाऊ	105
31.	जबासी	111
32.	पाडिया	112
33.	पादुकला	115
34.	खींयाला	47

परिशिष्ट–15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 503 की सूची)

सूची हत्या के अपराध में नामजद अपराधी जो पकड़े नहीं जा सके ।

अभियोग संख्या	मुलजिमान जिनकी गिरफ्तारी शेष है ।
28/85 थाना नाणा	3
45/85 थाना तख्तगढ़	1
50/85 थाना सुमेरपुर	7
16/85 थाना सिरीयारी	1
16/85 थाना कालू	1

परिशिष्ट - 16

(अतारांकित प्रश्न संख्या 507 का विवरण)

निदेशालय कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर ।

सन् 1983-84 में 1984-85 में सृजित विभागाध्यक्षों के पदों की सूची

स्नातकोत्तर स्तरीय अध्यक्ष			स्नातक स्तरीय अध्यक्ष		
1			2		
		भौतिक शास्त्र विभाग			
1.	अजमेर	1983-84	1.	उदयपुर	1983-84
2.	अलवर	"			
3.	भरतपुर	"			
4.	भीलवाड़ा	"			
5.	बीकानेर	"			
6.	कोटा	"			
		रसायन शास्त्र विभाग			
1.	अजमेर	1983-84	1.	बीकानेर	1983-84
2.	अलवर	"	2.	धौलपुर	"
3.	ब्यावर	"	3.	कोटा (कन्या)	"
4.	भरतपुर	"	4.	कोटपुतली	"
5.	भीलवाड़ा	"	5.	सिरोही	"
6.	बीकानेर	"	6.	टोंक	"
7.	चूरू	"	7.	उदयपुर	"
8.	कोटा	"			
9.	सीकर				

1	2

प्राणी शास्त्र विभाग

1.	अजमेर	1983-84
2.	अलवर	"
3.	भरतपुर	"
4.	भीलवाड़ा	"
5.	बीकानेर	"
6.	चूरू	"
7.	डूंगरपुर	"
8.	कोटा	"

वनस्पति शास्त्र विभाग

1.	अजमेर	1983-84
2.	अलवर	"
3.	भरतपुर	"
4.	बीकानेर	"
5.	चूरू	"
6.	भीलवाड़ा	1984-85
7.	कोटा	1983-84

गणित शास्त्र विभाग

1.	अजमेर	1983-84
2.	अलवर	"
3.	भीलवाड़ा	"
4.	बीकानेर	"
5.	कोटा	"

1			2		
6.	टोंक	1983-84			
7.	भरतपुर	1984-85			
8.	बून्दी	,,			

भूगर्भ शास्त्र विभाग

1.	डीडवाना	1983-84			

लेखा एवं व्यवसायिक सांख्यिकी विभाग

1.	अजमेर	1983-84	1.	कालाडेरा	1983-84
2.	अलवर	,,	2.	नीम का थाना	,,
3.	बाड़मेर	,,	3.	सवाई माधोपुर	,,
4.	बांसवाड़ा	,,	4.	सुजानगढ़	,,
5.	ब्यावर	,,			
6.	भरतपुर	,,			
7.	भीलवाड़ा	,,			
8.	बूंदी	,,			
9.	चित्तौड़गढ़	,,			
10.	चूरू	,,			
11.	दौसा	,,			
12.	डीडवाना	,,			
13.	करौली	,,			
14.	किशनगढ़	,,			
15.	कोटा	,,			
16.	कोटपुतली				
17.	नागौर	,,			

1			2		
18.	पाली	1983-84			
19.	सीकर	,,			
20.	सिरोही	,,			
21.	टोंक	,,			
22.	जालौर	1984-85			

व्यवसायिक प्रशासन विभाग

1.	अजमेर	1983-84	1.	चित्तौड़गढ़	1983-84
2.	अलवर	,,	2.	कालाडेरा	,,
3.	बांसवाड़ा	,,	3.	नीम का थाना	,,
4.	ब्यावर	,,	4.	सुजानगढ़	,,
5.	भरतपुर	,,			
6.	भीलवाड़ा	,,			
7.	चूरू	,,			
8.	दौसा	,,			
9.	झालावाड़	,,			
10.	करौली	,,			
11.	किशनगढ़	,,			
12.	कोटपूतली	,,			
13.	कोटा	,,			
14.	पाली	,,			
15.	सीकर	,,			
16.	सिरोही	,,			
17.	टोंक	,,			
18.	बाड़मेर	1984-85			

1			2		

प्राथिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्ध विभाग

1.	अजमेर	1983-84	1.	चित्तौड़गढ़	1983-84
2.	अलवर	"	2.	दौसा	"
3.	ब्यावर	"	3.	डीडवाना	"
4.	भरतपुर	"	4.	कालाडेरा	"
5.	भीलवाड़ा	"	5.	नीम का थाना	"
6.	चूरू	"	6.	सुजानगढ़	"
7.	डूंगरपुर	"			
8.	झालावाड़	"			
9.	करौली	"			
10.	कोटा	"			
11.	कोटपुतली	"			
12.	पाली	"			
13.	सीकर	"			
14.	सिरोही	"			
15.	बूंदी	1984-85			
16.	बांसवाडा	"			
17.	किशनगढ़	"			

हिन्दी विभाग

1.	अजमेर	1983-84	1.	भीलवाड़ा	1983-84
2.	अलवर	"	2.	बीकानेर (कन्या)	"
3.	भरतपुर	"	3.	चूरू	"
4.	बीकानेर	"	4.	दौसा	"

1			2		
5.	डीडवाना	,,	5.	कोटा (कन्या)	,,
6.	झालावाड़	,,	6.	कोटपुतली	,,
7.	किशनगढ़	,,	7.	नीम का थाना	,,
8.	कोटा	,,			
9.	श्रीगंगानगर	,,			
10.	सीकर	,,			
11.	सिरोही	,,			
12.	उदयपुर	,,			
13.	बूंदी	1984-85			
14.	बांसवाड़ा	,,			
15.	ब्यावर	,,			
16.	डूंगरपुर	,,			
17.	टोंक	,,			

अंग्रेजी विभाग

1.	अजमेर	1983-84	1.	आर.आर. अलवर	1983-84
2.	कला अलवर	,,	2.	ब्यावर	,,
3.	भरतपुर	,,	3.	बीकानेर (कन्या)	,,
4.	बीकानेर	,,	4.	डूंगरपुर	,,
5.	बूंदी	,,	5.	झालावाड़	,,
6.	चित्तौड़गढ़	,,	6.	कोटा (कन्या)	,,
7.	कोटा	,,	7.	कोटपुतली	,,
8.	नागौर	,,	8.	नीम का थाना	,,
9.	सीकर	,,	9.	टोंक	,,
10.	श्रीगंगानगर	,,	10.	उदयपुर	,,

1			2		
11.	भीलवाड़ा	1984-85			
12.	दौसा	,,			
13.	किशनगढ़	,,			
14.	सिरोही	,,			

संस्कृत विभाग

1.	अजमेर	1983-84			
2.	अलवर	,,			
3.	ब्यावर	,,			
4.	भरतपुर	,,			
5.	बीकानेर	,,			
6.	कोटा	,,			
7.	श्रीगंगानगर	1984-85			

संगीत (कण्ठ) विभाग

1.	उदयपुर	1983-84			

संगीत (वाद्य) विभाग

1.	उदयपुर	1983-84			

इतिहास विभाग

1.	अजमेर	1983-84	1.	सवाईमाधोपुर	1983-84
2.	बाड़मेर	,,			
3.	भरतपुर	,,			
4.	भीलवाड़ा	,,			

[redacted]

1			2		
5.	ब्यावर	,,			
6.	बीकानेर	,,			
7.	बूंदी	,,			
8.	चित्तौड़गढ़	,,			
9.	चूरू	,,			
10.	दौसा	,,			
11.	डूंगरपुर	,,			
12.	कोटा	,,			
13.	किशनगढ़	,,			
14.	करौली	,,			
15.	नागौर	,,			
16.	कोटपुतली	,,			
17.	पाली	,,			
18.	सीकर	,,			
19.	सिरोही	,,			
20.	श्रीगंगानगर	,,			
21.	टौंक	,,			
22.	अलवर	1984-85			
23.	धौलपुर	,,			
24.	नाथद्वारा	,,			

दर्शन शास्त्र

1.	अजमेर	1983-84			
2.	भरतपुर	,,			
3.	बीकानेर	,,	1.	उदयपुर	1983-84

1			2		
		भूगोल शास्त्र			
1.	अजमेर	1983-84			
2.	अलवर	,,			
3.	भीलवाड़ा	,,			
4.	भरतपुर	,,			
5.	ब्यावर	,,			
6.	बीकानेर	,,			
7.	डूंगरपुर	,,			
8.	कोटा	,,			
9.	श्रीगंगानगर	,,			
10.	उदयपुर	1984-85			
		राजनीति शास्त्र			
1.	अजमेर	1983-84	1.	कन्या अलवर	1983-84
2.	अलवर	,,	2.	बहरोड	,,
3.	बीकानेर	,,	3.	कन्या कोटा	,,
4.	भीलवाड़ा	,,			
5.	ब्यावर	,,			
6.	बून्दी	,,			
7.	बाड़मेर	,,			
8.	भरतपुर	,,			
9.	बांसवाड़ा	,,			
10.	चूरू	,,			
11.	दौसा	,,			
12.	डूंगरपुर	,,			

1			2		
13.	झालावाड़	,,			
14.	कोटा	,,			
15.	कोटपुतली	,,			
16.	करौली	,,			
17.	सीकर	,,			
18.	श्रीगंगानगर	,,			
19.	चित्तौड़गढ़	1984-85			
20.	सिरोही	,,			
21.	कन्या उदयपुर	,,			
22.	पाली	,,			

समाज शास्त्र विभाग

1.	अलवर	1983-84	1.	उदयपुर	1983-84
2.	बांसवाड़ा	,,			
3.	ब्यावर	,,			
4.	भीलवाड़ा	,,			
5.	चित्तौड़गड़	,,			
6.	कोटा	,,			
7.	बीकानेर	1984-85			
8.	डूंगरपुर	,,			

ड्राईंग एवं पेन्टिग विभाग

1.	बून्दी	1983-84
2.	नाथद्वारा	,,
3.	कोटा	,,

1			2		
		अर्थशास्त्र विभाग			
1.	अजमेर	1983-84			
2.	अलवर	,,			
3.	बीकानेर	,,			
4.	भरतपुर	,,			
5.	भीलवाड़ा	,,			
6.	ब्यावर	,,			
7.	बांसवाड़ा	,,			
8.	डूंगरपुर	,,			
9.	जालौर	,,			
10.	कोटा	,,			
11.	नागौर	,,			
12.	नाथद्वारा	,,			
13.	पाली	,,			
14.	सीकर	,,			
15.	श्री गंगानगर	,,			
16.	टौंक	,,			
17.	उदयपुर	,,			
18.	दौसा	1984–85			
19.	झालावाड़	,,			
20.	बून्दी	,,			
		गृह विज्ञान विभाग			
			1.	कन्या बीकानेर	1983-84
			2.	उदयपुर	,,

1	2

उर्दू विभाग

1. कोटा 1983-84
2. टोंक ,,
3. अजमेर 1984-85
4. उदयपुर ,,

लोक प्रशासन विभाग

1. बीकानेर 1984-85
2. कोटा ,,

स्नातकोत्तर स्तरीय विभागाध्यक्ष	232
स्नातक स्तरीय विभागाध्यक्ष	47
कुल योग :	279

परिशिष्ट–17

(अतारांकित प्रश्न संख्या 102 की सूची)

वर्ष	स्थान का नाम	कार्य का नाम	खर्च की गई रकम	योजना का नाम	क्या मूल्यांकन हुआ या नहीं
1	2	3	4	5	6
1981-81	—	—	—	—	—
1982-83	इटावा	प्राथमिक शाला भवन (हरिजन वस्ती)	5,655.23	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	मूल्यांकन हो चुका है।
1983-84	इटावा	,, ,,	34,827.28	,,	,,
1984-85	इटावा	उच्च माध्यमिक विद्यालय, प्रयोगशाला कक्ष (लेबोरेट्री)	24,875.00	,,	,,